स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

आंतरिक सुरक्षा, राज्य, गृह, जम्मू एवं कश्मीर
तथा सीमा प्रबंधन विभाग

विषय सूची

अध्याय–1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-4
अध्याय–2 आंतरिक सुरक्षा	5-34
अध्याय–3 सीमा प्रबंधन	35-56
अध्याय–4 केन्द्र–राज्य संबंध	57-60
अध्याय–5 देश में अपराध परिदृश्य	61-72
अध्याय–6 मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता	73-88
अध्याय–7 संघ राज्य क्षेत्र	89-154
अध्याय–8 पुलिस बल	155-186
अध्याय–9 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं	187-215
अध्याय–10 आपदा प्रबंधन	216-233
अध्याय–11 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	234-246
अध्याय–12 महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं	247-259
अध्याय–13 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	260-274
अध्याय–14 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	275-285
अध्याय–15 विविध विषय	286-299
अनुलग्नक (I से XIX)	300-338

अध्याय 1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिनमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची –II "राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन, संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी का आदान–प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित संघटक विभाग हैं:–

- **आंतरिक सुरक्षा विभाग,** भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, प्रतिकूल विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों, आतंकवादियों के वित्तपोषण, पुनर्वास, वीजा प्रदान करने और अन्य आप्रवासन संबंधी मामले और सुरक्षागत स्वीकृति प्रदान किए जाने आदि संबंधी कार्य देखता है;

- **राज्य विभाग,** केंद्र–राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, मानवाधिकार, कारागार सुधार, पुलिस सुधार आदि संबंधी मामले देखता है;

- **गृह विभाग,** भारत के राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति/त्यागपत्र संबंधी अधिसूचना, राज्य सभा/लोक सभा में नामांकन, आबादी की जनगणना और जन्म–मृत्यु पंजीकरण आदि का कार्य देखता है;

- **जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग,** जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है;

- **सीमा प्रबंधन विभाग,** तटवर्ती सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा चौकसी को सुदृढ़ करने और संबंधित आधारभूत ढांचे का सृजन करने, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास आदि का कार्य देखता है;

- **राजभाषा विभाग,** राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है।

1.3 आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग तथा सीमा प्रबंधन विभाग, पृथक–पृथक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये सभी विभाग, केंद्रीय गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के लिए भी एक पदनामित सचिव हैं। राजभाषा विभाग में पृथक रूप से एक सचिव हैं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में राजभाषा विभाग के कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

1.4 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग को छोड़कर) में मंत्रियों,गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना अनुलग्नक– I में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी अनुलग्नक– II में दिया गया है।

1.5 गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं;

प्रशासन प्रभाग

1.6 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करना और पूर्वता अधिपत्र, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को देखना है। प्रशासन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है।

सीमा प्रबंधन प्रभाग

1.7 यह प्रभाग सीमा अवसंरचना संबंधी शक्ति प्राप्त समिति (ईसीबीआई) से संबंधित मामलों सहित सीमा प्रबंधन विभाग के समन्वय से संबंधित मामलों, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी), भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई), भारत–बांग्लादेश सीमा के प्रबंधन, भारत–पाकिस्तान सीमा के प्रबंधन, भारत–नेपाल सीमा के प्रबंधन, भारत–चीन सीमा के प्रबंधन और भारत–भूटान सीमा के प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग तटीय सुरक्षा, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) – प्रौद्योगिकीय समाधान और भारत–म्यांमार सीमा से संबंधित मामलों को देखता है।

समन्वय प्रभाग

1.8 यह प्रभाग मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर– वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, आंतरिक कार्य अध्ययन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत किए जाने संबंधी आदि कार्य करता है।

केंद्र– राज्य प्रभाग

1.9 यह प्रभाग, केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले सांविधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर निगरानी रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

आपदा प्रबंधन प्रभाग

1.10 इस प्रभाग का दायित्व विधायन, नीति और क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.11 इस प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना तथा व्यय नियंत्रण एवं अनुवीक्षण और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों संबंधी कार्य करना है।

विदेशी प्रभाग

1.12 यह प्रभाग, वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

1.13 यह प्रभाग, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती

शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग

1.14 आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग, विभिन्न गुटों/उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था, आतंकवादियों के वित्तपोषण, आतंकवाद से संबंधित नीति और परिचालनात्मक मुद्दों, सुरक्षा स्वीकृति, आई एस आई की गतिविधियों के अनुवीक्षण, आतंकवाद को रोकने के संबंध में पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तरीय वार्ता संबंधी मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–II प्रभाग

1.15 आन्तरिक सुरक्षा–।। प्रभाग हथियारों और विस्फोटकों, प्रत्यर्पण, स्वापक एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अति विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा–III प्रभाग

1.16 यह प्रभाग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्‌भावना और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग

1.17 यह प्रभाग सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठकों, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, द्विपक्षीय सहायता संधियों के बारे में नीति निर्धारण और सम्बन्धित कार्य मदों से संबंधित कार्य देखता है।

जम्मू और कश्मीर प्रभाग

1.18 यह प्रभाग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित सांविधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

न्यायिक प्रभाग

1.19 यह प्रभाग, भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूतपूर्व शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका से संबंधित मामलों को भी देखता है।

वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) प्रभाग

1.20 मंत्रालय में इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोणों से वामपंथी उग्रवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 19 अक्तूबर, 2006 को किया गया था। यह वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्वों में सुधार करना है। यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर प्रभाग

1.21 यह प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखता है जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस–I प्रभाग

1.22 पुलिस–I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुकरणीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

पुलिस–II प्रभाग

1.23 पुलिस–II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

1.24 यह प्रभाग, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस सुधार आदि से संबंधित कार्य करता है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग

1.25 यह प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस)/भारतीय पुलिस सेवा(आई पी एस) के अरूणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (ए जी एम यू टी) और दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रुप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

*****

अध्याय 2

आंतरिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

2.1. देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण स्थूल रुप से निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है:

(i) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद।

(ii) जम्मू एवं कश्मीर में सीमा–पार से आतंकवाद।

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद।

(iv) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद।

2.2 वर्ष 2015 के दौरान, आतंकवाद, उग्रवाद और विद्रोह के विशेष संदर्भ में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, देश के भीतरी भाग में दिनांक 27.07.2015 को पंजाब के जिला गुरदासपुर में आतंकवाद की केवल एक घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और 19 व्यक्ति घायल हुए। सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी के दौरान आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार तीन आतंकवादी मारे गए।

2.3 देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) चिंता का विषय बना हुआ है। जहां 10 राज्यों के 106 जिले अलग–अलग स्तर पर एलडब्ल्यूई से प्रभावित हैं, वहीं 7 राज्यों के 35 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। एलडब्ल्यूई हिंसा वर्ष 2010 में अपने चरम पर थी। वर्ष 2011 में इसमें कमी आरंभ हुई और चालू वर्ष में भी यह प्रवृत्ति जारी है। वर्ष 2015 में, एलडब्ल्यूई हिंसा की 1088 घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरूप 226 मौतें हुईं जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2014 में 1091 घटनाओं में 310 परिणामी मौतें हुई थीं। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा (466 घटनाएं और 97 मौतें), इसके बाद झारखंड (310 घटनाएं और 56 मौतें), बिहार (109 घटनाएं और 17 मौतें), ओडिशा (92 घटनाएं और 28 मौतें), महाराष्ट्र (55 घटनाएं और 18 मौतें), आन्ध्र प्रदेश (35 घटनाएं और 8 मौतें) और तेलंगाना (11 घटनाएं और 2 मौतें) का स्थान आता है। वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से एलडब्ल्यूई हिंसा की किसी घटना की सूचना नहीं मिली। देश में सीपीआई (माओवादी) विभिन्न एलडब्ल्यूई संगठनों में सबसे प्रभावशाली है और यह 80% से अधिक एलडब्ल्यूई हिंसा तथा परिणामी मौतों के लिए उत्तरदायी है।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

2.4 जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) राज्य दो दशकों से अधिक समय से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवाद शुरु होने (वर्ष 1990 में) से लेकर वर्ष 2015 तक 13,921 सिविलियनों और 4,961 सुरक्षा बलों के कार्मिकों ने अपने प्राण की आहुति दी है। गत कुछ वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है:–

वर्ष	घटनाएं	अपने प्राण की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कार्मिक	अपने प्राण गंवाने वाले सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2011	340	33	31	100
2012	220	38	11	50
2013	170	53	15	67
2014	222	47	28	110
2015	208	39	17	108

2.5 इस सारणी से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में आतंकवादी हिंसा के साथ–साथ हताहत हुए सुरक्षा बलों और सिविलियनों की संख्या में कमी हुई है। वर्ष 2015 के दौरान, मुख्य उग्रवादी समूहों के वरिष्ठ पाकिस्तानी कमांडरों सहित 108 आतंकवादियों को निष्क्रिय किया गया। दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा गया। वर्ष 2015 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही।

2.6 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जारी उग्रवाद जम्मू एवं कश्मीर में 'अंतर्राष्ट्रीय सीमा' के साथ–साथ 'नियंत्रण रेखा' दोनों से मूल रुप से सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा है। वर्ष 2011 में जम्मू एवं कश्मीर में सूचित किए गए घुसपैठ के प्रयास और सफल प्रयास नीचे सारणी में दिए गए हैं। वर्ष 2015 के दौरान, वर्ष 2014 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में काफी कमी आई है और सफल घुसपैठ में भी काफी कमी आई है:

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015
घुसपैठ के कुल प्रयास	247	264	277	222	118
सफल प्रयास	52	121	97	65	36

(स्रोत एमएसी)

2.7 जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा एकीकृत मुख्यालय/कमान में राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की गहन निगरानी करता है।

2.8 केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट बहु–स्तरीय तथा बहु–रुपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीय निगरानी, हथियार और उपकरणों का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय, घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना का सुचारू प्रवाह और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है। राज्य की शांति भंग करने के उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने विभिन्न आतंकवाद रोधी रणनीतियां अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने और स्थानीय युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने से हतोत्साहित करने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है।

2.9 सरकार का निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास रहा है:–

(i) सीमा–पार के आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा करने और उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय रूप से उचित उपाय करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में लम्बे समय से जारी उग्रवाद के प्रभाव के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए; और

(iii) एक स्थाई शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले सभी वर्गों के लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना और उन्हें प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना

तथा उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करना।

2.10 राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए, केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान कर रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें सिपाहियों को लाने–ले–जाने में हो रहे व्यय, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम, एअर–लिफ्ट प्रभार, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान–पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि शामिल हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) के तहत वर्ष 1989 से दिनांक 31.12.2015 तक कुल 5,021.64 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2015 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 286.13 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

विशेष उद्योग की पहल (एसआईआई जे एंड के) 'उड़ान'

2.11 डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए भारत के कारपोरेटों और गृह मंत्रालय के बीच भागीदारी में विशेष उद्योग की पहल योजना 'उड़ान' आरंभ की है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के उन बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है, जो स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा तीन वर्ष की इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं।

2.12 राज्य के 80,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ उड़ान के तहत एनएसडीसी के साथ 67 अग्रणी कारपोरेटों ने भागीदारी की है जिसमें संगठित खुदरा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, आईटी, प्रौद्योगिकी समर्थ सूचना सेवाएं (आईटीईएस), खेल, अवसंरचना, दूर–संचार, आतिथ्य–सत्कार, विनिर्माण, पराचिकित्सा और जीव विज्ञान क्षेत्र शामिल हैं।

2.13 कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए, पिछले वर्ष से मेगा चयन अभियान आरंभ किया गया है, जिसमें 8–10 कारपोरेट एक अभियान में भाग लेते हैं। इससे छात्रों को अधिक विविधता और विकल्प प्राप्त हुए और बेहतर भागीदारी भी मिली है। इन मेगा चयन अभियानों के आरंभ होने के बाद अभ्यर्थियों के चयन और प्रशिक्षण में शामिल होने में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है। 65 से अधिक मेगा चयन अभियान आयोजित किए गए हैं जिसमें राज्य के सभी जिलों को शामिल किया गया है। अब तक 19,888 उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिसमें से 15,200 उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं, 8,700 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया है और 6,838 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस वर्ष 53% उम्मीदवारों ने विकल्प के रूप में मुख्यतः आईटी और आईटीईएस को प्राथमिकता दी, जिनका औसत वेतन 1.82 लाख रू. प्रति वर्ष था। 3.61 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक के औसत वेतन के साथ प्रबंधन क्षेत्र सबसे अधिक आकर्षक रहा।

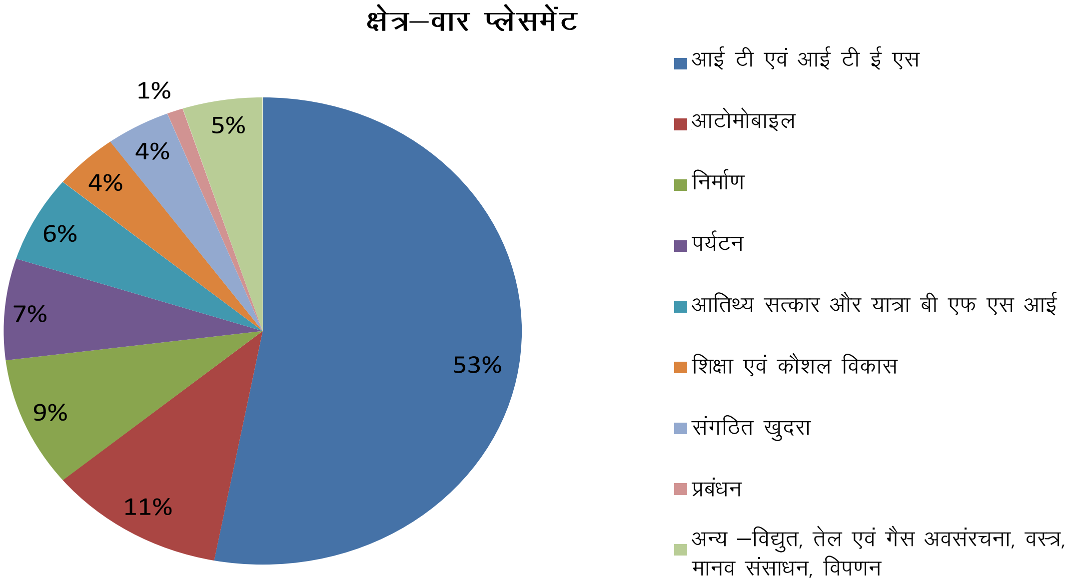

2.14 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 'उड़ान' के बारे में अपनी वेबसाइट आरंभ की है, जिसमें इसके अतिरिक्त 57,800 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त, 15,990 से अधिक उम्मीदवारों ने ऑफ लाइन पंजीकरण कराया है और 11,000 से अधिक उम्मीदवार सूचना सेमिनारों के माध्यम से आए हैं। भागीदार कार्पोरेटों के साथ समन्वय करने और कार्यक्रम के ऑन–ग्राउंड कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए प्रत्येक कालेज में एक नोडल अधिकारी और छात्र प्रतिनिधि के साथ बैक–एंड ढांचा बनाया गया है। अधिकांश मामलों में, कालेजों के प्रधानाचार्यों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानाचार्यों के दल ने सितम्बर, 2015 में दिल्ली में प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा किया और कार्यक्रम का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए उम्मीदवारों और संकाय के साथ बातचीत की।

जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानाचार्यों का प्रतिनिधिमंडल उड़ान अभ्यर्थियों से मुलाकात करता हुआ

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

2.15 वर्ष 1990 के आरंभ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उग्रवाद आरंभ होने के कारण, कश्मीर घाटी से कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों के साथ अधिकांश कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रवास कर गए। पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवारों की वर्तमान संख्या लगभग 62,000 है। लगभग 40,000 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवार जम्मू में, लगभग 20,000 परिवार दिल्ली में और लगभग 2,000 परिवार अन्य राज्यों में रह रहे हैं।

2.16 दिनांक 01.05.2015 से, सरकार जम्मू में रह रहे 18,250 पात्र परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 2,500 रु. (अधिकतम 10,000 रु. प्रति परिवार प्रति माह) और सूखा राशन (प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह) उपलब्ध करा रही है। इस संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (वापसी एवं पुनर्वास) के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

2.17 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी दिल्ली में रह रहे पात्र 3,385 परिवारों को 2,500 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह (अधिकतम 10,000 रु. प्रति परिवार प्रति माह) की नगद राहत उपलब्ध करा रही है। कश्मीरी प्रवासियों को नगद राहत का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किए गए व्यय की भी एसआरई (आर एंड आर) के तहत गृह मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जा रही है। अन्य राज्य अपने स्वयं के बजट से उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राहत उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने इन राज्यों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दर से राहत उपलब्ध कराने की भी सलाह दी है।

2.18 इस उद्देश्य के साथ कि प्रवास करने वाले परिवार अंततः घाटी में वापस आएंगे, व्यापक नीतिगत ढांचे के अंदर ऐसे प्रभावित परिवारों को मदद और सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता/राहत और अन्य पहलों के रूप में सरकार द्वारा पिछले वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं।

2.19 प्रधानमंत्री पैकेज–2004 के अंतर्गत, जम्मू में दो कमरों वाले 5,242 मकान बनाए गए थे और जम्मू में एक कमरे के विभिन्न मकानों, सरकारी भवनों, मंदिरों आदि में रहने वाले प्रवासियों को आबंटित किए गए थे। इसके अलावा, बड़गाम जिला (कश्मीर घाटी) के शेखपुरा में 200 फ्लैट बनाए गए थे और प्रधानमंत्री पैकेज–2008 के रोजगार घटक के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले प्रवासियों को साझेदारी के आधार पर आबंटित किए गए थे। इन 200 फ्लैटों में से, 31 फ्लैट स्थानीय प्रवासियों (जो अपने मूल स्थान से कश्मीर घाटी के अंदर अन्य स्थानों पर प्रवासित हुए) को आबंटित किए गए थे।

2.20 वर्ष 2008 में, सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए 1,618.40 करोड़ रु. के व्यापक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें प्रवासियों हेतु अनेक सुविधाओं, जैसे घरों की खरीद/निर्माण/मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता, अस्थायी आवासों के निर्माण, नगद राहत जारी रखने, छात्रों को छात्रवृत्ति, स्व–रोजगार/रोजगार, कृषकों तथा उद्यान–कृषकों को सहायता और भुगतान न किए गए ऋण के ब्याज की माफी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री पैकेज–2008 का कार्यान्वयन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब तक, 1,963 प्रवासी युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियां दी गई हैं जिनमें से 1,597 युवाओं ने कार्यभार संभाल लिया है। कश्मीर घाटी में 469 अस्थायी आवासों का निर्माण किया गया है और पैकेज के तहत नए नियुक्त प्रवासी कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकार की 3,000 अतिरिक्त नौकरियां देने और राज्य सरकार के कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए लगभग 6,000 अस्थायी आवासों के निर्माण हेतु दिनांक 18.11.2015 को एक अन्य पैकेज की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, पूर्व के पैकेज के तहत सृजित आस्तियों की मरम्मत और रख–रखाव के लिए 29 करोड़ रू. मंजूर किए गए हैं।

नियंत्रण रेखा के पार के लोगों का एक–दूसरे के साथ सम्पर्क (विश्वास निर्माण के उपाय)

नियंत्रण रेखा पार यात्रा

2.21 दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर–मुजफ्फराबाद मार्ग पर पाक्षिक बस सेवा शुरु की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ–रावलकोट मार्ग पर ऐसी सेवा शुरु की गई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से विश्वास निर्माण के इन उपायों पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों मार्गों की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 08.09.2008 और 11.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था। जिन यात्रियों (भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों) ने श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर इन सेवाओं का लाभ उठाया (दिसम्बर, 2015 तक), उनकी संख्या क्रमशः 9,928 और 19,908 है। इस वर्ष यात्रियों द्वारा ले जाई जाने वाली नगद राशि को 15,000 रू. से बढ़ाकर 25,000 रू. कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए सलामाबाद (उरी) में जांच–केन्द्र पर सभी सुविधाओं के साथ एक कैंटीन भी खोली गई है।

जम्मू एवं कश्मीर और पाक अधिकृत जम्मू –कश्मीर के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार

2.22 दिनांक 23.09.2008 को भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरु किया जाए। तदनुसार, श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर से शून्य शुल्क के आधार पर 21 अनुमोदित मदों का व्यापार शुरु हुआ। दिसम्बर, 2015 तक, इन दो मार्गों से 45,486 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत जम्मू–कश्मीर गए और 28,891 ट्रक सीमा पार कर भारत आए।

2.23 सलामाबाद और चकन–दा–बाग में व्यापार सुविधा केन्द्र (टी एफ सी) के स्थल को दो फुलबॉडी ट्रक स्कैनरों (एफबीटीएस) की स्थापना के लिए अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है जिसके लिए वैश्विक निविदा की प्रक्रिया चल रही है। एसआरई समिति द्वारा 25 करोड़ रू. की लागत से इन व्यापार सुविधा केन्द्रों के उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। टी एफ सी पर व्यापारियों और अधिकारियों के लिए आईएसडी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जम्मू एवं कश्मीर के व्यापार प्रतिनिधिमंडल को पाक अधिकृत जम्मू–कश्मीर का दौरा करने के लिए सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रदान की गई है।

अमरनाथ यात्रा

2.24 दिनांक 02.07.2015 को यात्रा आरंभ हुई और बिना किसी बड़ी अप्रिय घटना के दिनांक 29.08.2015 को समाप्त हुई। वर्ष 2015 की यात्रा के दौरान कुल 3,52,771 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए।

2.25 दुर्घटना–रहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने आधार शिविरों और मार्ग में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने यात्रा मार्ग पर अनेक मेडिकल शिविर लगाए। बीएसएनएल ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त पावर बैकअप के साथ 17 अतिरिक्त बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) मोबाइल टावर, 7वीं–एसएटी सैटेलाइट ट्रांसमिशन टावर और ऑप्टिकल फाइवर केबलों की स्थापना करके टेलिकॉम कनेक्टिविटी में सुधार किया।

जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों का संरक्षण

2.26 सरकार, मानवाधिकारों के संरक्षण और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के कार्य को सर्वाधिक महत्व देती है। सुरक्षा बलों को सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और अपनी दिन–प्रतिदिन की आपरेशनल ड्यूटी करते समय मानवतापूर्वक दृढ़निश्चय के साथ कार्य करने के अनुदेश दिए गए हैं।

2.27 मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया जाता है और पारदर्शी तरीके से तीव्रता से जांच की जाती है और युक्तिपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

पूर्वोत्तर

2.28 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक–आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का 8% भूभाग और 4% राष्ट्रीय जनसंख्या शामिल है। इस क्षेत्र की 6,387 किमी. की लगभग 99% सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो बांग्लादेश, (2,700 किमी), म्यांमार (1,643 किमी.), चीन (1,345 किमी.) और भूटान (699 किमी.) के साथ लगी हुई है।

2.29 पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति, नृजातीय समूहों और आतंकवादी संगठनों की भिन्न–भिन्न प्रकार की मांगों के कारण काफी समय से जटिल रही है और इसमें हिंसा की घटनाओं, सिविलियनों के कम हताहत होने और उग्रवादियों की गिरफ्तारी और आत्म–समर्पण की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। हिंसा की घटनाएं वर्ष 2007 में 1,489 से घटकर वर्ष 2015 में 574 रह गई हैं और इसी अवधि के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले सिविलियनों की संख्या 498 से घटकर 46 रह गई हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान समग्र रुप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति नीचे दी गई हैः–

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	अपने प्राण की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कार्मिक	अपने प्राण गंवाने वाले सिविलियन
2007	1489	1837	514	524	79	498
2008	1561	2566	640	1112	46	466
2009	1297	2162	571	1109	42	264
2010	773	2213	247	846	20	94
2011	627	2141	114	1122	32	70
2012	1025	2145	222	1195	14	97
2013	732	1712	138	640	18	107
2014	824	1934	181	965	20	212
2015	574	1900	149	143	46	46

2.30 पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्रोह से संबंधित हिंसा की अधिकांश घटनाएं असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में जारी रहीं। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में शांति बनी रही। अरुणाचल प्रदेश में, कुछ घटनाओं को छोड़कर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों के दौरान हिंसा की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक–III में दिया गया है।

2.31 गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अन्तर्गत संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के कुछेक भाग "संरक्षित क्षेत्र" हैं। सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत 'प्रतिबंधित क्षेत्र' घोषित किया गया है। विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अनुसार, केन्द्र सरकार अथवा इस निमित्त केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के तहत और इसके अनुसार जारी परमिट के अलावा कोई भी विदेशी ऐसे किसी संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसमें नहीं ठहरेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर पीएपी/आरएपी प्रणाली में छूट के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों के समग्र क्षेत्र को कुछ शर्तों के अध्यधीन विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र प्रणाली से बाहर रखा गया है।

अरुणाचल प्रदेश

2.32 अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर सामान्य रुप से वातावरण शांतिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई स्वदेशी विद्रोही समूह नहीं है। राज्य में तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/इसाक मुइवाह (एनएससीएन/आईएम), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खोले–किटोवी (एनएससीएन/केके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खापलांग (एनएससीएन/के) और एन एस सी एन (रिफार्मेशन), के नागालैंड में स्थित यूजी दलों के नागा विद्रोहियों की आतंकवादी गतिविधियां और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के अलावा असम में स्थित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा–I) की गतिविधियां फैली हुई हैं। जबरन धन वसूली के मामलों के साथ लांगडिंग, तिरप और चांगलांग जिलों में एनएससीएन/आईएम और एनएससीएन/के में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। एनडीएफबी(एस) और उल्फा(आई) के कैडर असम और म्यांमार की सीमा वाले राज्यों में (शरण/अस्थायी आवास हेतु) आते जाते हैं। कभी–कभी ये उग्रवादी समूह जबरन धन वसूली के माध्यम से, मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए राज्यों की राजनैतिक/आर्थिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करते रहे हैं। एनएससीएन दल अपने कैडरों की जबरन भर्ती में भी शामिल रहे हैं।

2.33 सरकार तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में अवसंरचना के विकास संबंधी परियोजनाओं के साथ–साथ पुलिस संगठन के उन्नयन हेतु एक कार्य–योजना कार्यान्वित कर रही है। इस कार्य योजना के अंतर्गत, नए पुलिस स्टेशनों के गठन और इन नए गठित पुलिस स्टेशनों के लिए भवनों के निर्माण, पुलिस कार्मिकों की भर्ती और हथियारों, गोला–बारुद और वाहनों आदि की अधिप्राप्ति जैसे कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 138.96 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2011–12 और 2012–13 में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को 46.93 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित डीपीआर के अनुसार, 11 नए पुलिस स्टेशनों के गठन और 9 विद्यमान पुलिस स्टेशनों के उन्नयन के लिए परियोजना की लागत 138.96 करोड़ रू. से बढ़कर 212.86 करोड़ रू. हो गई है। लागत अनुमानों में वृद्धि के लिए गृह मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

असम

2.34 असम में हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर, वर्ष 2010 के शुरु से सुरक्षा की स्थिति में वर्ष–दर–वर्ष मामूली

अंतर के साथ सुधार हुआ है। असम राज्य में इस समय सक्रिय मुख्य उग्रवादी समूहों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम – (स्वतंत्र), (उल्फा–I), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड – (सोरगवरा), (एनडीएफबी–एस) शामिल हैं। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत उल्फा और एनडीएफबी को गैर–कानूनी संघों के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) और करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी) असम के करबी आँगलोंग जिले में सक्रिय हैं। सुरक्षा बल इन विद्रोही समूहों की गतिविधि को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और वर्ष 2015 में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2.35 असम में विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता चल रही है। सरकारी वार्ताकार श्री पी.सी. हलदर असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड/रंजन डायमारी (एनडीएफबी/आरडी), एनडीएफबी/प्रगतिशील, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा–वार्ता समर्थक) और करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं। उल्फा ने सितम्बर, 2011 में अनिश्चित अवधि के लिए सरकार के कार्रवाई स्थगन (एसओओ) करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.36 केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 15.05.2015 और 24.11.2015 को नई दिल्ली में उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के साथ वार्ता की स्थिति की समीक्षा की। उल्फा नेताओं ने दिनांक 15.05.2015 को केन्द्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की। उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 01.05.2015 को नई दिल्ली में असम के केएलएनएलएफ (करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की गई। दिनांक 10.06.2015 को नई दिल्ली में ऑल बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन और अन्य समूहों के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

2.37 दिनांक 18.06.2015 और 19.06.2015 को संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में निम्नलिखित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। (i) असम समझौते के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा; (ii)बोड़ो समझौते के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा; और (iii)यूपीडीएस और डीएचडी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए त्रिपक्षीय समिति की बैठक। इन बैठकों में राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित परिषदों के अन्य सहभागियों/प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

2.38 दिसम्बर, 2014 में असम के सोनितपुर, कोकराझार और चिरांग जिलों में आदिवासियों की बर्बर व्यापक हत्या के बाद, एनडीएफबी (एस) समूह के विरुद्ध विद्रोह–रोधी अभियान जारी हैं। दिनांक 26.12.2014 से 09.01.2016 की अवधि के दौरान एनडीएफबी/एस के 584 कैडरों/सम्पर्क व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारुद बरामद किया गया। विद्रोह–रोधी अभियानों में 24 कैडर मारे गए। दिनांक 08.04.2015 को बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। दिनांक 25.12.2014 के बाद बोडो क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में हिंसा की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिनांक 09.01.2015 और 10.02.2015 को गुवाहाटी में मुख्य सचिव, डीजीपी असम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ असम राज्य में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठकें कीं।

मणिपुर

2.39 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की अधिकांश घटनाएं मणिपुर राज्य में जारी रहीं। मणिपुर एक उग्रवाद ग्रस्त राज्य है, जो मेइतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार और मुस्लिम यूजी समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है। कुकी/जोमी/हमार यूजी समूहों का इस समय भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एसओओ करार है। नागा यूजी समूहों द्वारा की गई हिंसा अधिकांशतः जबरन धन वसूली संबंधी घटनाओं तक सीमित है।

2.40 भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एसओओ करार के तहत इस समय कुल 25 यूजी समूह दो मुख्य समूहों, अर्थात युनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ–8 और कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (केएनओ–17) के अंतर्गत,

हैं। यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (केएनओ) के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में क्रमशः दिनांक 09.06.2015 और 22.07.2015 को संयुक्त मॉनीटरिंग समूह की बैठकें आयोजित की गई थीं। जैसाकि परस्पर रूप से निर्णय लिया गया था, यूपीएफ और केएनओ के साथ हस्ताक्षरित कार्रवाई स्थगन करार को क्रमशः दिनांक 08.06.2016 और 21.07.2016 तक एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

2.41 दिनांक 04.06.2015 को कांगलेई याओल कन्ना लुप (केवाईकेएल) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) एनएससीएन/के, के भूमिगत उग्रवादियों ने मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 18 जवानों में प्राण की आहुति दी और 15 अन्य जवान घायल हुए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है।

2.42 मणिपुर में अधिक सुरक्षा के कारण विद्रोहियों द्वारा की गई घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है और उग्रवादी कम संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

मेघालय

2.43 मुख्य रूप से गारो संगठन, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, जिसका प्रादुर्भाव वर्ष 2009 में हुआ, द्वारा उग्रवादी गतिविधियां गारो हिल्स क्षेत्रों के आस–पास केन्द्रित हैं, जिसमें राज्य के पांच जिले और पश्चिम खासी हिल्स जिले के कुछ भाग शामिल हैं। जीएनएलए दुकानदारों, व्यापारियों और कोयला व्यापारियों से जबरन धन वसूली में शामिल है। उल्फा (आई) और एनएससीएन/आईएम भी मेघालय के गारो हिल क्षेत्र में सक्रिय है। हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी), एक खासी उग्रवादी समूह, जिसे एनएससीएन/आईएम के प्रोत्साहन और मदद से स्थापित किया गया था और जिसे सतत सीआई अभियानों के कारण काफी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, ने बिना किसी ठोस सफलता के खासी हिल्स और जैनतिया हिल्स जिलों में अपनी गतिविधियां दोबारा आरंभ करने का प्रयास किया। पड़ोसी राज्यों के उग्रवादी समूहों ने अचिक नेशनल वालटियर्स काउंसिल (एएनवीसी), गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए), जैसे गारो उग्रवादी समूहों को प्रोत्साहित, प्रशिक्षित और सम्पोषित किया है।

2.44 भारत सरकार ने जीएनएलए के साथ शांति वार्ता न करने और संगठन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। संगठन के विरुद्ध व्यापक अभियानों के परिणामस्वरूप, समूह द्वारा हिंसा में कमी आई है और वर्ष 2015 में 39 कैडरों को गिरफ्तार किया गया और 12 कैडर मारे गए।

2.45 माननीय गृह मंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2014 को नई दिल्ली में भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार, एएनवीसी (अचिक नेशनल वालिन्टयर काउंसिल) और इससे अलग हुए समूह एएनवीसी/बी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। एएनवीसी ने दिनांक 15.12.2014 को तुरा (मेघालय) में आयोजित समारोह में अपना विघटन कर लिया है और भारी हथियारों और गोलाबारुद के साथ एएनवीसी के 161 यूजी कैडरों और 236 ओवर ग्राउंड कार्यकर्ताओं और एएनवीसी/बी के 277 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। दिनांक 6.5.2015 को नई दिल्ली में मेघालय सरकार के अधिकारियों और अचिक नेशनल वालिन्टयर काउंसिल (एएनवीसी), एएनवीसी/बी के साथ समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु निगरानी समूह की पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

नागालैंड

2.46 नागालैंड में हिंसा मुख्य रूप से विभिन्न दलों के बीच अन्तर–गुटीय झड़पों के रूप में होती रही है। नागालैंड राज्य में सक्रिय मुख्य विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड – (एनएससीएन) के घटक हैं, जो वर्ष 1975 के शिलांग समझौते के असफल होने के बाद वर्ष 1980 में अस्तित्व में आए। ये विद्रोही समूह इसाकस्वू और टीएच. मुइवाह के नेतृत्व में एनएससीएन (आईएम), एस.एस. खापलांग, म्यांमार के एक नागा के नेतृत्व में एनएससीएन(के) और जून, 2011 में बना नया गुट, खोले–किटोवी के नेतृत्व में एनएससीएन/केके हैं। यद्यपि, विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं, तथापि, एनएससीएन के समूहों का दल–संबंधी हिंसा और अन्य हिंसा/गैर–कानूनी गतिविधियों में शामिल होना जारी है, जिससे राज्य में सामान्य जन–जीवन प्रभावित होता है।

2.47 इस्टर्न नागा पीपल आर्गेनाइजेशन (ईएनपीओ), जो छह नागा जनजातियों का एक शीर्ष निकाय है, ने भारत संघ के अंदर विशेष दर्जे के साथ नागालैंड के चार पूर्वी जिलों (मोन, त्वेनसांग, किफिरे और लोंगलेंग) तथा अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों (तिरप, चांगलांग और लांगडिंग) को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग उठाई है। उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 10.09.2015 को ईएनपीओ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई।

2.48 नागालैंड के प्रमुख संगठनों, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन/इसाक मुइवाह) और एनएससीएन/खाले–किटोवी का भारत सरकार के साथ युद्ध–विराम करार है। एनएससीएन/खापलांग ने मार्च, 2015 में सरकार के साथ युद्ध विराम करार को एकतरफा रद्द कर दिया है। एनएससीएन/के को यूएपीए, 1967 के तहत गैर–कानूनी संघ और आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार और एनएससीएन/खापलांग से अलग हुए एक गुट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (रिफार्मेशन) एनएससीएन/आर, ने दिनांक 28.04.2015 से एक वर्ष की अवधि के लिए युद्ध विराम करार पर हस्ताक्षर किए हैं और युद्ध विराम के मूल नियमों से परस्पर सहमत हुए हैं। एनएससीएन/केके के साथ हस्ताक्षरित युद्ध विराम करार दिनांक 28.04.2016 तक वैध है। एनएससीएन/आईएम ने अनिश्चितकालीन युद्ध–विराम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जिनका युद्ध विराम निगरानी समूह (सीएफएमजी) के स्तर पर समाधान नहीं किया जा सका, सचिव (आईएस) की अध्यक्षता में एनएससीएन/आईएम के नेताओं के साथ दिनांक 02.06.2015 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

2.49 श्री आर.एन. रवि, अध्यक्ष, जेआईसी, भारत सरकार के प्रतिनिधि और सरकारी वार्ताकार नागा विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गृह मंत्रालय के वार्ताकार ने दिनांक 03.08.2015 को एनएससीएन(आई/एम) के साथ एक ढांचागत करार किया।

सिक्किम और मिजोरम

2.50 सिक्किम आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त है और राज्य में कोई आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है। मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से मिजोरम राज्य में कोई स्थानीय उग्रवाद नहीं है।

त्रिपुरा

2.51 मुख्य यूजी संगठनों अर्थात नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/बिश्वमोहन (एनएलएफटी/बी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) द्वारा हिंसा लगभग नगण्य है, क्योंकि वर्ष 2015 में 3 व्यक्तियों के अपहरण और हिंसा की घटनाओं में केवल एनएलएफटी/बी ही शामिल रहा है। वर्ष 2015 में कानून और व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से नियंत्रण में रही। त्रिपुरा में शांति के लिए एनएलएफटी/बी नेतृत्व के साथ बातचीत/वार्ता चल रही है।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.52 अलग–अलग जातीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता/बातचीत करने के लिए एक नीति का पालन कर रही है, जो स्पष्ट रुप से हिंसा छोड़ने तथा हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं। इसके परिणामस्वरुप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए सामने आए हैं और कार्रवाई स्थगन समझौता किया है और कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य संगठनों ने अपना विघटन कर दिया है। जिन संगठनों ने वार्ता नहीं की है, उन पर विद्रोह–रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.53 केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी/विद्रोही समूहों द्वारा किए गए अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या, कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा विस्फोट करने और अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं पर हमला करने आदि जैसी अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार

के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। इन उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, एसआरई योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी, यूएपीए के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय गैर–कानूनी संगठनों को प्रतिबंधित करना, एएफएसपीए के उद्देश्य से विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को 'अशांत क्षेत्रों के रुप में' घोषित करना और एकीकृत कमांड संरचना आदि हेतु अधिसूचनाएं जारी करना शामिल है।

2.54 भारत सरकार, राज्य सरकारों, सुरक्षा बलों और संबंधित समूहों के प्रतिनिधियों वाले संयुक्त निगरानी समूहों द्वारा इन व्रिदोही दलों के संबंध में सहमत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

2.55 पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए, दिनांक 11.07.2015 को असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में, पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति, राज्य पुलिस को सुदृढ़ और लैस करने, भारत–म्यांमार सीमा, भारत–बांग्लादेश सीमा और भारत–भूटान सीमा जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की प्रभावी सुरक्षा, प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की तैयारी और अन्य विकास संबंधी मुद्दों आदि पर चर्चा की गई।

2.56 पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी/विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों जैसे अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या, कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा विस्फोट करने और अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं आदि पर हमलों को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इन संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूहों/प्रतिबंधित संगठनों का ब्यौरा अनुलग्नक–IV में दिया गया है।

2.57 सम्पूर्ण मणिपुर राज्य (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र के अलावा), नागालैंड और असम, तिरप और चांगलांग तथा लोंगडिंग जिले सहित असम के साथ साझा सीमा वाले अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के 16 पुलिस स्टेशन और असम के साथ साझा सीमा वाले मेघालय राज्य के 20 किमी. क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है।

2.58 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं तथा संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी (आपरेशन) कार्यों के लिए कोबरा दलों सहित सीएपीएफ तैनात किए गए हैं।

2.59 **इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) का गठनः** भारत सरकार विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 51 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम के लिए 9, त्रिपुरा के लिए 9, मणिपुर के लिए 9, नागालैण्ड के लिए 7, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में प्रत्येक के लिए पाँच–पाँच, मेघालय के लिए 4 तथा सिक्किम के लिए 3 बटालियनें शामिल हैं। मंजूर की गई 51 बटालियनों में से, अब तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 48 इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन कर दिया गया है।

2.60 देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की विभिन्न चिंताओं का समाधान करने के लिए, विशेष रूप से महानगरों में, श्री एम.पी. बेजबरुआ, सदस्य पूर्वोत्तर परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2014 को एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने दिनांक 31.07.2014 को गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विधि प्रवर्तन एजंसियों को सुदृढ़ बनाने, देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विशेष नीतिगत पहलों और प्रभावी विधायी उपायों सहित विधिक सहायता तथा आवास से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करने और पूर्वोत्तर के बारे

में लोगों को शिक्षित करने की भी सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in/northeastnew पर दी गई है। तत्काल उपायों के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और समिति द्वारा की गई संगत सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा की जा रही है और गृह मंत्रालय में दिनांक 03.11.2014, 11.12.2014, 29.12.2014, 12.02.2015, 25.05.2015 और 27.08.2015 को अनेक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर राज्यों में शांति प्रक्रिया का सिंहावलोकन

2.61 असम

- दिनांक 25.11.2011 को यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी) ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए और बाद में अपना विघटन कर लिया।
- डीएचडी (दीमा हलम दवगाह), जिसने दिनांक 08.10.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ने भी बाद में अपना विघटन कर लिया।
- उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) वार्ता चल रही है। पिछली बैठक दिनांक 24.11.2015 को हुई थी। कार्रवाई स्थगन समझौता दिनांक 03.09.2011 से वैध है और अनिश्चित समय तक जारी है।
- एनडीएफबी(पी) (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड) (प्रगतिशील) ने पहले दिनांक 01.06.2005 को कार्रवाई स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस समय दिनांक 30.06.2016 तक वैध है।
- एनडीएफबी से अलग हुए समूह एनडीएफबी(आरडी) नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड, (रंजन डायमारी) ने दिनांक 29.11.2013 को कार्रवाई स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्रवाई स्थगन दिनांक 30.06.2016 तक वैध है।
- कारबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) का इस समय दिनांक 11.02.2010 से असम सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता है और कार्रवाई स्थगन समझौता दिनांक 30.06.2016 तक वैध है।
- 9 आदिवासी संगठनों ने दिनांक 24.01.2012 को आत्म–समर्पण किया। उनकी मांगों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

2.62 नागालैंड

- एनएससीएन (खोले–किटोवी) और एनएससीएन (रिफार्मेशन) के साथ हस्ताक्षरित युद्ध विराम करार दिनांक 27.04.2016 तक वैध है। एनएससीएन/आईएम ने अनिश्चित अवधि के लिए युद्ध–विराम करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गृह मंत्रालय के वार्ताकार श्री आर.एन. रवि, अध्यक्ष, जेआईसी ने दिनांक 03.08.2015 को एनएससीएन/इसाक मुइवाह के साथ एक ढांचागत करार किया।

2.63 मेघालय

- भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीसी (अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल) के बीच दिनांक 24.09.2014 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एएनवीसी ने दिनांक 15.12.2014 को तुरा (मेघालय) में आयोजित समारोह में अपना विघटन कर लिया।

2.64 मणिपुर

- दो समूहों (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट [यू पी एफ] – 8 और कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन [केएनओ] – 17 के तहत कुल 25 यूजी संगठनों का इस समय सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन करार है। केएनओ के साथ कार्रवाई स्थगन करार अगस्त, 2008 से विद्यमान है और 27.7.2016 तक वैध है। यूपीएफ के साथ कार्रवाई स्थगन करार दिनांक 08.06.2016 तक वैध है।

2.65 त्रिपुरा

- दिनांक 17.12.2014 को, एनएलएफटी (एनबी)

''नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (नयन बासी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और जनजातीय कल्याण, विकास और पुराने समूहों के पुनर्वास के लिए 55 करोड़ रु. (बाद में बढ़ाकर 64.63 करोड़ रु. किया गया) का एक सामाजिक–आर्थिक पैकेज दिया गया है और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एटीटीएफ के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएलएफटी (बी) और एटीटीएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है लेकिन उनकी गतिविधियां केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित हैं।

- त्रिपुरा में शांति के लिए एनएलएफटी/बी के नेतृत्व के साथ बातचीत/वार्ता चल रही है।

पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी योजना

2.66 गृह मंत्रालय दिनांक 01.01.1998 (दिनांक 01.04.2005 को संशोधित) से पूर्वोत्तर में भ्रमित युवाओं और उन खूंखार उग्रवादियों, जो उग्रवाद की ओर भटक गए हैं और बाद में उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को छुटकारा दिलाने के लिए उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी दोबारा उग्रवाद में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हो। सरकार की इस नीति के अनुसरण में, अनेक विद्रोही/उग्रवादी गुटों ने अपने हथियारों के साथ आत्म–समर्पण किया है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता को 1.5 लाख रूपए का तत्काल अनुदान दिया जाएगा, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पणकर्ता के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय सम्पार्श्विक प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है।

(ii) एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता को 3,500 रूपए प्रतिमाह वजीफे का भुगतान। राज्य सरकारें, यदि लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय तक सहायता देनी अपेक्षित समझती हैं, तो वे गृह मंत्रालय से परामर्श कर सकती हैं।

(iii) आत्मसमर्पणकर्ताओं को स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान।

2.67 मणिपुर में उग्रवाद में शामिल होने वाले भ्रमित युवाओं को आकर्षित करने के लिए मणिपुर राज्य के लिए एक विशेष आत्मसमर्पण योजना तैयार की गई है और दिनांक 01.12.2012 से कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उनके पुनर्वास के लिए 2.50 लाख रु. का तत्काल अनुदान और 4,000रु. प्रति माह का वजीफा उपलब्ध कराया जा रहा है।

2.68 वर्ष 2007 से 2015 तक आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या निम्नानुसार हैः–

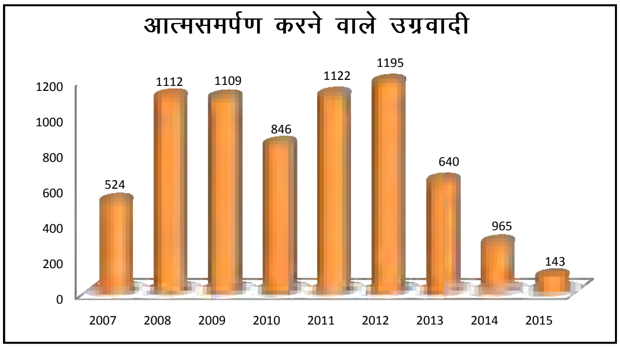

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)

2.69 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–।। की प्रविष्टि 2 के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषयों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए, इन विषयों का प्रबंधन करना मुख्य रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य वित्तीय बाधाओं के कारण वांछित स्तर तक अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने और लैस करने समर्थ में नहीं हुए हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की योजना का कार्यान्वयन करके समय–समय पर राज्यों के

प्रयासों और संसाधनों को सम्पूरित कर रहा है। एमपीएफ योजना को योजनेतर और आंशिक रुप से योजना के तहत निधीयन के साथ, वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक पांच वर्षों की और अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आवाजाही, हथियार, उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, विधि–विज्ञान उपकरण आदि संघटकों के तहत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित मदों का निधीयन योजनेतर के तहत किया जाता है। पुलिस स्टेशनों/चौकयों, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास का निर्माण/उन्नयन, विधि–विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण और प्रशिक्षण अवसंरचना (भवन) का निधीयन इस योजना के योजनागत बजट के तहत किया जाता है।

2.70 योजनेतर और योजना दोनों के तहत निधीयन के उद्देश्य से राज्यों को 'क' और 'ख' दो श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 'क' के राज्य नामतः जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 90% की वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे और 10% अपनी स्वयं की निधियों से उपलब्ध कराना होगा। वर्ष 2004–05 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–V में दर्शाया गया है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति

2.71 केन्द्र सरकार उग्रवाद/विद्रोह से गंभीर रुप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की एक योजनेतर स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सी पी एफ/सेना को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75% तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय और ऐसे ग्रुपों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर खर्च किए गए व्यय जैसी विभिन्न मदों पर उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। विगत 12 वर्षों के दौरान एसआरई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी सहायता का राज्य वार ब्यौरा अनुलग्नक–VI में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.72 चूंकि कुछ पूर्वोत्तर राज्य विद्रोह और उग्रवाद से प्रभावित हैं, इसलिए विद्रोह का सामना करने के लिए क्षेत्र में सेना और अन्य केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की निरंतर आवश्यकता है। स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल सिविक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, मेडिकल कैंपों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन संबंधी सामग्री के वितरण, स्कूल भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत गत पांच वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक–VII में दिया गया है।

विज्ञापन एवं प्रचार

2.73 पूर्वोत्तर की विशिष्ट समस्याओं अर्थात उग्रवाद, घुसपैठ और पराया होने की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय क्षेत्र में शांति के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों पर विशेष बल देने और यह बताने के उद्देश्य से कि "शांति से लाभ होता है" पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञापन और प्रचार की एक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा अंग्रेजी, असमी, मणिपुरी और बंगाली भाषाओं में पूर्वोत्तर में सरकार की स्कीमों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों की विशिष्टताओं को बताने वाला एक मासिक पूर्वोत्तर न्यूजलेटर प्रकाशित किया जाता है। इस स्कीम के तहत, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के तत्वावधान में, पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के शेष भारत के

दौरे और शेष भारत के युवाओं के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, पत्रकारों के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, रेडियो जिंगल्स आदि के प्रसारण सहित विभिन्न अन्य पहलें भी की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 (31.12.2015 तक) में, इस स्कीम के तहत क्रमशः 3.00 करोड़ रू. और 1.26 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई है।

अन्य मुद्दे

ब्रू प्रवासियों की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी

2.74 अक्टूबर, 1997 में मिजोरम के पश्चिमी भाग में जातीय हिंसा के कारण, वर्ष 1997–1998 में उत्तरी त्रिपुरा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार प्रवासित हुए। लगभग 30,000 (5,000 परिवार) ब्रू प्रवासियों को उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छह शरणार्थी शिविरों में शरण दी गई थी।

2.75 गृह मंत्रालय मिजोरम में ब्रू लोगों के पुनर्वास और उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए वर्ष 2004–05 से मिजोरम सरकार को और त्रिपुरा के राहत शिविरों में शरण प्रदान किए गए ब्रू प्रवासियों के भरण–पोषण के लिए वर्ष 1997–98 से त्रिपुरा सरकार को निम्नलिखित सहायता/अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है:

(i) प्रत्येक परिवार को आवासीय सहायता: 38,500रु.

(ii) प्रत्येक परिवार को नगद सहायता: 41,500रु.

(iii) एक वर्ष के लिए प्रत्येक वयस्क और नाबालिग को मुफ्त राशन।

(iv) मिजोरम सरकार द्वारा खर्च की गई परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति।

(v) प्रत्येक ब्रू परिवार को कंबल और बर्तन।

2.76 त्रिपुरा से मिजोरम में ब्रू प्रवासियों की वापसी चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। जैसाकि परिकल्पना की गई थी, मिजोरम के कुछ गैर–सरकारी संगठनों के विरोध के कारण वर्ष 2011 और 2012 में वापसी की प्रक्रिया बाधित/रोकी गई थी। वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरुप, 6ठें बैच में 197 परिवारों की वापसी हुई, जिससे वर्ष 2015 में लगभग 1,622 ब्रू परिवारों (लगभग 8,573 लोगों) की वापसी हुई है। मिजोरम सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार, ब्रू परिवारों की वापसी की प्रक्रिया अगस्त, 2015 तक पूरी की जानी थी। ब्रू नेताओं के कुछ वर्गों द्वारा असहयोग के कारण, योजनानुसार वापसी नहीं हो सकी। ब्रू लोगों की वापसी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय मिजोरम और त्रिपुरा राज्य सरकारों तथा ब्रू नेताओं के साथ बैठकें कर रहा है।

2.77 ब्रू प्रवासियों के लिए मिजोरम और त्रिपुरा को पुनर्वास योजनाओं (अनुदान सहायता) हेतु व्यय/जारी निधि का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैं

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	वर्ष	त्रिपुरा राज्य हेतु	मिजोरम राज्य हेतु
1.	2005-06	11.00	00.05
2.	2006-07	10.00	03.22
3.	2007-08	12.00	00.16
4.	2008-09	14.96	01.61
5.	2009-10	31.60	05.00
6.	2010-11	12.50	12.40
7.	2011-12	29.35	शून्य
8.	2012-13	18.63	11.39
9.	2013-14	6.60	5.07
10.	2014-15	35.00	5.00
11.	2015–16 (31.12.2015 तक)	19.19	5.00

पूर्वोत्तर में हेलिकाप्टर सेवा

2.78 शेष भारत के साथ दूर–दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और इन क्षेत्रों को हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी से योजनेतर स्कीम के तहत छह राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम में हेलिकाप्टर सेवायें प्रदान की जा रही हैं। सब्सिडी का भाग यात्रियों से प्राप्त की गई राशि का समायोजन करने के बाद परिचालन लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक हेलिकाप्टर के उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है।

2.79 छह राज्यों में हेलिकाप्टर सेवायें चलाने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है:

राज्य सरकारों द्वारा भारित पट्टे पर लिए गए हेलिकाप्टर	हेलिकाप्टर की किस्म	प्रति वर्ष मंजूर किए गए उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन दो इंजन	480
अरुणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई–172 द्वितीय एम आई–172 बेल–412 दो इंजन	960 1200 1300
सिक्किम	बेल–406 एक इंजन/दो इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो इंजन	480
मिजोरम	डॉफिन दो इंजन	960

2.80 सब्सिडी को सीमित करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में चल रही हेलिकाप्टर सेवा हेतु उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ान के घंटों की सीमा से अधिक हेलिकाप्टर सेवा को संचालित करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय से सब्सिडी को समायोजित करने के पश्चात, हेलिकाप्टर सेवा, चलाने की शेष लागत को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है।

2.81 पूर्वोत्तर राज्यों में हेलिकाप्टर सेवाओं हेतु व्यय/जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	व्यय/जारी की गई निधि
2005-06	20.00
2006-07	17.54
2007-08	23.41
2008-09	25.00
2009-10	34.99
2010-11	44.99
2011-12	59.18
2012-13	25.00
2013-14	38.45
2014-15	53.41
2015–16 (31.12.2015 तक)	75.92

2.82 वामपंथी उग्रवाद को रोकने के मामले में, विगत हाल में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है। वर्ष 2014 में 63 की तुलना में वर्ष 2015 में 89 एलडब्ल्यूई कैडर मारे गए हैं। वर्ष 2014 में 1,696 की तुलना में इस वर्ष 1,668 एलडब्ल्यूई कैडर गिरफ्तार किए गए हैं। बरामद किए गए हथियारों की संख्या भी 548 (2014) से बढ़कर 723 (2015) हो गई। हिंसा में कमी का श्रेय एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की अधिक उपस्थिति, गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण और परित्याग के कारण कैडरों/नेताओं की क्षति, प्रभावित क्षेत्रों के विकास संबंधी योजनाओं की बेहतर निगरानी और माओवादी कैडरों में विद्रोह की वजह से थकान को दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा एलडब्ल्यूई प्रभावित 10 राज्यों में कुल 116 बटालियनें (01 नागा आईआर बटालियन और 09 कोबरा बटालियनों सहित) तैनात की गई हैं। एलडब्ल्यूई विद्रोह की हिंसा की स्थिति का राज्य–वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष 2010 से 2015 तक एलडब्ल्यूई हिंसा के राज्य–वार आंकड़े

राज्य	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आन्ध्र प्रदेश	100	24	54	9	67	13	28	7	18	4	35	8
बिहार	307	97	316	63	166	44	177	69	163	32	109	17
छत्तीसगढ़	625	343	465	204	370	109	355	111	328	112	466	97
झारखंड	501	157	517	182	480	163	387	152	384	103	310	56
मध्य प्रदेश	7	1	8	0	11	0	1	0	3	0	0	0
महाराष्ट्र	94	45	109	54	134	41	71	19	70	28	55	18
ओडिशा	218	79	192	53	171	45	101	35	103	26	92	28
तेलंगाना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	8	4	14	5	11	02
उत्तर प्रदेश	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	350	258	92	45	6	0	1	0	0	0	0	0
अन्य	5	0	6	1	8	0	7	0	8	0	10	0
कुल	**2213**	**1005**	**1760**	**611**	**1415**	**415**	**1136**	**397**	**1091**	**310**	**1088**	**226**

2.83 आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा सभी राज्यों में माओवादी गतिविधियों में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में घटनाओं की संख्या 42% तक बढ़ी है। ऐसा मुख्यतः चालू वर्ष में जनवरी–फरवरी में पंचायत चुनावों के दौरान बस्तर डिवीजन में सीपीआई (माओवादी) द्वारा हिंसा की अधिक घटनाओं के कारण हुआ। आन्ध्र प्रदेश में मुख्यतः विशाखापट्टनम के एजेंसी क्षेत्र में बाक्साइट के खनन को रोकने के परिणामस्वरूप घटनाओं की संख्या में 94% तक वृद्धि हुई।

2.84 दक्षिण छत्तीसगढ़ का दण्डाकरणय क्षेत्र माओवादी गतिविधियों का केन्द्र रहा है। बौध–नयागढ़– अंगुल अक्ष (ओडिशा) में गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए थे। नियामगिरि पहाड़ियों (ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले) और एजेंसी एरिया (आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला) में बाक्साइट के प्रस्तावित खनन के विरुद्ध लोगों के आंदोलन को सक्रिय समर्थन प्राप्त है। सीपीआई (माओवादी) पोलावरम बांध (पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश) के निर्माण के विरुद्ध स्थानीय जनजातियों को प्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है। एलडब्ल्यूई कैडर की जबरन धन वसूली/उगाही की गतिविधियां सतत रूप से जारी हैं। आर्थिक अवसंरचना, विशेष रूप से सड़क निर्माण उपकरण और मशीनरी पर उनके हमलों से भी ठेकेदारों और ग्रामवासियों के दिमाग में सतत भय उत्पन्न होता रहता है और इससे एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में आर्थिक और विकास संबंधी कार्यों में विलम्ब हो रहा है।

2.85 सीपीआई (माओवादी) न केवल विद्यमान क्षेत्रों में अपनी स्थिति को संघटित करने के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन कर रहा है, बल्कि वे कर्नाटक,

केरल और तमिलनाडु के जंक्शन में अपने लिए आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि, अच्छी तरह तैयार की गई कार्य योजना के कार्यान्वयन के कारण इस क्षेत्र में सीपीआई (माओवादी) को अधिक सफलता नहीं मिली है, तथापि, दक्षिण भारत में एक नया क्षेत्र खोलने के लिए सीपीआई (माओवादी) का प्रयास एक गंभीर चिंता का कारण है। भारत सरकार स्थिति की गहन निगरानी कर रही है और सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों को सुग्राही बना रही है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का सामना करने के लिए सरकार की रणनीति

2.86 **सी पी आई (माओवादी) पर प्रतिबंध:** सी पी आई (माओवादी), जो हिंसा/हत्याओं की 80% से अधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया जाना जारी है।

2.87 **एलडब्ल्यूई राज्यों को सहायता:** 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' चूंकि राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रुप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और कई तरीके से एलडब्ल्यूई समस्या से निपटने में उनके प्रयासों को समन्वित और सम्पूरित करती है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा कमाण्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) को मुहैया कराना; इण्डिया रिजर्व (आई आर) बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना, विद्रोह–रोधी एवं आतंकवाद–विरोधी (सीआईएटी) विद्यालयों की स्थापना करना; राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अन्तर्गत राज्य पुलिस एवं उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना के अन्तर्गत मुख्य अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना; नक्सल–रोधी अभियानों के लिए हेलिकाप्टर उपलब्ध कराना, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना; आसूचना का आदान–प्रदान करना; अन्तर–राज्यीय समन्वय, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एवं सिविक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करना और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की अनेक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य में सहायता प्रदान करना शामिल है। इसका मूल उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समन्वित तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता में वृद्धि करना है।

2.88 **कार्य योजना:** वामपंथी उग्रवादी (एलडब्लूई) समस्या का प्रभावी रूप से पूर्णरूपेण समाधान करने के लिए सरकार ने सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों की हकदारी सुनिश्चित करने और जन अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्रों में चार आयामी रणनीति अपनाकर राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की है। सरकार का बल 106 एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, विशेष रूप से 7 राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित 35 एलडब्ल्यूई जिलों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और अभिशासन की कमियों को दूर करने पर है।

2.89 सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का बल सुरक्षा संबंधी (एसआरई) व्यय योजना, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण, महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण आदि के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण और सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने पर है। इसके साथ ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्तर पर, विकास और अभिशासन के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आश्रम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सर्व शिक्षा अभियान

आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत राज्यों को आबंटित निधियों का विशेष महत्व है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी गहन निगरानी की जाती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26.05.2015 को गृह मंत्रालय की एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है। सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से 8 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में एक महत्वाकांक्षी सड़क विकास योजना भी कार्यान्वित कर रही है। अब तक 3,887 किमी. लम्बी सड़का का निर्माण किया जा चुका है। वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में, गृह मंत्रालय 10 वामपंथी उग्रवाद वाले राज्यों में 2199 मोबाइल टावर लगाने की दूरसंचार विभाग की योजना की निगरानी कर रहा है। अब तक 1,288 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, 175 अतिरिक्त मोबाइल टावरों का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को भेजा गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन, विशेष रूप से व्यक्तियों और समुदायों को हक विलेख आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधानों का कार्यान्वयन भी गृह मंत्रालय के लिए एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है।

2.90 केन्द्र सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपाय

(i) **आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना:** एलडब्ल्यूई गतिविधियों की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 24X7 आधार पर केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर सहायक मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करना शामिल है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में जगदलपुर में संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र की स्थापना; तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना; सुरक्षा बलों, जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग, वास्तविक समय पर आसूचना का सृजन और एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन/सुदृढ़ करना शामिल है।

(ii) **बेहतर अंतर–राज्य सहयोग:** सीपीआई (माओवादी) कैडरों की कार्रवाई का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह अक्सर दो या इससे अधिक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अनेक पहलुओं और अनेक स्तरों पर बेहतर अंतर–राज्य सहयोग अनिवार्य है। भारत सरकार ने अंतर–राज्य सहयोग में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच निरंतर बैठकें और आपसी बातचीत शामिल है।

(iii) **तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) की समस्या का सामना करना:** आईईडी माओवादियों के हाथों में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। माओवादी आईईडी का उपयोग सुरक्षा बलों को अत्यधिक हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ के सामने अंतिम चुनौती दूर–दराज क्षेत्रों में लगाई गई बारुदी सुरंगों अथवा तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) का पता लगाना और उसे निष्क्रिय करना है। इस मंत्रालय ने "नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारुदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों" पर एक एसओपी तैयार की है और इसे अनुपालनार्थ संबंधित स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया गया है। एसओपी में, अन्य बातों के साथ–साथ विस्फोटकों/आईईडी/बारुदी सुरंगों के विस्फोटों के प्रति सावधानी और उससे निपटने के उपायों से संबंधित दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

(iv) **हवाई सहायता को सुदृढ़ करना:** राज्य सरकार और सीएपीएफ को हताहत/घायल व्यक्तियों की निकासी सहित नक्सल–रोधी अभियानों के लिए यूएवी और हेलिकाप्टर के रूप में अधिक हवाई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत सरकार के हस्तक्षेप

क) सुरक्षा संबंधी उपाय

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती

2.91 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलगांना, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/नागा बटालियनों की 116 बटालियनें तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में शीघ्र ही आईटीबीपी की 03 बटालियनों को शामिल करने का प्रस्ताव है। एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में सीएपीएफ की तैनाती एक निरंतर प्रक्रिया है। राज्य में एलडब्ल्यूई परिदृश्य, बलों की उपलब्धता और राज्य सरकारों के अनुरोध तथा अन्य जमीनी हकीकतों पर निर्भर करते हुए एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को यथा संभव अतिरिक्त सीएपीएफ बटालियनें उपलब्ध कराई जाती हैं।

इंडिया रिजर्व (आईआर)/विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी)

2.92 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए भी इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। एलडब्ल्यूई प्रभावित 10 राज्यों को 45 इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर की गई थीं जिनमें से 36 स्थापित हो गई हैं। दिनांक 24.12.2014 को तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश प्रत्येक में स्वीकृत 04 आईआर बटालियनें अभी स्थापित की जानी हैं। झारखंड में एक आईआर बटालियन को विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों, बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (01), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) में 09 नई एसआईआरबी की स्थापना की मंजूरी दी है। सड़कों, बैरकों, पुलिस स्टेशनों आदि जैसी अवसंरचना के सृजन में बटालियनों की सहायता करने के लिए एसआईआरबी के पास इंजीनियरिंग घटक की 02 कंपनियां हैं।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना

2.93 सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों की सरकारों को वामपंथी उग्रवादी हिंसा में जान गंवाने वाले सिविलियनों/सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, पुलिस कार्मिकों के बीमा, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा संचालनात्मक आवश्यकताओं, संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्री के लिए 106 जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। चालू वर्ष 2015–16 के दौरान (दिनांक 31.12.2015 तक), इस स्कीम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों को 203.51 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण

2.94 गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 (केन्द्र अंशदानः राज्य अंशदान) के आधार पर 2.00 करोड़ रूपए प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान और दिनांक 31.12.2015 तक चालू वर्ष में 623.88 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं और 278 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। सरकार ने सुरक्षित पुलिस स्टेशन की योजना का एक अन्य चरण आरंभ करने की पहल की है जिसमें 2.50 करोड़ रू. प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 250 और पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित किया जाएगा।

विशेष अवसंरचना संबंधी योजना (एसआईएस)

2.95 यह योजना उन महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% निधीयन के साथ 11वीं योजना अवधि में आरंभ की गई थी, जिन्हें किसी अन्य विद्यमान योजना में शामिल नहीं किया जा सका। इस योजना को आन्ध्र प्रदेश के ग्रेहाउन्ड्स की सफल पद्धति पर एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के विशिष्ट बलों के उन्नयन और महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, हथियारों, वाहनों आदि के निधीयन के नए उद्देश्य के साथ 12वीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा गया। निधीयन की पद्धति को भी केन्द्र सरकार से 100% निधीयन से परिवर्तित करके 75 (केन्द्र सरकार अंशदान): 25 (राज्य सरकार अशंदान) कर दिया गया।

2.96 विशेष अवसंरचना योजना वर्ष 2014–15 तक जारी रही। वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान, एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को 122.13 करोड़ रू. की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2015–16 से, इस योजना को राज्यों को निधियों का अंतर.ा 32% से बढ़कर 42% होने के कारण 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय सहायता से अलग कर दिया गया है। राज्यों को अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार अधिक विवेकपूर्ण तरीके से वर्धित निधियों का उपयोग करने की लोच प्रदान की गई है।

ख) विकास संबंधी उपाय

2.97 **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और निगरानी**: निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी बैठकों और वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से भी अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है:–

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई);

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम);

(ग) आश्रम विद्यालय;

(घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ;

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) ;

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) ;

(छ) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी एम के वी वाई);

(ज) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) ;

(झ) एकीकृत बाल विकास सेवाए (आई सी डी एस);

(ञ) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई);

(ट) अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 ।

2.98 गृह मंत्रालय द्वारा निरंतर निगरानी के परिणामस्वरूप, एलडब्ल्यू क्षेत्रों के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निम्नलिखित पहलें आरंभ की गई हैं:–

(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, आईएपी जिलों के लिए पुलों की अधिकतम लंबाई के मानदंडों को 50 मीटर से बढ़ाकर 75 मीटर और पीएमजीएसवाई के तहत रिहाइशी कवरेज के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढ़ील देते हुए 500 की जनसंख्या को घटाकर 250 कर दिया गया है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई के तहत निविदा पैकेज की न्यूनतम राशि घटाकर 50 लाख रूपए कर दी गई है।

(ii) जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास स्थापित करने हेतु वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 100% अनुदान के आधार पर (50:50 के अनुपात की तुलना में) निधियों का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्कूल, डिस्पेंसरी/

अस्पताल, विद्युत और दूर संचार लाइनों, पेय जल, जल/वर्षा के जल संचयन के ढांचों, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्रोतों, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब–स्टेशनों, सभी प्रकार की सड़कों और सार्वजनिक सड़कों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के खनन, मेडिकल कालेज स्थापित करने, संचार पोस्ट जैसे क्रियाकलापों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्टों/सीमा चौकियों/निगरानी टावरों जैसी पुलिस स्थापनाओं और ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन की लाइनें तथा पेयजल आपूर्ति की लाइनें बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक मामले में 1 हेक्टेयर की तुलना में 5 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है। ऐसी परियोजनाओं में शामिल वन भूमि के निरपेक्ष सरकारी विभागों द्वारा दो लेन की सार्वजनिक सड़कों के निर्माण हेतु संरक्षित क्षेत्र में न आने वाली वन भूमि उपलब्ध कराई जाने वाली परियोजनाओं को सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iv) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत, दिनांक 01.04.2013 से पहाड़ी/असुविधाजनक क्षेत्रों और आईएपी जिलों में नए निर्माण हेतु यूनिट सहायता 48,500 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए कर दी गई है।

(v) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बार–बार कहा जाता रहा है।

2.99 **एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्य योजना (आईएपी)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए):** 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के पश्चात, केन्द्र सरकार ने राज्यों को निधियों के अंतरण को 32% से बढ़कर 42% कर दिया है। निधियों के अंतरण में इस वृद्धि को देखते हुए, अपनी आश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार धनराशि को खर्च करते हुए राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए वर्ष 2015–16 से एसीए की योजना को केन्द्रीय सहायता से अलग कर दिया गया है। तथापि, मांग संख्या 37 (मद सं. 4) के तहत सर्वाधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित 35 जिलों के लिए विशेष सहायता के रूप में बजट अनुमान 2015–16 में 1,000 करोड़ रू. का आबंटन अनुमोदित किया गया है।

2.100 **सड़क आवश्यकता योजना–I** (आरआरपी–I) – सरकार ने 8 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में पर्याप्त सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 26.02.2009 को एक सड़क आवश्यकता योजना–I (आरआरपी–I) अनुमोदित की थी। आरआरपी–I में 8,490 करोड़ रू. की लागत से 5,422 किमी. सड़क के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसमें से, दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, 5,341 करोड़ रू. के व्यय के साथ 3,887 किमी. सड़क पूर्ण कर ली गई है।

2.101 **आरआरपी–II** & वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सड़क सम्पर्क में और सुधार करने के लिए लगभग 1,1800 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से 342 सड़कों (कुल 5,466.31 किमी.) और 126 पुलों के निर्माण हेतु प्रस्तावों की एक विस्तृत सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाने वाले ईएफसी नोट में शामिल करने के लिए भेजी गई है। इस सूची में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 09 राज्यों के 44 जिले शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों के लिए हाल ही में ईएफसी नोट परिचालित किया है।

2.102 **अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन:** सरकार ने उन वनवासी जनजातियों और अन्य परम्परागत वनवासियों को वन अधिकारों और वनभूमि में व्यवसाय को मान्यता देने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों

को मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है; जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया है। दिनांक 01.01.2008 को इन नियमों को अधिसूचित किया गया था और इनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 06.09.2012 को इनमें और संशोधन किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार वन अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में भू–स्वामित्व के लिए हक विलेख से संबंधित दावों का राज्य–वार निपटान निम्नानुसार है:–

राज्य	प्राप्त दावे	जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित (कालम 6–5)	संवितरित हक विलेख	अस्वीकार किए गए दावे	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	दावों के निपटान का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	4,11,012	1,69,370	1,69,370	1,65,466	3,34,836	(81.47%)
बिहार	8,022	222	222	4,102	4,324	(53.90%)
छत्तीसगढ़	8,60,364	3,52,457	3,47,789	5,07,907	8,60,364	(100%)
झारखंड	83,553	43, 721	43,125	25,446	69,167	(82.78%)
मध्य प्रदेश	6,09,501	2,31,991	2,16,957	3,72,125	6,04,116	(99.12%)
महाराष्ट्र	3,53,169	1,09,292	1,09,292	2,29,794	3,39,086	(96.01%)
ओडिशा	6,14,805	3,85,487	3,54,100	1,48.974	5,34,461	(86.93%)
तेलंगाना	2,15,370	1,00,230	100,230	1,01,368	2,01,598	(93.61%)
उत्तर प्रदेश	93,644	18,555	18,555	74,945	93,500	(99.85%)
पश्चिम बंगाल	1,42,081	42,573	42,573	91,529	1,34,102	(94.38%)
कुल	**33,91,521**	**14,53,898**	**14,02,455**	**17,21,656**	**31,75,554**	**93.63%**

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम (सीएपी):

2.103 इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम (सीएपी) शुरु करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को वित्तीय अनुदान मंजूर किया जाता है। यह एक सफल योजना है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध स्थापित करना है। सीएपी के तहत, सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे लोगों का दिल और दिमाग जीत सकें। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सीएपी के तहत 19.30 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं। इसमें से, सीएपीएफ को 19.02 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। इस सफल योजना ने स्थानीय लोगों के दिल और दिमाग को जीतने और सरकार में उनका विश्वास बढ़ाने में सीएपीएफ को समर्थ बनाया है।

मीडिया योजना

2.104 सुरक्षा और विकास के मुद्दों के बारे में लोगों को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी देने के लिए सरकार के पास एक प्रभावी मीडिया योजना का होना आवश्यक है। सरकार की सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी स्कीमों, उनके अधिकारों और कानूनी हकों के विषय में लक्षित आबादी के बीच जागरुकता पैदा करने में मीडिया एक

प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ है। मीडिया ने लोगों को वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों के बारे में यह बताने में मदद की है कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा सरकार की स्कीमों, नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन को किस प्रकार रोक रही है। मीडिया योजनाओं के तहत एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में आकाशवाणी पर ऑडियो जिंगल का प्रसारण, गीत और नाटक प्रभाग के माध्यम से विकास के मामलों पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के माध्यम से 8वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित करने आदि जैसे कार्यकलाप किए गए हैं। मीडिया दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और वर्ष 2015–16 के लिए, 3.50 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं, जिसमें से जिंगल्स के प्रसारण हेतु आकाशवाणी को और 8वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम, 2015–16 के आयोजन के लिए एनवाईकएस को 2.82 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। शेष राशि जिंगल्स की तैयारी और प्रसारण, नई लघु फिल्मों के निर्माण और प्रसारण पर खर्च की जाएगी। सरकार के मत का व्यापक प्रचार करने और माओवादियों के झूठे प्रचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनल पर तीन डॉक्यूमेंट्री फिल्में अपलोड की गई हैं और मानार्थ आधार पर राष्ट्रीय चैनल पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

2.105 **निगरानी तंत्र:** (वर्ष के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें): गृह मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों में लौह अयस्क और डोलामाइट खनन में शामिल विभिन्न निजी कंपनियों को उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए दिनांक 27.08.2015 को एक बैठक बुलाई थी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस के अभियान संबंधी कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 02.09.2015 को राज्य मंत्री की अध्यक्षता में भी एक बैठक आयोजित की गई। गृह सचिव बेहतर आपरेशनल परिणाम हासिल करने और विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नाजुक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, डीआईबी, सीएपीएफ के महानिदेशकों आदि के साथ समय–समय पर बैठकें करते हैं। संबंधित मंत्रालयों के साथ विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। अब तक 20 से अधिक बैठकें/वीडियो–सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

समर्पण और पुनर्वास नीति

2.106 भारत सरकार ने "प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास स्कीम" के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किया है, जो दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी है। संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ–साथ, उच्च स्तर के एलडब्लूई कैडरों के लिए 2.5 लाख रू. और मध्यम/निचले स्तर के एलडब्लूई कैडरों के आत्मसमर्पणकर्ताओं के लिए 1.5 लाख रू. का तत्काल अनुदान शामिल है, जिसे उनके नाम से सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और इसे उनके अच्छे व्यवहार की शर्त पर 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद निकाला जा सकता है। उन्हें उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षित भी किया जाएगा और उन्हें तीन वर्षों के लिए 4,000 रू. का मासिक वजीफा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्कीम के तहत हथियारों/गोलाबारुद का समर्पण करने के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार, एसआरई स्कीम के तहत इस नीति में आत्मसमर्प णकर्ताओं के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा वहन किए गए व्यय की 100% प्रतिपूर्ति करती है।

निष्कर्ष

2.107 भारत सरकार का मानना है कि विकास और सुरक्षा संबंधी उपायों के संयोजन से एलडब्लूई समस्या को सफलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को नष्ट करने के लिए उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्लूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की

प्रक्रिया थम गई है। माओवादियों पर हिंसा त्यागने, मुख्य धारा में शामिल होने और इस तथ्य को स्वीकर करने का दबाव बनाने कि 21वीं सदी की सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक विचारधारा और आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं, सिविल समाज और मीडिया को इस तथ्य को स्वीकार करने की जरुरत है। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक विजन के माध्यम से एलडब्लूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा आरंभ किए गए उपायों के कारण पिछले पांच वर्षों अर्थात 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में काफी कमी आई है। सरकार के बहुआयामी प्रयासों के धीरे–धीरे सकारात्मक प्रभाव और परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

हथियार और गोला–बारुद

2.108 गृह मंत्रालय हथियार नियंत्रण नीति का पक्षधर है। तदनुसार, पात्र मामलों में हथियार रखने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की सहायता करने के लिए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि आयुध नियम, 1962 में उल्लिखित प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए सरल एवं कारगर प्रक्रिया अपनाई जाए।

2.109 प्रभाग ने एक परियोजना, अर्थात "हथियारों के लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटा बेस" (एनडीएएल), जो हथियारों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में एक केन्द्रीय डाटा बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक ई–प्लेटफार्म है, की भी शुरूआत की है जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा हथियार लाइसेंसों के ब्यौरे भरना और अद्यतन करना अपेक्षित है। एनडीएएल से लोगों को काफी लाभ होगा और हथियारों की लाइसेंसिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहायता मिलेगी तथा कार्य प्रणाली सरल होगी। इससे, जब कभी आवश्यक होगा, विधि प्रवर्तन एजेंसियों को साक्ष्य उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

2.110 भारत सरकार आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों के परिवारों के भरण–पोषण और रख–रखाव के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु "आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना" नामक एक योजना का संचालन कर रही है। आतंकवादी तथा साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में उक्त योजना दिनांक 01.04.2008 से तथा नक्सली हिंसा के संबंध में दिनांक 22.06.2009 से प्रभावी है। केन्द्रीय योजना के तहत, पात्र मामलों में, प्रभावित परिवार को प्रत्येक मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता (50% अथवा अधिक विकलांगता) के लिए 3 लाख रू. की वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते कि पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो। यह राशि तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के मियादी जमा खाते में रखी जाएगी। इस राशि पर ब्याज तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद, 3 लाख रू. की मूलधन की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में अंतरित की जाएगी। राज्य/जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) में वित्तीय सहायता 4 लाख रू. होगी (1 लाख रू. सुरक्षा संबंधी राज्य से तथा 3 लाख रू. केन्द्रीय योजना से)।

2.111 इस मंत्रालय के दिनांक 26.06.2012 के पत्र सं.11044/11/2011–वीटीवी, द्वारा जारी उक्त केन्द्रीय योजना से संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों/निकटतम संबंधियों को सहायता का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त द्वारा किया जाएगा और इसके बाद, राज्य सरकार प्रतिपूर्ति के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को वित्तीय सहायता जारी करने के लिए मंजूरी आदेश राज्य सरकार की ओर से डीएम/डीसी द्वारा जारी किया जाता है। आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को भुगतान किए जाने के बाद राज्य सरकार प्रतिपूर्ति हेतु गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में प्रतिपूर्ति पर लेखा परीक्षा किए गए लेखे के आधार पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा परीक्षा में देरी के कारण राज्य को परेशानी न हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों तथा आईएफडी, गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत जांच के आधार पर तदर्थ राशि जारी कर

दी जाएगी। इन तदर्थ भुगतानों को अंतिम लेखा परीक्षा किए गए लेखे उपलब्ध कराने के बाद समायोजित किया जाएगा। केन्द्र सरकार 70% का भुगतान तुरंत करेगी और शेष 30% का भुगतान गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा लेखा परीक्षा सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

2.112 वर्ष 2014–2015 के दौरान, उपर्युक्त केन्द्रीय योजना के तहत 3,92,70,000 रू. और वित्तीय वर्ष 2015–2016 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान 27,30,000रू. की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आतंरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्थाएं/उपाय

मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी):

2.113 मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित आसूचना का मिलान, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित करने हेतु किया गया था। सहायक मल्टी ऐंसी सेंटर (एसएमएसी) राज्य स्तर पर इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया था। इस समय, मल्टी एजेंसी सेंटर की कनेक्टिविटी को आसूचना के तत्काल आदान–प्रदान के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर सभी प्रयोक्ता एजेंसियों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, कुल 429 एसएमएसी स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 385 स्थल कार्यशील हो गए हैं। कनेक्टिविटी को जिला स्तर तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। तदनुसार, एमएसी प्रणाली की समग्र संरचना में जिला स्तरीय कनेक्टिविटी के लिए कुल 474 स्थलों की पहचान की गई है। केन्द्र और राज्य एजेंसियों के बीच आसूचना के इस अबाधित आदान–प्रदान से आसूचना साझा करने में काफी सुधार हुआ है और इसके परिणामस्वरुप बड़ी संख्या में आतंकवादी मॉड्यूलों का पता लगाया गया और आतंकवादियों को पकड़ा गया है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.114 नेटग्रिड की परिकल्पना देश में संगठनों के विभिन्न संबंधित डाटाबेसों में उपलब्ध आंकड़ों का संग्रहण करने हेतु एक ढांचे के रुप में की गई है। यह एक नवीनतम प्रौद्योगिकी माध्यम है जिससे देश की आतंक–रोधी अवसंरचना सुदृढ़ होगी। सरकार ने नेटग्रिड के संचालन हेतु डीपीआर को अनुमोदित किया है। नेटग्रिड परियोजना के मुख्य तत्वों के कार्यान्वयन हेतु कुल 1,002.97 करोड़ रु. की धनराशि का प्रस्ताव है। परियोजना की अवधि को दिनांक 30.06.2017 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, अंधेरिया मोड़, नई दिल्ली में डाटा सेंटर (डीसी) और बिजनेंस कंटीन्यूटी प्लानिंग (बीसीपी) सहित नेटग्रिड सुविधाओं के निर्माण हेतु 346.05 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की गई है। बेंगलुरु में एक डाटा आपदा रिकवरी सेंटर भी मंजूर किया गया है। दोनों डाटा केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

2.115 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत केन्द्रीय आतंकवाद–रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रुप में किया गया था। एनआईए को इसकी अनुसूची में उल्लिखित अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने का लिए अधिदेश प्राप्त है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके शाखा कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, मुम्बई, लखनऊ, कोच्चि और कोलकाता में स्थित हैं। एनआईए की स्वीकृत नफरी में 816 अधिकारी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 40 एनआईए विशेष अदालतें भी गठित की गई हैं। एनआईए ने अपने गठन से अब तक 115 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से 78 मामलों में आरोप–पत्र दाखिल किए गए हैं। अब तक, 15 मामलों में 65 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है।

आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी सेल (सीएफटी सेल)

2.116 गृह मंत्रालय में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी सेल (सीएफटी सेल) आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (सीएफटी) और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.117 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अंतर्गत, केन्द्र सरकार को आतंकवाद में शामिल होने के संदिग्ध अथवा शामिल किसी व्यक्ति के निर्देश पर अथवा उस व्यक्ति की ओर से रखी गई निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, जब्त करने अथवा कुर्क करने की शक्ति प्राप्त है। वर्ष 2009 से, विश्वसनीय सूचनाओं के

आधार पर, गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने कुल 53 संदिग्ध आतंकवादी वित्तपोषण खातों पर रोक लगाई है।

2.118 देश के भीतर जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन के खतरे से निपटने के लिए राज्यों/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना के आदान–प्रदान के लिए गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है।

2.119 इसके अलावा, एक आतंकी वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अंतर्गत कार्य कर रहा है। एनआईए द्वारा जांच किए गए, एफआईसीएन के एक मामले में, एनआईए अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित विशेष अदालत ने टिप्पणी की है कि भारत में एफआईसीएन के परिचालन में एक पड़ोसी संप्रभु राष्ट्र शामिल है जिसका एकमात्र उद्देश्य और इरादा भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता को नष्ट करना और इन्हें चुनौती देना तथा लोगों में आतंक उत्पन्न करना है।

2.120 भारत के माननीय प्रधान मंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान, भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 06.06.2015 को जाली करेंसी नोटों की तस्करी तथा परिचालन को रोकने लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उक्त समझौता ज्ञापन के अधिदेश के तहत, ढाका (बांग्लादेश) में दिनांक 12.08.2015 से 13.08.2015 तक दोनों देशों के बीच जाली करेंसी के संबंध में संयुक्त कार्य दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य जाली करेंसी नोटों के जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को संचालित करना था। संचालित करने के उद्देश्य से, एनआईए द्वारा तैयार की गई एसओपी को बांग्लादेश प्राधिकरणों के साथ साझा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.121 भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर–सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण, धनशोधन का सामना करने आदि के संबंध में सिफारिशें करता है।

2.122 भारत धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करने संबंधी यूरोपीय समूह (ई,जी) और धनशोधन संबंधी एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) का भी सदस्य है, जो एफएटीएफ तरीके के स्थानीय निकाय हैं और आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करने से संबंधित मुद्दों के संबंध में भारत की स्थिति को रेखांकित करने के लिए गृह मंत्रालय उनकी चर्चाओं में भाग लेता है।

प्रस्तावों को सुरक्षा अनापत्ति

2.123 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अनापत्ति हेतु प्रस्तावों के आकलन के लिए दिनांक 01.07.2015 को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और तीव्र आर्थिक विकास की अनिवार्यता के बीच वास्तविक संतुलन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अनापत्ति का उद्देश्य गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में संभावित खतरों, स्पष्ट अथवा सन्निहित, का आकलन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के दायरे में आने वाले खतरों की दृष्टि से राष्ट्रीय जोखिम आकलन उपलब्ध कराना है। गृह मंत्रालय ने एकसमान रूप से प्रस्तावों का आकलन करने के लिए सुरक्षा रेटिंग पैरामीटर परिभाषित किए हैं। इस मंत्रालय द्वारा निपटाए गए वर्ष–वार प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:–

(i)	वर्ष 2013	:	712
(ii)	वर्ष 2014	:	815
(iii)	वर्ष 2015	:	1,744

सिख जत्थे का पाकिस्तान का दौरा

2.124 दिनांक 14.09.1974 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित धार्मिक श्राइनों का दौरा करने संबंधी प्रोटोकाल के अनुसार, सिख जत्थे बैशाखी, गुरु अर्जुन देवजी शहीदी दिवस, महाराजा रणजीतसिंह की पुण्यतिथि और गुरु नानक देवजी के जन्मदिवस के चार अवसरों पर पाकिस्तान में नौ गुरुद्वारों (श्राइनों) का दौरा करते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, उपर्युक्त अवसरों पर लगभग 3,519 तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तान का दौरा किया।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)

2.125 गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने के लिए दिनांक 18.07.2011 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और

गोरखा जन मुक्ति मोर्चा (जी जे एम) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य देखेगा ताकि सामाजिक–आर्थिक, अवसंरचनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास तीव्र हो, जिससे क्षेत्र की जनता का सर्वांगीण विकास होगा। दिनांक 03.08.2012 को जी टी ए का गठन किए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डीजीएचसी) अधिनियम, 1988 निरस्त कर दिया गया है।

2.126 करार के खंड 14 के अनुसार, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जीटीए को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य को सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त जीटीए में सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का विकास करने के लिए परियोजनाओं के वास्ते तीन वर्ष के लिए 200 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में, जीटीए को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 65 करोड़ रू., वर्ष 2013–14 के दौरान 100 करोड़ रू. और वर्ष 2014–15 के दौरान 150 करोड़ रू. तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 150 करोड़ रू. जारी किए गए हैं। अब तक कुल 465 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.127 उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सार्वजनिक हैसियत की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है, जो राष्ट्रीय अभिशासन पर इसके संभावित प्रभाव के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है। आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से खतरा बना हुआ है, जिससे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील कारक है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों को प्रभावकारी रूप से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है, ताकि देश में लोक व्यवस्था और शांन्ति कायम रखी जा सके।

2.128 राज्य सरकारों को भी उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके आवागमन से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा लगातार सुग्राही बनाया जाता है। इस संबंध में, आवश्यकतानुसार उन्हें समय–समय पर परामर्शी–पत्र भेजे जाते हैं। ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.129 मई, 2001 में मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने यह सिफारिश की थी कि वी आई पी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में एक विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) का सृजन किया जाए। तदनुसार, दिनांक 17.11.2006 को सीआईएसएफ में एसएसजी यूनिट अस्तित्व में आई। सी आई एस एफ अपने कार्मिकों को अत्यधिक खतरे वाले विशिष्ट हस्तियों/व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को बचाकर निकालने तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्थानिक एवं सचल सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करता है।

विमानपत्तन सुरक्षा/मेट्रो सुरक्षा

2.130 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) में 11.09.2001 को हुए हमले के पश्चात विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसलिए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति और हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ के सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

2.131 इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, सी आई एस एफ और अन्यों के साथ परामर्श करके किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इनके अतिरिक्त, उनके लिए मौजूदा खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में सभी नागर विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के बारे में समय–समय पर परामर्शी–पत्र भी जारी किए जाते हैं।

2.132 जहां तक देश में मेट्रो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने का संबंध है, कोलकाता मेट्रो को कोलकाता पुलिस के साथ–साथ "रेलवे सुरक्षा बल" द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। दिल्ली मेट्रो के लिए सी आई एस एफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा

2.133 देश में महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, मूल रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थापनाओं की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के बारे में समय–समय पर सलाह देता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा किया जाता है। संबंधित संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ को भी तैनात किया जाता है।

2.134 खतरे की संभावनाओं और संवदेनशीलता के आधार पर, केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां, ऐसे संयंत्रों/स्थापनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय मुहैया कराने हेतु उन्हें श्रेणीबद्ध करती हैं। सुरक्षा पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अद्यतन करने के लिए इन स्थापनाओं की आवधिक सुरक्षा समीक्षा भी की जाती है।

धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा

2.135 देश में धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, श्राइनों/स्थलों के संबंध में किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक परामर्शी–पत्र जारी किए जाते हैं।

*****

अध्याय 3

सीमा प्रबंधन

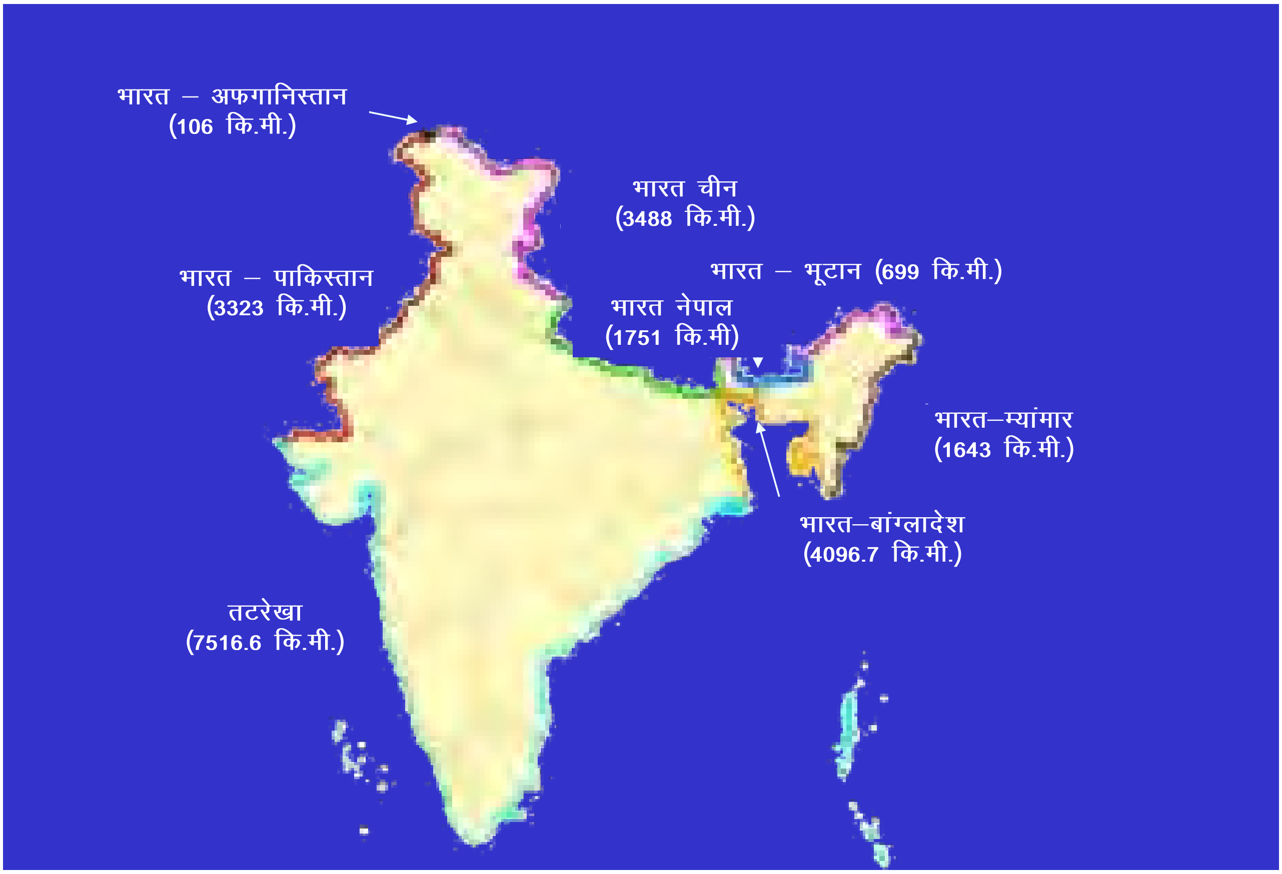

अन्तरराष्ट्रीय भू–सीमा

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है :–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	**15,106.7**

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसी अवसंरचना के सृजन संबंधी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

सीमा प्रबंधन के उद्देश्य

3.3 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें सीमाओं की सुरक्षा करने और इनके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और सुनियोजित कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में सीमा प्रबंधन विभाग ने कई पहलें की हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का निर्माण करना, भारत–चीन और भारत–नेपाल सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग ने बीएडीपी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्य शुरु किए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती **'एक सीमा–एक सीमा रक्षक बल'** के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेवारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल को सौंपी गई है:–

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं – सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.)
- चीन सीमा – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (भा.ति. सी.पु.)
- नेपाल तथा भूटान सीमाएं – सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.)
- म्यांमार सीमा – असम राइफल्स

3.6 इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा तथा चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगी भू–सीमाओं की रक्षा करती है और भारतीय नौ सेना तथा तटरक्षक को तटीय सीमाओं की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जबकि राज्य (समुद्री) पुलिस दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर रही है।

3.7 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण तथा पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग–अलग हैं, जो सुरक्षा के बोध तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत–बांग्लादेश सीमा

सीमा चौकियां

3.8 सीमा चौकियां (बीओपी) सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व क्षेत्र वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू–सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा–पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी मुहैया कराना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान समय में, भारत–बांग्लादेश सीमा पर 802 बीओपी मौजूद हैं।

3.9 अन्तर–सीमा चौकी (बीओपी) की दूरी को कम करके 3.5 किमी. करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2009 को 1,832.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 509 अतिरिक्त बीओपी (आईपीबी तथा आईबीबी पर कुल बीओपी) के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया था। 509 बीओपी में से, 383 बीओपी का निर्माण भारत–बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है। इस परियोजना को वर्ष 2014–15 तक पूरा करने का लक्ष्य था। तथापि, लोगों के विरोध, भूमि के अधिग्रहण में विलंब तथा सांविधिक अनापत्ति आदि जैसी रुकावटों के कारण इस कार्य की समयावधि बढ़ गई है। आईबीबी पर बीओपी की स्थिति निम्नानुसार है:–

भारत बांग्लादेश सीमा पर बीओपी की स्थिति

राज्य का नाम	बीओपी की संख्या		
	अनुमोदित	पहले से मौजूद	स्थापित की जाने वाली
पश्चिम बंगाल	633	410	223
मेघालय	125	108	17
असम	91	85	06
त्रिपुरा	245	181	64
मिजोरम	91	18	73
कुल	**1,185**	**802**	**383**

3.10 कुल 383 सीमा चौकियों (बीओपी) में से, 86 बीओपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अन्य 96 बीओपी में कार्य प्रगति पर है। शेष बीओपी के लिए, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि के अधिग्रहण के तुरंत बाद कार्य आरंभ हो जाएगा।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर बीओपी की स्थिति

बाड़ लगाना

3.11 भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया है।

3.12 भारत की तरफ से भारत–बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में काफी जनसंख्या है और सीमा तक खेती की जाती है।

3.13 भारत–बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमा पार से अवैध आप्रवासन

और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने सहित बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा पर कुल 3,326.14 किमी. लंबे क्षेत्र में बाड़ लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से दिनांक 31.12.2015 तक 2710.02 किमी. तक अनन्तिम रूप से बाड़ लगाई जा चुकी है । नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि–अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती लोगों द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 2019 है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ और सड़क

भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण–I		चरण–II		कुल (चरण–I चरण–II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
पश्चिम बंगाल	507.00	507.00	913.33	734.73	1420.33	1241.73
असम	152.31	149.29	77.57	74.6	229.88	223.89
मेघालय	198.06	198.06	263.2	150.99	461.26	349.05
त्रिपुरा	-	-	865.99	752.78	865.99	752.78
मिजोरम	-	-	348.68	146.93	348.68	146.93
कुल	**857.37**	**854.35**	**2468.77**	**1860.67**	**3326.1**	**2710.02**

चरण–I में निर्मित बाड़ बदलना

3.14 पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय राज्यों में चरण–I के तहत निर्मित अधिकांश बाड़ प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, बार–बार जलमग्न आदि होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। तदनुसार, भारत सरकार ने चरण–I में निर्मित संपूर्ण बाड़ के स्थान पर 884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 861 किमी. पर बाड़ लगाने के लिए एक परियोजना (चरण–III) को मंजूरी प्रदान की है। अब तक, 782 किमी. की बाड़ बदल दी गई है और 79 किमी. की लम्बाई में बाड़ को बदलने का शेष कार्य मुकदमे, लोगों के विरोध आदि के कारण रुका हुआ है।

सड़कें

3.15 इसके अतिरिक्त, 4379.07 किमी. की मंजूरशुदा लंबाई में से 3560.88 किमी. (अनंतिम) की सीमावर्ती गश्त सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है।

(लम्बाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	चरण–I		चरण–II		कुल (चरण–I, चरण–II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पश्चिम बंगाल	1770.00	1689.00	0	0	1770.00	1689.00
असम	186.33	176.50	102.42	***82.56***	288.75	***259.06***
मेघालय	211.29	211.29	321.74	177.53	533.03	**388.82**
त्रिपुरा	545.37	480.51	639.64	***439.52***	1185.01	***920.03***
मिजोरम	153.4	153.06	448.88	***150.91***	602.28	***303.97***
कुल	**2866.39**	**2710.36**	**1512.68**	***850.52***	**4379.07**	***3560.88***

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.16 दिसम्बर, 2003 से जून, 2006 की अवधि के दौरान, प्रायोगिक परियोजना के रूप में पश्चिम बंग. ाल में 277 किमी. बाड़ पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा किया गया था। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 2,840.90 कि.मी. की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। भारत–बांग्लादेश सीमा पर दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार तेज रोशनी की व्यवस्था के कार्य में हुई प्रगति निम्नानुसार है:

भारत–बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	स्वीकृत	पूर्ण	शेष
पश्चिम बंगाल	1134.13	956.69	177.44
असम	208.74	217.44	0
मेघालय	443.00	156.6	286.4
त्रिपुरा	718.47	660.8	57.67
मिजोरम	335.66	51.11	284.55
कुल	**2840.90**	**2042.64**	**806.06**

भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी)

3.17 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. भू– सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोला–बारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.18 वर्तमान समय में, भारत–पाकिस्तान सीमा पर पहले से ही 609 बीओपी मौजूद हैं और अन्तर–सीमा

चौकी (बीओपी) की दूरी को कम करके 3.5 किमी. करने के लिए भारत–पाकिस्तान सीमा पर 126 अतिरिक्त बीओपी (जम्मू में 38 बीओपी के उन्नयन सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन अतिरिक्त बीओपी का निर्माण किए जाने से भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के आवास, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए समस्त आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होगी। यह परियोजना वर्ष 2013–14 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य था। तथापि, लोगों के विरोध, भूमि के अधिग्रहण में विलंब तथा सांविधिक मंजूरी आदि जैसी रुकावटों के कारण इस कार्य की समयावधि बढ़ गई है। राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा चौकियों का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य का नाम	सीमा चौकियों की संख्या		
	स्वीकृत	पहले से मौजूद	स्थापित की जाने वाली
जम्मू	90	90	38*
पंजाब	179	178	01
राजस्थान	293	270	23
गुजरात	135	71	64
कुल	697	609	126

*38 मौजूदा बीओपी का उन्नयन किया जाएगा।

कम्पोजिट बीओपी

3.19 सभी 126 बीओपी का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। 65 बीओपी (अनंतिम) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 22 बीओपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बीओपी के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि के अधिग्रहण के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

3.20 ऊपर यथा उल्लिखित नई मंजूर की गई बीओपी के अतिरिक्त, भारत–पाक सीमा के गुजरात क्षेत्र के लिए संयुक्त योजना के अन्तर्गत 70 बीओपी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 55 बीओपी का निर्माण पहले ही हो चुका है और 08 अन्य बीओपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि भू–क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण शेष 07 बीओपी का निमार्ण कार्य शुरु नहीं हुआ है।

बाड़ लगाना

भारत पाक सीमा पर बाड़ लगाना

3.21 दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, इस सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में हुई प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

भारत–पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक लगाई गई बाड़ की लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की शेष लम्बाई
पंजाब	553	488.79	488.79	0.00
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27	0.00
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186.00	186.00	0.00
गुजरात	508	340	263.93	76.07
कुल	**2308**	**2071.42**	**1986.99**	**76.07**

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.22 भारत–पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ तथा सीमा–पार अपराधों के प्रयास को रोकने के लिए, सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2030.44 किमी. तक तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार इस सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी कार्य की प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई हैः–

भारत–पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक की गई तेज रोशनी की व्यवस्था की लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की शेष लम्बाई
पंजाब	553	481.64	481.64	---
राजस्थान	1037	1022.80	1022.80	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186.00	176.40	9.6 % (प्रगति पर)
गुजरात	508	340.00	293.00*	47.00
कुल	**2308**	**2030.44**	**1973.84**	**47.00**

*बाढ़ से हुई क्षति के कारण 118 किमी. क्षेत्र अकार्यशील है।

गुजरात राज्य में भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा संबंधी कार्यों के समक्ष आए मामले

3.23 उपर्युक्त ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि भारत–पाकिस्तान सीमा के गुजरात क्षेत्र में कुछ लंबित कार्य को छोड़कर समस्त भारत–पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया है।

सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

3.24 अप्रत्याशित परिस्थितियों और वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप, वर्ष 2003, 2006, 2011 और 2015 में हुई अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरुप आई बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लग गया है। गुजरात क्षेत्र में बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कुछ कार्य क्षेत्र में जल भराव की वजह से रुका हुआ है। कीमतें बढ़ने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, सड़कों और बिजली आदि के कार्यों के लिए विनिर्देशनों का उन्नयन होने के कारण भी परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

3.25 कठिन क्षेत्र में बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सड़कों संबंधी कार्य के बचे हुए हिस्से को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जल भराव वाले 1 किमी. लम्बे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रायोगिक परियोजना दिनांक 31.12.2014 को पूरी हो गई है। संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। तदनुसार, निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा शेष कार्य का अनुमान तैयार किया गया है और यह महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति के जांचाधीन है।

पाइप वाली पुलिया

जीएसबी बिछाना

गुजरात सीमा पर प्रायोगिक परियोजना

भारत म्यांमार सीमा

3.26 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। भारत–म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है।

मोरेह (मणिपुर) में बाउंडरी पिलर सं. 79 और 81 के बीच सीमा पर बाड़ लगाना

3.27 भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी. की बिना बाड़ वाली सीमा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैण्ड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) के साथ लगती है और सीमा के आर–पार 16 किमी. की दूरी तक मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति है। इससे यह अन्तरराष्ट्रीय सीमा अत्यधिक सुभेद्य हो गई है। इस सीमा पर पहाड़ी और कठिन भू–भाग हैं जिस पर समग्र रूप से आधारभूत सुविधाओं की कमी है और इससे विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी) की अवैध गतिविधियों को पर्याप्त आश्रय (कवर) प्राप्त होता है।

3.28 भारत–म्यांमार सीमा क्षेत्र में बढ़ती हुई घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार ने भारत–म्यांमार सीमा पर बाउंडरी पिलर संख्या 79 से 81 के बीच के क्षेत्र (लगभग 10 किमी.) में बाड़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। सरकार ने बाड़ लगाने के कार्य के लिए 30.96 करोड़ रूपए की निधि आबंटित की है। बाड़ लगाने का कार्य आरंभ करने के लिए, जमीन अधिगृहीत कर ली गई है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक मंजूरियां ले ली गई हैं। सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी, सीमा सड़क संगठन को 16.38 करोड़ रुपए जारी किए है और 4.02 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

3.29 तथापि, बाड़ लगाने का कार्य मणिपुर सरकार और स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से रूका हुआ है। मणिपुर सरकार ने अब सीमा चौकी सं. 79–81 के बीच सीमा रेखा का पुनः निरीक्षण करने का प्रस्ताव किया है। सीमा चौकी संख्या 79–81 के बीच सीमा रेखा के पुनः सर्वेक्षण का मुद्दा विदेश मंत्रालय के साथ उठाया गया है। विदेश मंत्रालय के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारत–चीन सीमा

3.30 भारत–चीन सीमा पर अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने तथा भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (भा.ति.सी.पु.) इस सीमा संबंधी सीमा रक्षक बल, के प्रभावशाली परिचालन के लिए, गृह मंत्रालय ने 1,937 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 804.91 किमी. लम्बी 27 सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। भारत–चीन सीमा पर इन सड़कों का निर्माण जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है।

3.31 दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, 06 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 21 सड़कों पर कार्य चल रहा है। इन सड़कों पर 638.66 किमी. फार्मेशन–कटिंग और 353.68 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा हो गया है। गृह मंत्रालय द्वारा चरण–II के तहत 55 सड़कों के निर्माण की रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की है।

भारत–नेपाल सीमा

3.32 भारत और नेपाल की 1,751 किमी. खुली सीमा है। अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना और इस सीमा पर सुरक्षा में सुधार करना मुख्य चुनौतियां हैं। इस सीमा पर सीमा रक्षक बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल की 31 बटालियनें तैनात की गई हैं।

3.33 सीमा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सुकर बनाने के लिए, भारत और नेपाल की सरकारों ने गृह सचिव स्तर की वार्ता और

संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के स्तर पर सीमा जिला समन्वय समिति का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराध, तस्करी और आतंकवादी क्रियाक्रलापों से उत्पन्न स्थिति आदि जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.34 सशस्त्र सीमा बल की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 3,853 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 किमी.), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार(564 किमी.) राज्यों में 1,377 किमी. सामरिक सड़क के निर्माण एवं उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है।

3.35 उच्च स्तरीय शक्तिप्राप्त समिति (एचएलईसी) ने बिहार में 552.30 किमी. सड़क के उन्नयन/निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है, जो अंतिम अपेक्षित लंबाई है। पूरे क्षेत्र के लिए कार्य सौंप दिया गया है और सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। दिनांक 31.12.2015 तक कुल 156 किमी. फार्मेशन कार्य और 16.65 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है

3.36 इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य सरकार के ककराली गेट से थुलीघाट तक 12 किमी. से अधिक लम्बी सड़क के उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें से 5 कि.मी. फार्मेशन का कार्य पूरा हो गया है और 12 में से 9 पुलियों का निर्माण हो गया है। उत्तराखंड राज्य में शेष सीमा सड़क के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) टनकपुर जौलजीबी सीमा सड़क के उसी भाग में प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी निर्णय के कारण आस्थगित कर दी गई है। जल संसाधन मंत्रालय बांध परियोजना के डीपीआर को अंतिम रूप प्रदान करेगा तथा जनवरी, 2016 तक गृह मंत्रालय को परियोजना की स्थिति और ऊंचाई के बारे में अवगत कराएगा। तदनुसार, उत्तराखंड में शेष भारत–नेपाल सीमा सड़क की डीपीआर को बाद में अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

3.37 जहां तक उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा सड़क का संबंध है, सरकार ने 256.95 किमी. सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। दिनांक 31.12.2015 तक कुल 73.57 किमी. फार्मेशन कार्य और 23.88 किमी. का सर्फेसिंग कार्य पूरा हो गया है।

भारत–भूटान सीमा

3.38 699 किमी. लम्बी इस सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को तैनात किया गया है।

3.39 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में सचिव स्तरीय भारत–भूटान ग्रुप के रूप में एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ग्रुपों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.40 भारत सरकार ने भारत–भूटान सीमा पर 1,259 करोड़ रूपए की लागत से 313 किमी. लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों का निर्माण कार्य लंबित भूमि प्रापण के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। असम राज्य सरकार सशस्त्र सीमा बल के परामर्श से अनुमानित लागत के साथ सीमा सड़कों के अंतिम संरेखण संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

3.41 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करता रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप स्थित दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में

रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और केन्द्रीय/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों की सुविधा और सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को समस्त आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और खुशहाली की भावना पैदा करना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 106 सीमावर्ती जिलों के 391 (लगभग) सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। राज्यों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के रूप में प्रदान की जाती हैं।

बीएडीपी एससीए:2014–15 के तहत न्योमा, जिला लेह (जम्मू एवं कश्मीर) में गर्ल्स हास्टल का निर्माण

एचएसएस न्योमा में रिहायशी छात्रावास में गर्ल्स होस्टल का निर्माण–अनुमानित 432.27 लाख

बीएडीपी के दिशानिर्देश

3.42 बीएडीपी को मौजूदा हालातों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए बीएडीपी के दिशानिर्देशों में जून, 2015 में संशोधन किया गया था। अब सीमा ब्लाकों के अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने या न होने पर भी अन्तरराष्ट्रीय सीमा के 0–10 किमी. के भीतर स्थित सभी गांव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बीएडीपी का अधिक गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा सीमा के निकट स्थित गांवों में स्कीमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, अन्तरराष्ट्रीय सीमा से '0 से 10' किमी. के बीच आने वाले गांवों के विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास संबंधी दिशानिर्देशों पर बल दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों नामतः (i) सड़क संपर्क, (ii) जलापूर्ति, (iii) शिक्षा, (iv) खेल गतिविधियां, (v) सामाजिक अवसंरचना, (vi) स्वास्थ्य, (vii) बिजली, (viii) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, (ix) कौशल विकास आदि जैसी प्रमुख विकासवादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं योजनागत ढंग से विकसित की जा रही हैं। प्रत्येक गांव की ब्लॉक योजना और ग्राम योजना तैयार की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0–10 कि.मी. के भीतर स्थित गांवों को प्राथमिकता दी जाती है। 0–10 कि.मी. तक के गांव को संतृप्त करने के पश्चात, राज्य सरकार 0–20 कि.मी. की दूरी के अन्दर स्थित गांवों के अगले समूह को शामिल कर सकती है। सीमा पर '0 से 20' कि.मी. के बीच आने वाले गांव को संतृप्त करने के पश्चात, बीएडीपी के तहत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 0–30 कि.मी. और इसके बाद 0–50 कि.मी. के बीच आने वाले गावों के अगले समूह को शामिल किया जा सकता है। हवाई दूरी को ध्यान में रखा जाता है। राज्य सरकारों को यह निदेश दिया गया है कि तदर्थ परियोजनाओं को किसी भी प्रकार नहीं लिया जाएगा।

बीएडीपी, एससीए:– 2014–15 के तहत कोरजोक, जिला लेह (जम्मू एवं कश्मीर) में डॉक्टरों के क्वार्टरों का निर्माण

3.43 राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम के तहत योजनाएं तैयार की जाती हैं और इन्हें राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय जांच समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। जिला स्तरीय

समिति (डीएलसी) [जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली और जिसमें पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला वन अधिकारी (डीएफओ), जिला योजना अधिकारी (डीपीओ) और संबंधित सीमा रक्षक बल के कमांडेंट/उप कमांडेंट सदस्य के रूप में शामिल हैं], स्थानीय संसद सदस्य, विधायक, पीआरआई के सदस्यों, स्वायत्त परिषदों और समुदाय के नेताओं के परामर्श से बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना तैयार करती है। सीमा रक्षक बल बीएडीपी के तहत योजनाओं का सुझाव भी दे सकते हैं, परन्तु ऐसी योजनाओं का व्यय एक विशिष्ट वर्ष में कुल आबंटन का कम से कम 10% होना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और रोजगार सृजन इस कार्यक्रम के संकेन्द्रित क्षेत्रों में शामिल हैं। राज्य सरकारों को बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना में अपने आबंटन की राशि के कम से कम 10% के साथ ऐसी योजनाओं को शामिल करने के लिए कहा गया है।

बीएडीपी, एससीएः– 2014–15 के तहत चुशुल, जिला लेह (जम्मू एवं कश्मीर) में लोक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

बीएडीपी के तहत वित्तपोषण प्रणाली

3.44 बीएडीपी (जून, 2015) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बजटीय आबंटनों को दो घटकों में बांटा जाएगा अर्थात् (i) आठ पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए कुल आबंटन के 40% संबंधी प्रथम घटक और (ii) पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए कुल आबंटन के 60% संबंधी द्वितीय घटक। राज्यों को (i) अन्तरराष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, (ii) सीमा ब्लॉकों की जनसंख्या तथा (iii) सीमा ब्लाकों के क्षेत्रफल के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं और पहाड़ी, रेगिस्तानी और कच्छ का रण क्षेत्रों को 15% अधिभार दिया जाता है।

बीएडीपी, एससीएः– 2014–15 के तहत लेंग, जिला सरछिप (मिजोरम) में स्कूल भवन का निर्माण

शक्तिप्राप्त समिति

3.45 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के क्षेत्रों, जिनमें योजनाओं को शुरु किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के तौर–तरीके का निर्धारण सचिव, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शक्तिप्राप्त समिति द्वारा किया जा रहा है। बीएडीपी (जून, 2015) के संशोधित दिशानिर्देशों में, भारत सरकार के और मंत्रालयों अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करके शक्तिप्राप्त समिति का विस्तार किया गया है।

बीएडीपी, एससीएः– 2014–15 के तहत दुरबुक, जिला लेह (जम्मू एवं कश्मीर) में मोटरेबल ब्रिज का निर्माण

बीएडीपी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.46 वर्ष 2015–16 के दौरान, बीएडीपी के लिए 99000.00 लाख रूपए का बजट आबंटित किया गया है। वर्ष 2013–14, 2014–2015 और चालू वर्ष 2015–16 के दौरान बीएडीपी के तहत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: .

वर्ष 2013–14, 2014–2015 और चालू वर्ष 2015–16 के दौरान बीएडीपी के तहत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा

31.12.2015 की स्थिति के अनुसार

लाख रु. में

क्र. सं.	राज्य	2013-14		2014-15		2015-16	
		आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन ¥	जारी की गई राशि ¥	आबंटन	जारी की गई राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	9277.00	@ 594.05	7552.00	$ 9249.37	8149.00	7790.88
2	असम	# 3480.00	#	2832.00	2104.79	3382.00	2558.37
3	बिहार	6084.00	6084.00	4952.00	3129.86	6065.00	3618.20
4	गुजरात	4505.00	4505.00	3667.00	$ 4505.00	3793.00	2580.60
5	हिमाचल प्रदेश	2100.00	2100.00	1700.00	$ 2100.00	2100.00	2100.00
6	जम्मू एवं कश्मीर	12800.00	$ 15800.00	10400.00	$ 11520.00	11932.00	9285.24
7	मणिपुर	2200.00	2200.00	1752.00	$ 2200.00	2200.00	2119.67
8	मेघालय	2100.00	$ 2897.00	1700.00	$ 2100.00	2100.00	2100.00
9	मिजोरम	4017.00	$ 5446.94	3270.00	$ 3534.16	3862.00	3767.00
10	नागालैंड	2000.00	$ 3000.00	1700.00	$ 2000.00	2000.00	1665.00
11	पंजाब	3526.00	@ 3217.76	2870.00	2690.51	3814.00	3812.25
12	राजस्थान	13773.00	13773.00	11209.00	10140.15	13624.00	12472.18
13	सिक्किम	2000.00	$ 2400.00	1700.00	$ 2000.00	2000.00	1757.21
14	त्रिपुरा	4825.00	4825.00	3927.00	3798.22	5057.00	5056.79
15	उत्तर प्रदेश	4982.00	$ 5293.59	4055.00	$ 4982.00	4209.00	4209.00
16	उत्तराखंड	3565.00	$ 4651.16	2902.00	$ 3181.93	3360.00	2079.89
17	पश्चिम बंगाल	15835.00	$ 16212.50	12787.00	9739.01	18453.00	13454.29
	कुल	**97069.00**	**99000.00**	**78975.00**	**78975.00**	**96100.00**	**80426.57**
	आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित	1931.00	-	1025.00	*1025.00	2900.00	-
	कुल योग	**99000.00**	**99000.00**	**80000.00**	**80000.00**	**99000.00**	**80426.57**

वर्ष 2013–14 के दौरान असम राज्य को 3480.00 लाख रु. के आबंटन में से इस कारण से कोई राशि जारी नहीं की जा सकी कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किए थे।

@पूर्ववर्ती वर्षों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आबंटित राशि की तुलना में कम राशि जारी की गई।

$ अधिक राशि इस तथ्य के कारण जारी की गई कि अतिरिक्त राशि बचतों तथा रिजर्व राशि से जारी की गई है।

*पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पंजाब राज्य को उन किसानों को प्रतिपूर्ति के रूप में 1025.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है जिनकी भूमि पंजाब में सुरक्षा बाड़ के उस पार है।

¥ राज्यों को आबंटन और जारी की गई निधियों के बीच इस तथ्य के कारण अन्तर है कि राज्यों को प्रारम्भिक आबंटन 990 करोड़ रु. (बजट अनुमान) पर आधारित था और जारी पहली किस्त इस आबंटन के आधार पर जारी की गई थी, परन्तु बीएडीपी के आबंटन को बाद में बजट अनुमान (2014–15) में 990 करोड़ रु. से घटाकर संशोधित अनुमान (2014–15) स्तर पर 800 करोड़ रु. कर दिया था।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.47 भारत की तटरेखा 7,516.6 कि.मी. है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। इस तटरेखा पर नौ राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अवस्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तटरेखा की लम्बाई नीचे दी गई है:–

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (कि.मी. में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	208.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र पद्रेश	973.70
8	ओडिशा	476.70
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमन और दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुडुचेरी	47.60
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.48 तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार समुद्र (सीमान्तर्गत जलक्षेत्र) में 12 नाविक मील तक है और तट रक्षक का क्षेत्राधिकार बेसलाइन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सीमाओं तक अर्थात समुद्र में 0 से 200 नाविक मील तक है। 200 नाविक मील से आगे का क्षेत्र (हाई सी) भारतीय नौसेना के क्षेत्राधिकार के अन्दर आता है। समस्त तट पर त्रि–स्तरीय तटीय सुरक्षा समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

3.49 भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय सुरक्षा एवं अपतटीय सुरक्षा शामिल है।

3.50 तट रक्षक को तट रक्षक अधिनियम, 1978 के तहत अपने सभी समुद्री जोनों में भारत के हितों की सुरक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में भी नामित किया गया है।

3.51 तट रक्षक महानिदेशक को तटीय कमांड के कमांडर के रुप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

3.52 तट रक्षक को तट पर कार्यरत विभिन्न एजें. सियों के बीच समन्वय और आसूचना के आदान–प्रदान हेतु क्रियात्मक प्रबंध मुहैया कराने के लिए तट संबंधी अग्रणी आसूचना एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना

3.53 तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए समुद्री पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।

3.54 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई भावी योजनाओं पर आधारित तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।) 5 वर्षों की अवधि में 551 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय (400 करोड़ रुपए अनावर्ती और 151 करोड़ रुपए आवर्ती) के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। तदनन्तर, यह योजना 95 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय के साथ मार्च 2011 तक 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई थी, जिससे अंतिम परिव्यय की राशि 646 करोड़ रुपए हो गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें और 312 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई गई थीं। तट रक्षक स्टेशन मुख्य केन्द्र के रुप में और तटीय पुलिस स्टेशन सहायक केन्द्र के रुप में कार्य करते हैं। योजना का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता पूर्वी तट पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई 88 इन्टरसेप्टर नौकाओं को एएमसी/मरम्मत की सेवाएं प्रदान करता है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) पश्चिमी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई 116 इन्टरसेप्टर नौकाओं को एएमसी/मरम्मत सेवा प्रदान करता है।

3.55 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।।) 26/11 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सुभेद्यता/अन्तराल विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इस समय, तटीय सुरक्षा योजना का चरण–।। 1,580 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2011 से कार्यान्वित किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 समुद्री पुलिस स्टेशन, 60 जेटीज, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र, 150 नौकाएं (12 टन), 10 नौकाएं (5 टन), 20 नौकाएं (19मी.), 35 रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट, 10 बड़े जलयान, (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह), 131 चार पहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। निगरानी उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम और फर्नीचर के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन 15 लाख रु. की एक मुश्त सहायता भी प्रदान की जाती है।

3.56 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–। एवं चरण–।।) के अन्तर्गत, जनशक्ति संबंधित तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। भारत सरकार प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है। आरंभ में तट रक्षक द्वारा समुद्री पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण जुलाई, 2006 में शुरु किया गया था। सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और इससे नीचे के रैंक वाले समुद्री पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण 10 तट रक्षक जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में 3 सप्ताह का अभिविन्यास माड्यूल और 1 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण (ओजेटी) माड्यूल शामिल है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, भारतीय तट रक्षक द्वारा 3,801 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।।) के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार घटक तथा कार्यान्वयन की स्थिति

3.57 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।।) के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार घटक तथा कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:–

(क). तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत तटीय पुलिस स्टेशन की (संख्या)	प्रचालनात्मक बनाये गए तटीय पुलिस स्टेशन (संख्या)	भूमि/स्थल का चयन (सं.)	जमीन अधिग्रहीत की गई/कब्जे में (सं.)	भूमि अभी अधिगृहीत की जानी है	सीपीएस का निर्माण	
							पूर्ण	निर्माणाधीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5	(6)	(7)	(8)	(9)
1	गुजरात	12	12	12	12	-	5	2
2	महाराष्ट्र[a]	7	7	7	5	2	-	-
3	गोवा	4	3	4	2	2	-	-
4	कर्नाटक	4	4	4	4	-	2	2
5	केरल	10	**0**	10	10	-	7	3
6	तमिलनाडु	30	16	30	**30**	-	16	14
7	आंध्र प्रदेश	15	15	15	15	-	6	5
8	ओडिशा	13	13	13	12	1	3	8
9	पश्चिम बंगाल	8	8	8	8	-	1	7
10	दमन और दीव	2	0	2	2	-	1	1
11	पुडुचेरी	3	3	3	3	-	1	1
12	लक्षद्वीप	3	3	3	3	-	1	1
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	20	-	20	-
	कुल	**131**	**104**	**131**	**126**	**5**	**63**	**44**
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीपीएस का निर्माण किए जाने तक, सीपीएस को किराए के भवनों में चालू करने और तटीय रेखा को पूरी तरह से शामिल करने के लिए प्रत्येक सीपीएस का कार्य क्षेत्र अधिसूचित करने का परामर्श दिया गया है।								

(ख) जेटीज़

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेटीज़				
		स्वीकृत जेटीज़ की संख्या	भूमि/स्थल का चयन (सं.)	जमीन अधिग्रहीत की गई/कब्जे में (सं.)	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू	निर्मित/प्रचालित जेटीज़
1	गुजरात	5	5	-	-	-
2	महाराष्ट्र	3	3	3	-	14(*)
3	गोवा	2	2	2	-	-
4	कर्नाटक	2	2	1	1	-
5	केरल	4	4	-	4	-
6	तमिलनाडु	12	12	6	6	-
7	आंध्र प्रदेश	7	7	-	-	-
8	ओडिशा	5	3	1	2	-
9	पश्चिम बंगाल	4	4	-	4	-
10	दमन और दीव	2	2	2	-	2
11	पुडुचेरी	2	2	2	-	-
12	लक्षद्वीप	2	2	-	2	-
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	10	6	-	6
	कुल	**60**	**58**	**23**	**19**	**22**
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां जेटीज को रणनीतिक रूप से विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों के निकट स्थापित करने का परामर्श दिया गया है।					

(*)तटीय समुद्री पुलिस, महाराष्ट्र तीन स्वीकृत जेट्टी, जिसके लिए राज्य सरकार को 64.58 लाख रु. का अनुदान जारी किया गया है, की तुलना में पूर्ण कालिक आधार पर महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेट्टी का उपयोग कर रही है।

ग. वाहन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वीकृत		वाहन			
		चार पहिया वाहन		दुपहिया वाहन	
		स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए
1	गुजरात	12	12	24	24
2	महाराष्ट्र	7	7	14	14
3	गोवा	4	-	8	-
4	कर्नाटक	4	4	8	8
5	केरल	10	10	20	20
6	तमिलनाडु	30	30	60	60
7	आंध्र प्रदेश	15	15	30	30
8	ओडिशा	13	13	26	26
9	पश्चिम बंगाल	8	8	16	16
10	दमन और दीव	2	2	4	4
11	पुडुचेरी	3	3	6	6
12	लक्षद्वीप	3	3	6	6
13	अण्डमान निकोबार दीपसमूह	20	20	20	-
	कुल	**131**	**127**	**242**	**214**

3.58 गृह मंत्रालय में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए 10 बड़े जलयानों सहित 225 नौकाओं के प्रापण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

359. अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने समुद्री पुलिस परिचालन केन्द्रों (एमपीओसी) की स्थापना के संबंध में पहल की है। स्वीकृत 10 एमपीओसी में से, 4 परिचालन में हैं और 5 के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है।

3.60 दिनांक 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 122.58 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

पीओएल प्रभारों की प्रतिपूर्ति

361. तटीय सुरक्षा योजना (चरण–I) के तहत आपूर्ति की गई नौकाओं से संबंधित पीओएल व्यय की 12 टन नौका के लिए 5 लाख रु. प्रति माह और 5 टन नौका के लिए 4 लाख रु. प्रतिमाह की दर से आवर्ती परिव्यय से प्रतिपूर्ति की गई है।

तटीय सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय

3.62 तट रक्षक को सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श करके मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करने का कार्य विशिष्ट रुप से सौंपा गया है, ताकि एजेंसियों के बीच समन्वय विकसित किया जा सके और सूचना के निर्बाध प्रवाह में सहायता प्रदान की जा सके।

3.63 तट रक्षक द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तटीय सुरक्षा अभ्यास छमाही आधार पर आयोजित किए जाते हैं और इन अभ्यासों के दौरान मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को विधिमान्य बनाया जाता है। तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों की अध्यक्षता में अभ्यास के उपरांत बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें सभी स्टेकहोल्डर भाग लेते हैं। सीखी गई बातों पर विचार–विमर्श किया जाता है और इसकी सूचना सभी स्टेकहोल्डरों को दी जाती है। वर्ष 2009 से दिनांक 31.12.2015 तक तट रक्षक द्वारा 127 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

3.64 समुद्री पुलिस और सीमा शुल्क के साथ संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) को संस्थागत बनाया गया है और विशेष रुप से गुजरात क्षेत्र में लगाई जा रही है। इसके अलावा, आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर, तटीय सुरक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसमें तट रक्षक द्वारा सहभागिता की जाती है। वर्ष 2009 से दिनांक

31.12.2015 तक कुल 195 तटीय सुरक्षा अभियान चलाए गए हैं।

3.65 इसके अतिरिक्त, भारतीय तट रक्षक समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने के लिए मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में सुग्राही बनाने और आसूचना के संग्रहण के लिए उन्हें "आंख और कान" के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2009 से, दिनांक 31.12.2015 तक कुल 4,073 सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र

3.66 देश की तटीय सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में "समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति" (एनसीएसएमसीएस) गठित की गई है, जिसमें नौसेना प्रमुख, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, पोत परिवहन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यकी तथा राजस्व सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सचिव (आर), मंत्रिमंडल सचिवालय, निदेशक (आसूचना ब्यूरो), महानिदेशक, भारतीय तट रक्षक, रक्षा मंत्रालय और तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष सदस्यों के रूप में शामिल हैं। समिति की पिछली बैठक दिनांक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

3.67 तटीय सुरक्षा की समीक्षा के लिए मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसकी पिछली बैठक दिनांक 07.09.2015 को आयोजित की गई थी। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस समिति में प्रतिनिधित्व करती हैं और तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में फीडबैक प्रदान करती हैं।

तटीय सुरक्षा में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें

संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास

3.68 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारी में सुधार करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीमा शुल्क के साथ भारतीय तट रक्षक द्वारा समन्वित "सागर कवच" जैसे तटीय सुरक्षा अभ्यास हर 6 महीने में आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अभ्यास सामंजस्य उत्पन्न करने में बहुत उपयोगी रहे हैं। सभी स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए प्रत्येक अभ्यास में सीखी गई बातों और सामने आई कमियों के बारे में बताने के तौर–तरीके तैयार किए गए हैं। ऐसे अभ्यासों के दौरान, मछुआरों के साथ नियमित रुप से बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि उन्हें तटीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। 26/11 के पश्चात, दिनांक 31.12.2015 तक 127 सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

3.69 रक्षा मंत्रालय ने भी मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्टब्लेयर में चार संयुक्त प्रचालन केन्द्र स्थापित किए हैं, जिनकी जनशक्ति और प्रचालन का प्रबंध संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नौसेना और तट रक्षक द्वारा संयुक्त रुप से किया जाता है।

3.70 भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, बड़ा बन्दरगाह विकसित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और छोटे बन्दरगाहों का विकास करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) सभी बड़े बन्दरगाहों में सुरक्षा प्रदान कर रही है। चूंकि छोटे बन्दरगाह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए छोटे बन्दरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

3.71 भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पिंडारा ग्राम, जिलाः देवभूमि द्वारका, गुजरात राज्य में एक समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (एमपीटीआई) स्थापित करने की अनुमति

प्रदान की है। सरकार ने सैद्वांतिक रूप से सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी संबंधित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में राज्य समुद्री पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी अनुमोदन प्रदान किया है। डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने संबंधी परामर्श का कार्य आई.आई.टी. चेन्नई को सौंपा जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)/ मछुआरा पहचान–पत्र

3.72 दो प्रकार के पहचान–पत्र हैं, अर्थात तटीय गांवों के लोगों के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पहचान–पत्र और पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मछुआरों को जारी मछुआरा पहचान–पत्र। आरजीआई ने दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, 18 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले 67,50,719 व्यक्तियों के बायोमीट्रिक ब्यौरे प्राप्त कर लिए हैं और 65,72,523 एनपीआर पहचान–पत्र वितरित कर दिए हैं। पशुपालन डेयरी और मत्स्यकी विभाग (डीएएचडीएफ) ने मछुआरा पहचान–पत्र तैयार करने के लिए 21,46,741 समुद्री मछुआरा जनसंख्या का अनुमान लगाया है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 13,67,009 मछुआरा पहचान–पत्र तैयार किए हैं और इनमें से 13,63,638 कार्ड वितरित कर दिये हैं। आरजीआई कार्ड सभी तटीय लोगों के लिए हैं, जबकि पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग द्वारा जारी किए गए कार्ड केवल मछुआरों के लिए हैं।

जलयानों/नौकाओं का पंजीकरण

3.73 जून, 2009 में, कुल 20 मीटर से कम की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों का एक समान पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापारिक जहाज अधिनियम, 1958 के तहत एकसमान पंजीकरण किया जाता है। 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले सभी जलयानों पर एआईएस उपकरण लगा होना अनिवार्य है। यदि यह उपकरण नहीं लगा है, तो वार्षिक आधार पर ऐसे जलयानों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। दिनांक 31.12.2015 तक नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के तहत कुल 2,17,883 मत्स्यन जलयानों का पंजीकरण किया गया है।

3.74 राज्य मत्स्यन विभाग को 20 मीटर से बड़े मत्स्यन जलयानों/नौकाओं का पंजीकरण करने संबंधी शक्तियां सौंपने के लिए व्यापारिक जहाज अधिनियम में संशोधन पोत परिवहन मंत्रालय में विचाराधीन है।

नौकाओं के लिए ट्रैकिंग प्रणाली (ट्रांसपोंडर)

3.75 नौवहन महानिदेशक ने दो परिपत्र जारी किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों सहित सभी प्रकार के जलयानों पर आटोमैटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (ए आई एस) टाइप बी ट्रांसपोंडर लगा दिए गए हैं।

3.76 गृह मंत्रालय 20 मीटर से कम लंबी नौकाओं के लिए एक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के संबंध में संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है।

राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी) का गठन

3.77 भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, पोत परिवहन मंत्रालय बड़े पत्तनों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जबकि छोटे पत्तनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें/राज्य समुद्री बोर्ड उत्तरदायी हैं। छोटे पत्तनों के प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने राज्य समुद्री बोर्डों का गठन कर दिया है। पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल ने समुद्री सुरक्षा समितियों का गठन किया है। दमण एवं दीव और लक्षद्वीप ने समुद्री सलाहकार समितियां गठित की हैं। गोवा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि समुद्री सुरक्षा समिति का गठन विचाराधीन है। केरल, ओडिशा और कर्नाटक राज्य विधान सभाओं ने विधेयक पारित किए हैं और इन्हें मंजूरी के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को भेजा था जिन्हें गृह मंत्रालय में जांच के पश्चात कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने के लिए राज्यों को वापस भेज दिया गया है। कर्नाटक ने सूचित किया है कि यह मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। आंध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि राज्य समुद्री बोर्ड के गठन संबंधी विधेयक राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.78 भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अच्छा

सीमा–प्रबन्धन करना अनिवार्य है, अतः यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाएं जिनसे इन समस्याओं का समाधान करने के साथ–साथ व्यापार और वाणिज्य की भी सुविधा हो सके। देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसे विभिन्न नियत प्रवेश और निकासी स्थल हैं जहां से लोगों, सामान और यातायात की सीमा पार आवाजाही होती है।

3.79 हमारी भू–सीमाओं पर इन स्थलों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास इस समय उपलब्ध आधारभूत ढांचा सामान्य रूप से अपर्याप्त है। वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक, होटल, आदि जैसी सहायक सुविधायें भी या तो अपर्याप्त हैं या हैं ही नहीं। सभी विनियामक और सहायक कार्य सामान्यतया अपर्याप्त है और सामान्य रूप से एक ही परिसर में उपलब्ध नहीं हैं। बिल्कुल निकट स्थित होने पर भी विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा प्रदाताओं के कार्यों का समन्वय करने के लिए कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।

3.80 इस स्थिति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार की जाती है। जिन उपायों के बारे में सहमति व्यक्त की गई थी, उनमें से एक उपाय हमारी भू–सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) की स्थापना करना है। इन एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) में आप्रवासन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा आदि जैसी सभी विनियामक एजेंसियों के साथ–साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई)

3.81 भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 01 मार्च, 2012 को आई सी पी की स्थापना, विकास और प्रबंधन के अधिदेश के साथ की गई है। एल पी ए आई सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन एक स्वायत्तशासी एजेंसी के रुप में कार्य करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। यह अपने कार्यों में संबंधित राज्य सरकारों और बीजीएफ को भी शामिल करता है।

3.82 सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 635 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से योजनागत स्कीम के रुप में भारत–पाकिस्तान, भारत–नेपाल, भारत–बांग्लादेश और भारत–म्यांमार सीमाओं पर 13 स्थानों पर आई सी पी की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

एकीकृत जांच चौकी, अटारी

आईसीपी रक्सौल

मुख्य भवन – आईसीपी रक्सौल

आईसीपी अगरतला

मुख्य भवन – आईसीपी, पेट्रापोल

आईसीपी, पेट्रापोल का विंहगम दृश्य

इन 13 आईसीपी की स्थिति निम्नानुसार है:

क) अटारी में आईसीपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे दिनांक 13.04.2012 से कार्यरत बना दिया गया है।

ख) अगरतला में भी आईसीपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और गृह मंत्री द्वारा दिनांक 17.11.2013 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है तथा आईसीपी अगरतला में कारगो कॉम्पलेक्स का दिनांक 06.12.2014 को उद्घाटन किया गया था।

ग) आईसीपी रक्सौल का कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसका प्रारम्भ आईसीपी रक्सौल से एनएच 28–ए को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा तैयार किए जा रहे 7.33 किमी. के सड़क संपर्क पर आधारित है।

घ) आईसीपी जोगबनी का कार्य भी प्रगति पर है तथा इसके मई, 2016 तक शुरू होने की संभावना है।

ङ) आईसीपी, पेट्रापोल के वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

च) आईसीपी, मोरेह का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 की दूसरी तिमाही में पूरा होने की संभावना है।

छ) सुनौली,सूत्रखंडी तथा कवरपुचिया में आईसीपी के संबंध में भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि आईसीपी, रूपैडिहा के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जहां तक हिली तथा चन्द्रबंधा (पश्चिम बंगाल) में आईसीपी का संबंध है, वहां पर भूमि की पहचान कर ली गई है। आईसीपी, दवकी के लिए अतिरिक्त भूमि अधिगृहीत की गई है।

आईसीपी, अटारी की शुरूआत के पश्चात व्यापार की मात्रा में वृद्धि

3.83 वित्तीय वर्ष 2012–13 में आईसीपी, अटारी में व्यापार की मात्रा वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2,340 करोड़ रु. की तुलना में 4,800 करोड़ रु. थी, जो आईसीपी की शुरूआत के पश्चात 100 % से अधिक की वृद्धि का द्योतक है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 में, यह मात्रा 5,443.72 करोड़ रु. बताई गई थी। वर्ष 2014–15 के दौरान व्यापार 4,485 करोड़ रु. था। आईसीपी अटारी में वर्ष 2015–16 (अप्रैल–दिसम्बर, 2015) के दौरान व्यापार 2,742 करोड़ रु. है।

आईसीपी द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

3.84 यह परिकल्पना की गई है कि आई सी पी एकीकृत परिसर के तहत व्यक्तियों, वाहनों और सामान की सहज सीमा पर आवाजाही के लिए शासकीय और गैर–शासकीय कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं प्रदान करेंगी। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं में सुविधा होगी।

इसे सक्षम बनाने के लिए, आईसीपी पर प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

i. पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग
ii. इन्टरनेट की सुविधा
iii. कार्गो निरीक्षण शेड
iv. संगरोध प्रयोगशाला
v. बैंक
vi. डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर/हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर
vii. आइसोलेशन बे
viii. कैफेटेरिया
ix. करेंसी एक्सचेंज
x. कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग
xi. वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज
xii. क्लीयरिंग एजेंट
xiii. स्कैनर
xiv. सी सी टी वी/पी ए सिस्टम
xv. पार्किंग
xvi. अन्य सार्वजनिक उपयोगी वस्तुएं

बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान की शुरूआत

3.85 गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन प्रभाग) भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) और भारत–पाकिस्तान सीमा (आईबीपी) पर विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर उन चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जहां दुर्गम क्षेत्र के कारण बाड़ नहीं लगाई जा सकी, घुसपैठ, तस्करी अथवा सीमा पर अन्य अवैध गतिविधियों संबंधी घटनाओं को कम/समाप्त करने के उद्देश्य से बेहतर सीमा चौकसी के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग/समाधानों की शुरूआत का प्रयास करता रहा है।

3.86 गृह मंत्रालय ने प्रौद्योगिकीय समाधानों के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। राडारों, सेंसरों, कैमरों, संचार नेटवर्कों और कमाण्ड तथा नियंत्रण समाधानों के एकीकरण के रूप में एक विस्तृत एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) आरम्भ की जाएगी। प्रारम्भ में प्रायोगिक अध्ययन किया जाएगा। प्रायोगिक परियोजना की प्रभावकारिता का विश्लेषण करने के पश्चात इसमें वृद्धि की जाएगी।

*****

अध्याय 4

केन्द्र–राज्य संबंध

4.1 संघीय राजव्यवस्था में, घटक इकाइयों के बीच वृहत सामूहिक हित और आपसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बीच समन्वय अति महत्वपूर्ण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में समन्वय को सुसाध्य बनाने हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

अंतर–राज्य परिषद (आईएससी)

4.2 केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में अन्तर–राज्य परिषद (आईएससी) का गठन दिनांक 28.5.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत वर्ष 1990 में किया गया था ।

4.3 अन्तर–राज्य परिषद एक अनुशंसात्मक निकाय है तथा इसको ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने तथा संस्तुतियां करने के कार्य सौंपे गए हैं जिनमें उस विषय से संबंधित नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वयन हेतु कुछ अथवा सभी राज्यों एवं केन्द्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसके सामने लाए गए राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी अन्तर–राज्य परिषद विचार–विमर्श करती है।

4.4 प्रधान मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के पाँच मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। परिषद का पिछला पुनर्गठन दिनांक 07.12.2015 को किया गया था।

4.5 परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं तथा परिषद के विचाराधीन सभी मुद्दों पर आम सहमति से निर्णय लिया जाता है तथा आम सहमति पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में उल्लिखित कार्य अर्थात् राज्यों के बीच पैदा हुए विवादों की जांच करने और सलाह देने का कार्य नहीं सौंपा गया है।

4.6 दिनांक 31.12.2015 तक अन्तर–राज्य परिषद की 10 बैठकें हो चुकी हैं। अपनी पहली 8 बैठकों में, परिषद ने केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों पर ध्यान केन्द्रित किया था और सभी सिफारिशों के संबंध में निर्णय लिए थे। इसकी 247 सिफारिशों में से, 180 सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया जा चुका है, 65 सिफारिशों को या तो अन्तर–राज्य परिषद द्वारा अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों/संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा शेष 02 सिफारिशों की स्थिति अभी अनुमोदन हेतु अन्तर–राज्य परिषद के समक्ष रखी जानी है।

4.7 अन्तर–राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था ताकि निरंतर परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई की जा सके। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 07.12.2015 को किया गया था। माननीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और छह केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री तथा

नौ मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। दिनांक 31.12.2015 तक अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति की 10 बैठकें हो चुकी हैं।

4.8 परिषद का सचिवालय अन्तर–राज्य परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी करता है और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

4.9 अन्तर राज्य परिषद सचिवालय ने परिषद के समक्ष उसके विचारार्थ नए मुद्दे रखने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से भी अनेक कदम उठाए हैं। कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं :

(i) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'राज्य और जिला प्रशासन' शीर्षक वाली अपनी 15वीं रिपोर्ट (पैरा 2.3.2.12) में की गई सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार में कमी।

(ii) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग में ऊंची साख, बौद्धिक क्षमता और ख्याति वाले व्यक्तियों की अध्यक्ष एवं सदस्यों के रुप में नियुक्ति तथा राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या की सीमा निर्धारित करना ।

4.10 भारत सरकार की ओर से अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय ने वर्ष 2005 में तीन वर्षों की अवधि के लिए 50,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष की सदस्यता शुल्क के साथ फोरम आफ फेडरेशंस, ओटावा, कनाडा के साथ एक ढांचागत करार किया था। तदनंतर वर्ष 2008, 2011 और 2015 में तीन बार इस करार का नवीकरण किया गया था और प्रत्येक बार तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया गया था। वर्ष 2015 में नवीकृत ढांचागत करार से पूर्व सदस्यता शुल्क 1,00,000.00 अमरीकी डालर है। इस ढांचागत करार का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय साझेदारी सृजित करना है, जो संघवाद के व्यवहार, सिद्धांत और सम्भावनाओं के संबंध में बातचीत को बढ़ावा देकर फोरम और साझेदार सरकारों को संघीय देशों में अभिशासन में सुधार करने तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेगा। अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय का वर्ष 2016 में नई दिल्ली में सहकारी संघवाद के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है। अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा यह सम्मेलन फोरम आफ फेडरेशंस ओटावा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), विश्व बैंक और कंज्यूमर युटिलिटी एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) इंटरनेशनल पब्लिक पालिसी सेंटर जैसे संगठनों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।

केन्द्र–राज्य संबंधों से संबंधित आयोग (सीसीएसआर)

4.11 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। आयोग की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को आयोग की सिफारिशों पर उनके विचारित अभिमत हेतु परिचालित की गयी थी।

4.12 केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों की अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय द्वारा जांच की जा रही है और विचारार्थ अन्तर–राज्य परिषद के समक्ष रखी जाएगी।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

4.13 क्षेत्रीय परिषदों की संख्या पाँच है और ये सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर–राज्य तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और

सदभावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साझा बैठक का आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। ये स्थायी समितियाँ मुद्दों को सुलझाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरम्भिक कार्य करने के उद्देश्य से समय–समय पर बैठकें आयोजित करती हैं। नीति आयोग और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्कयता के आधार पर इन बैठकों से सम्बद्ध रहते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

4.14 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर अब तक 115 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 51 बैठकें हो चुकी हैं।

4.15 वर्ष 2015–16 के दौरान, उत्तर, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें तथा मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक आयोजित की गई है। इन बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बैठक का विवरण	बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	टिप्पणी
1.	केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद	25.04.2015	नई दिल्ली	-
2.	केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	29.09.2015	पणजी	-
3.	केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	12.12.2015	विजयवाड़ा	-
4.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति	22.09.2015	रायपुर	-

केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2015 को नई दिल्ली में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिशद की 27वीं बैठक

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 22.09.2015 को रायपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11 वीं बैठक

केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2015 को पणजी में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक

केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2015 को विजयवाड़ा में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक

4.16 क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में संबंधित क्षेत्रों के सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्य सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों और केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया।

4.17 क्षेत्रीय परिषदों/स्थायी समिति की बैठकों में विचार–विमर्श के परिणामस्वरुप, उत्तरी राज्यों में राजकोषीय और अवसंरचनात्मक सामंजस्य की आवश्यकता, पूर्वोत्तर राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आर्थिक सहायता प्राप्त हेलीकाप्टर सेवाओं की आवश्यकता, सेब को 'विशेष उत्पाद' की श्रेणी में शामिल करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि–उत्पाद का प्रापण, राजस्थान को कोल ब्लॉकों का आबंटन और गैस की दीर्घकालिक संबद्धता, आकार पर ध्यान दिए बिना समस्त खनिज पट्टों के संबंध में पर्यावरण संबंधी अनिवार्य पूर्व अनापत्ति, दिल्ली में पर्यावरण की दृष्टि से संवदेनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, सीआरजेड मानदंडों को शिथिल करने, "सभी के लिए आवास: 2022" के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठनों/एजेंसियों की अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराए जाने, आतंकवाद का सामना करने संबंधी योजनाएं बनाने, गुजरात के वापी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों से निकलने वाली असंसाधित गंदगी के प्रवाह के कारण दमनगंगा और कोलक नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता, मत्स्यन/मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, प्रायद्वीपीय क्षेत्रीय औद्योगिक विकास कारिडोर, दक्षिणी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पर्यटन ट्रेनों की शुरूआत, मानव दुर्व्यापार, औद्योगिक प्रोत्साहनों की मंजूरी में समन्वित एवं एकसमान दृष्टिकोण की आवश्यकता, अन्तर राज्य पारस्परिक परिवहन करार को अंतिम रूप प्रदान करने, नर्सिंग एवं परा–चिकित्सा पाठ्यक्रम का एकसमान स्तर बनाए रखने, दक्षिणी क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा परियोजना की लागत वहन करने आदि जैसी महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

*****

अध्याय 5

देश में अपराध परिदृश्य

5.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस' एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले अपराधों की रोकथाम, पंजीयन, पता लगाने एवं जांच करने और अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत हथियार, संचार उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान की है।

अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

5.2 पिछले पांच वर्षों (2010–2014) के दौरान अपराध की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। सूचित किए गए और पुलिस द्वारा जांच किए गए सभी संज्ञेय अपराधों को मोटे तौर पर (i) भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत आने वाले या (ii) विशेष और स्थानीय कानून (एस एल एल) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 देश में भा.दं.सं. की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए वर्ष 2013 में सूचित 26,47,722 आपराधिक मामलों की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान कुल 28,51,563 मामले सूचित किए गए, जिसमें वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिशतता की दृष्टि से कुल संज्ञेय अपराधों की तुलना में आई पी सी अपराधों का हिस्सा वर्ष 2010 में 33% से बढ़कर वर्ष 2011 में 37.2% हो गया, जो आगे, वर्ष 2012 और 2013 में बढ़कर क्रमशः 39.5% और 39.9% हो गया, तथापि वर्ष 2014 में यह घटकर 39.4% हो गया और इस प्रकार वर्ष 2010 से 2014 तक की पांच वर्ष की अवधि में यह मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है।

अपराध दर

5.4 अपराध दर को प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर घटित अपराधों की संख्या के रुप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्यतः अपराध का वास्तविक सूचक माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थान–विशेष की जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखा जाता है।

5.5 वर्ष 2010–12 के दौरान अपराध दर में निरंतर कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी (वर्ष 2010 में 569.3 से घटकर वर्ष 2012 में 497.9 हो गई)। लेकिन वर्ष 2014 में अपराध दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जो वर्ष 2012 में 497.9 से बढ़कर वर्ष 2013 में 540.4 और वर्ष 2014 में 581.1 हो गई।

शारीरिक अपराध

5.6 शारीरिक अपराध की संख्या, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानववध, हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानववध का प्रयास, व्यपहरण और अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाना, लापरवाही से हुई मौत, खतरनाक ड्राइविंग/रोड रेज के तहत घायल करना, दहेज हत्या और मानव दुर्व्यापार (भा.दं.सं. की धारा 370/370क के अंतर्गत) शामिल हैं, वर्ष 2014 में 8,13,745 थी, जो वर्ष के दौरान हुए कुल भारतीय दंड संहिता वाले अपराधों का 28.5% है।

संपत्ति के प्रति अपराध

5.7 वर्ष 2014 के दौरान संपत्ति के प्रति कुल 6,00,861 अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें डकैती, डकैती डालने के लिए एकत्र होना, लूट–पाट, आपराधिक अतिक्रमण/सेंधमारी और चोरी शामिल हैं, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013 के दौरान ऐसे 5,16,648 अपराध दर्ज किए गए थे, जो 16.3% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों की तुलना में इन अपराधों का हिस्सा 21.1 प्रतिशत था।

लोक व्यवस्था के प्रति अपराध

5.8 वर्ष 2014 के दौरान सूचित लोक व्यवस्था के प्रति अपराध, जिनमें दंगे, आगजनी, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से गैर–कानूनी रूप से इकट्ठा होना और अपराध करना शामिल हैं, के कुल 85,537 मामले सूचित किए गए, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013 में 81,483 अपराधों के मामले सूचित किए गए थे, जो 5.0% की वृद्धि दर्शाता है।

विशेष और स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

5.9 वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत कुल 43,77,630 मामले सूचित किए गए, जबकि वर्ष 2013 में 39,92,656 मामले सूचित किए गए थे, जो वर्ष 2014 में 9.6% की वृद्धि का द्योतक है।

5.10 **अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधः** अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष 2010–2014 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम. सं.	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत अंतर
		2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	572	673	651	676	704	4.1
2	बलात्कार	1,350	1,557	1,576	2,073	2,233	7.7
3	अपहरण और व्यपहरण	510	616	490	628	755	20.2
4	डकैती	41	36	27	45	32	-28.9
5	लूटपाट	75	54	40	62	67	8.1
6	आगजनी	150	169	214	189	179	-5.3
7	चोट पहुंचाना	4,344	4,247	3,855	4,901	2,155*	-
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	143	67	62	62	101	62.9
9	अनु. जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	10,419	11,342	12,576	13,975	8,887	-36.4
10	अनुसूचित जातियों के प्रति अन्य अपराध	15,039	14,958	14,164	16,797	25,187	50.0
	अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अपराध	**32,643**	**33,719**	**33,655**	**39,408**	**40,300**	**2.3**

नोटः **'*'**सिर्फ 'गंभीर चोट' वाले मामलों की ही गणना की गई है।

5.11 **अपराध की घटनाएंः** उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014 में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध में 2.3% की वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्ष 2013 में सूचित किए 39,408 मामले से वर्ष 2014 में बढ़कर 40,300 हो गए हैं। यह वृद्धि तीन शीर्षों अर्थात (i) डकैती, (ii) आगजनी और (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) को छोड़कर सभी शीर्षों में देखी गई। वर्ष 2014 में हत्या (704), बलात्कार (2233), अपहरण एवं व्यपहरण (755), लूटपाट (67), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (101) और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अन्य अपराध (25,187) के मामलों में वर्ष 2013 की तुलना में क्रमशः 4.1% , 7.7% , 20.2% , 8.1% , 62.9%,

और 50.0% , की वृद्धि हुई है। देश में सूचित किए गए कुल 40,300 मामलों में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 20.0% (8,066 मामले) था, जिसके बाद बिहार 19.5% (7,874 मामले), राजस्थान 16.7% (6,734 मामले) और मध्य प्रदेश 8.2% (3,294 मामले) का स्थान रहा।

5.12 **अपराध दर:** अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख अनुसूचित जाति की आबादी पर 23.4 पाई गई।

5.13 **अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध:** अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष 2010–2014 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम. सं.	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत अंतर
		2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	124	143	156	122	157	28.7
2	बलात्कार	640	772	729	847	925	9.2
3	अपहरण और व्यपहरण	69	137	103	130	166	27.7
4	डकैती	7	7	5	8	2	-75.0
5	लूटपाट	5	9	15	7	12	71.4
6	आगजनी	33	24	26	33	28	-15.2
7	चोट पहुंचाना	917	803	816	930	287*	-
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	5	7	2	25	1	-96.0
9	अनु. जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	1,037	1,154	1,311	1,390	1,122	-19.3
10	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्य अपराध	2,927	2,700	2,759	3,301	4,126	25.0
	अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल अपराध	**5,764**	**5,756**	**5,922**	**6,793**	**6,826**	**0.5**

नोटः *सिर्फ 'गंभीर चोट' वाले मामलों की ही गणना की गई है।

5.14 **अपराध की घटनाएं:** उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति वर्ष 2013 में 6,793 मामलों की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान कुल 6,826 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में 0.5% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि चार शीर्षों, अर्थात (i) डकैती, (ii) आगजनी, (iii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को छोड़कर उपर्युक्त सारणी में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी शीर्षों में देखी गई। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में हत्या (157), बलात्कार (925), अपहरण एवं व्यपहरण (166), लूटपाट (12) और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्य अपराध (4,126) में क्रमशः 28.7%, 9.2%, 27.7%, 71.4%, और 25.0%, की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के दौरान देश में सूचित किए गए कुल 6,826 मामलों में से राजस्थान ने 24.6% मामलों (1,681 मामले) की सूचना दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के 23.1% मामलों (1,577 मामले) का स्थान आता है।

5.15 **अपराध दरः** अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख अनुसूचित जनजाति आबादी पर 11.0 पाई गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए किए गए उपाय

5.16 संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने और उस पर मुकदमा चलाने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की रोकथाम एवं उस पर नियंत्रण पाने के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है।

5.17 गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 17.04.2012 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह मंत्रियों और सामाजिक न्याय के प्रभारी मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

5.18 बैठक में, निम्नलिखित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गयाः

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परामर्शी पत्र में उल्लिखित विभिन्न उपायों के माध्यम से इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(ii) सरकारी तंत्र को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुग्राहीकरण के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में अधिक अनुक्रियाशील एवं संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(iii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की व्यथा को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

5.19 गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध के संबंध में दिनांक 01.04.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा था। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस परामर्शी पत्र में विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है, जैसे सांविधिक प्रावधानों एवं मौजूदा विधानों को प्रभावी रूप से एवं विवेकपूर्ण तरीके से लागू करना; सुसंरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध के बारे में विधि प्रवर्तन तंत्र को संवेदनशील बनाना ; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध से संबंधित कानूनों के बारे में आम जागरूकता में सुधार करना, हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न के मामलों पर नियंत्रण के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली का विकास करना; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध के मामलों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब नहीं करना; निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न–संभावित क्षेत्रों की पहचान करना; उत्पीड़न के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करना आदि।

5.20 गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.04.2011 को भी एक परामर्शी–पत्र जारी किया है, जिसमें उनसे मैला ढोने वाले व्यक्तियों (स्कावेंजरों) को काम पर रखने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पृष्ठभूमि से न आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का आग्रह किया गया है। उक्त परामर्शी पत्र के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि :–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं मौजूदा विधानों को प्रभावी रूप से एवं विवेकपूर्ण

तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

(ii) इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार, किसी भी गैर–अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य की प्रतिष्ठा के हनन के कार्य को इस अधिनियम की धारा 3(1) (iii) के अधीन अपराध माना जाएगा। यह नोट किया जा सकता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को मानव उत्सर्ग की सफाई करने अथवा उसे ढोने के लिए रोजगार देना अथवा उसे ऐसे कार्य पर लगाना उसकी प्रतिष्ठा का हनन माना जाएगा और इस प्रकार पूर्वोक्त धारा के दायरे में आएगा। इसलिए, व्यक्तियों द्वारा मैला ढोने के ऐसे मामलों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उपयुक्त धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

5.21 राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

(ii) अत्याचार प्रवण/संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(iii) अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय नामोद्दिष्ट किए गए हैं। 9 विभिन्न राज्यों में 195 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(iv) जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गए हैं; और

(v) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य–स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां और जिला–स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ गठित की गई हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

5.22 महिलाएं भी हत्या, लूटपाट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे कई आम अपराधों की पीड़ित होती हैं। केवल वे ही अपराध, जो विशेष रुप से महिलाओं के प्रति किए जाते हैं "महिलाओं के प्रति अपराध" के रुप में वर्गीकृत किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:–

(क) भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत अपराध

(i) बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)

(ii) बलात्कार का प्रयास

(iii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363–369 और 371–373)

(iv) दहेज के लिए गैर–इरादतन हत्या, दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास (भा.दं.सं. की धारा 304–ख)

(v) पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भा.दं.सं. की धारा 498–क)

(vi) शील भंग के इरादे से महिलाओं पर हमला (भा.दं. सं. की धारा 354)

(vii) महिलाओं का शील भंग (भा. दं. सं. की धारा 509)

(viii) विदेशों से लड़कियों का आयात (21 वर्ष की आयु तक) (भा.दं.सं. की धारा 366–ख)

(ix) महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना (भा.दं.सं. की धारा 306)

(ख) विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध: लिंग सापेक्ष कानून, जिनके लिए अपराध के आंकड़े देश भर में दर्ज किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

(ii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

(iii) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निशेध) अधिनियम, 1986

(iv) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987

(v) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम

5.23 **वर्ष 2010–2014 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं**

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत अंतर
		2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बलात्कार	22,172	24,206	24,923	33,707	36,735	9.0
2.	बलात्कार के प्रयास^	-	-	-	-	4,234	-
3.	अपहरण एवं व्यपहरण	29,795	35,565	38,262	51,881	57,311	10.5
4.	दहेज हत्या	8,391	8,618	8,233	8,083	8,455	4.6
5.	पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	94,041	99,135	1,06,527	1,18,866	1,22,877	3.4
6.	शील भंग के इरादे से महिलाओं पर हमला	40,613	42,968	45,351	70,739	82,235	16.3
7.	महिलाओं का शील भंग	9,961	8,570	9,173	12,589	9,735	-22.7
8.	विदेशों से बालिकाओं का आयात	36	80	59	31	13	-58.1
9.	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना^	-	-	-	-	3,734	-
10.	सती प्रथा निवारण अधिनियम	0	0	0	0	0	-
11.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम^	-	-	-	-	426	-
12.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	2,499	2,436	2,563	2,579	2,070*	-
13.	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम	895	453	141	362	47	-87.0
14.	दहेज निषेध अधिनियम	5,182	6,619	9,038	10,709	10,050	-6.2
	महिलाओं के प्रति कुल अपराध	**2,13,585**	**2,28,650**	**2,44,270**	**3,09,546**	**3,37,922**	**9.2**

नोटः (1) "^" वर्ष 2014 में आंकड़े एकत्रित किए गए।

(2) "*" इसमें केवल महिलाओं के विरुद्ध सूचित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के मामले शामिल हैं।

5.24 **अपराध की घटनाएं:** उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध में 9.2% और वर्ष 2010 की तुलना में 58.2% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रति अपराधों का आईपीसी संघटक कुल अपराधों का 96.3% था और शेष 3.7% महिलाओं के प्रति एसएलएल अपराध थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल आईपीसी अपराधों में से महिलाओं के प्रति किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात वर्ष 2010 में 9.2% से बढ़कर वर्ष 2014 के दौरान 11.4% हो गया है।

5.25 **अपराध दर:** वर्ष 2014 में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की दर प्रति एक लाख महिला आबादी पर 56.3 थी।

महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपाय

5.26 महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के उपाय नीचे दिए गए हैं:–

(i) दिनांक 02.04.2013 को, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्रभावी हो गया है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं। इसके द्वारा बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरने, तेजाब से हमले, शब्दों एवं अनुपयुक्त रुप से छूने आदि जैसे अभद्र हाव–भाव जैसे अपराधों के लिए सजा में वृद्धि की गई है। नए कानूनों में तेजाब से हमले, पीछा करने और घूरने के लिए सख्त सजा के प्रावधान के अतिरिक्त बलात्कार के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित अधिक सजा का प्रावधान है।

(ii) गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजना (वी सी एस) की अधिसूचना एवं कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी–अपनी पीड़ित मुआवजा योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मौजूदा वीसीएस की सहायता करने एवं उसे संपूरित करने के उद्देश्य से और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान अपराध के पीड़ितों को भुगतान किए जा रहे मुआवजे की राशि में असमानता को कम करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। 200 करोड़ रू. की शुरूआती निधि के साथ एक केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) की मंजूरी दी गई है। इस निधि से तेजाब हमले के पीड़ितों को 5 लाख रू तक देने की मंजूरी का प्रावधान किया गया है।

(iii) गृह मंत्रालय ने दिनांक 22.04.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर 33% करने का अनुरोध किया गया था। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस बलों का संबंध है, गृह मंत्रालय ने इस संबंध में पहले ही नीतिगत निर्णय ले लिया है।

(iv) गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराध की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में दिनांक 12.05.2015 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, (क) महिलाओं के प्रति अपराध के पंजीकरण, (ख) पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने, (ग) कुछ महिला–विशेष उपाय, जिन्हें अपनाए जाने की आवश्यकता है, (घ) पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने, (ड.) महिलाओं के प्रति अपराध के जांच–तंत्र को मजबूती प्रदान करने, (च) यौन अपराधों के इतिहास वाले अपराधियों का डाटाबेस बनाए रखने, (छ) नए अधिनियमित कानूनों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने, (ज) मामलों के त्वरित विचारण, (झ) फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की कमी, (ञ) महिलाओं के प्रति अपराध के सामाजिक संकेत और (ट) साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर प्रकोष्ठ के गठन पर जोर दिया गया है।

(v) गृह मंत्रालय ने महिलाओं पर तेजाब से हमले के मामलों पर त्वरित विचारण के लिए दिनांक 20.04.2015 को दूसरा परामर्शी पत्र जारी किया है। केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि के अंतर्गत तेजाब से हमले के पीड़ितों को 5.0 लाख रू. की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(vi) गृह मंत्रालय ने दहेज हत्या, तेजाब से हमले, मानव दुर्व्यापार, बलात्कार आदि जैसे महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों की जांच में तेजी लाने हेतु समर्पित जांच क्षमता तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति अपराध के विषय में 150 जांच इकाइयों (आइयूसीएडब्ल्यू) के गठन का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार 50:50 के निधि बंटवारे की प्रणाली पर राज्यों की सहायता कर रही है। अब देश में ऐसी इकाइयों की संख्या को बढ़ाकर 564 करने का निर्णय लिया गया है।

5.27 गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम

और कार्यशालाएं आयोजित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है।

निर्भया निधि

5.28 भारत में महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहलों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में 'निर्भया निधि' नामक एक आधारभूत निधि की स्थापना की गई है। गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कई अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ इस निधि की संरचना, क्षेत्र और अनुप्रयोग के ब्यौरे तैयार कर लिए हैं।

5.29 पूर्वोक्त घोषणा के अनुसरण में, एक एकीकृत कंप्यूटर से लैस डिस्पैच (सीएडी) प्लेटफार्म की परिकल्पना की गई है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) पर आधारित कॉल को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह कॉल को रिसीव करेगा और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस) से लैस पुलिस वाहन को स्थल पर भेजेगा। इससे महिलाओं द्वारा विपत्ति के समय कॉल किए जाने पर कार्रवाई करने की दक्षता और शीघ्रता से सहायता उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। लैंडलाइनों/मोबाइलों, ई–मेल, चैट, एसएमएस, इंटरनेट, वॉयस ओवर इंटरनेट से दी गई विपत्ति/आपातकालिक चेतावनियों और विशेष रुप से महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोगों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा तैयार किए गए वैयक्तिक उपकरणों के माध्यम से की गई कॉलों का पता लगाया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने इस प्रणाली के लिए आपातकालीन नं. '112' आवंटित किया है।

5.30 इस परियोजना में निर्भया फंड से 321.69 करोड़ रू. का समग्र व्यय शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (आईटीएसपी) के चयन संबंधी प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे बोली के प्रयोजन के लिए जारी कर दिया गया है। इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2010–2014 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में प्रतिशत अंतर
		2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	हत्या	1,408	1,451	1,597	1,657	1,817	9.7
2.	शिशु हत्या	100	63	81	82	121	47.6
3.	बलात्कार	5,484	7,112	8,541	12,363	13,766	11.3
4.	महिलाओं (बालिका) का शीलभंग करने के इरादे से उन पर हमला*	-	-	-	-	11,335	-
5.	महिलाओं (बालिका) का शील भंग करना'*	-	-	-	-	444	-
6.	अपहरण और व्यपहरण	10,670	15,284	18,266	28,167	37,854	34.4
7.	भ्रूण हत्या	111	132	210	221	107	-51.6
8.	आत्महत्या के लिए उकसाना	56	61	144	215	56	-74.0

9.	अतिचार और परित्याग	725	700	821	930	983	5.7
10.	अवयस्क बालिकाओं की खरीद	679	862	809	1,224	2,020	65.0
11.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	78	27	15	6	14	133.3
12.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	130	113	108	100	82	-18.0
13.	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	60	113	169	222	280	26.1
14.	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994*	-	-	-	-	1	-
15.	बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986*		-	-	-	147	-
16.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम1956*	-	-	-	-	86	-
17.	किशोर न्याय (सी एंड पीसी) अधिनियम*	-	-	-	-	1315	-
18.	बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम*	-	-	-	-	8,904	-
19.	हत्या का प्रयास*	-	-	-	-	840	-
20.	अप्राकृतिक अपराध*	-	-	-	-	765	-
21.	बच्चों के प्रति अन्य अपराध	7,193	7,134	7,411	13,037	8,484	34.9
	बच्चों के प्रति कुल अपराध	**26,694**	**33,052**	**38,172**	**58,224**	**89,423**	**53.6**

नोट : "*" वर्ष 2014 में आंकड़े एकत्रित किए गए।

5.31 **अपराध की घटनाएं:** जैसाकि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, वर्ष 2013 के दौरान 58,224 मामलों की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 89,423 मामले सूचित किए गए थे, जो 53.6% की वृद्धि का द्योतक है। आईपीसी अपराधों में, अपहरण एवं व्यपहरण के तहत मामलों की संख्या वर्ष 2013 में 28,167 से बढ़कर वर्ष 2014 में 37,854 हो गई और इसमें वर्ष 2013 की तुलना में 34.4% की वृद्धि दर्ज की गई। आईपीसी अपराधों में, नाबालिग लड़कियों की खरीद–फरोख्त के तहत मामलों की संख्या वर्ष 2013 में 1,224 से बढ़कर वर्ष 2014 में 2,020 हो गई, जिसमें वर्ष 2013 की तुलना में 65.0% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान लड़कियों की खरीद के मामले में 133.3% की वृद्धि (वर्ष 2013 में 6 से बढ़कर 2014 में 14) हुई। वर्ष 2014 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के 15,085 मामलों की अधिकतम संख्या के साथ मध्य प्रदेश से 16.9% घटनाओं की सूचना मिली।

5.32 **अपराध दर:** वर्ष 2014 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख बच्चों की आबादी (18 वर्ष से कम आयु वाले) के अनुसार 20.1 पायी गयी।

बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय

5.33 बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:–

i. बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य रुप से एफआईआर दर्ज करने और उस पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में दिनांक 25.06.2013 को परामर्शी पत्र जारी किया गया था।

ii. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में दिनांक 28.05.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उसे पूर्णरुपेण लागू करने का अनुरोध किया गया था।

iii. बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबध में दिनांक 04.01.2012 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलींग, बाल–अश्लीलता और यौन संबंधी सामग्री के प्रति एक्सपोजर आदि जैसे अपराधों का विशेष रुप से मुकाबला करने का परामर्श दिया गया था।

iv. बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14.07.2010 को परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सार्वजनिक वाहनों, बच्चों के पार्कों/खेलने के मैदानों, रिहाइशी इलाकों/सड़कों आदि में सुरक्षा की स्थितियों में सुधार करने के लिए समस्त उपाय करने का परामर्श दिया गया है। यह परामर्श भी दिया गया है कि अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और विद्यार्थियों, विशेष रुप से लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित विशिष्ट उपाय करने का परामर्श दिया गया है:

(क) बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि करना;

(ख) विशेष रुप से दूरस्थ एवं एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना;

(ग) विशेष रुप से रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

(घ) अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में पुलिस अवसरंचना से पूर्णरुपेण सज्जित पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों, विशेष रुप से महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

लापता बच्चे

5.34 गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में एक अन्य विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के प्रति बलात्कार, यौन–शोषण, बाल–अश्लीलता, अंग व्यापार आदि जैसे किसी भी जघन्य अथवा संगठित अपराध को रोकने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों के बारे में भी सलाह दी गई थी। इनमें ये शामिल हैं: लापता बच्चों का पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइल बनाना, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल करना, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आदि।

5.35 गृह मंत्रालय के परामर्श से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'लापता' एवं 'तलाश किए गए' बच्चों को ट्रैक करने के लिए "ट्रैक चाइल्ड" नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया है। लापता एवं तलाश किए गए बच्चों को ट्रैक करने के लिए यह एक अनन्य वेबसाइट है। इसके दो भाग हैं – 'लापता' और 'तलाश किए गए' खंड, जहां एक डाटाबेस में प्रत्येक विवरण जैसे कि भौतिक विशेषताएं, लापता होने/बरामदगी का स्थान, पहचान के विशेष निशान आदि दिए गए हैं। बरामद बच्चे की पहचान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके डाटाबेस में पैरामीटरों के मिलान के लिए एक सर्च इंजन के साथ विशेष साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसे www.trackthemissingchild.gov.in पर देखा जा सकता है। गृह मंत्रालय क्राइम एंड क्रिमिनल

नेटवर्किंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें लापता बच्चों के संबंध में भी एक माड्यूल दिया गया है।

5.36 **ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कानः** गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों को बचाने के लिए दिनांक 01.01.2015 को संपूर्ण देश में 'ऑपरेशन स्माइल' नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान 9,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया। क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन स्माइल के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के पश्चात, जुलाई, 2015 माह में 'ऑपरेशन मुस्कान' नामक इसी तरह के एक अन्य अभियान की शुरूआत की गई और इस ऑपरेशन के दौरान 19000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।

5.37 **मानव दुर्व्यापार पर राष्ट्रीय सम्मेलनः** गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार–रोधी विषय पर दिनांक 07.10.2015 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में केन्द्र/राज्य सरकारों के लगभग 500 वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य/जिला मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों, गैर–सरकारी संगठनों और मानव दुर्व्यापार के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने लापता बच्चों की तलाश करने के लिए जनवरी, 2015 माह में संपूर्ण देश में संचालित 'ऑपरेशन स्माइल' का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले 44 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया और उन्होंने "mysecurity.gov.in" नामक एक वेब पोर्टल भी शुरू किया, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एप्लीकेशन प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानव दुर्व्यापार–रोधी सम्मेलन

दुर्व्यापार–रोधी प्रकोष्ठ

5.38 मानव दुर्व्यापार संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक नोडल प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अवैध व्यापार संबंधी आंकड़े एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके स्रोत/पारगमन/गंतव्य क्षेत्र होने के कारणों का विश्लेषण करने, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपराध को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की मानीटरिंग करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानव दुर्व्यावार रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और गृह मंत्रालय आवधिक रूप से इन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

"प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" (टीओटी) कार्यक्रमों के माध्यम से और मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना के द्वारा दुर्व्यापार के प्रति विधि प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में व्यापक योजना

5.39 गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से "मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई के सुदृढ़ीकरण" के संबध में एक व्यापक योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें पूरे देश में 330 मानव–दुर्व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) संघटक के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010–2011 और 2011–12 में 225 मानव–दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को पहले ही दो किस्तें जारी कर दी हैं। वर्ष 2014 में, गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, गुजरात हरियाणा, केरल, नागालैंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश और मिजोरम की राज्य सरकारों को 45 और ए एच टी यू की स्थापना के लिए 3.41 करोड़ रूपए की निधियां जारी की हैं।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

5.40 विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करने और उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों के लिए "मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने" के संबंध में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के संबंध में विभिन्न कार्यशालाएं सतत रूप से आयोजित की जाती हैं।

न्यायिक विद्वत सम्मेलन

5.41 न्यायिक विद्वत सम्मेलन दुर्व्यापार से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बारे में महिलाओं और बच्चों के अनुभव के संबंध में मजिस्ट्रटों और न्यायाधीशों को सुग्राही बनाने, मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को कानून के अंतर्गत यथा उपबंधित व्यवहार्य निर्णय लेने और विवेक का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने, जो पीड़ित के लिए सर्वाधिक लाभदायक एवं न्यायोचित होगा किन्तु दुर्व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए अधिक सख्त होगा, दुर्व्यापार के मामलों के शीघ्र निपटान की प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा दुर्व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक, नौ न्यायिक विद्वत सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

मानव दुर्व्यापार के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

5.42 भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार के अपराध से निपटने की प्रभावकारिता में सुधार करने और विधि प्रवर्तन तंत्र की अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय–समय पर विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए व्यापक परामर्शी–पत्र जारी किए हैं। अपराध की बैठकों में एसएसबी और बीएसएफ को संबद्ध करने के लिए दिनांक 23.07.2015 को एक परामर्शी–पत्र जारी किया गया था। ये परामशी पत्र मानव दुर्व्यापार–रोधी विषय पर गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर (www.stophumantrafficking-mha.nic.in) उपलब्ध हैं।

बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय तंत्र

5.43 भारत और बांग्लादेश के बीच मानव दुर्व्यापार के विषय पर एक कार्य बल का गठन किया गया है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच कार्य बल की पांच बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। पांचवीं बैठक का आयोजन दिनांक 17.08.2015 से 18.08.2015 तक ढाका, (बांग्लादेश) में किया गया था।

5.44 भारत और बांग्लादेश के बीच महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने, पीड़ितों को बचाने, उन्हें बरामद करने, उनकी स्वदेश वापसी एवं पुनः मिलन के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर जून, 2015 माह में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5.45 मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर दिनांक 01.11.2015 को संयुक्त अरब अमीरात के साथ दुबई में वार्ता आयोजित की गई।

वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन

5.46 भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यबल का गठन किया गया था। अब तक, सार्क के सदस्य देशों के क्षेत्रीय कार्यबल की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

*****

अध्याय

6

मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता

मानवाधिकार

6.1 भारत के संविधान में लगभग सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों के सुरक्षा उपायों के संबंध में उपबंध और उनकी गारंटी विद्यमान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करें ताकि समाज के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। हमारे देश के सिविल और आपराधिक कानूनों में भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के स्थायी तंत्र हैं और वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन किया गया था। इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा लापरवाही से अथवा भूल–चूक से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच–पड़ताल शुरू करना है ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोका जा सके।

6.4 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, 92,595 मामले विचारार्थ दर्ज किए गए और आयोग ने 72,035 मामले निपटाए, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रनीत मामले भी शामिल हैं। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) द्वारा निपटान के लिए उन्हें 17,332 मामले अंतरित भी किए हैं। उक्त अवधि के दौरान, आयोग ने 240 मामलों में अंतरिम राहत के रूप में 4,91,60,000 रु. के भुगतान की सिफारिश की।

मामलों की जांच–पड़ताल

6.5 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्वेषण प्रभाग को निदेश दिया गया था कि वे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 86 मामलों की उसी स्थान पर जांच करें। इनमें से 82 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और 04 मामलों की जांच प्रगति पर है।

6.6 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के 2,720 मामलों, पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के 180 मामलों और वास्तविकता का पता लगाने संबंधी 1,518 मामलों सहित कुल 4,418 मामलों में कार्रवाई की है। इस प्रभाग ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के 104 मामलों में भी कार्रवाई की है।

वैधानिक पूर्ण आयोग

6.7 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों को करने और इन कार्यों को करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए आयोग

का सदस्य माना जाता है। ये कार्य वैधानिक पूर्ण आयोग को सौंपे जाते हैं, जिसमें (अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) उसके अपने अध्यक्ष के साथ सदस्यों के रूप में 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वैधानिक पूर्ण आयोग में एक विशेष आमंत्रिती हैं।

6.8 वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठकें समान हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। वैधानिक पूर्ण आयोग की पिछली बैठक दिनांक 03.02.2015 को आयोजित की गई थी।

राज्य मानवाधिकार आयोग

6.9 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 में सभी राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के गठन का प्रावधान है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की मौजूदगी और कार्यकरण मानवाधिकारों के संरक्षण की 'बेहतरी' में बहुत कारगर एवं प्रभावी साबित होगा। अब यह स्वीकृत मत है कि अच्छा शासन और मानवाधिकार साथ–साथ चलते रहते हैं। आयोग ने सहयोग और भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नियमित वार्ता आयोजित करने की पहल की है।

6.10 राज्य सरकारों से मिली सूचना के आधार पर दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, 24 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) का गठन कर लिया है। ये राज्य हैं:– आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए संयुक्त रूप से), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। केन्द्र सरकार के साथ–साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस बात के लिए बेहद उत्सुक है कि ऐसे मानवाधिकार आयोग प्रत्येक राज्य में गठित किए जाएं, ताकि प्रत्येक नागरिक के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा अत्यधिक सुगम रूप से उसकी पहुंच में हो।

6.11 भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2015 को न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर समिति की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों को अग्रेषित किया है।

6.12 आयोग ने दिनांक 18.09.2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए यह उल्लेख किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्वायत्तता बनाए रखना देश के हित में है और उन्होंने आयोगों को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र की ओर से हर–संभव सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया।

दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–राज्य मानवाधिकार आयोगों के राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–राज्य मानवाधिकार आयोगों के राष्ट्रीय सेमिनार में न्यायमूर्ति श्री साइरिक जोसेफ, कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्य न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, श्री एस.सी. सिन्हा और श्री एस.एन. मोहंती, महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

6.13 माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न दांडिक विविध याचिकाओं सहित दिलीप के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल एवं अन्य नामक वर्ष 1986 की रिट याचिका (दांडिक) सं.539 में अपने दिनांक 24.07.2015 के निर्णय/आदेश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना करने का निदेश दिया है।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

6.14 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई सी सी) का सदस्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लिया:–

क्र.सं.	तारीख	बैठक/सेमिनार/ कार्यशाला का स्थान	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का नाम
1	13.04.2015 से 17.04.2015	काठमांडू, नेपाल	महिलाओं एवं लड़कियों के मानवाधिकारों के बारे में एशियाई प्रशांत फोरम उप–क्षेत्रीय कार्यशाला
2	20.04.2015 से 24.04.2015	मनीला, फिलीपींस	यातना संबंधी अन्वेषण एवं प्रलेखन के बारे में एनएचआरआई (एपीएफ) के एशिया पेसिफिक फोरम और एसोसिएशन ऑफ टार्चर (एपीटी) की क्षेत्रीय कार्यशाला
3	04.05.2015 से 08.05.2015	रवांडा, दक्षिण अफ्रीका	समय–पूर्व एवं बलात विवाह एवं विवाद में यौन उत्पीड़न के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच के सदस्यों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम
4	04.05.2015 से 08.05.2015	ढाका, बांग्लादेश	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम द्वारा आयोजित स्वदेशी लोगों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बारे में क्षेत्रीय कार्यशाला
5	05.05.2015 से 07.05.2015	बैंकाक, थाईलैंड	व्यापार और मानवाधिकार 2015 के बारे में एपीएफ फेस टू फेस प्रशिक्षण
6	12.06.2015 से 13.06.2015	इस्तांबुल, तुर्की	राष्ट्रीय मानवाधिकरों संस्थानों का अंतराष्ट्रीय सम्मेलनः सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां एवं सीखे गए पाठ
7	10.08.2015 से 11.08.2015	बैंकाक, थाईलैंड	एशिया में नागरिकों की दखल कम होने के बारे में गोलमेज चर्चा में भाग लेना
8	16.08.2015	ढाका, बांग्लादेश	एनएचआरसी, बांग्लादेश की रणनीतिक योजना (2016–2020) के बारे में परामर्श बैठक
9	26.08.2015 से 28.08.2015	उलनबातार, मंगोलिया	20वीं वार्षिक आम बैठक एवं द्वि–वार्षिक सम्मेलन (ए पी एफ)
10	06.10.2015 से 10.10.2015	मेरिडा, यूकाटन, मेक्सिको	आईसीसी ब्यूरो बैठक एवं क्षेत्रीय (ए पी एफ) बैठक सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 12वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
11	26.10.2015 से 28.10.2015	सिओल, कोरिया	वृद्ध जनों के अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का विशेष सत्र एवं वैश्विक वृद्धावस्था की समस्या और वृद्ध जनों के मानवाधिकारों के बारे में एएसईएम सम्मेलन

12	23.11.2015 से 25.11.2015	माल्टा	सीएफएनएचआरआई अर्ध वार्षिक बैठक
13	07.12.2015 से 08.12.2015	वियनतेने लाओ पीडीआर	अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र के बारे में सेमिनार

आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

6.15 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, आयोग ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनेक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की:

क्र. सं.	बैठक की तारीख	प्रतिनिधिमंडल के देश का नाम	विदेशी प्रतिनिधिमंडल के नेता का नाम और पदनाम	दौरे का उद्देश्य/विचार–विमर्श किए गए विषय
1	28.04.2015	आस्ट्रेलिया	जेन्नी ग्रांट–कर्नो, राजनैतिक काउन्सलर, आस्ट्रेलियाई उच्चायोग	मानवाधिकार संबंधी मुद्दे

गैर–सरकारी संगठनों का कोर ग्रुप

6.16 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के अनुरूप, आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा देता रहा है। इस संबंध में, आयोग ने निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से सदस्यों के रूप में चुनिंदा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक कोर ग्रुप का गठन किया है। आयोग में एनजीओ के कोर ग्रुप का 10 सदस्यों के साथ दिनांक 16.09.2011 को पुनर्गठन किया गया है। आयोग में एनजीओ के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं और उसमें कारागार में अपनी मां के साथ रह रहे बच्चों की स्थिति, कमजोर वर्गों और महिलाओं को कानूनी सहायता/समर्थन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौतियों और भारत में मानवाधिकार न्यायालयों के गठन सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाता है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला

6.17 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 19.02.2015 को नई दिल्ली में एक दिवसीय 'मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला' का आयोजन किया। इस कार्यशाला का समापन इस बात पर जोर देते हुए किया गया कि केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के कार्य को महत्व देने के लिए अपनी कार्यशैली में एक वातावरण तैयार करना होगा। वर्ष 2009 में अपने "मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार" के पश्चात आयोग द्वारा सरकारों को की गई अनेक सिफारिशों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के अतिरिक्त, कार्यशाला में एक ऐसे तंत्र को सुदृढ़ करने के बारे में कई अन्य सुझाव दिए गए जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हो सके और सुशासन की दिशा में उनके कार्य को गंभीरतापूर्वक स्वीकार किया जा सके। न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, एनएचआरसी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मानवाधिकारों के लक्ष्यों को अपनाना हमारा सामाजिक कर्तव्य है। इस कार्यशाला में की गई सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य मानवाधिकार आयोगों को भेजी गई हैं।

मानसिक स्वास्थ्य

6.18 राज्य स्वास्थ्य सचिवों की एक बैठक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 04.09.2015 को इंडिया

इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य (i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) तथा विशेषकर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के बेहतर कार्यान्वयन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अवसंरचना और जनशक्ति के विकास के तरीकों पर चर्चा करना (ii) एनएमएचपी के विभिन्न घटकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों के बेहतर उपयोग के तरीकों पर विचार–विमर्श करना (iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्वास सहित मान. सिक देखभाल के बारे में अच्छी पद्धतियों को साझा करना और (iv) भले–चंगे हो गए रोगियों के समुदाय में समुचित पुनर्वास के तरीकों पर चर्चा करना था।

6.19 इस बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्यों, एनएचआरसी के विशेष संपर्क अधिकारियों (स्पेशल रेर्पोटायर्स) और वरिष्ठ आधिकारियों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और मानसिक देखभाल वाले अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में राज्य स्वास्थ्य सचिवों की दिनांक 4 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री साइरिक जोसेफ, कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

कुष्ठ

6.20 दिनांक 17.04.2015 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कुष्ठ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य (i) दिनांक 18.09.2012 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कुष्ठ सम्मेलन में दिए गए सुझावों/की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई और (ii) कुष्ठ से संबंधित चिंताजनक मुद्दों का निराकरण करना तथा उनसे निपटने के लिए उचित रणनीति के बारे में सुझाव देना था।

6.21 सम्मेलन में तीन पूर्ण सत्रों में तीन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई। ये पूर्ण सत्र निम्नानुसार थे:–

सत्र– I: कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार: कुष्ठ विषय पर एनएचआरसी के पूर्व सुझावों/सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

सत्र– II: कुष्ठ: वर्तमान स्थिति, भावी दृष्टिकोण और चुनौतियां

सत्र– III: कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार: क्षेत्र–अनुभवों के आधार पर चिंताजनक मुद्दे

स्वास्थ्य का अधिकार

6.22 आयोग, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक सिविल सोसायटी नेटवर्क, जन–स्वास्थ्य अभियान के साथ मिलकर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार विषय पर अनेक प्रादेशिक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित कर रहा है। इन सार्वजनिक सुनवाइयों के माध्यम से आयोग का आशय सार्वजनिक एवं निजी, दोनों की स्वास्थ्य प्रदायगी सेवाओं में सर्वांगी दोषों और अंतर को उजागर करना है।

अनुसंधान प्रस्ताव

6.23 आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित शोध परियोजनाएं अनुमोदित कीं: प्रो. (डॉ.) रोज वर्गीज, उप कुलपति, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, कोच्चि से प्राप्त "वृद्ध–जनों के मानवाधिकार: विधि, नीतियां एवं कार्यान्वयन–केरल के विशेष संदर्भ में अध्ययन" नामक शोध अध्ययन।

वैश्विक आवधिक समीक्षा

6.24 वैश्विक आवधिक समीक्षा (यूपीआर), मानवाधिकार परिषद का तंत्र है और इसमें, मानवाधिकार परिषद में प्रत्येक चार वर्ष में सभी संयुक्त राष्ट्र देशों के मानवाधिकार रिकार्डों की समीक्षा की जाती है। भारत की प्रथम वैश्विक आवधिक समीक्षा वर्ष 2008 में संपन्न हुई थी। भारत की वर्ष 2008 की रिपोर्ट में मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए भारतीय संवैधानिक उपबंधों और विधिक ढांचे पर ध्यान दिया गया था तथा उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं को उजागर किया गया था। आयोग ने जनवरी, 2008 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–वैश्विक आवधिक समीक्षा के लिए भारत से संबंधित दस्तावेज" प्रस्तुत किया था। अपने दस्तावेज में, आयोग ने शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के अधिकार, बाल–अधिकारों, निःशक्त जनों के अधिकार और भ्रष्टाचार से संबंधित महत्वपूर्ण मानवाधिकार संबंधी चिंताओं और चुनौतियों का उल्लेख किया था। भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का जायजा लेते समय, एनएचआरसी ने यातना के खिलाफ अभिसमय (कन्वेंशन) के अनुसमर्थन की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत की वैश्विक आवधिक समीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट में कार्य–समूह ने 18 सिफारिशें की थीं।

6.25 दूसरी वैश्विक आवधिक समीक्षा के लिए भारत की समीक्षा दिनांक 24.05.2012 को की गई थी। भारत सरकार की रिपोर्ट के अंतिम परिणाम को दिनांक 20.09.2012 को परिषद के 21वें सत्र में हुई उसकी पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया था। भारत सरकार ने 83 सिफारिशें स्वीकार कीं। वैश्विक आवधिक समीक्षा का तीसरा चरण वर्ष 2017 में आरंभ होने वाला है। 83 सिफारिशों के आधार पर, एनएचआरसी ने सिविल सोसायटी संगठनों के साथ मिलकर, संकेतकों/निगरानी–योग्य परिणामों के साथ विभिन्न कार्रवाई बिन्दुओं को सूचीबद्ध करते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक ढांचा तैयार किया है।

6.26 इस ढांचे के आधार पर, एनएचआरसी, भारत ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय के साथ बैठकों का आयोजन किया। आयोग का यह विचार है कि इस प्रकार की कवायद, वर्ष 2017 में यूपीआर–।।। के अधीन होने वाली भारत की समीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी रहेगी।

6.27 आयोग विद्यमान वास्तविक स्थिति के साथ–साथ सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने सहित सभी हितधारियों से प्राप्त सूचना का आकलन करने के लिए चंडीगढ़ में उत्तरी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय–परामर्श का आयोजन कर चुका है।

दौरे

6.28 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ग) आयोग को, कैदियों की जीवन–दशाओं का अध्ययन करने तथा इस बारे में सरकार को सिफारिशें करने के लिए, प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून में विहित किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी जेल या अन्य संस्थान, जहां व्यक्ति को उपचार, सुधार और संरक्षण के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, का दौरा करने की शक्तियां प्रदत्त करती है। तदनुसार, माननीय सदस्य, विशेष संपर्क अधिकारी, एनएचआरसी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऐसे संस्थानों का दौरा करते हैं। वर्ष 2015–2016 (दिनांक 31.12.2015 तक) के दौरान निम्नलिखित दौरे किए गए हैं:–

(i) आयोग के अनुमोदन से श्रीमती जलजा सिन्हा, विशेष संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के साथ–साथ राज्य के बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए दिनांक 22.07.2015 से 24.07.2015 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान तथा जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों, सिविल सर्जनों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एकत्रित सूचना के आधार पर दौरा–रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ii) डॉ. के.आर. श्यामसुन्दर, विशेष संपर्क अधिकारी, एनएचआरसी, नई दिल्ली ने निःशक्त बच्चों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं का पता लगाने के लिए दिनांक 01.08.2015 को कराईकुड़ी, शिवगंगा जिला, तमिलनाडु में निःशक्त बच्चों के स्कूलों, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए निर्मल पब्लिक स्कूल, अमरावती पुथुर, शंकरबातीकाडू, देवकोट्टई तालुक शिवगंगा जिला का दौरा किया तथा आयोग को दौरा संबंधी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

भारत के चयनित 28 जिलों में मानवाधिकार जागरूकता तथा सुविधा का आकलन एवं मानवाधिकार कार्यक्रमों का प्रवर्तन

6.29 इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों तथा सर्व–शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि जैसी राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना था। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, पुलिस भवनों, जेलों, पंचायतों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत काम कर रही राशन की दुकानों, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य संवेदनशील वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे विभिन्न विभागों का क्षेत्र दौरा करके खाद्य–सुरक्षा, शिक्षा, अभिरक्षा न्याय, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ–सफाई जैसे संकेन्द्रित मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। आयोग ने अब तक वायनाड और चम्बा जिलों के पुनः दौरों सहित 17 (सत्रह) जिलों में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

बंधुआ और बाल मजदूरी

(i) क्षेत्रीय कार्यशालाएं

6.30 उच्चतम न्यायालय ने पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (1985 की रिट याचिका सिविल सं. 3922) में दिनांक 11.11.1997 के अपने आदेश में एनएचआरसी को देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने का निदेश दिया था। एनएचआरसी ने उसे सौंपे गए उत्तरदायित्व को संवैधानिक गारंटी की दृष्टिकोण से देखा और अपने विशेष संपर्क अधिकारी के माध्यम से वर्ष 1998 की शुरूआत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निवारण) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी आरंभ की। तब से लेकर वह राज्य–वार समीक्षाएं तथा सुविज्ञता एवं जिला पदाधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता आ रहा है।

6.31 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, न्यायमूर्ति डी. मुरूगेशन की अध्यक्षता में एनएचआरसी द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निवारण) अधिनियम के उन्मूलन से संबंधित तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई। सभी कार्यशालाओं का आयोजन संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया। इनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जिला/राज्य	कार्यशाला की तारीख
1	चंडीगढ़	30.07.2015
2	चेन्नई, तमिलनाडु	07.08.2015
3	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	11.09.2015

6.32 इन कार्यशालाओं का उद्देश्य, जिला मजिस्ट्रेटों, सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों, सतर्कता समितियों के सदस्यों और राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया तथा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निवारण) अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों से उन्हें अवगत कराना तथा सुविज्ञ बनाना था।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अर्ध–वार्षिक सूचना

6.33 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, आयोग ने बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें छुड़ाने और उनका पुनर्वास करने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में छमाही सूचना प्राप्त करना जारी रखा है। उक्त अवधि के दौरान दस (10) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दिल्ली ने आयोग को अपेक्षित सूचना भेज दी है।

(iii) बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक

6.34 आयोग में बंधुआ मजदूरी के बारे में एक कोर समूह मौजूद है, जो समय–समय पर बंधुआ मजदूरी से संबंधित विभिन्न मामलों पर उसे सलाह देता रहता है। बंधुआ मजदूरी संबंधी कोर समूह की पिछली बैठक दिनांक 28.01.2015 को आयोग में हुई थी। इस बैठक की मुख्य कार्य–सूची, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (निवारण) नियम, 1976 में कतिपय संशोधनों के द्वारा उक्त अधिनियम को सुदृढ़ करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा से संबंधित थी। बैठक में प्राप्त सुझाव निम्नलिखित थेः–

1. जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रक्रिया पूरी करने तथा मामले के तार्किक समापन के लिए समय–सीमा निर्धारित की जाए।

2. जिला मजिस्ट्रेटों/एसडीएम द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच की जाएगी।

3. प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सभी हितधारियों की जबावदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित की जानी चाहिए।

4. बंधुआ मजदूरों की जांच और पुनर्वास की प्रक्रिया में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

5. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों, राज्य विभागों और अन्य हितधारियों की सुविज्ञता हेतु एनसीपीसीआर/एसएचआरसी/गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से एनएचआरसी द्वारा वर्ष में न्यूनतम तीन कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(iv) दिनांक 21.02.2014 को आयोजित, हाथों से मैला ढोने एवं स्वच्छता संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार की संस्तुतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई

6.35 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य संवेदनशील वर्गों के प्रति आयोग की चिंता, हाथों से मैला ढोने तथा स्वच्छता संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार में परिलक्षित हुई थी जिसका आयोजन दिनांक 21.02.2014 को किया गया था। इस सेमिनार में अनेक सिफारिशें की गईं जिनका ब्यौरा आयोग की वर्ष 2013–2014 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। जहां तक रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का संबंध है, चार राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट/प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधन के लिए कारागार समिति

6.36 राष्ट्रीय कारागार सुधार सेमिनार, 2014 की सिफारिशों के अनुसरण में, एनएचआरसी ने कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए दिनांक 18.03.2015 को श्री संजय कुमार (आईएएस), प्रधान सचिव, गृह (जेल), पंजाब सरकार की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है, ताकि उक्त अधिनियम को मानवाधिकार संबंधी मानदंडों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और भारत के लिए बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों/सम्मेलनों के अनुरूप बनाया जा सके।

कारागार की दशा

क. जेलों के दौरे

6.37 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ग) के अंतर्गत आयोग, कैदियों की जीवन–दशा का अध्ययन करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसी किसी भी जेल या अन्य संस्थान का दौरा कर सकता है, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए निरुद्ध किए जाते हैं या रखे जाते हैं। तदनुसार, आयोग द्वारा नियुक्त विशेष संपर्क अधिकारी देश की विभिन्न जेलों का दौरा करते हैं तथा वहां विद्यमान दशाओं को देखने के बाद सुझावों/सिफारिशों के द्वारा आयोग के संवेदनशील और महती अपेक्षाओं वाले उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उसकी सहायता करते हैं।

6.38 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त विशेष

संपर्क अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित जेल दौरे किए गए:–

क्र.सं.	जेल/संस्थानों के नाम	दौरे की तारीख	दौरा करने वाले व्यक्ति
1	जिला जेल कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	27.07.2015	श्रीमती एस. जलजा
2	जिला जेल गुमला, झारखंड	15.08.2015	श्रीमती एस. जलजा
3	शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा, बिहार	09.03.2015 से 14.03.2015	श्रीमती एस. जलजा
4	कंधमाल जिला, ओडिशा	17.08.2015 से 19.08.2015	श्री पी.पी. माथुर और श्री दामोदर सारंगी

6.39 आयोग के समक्ष रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं तथा आयोग की सिफारिशें अनुपालन हेतु संबंधित राज्य सरकार के पास भेजी गई हैं। ऊपर उल्लिखित दौरा रिपोर्टें आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.nhrc.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ख. कारागार जनसंख्या का विश्लेषण

6.40 आयोग ने कारागारों की जीर्ण–शीर्ण अवस्था तथा अत्यधिक भीड़–भाड़ जैसी समस्या से ग्रसित निरूद्धता संबंधी अन्य सुविधाओं को गंभीरतापूर्वक लिया है।

6.41 वर्ष 2014 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण से अनेक राज्यों में भीड़–भाड़ की समस्या का पता चला था। सबसे अधिक संख्या में 88,221 कैदियों (84,649 पुरुषः 3,572 महिला) की सूचना उत्तर प्रदेश से, तत्पश्चात मध्य प्रदेश 36,433 (35,283 पुरुषः 1,150 महिला), बिहार 31,295 (30,204 पुरुषः 1,091 महिला), महाराष्ट्र 27,868 (26,438 पुरुषः 1,430 महिला) और पंजाब 26,007 (24,703 पुरुषः 1,304 महिला) से प्राप्त हुई।

6.42 कारागार सांख्यिकीय आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण, भीड़–भाड़ नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों द्वारा गंभीर कदम उठाए जाने की सतत आवश्यकता की ओर इंगित करता है। भीड़–भाड़ कम करने के लिए संविधि के उपबंधों (पैरोल, जमानत, फर्लो, अल्प अवकाश और अपील याचिकाएं आदि) का प्रयोग जेल के संबंधित अधिकारियों द्वारा उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। उत्तरवर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जेल प्राधिकारियों की सहायता के लिए जेल समिति, जिसमें कैदियों के प्रतिनिधि होंगे, भी गठित की जानी चाहिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.43 एनएचआरसी को मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिदेश प्राप्त है। अधिनियम की धारा 12(ज) में यह परिकल्पना की गई है कि एनएचआरसी, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ाएगा। एनएचआरसी छात्रों, गैर–सरकारी संगठनों और आम जनता के सदस्यों के अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस के बीच मानवाधिकार जागरूकता फैलाने में शामिल रहा है।

6.44 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रशिक्षण प्रभाग, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, एसएचआरसी, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सहयोग तथा विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से मानवाधिकारों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकार साक्षरता फैला रहा है। इनके अलावा, एनएचआरसी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों के लिए अपने परिसर में वर्ष में दो बार अर्थात् ग्रीष्म एवं शीतकाल में एक माह के इंटर्नशिप कार्यक्रम के आयोजन के साथ–साथ मई–जून और दिसम्बर–जनवरी को छोड़कर पूरे वर्ष मानवाधिकारों के क्षेत्र में इच्छुक छात्रों के लिए अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

6.45 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक, 46 संस्थाओं द्वारा मानवाधिकारों और इससे संबंधित मुद्दों पर एनएचआरसी द्वारा 56 प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, 97 इंटर्नों ने समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 2015 में अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक संपन्न की। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 83 छात्रों को एनएचआरसी के साथ

अल्पकालिक इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के 235 छात्रों और अन्य संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों/अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी एनएचआरसी का दौरा किया और एनएचआरसी के उनके दौरे के दौरान उन्हें आयोग के कार्यकरण और मानवाधिकार के मुद्दों की जानकारी दी गई।

प्रकाशन

6.46 मानवाधिकारों से संबंधित भारी संख्या में प्रकाशनों के साथ आयोग का प्रकाशन अनुभाग लोगों के मानवाधिकारों के संबंध में उनके बीच जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ज) में बताया गया है, आयोग का एक कार्य "विभिन्न वर्गों/समाज के बीच मानवाधिकार साक्षरता को फैलाना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और उपलब्ध साधनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी रक्षोपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना" है। अधिनियम में यथा परिकल्पित इन अपेक्षाओं को अनिवार्यतः पूरा करने के लिए आयोग ने अपनी स्थापना से ही छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता सहित समाज के अनेक वर्गों के लिए साहित्य का प्रकाशन किया है।

6.47 आयोग ने दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकाशनों का मुद्रण किया:

1. अंग्रेजी में "स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन डिफरेंट इश्यूज" नामक एनएचआरसी पुस्तक
2. अंग्रेजी में "मॉनिटरिंग ऑफ इकोनामिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स बाई एनएचआरसी–इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स फॉर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन स्टेट्स/यूटीज" नामक एनएचआरसी पुस्तक
3. हिंदी में "एनएचआरसी ब्रोशर" नामक एनएचआरसी पुस्तक
4. अंग्रेजी में "हेल्थ केयर ऐज ह्यूमन राइट्स–रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ एनएचआरसी" नामक एनएचआरसी पुस्तक
5. उड़िया में "विधि प्रर्वतन पदाधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक" नामक एनएचआरसी पुस्तक
6. अंग्रेजी और हिंदी में "पुलिसकर्मियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, उप–निरीक्षकों और कांस्टेबलों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम" नामक एनएचआरसी पुस्तक
7. अंग्रेजी में "इंग्लिश जर्नल ऑफ एनएचआरसी, वॉल्यूम 14, 2015" नामक एनएचआरसी पुस्तक
8. हिन्दी में "हिन्दी पत्रिका (मानवाधिकार–नई दिशाएं), खण्ड 12, 2015" नामक एनएचआरसी पुस्तक
9. अंग्रेजी–मलयालम–हिन्दी में "मानवाधिकार संबंधी शब्दों का त्रिभाषी सार–संग्रह" नामक एनएचआरसी पुस्तक।

राजभाषा विंग

आधिकारिक और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन

(i) राष्ट्रीय सेमिनार

6.48 आयोग देश के विभिन्न भागों में मानवाधिकार से जुड़े विषयों पर हिन्दी में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करता रहा है। (1) दो दिवसीय सेमिनार सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के सहयोग से दिन. ांक 19.03.2015 से 20.03.2015 तक 'लोकसत्ता, समाज और मानवाधिकार के उभरते आयाम' विषय पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन ने सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की और हर्ष प्रकट किया कि विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के मानवाधिकार पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। (2) दूसरा सेमिनार दिनांक 25.03.2015 से 27.03.2015 तक एनएचआरसी, भारत और एनयूएएलएस, कोच्चि द्वारा संयुक्त रूप से 'रैगिंग: विधिक एवं मानवाधिकार आयाम" विषय पर आयोजित किया गया। (3) दिनांक 14.09.2015 से 15.09.2015 तक ''भारतीय समाज, मीडिया और मानवाधिकारों की चुनौतियां: एक वार्ता" विषय पर

आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। (4) दिनांक 21–22 जनवरी, 2016 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में "मानवाधिकारों के बारे में वैश्विक विचारः एक वार्ता" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष, एनएचआरसी मुख्य–अतिथि थे। न्यायमूर्ति श्री साइरिस जोसफ, कार्यवाहक अध्यक्ष, एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति डी. मुरूगेशन, श्री एस.सी. सिन्हा, श्री एस. एन. मोहंती, महासचिव पूर्व महासचिव, श्री राजेश किशोर तथा आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन सेमिनारों में हिस्सा लिया। इन सेमीनारों में, शांति निकेतन, जम्मू, उत्कल, पुणे, कोच्चि, नागपुर, एसएचआरसी, विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधियों सहित प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया।

(ii) मानवाधिकार संबंधी शब्दों का त्रि–भाषी सार–संग्रह (अंग्रेजी–मलयालम–हिंदी)

6.49 आयोग ने हिन्दी–अंग्रेजी–मलयालम में मानवाधिकार से संबंधित शब्दों का एक त्रि–भाषी सार–संग्रह प्रकाशित किया है। इस सार–संग्रह का विमोचन, दिनांक 10.12.2015 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री टी.एस. ठाकुर द्वारा किया गया।

6.50 इसके अतिरिक्त, आयोग ने तेलुगू, तमिल और पंजाबी भाषा में सार–संग्रह तैयार किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(iii) "मानवाधिकारों के लिए महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिंदी लेखन पुरस्कार योजना"

6.51 योजना का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार के विभिन्न विषयों पर हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कारों के चयन के लिए पुरस्कार योजना 2012–13 पर कार्रवाई चल रही है। पुरस्कार योजना 2014–15 भी हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के अग्रणी समाचार–पत्रों में शीघ्र प्रकाशित की जाने वाली है।

(iv) पुरस्कृत पुस्तकों का अनुवाद

6.52 आयोग ने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों/पांडुलिपियों को प्रकाशित कराने तथा पहले चरण में उनका अनुवाद बांग्ला, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगू में कराने का प्रस्ताव किया है ताकि संबंधित क्षेत्रों के बुद्धिजीवी इसका लाभ उठा सकें। इस कार्य में सहयोग करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट (एन बी टी) ने एनएचआरसी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में एनबीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) वार्षिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन

6.53 चूंकि हमारे देश में हिन्दी भाषा में मानवाधिकार संबंधी साहित्य का प्रसार बहुत सीमित है, इसलिए एनएचआरसी ने रचनात्मक लेखन के जरिए मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2004 में हिन्दी पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया है। इस वर्ष एनएचआरसी ने दिनांक 10.12.2015 को इसका 12वां खण्ड प्रकाशित किया।

(vi) मानव अधिकार संचयिका का प्रकाशन

6.54 एनएचआरसी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों में संबंधित क्षेत्रों के विभिन्न शिक्षाविदों, विद्वानों द्वारा लेख/शोध–पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इन लेखों/शोध–पत्रों को "मानव अधिकार संचयिका" नामक एक पुस्तक के रूप में संकलित किया जाता है। इस लेख–संग्रह से मानवाधिकार क्षेत्र के विद्वानों को अपनी शोध के लिए संपूर्ण और पर्याप्त ज्ञान एवं जानकारी उपलब्ध हो पाती है। इसका दूसरा खण्ड मानवाधिकार दिवस अर्थात् दिनांक 10.12.2014 को प्रकाशित किया गया था।

(vii) एनएचआरसी में हिंदी पखवाड़ा

6.55 अपने दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी का वार्षिक हिंदी पखवाड़ा दिनांक 14.09.2015 से 28.09.2015 तक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से

भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, अनुवाद प्रतियोगिता और हिंदी निबंध प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई।

(viii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता

6.56 लोगों के बीच मानवाधिकारों की जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए "सुशासन, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार" विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। स्कीम के ब्यौरे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15.07.2015 थी। इस प्रतियोगिता के तीन विजेताओं को दिनांक 12.10.2015 को आयोग के स्थापना दिवस समारोह में पुरस्कार दिए गए।

सूचना का प्रसार

6.57 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मीडिया एवं संचार प्रभाग विभिन्न साधनों के माध्यम से एनएचआरसी की गतिविधियों के बारे में सूचना का प्रसार करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस सम्मेलन, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवधिकर आयोग अंग्रेजी और हिन्दी में मासिक न्यूजलेटर भी प्रकाशित करता है जिसे मानवाधिकारों के महत्व और एनएचआरसी की पहलों तथा सिफारिशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी, शैक्षिक संस्थाओं, एनजीओ के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों के बीच परिचालित किया जाता है।

6.58 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, आयोग की विभिन्न पहलों और गतिविधियों के बारे में एनएचआरसी के मीडिया एवं संचार प्रभाग द्वारा 148 प्रेस विज्ञप्तियां/वक्तव्य जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, मीडिया संगठनों के लिए 06 प्रेस कांफ्रेंस और 16 साक्षात्कार आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में एनएचआरसी की सभी शिविर बैठकों और खुली सुनवाई के एक अनिवार्य घटक के रूप में प्रेस कांफ्रेंस और दैनिक आधार पर मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण की दिशा में रचनात्मक प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य इस वर्ष मानवाधिकारों से जुड़ी लघु फिल्मों को पुरस्कृत करने की योजना आरंभ की है। आयोग के मार्गनिर्देशन में प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं, बाहर के विशेषज्ञों का एक निर्णायक–दल बनाया गया और मानवाधिकार दिवस के मौके पर 18 चयनित फिल्में विशेष रूप से प्रदर्शित की गईं।

6.59 इस पुरस्कार में, तीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए क्रमशः एक लाख, पचहत्तर हजार और पचास हजार रु. की नकद धनराशि शामिल है। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्रियाकलापों के बारे में बच्चों की चित्रकारी एवं फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई।

दिनांक 12 अक्तूबर, 2015 को मानवाधिकार दिवस पर चित्रकारी एवं फोटो प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि, मुख्य न्यायाधीश श्री टी. एस. ठाकुर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री साइरिक जोसेफ

आयोग की शिविर बैठक/खुली सुनवाई

6.60 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और प्रोत्साहन को लक्ष्य बनाकर मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में आयोग की शिविर बैठकें आयोजित कर रहा है।

6.61 इन बैठकों से आयोग के साथ–साथ राज्य सरकारों को एक–दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का अच्छा अवसर मिल जाता है। इससे आयोग को भी मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई का जायजा लेने का अवसर प्राप्त होता

है। शिविर बैठकों के दौरान आयोग, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य से संबंधित लंबित महत्वपूर्ण मामलों और मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा करता है। आयोग, पूर्ण आयोग, डिवीजनल खण्डपीठ–। और ।। और एकल खण्डपीठ के जरिए लंबित महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई भी करता है तथा राज्य प्राधिकारियों के साथ बैठक में बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर न्याय, वृद्धावस्था पेंशन, मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मानवाधिकार संबंधी लंबित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाता है। प्रेस ब्रीफिंग के लिए स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों और प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ पारस्परिक बात–चीत के लिए बैठक भी की जाती है। आयोग ने दिनांक 08.04.2015 से 10.04.2015 तक त्रिवेन्द्रम, केरल, दिनांक 22.04.2015 से 24.04.2015 तक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) और दिनांक 28.04.2015 से 30.04.2015 तक पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) (शिविर बैठक) में शिविर बैठकों/खुली सुनवाइयों का भी आयोजन किया।

6.62 आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के बारे में खुली सुनवाई भी की। आयोग खुली सुनवाई के दौरान शिकायतें सुनता है तथा शिकायतों के निराकरण के लिए प्राधिकारियों को निदेश देता है। आयोग ने दिनांक 08.04.2015 से 10.04.2015 तक त्रिवेन्द्रम, केरल में तीन दिवसीय खुली सुनवाई/शिविर बैठकों और दिनांक 22.04.2015 से 24.04.2015 तक हैदराबाद (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए) में तीन दिवसीय खुली सुनवाई/शिविर बैठकों का आयोजन भी किया।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

6.63 वर्ष 2015 के दौरान, देश में 751 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, जिनमें 97 लोगों की जानें गईं तथा 2,264 लोग घायल हुए। वर्ष 2015 के दौरान, देश में कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच)

6.64 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच) गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है। प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य, देश के लागों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान अनेक कार्यकलाप करता है।

6.65 विगत की तरह, इस वर्ष भी फाउंडेशन द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से विविध गतिविधियां संचालित और प्रायोजित की गईं। साम्प्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह और झंडा दिवस पूरे देश में जोशो–खरोश और उत्साहपूर्वक मनाया गया। अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन द्वारा विस्तारपूरक गतिविधियों के अधीन अनेक कार्यक्रम और गतिविधियों का संचालन किया गया उनमें सहायता पहुंचाई गई। फाउंडेशन द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन/गोष्ठियां और साहित्यिक प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गईं। एनएफसीएच ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान 'उसके बिना नहीं: साम्प्रदायिक सौहार्द' नामक विनिबंध और अपने आवधिक न्यूजलेटर 'सद्भावना संदेश' के दो अंक जारी किए। फाउंडेशन ने जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने तथा उनमें शांति और सामाजिक सौहार्द का संदेश फैलाने के लिए अकादमी स्टाफ कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय आयोगों और सिविल सोसाइटी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है।

6.66 प्रतिष्ठान की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

(i) **परियोजना 'सहायता':** यह प्रतिष्ठान की मुख्य स्कीम है, जिसके तहत बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए समूचे देश में साम्प्रदायिकता, जाति, जातीय अथवा आतंकवादी हिंसा से पीड़ित बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए उनका प्रभावी रूप से पुनर्वास किया जा सके। प्रति लाभार्थी मासिक वित्तीय सहायता की राशि कक्षा XII तक 1,000 रु., स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 1,250 रु. तथा मेडिकल/इंजीनियरिंग/एमबीए के लिए 1,500 रु. है। यह सहायता जन्म से 25 वर्ष की उम्र तक उपलब्ध

कराई जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2015 तक 2,265 लाभार्थियों को सहायता के रूप में 2.95 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 की शेष अवधि के दौरान लगभग 1,800 बच्चों/लाभार्थियों को 2.7 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि जारी किए जाने की संभावना है।

(ii) **सांप्रदायिक सौहार्द अभियानः** इस वर्ष, फाउंडेशन ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी और निजी सहित), केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय दूतावासों/विदेशों में स्थित मिशनों आदि को प्रचार सामग्रियां, जैसे पोस्टर, ब्रोशर, रैपर्स और फ्लैग स्टिकर्स आदि भेजकर लगभग 1.15 लाख इकाइयों/हितधारियों से संपर्क किया है। इन सभी संगठनों से, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की अपील की जाती है। प्रत्येक वर्ष, दिनांक 19 से 25 नवम्बर के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह और फाउंडेशन का झंडा दिवस, "कौमी एकता सप्ताह" के साथ पड़ता है और अवसर और विषय की महत्ता पर बल देने के लिए उक्त अवधि के दौरान पूरे देश में विविध प्रसार संबंधी गतिविधियां चलाई जाती हैं। इस अवसर का उपयोग प्रतिष्ठान की गतिविधियों में सहायता के लिए स्वैच्छिक आधार पर निधियां जुटाने के लिए भी किया जाता है।

(iii) **राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कारः** प्रतिष्ठान ने दो राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार आरंभ किए हैं, एक 'व्यक्तिगत' श्रेणी में और दूसरा 'संगठन' श्रेणी में, जिसे साम्प्रदायिक सद्भाव और अथवा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में विशिष्ट योगदान करने के लिए भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा वार्षिक रूप से चुना जाता है। पुरस्कारों में व्यक्ति (यों) के संबंध में एक प्रमाण–पत्र और 5 लाख रु. की नकद राशि और संगठन के लिए एक प्रमाण–पत्र तथा 10 लाख रु. की नकद राशि दी जाती है। विजेताओं को ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए जाते हैं।

(iv) **विस्तार संबंधी गतिविधियां** : यह प्रतिष्ठान अपनी विस्तार संबंधी गतिविधियों अर्थात् पहुंच, अंतर–आस्था–आपसी बातचीत, भागीदारी और उद्देश्य भागीदारी के तहत साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षण और अन्य संस्थाओं आदि के माध्यम से अथवा स्वतंत्र रूप से अनेक गतिविधियां चलाता है। प्रतिष्ठान ने वर्ष 2015–16 में अनेक कार्यक्रम अर्थात. सांस्कृतिक/संगीत कार्यक्रम, सेमिनार, संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिताएं, आदि आयोजित की/सहायता पहुंचाई, जिनमें छात्र, युवा, अध्यापक, शैक्षिक, सिविल संस्था के प्रतिनिधि, अनेक आस्थाओं के धार्मिक नेता, प्रतिष्ठित सरकारी संगठन, शैक्षिक संस्थाएं आदि शामिल हुईं जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाना है। वर्ष 2015–16 में संस्था द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. चंडीगढ़ स्थित एक सुप्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित संगठन, युवासत्ता ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में बैसाखी त्योहार के दिन, दिनांक 13.04.2015 को राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान और एनएसएस की राज्य इकाई, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 'एक भारत, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा' विषय पर एक–दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सचिव, एनएफसीएच ने इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पर भाग लिया।

2. माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के प्रति प्रतिष्ठान की प्रतिबद्धता और सहयोग के तहत राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान ने इमेज इंडिया

इंस्टिट्यूट और ज्युब्लियंट फूड वर्क्स के साथ मिलकर सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में दिनांक 02.06.2015 को 'बी द चेंज' नामक एक साझे कार्यक्रम का आयोजन किया। सचिव, एनएफसीएच ने इस विषय पर विशेष व्याख्यान दिया तथा अन्य बातों के साथ–साथ आज के संदर्भ में सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डाला।

3. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान ने यूपीएएसएस फाउंडेशन के साथ मिलकर दिनांक 25.06.2015 की शाम को स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में "रूहदारी–मिस्टिक नोट्स एंड डांसिंग टोज" नामक एक संगीत एवं नृत्य समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सूफी गायिका रश्मि अग्रवाल और कत्थक नृत्यांगना विद्या लाल ने प्रस्तुतियां दीं।

4. एनएफसीएच ने भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 09.07.2015 से 10.07.2015 तक इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में दो–दिवसीय संगीत समारोह "धनक" आयोजित करने के संबंध में एनएडीडी फाउंडेशन (दिल्ली) को वित्तीय सहायता मुहैया कराई।

5. एनएफसीएच ने बैंक ऑफ इंडिया और श्री सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर श्री सत्य साईं ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में दिनांक 15.07.2015 को 'जश्न–ए–इंद्रधनुषः विविधता का एक उत्सव' नामक संगीत एवं नृत्य समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के समय संगीत और नृत्य पर आधारित गुरु शोभना नारायण और डॉ. कुमुद दीवान की साझी विषयपरक प्रस्तुतियां दी गईं।

6. एनएफसीएच की वित्तीय सहायता से, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक ने सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में दिनांक 21.9.2015 को वैश्विक शांति और सामाजिक सौहार्द विषय पर एक अंतर–धर्म कन्वेंशन का आयोजन किया।

7. एनएफसीएच ने पुणे, महाराष्ट्र में दिनांक 05.10.2015 को "सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने में महिलाओं की भूमिका" पर एक–दिवसीय सेमिनार आयोजित करने में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (नई दिल्ली) की सहायता की। एनएफसीएच की वित्तिय सहायता से ए आइ डब्ल्यू सी ने इसी विषय पर दिनांक 17.12.2015 को इसी प्रकार के एक और सेमिनार का आयोजन किया।

8. एनएफसीएच की वित्तीय सहायता से, गिल्ड फॉर सर्विस ने मैत्री और सांप्रदायिक सौहार्द के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीनगर में दिनांक 06.10.2015 को सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात् 'अमन ध्वनि' का आयोजन किया। संयुक्त सचिव–सह–वित्त अधिकारी, एनएफसीएच उक्त कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए।

राष्ट्रीय एकता दिवस/राष्ट्रीय संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

6.67 दिनांक 31.10.2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाने और दिनांक 19.11.2015 से 25.11.2015 के दौरान 'कौमी एकता सप्ताह' मनाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए।

कट्टरवादी धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप

6.68 देश की शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी कट्टरवादी धार्मिक संगठनों अथवा समूहों के क्रियाकलापों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सतत निगाह रहती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

6.69 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत दिनांक 01.02.2014 की

अधिसूचना सं. का.आ. 299(अ) के तहत गैर–कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है, जो इसी तारीख से प्रभावी था। यह निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ कि उक्त संगठन को गैर–कानूनी के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ.578 (अ) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुरेश कैत को शामिल करते हुए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित किया गया था। "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" ने दिनांक 30.07.2014 को एक आदेश पारित किया है जिसमें दिनांक 01.02.2014 से पांच वर्षों की अवधि के लिए सिमी को प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय की पुष्टि की गई है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का दिनांक 30.07.2014 का आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 12.08.2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2050 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया है।

राम जन्म–भूमि–बाबरी मस्जिद का मुद्दा

6.70 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिनांक 30.09.2010 को ओ.ओ.एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ.ओ.एस. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित वाद संख्या 236) में अयोध्या स्थित राम जन्म–भूमि–बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद सम्पत्ति/परिसरों के अधिकार के संबंध में अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री की घोषणा की थी। न्यायालय के बहुमत से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी तीन पक्षों अर्थात मुसलमानों, हिन्दूओं और निर्मोही अखाड़े को विवादित संपत्ति/परिसरों का संयुक्त स्वत्व धारक घोषित किया गया है। तदनुसार, कुल विवादित संपत्ति/परिसरों के एक–एक तिहाई हिस्से पर तीनों पक्षों द्वारा प्रबंधन और पूजा करने के लिए उसका उपयोग करने के अधिकार की घोषणा की गई है।

6.71 श्री मोहम्मद सिद्दीक उर्फ हाफिज मोहम्मद सिद्दीक आदि और कुछ अन्य पक्षकारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा ओ.ओ. एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ.ओ.एस. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित वाद संख्या 236) में पारित किए गए दिनांक 30.09.2010 के उक्त अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री के विरुद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 10866–67 दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सिविल अपीलों की दिनांक 09.05.2011 को सुनवाई की थी और यह निदेश दिया है कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का परिचालन स्थगित रहेगा और पक्षकार भूमि वाद के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे जैसा कि डा. एम. इस्माइल फारुकी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के पूर्व के आदेश में निर्देश दिया गया था। भारत संघ किसी भी स्वत्व वाद में पक्षकार नहीं था। इसी प्रकार, भारत संघ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 30.09.2010 के अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर किसी भी सिविल अपील में भी पक्षकार नहीं है। तथापि, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम, 1993 में दिए गए उपबंधों के अन्तर्गत अयोध्या में विवादित भूमि का वैधानिक प्राप्तकर्ता होने के नाते केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और फैजाबाद संभाग, फैजाबाद के प्राधिकृत व्यक्ति/आयुक्त के साथ समन्वय स्थापित करके विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी है।

*****

अध्याय 7

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1 संघ राज्य क्षेत्र सात हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। सात संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधायिका, मंत्रिपरिषद और अपनी स्वयं की समेकित निधियां हैं। बाकी संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिका नहीं है।

7.2 सात संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग किमी. और 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,82,522 है। संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या और क्षेत्रफल **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है। वर्ष 2014–2015 में बजट प्रावधान और उनका उपयोग **अनुलग्नक–IX** में दिया गया है।

सांविधानिक स्थिति

7.3 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–II में विनिर्दिष्ट हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय, विधायन, वित्त और बजट, उप–राज्यपालों और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में, उप–राज्यपालों को प्रशासकों के रुप में पदनामित किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र (ए जी एम यू टी) संवर्ग के वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों को प्रशासकों के रुप में नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर–संपर्क (इंटरफेस)

7.4 विधान सभा रहित सभी पांचों संघ राज्य क्षेत्रों – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एच एम ए सी)/प्रशासक की सलाहकार समिति (ए ए सी) के रुप में एक मंच है। जबकि एच एम ए सी की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री करते हैं वहीं ए ए सी के अध्यक्ष संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं। इनमें अन्य व्यक्तियों के साथ संसद सदस्य और संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के जिला पंचायतों और नगर पालिका परिषद जैसे स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

7.5 अनुच्छेद 239 क क को शामिल करते हुए 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 को पारित करने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अस्तित्व में आयी। इसकी एक विधान सभा है जिसके 70 सदस्य हैं।

अर्थव्यवस्था

7.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी. है। 33 सब–डिवीजनों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 11 जिले हैं।

7.7 दिल्ली में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लक्षण विद्यमान हैं। वर्ष 2013–14 में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 39,1125 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 4,51,154 करोड़ रूपए हो गया, जिसमें 15.35% की वृद्धि दर्ज की गई। स्थिर मूल्यों पर सही मायने में दिल्ली की अर्थव्यवस्था वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 7.3% वृद्धि की तुलना में 8.20% की दर

से बढ़ी। राष्ट्रीय स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान लगभग 3.86% है, जबकि देश की कुल जनसंख्या का 1.4% भाग दिल्ली में रहता है।

7.8 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014–15 में चालू मूल्यों पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2,40,849 रूपए रही जो राष्ट्रीय स्तर पर 87,748 रूपए की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 2.7 गुणा अधिक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्यतः सेवा क्षेत्र का योगदान 87.48% है जिसके बाद उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का स्थान आता है।

7.9 सितम्बर, 2015 में "शताब्दी विकास लक्ष्यः दिल्ली राज्य रिपोर्ट 2014" जारी की गई थी। यह पहली राज्य रिपोर्ट है, जिसमें वर्ष 2015 तक हासिल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शताब्दी विकास लक्ष्यों में हुई प्रगति का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में सटीक तरीके से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके लक्ष्यों और चुनौतियों का विवरण दिया गया है तथा शताब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत मानव विकास संबंधी संकेतकों का आलोचनात्मक आकलन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने निर्धारित अनेक लक्ष्यों के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संकेतकों के अनुसार भी अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, शताब्दी विकास लक्ष्यों के अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और शेष लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक प्राप्त कर लिए जाने की पूरी संभावना है।

सुशासन

7.10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के संबंधित मामलों/गतिविधियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से और विभिन्न योजनाओं/क्रियाकलापों की योजना बनाने की प्रक्रिया में लोगों को सीधे तौर पर शामिल करने के लिए, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015–16 के बजट में की गई घोषणा अनुसार 'मोहल्ला' गठित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40–50 'मोहल्ला' गठित किए जाने हैं। प्रत्येक उपायुक्त (राजस्व) इस प्रकार से 'मोहल्ला' गठित करेंगे ताकि प्रत्येक 'मोहल्ला' में राजस्व जिले के अंतर्गत लगभग 4,000 से 5,000 निर्वाचक शामिल हो सकें। प्रत्येक 'मोहल्ला' में समान सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोगों वाले समीपस्थ क्षेत्रों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

7.11 नागरिकों से जुड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक मंच उपलब्ध कराया है। इस प्रणाली से नागरिकों की शिकायतों की निगरानी और उनका समयबद्ध तरीके से निपटान सुनिश्चित होता है।

7.12 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेवा खेत्रपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार सरकारी क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार ने चार अंकों वाले टेलीफोन नम्बर 1031 का एक सेट उपलब्ध कराकर एक तंत्र कायम किया है जिसके तहत नागरिक सरकार में भष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

7.13 सरकार ने लोगों की कठिनाई और असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से अनावश्यक शपथ पत्रों/अनुप्रमाणन की प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया है और इसी संदर्भ में सरकार ने निर्णय लिया है कि स्व–अनुप्रमाणन पर्याप्त होगा। दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों/संस्थानों में अपेक्षित 200 शपथ पत्रों को समाप्त किया है। प्रयोक्ता विभागों की सुविधा के लिए एक मानक वचनपत्र/स्व–घोषणा परिचालित की गई है ताकि शपथ–पत्रों को, यदि आवश्यक हो, प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का अभिप्रमाणन दिनांक 01.12.2015 से समाप्त कर दिया गया है।

7.14 राजस्व विभाग ने दिनांक 01.12.2015 से विभिन्न प्रमाण–पत्रों को जारी करने की क्रिया का सरलीकरण किया है। जन्म/मृत्यु के विलंब से पंजीकरण आदेश संबंधी आवेदन के मामले को छोड़कर सभी मामलों में शपथ पत्र की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। इसमें शपथ पत्र के स्थान पर एक स्व–घोषणा करनी होगी, जिसमें प्रत्येक आवेदक आवेदन प्रारूप के साथ उस पर हस्ताक्षर करेगा। स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेज स्वीकार्य होंगे।

7.15 विधि के नियमों और सुदृढ़ करने की दिशा में, दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने दिनांक 30.07.2015 को दिल्ली गवाह संरक्षण योजना, 2015 अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत, गवाहों को खतरे की आशंका के आधार पर विभिन्न प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी होगा।

7.16 डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सुविधा के तौर पर किया जा रहा है। जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जी एस डी एल) ने सड़कों की खुदाई की अनुमति देने के संबंध में, एक एकल समान ऑन–लाइन योजना, खनन और निगरानी आवेदन तैयार किया है। इस आवेदन के माध्यम से सभी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा समय पर अनुमति प्रदान करने और निगरानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जीएसडीएल ने भवन के साथ लैंड–लाइन नम्बर को जोड़ने के लिए एक ऑन–लाइन आवेदन http://gis.gsdl.org.in/callerlocation) भी तैयार किया है जिसका उपयोग कॉलर की अवस्थिति को सही–सही जानने के लिए किया जा सकता है, जब वह एबुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में कॉल करता/करती है। नागरिक उपर्युक्त वेबसाइट में जाकर अपना नम्बर दर्ज करा सकते हैं।

7.17 शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसंरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से, 20 स्कूली भवनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा स्कूलों के परिसरों में अर्ध स्थायी ढांचा कक्षाओं के निर्माण के लिए 221.44 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है।

7.18 दिल्ली सरकार का स्कूलों में कौशल शिक्षा का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

शिक्षा

7.19 किसी राष्ट्र का विकास शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से उसके मानव संसाधनों के विकास से परिलक्षित होता है। शिक्षा सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, 2015 में सरकारी स्कूलों ने कक्षा XII में 88.11% और कक्षा x में 95.81% उत्तीर्णता प्रतिशत रिकार्ड किया। इसके अतिरिक्त, 102 सरकारी स्कूलों ने वर्ष 2014–15 के दौरान शत–प्रतिशत परिणाम प्राप्त किए।

7.20 एक पायलट परियोजना के तौर पर दिल्ली सरकार आधुनिक सुविधाओं और अवसरंचना के साथ 54 मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूलों में अपग्रेड कर रही है। इन स्कूलों का अपेक्षित नवीकरण करने एवं चुस्त–दुरुस्त बनाने का कार्य चल रहा है। इन स्कूलों में शिक्षकों की सभी रिक्तियां भी भरी जा रही हैं ताकि छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कूली शिक्षक प्राप्त हो सके।

7.21 दिल्ली सरकार बेहतर शिक्षक छात्र अनुपात प्राप्त करने की दिशा में 20,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रही है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है जो पूरे विश्व में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।

7.22 रोजगार प्राप्त करने के लिए दिल्ली के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए, दिल्ली सरकार ने कौशल विकास पर बल दिया है। बहुविषयक विकास कार्यक्रम कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत, महिलाओं के लिए आईटीआई नंद नगरी की स्थापना की गई है। यह संस्थान शैक्षणिक सत्र 2015–16 से क्रियाशील हो गया है और इसमें निम्नलिखित विधाओं में इसकी कुल क्षमता 167 प्रशिक्षुओं की है::

- ड्राफ्ट्समैन सिविल
- कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक
- फैशन डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी
- बुनियादी सौंदर्य विज्ञान
- सरफेस आर्नामेंटेशन तकनीक।

7.23 आईटीआई मंगोलपुरी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। चालू शैक्षणिक वर्ष 2015–16 के लिए 500 लोगों को दाखिला दिया गया है।

7.24 आईटीई सिंगापुर के सहयोग से विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र (डब्ल्यूसीएससी) स्थापित किया गया है। वर्तमान में, यह विवेक विहार में अस्थायी स्थल से कार्य कर रहा है। यहां शैक्षणिक सत्र 2013–14 से प्रत्येक विधा में 160 की क्षमता के साथ आतिथ्य प्रचालन एवं खुदरा सेवाओं की विधा प्रारंभ की गई है। चालू सत्र 2015–16 से प्रत्येक विधा में 40 की क्षमता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं एकाउंट बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र शामिल किया गया है। संस्थान के स्थायी कैंपस के लिए जोनापुर में स्थल की पहचान की गई है और निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

7.25 कौशल विकास को उद्योगों की अपेक्षा के अनुरूप करने के लिए, निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:–

(i) आईटीआई अरब की सराय और आईटीआई पूसा में प्रौद्योगिकी, उपकरण और ज्ञान के अंतरण के लिए सीमेंस के साथ

(ii) उद्योग की आवश्यकताओं के साथ प्रशिक्षण हेतु लेबरनेट के साथ

(iii) आईटीआई पूसा में मोटर मैकेनिक विधा के लिए उपकरण और मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु मारूति इंडिया लिमिटेड के साथ।

7.26 माइक्रोसाफ्ट कौशल विकास पहल के अंतर्गत, आईटीआई विवेक विहार (डब्ल्यू) में सीओपीए विधा में 120 छात्रों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा। वैश्विक रूप से स्वीकार्य इस प्रमाण–पत्र से छात्रों को बेहतर रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी।

7.27 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्रों के लिए अप्रेंटिंसशिप प्रशिक्षण योजना फिर से आरंभ की गई है। इससे दिल्ली के युवाओं को अपने कौशल को अपग्रेड करने और अपग्रेडेड कौशल के लिए उचित प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

7.28 मौजूदा 9 पॉलटेक्निक को प्रौद्योगिकी संस्थानों में अपग्रेड किया गया है। प्रत्येक संस्थान में 100 सीटों अर्थात 900 सीटों की कुल क्षमता के साथ चालू शैक्षणिक सत्र 2015–16 से विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में बी.वोकेशनल कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

7.29 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस और रिसर्च यूनिवर्सिटी को क्रियाशील बनाया गया है।

7.30 उच्च शिक्षा की लागत को वहन करने के लिए, दिल्ली सरकार ने उन छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना अनुमोदित की है, जिन्होंने दिल्ली से कक्षा X और कक्षा XII उत्तीर्ण की है और दिल्ली में डिप्लोमा अथवा डिग्री स्तर के पाठयक्रमों या विनिर्दिष्ट कौशल विकास पाठ्यक्रमों में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा गठित उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास प्रत्यय गारंटी कोष न्यास के माध्यम से छात्रों द्वारा लिए गए 10 लाख रूपए तक के बैंक ऋण की गारंटी दी जाएगी। छात्रों को कोई संपार्श्विक या मार्जिन धनराशि देना अपेक्षित नहीं होगा और यह योजना छात्रों की पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना सभी पर समान रूप से लागू होगी।

स्वास्थ्य

7.31 दिल्ली सरकार ने 11,000 से अधिक बिस्तरों के साथ 6 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित 39 अस्पतालों के माध्यम से सुदृढ़ स्वास्थ्य देखभाल अवंसरचना विकसित की है। यहां 262 एलोपैथिक डिस्पेंसरियां हैं, जिनमें 58 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (पीयूएचसी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 35 आयुर्वेदिक, 17 यूनानी, 98 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों सहित 150 आयुष डिस्पेंसरियां भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया करा रही हैं। इन स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का प्रबंधन 25,000 से अधिक चिकित्सकों और संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के निवारक और प्रोत्साहन संबंधी पहलुओं पर अधिक ध्यान देना आरंभ किया है और एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली देने का प्रयास किया है जो सबकी पहुंच और सामर्थ्य में हो।

7.32 सेंट्रललाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विस (सी ए टी एस) द्वारा दिल्ली के लोगों को 'अस्पताल देखभाल केन्द्र' उपलब्ध कराने के लिए, दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आधुनिक नियंत्रण कक्ष का ऑपरेटर और सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा के प्रचालन एवं अनुरक्षण का ऑपरेटर अलग–अलग व्यक्ति होगा।

7.33 प्रत्येक मृतक का सम्मान करने तथा उसके परिवार को प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन करने में योगदान देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने अनुग्रह योजना अनुमोदित की है। इसके दायरे के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में आने वाले लाभ भोगी होंगेः–

क) अभियान/युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले रक्षा कार्मिक, यदि सेवा में शामिल होने के समय दर्ज किया गया उसका स्थायी पता दिल्ली हो।

ख) अभियान/युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले अर्ध सैनिक बल कार्मिक, यदि सेवा में शामिल होने के समय दर्ज किया गया उसका स्थायी पता दिल्ली हो।

ग) अपनी वास्तविक आधिकारिक ड्यूटी के निर्वहन में प्राण गंवाने वाले दिल्ली पुलिस कार्मिक।

घ) अपनी वास्तविक आधिकारिक ड्यूटी के निर्वहन के दौरान प्राण गंवाने वाले दिल्ली सरकार/दिल्ली पुलिस के अधीन कार्यरत अर्द्ध सैनिक बल कार्मिक।

ङ) अपनी वास्तविक आधिकारिक ड्यूटी के निर्वहन के दौरान प्राण गंवाने वाले दिल्ली सरकार/दिल्ली पुलिस के अधीन कार्यरत होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा कार्मिक।

7.34 इस योजना में कुल अनुग्रह राशि एक करोड़ रूपए होगी। 50 लाख रूपए तत्काल निकटतम संबंधी को दे दिए जाएंगे तथा 50 लाख रूपए एक जमा योजना में रखे जाएंगे जो राशि दस वर्षो की समाप्ति के पश्चात निकटतम संबंधी को जारी कर दी जाएगी। निकटतम संबंधी को उसकी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार दिल्ली सरकार के अधीन समूह 'ग' या 'घ' के पद का प्रस्ताव दिया जाएगा, बशर्ते कि उसे संबंधित रक्षा/पुलिस संगठन द्वारा रोजगार का प्रस्ताव न दिया गया हो।

कृषि

7.35 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुग्रह राहत घोषित करके दिल्ली के उन किसानों को राहत मुहैया कराई जिन्होंने वर्षा के कारण फसलों की क्षति उठाई थी। सरकार ने वर्षा के कारण हुई क्षति के मद्देनजर किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रूपए की दर से अनुग्रह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने 70% या उससे कम क्षति का आकलन होने पर 70% की दर से तथा हुई क्षति का आकलन 70% से अधिक होने पर शत–प्रतिशत अनुग्रह का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

7.36 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग निर्धनों, निःशक्त जनों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के दबे–कुचले वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं और सेवाएं संचालित कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2015 तक, वृद्धावस्था सहायता योजना के अंतर्गत 3,82,216 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। लाभभोगियों को 307.08 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई है। निःशक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के अंतर्गत, 55.11 करोड़ रूपए की राशिवितरित करके लगभग 56,044 व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत, नवम्बर, 2015 तक 177 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और 1.78 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई है।

7.37 दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष एक ही छत के नीचे दिल्ली के विभिन्न जिलों में निःशक्तता प्रमाण–पत्र, दिल्ली परिवहन निगम का बस पास प्रदान करने, वित्तीय सहायता से संबंधित प्रारूपों को वितरित करने, सरकारी अस्पतालों में निःशक्त बच्चों के पंजीकरण, निःशक्त व्यक्तियों को एसडीएम कार्यालय से पहचान–पत्र देने के लिए एनपीआरपीडी योजना के अंतर्गत सामान्य निःशक्तता शिविर आयोजित करता है।

7.38 निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों की सुविधा की दृष्टि से पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत पंजीकरण का कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में, 9 नए गैर सरकारी संगठनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक पंजीकृत किया जा चुका है। कुल मिलाकर 71 गैर सरकारी संगठन समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत हो चुके हैं।

7.39 आशा किरण के निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आशा किरण काम्पलेक्स में दिनांक 24.04.2015 से 10 विषयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ किए गए हैं।

7.40 विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत, "संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना" के अंतर्गत 1,42,765 लाभभोगियों को पेंशन प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान विधवा पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत संबंधित जिला अधिकारी द्वारा लगभग 1,873 मामले मंजूर किए गए हैं।

परिवहन

7.41 दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए अनेक अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

i. पूर्व में मौजूदा मुनिरका फ्लाईओवर को पश्चिम में आउट रिंग रोड पर स्थित आर्मी आर.आर. हास्पिटल के आगे के बिंदु पर जोड़ने वाले पोर्टल फ्रेम पर फ्लाई ओवर तथा बी.जे. मार्ग और इनर रिंग रोड के चौराहे पर अंडर–पास।

ii. संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक तक नाले के दोनों ओर जोन पी–। में छह लेन वाली समानांतर सड़क

iii. आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से मीरा बाग (4.3 किमी.) तक छह लेन वाला ऐलीवेटिड कॉरिडोर।

iv. आउटर रिंग रोड पर मंगोलपुरी से मधुबन चौक (3.9 किमी.) तक छह लेन वाला ऐलीवेटिड कॉरिडोर।

v. आउटर रिंग रोड पर मधुबन चौक से मुकरबा चौक (3.8 किमी.) तक छह लेन वाला ऐलीवेटिड कॉरिडोर।

vi. आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक से वजीराबाद (8 किमी.) तक कॉरिडोर सुधार।

vii. सराय काले खां से मयूर विहार के बीच बारापुला फेस–।।।

7.42 बाहरी रिंग रोड पर चल रही अधिकांश फ्लाईओवर परियोजनाएं 31.03.2016 तक पूरी कर ली जाएंगी। इससे बाहरी रिंग रोड पर जाम की समस्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में सड़कों के विभिन्न भागों पर कॉरिडोर सुधार और उन्हें जाम मुक्त करने के लिए 23 व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन चल रहे हैं।

7.43 महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम की बसों में होम गार्डों/मार्शलों को तैनात किया गया है। 200 डीटीसी बसों में सीसीटीवी वीडियो निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है।

7.44 दिल्ली सरकार ने दिनांक 23.12.2015 से 6 सार्वजनिक परिवहन की बसों में निःशुल्क वाई–फाई सेवा आरंभ की है। इन बसों में ग्लोबल पोजिशिनिंग प्रणाली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन मौजूद हैं।

7.45 वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। सरकार ने दिल्ली में अलग–अलग क्षेत्रों में प्रत्येक माह की 22 तारीख को कार मुक्त दिवस मनाने की एक विशेष पहल की है। दिल्ली सरकार ने दिनांक 01.01.2016 से 15.01.2016 तक सम–विषम फार्मूला का कार्यान्वयन किया था। इस कवायद से न केवल प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी बल्कि इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के रोकथाम के संबंध में एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने के लिए उपयोगी आंकड़े भी प्राप्त होंगे।

दिल्ली पुलिस

7.46 1.8 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ 1,483 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली प्रति वर्ग किमी. लगभग 6,000 व्यक्ति के घनत्व के साथ विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद से इसकी वृद्धि का अनुपात नियोजित विकास की अपेक्षा अधिक रहा है। शहर की जनसंख्या का अधिकांश भाग मलिन बस्तियों में और बुनियादी सुविधाओं से दूर क्षेत्रों में रह रहा है। इसके परिणामस्वरूप, आर्थिक विषमता के साथ–साथ शहरी अनजानापन यहां अपराध के मुख्य कारणों में से एक है। राजनैतिक शक्ति का केन्द्र होने के नाते यह केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के प्रति होने वाले विरोधों और प्रदर्शनों की केन्द्र स्थली भी रही है। मीडिया का ध्यान बनाए रखने की लालच में भी दिल्ली लगातार विभिन्न आतंकवादी समूहों, जिनमें वे समूह भी शामिल हैं, जिनका आधार दिल्ली से बाहर है तथा जिन्हें वहां से सहायता मिलती रही है, के नजर में रही है। 33,000 किमी. से अधिक सड़कों का जाल होने के बावजूद दिल्ली

में यातायात प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि दिल्ली में पंजीकृत ऑटोमोबाइल की संख्या (लगभग 89 लाख) अन्य तीन महानगरों अर्थात मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या से भी अधिक है। तथापि, यदि निष्पक्ष भाव से देखें, तो यह पता चलता है कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों ने लोगों की उल्लेखनीय सेवा की है और उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि विविध और दुष्कर पुलिस व्यवस्था संबंधी मांगों के बावजूद इस महानगर में शांति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता उनमें मौजूद हैं।

7.47 दिल्ली पुलिस आयुक्त की सहायता 10 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 19 अपर पुलिस आयुक्त और 107 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस आयुक्त करते हैं और इसकी कुल स्वीकृत नफरी 84,536 है। इनमें से, 6,642 पद रिक्त हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस को 6 रेंज, 11 जिलों और 190 पुलिस थानों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यातायात प्रबंधन, आसूचना संग्रहण और आतंकवाद–रोधी, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से निपटने के लिए विशेषीकृत इकाइयां भी मौजूद हैं।

7.48 दिल्ली पुलिस प्राथमिकता वाले निम्नलिखित क्षेत्रों के साथ शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध है, अर्थातः–

1. अपराध के सत्यनिष्ठ पंजीकरण पर जोर
2. महिलाओं की सुरक्षा
3. संवेदनशील समूहों की सुरक्षा
4. वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल
5. पूर्वोत्तर के निवासियों की सुरक्षा और संरक्षा
6. ईसाई समुदाय द्वारा संचालित गिरजाघरों और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा
7. लापता बच्चे
8. मार्ट पुलिस व्यवस्था – प्रौद्योगिकी का प्रयोग
9. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति
10. लोक उन्मुखी और प्रतिक्रियात्मक एवं पारदर्शी पुलिस व्यवस्था
11. आतंकवादी–रोधी उपाय
12. यातायात विनियमन और सड़क सुरक्षा
13. सड़क पर होने वाले अपराध से निपटना – पुलिस कार्मिकों की अधिक उपस्थिति

वर्ष 2015 के दौरान दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

अपराध संबंधी कारण

7.49 देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली का द्रुत गति से विकास हो रहा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के परिणामस्वरूप कुछ ऐसे कारण उभरे हैं जिनका शहर में अपराध की दर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। द्वारका, रोहिणी, आदि जैसी नई कॉलोनियों के विस्तार तथा हजारों अनियोजित कॉलोनियों के जुड़ने से अपराध, विशेषकर लूटपाट और झीनाझपटी जैसे सड़क पर होने वाले अपराधों के पीछे प्रमुख कारण रहे हैं। अपराध के लिए उत्तरदायी अन्य कारण निम्नानुसार हैं:–

- सामाजिक–आर्थिक असंतुलन,
- सुविधायुक्त और सुविधाविहीन कॉलोनियों की आस–पास अवस्थिति,
- शहरी अनजानापन जिससे गलत व्यवहार को बढ़ावा मिलता है,
- सामाजिक ढांचों और परिवार का नियंत्रण ढीला पड़ना,
- प्रतिकूल लिंग अनुपात (866 महिलाएं/1,000 पुरूष),
- आपराधिक तत्वों द्वारा सीमा पार करना आसान/ सुलभ होना,
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंदरूनी क्षेत्र का विस्तार।

7.50 दिल्ली पुलिस हाल के वर्षो में इस उद्देश्य के साथ अधिक संख्या में शिकायतें दर्ज करने के लिए 'सत्यनिष्ठ प्रकार से मामला दर्ज करने' की नीति का अनुसरण कर रही है ताकि कोई अपराध विशेषकर संवेदनशील समूहों के प्रति हुए अपराध को दर्ज किया जाना छूट न जाए। वर्ष 2012 में आईपीसी अपराध के अंतर्गत दर्ज 54,287 मामलों की तुलना में यह संख्या वर्ष 2013 में 80,184, वर्ष 2014 में 1,55,654 और वर्ष 2015 में 1,91,377 हो गई। इस सकारात्मक प्रवृत्ति ने वर्ष 2015 के दौरान और जोर पकड़ा है और इसे निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका से देखा जा सकता है:–

तुलनात्मक सड़क अपराध		
अपराध शीर्ष	01.04.2014 से 31.12.2014 तक	01.04.2015 से 31.12.2015 तक
डकैती	57	54
लूटपाट	5425	5841
झीनाझपटी	5306	7575
सेंधमारी	7978	9585
घर में चोरी	10339	12691
मोटर वाहन की चोरी	18505	26008
अन्य चोरी	32257	42459
कुल भा.दं.सं.	120248	148518

7.51 दर्ज करने से बचने से लेकर सत्यनिष्ठ पंजीकरण तक के इस आमूलचूल परिवर्तन के कारण प्राथमिकियों को दर्ज न करने की शिकायतों में कमी आई है। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध के संबंध में उसी मानदंड का प्रयोग किया जा रहा है जो पूरे विश्व में अपराध की तुलना के क्रम में किया जाता है। इस वर्ष के दौरान प्रति लाख जनसंख्या पर अनुमानित कुल आईपीसी अपराध की संख्या 1058.68 रही। अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाने के संबंध में उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने के लिए अब शहर के विभिन्न भागों में अपराध के वास्तविक विस्तार का पता चल चुका है। अपराधों का पता लगाने के प्रयासों के कारण अधिक से अधिक अपराधियों को पकड़ा गया है जिनका विवरण नीचे दी गई तुलनात्मक तालिका में दिया गया है:–

गिरफ्तार अपराधियों के तुलनात्मक आंकड़े		
अपराध शीष	वश	
	01.04.2014 से 31.12.2014	01.04.2015 से 31.12.2015
डकैत	187	248
लूटपाट करने वाले	4203	4848
झीनाझपटी करने वाले	1922	2639
सेंधमार	1534	2508
आटो लिफ्टर	2475	905
कुल भा.दं.सं.	**45414**	**53111**

जघन्य अपराधों का पता लगाने की उच्च दर

7.52 मामलों के सत्यनिष्ठ पंजीकरण के कारण अपराध की संख्या में हुई वृद्धि के बावजूद जिलों और अपराध शाखा और विशेष शाखा जैसी विशेषीकृत इकाइयों के निरंतर प्रयासों और पेशेवर जांच के कारण दिनांक 31.12.2015 तक कुल 59% जघन्य अपराधों के मामले निपटाए गए हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

7.53 बलात्कार के मामलों की जांच में विशेष सावधानी बरती जाती है और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने पर जोर दिया जाता है। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015) के दौरान वर्ष 2014 की तदनुरूपी अवधि में 1,693 मामलों की तुलना में 1,751 बलात्कार के मामलों की सूचना प्राप्त हुई। इन मामलों के विश्लेषण से यह पता चला कि बलात्कार के लगभग 96% मामलों में अपराध उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो पीड़िता अथवा उसके पारिवारिक सदस्यों से परिचित थे। केवल 4% मामलों में, अजनबी संलिप्त पाए गए। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015) के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ के कुल 4,307 मामलों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से लगभग 78% मामले निपटाए गए। बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़ और छींटाकशी के बारे में पुलिस थानों में प्राप्त हुई शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। यद्यपि, महिलाओं के प्रति अपराधों को दर्ज करने में गुणात्मक वृद्धि हुई है, फिर भी एक पखवाड़े के अंदर 70% मामले निपटाए गए हैं।

संवदेनशील समूहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

महिला

7.54 महिलाओं की सुरक्षा को दिल्ली पुलिस द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस मुद्दे से समग्र रूप से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलों सहित नई पहलें की गई हैं:–

i) पुलिस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण: भारत सरकार ने सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक तक के लिए सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया हैं।

ii) आपरेशन निर्भीक: इसके अंतर्गत, दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी लड़कियों वाले सभी स्कूलों में जाते हैं और छात्राओं के साथ बातचीत सत्र आयोजित करते हैं। इन बातचीत सत्रों का उद्देश्य उन छात्राओं के साथ विश्वास का माहौल बनाना तथा उन्हें दिल्ली पुलिस की विभिन्न पहलों से अवगत कराना हैं ताकी उनके मन में विश्वास पैदा हो सके। दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी इन स्कूलों में एकांत जगह में एक शिकायत पेटी भी रख देते हैं और छात्रों को किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की सूचना या तो मौखिक अथवा लिखित रूप में देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्राओं द्वारा की गई शिकायतों यदि कोई हों, को एकत्रित करने के लिए साप्ताहिक आधार पर एक घंटे के लिए महिला कांस्टेबल इन स्कूलों में जाती हैं।

iii) ऑपरेशन शिष्टाचार: इसके अंतर्गत सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारी शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, सिनेमा हॉलों और बसों जैसे व्यस्त जगह पर तैनात की जाती हैं।

iv) 'शी टू शक्ति – एस 2 एस' योजना के अंतर्गत महिला बीट कांस्टेबल – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई अन्य पहलों में आपातकालीन हेल्पलाइन संख्या 100/महिला हेल्पलाइन संख्या 1091 की लाइनों की संख्या बढ़ाना, महिलाओं के लिए पीछा करने रोधी सेवा, तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए कॉलर/पीड़िता की अवस्थिति का पता लगाने के लिए हिम्मत मोबाइल ऐप एसओएस, हिम्मत वॉट्स एप ग्रुप, पुलिस थानों में महिलाओं के लिए चौबीसों घंटे सहायता डेस्क, शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में देरी के संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधी किसी विवाद की मनाही, महिला शिकायतकर्ताओं से निपटने के लिए अधिमानतः एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सम्मान एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार, छींटाकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क करने के लिए दिल्ली के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में एक विशेष पुलिस आयुक्त, लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में उसके खुलने और बंद होने के समय उन परिसरों के बाहर स्थानीय पुलिस और पीसीआर वैनों की तैनाती, थाना स्तरीय महिला सुरक्षा समिति, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई, संवेदनशील मार्गों पर गहन गश्त, वर्ष 2015 (31.12.2015 तक) के दौरान 1,96,726 महिलाओं/लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पेईंग गेस्ट आवासों और छात्रावासों की सुरक्षा जांच, प्लेसमेंट एजेंसियों और बीपीओ से बातचीत, पुलिस कार्मिकों के लिए लैंगिक सुविज्ञता कार्यक्रम, सामूहिक बलात्कार के मामलों में त्वरित जांच और शीघ्र विचारण शामिल हैं।

बच्चे

7.55 लापता बच्चों का पता लगाना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता वाली गतिविधियों में शामिल रहा है। प्रत्येक लापता बच्चे के मामले में प्राथमिकी तत्काल दर्ज की जाती है। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015) के दौरान 01.04.2014 से 31.12.2014 की तदनुरूपी अवधि में 4,915 मामलों की तुलना में अपहरण के कुल 5,253 मामले दर्ज किए गए। सभी लापता बच्चों के विवरण बिना किसी विलंब के ज़िप नेट पर अपलोड किए जाते हैं और बच्चे का पता लगाने के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई की जाती है। अपराध शाखा, समस्या से प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में

विशेष रूप से लापता बच्चों के पैटर्न का विश्लेषण करती है और यह जानने का प्रयास करती है कि क्या इसमें किसी संगठित गैंग का हाथ है। इस संबंध में अधिक ध्यान तीन से दस वर्ष की आयु के बच्चों पर दिया जाता है जो सामान्यतः अपने आप घर से नहीं भागते हैं।

7.56 दिल्ली पुलिस ने 'पहचान' नामक एक विशेष पहल आरंभ की है, जिसके तहत पदाधिकारी मलिन बस्तियों का दौरा करते हैं और खतरे की आशंका वाले बच्चों के परिवारों की फोटो लेते हैं। यह योजना उन क्षेत्रों में पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है जहां से अधिकांश बच्चों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई होती है। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 39,050 बच्चों की फोटो ली गई है। लापता बच्चों को उनके माता–पिता से मिलवाने के उद्देश्य से, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की मानव तस्करी–रोधी इकाई ने 'ऑपरेशन मिलाप' आरंभ किया है और इसके तहत अपना घर, सलाम बालक ट्रस्ट, बाल अधिकार सशक्तिकरण केन्द्र, प्रयास चिल्ड्रन होम, आशियाना और सुभीक्षिका ओपन शेल्टर होम जैसे बाल गृहों में रहने वाले बच्चे उनके परिवारों को सौंपे गए हैं। जिन बच्चों को उनके अपने–अपने परिवारों को सौपा गया है, वे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और नेपाल के थे।

वरिष्ठ नागरिक

7.57 वरिष्ठ नागरिक हमारे सामाजिक ढांचे के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। तथापि, समय के साथ–साथ वे अधिक संवेदनशील और अपराधियों के आसान लक्ष्य बन जाते हैं, विशेषकर वे वरिष्ठ नागरिक, जो अकेले या अपने पति/पत्नी के साथ रहते हैं। पहले से क्रियाशील महिला हेल्पलाइन नम्बर 1091 और केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष संख्या 100 के अतिरिक्त संकट में फंसे वरिष्ठ नागरिकों की कॉलों या उनकी सुरक्षा के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनन्य रूप से एक विशेष हेल्पलाइन संख्या 1291 आरंभ की गई है। वर्ष 2012 में, दिल्ली पुलिस ने उनके पास पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को पहचान–पत्र जारी किए ताकि उनकी गहन निगरानी सुनिश्चित हो सके। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान, दिल्ली पुलिस में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को 2,428 पहचान पत्र जारी किए गए। उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा 2,332 वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से जांच की गई।

पूर्वोत्तर राज्यों के लोग

7.58 दिल्ली पुलिस ने राजधानी में निवास करने वाले पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक सक्रिय पहलें आरंभ की हैं। इस समुदाय के छात्रों और अन्य निवासियों के सामने आ रही समस्याओं का मुकाबला करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस नीति' अपनाई गई है। तुरंत और समय पर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, फरवरी, 2014 में एक विशेष हेल्पलाइन संख्या 1093 आरंभ की गई थी। इसके अतिरिक्त, नानकपुरा में पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ में पूर्वोत्तर राज्यों के 27 पुलिस कर्मी मौजूद हैं और इनका नेतृत्व उसी क्षेत्र के एक पुलिस उपायुक्त कर रहे हैं। संबंधित मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। वर्ष 2015 (31.12.2015 तक) के दौरान, 133 बैठकों का आयोजन किया गया है और 2,653 प्रतिभागी इन बैठकों में शामिल हुए हैं। पूर्वोत्तर के युवाओं और छात्रों से बेहतर सम्पर्क स्थापित करने के लिए 'दिल्ली पुलिस फॉर नार्थ–ईस्ट फोक्स' नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया है जिसको अब तक 60 लाख से अधिक लोग लॉग–इन कर चुके हैं/देख चुके हैं।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी योजनाएं

युवा

7.59 युवा दिल्ली पुलिस की एक विशेष पहल है जिसकी रूपरेखा सुविधाओं से वंचित परिवारों के युवाओं और बच्चों को अपराधों और मादक द्रव्यों के प्रति उनके झुकाव को हतोत्साहित करने तथा एक सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने हेतु बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस युवा फाउंडेशन नामक संस्थागत ढ़ांचा स्थापित किया है। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015) के दौरान 22,970 युवाओं ने खेल–कूद की गतिविधियों में हिस्सा लिया और

12,159 युवाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

जन–सम्पर्क

7.60 किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और खुली बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। जन–सम्पर्क सार्वजनिक सहयोग जुटाने के संबंध में एक सक्रिय उपाय है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक पूर्व निर्धारित समय और तारीख पर अपने–अपने क्षेत्रों में जाते हैं तथा आडिटोरियम, स्कूल हॉलों, सार्वजनिक पार्कों आदि जैसे सार्वजनिक जगहों पर लोगों की शिकायतें सुनते हैं। निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के साथ इस सीधे सम्पर्क से न केवल विभाग के प्रति विश्वास पैदा करने में सहायता मिलती है, बल्कि इससे तुरंत और वांछनीय कार्रवाई का आश्वासन भी प्राप्त होता है। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) के दौरान इस प्रकार के कुल 2,067 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 41,208 शिकायतें प्राप्त हुईं और 11,530 शिकायतों का समाधान किया गया।

आपका अपडेट

7.61 दिल्ली पुलिस द्वारा आरंभ की गई 'आपका अपडेट' पहल से ई–मेल, एसएमएस या ई–फोन कॉल के माध्यम से नियमित अंतराल पर मामले में हुई प्रगति की जानकारी दी जाती है। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) के दौरान 1,76,658 शिकायतकर्ताओं को सूचना दी गई, जिनमें से 1,38,687 शिकायतकर्ताओं ने अपने फीडबैक भी दिए। इनमें से, 99% लोगों ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया।

पड़ोसी निगरानी योजना

7.62 समुदाय की सुरक्षा बढ़ाने तथा अपराध को कम करने के लिए समुदाय के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से, पड़ोसी निगरानी योजना संबंधी तंत्र की शुरूआत की गई है, जिसके तहत समुदाय के निवासियों की क्षमताओं का उपयोग करके आस–पास की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। वर्तमान में, यह योजना 2,659 रिहाइशी कॉलानियों और आवासीय परिसरों में चलाई जा रही है।

निगेहबान

7.63 दिन–प्रतिदिन की चौकसी, अपराध की रोकथाम और अवैध या संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी में क्लोज सर्किट टेलीविजन अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी लोकप्रियता, अधिक जनसंख्या वाली आबादी और आस–पास के क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए, दिल्ली पुलिस गहन पर्यवेक्षण, घटना पश्चात विश्लेषण और अकाट्य कानूनी साक्ष्य का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रही है। प्राप्त विश्लेषणों को लोगों, निवासी एवं मार्केट वेलफेयर एसोशिसनों के साथ साझा किया जाता है जो स्वयं अपनी लागत पर आस–पास के क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर सहमत होते हैं। यह परियोजना हमारे देश में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का अप्रतिम उदाहरण है।

मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई

7.64 इस वर्ष के दौरान एक संगठित तरीके से मादक द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया और भारी मात्रा में मादक द्रव्यों की बरामदगी की गई। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई और मादक पदार्थों की बरामदगी का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई (01.04.2015 से 31.12.2015)	
दर्ज मामले	208
की गई गिरफ्तारियां	276
बरामदगी किग्रा. मे	
स्मैक/हेरोइन	21.171
अफीम	48.610
गांजा	3352.22
कोकीन	1.758
चरस	48.315
पोस्त	528.100

अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई

7.65 दिल्ली में अवैध हथियारों और गोला–बारुद की आसानी से उपलब्धता एक चिंता का विषय है। ये हथियार और गोला–बारुद देश के कतिपय भागों से दिल्ली में लाए जाते हैं। इन सभी चीजों के विनिर्माण और

विपणन की सुविधाओं तथा आपूर्ति की पूरी चेन, आने–जाने के मार्गों, तस्करी के तरीकों, अंतिम प्रयोक्ताओं तथा विनिर्माण के स्रोत का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) के दौरान, 306 अवैध आग्नेयास्त्र, 1,013 गोला–बारूद और 185 तेज धार वाले हथियार बरामद किए गए।

जाली करेंसी

7.66 दिल्ली पुलिस ने भारतीय रिजर्व बैंक, सीमा शुल्क और आसूचना ब्यूरो के सहयोग से जाली भारतीय करेंसी के खिलाफ अभियान चलाया। जाली भारतीय करेंसी नोटों के सभी मामले संसद मार्ग पुलिस थाने में दर्ज किए गए और वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) के दौरान कुल 2.93 करोड़ रूपए (लगभग) मूल्य के जाली नोट बरामद किए गए और 43 मामले दर्ज किए गए हैं।

नई पहलें

7.67 वर्ष के दौरान, विशेष रूप से नई तकनीकों को अपनाकर तथा पुलिस कार्यकरण प्रणाली में ई–प्लेटफार्म का उपयोग करके विभिन्न नई पहलों की शुरूआत की गई। आम लोगों की सुविधा के लिए प्रक्रिया और प्रणालियों को आसान बनाने तथा दिल्ली पुलिस की लोक सेवा प्रदायगी प्रणाली बेहतर बनाने के लिए विभिन्न ऐप्स आरंभ किए गए हैं, जिनमें लास्ट रिपोर्ट ऐप, फाउंड आइटम ऐप, पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र ऐप, दिल्ली पुलिस यातायात ऐप, हिम्मत ऐप, मोटर वाहन चोरी संबंधी मोबाइल एवं वेब ऐप, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट तथा एकल मंच पर सामान्य जनता के लिए सुलभ सभी पुलिस संबंधी ऐपों के लिए वन टच अवे ऐप शामिल हैं।

पुलिस प्रशिक्षण

7.68 दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण विंग में एक प्रशिक्षण कॉलेज, तीन प्रशिक्षण स्कूल, एक विशेषीकृत प्रशिक्षण केन्द्र और एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज दिल्ली पुलिस के विभिन्न रैंकों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित करता है। वजीराबाद और झड़ौदाकलां में स्थित दो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, नव–नियुक्त कांस्टेबलों को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। वर्ष 2015 के दौरान, महिला प्रशिक्षुओं के लिए द्वारका में एक नए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। वर्तमान में, पुलिस में विभिन्न रैंकों के लिए विशेषीकृत पाठ्यक्रम एसटीसी, राजेन्द्र नगर में तथा अपर पुलिस आयुक्त और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम एटीसी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। सभी 6 केन्द्रों में विद्यमान प्रशिक्षण क्षमता लगभग 5,000 है। यहां दिए जाने वाले प्रशिक्षण में विधि–विज्ञान, जघन्य अपराधों की जांच, आर्थिक अपराध, दुर्घटना के मामले, आतंकवाद–रोधी आदि जैसे विविध विषय शामिल हैं।

कल्याण

7.69 दिल्ली पुलिस कल्याण सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। यह सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के तहत आयकर के साथ पंजीकृत तथा धारा 80छ के तहत मान्यता प्राप्त है। दिल्ली पुलिस कल्याण सोसायटी दिनांक 01.04.1990 से कार्य कर रही है और इसकी देख–देख एक प्रबंधन समिति कर रही है। प्रति माह 150 रूपए की धनराशि (अप्रतिदेय 75 रूपए सहित) की कटौती मल्टी टास्किंग स्टाफ सहित सभी रैंकों के पुलिस अधिकारियों के वेतन से अंशदान के रूप में की जाती है। दिल्ली पुलिस कल्याण सोसायटी से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है:–

क्रम सं.	दिल्ली पुलिस कल्याण सोसायटी के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं	राशि
1.	मृतक पुलिस कर्मी के कानूनी उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि संबंधी भुगतान	10,000 रूपए
2.	मृतक पुलिसकर्मी (सभी प्रकार की मौतों के मामले में) के परिवारों को वित्तीय सहायता	5,00,000 रूपए
3.	अस्थायी/पूर्णतः अशक्त होने, जिसके परिणामस्वरूप सेवा से हटाया जा सकता हो, की स्थिति में पुलिस कार्मिक को	2,00,000 रूपए तक
4.	दुर्घटना में अस्थायी रूप से अशक्त होने परन्तु सेवा में बने रहने वाले कार्मिकों को वित्तीय सहायता	2,00,000 रूपए तक (अशक्तता की प्रतिशतता के अनुसार)
5.	प्रति वर्ष 4% के ब्याज की दर से स्वयं (केवल पुरूष)/पुत्र के विवाह के लिए ऋण (जिसकी वसूली प्रतिमाह 2,000/– रूपए की दर से 26 किस्तों में तथा 2,167/–रूपए की 27वीं किस्त के रूप में की जाएगी)	50,000/–रूपए
6.	प्रति वर्ष 4% के ब्याज की दर से स्वयं (केवल महिला) एवं पुत्री के विवाह के लिए ऋण (जिसकी वसूली प्रतिमाह 8,000/– रूपए की दर से 26 किस्तों में तथा 8,667/–रूपए की 27वीं किस्त के रूप में की जाएगी)	2,00,000/–रूपए
7.	उन पुलिस कार्मिकों को जिनके शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे स्व–रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं	20,000/–रूपए (4% ब्याज की दर से ऋण के रूप में)
8.	भरण–पोषण भत्ता के रूप में उन पुलिस कार्मिकों को जिन्होंने चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश लिया है	10,000/–रूपए प्रतिमाह
9.	दिनांक 01.04.2015 से पुलिस कार्मिकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण (जिसकी वसूली प्रतिमाह 4,000/– रूपए की दर से 26 किस्तों में तथा 4,334/–रूपए की 27वीं किस्त के रूप में की जाएगी)	1,00000/–रूपए
10.	मृतक पुलिस कर्मी के शव के लिए परिवहन प्रभार यदि शव को वायु मार्ग से अंत्येष्टि हेतु उनके मूल स्थान पर ले जाया गया हो, वायु मार्ग द्वारा शव को ले जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन	6,000/–रूपए (एकमुश्त)
11.	उन पुलिस कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह, जिनके बच्चे/आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी हेतु आवेदन करते हैं लेकिन जिनके मामले पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के बाद अस्वीकार कर दिए जाते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में भविष्य में अनुकंपा के आधार पर आगे किसी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाता है।	1,00,000/–रूपए
12.	सेवा निवृत्ति/त्यागपत्र/सेवा से निष्कासन/बर्खास्त किए जाने के समय पुलिस कार्मिकों को ब्याज के बिना अंशदान की प्रतिदेय राशि वापस लौटा दी जाएगी	

दिल्ली पुलिस शहीद कोष

7.70 दिल्ली पुलिस शहीद कोष, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। यह सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के तहत आयकर के साथ पंजीकृत और धारा 80छ के तहत मान्यताप्राप्त भी है। इस कोष से निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

1.	सरकारी ड्यूटी के निवर्हन के दौरान 'मृत्यु' की स्थिति में	10,00,000/–रूपए (एकमुश्त)
2.	ड्यूटी के निवर्हन के दौरान शौर्य प्रदर्शित करते हुए मृत्यु की स्थिति में जो केवल प्रत्यक्ष तौर पर बाहरी हिंसा के कारण हुई हो	20,00,000/–रूपए (एकमुश्त)

भूमि एवं भवन

7.71 कुल 190 पुलिस थानों में से 121 पुलिस थाने नियमित भवनों में कार्य कर रहे हैं, 20 भवन निर्माणाधीन है, 12 के पास भूमि उपलब्ध है, 14 पुलिस थाने किराए की जगह और 23 पुलिस थाने अस्थायी ढांचों से काम कर रहे हैं। वर्ष 2015 के दौरान आनंद पर्वत में एक पुलिस थाना भवन, 04 पुलिस चौकी भवनों (पुलिस चौकी भीकाजी कामा प्लेस, सेक्टर–15 रोहिणी में पुलिस चौकी और स्टाफ क्वार्टर, पुलिस चौकी यमुना विहार, सेक्टर–5, बवाना में पुलिस चौकी) तथा सेक्टर–9 द्वारका में 01 डीएपी लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया और ये भवन दिल्ली पुलिस को सौंप दिए गए।

7.72 बजट

योजनेतर

(करोड़ रूपए में)

2014–15		2015–16 (31.12.2015 तक)	
बजट आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट आबंटन	31.12.2015 तक वास्तविक व्यय
4650.08	4606.62	4979.48	3885.78

योजनागत

2014-15		2015-16	
बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	बजट आवंटन	31.12.15 तक वास्तविक व्यय
240.76	239.03	393.40	264.36

दिल्ली यातायात पुलिस

7.73 दिल्ली में विगत कुछ वर्षों से बड़ी तेज गति से जनसंख्यिकीय बदलाव आ रहे हैं। सड़कों पर यातायात को सुचारू बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:–

i. **परिवर्तनीय संदेश वाले साइन बोर्ड:** वर्तमान में, सड़कों पर आगे की स्थिति की जानकारी यातायात पुलिस द्वारा मोटर चालक को फेसबुक, एसएमएस, एफएम रेडियो के माध्यम से तथा प्रेस रिलीज के माध्यम से बनाई गई योजना के दौरान सड़कों को बंद किए जाने के बारे में सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से दी जाती है। महत्वपूर्ण कॉरिडोरों और सड़कों पर प्रमुख स्थानों पर लगाए गए परिवर्तनीय संदेश साइन बोर्डों (बी एम एस) के माध्यम से सड़कों के संबंध में विशिष्ट निर्देश और संदेश प्रदर्शित करके यात्रा समय में विलंब, लम्बी कतारों और यातायात के जाम से बचा जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस प्रकार के 150 वीएमएस बोर्ड लगाए जाने का प्रस्ताव है।

ii. **गति मापने के लिए डे एंड नाइट इंटरसेप्टर (अर्थात सचल गति विधि प्रवर्तन इकाई):** हाल की

प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं अधिक गति और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के कारण होती हैं। निर्धारित गति से अधिक तेज चलने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से, दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने पास मौजूद 11 इंटरसेप्टरों के अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सचल गति विधि प्रवर्तन इकाई (इंटरसेप्टर) के प्रापण का प्रस्ताव किया है।

iii. **कैंटीलीवर पर स्थापित स्वचालित गति उल्लंघन पहचान प्रणाली (अर्थात गैंट्री पर स्थापित गति जांच दिन एवं रात्रि कैमरा):** मौजूदा सड़कों को सिगनल मुक्त सड़क या एक्सप्रेस–वे में परिवर्तित करने से यात्रा की अवधि कम हुई है। तथापि, आजकल, मोटर वाहन चालक निर्धारित सड़क गति से अधिक गति में गाड़ी चलाते हैं। इस गैंट्री पर स्थापित गति पहचान प्रणाली से दिन और रात्रि के दौरान गति उल्लंघनों को पकड़ने में (आईआर लैम्प या फ्लैश सुविधा की सहायता से) सहायता मिलेगी।

iv. **रेड लाइट और गति उल्लंघन जांच कैमरा:** ट्रैफिक सिगनलों या ट्रैफिक सिगनल पर स्टाप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 तक 24 संवेदनशील जंक्शनों पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष के दौरान 8 जंक्शन सभी ओर रेड लाइट और गति उल्लंघन जांच कैमरा स्थापित करने का प्रस्ताव है। औसतन दिल्ली के विभिन्न चौराहों पर प्रतिदिन लगभग 3,500 मैनुअल यातायात चालान किए जाते हैं।

v. **ब्रेथ एनालाइजर:** शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, दिल्ली यातायात पुलिस ब्रेथ एनाइलजरों के साथ संदिग्ध उल्लंघनकर्ताओं की जांच करती है। निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है और उसका वाहन जब्त कर लिया जाता है।

vi. **यातायात मात्रा काउंटर (सचल इकाई):** वर्तमान में, दिल्ली यातायात पुलिस के पास विभिन्न सड़कों और चौराहों पर यातायात के परिमाण को मापने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यातायात के परिमाण को मापे जाने से न्यायसंगत तरीके से सिगनल की अवधि और उसका समय निर्धारित करने में भी सहायता मिलेगी। 12वीं योजना के दौरान इस प्रकार की दो इकाइयां खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

vii. **सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी वैन:** वर्तमान में, दिल्ली पुलिस के पास 06 सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी वैन मौजूद हैं, जो वर्ष 2009 से पहले खरीदी गई थीं। सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिए सड़क प्रयोक्ताओं के संभावित क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए मौजूदा वैनों के अतिरिक्त 04 सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी वैनों की खरीद करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक से अधिक संख्या में सड़क प्रयोक्ताओं और स्कूली बच्चों तक पहुंच बनाने में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की क्षमता बढ़ सकेगी।

viii. **आपदा प्रबंधन वाहन:** वर्तमान में दिल्ली यातायात पुलिस के पास 06 आपदा प्रबंधन वाहन मौजूद हैं, जो वर्ष 2008 से पहले खरीदे गए थे। इन वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक मेसेज साइन बोर्ड, लाइट मास्ट, वाटर पम्प, जनरेटर, चेन सॉ कटर, गैस कटर तथा गिरे हुए पेड़ों, जल जमाव के कारण प्रभावित हुए क्षेत्रों, प्रमुख डायवर्जनों और इस प्रकार की अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अन्य औजार मौजूद हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 06 आपदा प्रबंधन वाहनों की खरीद करने का प्रस्ताव है।

ix. **विभिन्न उपकरणों की जानकारी समेकित करने के लिए यातायात नियंत्रण कक्ष में एकीकरण/सुविधा प्रबंधन का संवर्धन:** यातायात नियंत्रण कक्ष में गैंट्री पर स्थापित गति मापन उपकरणों, रेड लाइट गति उल्लंघन जांच कैमरा, सचल यातायात विधि प्रवर्तन इकाई (इंटरसेप्टर) से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हुए परिणाम संकलित किए जाएंगे ताकि आंकड़ों का मिलान हो सके, यातायात नोटिस/चालान जारी किए जा सकें तथा बार–बार उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा सके जिससे उन्हें पहले की तुलना में अधिक दंड दिया जा सके। ऊपर उल्लिखित

विभिन्न प्रणालियों के सभी घटकों के प्रचालन की निगरानी और प्रबंधन इन प्रणालियों के दक्ष कार्यकरण हेतु यातायात नियंत्रण में एकीकरण के माध्यम से किया जाएगा।

x. **नए ट्रैफिक सिगनलों और ब्लिंकरों का प्रतिष्ठापनः** वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न जंक्शन/चौराहों पर 900 यातायात सिगनल और 454 यातायात ब्लिंकर मौजूद हैं, जो यातायात के परिमाण के आधार पर संबंधित क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त समयावधि के साथ चौबीसों घंटे कार्य करते हैं। नए सिगनलों/ब्लिंकरों को इंडिया रोड कांग्रेस (आईआरसी कोड) में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। रिहाइशी, वाणिज्यिक क्षेत्रों, सड़क नेटवर्क के विस्तार तथा वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण सड़क चौराहों, जंक्शनों, सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों और वाहनों की संख्या के बीच अधिक असमानता को देखते हुए सिगनल आधारित यातायात विनियमन की मांग बढ़ी है। वर्तमान में, यातायात सिगनलों को बीएसईएस और एनडीपीएल से बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली आपूर्ति में बाधा आने से यातायात सिगनल काम करना बंद कर देते हैं, जिससे यातायात संबंधी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण जंक्शन/चौराहे हैं जहां पर न्यूनतम 18 घंटे या चौबीसों घंटे सिगनल आधारित यातायात विनियमन की आवश्यकता होती है। अतः, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 350 जंक्शन/चौराहों पर बैटरी बैकअप उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

लक्षद्वीप

7.74 लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपसमूहों और प्रवाल भित्तियों का एक द्वीपसमूह है, जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। भारत के इस छोटे संघ राज्य क्षेत्र को उसके प्रवाल द्वीपसमूहों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है। इन सुंदर और स्वच्छ द्वीपसमूहों का क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी. है। यहां कुल मिलाकर 36 द्वीपसमूह (3 प्रवाल भित्तियां और 6 जलमग्न रेत तटबंध) हैं, जिनमें से 10 में आबादी मौजूद है जो केरल के पश्चिमी तट पर अरब सागर में लगभग 220 से 440 किमी. क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहां की पूरी स्वदेशी जनसंख्या को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना और नारियल की रस्सी बनाना है। ये द्वीप समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं और इन द्वीपसमूहों पर जाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुमति आवश्यक होती है। कवारती इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान प्रशासन की उपलब्धियों, गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतियों का सार नीचे दिया गया है।

सुविधा क्षेत्र

पत्तन

7.75 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 15 वर्षीय भावी योजना के आधार पर यातायात की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए जहाजों और कार्गो बार्ज के संवर्धन का प्रयास कर रहा है। दिनांक 26.02.2015 को 400 यात्रियों के साथ 250 मीट्रिक टन वाला नया जहाज एम.वी. लागून यात्री बेड़े में शामिल किया गया है।

7.76 ओल्ड मंगलूर पत्तन पर 300X20 मीटर के समर्पित बर्थ के निर्माण के लिए प्रशासन ने 8,000 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर दिए जाने के लिए निदेशक अन्तरदेशीय जल परिवहन, कारवार, कर्नाटक के साथ समझौता किया है और पत्तन एवं अंतरदेशीय जल परिवहन विभाग, कारवार से प्रस्तावित बर्थ की वास्तुविद संबंधी ड्राइंग और डिजाइन तथा वहां निर्मित होने वाली अन्य अवसरंचना के साथ अनुमान तैयार करने का अनुरोध किया है।

विद्युत

7.77 उपभोक्ता बिल एकत्रित करने के लिए नकद धनराशि संग्रहण काउंटर वर्ष 1995 से कम्प्यूटरीकृत है। तत्पश्चात, ऑनलाइन इनवेंटरी मैनेजमेंट, पे रोल, पे बिल, विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रबंधन प्रणाली, ई–बिलिंग एवं उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली जैसे वेब आधारित एप्लीकेशनों की शुरूआत की गई है। उपभोक्ता ई–बिलिंग के लिए

उपभोक्ता ऑन लाइन अदायगी डिजिटल इंडिया साप्ताहिक समारोह के भाग के रूप में आरंभ की गई थी।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

पशुपालन

7.78 पशुओं और पक्षियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या को नियंत्रित करने तथा आपात परिस्थिति से निपटने के लिए मुख्यालय द्वीपसमूह कवारती में एक नैदानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

7.79 पशुधन और पक्षियों में सभी प्रकार के रोगों के खिलाफ त्वरित निवारक उपाय करके, वहीं पर बीमार पशुओ के इलाज तथा अन्य विस्तार संबंधी कार्यों के निष्पादन द्वारा उनमें मृत्यु दर और बीमारी को कम करने के लिए इस संघ राज्य क्षेत्र में भारत की एक पृथक नेटवर्किंग प्रणाली राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली आरंभ की गई है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है

7.80 ताजे और गुणवत्तापरक चारे की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कवारती में एक चारा संयंत्र स्थापित किया गया है और इसमें उत्पादन आरंभ हो गया है।

मत्स्यपालन

7.81 पायलट परियोजना के रूप में, मत्स्यपालन विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र मैसर्स समुद्र शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड अरूर केरल में एक 65" एफआरपी (फाइबर रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक) मत्स्य जलयान के निर्माण का कार्य कर रहा है। इस परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (एनएफडीबी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा किया गया है। यह जलयान लक्षद्वीप में अपने प्रकार का पहला जलयान होगा जिसकी अवधि 10 दिनों की होगी और इसकी क्षमता 10 टन मछलियों की होगी। समुद्र में मछुआरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट जैसे जीवनरक्षक उपकरणों मछुआरों को दिए जाते हैं। 1,000 लाइफजैकेट खरीदे गए हैं।

7.82 एक कम लागत वाला स्वदेशी मत्स्य संग्रहण उपकरण (एफएडी) विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसे लक्षद्वीप के प्रादेशिक जल क्षेत्रों में चुनिंदा स्थानों पर तैनात किया गया है। मछलियों को उतारने की क्षमता के संबंध में एफएडी एक प्रभावी औजार है और इससे पोल और लाइन मत्स्य पालन की आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि तथा टूना स्कूलों के लिए स्काउटिंग टाइम में कमी भी आएगी। एफएडी के कारण समुद्र में स्थानीय मछुआरों का मनोबल बढ़ा है और ईंधन के सदुपयोग में भी सहायता मिली है। द्वीपसमूहों में उन स्थानों पर मछली उतारने में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है, जहां पर हाल में एफएडी लगाए गए थे। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 5 एफएडी प्रतिस्थापित किए गए हैं।

उद्योग

7.83 लक्षद्वीप में पंजीकृत कुल लघु इकाइयों की संख्या 240 है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 140 इकाइयां लघु क्षेत्र की इकाइयों के रूप में, 96 इकाइयां एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तथा 4 इकाइयां उद्योग आधार के अधीन पंजीकृत हैं।

पर्यावरण एवं वन

7.84 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वच्छ भारत अभियान के अनुसरण में प्रशासन ने स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान आरंभ किया और इसका कार्यान्वयन समुचित प्रकार से किया जा रहा है। द्वीपसमूह में हितधारियों के सभी स्तरों पर बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में कार्य योजना तैयार की गई थी और प्रत्येक माह के पहले शनिवार को सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों की सफाई की जाती है, इको–क्लबों की स्थापना की गई है और इन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है तथा प्रत्येक द्वीपसमूह में आवधिक 'श्रम दान' भी आयोजित किया जा रहा है। घर–घर जाकर अपशिष्ट इकठ्ठा किया जा रहा है और उनका निपटान किया जा रहा है तथा इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य चल रहा है।

7.85 पर्यावरण एवं वन विभाग वर्ष 2015–2025 के लिए भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के सहयोग से एक दीर्घकालीन प्रवाल भित्ति निगरानी कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए

भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण को वार्षिक अनुदान प्रदान कर रहा है। परियोजना के प्रस्ताव में 10 वर्षों के लिए 11,06,27,285.00 रूपए (ग्यारह करोड़ छः लाख सताइस हजार दो सौ पचासी रूपए) की धनराशि की परिकल्पना की गई है। इस वर्ष के दौरान 1,19,76,700 रूपए की राशि आवंटित की गई है।

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

7.86 लक्षद्वीप प्रशासन के लिए शिक्षा प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और वर्ष 1956 के दौरान एक संघ राज्यक्षेत्र बन जाने के बाद लक्षद्वीप में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। 1960 के दशक के प्रारंभ में 09 प्राथमिक स्कूलों और केवल एक हाई स्कूल होने की स्थिति से लेकर अब यहां शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर को शामिल करते हुए 68 शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। छात्रों की संख्या भी बढ़कर चौदह हजार हो गई है जिससे यह पता चलता है कि स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। जहां तक साक्षरता का संबंध है, लक्षद्वीप देश में तीसरे स्थान पर आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की समग्र साक्षरता दर 92.28% है और अगला लक्ष्य शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का है।

7.87 12वीं पंचवर्षीय योजना में मात्रा के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रशिक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सेवाएं लेकर मुख्य भूमि में स्थित संस्थानों में 416 शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कक्षा I से VIII में पढ़ाने वाले 495 शिक्षकों को पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया है। पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान सभी द्वीपसमूहों में सर्व–शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों, पंचायती राज संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों के लिए 3 दिवसीय सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 314 व्यक्ति सम्मिलित हुए।

7.88 लक्षद्वीप में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए कालीकट विश्वविद्यालय के तीन केन्द्रों को संचालित करने हेतु प्रशासन द्वारा दिनांक 30.07.2015 से 29.07.2018 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए कालीकट विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहली बार है कि शिक्षा विभाग ने मुख्य भूमि में स्थित संस्थानों में लक्षद्वीप के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 10 परामर्श केन्द्र (बितरा को छोड़कर प्रत्येक द्वीपसमूह में एक) तथा ऑन–लाइन सीट आबंटन के लिए कोच्चि में एक केन्द्र खोला है। मुख्य भूमि में स्थित संस्थानों में डिप्लोमा/डिग्री/पीजी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में 575 छात्रों के लिए प्रायोजक संबंधी पत्र जारी किए गए हैं।

7.89 जहां तक छात्रवृत्ति का संबंध है, विभाग ने पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य भूमि में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक छूट देने तथा कक्षा VIII से XII के बीच पढ़ रहे द्वीपसमूहों के छात्रों की छात्रवृत्ति पर 806.00 लाख रूपए की राशिका व्यय किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की दर को बढ़ाया है और इस बढ़ी हुई दर का लाभ छात्रों को 01.04.2015 से दिया जा रहा है। चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति और अन्य रियायतों को वहन करने के लिए 11.50 करोड़ रूपए का प्रावधान निर्धारित किया गया है, जिसमें से दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 568.75 लाख रूपए का उपयोग कर लिया गया है।

7.90 मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी बढ़ाया गया है, जिसके तहत, लगभग 12,800 छात्र अपने–अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए एमडीएम के कार्यान्वयन हेतु राज्य अंशदान के रूप में 260.70 लाख रूपए तथा केन्द्रीय अंशदान के रूप में 129.43 लाख रूपए का प्रावधान निर्धारित है।

7.91 वर्ष 2015–16 के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय स्कूली खेल–कूद मिनीकॉय द्वीपसमूह में आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। खेल–कूद की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से, प्रशासन ने अमीनी और अंद्रोथ द्वीपसमूहों में 400 मीटर रनिंग ट्रैक के साथ एक बहुउद्देशीय पूर्णकालिक स्टेडियम के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि अधिगृहीत

की है। टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए लक्षद्वीप की टीम, जिसमें 12 खिलाड़ी शामिल थे, ने मुरादाबाद (उ.प्र.) में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेल–कूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

7.92 प्राथमिक स्तर पर अवसंरचना संबंधी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2015–16 के दौरान कवारती में जेबीएस (पूर्व) जी़+2 भवन तथा कादमत द्वीपसमूह में जेबीएस (उत्तर) का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। शिक्षा विभाग ने मुख्य भूमि में स्थित संस्थानों में समय पर प्रवेश पाने के लिए ऑन–लाइन परामर्श प्रणाली हेतु एनआईसी द्वारा तैयार किया गया एक एप्लीकेशन सफलतापूर्वक आरंभ किया है।

स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं

7.93 द्वीपसमूहों में 2 अस्पताल, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 लोक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 उप केन्द्र और 2 प्राथमिक उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। विशेष सेवाओं के लिए लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अगाती में राजीव गांधी स्पेशिलिटि अस्पताल कार्य कर रहा है। इन स्वास्थ्य केद्रों में चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। यहां जीवन रक्षक दवाएं और अन्य संभारिकी निःशुल्क मुहैया करायी जाती है। आयुष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए द्वीपसमूह में 07 होम्यो और 08 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां काम रह रही हैं। विशेष उपचार के लिए मुख्य भूमि से बाहर ले जाए गए रोगियों को प्रतिपूर्ति हेतु जिला पंचायतों को 100.00 लाख रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है और इससे 350 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। 610 जननी सुरक्षा योजना और 51 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लाभभोगियों को प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। भारतीय नौसेना की सहायता से कलपेनी, अंद्रोथ और कवारती में विशेषज्ञता संबंधी शिविर आयोजित किए गए हैं और ऑन–लाइन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रारंभ किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऑन–लाइन पंजीकरण और लाइसेंस आरंभ किया है और पेंटावलेंट टीकों की शुरूआत की है।

सहकारिता

7.94 वर्ष 2014–15 के मौसम के दौरान सहकारी सोसायटियों ने 433.88 लाख रूपए मूल्य के खोपड़ा की खरीद की और 425.86 मीट्रिक टन का विपणन किया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

7.95 सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत उचित मूल्य वाली 39 दुकानें चल रही हैं जिसका लाभ 1.5 किमी. के दायरे में रहने वाले लगभग 1,800 लोग उठा रहे हैं। एफसीआई से खरीदे गए खाद्यान्नों को सरकारी चावल गोदाम के साथ–साथ सहकारी आपूर्ति एवं विपणन सोसायटियों की गोदामों में रखा जाता है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 6,421 टन है।

7.96 इन द्वीपसमूहों में विद्यमान विशेष भौगोलिक परिस्थितियों पर गौर करते हुए, भारत सरकार वार्षिक आधार पर चावल आवंटित करती रही है। भौगोलिक स्थिति और दक्षिण–पश्चिम मानसून को देखते हुए, इन द्वीपसमूहों के लिए आबंटन की यह प्रणाली सर्वाधिक उपर्युक्त पायी गई है। इन आबंटन आदेशों के आधार पर, अंद्रोथ द्वीपसमूह/मंगलूर में एफसीआई जैसी केन्द्रीय एजेंसियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदें इन द्वीपसमूहों में भेजे जाने के लिए उठाई जाती हैं। किरासन तेल कालीकट में स्थित इंडियन ऑयल कार्पोरेशन डिपो से लिया जाता है।

7.97 विभाग ने लक्षद्वीप को चीनी की आपूर्ति के लिए सप्लाईको, केरल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

7.98 लक्षद्वीप उन कुछेक राज्यों में से एक है, जिसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित किया है। लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 22,000 (लगभग) की जनसंख्या आती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

7.99 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सभी 17,706 राशन कार्डों के अंकीकरण का कार्य पूरा किया गया है।

7.100 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पारदर्शिता पोर्टल प्रशासन द्वारा पहले ही आरंभ किया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के उद्देश्य से इस संघ राज्य क्षेत्र के मौजूदा राज्य उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग को राज्य खाद्य आयुक्त के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

7.101 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए, लक्षद्वीप प्रशासन ने गरीबी रेखा से ऊपर के 12,147 परिवारों, एएवाई के अंतर्गत 1,067 परिवारों तथा (गैर एएवाई) प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के अंतर्गत 4,203 परिवारों और अन्नपूर्णा के अंतर्गत 37 व्यक्तियों की पहचान की है तथा सभी लाभभोगियों को अंकीकृत राशन कार्ड जारी किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे के अंतर्गत, एएवाई परिवारों को 3.00/रु. किग्रा. की दर से प्रति कार्ड 35 किग्रा. चावल, पीएचएच परिवार के प्रत्येक सदस्य को 3 रु./कि.ग्रा. की दर से प्रति व्यक्ति/माह 5 किग्रा. प्राप्त होगा। अन्नपूर्णा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लाभभोगियों को निःशुल्क प्रति व्यक्ति/माह 10 किग्रा. चावल प्राप्त होगा।

सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था क्षेत्र

पुलिस

7.102 वर्ष 2015 के दौरान सभी द्वीपसमूहों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही। अब तक, कुल 55 मामले दर्ज हुए हैं और इनकी जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जा रही है। पुलिस विभाग ने सभी पुलिस कार्मिकों के ब्लड ग्रुप का एक डेटा बैंक, जिसे शीघ्र पुलिस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, बनाया है ताकि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर खून के जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता की जा सके।

7.103 आगाती और मिनीकॉय द्वीपसमूहों को दिनांक 18.09.2015 की अधिसूचना के तहत प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में घोषित किया गया है। कोच्चि समुद्रपत्तन में स्थित आप्रवासन जांच चौकी की देख–रेख के लिए दो निरीक्षकों और 19 पुलिस कर्मिकों को प्रशिक्षण तथा 28 पुलिस कार्मिकों को टीएनसीएस चेन्नई में कमांडो प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इंडिया रिजर्व बटालियन

7.104 बटालियन ने हेलीपैड के निकट 6,130 वर्ग मीटर तथा मुख्यालय कवारती में बटालियन कार्मिकों के लिए आवास परिसर, प्रशासनिक ब्लॉक और बैरकों के निर्माण के लिए मौजूदा आईआरबी शिविर कवारती में 2,070 वर्ग मीटर भूमि अधिगृहीत की है। निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

मानव संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण

7.105 श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक भर्ती बोर्ड, वायु सेना/सेना भर्ती बोर्ड जैसी विभिन्न भर्ती एजेंसियों के साथ समन्वय किया है तथा कवारती में सफलतापूर्वक एक परीक्षा केन्द्र का निर्धारण सुनिश्चित करवाया है। कवारती में परीक्षा केन्द्र निर्धारित होने से लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न द्वीपसमूहों के लिपिकीय और मल्टी टास्क पदों के इच्छुक उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं। वायु सेना और सेना ने भी अपनी भर्तियों में कवारती को केन्द्र बनाने के लिए सहमति प्रदान की है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक (भर्ती) ने 20 से 23.01.2016 तक कवारती में सेना की भर्ती आयोजित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस विभाग ने रक्षा बल, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भर्ती रैलियों को आमंत्रित करने, सुविधा प्रदान करने तथा आयोजित करने तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उनके रिक्त पदों को भरने में उनकी सहायता करने का प्रस्ताव किया है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के भाग के रूप में, राजकीय आईटीआई, कवारती में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आरंभ किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.106 लक्षद्वीप प्रशासन ने 5 महत्वपूर्ण विभागों (अर्थात विद्युत विभाग, पत्तन, एलपीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं मत्स्यपालन) के 42 स्थलों पर वीसैट प्रतिष्ठापित किया है ताकि एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बैंडविथ पूल के माध्यम से ऑन–लाइन जहाज के टिकट, बिजली बिल आदि जैसी नागरिक केन्द्रित सेवाओं की तेजी से प्रदायगी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से सरकारी कार्यालयों को जोड़ने के लिए कवारती (मुख्यालय) में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी क्रियान्वित की है।

7.107 'भारत को डिजिटल रूप में एक सक्षम समाज और अर्थपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने' की सोच के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तीन महत्वपूर्ण

लक्षित क्षेत्रों में 'अवसरंचना, प्रत्येक नागरिक की सुविधा के रूप में', 'शासन और मांग आधारित सेवा' और 'नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण' शामिल हैं। लक्षद्वीप में दिनांक 01.07.2015 से 07.07.2015 तक डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाया गया। डिजिटल इंडिया सप्ताह समारोह के दौरान नागरिक केन्द्रित दो सेवाएं आरंभ की गईं अर्थात (क) बिजली विभाग के लिए ऑन–लाइन बिल एवं भुगतान प्रणाली, (ख) पत्तन विभाग के लिए एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया और जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया ताकि वे जहाजों की समय सारणी और सीटों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकें।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

7.108 विज्ञान को लोकप्रिय बनाना विभाग की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी द्वीपसमूहों में स्कूलों में विज्ञान क्लब स्थापित किए हैं। छात्रों और आम जनता के लिए सेमिनार, वाद–विवाद, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन अनुसूचित जनजाति छात्रों को विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्होंने कक्षा XII, स्नातक और स्नाकोत्तर कक्षाओं में विज्ञान के विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हों।

7.109 इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉरमेशन, हैदराबाद द्वारा प्रचारित संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र संबंधी परामर्शी–पत्रों का उपयोग लक्षद्वीप के मछुआरों द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान के लिए किया जा रहा है, जहां अधिक से अधिक संख्या में मछली पकड़ी जा सकती हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉरमेशन द्वारा लक्षद्वीप के लिए एक हाई रिजोल्यूशन वाली लहर पूर्वानुमान प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है। दिनांक 15.08.2014 को माइक्रोबॉयोलोजी प्रयोगशाला और मोलिक्युलर बॉयोलोजी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई थीं।

7.110 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भौतिकीय–. रासायनिक तथा जीवाणु आधारित आकलन की निगरानी हेतु सीईएसएस, त्रिवेन्द्रम के सहयोग से वर्ष 1995 के दौरान कवारती में 14 प्रतिनिधि कुंओं की पहचान की थी। इससे स्वच्छता की गुणवत्ता और प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी मिल पाएगी। वर्ष 2000 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधनों (एमआईएनएआरएस) की निगरानी परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली का चयन किया गया था और इसे इन स्टेशनों में सम्मिलित किया गया था।

7.111 राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनएएमपी) के भाग के रूप में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कवारती द्वीपसमूह में दो स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। तदनुसार, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति ने द्वीपसमूहों में वायु प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए 3 रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलरों की खरीद की है।

7.112 भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन (इसरो), बंगलुरू, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सहयोग से इंडियन रीजनल नैवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) स्थापित कर रहा है। इससे भारतीय प्रयोक्ता समुदाय को एल 5 और एस बैंड आवृत्तियों पर नैवीगेशन सिगनल उपलब्ध हो सकेंगे और इसका लक्ष्य अवस्थिति की दृष्टि से 20 मीटर और समय की दृष्टि से 20 नैनोसेकेंड से बेहतर सटीकता मुहैया कराने का लक्ष्य है। आईआरएनएसएस ग्राउंड सेगमेंट के महत्वपूर्ण घटकों में से एक घटक आईआरएनएसएस रेंज और इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (आईआरआईएमएस) नेटवर्क है। इसरो डीएसटी परिसर में पहले ही आईआरएनएसएस रेंज एवं इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित कर चुका है और इसके क्रियाशील होने की प्रतीक्षा कर रहा है।

पर्यटन

7.113 क्रूज जहाजों के लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में सीधे पहुंचने की प्रक्रिया को चुस्त–दुरूस्त बनाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश और यहां से निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में मिनीकॉय और अगाती द्वीपसमूहों को नामोद्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, विश्व के अग्रणी गोताखोरी स्थान के रूप में लक्षद्वीप को बढ़ावा देने के लिए, कवारती, कदमत, मिनीकॉय, कलपेनी और बंगाराम द्वीपसमूह में स्थित 5 गोताखोरी केन्द्रों के साथ स्पोर्ट्स के तत्वाधान में

लक्षद्वीप डाइविंग अकादमी को प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्राइविंग इन्सट्रक्टर (पीएडीआई) द्वारा फाइव स्टार डाइव रिसोर्ट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्टस् (एनआईडब्ल्यूएस), गोवा ने भी लक्षद्वीप इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट, कदमत में वॉटर स्पोर्ट्स के पाठ्यक्रमों के संयुक्त प्रमाणन के लिए सैद्धान्तिक सहमति दे दी है।

ई–बिलिंगः उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान

एम.वी. लैगून जहाज

मत्स्यपालन विभाग के लिए निर्माणाधीन 65'' एफआरपी मल्टी डे फिशिंग जलयान

कावाराती, लक्षद्वीप में दिनांक 01.07.2015 से 07.07.2015 तक आयोजित डिजीटल इंडिया वीक समारोह की झलकियां

पुदुचेरी

7.114 पुदुचेरी विधानमंडल वाला एक संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से अलग चार क्षेत्र अर्थात पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम शामिल हैं। आधार वर्ष 2004–05 के साथ वर्ष 2014–15 में पुदुचेरी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के अग्रिम अनुमानों की गणना चालू मूल्यों पर 25,819.35 करोड़ रु. बैठती है। इससे पिछले वर्ष में 21,061 करोड़ रु. की जीएसडीपी दर की तुलना में विकास दर में 22.60% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 के लिए प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान का आकलन चालू मूल्यों पर 1,75,006 करोड़ रु. किया गया है। इससे पिछले वर्ष (2013–14) में 1,58,630 करोड़ रु. के स्तर में विकास दर में 10.32% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। पुदुचेरी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही विकास संबंधी प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः

विद्युत

7.115 110/22 केवी विलियानूर सब–स्टेशन संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी का सबसे पुराना सब–स्टेशन है। वर्तमान में,

कुल 30 एमवीए की स्टेशन क्षमता के साथ तीन 10 मेगा वोल्ट एम्पीयर विद्युत ट्रांसफार्मर मौजूद हैं। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के नियंत्रणाधीन संचालित सब–स्टेशन का जिम्मा दिनांक 28.10.2004 को विद्युत विभाग ने ले लिया है। 6.26 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 110 केवी और 22 केवी स्विचयार्ड और अन्य उपकरणों, नियंत्रण कक्ष भवन जैसे सब–स्टेशन के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। नए कंट्रोल और रिले पैनलों के साथ नए नियंत्रण कक्ष सहित 110 केवी बेज और सम्बद्ध एलवी बेज सहित कार्यों का पहला चरण दिनांक 20.04.2015 को पूरा हो चुका है। यह कार्य पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है।

विलियानूर 110/22 केवी सब–स्टेशन पर चल रहे नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों की झलक

7.116 बाहोर 230 केवी सब–स्टेशन से इरिपक्कम 110 केवी सब–स्टेशन तक 110 केवी फीडर की क्षमता की विश्वसनीयता बेहतर करने और उसके संवर्धन हेतु 1.38 करोड़ रु. की लागत से 110 केवी लाइन की एक अतिरिक्त सर्किट लगाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य का पहला चरण, जिसमें 62 स्पैनों में से 20 स्पैनों के लिए पैंथर कंडक्टर के साथ दूसरी सर्किट को लटकाने का कार्य शामिल था, पूरा कर लिया गया है। बढे लोड को पूरा करने तथा वोल्टेज विनियमन को बेहतर बनाने, जिससे लाइनों में होनी वाली बिजली की क्षति कम होती है, के लिए विभिन्न क्षमता वाले 57 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और मौजूदा 11 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है।

नगर एवं ग्राम योजना

7.117 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत बस वित्त–पोषण परियोजना के चरण–।। के अधीन 17 स्टैंडर्ड बसें और 7 मिनी बसें खरीदी और चलाई गई हैं।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत खरीदी गई नई स्टैंडर्ड बसें

नगर एवं ग्राम योजना द्वारा क्रियान्वित वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 में शामिल परियोजनाओं/योजनाओं की अद्यतन स्थिति

7.118 पुदुचेरी के लिए व्यापक भूमिगत सीवर योजना के अंतर्गत संग्रहण और वहन प्रणाली के साथ लॉसपेट, पुदुचेरी में एक सीवर संयंत्र क्रियाशील बनाया गया है।

लॉसपेट, पुदुचेरी में सीवर शोधन संयंत्र

लोक निर्माण

7.119 व्यापक जलापूर्ति योजना के अंतर्गत कोदाथूर गांव में 2.01 करोड़ रु. की लागत से 1.5 लाख लीटर क्षमता वाले ओवर हेड टैंक (ओएचटी) का निर्माण आरंभ किया गया है। यह योजना अप्रैल, 2016 तक पूरी हो जाएगी। कुल 2.98 किमी. लंबाई के साथ 21.20 करोड़ रु. की लागत से कराईकल में पश्चिमी बाईपास रोड का काम चल रहा है और यह जून, 2016 तक पूरा हो जाएगा। 6.50 करोड़ रु. की लागत से कराईकल में वंजोर नदी पर "लि मैरे" पुल बनाया जा रहा है और यह मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा।

7.120 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत, 377 मीटर के 2 लेन वाले पुल के निर्माण के लिए 31.56 करोड़ रु. की लागत से आईओसी बॉटलिंग प्लांट, विलियानूर कम्यून, पुदुचेरी के निकट तिरूकांजी में शंकरापारणी नदी पर एक ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कई गांवों को जोड़ने वाला विलियानूर से कुड्डालोर के लिए सबसे कम दूरी वाला मार्ग होगा। इस संबंध में कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा होने की अनंतिम तारीख 31.10.2017 है।

शंकरापारणी नदी पर चल रहा ऊंचे पुल का निर्माण–कार्य

7.121 किरुममपक्कमपेट में 123 लाख रु. की लागत से, बोरवल संप, पंपिंग मेन, पंप सेट आदि जैसे सभी घटकों सहित 1.5 लाख लीटर क्षमता वाली ओवर हेड टंकी के साथ जलापूर्ति प्रणाली का संवर्धन कार्य पूरा किया गया है और इसे क्रियाशील बनाया गया है। इससे क्षेत्र में रहने वाले 3,700 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

किरूममपक्कमपेट में ओवर हेड टंकी

7.122 2.5 लाख लीटर क्षमता वाली ओवरहेड टंकी के साथ 175.00 लाख रूपए की लागत सहित सेंबियापलयम और पुडुकुप्पम गांव के लिए जलापूर्ति सुविधाएं पूरी कर ली गई है तथा दिनांक 30.09.2015 को क्रियाशील बनाई गई हैं।

7.123 सभी घटकों सहित 5 लाख लीटर क्षमता वाली ओवरहेड टंकी के साथ 218 लाख रूपए की लागत से मनाडीपेट कम्युन, पुदुचेरी में थिरूबुवनइ गांव के लिए जलापूर्ति प्रणाली दिनांक 19.10.2015 को क्रियाशील बनाई गई है।

थिरूबुवनई में ओवरहेड टंकी

7.124 48 करोड़ रूपए की लागत से दउलाईस्वरम, आन्ध्र प्रदेश के सर आर्थर काटन बराज जलाशय से यमन क्षेत्र तक जलापूर्ति योजना दिनांक 20.10.2015 को पूर्ण हुई है। यह पानी आन्ध्र प्रदेश से 65 किमी. की दूरी से लाया जा रहा है।

दउलाईस्वरम का सर आर्थर काटन बराज जलाशय

7.125 लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 299 लाख रूपए की कुल लागत से पुदुचेरी क्षेत्र में 26 स्थानों पर रिवर्स ओसमोसिस तकनीक के साथ जलशोधन प्रणाली स्थापित की गई है।

थिरूनल्लार मंदिर नगर परियोजना

7.126 कराईकल के शनीश्वर भगवान मंदिर में उत्सवों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए, वेटिंग शेड, क्यू शेड, सम्पर्क गलियारों, पर्यटक सूचना केन्द्र, कार्यालय ब्लॉक, शॉपिंग किस्योक और शौचालय ब्लॉकों जैसी सुविधाओं के साथ 6.52 करोड़ रूपए की लागत से क्यू कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है।

क्यू काम्पलेक्स, कराईकल

7.127 2.58 करोड़ रूपए की लागत से सभी आवश्यक सुविधाओं सहित कीजावेली गांव, कराईकल में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा हो चुका है।

7.128 157 लाख रूपए की लागत से मन्नाडीपेट कम्यून, पुदुचेरी में थिरूवंडरकायल के गवर्नमेंट हायर सेंकडरी स्कूल के लिए कक्षाओं का निर्माण आरंभ कराया गया था और यह कार्य दिनांक 31.05.2015 को पूर्ण हो चुका है।

थिरूवंडरकायल में गवर्नमेंट हायर सेंकडरी स्कूल

7.129 55 लाख रूपए की लागत से कुरूवीनाथम, बाहुर कम्यून, पुदुचेरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल के लिए कक्षाओं का निर्माण आरंभ कराया गया था और यह कार्य दिनांक 15.07.2015 को पूर्ण हो चुका है।

7.130 120 लाख रूपए की लागत से किरूममपक्कम, बाहुर कम्यून, पुदुचेरी में गर्वमेंट हायर सेंकडरी स्कूल के लिए कक्षाओं का निर्माण आरंभ कराया गया था और यह कार्य दिनांक 15.07.2015 को पूर्ण हो चुका है।

किरूममपक्कम में गवर्नमेंट हायर सेंकडरी स्कूल

7.131 330 लाख रूपए की लागत से मदुकरई, नेटापक्कम कम्यून, पुदुचेरी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के लिए प्रयोगशाला और कम्प्यूटर कक्षों सहित 15 कक्षाओं का निर्माण आरंभ कराया गया था और यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

मदुकरई में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल

7.132 माहे में, कुल 1,780 मीटर की लंबाई वाले रिवर साइड वॉक वे का प्रस्ताव किया गया है। कुल 480 मीटर की लंबाई के लिए 5.67 करोड़ रूपए की लागत से चरण–।।। आरंभ किया गया है और अब तक 120 मीटर लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है।

माहे में रिवर साइड वॉक व

लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्षिक 2014–15 में शामिल परियोजनाओं/योजनाओं की अद्यतन स्थिति

7.133 पुदुचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 45क के 38/175 किमी. पर एलसी 33ए के सड़क पार पुल का निर्माण 35.72 करोड़ रूपए की लागत से प्रस्तावित है ताकि 847.29 मीटर का चार लेन वाला ओवरब्रिज बनाया जा सके। वाया डक्ट भाग के लिए खंभों को खड़े करने का कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य वर्ष 2017 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

100 फुटा रोड, पुदुचेरी पर एलसी 43ए पर चल रहा सड़क पार पुल का निर्माण कार्य

7.134 मन्नाडीपेट कम्युन, पुदुचेरी में केकलापेट और सुथुकेनी गांव को जोड़ने के लिए शंकरापरणी नदी पर ऊंचाई वाले पुल के साथ एनीकट का निर्माण 34.95 करोड़ रूपए की लागत से प्रस्तावित है। 19 स्पैनों में से 14 स्पैन का कार्य (70% कार्य) पूरा हो चुका है। पुल के सभी कार्य दिनांक 31.03.2016 तक पूरे हो जाएंगे।

शंकरापरणी नदी, पुदुचेरी पर चल रहा ऊंचे पुल का निर्माण कार्य

7.135 राष्ट्रीय राजमार्ग 45क पुदुचेरी पर किमी. 180/000 पर कराईकल शहर में थिरूमल्लईरजनार नदी पर प्रमुख पुल का निर्माण कार्य 11.89 करोड़ रूपए की लागत से प्रस्तावित है। हर दृष्टि से कार्य पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन समारोह आयोजित होने वाला है।

अनुसूचित जाति का कल्याण

7.136 "बाबूजी जगजीवन राम छात्रावास योजना" के अंतर्गत केन्द्र सरकार की सहायता के साथ, 44 छात्रों के रहने के लिए कीजाकसक्कुड़ी, कराईकल में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य 2.50 करोड़ रूपए की लागत से पूरा किया गया है।

कीजाकसक्कुड़ी, कराईकल में छात्रों के लिए छात्रावास

7.137 पुदुचेरी अदि–द्रविदार डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 'बाबूजी जगजीवन राम छात्रावास योजना' के अंतर्गत 5.70 करोड़ रूपए की लागत से कृष्णा नगर में गवर्नमेंट गर्ल्स होस्टल का निर्माण और शुभारंभ कराया गया है।

कृष्णा नगर में गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल

स्वास्थ्य

7.138 स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम (कैंसर, मधुमेह, कार्डियो वैस्कुलर एवं हृदयाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया है। इसके भाग के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकलमपक्कम में दिनांक 29.09.2015 को शुरूआती कैंसर जांच शिविर लगाया गया था।

7.139 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पीटल एंड पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टिट्यूट के लिए मल्टी स्लाइस सी.टी. स्कैनर जैसे परिष्कृत उपकरणों की खरीद की गई है। चेस्ट क्लीनिक, पुदुचेरी में दिनांक 20.08.2015 को 31.18 लाख रूपए की लागत से चेस्ट एक्सरे लेने के लिए डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम लगाया गया है।

सरकारी चेस्ट क्लीनिक, पुदुचेरी में प्रतिष्ठापित कम्प्यूटरीकृत डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम

7.140 ग्रामीण क्षेत्रों से आपातकालीन मामलों को लाने के लिए पुदुचेरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पांच नई एम्बुलेंसों की खरीद की गई है और उन्हें सौंप दिया गया है।

कृषि

7.141 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात् 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता' के अंतर्गत पुदुचेरी और कराईकल जिलों में स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) जिला स्तर पर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है ताकि खेती के क्षेत्र में समग्र विकास किया जा सके। एटीएमए ने किसानों को वस्तु हित समूह (कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप) में संगठित करने तथा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाने के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में उनकी क्षमताओं के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2015 के दौरान इस प्रकार के दो एफपीओ अर्थात् पुदुचेरी एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोडूयूसर कंपनी लिमिटेड और हाईटेक हॉर्टीकल्चर प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड पंजीकृत हुए हैं। वस्तु हित समूहों को वर्मी कम्पोस्ट, पशु चारा मिश्रण आदि के स्वदेशी उत्पादन हेतु उद्यमी बनने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

पशु चारा के लिए अजोला खेती का प्रदर्शन

धान में फेरोमोन ट्रैप के प्रयोग का प्रदर्शन

फ्लावर मार्किट, थोवलई में अंतर–राज्यीय परिचय दौरा

7.142 छतों पर शहरी बागवानी/सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसमें प्रति लाभभोगी को 4,000/–रूपए की दर से 75% सब्सिडी लागत के आधार पर उगाने के अपेक्षित साधन, उगाने संबंधी बैग, सब्जियों के बीज, पौधा लगाने संबंधी सामग्री, आर्गेनिक खाद आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

छतों पर सब्जियों की खेती

7.143 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक अनूठी योजना 'मधुमक्खी पालन के माध्यम से पराग कण सहायता' क्रियान्वित की जा रही है मधुमक्खी पालन के बारे में किसानों और शहरी लोगों को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सब्सिडी लागत आधार पर लाभभोगियों को मधुमक्खियों के छत्तों सहित मधुमक्खी पालन संबंधी उपकरण और मधुमक्खी कॉलोनियां वितरित की जा रही हैं।

मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण

7.144 खेती के उत्पादों के भंडारण और सुविधाजनक देख–रेख के लिए विनियमित बाजार समिति हेतु तीन ग्रामीण गोदामों (कराईकल में 2 और यनम में 1) का निर्माण क्रमशः 1.15 करोड़ रूपए और 30 लाख रूपए की लागत से कराया गया है।

विनियमित बाजार, कराईकल में निर्मित ग्रामीण गोदाम

मत्स्यपालन

7.145 किरूममपक्कम राजस्व गांव में सुनामी पीड़ितों के लिए मकानों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के तौर पर 544.24 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2015–16 के लिए 'सजावटी मछली पालन एवं उत्पादन तकनीक' के विषय पर मछुआरिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनांक 09.10.2015 से 11.10.2015 तक एक्वा शो–2015 भी आयोजित किया गया।

एक्वा शो–2015 का शुभारंभ

7.146 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 'बचत सह राहत कोष' के अंतर्गत, प्रति व्यक्ति 1,200 रूपए की दर से 15,501 सक्रिय मछुआरा लाभभोगियों को 186.01 लाख रूपए की राशि का लाभ प्रदान किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित तथा 5.40 करोड़ रूपए की लागत से फिशिंग हार्बर, पुदुचेरी में आइस प्लांट का निर्माण कराया गया है और इसका शुभांरभ दिनांक 18.06.2015 को सम्पन्न हुआ।

फिशिंग हार्बर में आइस प्लांट

शिक्षा

7.147 पहली बार, लोअर किंडरगार्डन (एलकेजी) और अपर किंडरगार्डन (यूकेजी) के सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई हैं ताकि प्री–प्राइमरी स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने, बेहतर बनाने और इसकी सुविधा के उद्देश्य से पुदुचेरी के उन 11,748 सरकारी स्कूली बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं जिन्होंने वर्ष 2013–14 और 2014–15 में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण

7.148 सरकारी/निजी स्कूलों और कॉलेजों के सभी छात्रों के लिए प्रति फेरा एक रूपए की रियायती दर से परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की जा रही हे। पुदुचेरी और कराईकल में स्थित मौजूदा सेंट्रल किचन का नवीकरण किया गया है।

पुदुचेरी में नवीकृत सेंट्रल किचन

7.149 टैगोर आर्ट कॉलेज परिसर में बहु–उद्देशीय इंडोर हाल का निर्माण कार्य 6.00 करोड़ रूपए की लागत से किया जा रहा है।

पर्यटन

7.150 4.92 करोड़ रूपए की लागत से वनस्पति उद्यान का नवीकरण किया गया और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पुदुचेरी के माननीय उप–राज्यपाल द्वारा किया गया।

नवीकरण के पश्चात् वनस्पति उद्यान

7.151 दिनांक 21.06.2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। योग प्रदर्शन कार्यक्रम में 3,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

योग दिवस समारोह

7.152 मुरूनगपक्कम, पुदुचेरी में कला एवं शिल्प गांव एक ऐसा केन्द्र है जो कलाकारों के कौशल और उनकी एकाग्रचित्त मनःस्थिति विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस परियोजना की लागत 5.35 करोड़

रूपए है। लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है और इसका शुभांरभ दिसम्बर, 2015 में होने की संभावना है।

मुरूनगपक्कम में हस्तशिल्प गांव – सामाजिक कल्याण

7.153 पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए दिनांक 21.08.2015 को पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु एक अलग निदेशालय खोला गया है।

पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक अलग निदेशालय का भाुभारंभ

7.154 पुदुचेरी में सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क मिक्सी और ग्राइंडर की आपूर्ति की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

मिक्सी और ग्राइंडर की निःशुल्क आपूर्ति

राजस्व

7.155 7.50 करोड़ रूपए की लागत से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से एक नए आयुक्तालय के तीन मंजिला भवन का निर्माण कराया गया था और इसका शुभांरभ माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 27.08.2015 को किया।

नया आयुक्तालय भवन

चंडीगढ़

प्रस्तावना

7.156 उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की निचली पहाड़ियों में अवस्थित "सुंदर शहर" चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र होने के साथ–साथ दो राज्यों अर्थात् पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने का विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। इस संघ राज्य क्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ, हरा–भरा, सुरक्षित तथा सर्वश्रेष्ठ योजनाबद्ध शहर माना जाता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अवसंरचना तथा अपने नागरिकों की जीवन–दशा में सुधार लाने का सतत प्रयास कर

रहा है। वर्ष, 2015 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने नागरिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां/परियोजनाएं आरंभ की हैं। चंडीगढ़ प्रशासन निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.157 चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी संपर्क केन्द्रों के माध्यम से ई–जिला परियोजना सफलतापूर्वक आरंभ की है। जिला प्रशासन की 4 सेवाएं – आय प्रमाणपत्र, विलंब से जन्म/मृत्यु प्रविष्टि आदेश, आवास प्रमाणपत्र और आश्रित प्रमाणपत्र पर कार्रवाई अब पूर्व–परिभाषित सेवा स्तरों पर इलेक्ट्रानिक आधार पर की जाएगी। जिला पहल से सेवा प्रदायगी में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होने के साथ निवासियों को अपने क्षेत्र में लोक–सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इलेक्ट्रानिक माध्यम से सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बार–बार आने की आवश्यकता नहीं होगी और इस मौजूदा व्यवस्था से अधिकांश सेवाओं के लिए उन्हें एक बार भी आना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, लोगों के सीधे संपर्क वाले विभागों जैसे संपदा कार्यालय, नगर निगम और चंडीगढ़ आवास बोर्ड में संस्थागत सुधार आरंभ किए गए हैं ताकि उन्हें पदाधिकारी केन्द्रित की बजाय प्रणाली केन्द्रित बनाया जा सके। रिकार्डों और फाइलों का अंकीकरण, सेवा की समयबद्ध प्रदायगी के लिए सार्वजनिक शिविरों को आयोजन प्रशासन के निश्चित लक्ष्य हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा "स्मार्ट चंडीगढ़" एप भी आरंभ किया गया है।

शहरी विकास

7.158 अगले 16 वर्षो के लिए शहरी विकास हेतु एक पारदर्शी नीति के तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा तैयार किया गया चंडीगढ़ मास्टर प्लान – 2031 चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारिक राजपत्र में दिनांक 23.04.2015 को अधिसूचित किया गया। यात्रियों की यात्रा संबंधी भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ शहरी परिसर और इसके आस–पास के शहरों से सम्पर्क की सुविधा के लिए मेट्रो रेल, बीआरटी, यात्री रेल प्रणाली और सामान्य नगर बस सेवा वाली एकीकृत मल्टी मॉडल मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 09.07.2015 को पंजाब, हरियाणा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 09.03.2015 को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मोबाइल टॉवर नीति अधिसूचित की गई है ताकि सुरक्षित स्थानों पर अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल कंपनियों को सुविधा दी जा सके। शहरी योजना विभाग द्वारा डिजाइन की गई पर्यावरण भवन बिल्डिंग सेक्टर–19 को हुडको पुरस्कार के लिए ग्रीन बिल्डिंग वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

उद्योग

7.159 माननीय प्रधानमंत्री के 'व्यापार करने की सुविधा' के घोषित लक्ष्य के अनुरूप चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार औद्योगिक नीति तैयार की है जिसके तहत चंडीगढ़ में स्वच्छ, उच्च तकनीक और प्रदूषण रहित उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है तथा आईटीईएस, गोदाम और सर्विस स्टेशनों आदि को जोड़कर अनुमेय गतिविधियों की संख्या बढ़ाई गई है। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रित समिति ने सहमति संबंधी आवेदनों पत्रों के लिए ऑन–लाइन पोर्टल भी आरंभ किया है। सहमति प्रदान करने की शक्ति का विक्रेन्द्रीकरण किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली औद्योगिक नीति–2015 भी जारी की है।

पंजाब, हरियाणा के राज्यपाल तथा प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी और श्रीमती किरण खेर, संसद सदस्य, चंडीगढ़ पहली औद्योगिक नीति – 2015 जारी करते हुए

हरित पहल

7.160 शहर के दक्षिणी भाग में आम जनता को मनोजरंन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 7.84 करोड़ रूपए की लागत से सेक्टर–52 में न्यू गार्डन ऑफ कॉनिफर (28.9 एकड़) तथा सेक्टर–53 में 11.72 करोड़ रूपए की लागत से गार्डन ऑफ स्प्रिंग्स (33 एकड़) का विकास कार्य लगभग समाप्ति पर है।

7.161 कृषि विभाग ने उचित दरों पर शहरी और ग्रामीण लोगों को सब्जियों के गुणवत्तापरक बीज, फूलों और सब्जियों के पौधे, फलों और सजावटी पौधों, कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए पौधा किचन गार्डन नर्सरी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, विभाग 50% की छूट के साथ किसानों को आपूर्ति हेतु गेहूं एवं चारा के उन्नत किस्मों के बीजों की खरीद करता है ताकि गेहूं और चारे के अधिक उत्पादन वाले बीजों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया जा सके तथा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के किसानों को नवीनतम एवं उन्नत खेती की तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से, विभाग विस्तार एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण अध्ययन दौरे/शिविर आयोजित करने की योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और अन्य राज्यों में स्थित अन्य प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों में ले जाया जाता है ताकि वे किसानों को कृषि संबंधी चल रही गतिविधियों को दिखा सकें। विभाग ने गांवों/किसानों के खेतों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं और 246 किसान लाभान्वित हुए हैं।

7.162 चंडीगढ़ प्रशासन ने, चंडीगढ़ को एक माडल सौर शहर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेंकडरी स्कूल, सारंगपुर, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 50 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र तथा सीसीईटी, सेक्टर–26, चंडीगढ़ में 50 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिष्ठापित किया है।

7.163 चंडीगढ़ प्रशासन ने गवर्नमेंट सीनियर सेंकडरी स्कूल, धनास, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में 60 केडब्ल्यूपी ग्रिड सम्बद्ध रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र प्रतिष्ठापित किया है। 100 सरकारी भवनों पर 5.3 मेगावट की कुल क्षमता के साथ ग्रिड सम्बद्ध रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र प्रतिष्ठापित करके सेंचुरी दर्ज की गई है।

आवास

7.164 भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सामान्य स्व–वित्तपोषण आवासीय योजना सेक्टर–63' के अंतर्गत चंडीगढ़ आवास बोर्ड के सेक्टर–63 आवास परिसर का शुभांरभ किया। इसके आबंटियों को स्मार्ट सेवाएं उपलब्ध कराने तथा एक क्लिक के जरिए ये सेवाएं मुहैया कराने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ आवास बोर्ड की मोबाइल ऐप सेवा तथा नागरिक हितैषी वेबसाइट आरंभ की। सितम्बर, 2015 के दौरान मौली जागरण और धनास में चंडीगढ़ स्माल फ्लैट स्कीम, 2006 के अंतर्गत पचास लाभभोगी परिवारों को छोटे फ्लैटों का कब्जा दिया गया। ऊर्जा संरक्षण तथा हरित तकनीकों को अपनाने के प्रयास के तौर पर, सेक्टर–63 में तीन कमरे वाले 336 और दो कमरे वाले 500 फ्लैटों में सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली लगाई गई है। सेक्टर–63 आवासीय परियोजना में, कुल 166 आवंटियों ने रिहाइशी यूनिटों को कब्जा ले लिया है। इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़ प्रशासन ने रिहाइशी यूनिटों के अंतरण के लिए तत्काल सेवा भी आरंभ की है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी सामान्य स्व वित्त–पोषण स्कीम, सेक्टर–63, चण्डीगढ़ के आबंटियों को चाभियां सौंपते हुए

7.165 चण्डीगढ़ प्रशासन ने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना के तहत मौली जागरण में 1,568 छोटे फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया। 100 से अधिक फ्लैट पहले ही लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं और शेष फ्लैट भी लाभार्थियों को सौंपे जा रहे हैं। चण्डीगढ़ प्रशासन ने अनुमोदित योजनाओं से संपदा सेवाओं के साथ सेक्टर 51–ए में 128 दो बेडरूम वाले फ्लैटों का निर्माण शुरू करने का निर्णय किया है।

सड़कें एवं भवन

7.166 वर्ष 2015–2016 के दौरान 104.0 किमी. शहरी सड़कों की री–कार्पेटिंग और 12.9 किमी. नई सड़कों (सिंगल लेन में परिवर्तित) के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 85.72 किमी. शहरी सड़कों की री–कार्पेटिंग और 4 किमी. नई सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। 19.66 किमी. सड़क की री–कार्पेटिंग का कार्य और 2 किमी. नई ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। 10.00 करोड़ रु. की लागत से चण्डीगढ़ शहर के 4 प्रवेश स्थानों के भूदृश्य निर्माण संबंधी कार्य सहित सौन्दर्यकरण का कार्य भी शुरू किया जा रहा है।

7.167 चण्डीगढ़ नगर निगम ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सेक्टर 38, चण्डीगढ़ में एक नए रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन की स्थापना की है। महिला भवन में मुख्य रूप से महिलाओं के लिए एक छत के नीचे कौशल विकास, उद्यमवृत्ति विकास, क्षमता निर्माण, कला और संस्कृति के संवर्धन, स्वास्थ्य संवर्धन संबंधी गतिविधियों की उपलब्धता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 79 कारों की पार्किंग के लिए 27,416 वर्ग फुट के बेसमेंट, आडिटोरियम पुस्तकालय, प्रदर्शनी कक्ष, जिम, रसोई घर, भोजनालय और प्रसाधन ब्लॉकों आदि वाले 21,837 वर्ग फुट के भू–तल सहित 56,765 वर्ग फुट के कुल प्लाट एरिया के निर्माण के साथ भवन के विकास पर कुल लगभग 13.18 करोड़ रु. व्यय हुए हैं। चण्डीगढ़ प्रशासन ने मलोया गांव, चण्डीगढ़ में सामुदायिक केन्द्र भी स्थापित किया है।

7.168 राजकीय पशु चिकित्सालय सेक्टर 22, चण्डीगढ़ में संपर्क सड़क एवं पार्किंग उपलब्ध कराने तथा 25 एमएम मोटी एसडीबीसी लगाने का कार्य पूरा हो गया है। राजकीय पशु चिकित्सालय, मणिमाजरा में रंबल स्ट्रिप लगाने का कार्य भी पूरा हो गया है। राजकीय पशु चिकित्सालय, हल्लूमाजरा की चार दीवारी पर बाड़ लगाने और परिसरों की भूमि समतल करने का कार्य पूरा हो गया है। राजकीय पशु चिकित्सालय धनास के छत वाले क्षेत्र के नीचे फर्श पर टाइल लगाने, शौचालयों के नवीकरण, अस्पताल के बाहरी खुले क्षेत्र में फुटपाथ ब्लॉक लगाने और अस्पताल के भीतर सड़कों की री–कार्पेटिंग का कार्य पूरा हो गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने पुलिस स्टेशन सेक्टर 26, चण्डीगढ़ के पीछे 18 नए टाइप–।। भवनों और 18 टाइप–।।। भवनों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा पुलिस कॉलोनी के 108 टाइप–। भवनों का निर्माण भी पूरा किया गया है।

स्वास्थ्य एवं सफाई

7.169 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ओपीडी और बड़ी शल्य चिकित्साओं के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में से चण्डीगढ़ को प्रथम पुरस्कार और शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चण्डीगढ़ के दो सामुदायिक केन्द्रों को 5 स्टार रेटिंग भी दी गई है।

7.170 राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सेक्टर–32, चण्डीगढ़ में 44.37 करोड़ रु. की लागत से 9 मंजिला नए शैक्षणिक ब्लॉक–ई (4 लाख वर्ग फुट) का निर्माण संबंधी कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है और यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पूरा हो जाएगा। शहर के दक्षिणी भाग में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, सेक्टर 45 में मौजूदा पॉलीक्लीनिक के 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नयन पर 13.43 करोड़ रु. की लागत आई है, जिसका उद्घाटन शीघ्र किया जाएगा। 19.00 करोड़ रु. की लागत से मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेक्टर 32, चण्डीगढ़ के अन्तिम चरण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा जो नौ महीनों की समयावधि के भीतर पूरा किया जाएगा। 2.58 करोड़ रु. की लागत से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर 16 में नर्सिंग कॉलेज ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा। 11.74 करोड़ रु. की लागत से राजकीय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर 16 में 6 मंजिला प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जो नौ माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

7.171 राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सामान्य औषधि एवं त्वचा–विज्ञान विषयों में एम डी (औषधि विज्ञान में डिग्री) शुरू की गई। सभी विशिष्टताओं में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 63 की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान कॉलेजों के अंतर्गत, इस संस्थान की रैकिंग में सुधार हुआ है, जो 22 से 20 हो गई है। बी. एससी. (नर्सिंग) पाठयक्रम और मनोचिकित्सा नर्सिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के साथ नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन विभाग को "सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, 2014" दिया गया। वर्तमान एम्बुलेंस (केन्द्रीय भंडार) के बेड़े में एक नई अत्याधुनिक लाइफ एम्बुलेंस शामिल की गई है, जो मेसर्स आई एस यू जेडयू द्वारा दान की गई है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर–32, चण्डीगढ़ में ई–अस्पताल सेवा शुरू की है।

7.172 1.21 करोड़ रु. की लागत से गांव खुदा अलीशेर की मौजूदा मुख्य सीवर लाइन की वृद्धि संबंधी कार्य शुरू हुआ मलबे के प्राकृतिक ढंग से निपटान हेतु 0.80 करोड़ रु. की लागत से किशनगढ़ और दरिया गांव के नजदीक शास्त्री कॉलोनी के खुले सीवेज के संचयन का कार्य भी शुरू किया गया है ताकि अपरिष्कृत सीवेज का प्राकृतिक रूप से निपटान किया जा सके। जल आपूर्ति के लिए विभिन्न गांवों में 1.50 करोड़ रु. की लागत से 5 नए ट्यूबवेलों की बोरिंग और प्रतिष्ठापन संबंधी कार्य पूरा हो गया है।

7.173 चण्डीगढ़ नगर निगम ने वाटर वर्क्स, सेक्टर 39, चण्डीगढ़ में अपरिष्कृत पानी के भण्डारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्तरोन्नयन संबंधी कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मुख्य नहर से जंदपुर क्षेत्र तक जल आपूर्ति पाइप लाइनों के 5वें और 6ठें चरण के माध्यम से 40 एमजीडी जल आपूर्ति के साथ शहर के पास आगामी गर्मियों से पहले पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। 5वें और 6ठें चरण की जल आपूर्ति पाइप लाइनों संबंधी परियोजना काफी समय से लंबित थी और यह कार्य चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा सरकारों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सका। नगर निगम ने औद्योगिक क्षेत्र, चरण– I। और चण्डीगढ़ के लिए मध्याह्न जल आपूर्ति प्रारम्भ की है। चण्डीगढ़ नगर निगम ने गांव फैदान, चण्डीगढ़ में नए ऊपरी पैदल पारपथ (फुट ओवर ब्रिज) का निर्माण किया है।

7.174 सेक्टर 15, चण्डीगढ़ में जॉगिंग पार्क में सहायक जल की आपूर्ति के लिए हाई डेंसिटी पोली एथिलीन (एचडीपीई) सिंचाई पाइप लाइनों, ब्लॉक सं 2016 और 2017 के सामने, सेक्टर 32 में 4 इंच की डीआई जल आपूर्ति पाइप लाइनों, गोलगप्पा मोहल्ला, गांव बरियल के नजदीक 4 इंच की डी.आई. पाइप लाइन का प्रावधान करने एवं उसे लगाने का कार्य पूरा हो गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर–56 चण्डीगढ़ में वाटर बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया है।

कानून एवं व्यवस्था

7.175 चण्डीगढ़ पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने के लिए प्रशासन द्वारा मौलिक कदम उठाए गए हैं। अपने मामले को जानें, आई क्लिक क्योस्क, मोबाइल सुरक्षा एप, महिला एवं बाल हेल्पलाइन, बलात्कार संकट सहायता केन्द्र, महिला पीसीआर, लाने और ले जाने की सुविधा, ऑपरेशन मुस्कान जैसी पहलें शुरू की गई हैं। प्रतिक्रिया के समय को कम करने के लिए 30 इर्टिगा और 71 बाइक शामिल करके पीसीआर के बेड़े में वृद्धि की गई है। चण्डीगढ़ की सुरक्षा के लिए रात–दिन काम करने वाले कांस्टेबलों के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया है। चण्डीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 17, चण्डीगढ़ में पहला महिला पुलिस स्टेशन शुरू किया है। पटियाला की राव शूटिंग रेंज, सेक्टर 25, चण्डीगढ़ में 3.32 करोड़ रु. की लागत से पिस्तौल रेंज का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, 10.00 करोड़ रु. की लागत से 560 पुलिस आवासों के स्तरोन्नयन का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूरा हो जाएगा।

शिक्षा और खेल–कूद

7.176 चण्डीगढ़ प्रशासन ने 11.53 करोड़ रु. की लागत से गांव धनास साइट–I में और 9.98 करोड़ रु. की लागत से मणिमाजरा में 2 नए राजकीय उच्च विद्यालय शुरू किए हैं जिनका कार्य पूर्ण हो गया है और उनका उद्घाटन कर दिया गया है। 1.99 करोड़ रु. की लागत से वर्तमान राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, मणिमाजरा के विस्तार का कार्य पूर्ण हो गया है और यह अप्रैल, 2015 के दौरान चालू हो गया है। इसके अतिरिक्त, 40.06 करोड़ रु. की लागत से सेक्टर 48–डी, 49–सी, किशनगढ़ और धनास (साइट–2) में 4 नए राजकीय उच्च विद्यालयों का निर्माण संबंधी कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है और यह कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पूरा हो जाएगा। 4.53 करोड़ रु. की लागत से 6 सरकारी स्कूलों में रैंप, सीढियों और शौचालय की सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्य शुरू किया गया। सरकारी स्कूल सेक्टर 34 और 43 में 16.00 करोड़ रु. की लागत से दो खेल अवसंरचना संबंधी कार्य आरम्भ किए गए। 24.00 करोड़ रु. की लागत से क्रमशः सेक्टर 38, 50 और 56 में 3 अतिरिक्त खेल अवसंरचना से संबंधित कार्य आबंटित किए गए हैं। सेक्टर 31 में 23.61 करोड़ रु. की लागत से 4 मंजिला एनसीसी कॉम्पलेक्स का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है और इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। 37.46 करोड़ रु. की लागत से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कामर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्टर 50, चण्डीगढ़ के दूसरे चरण का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। 16.80 करोड़ रु. की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर 11 में नए छात्रावास ब्लॉक के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। चण्डीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेक्टर 26 में उपलब्ध वर्तमान अवसंरचना के विस्तार हेतु 9.52 करोड़ रु. की लागत से एक नए कार्यशाला ब्लॉक ई का कार्य पूर्ण हो गया है।

संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री विजय देव राजकीय उच्च विद्यालय, पॉकेट सं. 8, मणिमाजरा, चण्डीगढ़ का उद्घाटन करते हुए

7.177 टेनिस स्टेडियम (चरण–II), सेक्टर 10, चण्डीगढ़ में 3.05 करोड़ रु. की लागत से हेल्थ क्लब का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है। एथलेटिक क्लब, सेक्टर 7 में 3.00 करोड़ रु. की लागत से मल्टीपरपज हॉल का निर्माण और 8.66 करोड़ रु. की लागत से स्पोटर्स स्टेडियम, मणिमाजरा में खेल अवसंरचना संबंधी कार्य प्रारम्भ हुआ।

पर्यटन

7.178 चण्डीगढ़ प्रशासन, 6 राष्ट्रों के राष्ट्रपारीय श्रृंखलाबद्ध नामांकन के भाग के रूप में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में कैपिटल कॉम्पलेक्स के उत्कीर्णन के संबंध में चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा की गई पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वर्ष 2015 के दौरान चण्डीगढ़ पर्यटन ने अनेक पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें रोज फेस्टिवल, विश्व संगीत दिवस, चण्डीगढ़ मैराथन, विश्व पर्यटन सप्ताह और चण्डीगढ़ कार्निवल शामिल हैं।

कल्याणकारी पहलें

7.179 समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन, निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन और विधवाओं के आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता जैसी पेंशन स्कीमों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। यह विभाग आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण कर कर रहा है। यह विभाग कुल 20,518 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रहा है। इस विभाग ने सभी पेंशनधारियों के खातों को आधार से जोड़ दिया है और अब चण्डीगढ़ के 20 ई–संपर्क केन्द्रों पर नई प्रणाली के माध्यम से पेंशन संवितरित की जा रही है।

परिवहन

7.180 सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तीनों शहरों में वातानुकूलित और गैर–वातानुकूलित बसों के लिए एकीकृत परिवहन सेवाओं के संबंध में दैनिक बस पास प्रणाली शुरू की है। शहर के ई–संपर्क केन्द्रों पर मासिक, तिमाही और अर्ध–वार्षिक आधार पर विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी एवं

सामान्य पास भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय की अपेक्षा के अनुसार, परिवहन विभाग ने जे एन यू आर एम स्कीम के तहत प्राप्त की गई बसों के संचालन, योजना, विनियमन, निगरानी और समन्वय के लिए चण्डीगढ़ नगर बस सेवा सोसाइटी नामक एक विशिष्ट उद्देश्य वाहन शुरू किया है। 125 बसों को संचालित करने के लिए चण्डीगढ़ के रायपुर कलां में 6.5 एकड़ क्षेत्र में एक नया बस डिपो विकसित किया जा रहा है। परिवहन विभाग औसतन 10 मिनट के अंतराल पर 24 शहरी मार्गों (12 अनुप्रस्थ और 9 उर्ध्वाकार मार्ग) और 8 उप–नगरीय मार्गों सहित अपने मार्गों को गंतव्य आधारित मार्ग प्रणाली से ग्रिड प्रणाली में परिवर्तित करके युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में है। ये मार्ग सभी ग्रिडों में रेखाकार हैं और यात्री एक बार बस बदलकर तीनों शहरों में यात्रा कर सकता है। आईएसबीटी–43 में 2.56 करोड़ रु. की लागत से संलग्न शौचालय के साथ एक वातानुकूलित प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसे इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

7.181 चण्डीगढ़ प्रशासन भविष्य में भी प्रगति और विकास की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा। स्मार्ट सिटी परियोजना प्रारम्भ होने वाली है। प्रशासन अपने नागरिकों को सकारात्मक रूप से शामिल करेगा और शहर में सर्वांगीण विकास करेगा। चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन का एक अन्तरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन में स्तरोन्नयन करने के लिए एक विस्तृत रेलवे विकास योजना प्रस्तावित है ताकि यात्रियों को सड़क आधारित प्रणाली से रेल की ओर मोड़ा जा सके। तदनुसार, रेलवे प्राधिकारियों को एक जर्मन परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 9.7.2015 को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

दादरा एवं नगर हवेली

7.182 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 3,43,709 (1,93,760 पुरुष और 1,49,949 महिलाएं) है। इसका कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग किमी. है और यह दो इन्क्लेव अर्थात (1) दादरा और (2) नगर हवेली से मिलकर बना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस संघ राज्य क्षेत्र में 65 गांव, 05 जनगणना शहर, 01 नगर परिषद, 01 जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यह संघ राज्य क्षेत्र गुजरात के वलसाड जिला और महाराष्ट्र के थाणे जिला के साथ सटा हुआ है।

प्रशासन

7.183 दादरा एवं नगर हवेली में एक जिला और एक तालुका शामिल है। तथापि, राजस्व प्रशासन के उद्देश्य के लिए सभी 72 गांवों/नगरों को 11 पटेलाड्स में विभाजित किया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई विधायिका नहीं है। प्रशासक, प्रशासन के प्रमुख होते हैं तथा उनकी सहायता के लिए विकास आयुक्त, वित्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए, निर्वाचित सदस्यों को शामिल करते हुए 20 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक जिला पंचायत तथा एक नगर परिषद है जिसमें 15 वार्ड शामिल हैं। उन सभी को अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार सभी मामलों में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सभा में एक सीट आबंटित है, जो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है।

7.184 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में कुल 72 गांव हैं, जिनमें से 5 गांवों को वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान जनगणना शहर के रूप में घोषित किया गया था। 2 जनगणना शहरों को सिलवासा नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया गया था और 65 गांव ग्रामीण गांव हैं (इस प्रकार 5 जनगणना शहर + 1 सिलवासा नगर पालिका (2 शहर) + 65 ग्रामीण गांव = 72 गांव हैं)।

राजस्व प्राप्तियां

7.185 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2015–16 (31.12.2015 तक) के दौरान 486.68 करोड़ रु. का राजस्व संग्रहीत किया, जिसके दिनांक 31.3.2016 तक 725.00 करोड़ रु. हो जाने की संभावना है।

योजनागत आबंटन और व्यय

7.186 वर्ष 2015–16 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र को 750.00 करोड़ रु. की निधि आबंटित की गई थी, जिसकी तुलना में दिनांक 31.12.2015 तक 610.69 करोड़ रु. का व्यय पहले ही किया जा चुका है और मार्च, 2016 के अंत तक 750.00 करोड़ रु. के कुल आबंटन का पूर्ण उपयोग कर लिए जाने की संभावना है।

विद्युत

7.187 प्रशासन देश में सबसे कम मूल्य–दर पर गुणवत्ता वाली विद्युत उपलब्ध कराने के सभी प्रयास कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र में दादरा एवं नगर हवेली विद्युत वितरण निगम स्थापित किया गया है और वर्ष 2012–13 से कार्यशील है। विद्युत क्षेत्र में आरंभ की गई मुख्य परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. 30.31 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से प्रस्तावित 400 केवीए कला एस/एस से 220 केवी की पारेषण लाइन को 220 केवी खरदपाड़ा एस/एस के साथ आपस में जोड़ना।

ii. 12.96 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 220/66केवी खडोली उप–केन्द्र को 2X160 एमवीए से बढ़ाकर 3 X160 एमवीए करना।

iii. 220 केवी की पारेषण लाइन को प्रस्तावित 400 एलवीए कला एस/एस से 220 केवी खरदपाड़ा एस/एस के साथ आपस में जोड़ना। (योजना लागत 19.88 करोड़ रु./आरईसी 49.74 करोड़ रु.)।

iv. गांव वागछिपा एस/एस में 2X160 एमवीए, 220/66 केवी की स्थापना (योजना लागत 67.54 करोड़ रु.)।

दिनांक 16.2.2015 को आरंभ 66/11 के वी सब–स्टेशन, कला

सड़क एवं पुल

7.188 वर्ष 2015–16 के दौरान सड़क एवं पुल के तहत निम्नलिखित मुख्य कार्य पूरे किए गए हैं:

सड़क

- विभाग द्वारा मोटा रांधा से नाना रांधा प्राथमिक विद्यालय (3.60 किमी.) तक की सड़क को 1 लेन से 2 लेन में चौड़ा किया गया/परिवर्तित किया गया (कुल 7.00 किमी.)।
- रखोली–स्याली सड़क (2.00 किमी.) और मंडोनी सड़क (2.60 किमी.) को डेढ़ लेन से 2 लेन में चौड़ा किया गया/परिवर्तित किया गया।
- दुधानी में सड़क को डेढ़ लेन से 2 लेन में चौड़ा करने/परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।

खनवेल–खेड़पा सड़क का चौड़ीकरण (चरण–II) (12.00 किमी.)

किलवानी चौक से सिल्ली फाटक तक 4 लेन की सड़क का निर्माण

पुल

- 12.36 करोड़ रु. की लागत से अथल, 13.78 करोड़ रु. की लागत से रखोली, 6.25 करोड़ रु. की लागत से पिपरिया और 11.85 करोड़ रु. की लागत से

अग्रिवाड़ में ऊंचे पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया, जिन्हें निक्षेप कार्य के रूप में ओआईडीसी को दिया गया था।

- विभाग द्वारा सिल्ली मुख्य सड़क (2.75 करोड़ रु.), उमरकुई–हतपाड़ा (3.54 करोड़ रु.), कराड सड़क (2.76 करोड़ रु.) पर ऊंचे पुलों (कुल 03 पुल) का निर्माण पूर्ण किया गया।

- 11.08 करोड़ रु. की लागत से पिपरिया नदी पर कृषि फार्म के निकट डोकमर्दी में ऊंचे पुल का निर्माण चल रहा है और आरसीसी गर्डर तथा स्लैब की कास्टिंग का कार्य पूरा हो गया है और सिलवासा की ओर पहुंच मार्ग प्रगति पर है।

- विभाग ने कौंचा में पुल के निर्माण हेतु परामर्शदाता का निर्धारण कर दिया है जिसकी डीपीआर और आरसीसी डिजाइन पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। इन पुलों की अनुमानित लागत लगभग 45 करोड़ रु. है। कौंचा में पुल के परामर्शदाता ने डीपीआर और आरसीसी डिजाइन भी तैयार कर लिया है जिसे अंतिम डिजाइन हेतु आईआईटी मुम्बई भेजा जा रहा है जो दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण हो जाएगा।

- 0.88 करोड़ रु. की लागत से रांधा परजाईपाड़ा, 1.38 करोड़ रु. की लागत से रांधा वंगनपाडा, 1.12 करोड़ रु. की लागत से रांधा खोरीपाड़ा, 1.92 करोड़ रु. की लागत से बोन्टा, 2.26 करोड़ रु. की लागत से सिन्दोनी पटेलवाड़ा, 2.15 करोड़ रु. की लागत से खेडपा और 2.10 करोड़ रु. की लागत से कला कार्चगाम में ऊंचे छोटे पुलों का निर्माण प्रगति पर है और सभी आरसीसी स्लैब एवं दोनों ओर पहुंच मार्ग पूर्ण हो गए हैं। तथापि, डामर का काम फरवरी, 2016 तक पूर्ण हो जाएगा।

वर्ष 2015–16 के दौरान दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 07 (सात) पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

करचोंड में ऊंचे पुल का निर्माण (4 लेन का पुल)

ऊंचे अग्रिवाड़ पुल का निर्माण

पिपरिया में ऊंचे पुल का निर्माण

जारी मुख्य कार्य

- सक्षम प्राधिकरण द्वारा 48,57,75,537 रु. की राशि से सिलवासा शहर के एबी, जीएच और एचए भागों के लिए 4.30 किमी. के रिंग रोड (प्रथम चरण) के निर्माण हेतु ए ए और ई एस पहले ही अनुमोदित कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा इसके लिए पहले ही निविदा आमंत्रित की गई है।
- बिलधारी/गुनसा गांव में पुल के लिए डिजाइन और अनुमान की पहले ही जांच की गई है और विभाग ने निविदा आमंत्रित की है।
- सिलवासा–खनवेल सड़क पर रखोली पुल से खडोली जंक्शन तक राज्य राजमार्ग को चार–लेन (सीएच 7/2 से 12/4) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन मिलते ही 24.00 करोड़ रु. की लागत से चार लेन का कार्य आरम्भ किया जाएगा। सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।
- सिलवासा किलवानी सड़क पर डेयरी फार्म से सिल्ली फाटक तक चार लेन की सड़क के निर्माण कार्य के संबंध में पहले ही निविदा जारी की गई है और कार्य शीघ्र आरंभ होगा।

कमांड क्षेत्र विकास (नहर का कार्य)

- विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले लघु और उप–लघु नहर भागों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 10.00 किमी. की लम्बाई तक नहर की विशेष मरम्मत और गाद निकालने का कार्य किया है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 50.00 किमी. लम्बी नहर के लिए मरम्मत कार्य/गाद निकालने का कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

भवन

दिनांक 31.10.2015 तक 04 हॉस्टल भवनों और 01 प्राथमिक विद्यालय भवन पूर्ण किए गए और उनका उद्घाटन किया गया

सिलवासा में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण

7.189 **पर्यटन**

अथल में दमनगंगा नदी के किनारे का विकास

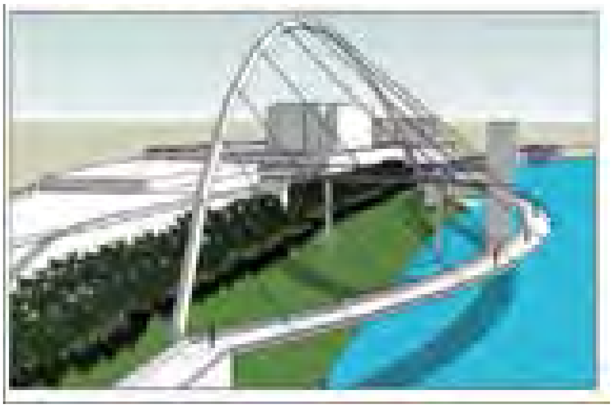

मुख्य योजनाएं

- पीपीपी आधार पर तम्बू शिविर स्थल।
- फिल्म सिटी/मनोरंजन केन्द्र की योजना।
- दमनगंगा नदी, अथल में नदी के किनारे का विकास।
- जॉगिंग ट्रैक (01 किमी.) के साथ नक्षत्र वन उद्यान (चरण–II, 05 हेक्टेयर)।
- कला केन्द्र, राज्य पुस्तकालय, बैंक्वेट हॉल।
- शहरी हाट एवं राज्य संग्रहालय।
- सिलवासा में सम्मेलन केन्द्र/सभागार ।

दमनगंगा नदी के किनारे का विकास (पूर्वी किनारा)–पुश्ता–दीवार का निर्माण–चरण–।

- 1500 मी. लंबी पुश्ता दीवार की परियोजना
- निविदा राशि=12.89 करोड रु.
- पूर्ण कार्य = 90%
- आगे का शेष कार्य विद्यमान शवदाहगृह को पुनर्स्थापित करने के बाद भूमि उपलब्ध होने पर आरम्भ किया जाएगा।
- पीडब्ल्यूई–I से निक्षेप कार्य

आरम्भ होने की तिथिः 08.11.2013

पूर्ण होने की तिथिः 30.06.2015

(90% पूर्ण)

दमन गंगा नदी के किनारे का विकास, चरण–II

- नदी के किनारे पैदल मार्ग, एस–प्लाजा, एल–प्लाजा, ए–प्लाजा, सुरक्षा सतर्कता, पवेलियनों और जल मूर्तिकला आदि की परियोजना।
- निविदा राशिः 25.51 करोड़ रु.
- कार्य प्रगति पर : 10 प्रतिशत
- बाढ़ के पानी की निकासी, पैदल पथ के उप आधार का कार्य और एल–प्लाजा तथा एस–प्लाजा के आधार का कार्य प्रगति पर है।
- पीडब्ल्यूडी–I से निक्षेप कार्य

आरम्भ होने की तिथिः 20.03.2015

पूर्ण होने की तिथिः 19.07.2016

सैली में स्पोर्टस् काम्प्लैक्स

- परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं
- परियोजना में क्रिकेट स्टेडियम,
- व्यायाम एवं खेलकूद क्षेत्र,
- सभी अन्य आउटडोर खेल सुविधाएं
- क्लब हाउस, होटल
- फुटबाल स्टेडियम के पवेलियन के ऊपर तनने वाली छत कवरिंग
- प्रवेश, प्लाजा
- सामान्य लैंडस्केपिंग और पार्किंग शामिल हैं।
- चरण–वार कार्यान्वयन मॉडल को अंतिम रूप दिया गया।
- क्रिकेट स्टेडियम को प्रथम चरण में आरंभ किया जाएगा। परामर्शदाता द्वारा आकलन प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच की जा रही है।
- पीडब्ल्यूडी–I से निक्षेप कार्य
- अनुमानित लागतः 40.00 करोड़ रु. (क्रिकेट स्टेडियम चरण–I) टी.एस. प्राप्त किया गया।
- कुल अनुमानित लागतः 135 करोड़ रु.

स्वास्थ्य

7.190 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित नेटवर्क के माध्यम से लोक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैंः

(क) विद्यमान अवसंरचना :

- जिला अस्पताल :01 आयुर्वेदिक यूनिट :01
- सी.एच.सी. :01 पी.एच.सी. :09
- उप–केन्द्र :56 ब्लड बैंक :01
- बिस्तरों की संख्या : 484 108 डायल वाली एम्बुलेंसों की संख्या:12
- ट्रॉमा केन्द्र : 01
- एकीकृत परामर्शदात्री एवं परीक्षण केन्द्र (एचआईवी) : 01
- मनोचिकित्सा केन्द्र :01
- आपातकालीन मेडिकल सेवा (108 डायल): ग्रामीण क्षेत्र में 11 मिनट और शहरी क्षेत्र में 5 मिनट से कम
- गैर आपातकालीन मेडिकल हेल्प लाइन (104 डायल): 24X7 परामर्शी सेवा
- जिले में 01 किमी. के अंदर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास हेतु विजन दस्तावेज जारी किया गया है।

(ख) **मटरू समृद्धि योजना** में 924 लाभार्थियों को लाभ हुआ है जिसमें दिनांक 31.12.2015 तक लाभार्थी के खाते में 46,20,000/– रु. जमा किए गए हैं।

(ग) **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** आरम्भ किया गया है, जिसमें दिनांक 31.12.2015 तक 4,1511 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सुविधा दी गई है।

(घ) जेएसएसके के तहत **पहली सवारी** भी आरंभ की गई है जिसमें माता और नवजात शिशु घर से ले जाने और घर तक छोड़ने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिनांक 31.12.2015 तक 3,334 लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया है।

(ङ) **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रारंभिक देखभाल केन्द्र शामिल हैं। आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0–6 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की देखभाल की जाएगी। वर्ष 2015–16 के दौरान, दिनांक 31.12.2015 तक 148 स्कूलों के 36,897 छात्रों और 515 आंगनवाड़ी केन्द्रों के 17,795 बच्चों की जांच की गई है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (किशोर स्वास्थ्य)	1. स्कूलों में किशोर लड़कों एवं लड़कियों तथा स्कूल न जाने वाली लड़कियों को साप्ताहिक आयरन और फोलिक अनुपूरण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। सफलता की औसत दर 81% है। 2. आत्म विश्वासी बनने की योजनाः दिसम्बर, 2015 के माह में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाना है। 3. एएफएचसी ने 1433 किशोरों का पंजीकरण किया।
उन्नत इमेजिंग सेंटर का उद्घाटन	केन्द्र नवीनतम अवसंरचना के साथ 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, 1.5 टेस्ला एमआरआई, डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत रेडियोग्राफी प्रणाली, मैमोग्राफी, ओपीजी की सुविधा उपलब्ध है।
जिला प्रारंभिक देखभाल केन्द्र का उद्घाटन	केन्द्र को 0–6 आयु के बच्चों की जाँच पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बाल हितैषी तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें एन्थ्रोपोमेट्री किट, आडियोलॉजी और स्पीच थेरैपी सहायक उपकरण, विशेष रूप से डिजाइन किए गए सेंसर एकीकरण कक्ष, 3डी वर्णमाला और संख्याओं से सुसज्जित विशेष शिक्षा सुविधाओं, अलग दंत और नेत्रविज्ञान विंग, क्लीनिकल मनोविज्ञान सुविधा और खान–पान के साथ खेल के क्षेत्र पर बल दिया गया है।
ई–आरोग्य का शुभारम्भ	एंड्रोइड वर्जन पर विकसित जन स्वास्थ्य मॉड्यूल में वास्तविक समय के आंकड़े लेने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसके लिए एएनएम को इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट्स दिए गए हैं। यह एप्लिकेशन वेब आधारित है जो सभी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों के मेडिकल आंकड़ों तक सहज पहुंच के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को आपस में जोड़ता है। साफ्टवेयर में इलेक्ट्रानिक पेशंट फोल्डर, सेंट्रल स्टोर मॉड्यूल, एसएमएस एकीकरण आदि की अनन्य विशेषता है।
नौका एंबुलेंस एवं फेरी का शुभारंभ	संघ राज्य क्षेत्र ने नौका एंबुलेंस पर उन्नत लाइफ केयर सपोर्ट की विशिष्ट योजना आरंभ की है। कुछ ऐसे गांव हैं जो नदी के पार हैं और सड़क से मरीजों को ले जाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसे पानी के मार्ग द्वारा कम करके 25–30 मिनट कर दिया गया है। आंतरिक सड़क वाले गावों में सड़क एंबुलेंस ले जाने के लिए फेरी की भी शुरूआत की गई।

(च) दिनांक 21.06.2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 7,952 लोगों ने भाग लिया।

श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल का उन्नयन और विस्तार

उन्नत इमेजिंग सेंटर सह आवास सह शयनागार

ग्रामीण विकास

7.191 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

क्र. सं.	गतिविधियां	उपलब्धि	
		2014-15	2015-16
1	मनरेगा के अंतर्गत सृजित श्रम दिवस	6,699 श्रम दिवस	554 श्रम दिवस
2	पक्की सड़क का निर्माण	37.00 किमी. पूर्ण	15.00 किमी. का कार्य प्रगति पर
3	ग्राम तालाब का निर्माण	08	–
4	इंदिरा आवास योजना के मकान	490 मकान पूर्ण किए गए	172 लाभार्थी–पहली किस्त जारी की गई। 324 लाभार्थी–दूसरी किस्त जारी की गई।
5	व्यक्तिगत पारिवारिक सैनिटरी शौचालय	92 शौचालय पूर्ण किए गए	100 शौचालयों का कार्य प्रगति पर है।
6	सूर्योदय आवास योजना	–	4091 मकानों की मंजूरी 3902 लाभार्थी–पहली किस्त जारी की गई।
7	शवदाहगृह शेड	23 पूर्ण किए गए	50 के लिए निविदा आमंत्रित की गई।

7.192 आंगनवाड़ी (233) और लघु आंगनवाड़ी (49) केन्द्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। एसएनपी के तहत लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:–

एसएनपी लाभार्थी कार्यक्रम

लाभार्थी	कुल
6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे	19,725
पीएम/एनएम	3,177
पोषण घटक के तहत किशोर बालिकाएं	5,775
गैर–पोषण घटक के तहत किशोर बालिकाएं	4,788

जल आपूर्ति

- सिलवासा नगरपालिका क्षेत्र के लिए 15 एमएलडी का नया जलशोधन संयंत्र पूर्ण किया गया और दिनांक 31.5.2015 को आरंभ हुआ।
- दुधानी पटेलाद के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का चरण–। और चरण–।। पूर्ण किया गया और दिनांक 31.05.2015 से आरंभ किया गया।
- नरोली, समरवरणी और दादरा पटेलाद के लिए 49 करोड़ रु. की निविदा लागत के साथ 14 एमएलडी के लिए एकीकृत जल प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जानी है।

दुधानी एवं मंडोनी पटेलाड के लिए जलापूर्ती परियोजना

सिलवासा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति परियोजना

सिंचाई

(i) मोटा रांधा में कोलक नदी पर रोकबांध–सह–सेतु पथ का निर्माण पूर्ण किया गया और उसका उद्घाटन किया गया।

(ii) कुल 101 रोक बांधों का निर्माण किया गया है और वर्ष के दौरान 20 रोक बांधों का प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षा

I उच्च माध्यमिक स्तर तक

शिक्षा का स्तर	संस्थाओं की संख्या			
	सरकारी	निजी		कुल
		सहायता प्राप्त	गैर–सहायता प्राप्त	
प्राथमिक	157	8	10	175
उच्च प्राथमिक के साथ प्राथमिक	114	0	13	127
केवल उच्च प्राथमिक (के.जी.बी.)	1	0	0	1
प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के साथ केन्द्रीय विद्यालय	1	0	5	6
उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक (नवोदय विद्यालय)	1	0	0	1
केवल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक (1 आरसीएस)	1	4	4	9
केवल माध्यमिक	11	0	0	11
उच्चतर माध्यमिक के साथ माध्यमिक	12	0	0	12
केवल उच्चतर माध्यमिक (उच्चतर माध्यमिक गुजराती टोकरखाड़ा)	1	0	0	1
कुल–I	**299**	**12**	**32**	**343**

II. उच्चतर शिक्षा

शिक्षा का स्तर	संस्थाओं की संख्या			
	सरकारी	निजी		कुल
		सहायता प्राप्त	गैर–सहायता प्राप्त	
डिग्री कॉलेज	1	0	1	2
फार्मेसी	0	0	1	1
बी.एड.	0	0	1	1
प्रबंधन (एमबीए)	0	0	1	1
होटल प्रबंधन एवं खानपान	1	0	0	1
पॉलीटेक्निक	1	0	0	1
आईटीआई	1	0	0	1
कुल–II	4	0	4	8
कुल योग–I +II	**303**	**12**	**36**	**351**

क. सरकारी कॉलेज "डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कालेज" का नया भवन तैयार हो गया है और सितम्बर, 2015 के माह में इसका उद्घाटन कर दिया गया है।

ख. उच्चतर/तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास

- सरकारी कॉलेज : 01
- आई टी आई (सरकारी) : 01
- पॉलीटेक्निक (सरकारी) : 01
- होटल प्रबंधन एवं खानपान (सरकारी) : 01

ग. मुख्य योजनाएं

- खनवेल में विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र
- 5 वर्षों में वार्षिक रूप से 5,000 लोगों को प्रशिक्षण
- आईटीआई/पॉलीटेक्निक का आधुनिकीकरण
- होटल प्रबंधन के लिए पीपीपी परियोजना

टोकरखाड़ा में मॉडल स्कूल

औद्योगिक विकास

• औद्योगिक सम्पदा	:	49
• औद्योगिक इकाइयां	:	3275
• पूंजीगत निवेश	:	20,000 करोड़ रु.
• उद्योगों में रोजगार	:	1,20,000

मुख्य क्षेत्र

- समूचे देश के उत्पादन में 80 प्रतिशत अंशदान/योगदान के साथ दादरा एवं नगर हवेली भारत के बुनावट वाले धागे की राजधानी है।
- वस्त्र धागा प्रसंस्करण, प्लास्टिक, कागज, रासायनिक सामग्री उत्पादक, धातु आधारित इकाइयां आदि।
- दिनांक 22 जनवरी, 2015 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई।
- दिनांक 30.06.2015 को नई निवेश संवर्धन योजना, 2015 घोषित की गई।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र

- कौशल विकास।
- व्यापार करने की सुविधा।
- निवेशक के अनुकूल वातावरण।
- पर्यटन अवसंरचना का विकास।
- निवेशक सुविधा पोर्टल आरंभ किया गया।
- श्रम प्रधान और हरित उद्योगों को प्रोत्साहन।

7.193 सारथी बस सेवा

- 6 बसों के साथ दिनांक 2.8.2014 को **'सारथी बस सेवा'** आरंभ की गई।
- निवासियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, समयबद्ध और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराई गई।
- 03 अलग–अलग मार्ग, सिलवासा से मधुवन और सिलवासा से नरोली तथा वापस एवं सिलवासा सक्युर्लर मार्ग।
- सभी दिन प्रातः 6.30 से रात्रि 10.30 तक चलती है।

सूचना प्रौद्योगिकी "डिजिटल इंडिया"

क. हाल की पहलें:

- समय सुधिनी सेवा के तहत 22 विभागों की 145 सेवाएं।
- परिवहन, वैट, भूमि रिकार्ड, ई–स्टैम्पिंग, दस्तावेज पंजीकरण, बिजली बिल आदि कम्प्यूटरीकृत।
- दादरा एवं नगर हवेली में स्थित 211 सरकारी कार्यालयों में से 150 कार्यालयों को संघ राज्य क्षेत्र/व्यापक क्षेत्र नेटवर्क से जोड़ा गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 सरल सेवा केन्द्र।
- सुरंगी में एक बीटीएस (बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन) स्थापित किया गया।
- कोषागार और एचआरएमएस परियोजना कार्यान्वयन हेतु तैयार है।

ख. कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

- संघ राज्य क्षेत्र डाटा केन्द्र।
- विभिन्न पर्यटन स्थलों पर वाई–फाई।
- उत्पाद शुल्क, नगरपालिका, पीडीएस–सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एनएलआरएमपी–राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाओं, ओआईडीसी आदि का कम्प्यूटरीकरण।
- अपराध एवं आप्रवासन आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण।
- बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, ई–अधिप्राप्ति आदि।

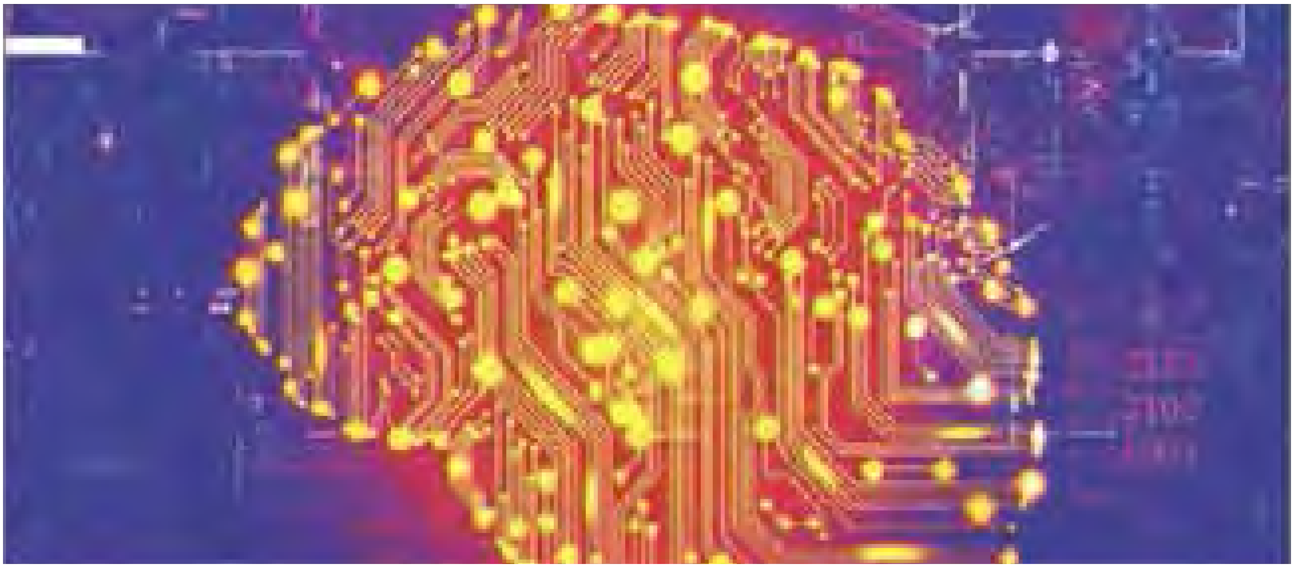

प्रधानमंत्री की पहलें

जन धन योजना

- जन धन योजना के तहत 65,101 बैंक खाते खोले गए हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- दिनांक 22 जनवरी, 2015 को ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान आरंभ किया गया।
- मोबाइल प्रदर्शनी वैन जागरूकता के लिए सभी पंचायतों/नगरपालिका क्षेत्र को कवर कर रही है।

स्वच्छ भारत अभियान

- दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 से एक सप्ताह पूर्व "स्वच्छ भारत अभियान" आरम्भ किया गया।
- अभियान में स्थानीय निकायों के सभी चुने हुए सदस्यों ने भाग लिया।
- शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित आधार पर आरंभ किया जा रहा है।
- 01 मई, 2015 को प्रातः 7.00 बजे से 10.00 बजे तक सभी गांवों में "श्रमदान" और "स्वच्छता अभियान" मनाया गया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

दिनांक 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नामतः प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना आरम्भ की गई, जिसके अंतर्गत 37,241 से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया।

सभी के लिए आवास

सूर्योदय आवास योजनाः

मकान बनाने के लिए उन लाभार्थियों को 1,50,000 रु. की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रु. से कम है।

- वर्ष 2015–16 के लिए कुल 2,010 मकान मंजूर किए गए।
- 1,589 लाभार्थियों को 5.99 करोड़ रु. की राशि की पहली किस्त जारी की गई।

सिलवासा में कला केन्द्र का निर्माण

मोटा रांधा में कोलक नदी पर रोकबांध सह सेतुपथ/पुल का निर्माण

दमन और दीव

क्षेत्रफल, जनसंख्या और अवस्थति

7.194 दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में दो जिले नामतः दमन और दीव हैं। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किमी. है (दमन 72 वर्ग किमी. और दीव 40 वर्ग किमी.)। जनगणना 2011 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव की कुल जनसंख्या 2,43,247 (दमन–1,91,173 और दीव 52,074) है। दोनों जिले भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय दमन में है।

7.195 दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र है और केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र को 539.14 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) आबंटित किए गए थे। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने योजनागत निधि आबंटन में से 538.56 करोड़ रु. (99.89 प्रतिशत) खर्च किए। वर्ष 2015–16 के लिए योजनागत आबंटन 723.60 करोड़ रु. है। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनेक वर्षों से स्पष्ट बीसीआर (चालू राजस्व से शेष) दे रहा है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2013–14 के दौरान 752.53 करोड़ रु. और 2014–15 के दौरान 721.84 करोड़ रु. के बीसीआर का लक्ष्य प्राप्त किया।

चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई मुख्य विकासात्मक अवसंरचना पहलों का उल्लेख नीचे किया है:–

लोक निर्माण

7.196 **पुल**

- 13 करोड़ रु. की लागत से नानी दमन में पटालिया और गुजरात में उदवाडा गांव को जोड़ने वाली कोलक नदी पर पुल का निर्माण पूर्ण किया गया। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने माननीय प्रशासक और संघ राज्य क्षेत्र के संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिनांक 17.02.2015 को दमन में पटालिया पुल का उद्घाटन किया।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दमन में पटालिया पुल का उद्घाटन करते हुए

- 8.00 करोड़ रु. की लागत से भमनपूजा, मोती दमन से गुजरात राज्य को जोड़ने वाली कलाई नदी पर पुल पूर्ण होने के स्तर पर है।
- घोघला में समानांतर पुल का निर्माण पूरा हो गया है और शीघ्र ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। पुल की लागत 36 करोड़ रु. है।
- दीव में ताड़ में अन्य समानान्तर पुल का कार्य चल रहा है और दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण हो जाएगा। इसकी लागत 12 करोड़ रु. है।
- नानी दमन और मोती दमन को जोड़ने वाली दमन गंगा नदी पर पैदल पुल की आधारशिला रख दी गई है। कार्य चल रहा है और 19.83 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मार्च, 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है।

7.197 **जलापूर्ति और स्वच्छता**

- माननीय प्रशासक ने दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को कलाई नदी, दमन पर पाइप जल आपूर्ति का उद्घाटन किया, जिसे 1.89 करोड़ रु. की लागत से पूर्ण किया गया। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं और जुलाई, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

7.198 **पाइपलाइन परियोजनाएं:**

- 43.00 करोड़ रु. की लागत से जल आपूर्ति लाइन डालने और जल शोधन संयंत्र, दीव का निर्माण चल रहा है।
- मधुबन बांध से दुनेठा, दभेल तक पाइन लाइन डालने और मगरवाड़ा जल शोधन संयंत्र के लिए 49.31 करोड़ रु. की लागत से कार्य चल रहा है। यह परियोजना जुलाई, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

7.199 **जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी)**

- 16.93 करोड़ रु. की लागत से दुनेठा में 17 एमएलडी नए जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य चल रहा है।
- 29.78 करोड़ रु. की लागत से दभेल जल शोधन संयंत्र का 16 एमएलडी से 36 एमएलडी में उन्नयन का कार्य आयोजना के अंतिम चरण में है।
- 23.35 करोड़ रु. की लागत से मधुबन बांध की भामती शाखा नहर पर आधारित मोती दमण की जलापूर्ति योजना का संवर्धन।
- 2.86 करोड़ रु. की लागत से डब्ल्यूटीपी, दभेल में 40 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत हौदी का कार्य चल रहा है।

7.200 **सड़कें**

- 5.67 करोड़ रु. की लागत से 4.00 किमी. लंबी कदय्या से वांकड़, नानी दमन तक सड़कों का सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- 5.89 करोड़ रु. की लागत से मशाल चौक से पटालिया वाया भीमपुर चार रास्ता तक सड़क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.201 **निम्नलिखित मुख्य कार्य चल रहे हैं/ भवन पूर्ण होने के अंतिम चरण में हैं:**

(i) 1.71 करोड़ रु. की लागत से कदय्या, दमन में तटीय पुलिस स्टेशन के जनवरी, 2016 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ii) 6.25 करोड़ रु. की लागत से 62 कमरों के साथ भूतल तथा छह मंजिलों वाले नए सर्किट हाउस भवन के मार्च, 2016 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(iii) 4.74 करोड़ रु. की लागत से सरकारी कालेज, दमन में कला संकाय भवन पूर्ण होने के स्तर पर है।

सरकारी कालेज, दमन में कला संकाय भवन

(iv) 6.43 करोड़ रु. की लागत से बिजली विभाग, दमन के मुख्यालय का भवन पूर्ण होने के स्तर पर है।

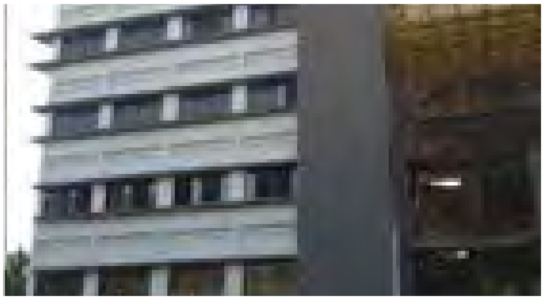

बिजली विभाग का मुख्यालय भवन

(v) 5.31 करोड़ रु. की लागत से सरकारी पॉलीटेक्निक, दमन में सिविल और रासायनिक इंजीनियरिंग भवन के जनवरी, 2016 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(vi) 4.51 करोड़ रु. की लागत से बहु मंजिला कार्यालय परिसर (उद्योग भवन), भेनस्लोर, दमन पूर्ण होने के स्तर पर है।

(vii) 4.15 करोड़ रु. की लागत से मोती दमन में लेखा भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

विद्युत

7.202 विद्युत क्षेत्र में आरम्भ की गई मुख्य परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- माननीय प्रशासक ने दिनांक 25.4.2015 को काचीगाम में बिजली विभाग के केन्द्रीय भंडार भवन का उदघाटन किया जिसे 2.54 करोड़ रु. की लागत से पूर्ण किया गया।

दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के माननीय प्रशासक श्री आशीष कुन्द्रा, श्री लालू भाई पटेल, माननीय संसद सदस्य, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र और श्री संदीप कुमार, विकास आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव की उपस्थिति में काचीगाम में बिजली विभाग के केन्द्रीय भंडार भवन का उद्घाटन करते हुए

7.203 8.50 करोड़ रु. की लागत से दमन जिले के मगरवाड़ा गांव में टर्नकी आधार पर पांच वर्ष के प्रचालन एवं रख–रखाव सहित 1 एमडब्ल्यूपी ग्रिड सम्बद्ध सौर पीवी परियोजना स्थापित की गई है।

दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के माननीय प्रशासक श्री आशीष कुन्द्रा, श्री लालू भाई पटेल, माननीय संसद सदस्य, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र और श्री संदीप कुमार, विकास आयुक्त, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की उपस्थिति में मगरवाड़ा, दमन में 1 एमडब्ल्यूपी ग्रिड सम्बद्ध सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन करते हुए

- 8.38 करोड़ रु. की लागत से 220/66 केवी मगरवाड़ा उप–केन्द्र, दमन की बढ़ी हुई क्षमता स्थापित की गई।

शिक्षा

7.204 गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाईं और कार्यान्वित की जा रही हैंः

- माननीय प्रशासक ने दिनांक 25.04.2015 को दमन पॉलीटेक्निक में कार्यशाला भवन का उद्घाटन किया जिसे 3.68 करोड़ रु. की लागत से पूर्ण किया गया।

दमन पॉलीटेक्निक में कार्यशाला भवन का उद्घाटन

- केवडी, दीव में शिक्षा केन्द्र में 47.98 करोड़ रु. की लागत से सरकारी कालेज और 49 करोड़ रु. की लागत से पॉलीटेक्निक का निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो गया है।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के कौशल उन्नयन पर अधिक बलः गुजरात उच्चतर शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर के विशेषज्ञों द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यमिक शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दमन एवं दीव जिले के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया

- दिनांक 11.06.2015 से 13.06.2015 तक सम्मेलन कक्ष, जिला पंचायत, दमन में सरकारी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल के 60 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षको के लिए अंग्रेजी भाषा के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- दिनांक 19.6.2015 से 23.06.2015 तक सीसीआरटी, नई दिल्ली की सहायता से स्वामी विवेकानन्द सभागार, दमन में 80 सहायक/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए "पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक घटकों के समावेशन" पर कार्यशाला का संचालन किया गया।

- दिनांक 18.08.2015 से 20.08.2015 तक गुजरात शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जीसीईआरटी), गांधीनगर की सहायता से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मारवाड़, दमन में 167 प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन किया गया।

- दिनांक 09.06.2015 को दमन में व्यावसायिक शिक्षा पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- दमन एवं दीव जिले में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें चयनित अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करेंगे।

दमन एवं दीव जिले में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी

- माध्यमिक चरण में विद्यालय के छात्रों की कलात्मक प्रतिभाओं को विकसित एवं प्रदर्शित करने के माध्यम से शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए, "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" विषय के अंतर्गत कला उत्सव का आयोजन किया गया।

- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा–I से VIII तक के 10,278 छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित की गईं।

- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा–I से VIII तक की 3,609 छात्राओं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) दो–दो सेट यूनिफार्म प्रदान किए गए। 3672 छात्रों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) को भी दो–दो सेट यूनिफार्म प्रदान किए गए।

- कम्प्यूटर समर्थित लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत जीएमएस परियारी में स्मार्ट क्लासरूम की शुरूआत की गई है।

- स्वच्छता के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वच्छ विद्यालय एवं स्वच्छता विषय के साथ विद्यालय के स्तर पर चित्रकारी, कविता पाठ, कहानी पाठ, नारा लेखन और निबंध प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

स्वास्थ्य

7.205 प्रशासन इस संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। दभेल और उसके आस–पास के लोग अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांचीगाम पर निर्भर थे और

मारवाड़, देवका, कदैया, भीमपुर तथा नानी वानकड़ गांव के लोग अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता के लिए सरकारी अस्पताल, दमन पर आश्रित थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काचीगाम और सरकारी अस्पताल, मारवाड़ पर मरीजों का भार (ओपीडी और आईपीडी दोनों) बढ़ रहा था। अतः स्वास्थ्य विभाग ने दभेल और भीमपुर (कुंड फलिया) क्षेत्र में दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया ताकि मरीजों के भार को कम किया जा सके और दमन जिले के लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा सकें। संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए दभेल तथा भीमपुर क्षेत्र में दिनांक 02.11.2015 को दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

7.206 वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र में 26 उप–केन्द्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (दभेल और भीमपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित), 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 जिला अस्पताल कार्यरत हैं।

दिनांक 02.11.2015 श्री लालूभाई पटेल, माननीय संसद सदस्य, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र और श्री संदीप कुमार, विकास आयुक्त, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की उपस्थिति में दमन में भीमपुर और दभेल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रशासक, श्री आशीष कुंद्रा

7.207 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काचीगाम, दमन में आयुष अस्पताल और पंचकर्म केन्द्र ने दिनांक 25.04.2015 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिसका निर्माण कार्य 1.67 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया था।

दिनांक 25.04.2015 श्री लालूभाई पटेल, माननीय संसद सदस्य, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र और श्री संदीप कुमार, विकास आयुक्त, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काचीग्राम, दमन में आयुष अस्पताल और पंचकर्म केन्द्र का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रशासक, श्री आशीष कुंद्रा

7.208 वर्तमान में, दमन जिले में तीन 108 डायल वाली एम्बुलेंस अपनी सेवा दे रही हैं और दमन जिले के आपातकालीन हृदय रोगियों के लिए बेहतर एवं त्वरित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए 108 डायल वाली एक अतिरिक्त एम्बुलेंस को भी इस बेड़े में शामिल किया गया है। इस एम्बुलेंस के दमन जिले के स्थानीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मिनट के भीतर पहुंचने और शहरी/नगर पालिका क्षेत्रों में 15 मिनट के भीतर पहुंचने का आश्वासन दिया गया है।

दिनांक 02.11.2015 श्री लालूभाई पटेल, माननीय संसद सदस्य, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र और श्री संदीप कुमार, विकास आयुक्त, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की उपस्थिति में 108 डायल वाली एम्बुलेंस को दमन में झंडी दिखाकर रवाना करते हुए माननीय प्रशासक

7.209 दिनांक 18.01.2015 को पहले चरण के पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 26,916 पात्र बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई गई। पल्स पोलियो कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन दिनांक 22.02.2015 को किया गया जिसमें 26,849 पात्र बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई गई।

7.210 30.97 करोड़ रु. की लागत से दीव में 60 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा होने के चरण में है।

7.211 निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं:

- 10 करोड़ रु. की लागत से सरकारी अस्पताल, मारवाड़ में शल्य चिकित्सा के उपकरणों के साथ माड्युलर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) का निर्माण।
- स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के अधीन जिला स्तरीय अस्पताल से लेकर उप केन्द्र के स्तर तक स्वास्थ्य विभाग का 100% कम्प्यूटरीकरण।

7.212 **पर्यटन**

- दिनांक 07.03.2015 को "सनसेट प्वाइंट", दीव के सौन्दर्यीकरण की आधारशिला रखी गई और 7.57 करोड़ रु. की लागत से सितम्बर, 2016 तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
- दिनांक 07.03.2015 को 3.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दीव में "व्यूइंग डेक ऑन हेरिटेज वाल" के निर्माण की आधारशिला रखी गई।
- 3.42 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से घोघल, दीव में जॉगिंग ट्रैक के सौन्दर्यीकरण की शुरूआत की गई है।
- जम्पोर बीच, दमन में रोमांचकारी क्रीड़ा गतिविधियों की शुरूआत की गई।
- इन्टैक परियोजनाएं: सेंट थॉमस गिरजाघर तथा सेंट फ्रांसिस असीसी गिरजाघर एवं कान्वेंट, दीव का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण, दमन/दीव के लिए एकीकृत विरासत विकास योजना, पानीबाई विद्यालय एवं पानीकोठा, दीव के संरक्षण और अनुकूल बचाव के लिए कार्यादेश जारी किए गए।
- ओ एंड एम विज्ञापन जैसे टीवी कैम्पेन– टीजर विज्ञापन एवं लांच विज्ञापन (अनेक एडिट्स), प्रिंट विज्ञापन–टीजर चरण एवं लांच चरण, रेडियो–टीजर के लिए अनेक स्पॉट्स, आउटडोर कैम्पेन–रिवील चरण के लिए और डिजिटल–फेसबुक पेज, टीजर वेबसाइट(www.ilhadecalma.com),मुख्य वेबसाइट (www.visitdiu.in) और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से मीडिया अभियान की योजनागत गतिविधियों का चरण– I, II, III संचालित किया गया।

7.213 दमन एवं दीव जिले की महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं:

- दिनांक 01.12.2015 से 15.02.2016 तक दीव के लिए बृहत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो एशिया का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला बीच उत्सव होगा।
- मुंबई से दमन एवं दीव के लिए काटामारन (फेरीबोट) की सुविधा।

7.214 **उद्योग**

- "मेक इन इंडिया" अभियान की एकल खिड़की प्रणाली के उद्देश्य के अंतर्गत दिनांक 22.02.2015 को नई औद्योगिक नीति की शुरूआत की गई है।

इससे अगले 5 वर्षों में लगभग 40,000 नए रोजगार पैदा होंगे और 5,000 करोड़ रु. से अधिक के निवेश में सहायता मिलेगी।

- इसमें जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, हल्की अभियांत्रिकी, प्लास्टिक, मार्बल टाइल्स, पर्यटन सृजन एवं मनोरंजन उद्योग शामिल हैं।
- नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य कौशल विकास, व्यवसाय करने में आसानी, निवेशक अनुकूल परिवेश, पर्यटन अवसंरचना का विकास, निवेशक सहायता पोर्टल और श्रम प्रधान एवं हरित उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- उद्योग के लिए एकल खिड़की निपटान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के लिए, जिनमें श्रम, प्रदूषण, पर्यावरण के विनियमों के अनुपालन वाले उद्योग भी शामिल हैं, एक मिश्रित आवेदन प्रपत्र की भी शुरूआत की जा रही है तथा अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त किया जा रहा है और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
- उद्योगों को दिए जाने वाले मुख्य प्रोत्साहन।

7.215 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए योजनाएं।

1) पूंजी निवेश सब्सिडी की सहायता: 25.00 लाख रु. की उच्चतम सीमा के साथ प्लांट और मशीनरी में किए गए निवेश के 10% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी।

2) ब्याज सब्सिडी हेतु सहायता: 5 वर्षों की अवधि के लिए 30.00 लाख रु. प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ 5% की दर से ब्याज सब्सिडी।

3) गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता: इस योजना का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पेश करने हेतु गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है। विनिर्माण क्षेत्र में यथा परिभाषित एमएसएमई सहायता के लिए पात्र होंगे।

4) पेटेंट के पंजीकरण हेतु सहायता: पेटेंट के पंजीकरण संबंधी कार्रवाई करने वाला कोई भी उद्योग इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

5) ऊर्जा एवं जल के उपभोग में बचत हेतु सहायता: ऊर्जा एवं जल के उपभोग में बचत हेतु सहायता संबंधी कार्रवाई करने वाला कोई भी उद्योग सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

6) स्थानीय रोजगार हेतु प्रोत्साहन: यह योजना स्थानीय लोगों हेतु रोजगार पैदा करने के लिए है। संघ राज्य क्षेत्र के आवास/निवास प्रमाण पत्र वाले और विगत 10 वर्षों से संघ राज्य क्षेत्र में साधारणतया निवास करने वाले प्रति 20 स्थानीय लोगों को 3.00 लाख रु. का एकबारगी प्रोत्साहन। प्रत्येक पात्र यूनिट को 15.00 लाख रु. की अधिकतम राशि वितरित की जाएगी। यह योजना अनन्य रूप से दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले स्थानीय लोगों हेतु लगातार 12 माह के लिए नई सीधी भर्ती के लिए है।

कौशल विकास हेतु सहायता

7.216 इस योजना के अंतर्गत, कुशल जनशक्ति विकास की पृष्ठभूमि वाले किसी भी स्वायत्त संस्थान को 1.00 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 25% की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए अपेक्षित भूमि की लागत को छोड़कर भवन, उपकरणों एवं मशीनरियों (संस्थापन लागत सहित), विद्युतीकरण, फर्नीचर में निर्धारित पूंजी निवेश और अन्य विविध निवेश शामिल होंगे।

7.217 **वस्त्र क्षेत्र हेतु योजना**

क) ब्याज सब्सिडी

योजना एवं पात्र गतिविधियां: इसका संवितरण रिंग/रोटर/एयरजेट अथवा किसी अन्य उन्नत यार्न स्पिनिंग, टेक्सचराइजिंग यार्न, अपारेल/गारमेंट्स एवं मशीन कार्पेटिंग, फैब्रिक/गारमेंट फिनिशिंग एवं प्रोसेस हाउस में उधार से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा।

ख) तकनीकी टेक्सटाइल में ब्याज सब्सिडी

योजना एवं पात्र गतिविधियां: तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को उनके कलात्मक अथवा सज्जा संबंधी विशिष्टताओं की बजाय ऐसी वस्त्र सामग्रियों एवं उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से उनके तकनीकी कार्य निष्पादन एवं कार्यकारी गुणधर्मों के लिए किया जाता है। उत्पाद की विशिष्टताओं, कार्यकारी अपेक्षा एवं अंतिम उपयोगकर्ता के आवेदनों के आधार पर, तकनीकी टेक्सटाइल को अत्यधिक विविध रेंज वाले 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

ग) वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं उन्नयन हेतु सहायता

7.218 **योजना एवं पात्र गतिविधियां**

(क) विशेषज्ञतापूर्ण प्रयोग के लिए भारत में पहली बार प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करने वाले उद्योग को इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।

(ख) विशेषज्ञों/अनुसंधान एवं विकास संस्थान और/अथवा तकनीकी कंसलटेंसी फर्म की सेवाओं के माध्यम से ड्राइंग एवं डिजाइन की खरीद तथा प्रौद्योगिकी के विकास सहित प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण किसी भी स्वरूप में हो सकता है।

7.219 **श्रम एवं रोजगार**

- **स्वतः–प्रमाणन–सह–समेकित वार्षिक विवरणी योजना:** दमन एवं दीव प्रशासन ने कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से समझौता किए बगैर इस योजना में शामिल होने की इच्छुक इकाइयों के निरीक्षण के लिए सरकारी अधिकारियों के अनावश्यक दौरों को कम करने और अपने पड़ोसी राज्य गुजरात की तर्ज पर विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत विविध विवरणियों के स्थान पर समेकित वार्षिक विवरणी जमा करने की अनुमति देने के लिए स्वतः–प्रमाणन–सह–समेकित वार्षिक विवरणी योजना की शुरूआत की है।

- **बॉयलरों का तृतीय पक्ष प्रमाणन:** पड़ोसी राज्य गुजरात की तर्ज पर प्रशासन ने बॉयलरों के निरीक्षण एवं प्रमाणन के लिए तृतीय पक्षों को अधिसूचित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.220 प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है:

- परिवहन, वैट, भूमि रिकार्ड, ई–स्टाम्पिंग, दस्तावेज पंजीकरण, मात्स्यिकी, ऊर्जा बिलिंग आदि का कम्प्यूटरीकरण।

- 215 सरकारी प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में से, 212 सरकारी प्रतिष्ठानों/कार्यालयों को यूटी वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जोड़ा गया।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए 8 सरल सेवा केन्द्र।

- दमन जिले के परियारी, भीमपुर, काचीगाम पंचायत और दीव जिले के वानकबारा गांव में सरल सेवा केन्द्र खोले गए हैं। इस केन्द्र में बिजली के बिल के भुगतान, मोबाइल रीचार्ज एवं भुगतान, डीटीएच रीचार्ज, डाटा कार्ड रीचार्ज, एलआईसी के प्रीमियम, आधार कार्ड की प्रतियां प्राप्त करने, रेल और बस के टिकट बनवाने, पैन कार्ड और पासपोर्ट आवेदन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

- परियारी समूह ग्राम पंचायत में बीएसएनएल वाई–फाई हॉटस्पॉट की सुविधा शुरू की गई है।

दिनांक 07.07.2015 को दमन एवं दीव के माननीय संसद सदस्य एवं विकास आयुक्त की उपस्थिति में परियारी समूह ग्राम पंचायत में सरल सेवा केन्द्र का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रशासक

7.221 **कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं**

- यूटी डाटा केन्द्र।
- 9 नए पर्यटक स्पॉट वाले स्थानों में वाई–फाई की योजना।
- उत्पाद शुल्क, नगरपालिका, पीडीएस– सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण–दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक 01.11.2015 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना और एनएलआरएमपी–राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाएं, ओआईडीसी आदि की शुरूआत की गई है।
- 14 विभागों के कार्य संचालन के साथ आधार का एकीकरण।
- सड़क परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणालीः सभी सड़कों का मानचित्रण।
- अपराध एवं आप्रवासन डाटा का कम्प्यूटरीकरण।
- बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली, डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र, ई–प्रापण आदि।
- आधार के नामांकन के लिए 5 स्थानों (दमन में 4 एवं दीव में 1) पर स्थायी नामांकन केन्द्र (पीईसी) की स्थापना की गई है।

7.222 **प्रधानमंत्री की पहल एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां**

प्रधानमंत्री की पहल

जन धन योजना • जन धन योजना के अंतर्गत 22,187 बैंक खाते खोले गए हैं।	
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ • दिनांक 22.01.2015 को ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान की शुरूआत की गई। • जागरूकता रैलियों/रथ का आयोजन।	

स्वच्छ भारत अभियान

- ग्रामीण के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में नियमित आधार पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जा रहा है।
- दिनांक 01.05.2015 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 10:00 बजे के दौरान सभी गांवों में "श्रमदान" और "स्वच्छता अभियान" चलाया गया।

7.223 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- दिनांक 09.05.2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना नामक प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत 24,142 लाभार्थी शामिल हैं।

(लाभार्थियों की संख्या)

क्रम	योजना का नाम	दमन	दीव	कुल
1	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	11,005	4,028	15,033
2	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना	6,765	2,184	8,949
3	अटल पेंशन योजना	138	22	160

7.224 **सभी के लिए आवास**

सूर्योदय आवास योजना

पात्रता

7.225 दमन एवं दीव का ऐसा कोई भी नागरिक, जो दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर भूखण्ड का स्वामी है और जिसके परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/– रु. (एक लाख रु.) से कम है।

डिजाइन एवं निर्माण का स्तर

7.226 सभी घर में जल के प्रावधान और सोखने के गड्ढे के साथ अनिवार्य रूप से एक सैनिटरी शौचालय उपलब्ध होना चाहिए।

कच्चे अथवा जर्जर घरों का उन्नयन

7.227 इस योजना में कच्चे/जर्जर घरों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

7.228 निर्माण के चरण और किस्तें जारी करना

i. पहली किस्त मंजूरी आदेश के साथ दी जाएगी। यह यूनिट की लागत का 25% होगी।

ii. दूसरी किस्त निर्माण कार्य लिंटल के स्तर तक पहुंचने पर दी जाएगी। यह यूनिट की लागत का 60% होगी।

iii. तीसरी किस्त यूनिट की लागत का 15% होगी और वह सैनिटरी शाचालय सहित घर के निर्माण के पश्चात दी जाएगी।

7.229 **लाभार्थियों को भुगतान:** लाभार्थियों को भुग. तान सिर्फ उनके बैंक खातों में सीधे ही किया जाएगा। खाते का विवरण और आधार संख्या आवेदन में ही प्राप्त की जाएगी।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

7.230 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी द्वीपपुंज (आर्किपेलेगो) प्रणाली है जिसमें लगभग 556 द्वीपसमूह, चट्टानें और उप–द्वीप हैं, जिनमें से केवल 37 द्वीपसमूहों में ही लोग रहते हैं। ये द्वीपसमूह "काला पानी जेल" अथवा "काला पानी" के नाम से जाने जाते थे। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य

भूमि से निर्वासित किया गया था और सेलुलर जेल में रखा गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियों के लोग अर्थात् ग्रेट अंडमानीज, ओंगेज, जारवा, सेन्टिनेलीज, शाम्पेन्स और निकोबारीज रहते हैं। जनजातीय आबादी का ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

क्रम सं.	जनजाति का नाम	संख्या
1	अण्डमानीज	61 अब तक
2	ओंगेज	115 अब तक
3	जारवा	451 अब तक
4	सेन्टिनेलीज	50 अनुमानित
5	निकोबारीज	27,686 (2011)
6	शोम्पेन	219 अनुमानित

7.231 निकोबारीज के अतिरिक्त अन्य जनजातियों को विशेष संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक माह पीवीटीजी को वितरण के निर्धारित पैमाने के अनुसार निःशुल्क राशन और अनुपूरक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2015—2016 के लिए वार्षिक जनजातीय उप—योजना का परिव्यय 251.15 करोड़ रु. है, जो विशिष्ट रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित किया गया है। जनजातीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, पेडिट्रिशियन जैसे चिकित्सा विशेषज्ञों वाले विषेशज्ञ सदस्यों के साथ अन्य पीवीटीजी की तरह जारवा जनजाति की सामान्य बीमारियों के लिए एक मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल की स्थापना की गई है। ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह के शाम्पेन जनजाति से संबंधित नीति दिनांक 22.05.2015 को अधिसूचित की गई।

7.232 अगस्त, 2006 में, अंडमान जिले को दक्षिण अंडमान जिला और उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला में विभाजित कर दिया गया था। इसमें छह सब—डिवीजन, नौ तहसीलें और नौ विकास खण्ड हैं। संघ राज्य क्षेत्र में त्रि—स्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है, जिसमें उनहत्तर ग्राम पंचायत समितियां और दो जिला परिषदें शामिल हैं। पोर्ट ब्लेयर शहर के लिए एक नगरपालिका है, जिसमें अठारह निर्वाचित सदस्य और तीन मनोनीत सदस्य हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में संसदीय चुनाव क्षेत्र की एक सीट है।

नौवहन

7.233 ये द्वीपसमूह 4 डिग्री से 6 डिग्री अक्षांश और 92 से 94 डिग्री देशांतर के बीच स्थित हैं। यह भू—भाग द्वीपसमूहों के ही दो समूहों अर्थात् अण्डमान और निकोबार से मिलकर बना है, जो 10^0 जलमार्गों (चैनल्स) द्वारा पृथक किए गए हैं। मुख्य भूमि से वास्तविक दूरी और साथ ही द्वीपसमूहों के बीच की पृथकता की वजह से लोगों के बीच अलग—थलग पड़े होने की भावना पैदा हो गई है। ये द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. और चेन्नई से 1,190 किमी. की दूरी पर स्थित हैं। नौवहन द्वीपवासियों की जीवन रेखा है। इसलिए, मुख्य भूमि और द्वीपसमूहों दोनों के बीच सम्पर्कता एक प्रमुख मुद्दा है। नौवहन सेवाओं का संवर्धन करने के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 25 जलयानों के अधिग्रहण के लिए बनाई गई योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। भारत सरकार की "मेक इंन इंडिया पॉलिसी" की तर्ज पर बड़े पोतों का निर्माण कार्य नामांकन आधार पर कोचीन शिपयार्ड लि. को तथा सभी अन्य छोटे पोतों का निर्माण कार्य उपयुक्त निविदा प्रक्रिया के पश्चात इंडियन शिपयाडर्स को सौंपने का प्रस्ताव है। तदनुसार, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 2X500 यात्री (पैक्स) पोतों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 2X1200 यात्री (पैक्स) पोतों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के ज्ञापन को टिप्पणियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच परिचालित कर दिया गया है। स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 6X250 पैक्स और 4X150 पैक्स वाले हार्बर क्राफ्ट्स के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है और शेष पोतों की निविदा प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने संपूर्ण अंतर्द्वीपसमूह क्षेत्र में पोतों को किराए पर लेने की भी योजना बनाई है। प्रशासन के पोतों की त्वरित एवं अधिक प्रभावी मरम्मत/रीफिटिंग में सक्षम बनाने के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन मौजूदा मैरीन डॉकयार्ड के आधुनिकीकरण की दिशा में भी कार्यरत है। चौरा, टेरेसा और कच्छल में जेट्टी का निर्माण, हैवलॉक में आरसीसी बर्थिंग जेट्टी के विस्तार तथा दक्षिणी अंडमान में स्ट्रेट द्वीप में बर्थिंग हेड का पुनर्निर्माण एवं जेट्टी एप्रोच के विस्तार का कार्य पूरा हो गया है।

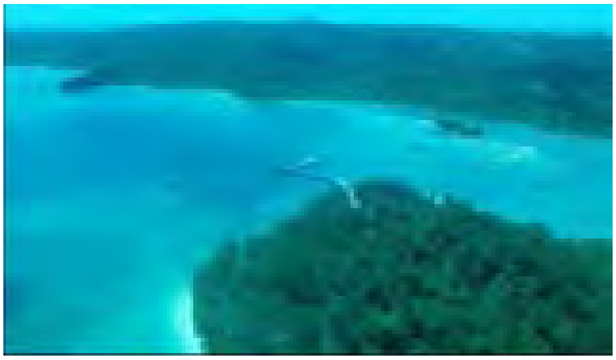

कच्छल में जेट्टी का निर्माण

हैवलॉक में जेट्टी का विस्तार

चौरा में जेट्टी का निर्माण

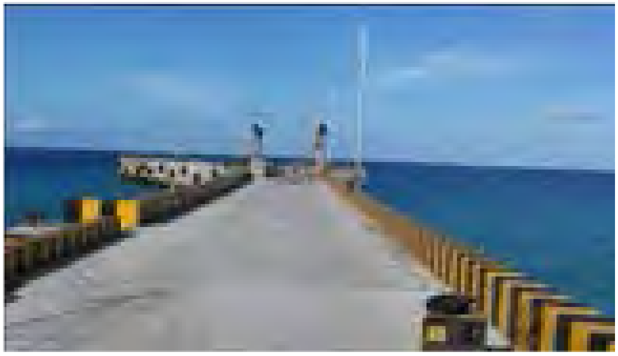

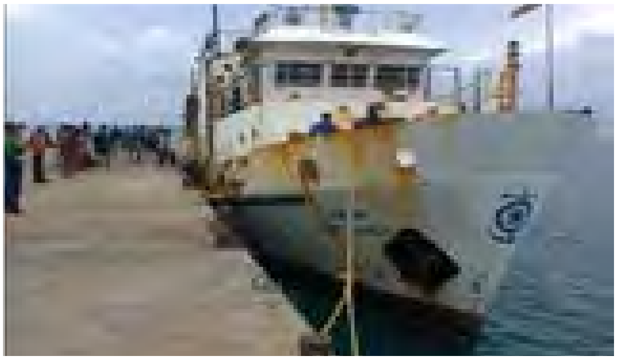

टेरेसा में जेट्टी का निर्माण

परिवहन

7.234 राज्य परिवहन सेवा (एसटीएस) अपनी 14 एसटीएस इकाइयों के माध्यम से, जहां कहीं भी मोटर वाहन योग्य सड़कें मौजूद हैं, वहां लोगों की आबादी वाले द्वीपसमूह में आम लोगों को सस्ती, आरामदायक और कुशल सार्वजनिक सड़क परिवहन उपलब्ध कराती है। परिवहन विभाग 126 मार्गों में 268 बसों के बेड़े का संचालन करके लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। महिला यात्रियों की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग अनन्य रूप से महिलाओं के लिए दो बसों का संचालन कर रहा है। उत्तरी एवं मध्य अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए, विभाग ने दिगलीपुर, मायाबंदर और निम्बूतला के साथ पोर्ट ब्लेयर को जोड़ते हुए रात्रिकालीन बस सेवा की शुरूआत की है। वर्तमान वर्ष 2015–16 में अपने बेड़े को सशक्त बनाने के लिए, विभाग ने लंबी चेसिस वाली 28 बसें खरीदी हैं जिसमें से 16 बसें प्राप्त हो चुकी हैं और उन्हें पृथक इकाइयों में सेवा में लगा दिया गया है। शेष 12 बसें शीघ्र प्राप्त हो जाएंगी।

माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा

दिनांक 26.05.2015 को परिवहन भवन का उद्‌घाटन

एक और महिला स्पेशल बस सेवा शुरू

बिजली

7.235 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 109.45 मेगावॉट की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ लगभग 1.19 लाख उपभोक्ताओं को सभी प्रमुख द्वीपसमूहों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सभी द्वीपसमूहों/स्थलों की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता उपलब्ध है।

स्वास्थ्य

7.236 संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के पास 122 उप–केन्द्रों, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 05 शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों, 02 जिला अस्पतालों, 01 रेफरल अस्पताल, 07 होमियो औषधालयों, 01 आयुर्वेदिक औषधालय और 01 आयुष अस्पताल के रूप में एक सुविकसित स्वास्थ्य अवसंरचना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्वास्थ्य बीमा योजना (एएनआईएसएचआई) के अंतर्गत, 145 मरीजों को मुख्य भू–भाग वाले क्षेत्रों में भेजा गया और उस पर 50,17,712 रु. का व्यय हुआ।

7.237 **चिकित्सा महाविद्यालयः** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को पोर्ट ब्लेयर में स्थित जिला अस्पताल का एक शिक्षण संस्थान के रूप में उन्नयन करके एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 100 सीटों के साथ एक चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने के लिए मंजूरी पत्र प्रदान किया था। इस नए शुरू किए गए अंडमान एवं निकोबार चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एएनआईएमएस), पोर्ट ब्लेयर ने प्रथम वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की। प्रवेश के लिए उपलब्ध 100 सीटों में से, 15 सीटें सीबीएसई द्वारा संचालित ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की मेरिट सूची के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा भरे जाने के लिए निर्धारित थीं। औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात, छात्रों का नामांकन कर लिया गया है और एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए दिनांक 01.09.2015 से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। आशा की जाती है कि पोर्ट ब्लेयर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी के प्रबंध में काफी अधिक सुधार होगा। महाविद्यालय के खुलने से स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है।

शिक्षा

7.238 शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के संबंध में 33 विषयों पर नई शिक्षा नीति से संबंधित परामर्श को सभी स्तरों पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित पोर्टल http://education.andaman.gov.in और एक विशेष एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन "द्वीप शिक्षा" की शुरूआत की गई।

सामुदायिक महाविद्यालय

7.239 इन द्वीपों में पहले सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापना अब दक्षिणी अंडमान जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र, फेरारगंज में की गई है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने इस महाविद्यालय को एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि इन द्वीपों के ग्रामीण क्षेत्र को विकसित किया जा सके। इस महाविद्यालय का औपचारिक उद्‌घाटन दिनांक 23.10.2015 को किया गया। कौशल विकास पर जोर देने की भारत सरकार की नीति की तर्ज पर महाविद्यालय (1) ऑटोमोबाइल की मरम्मत, (2) सॉफ्टवेयर का विकास और (3) वैद्युत उपकरण अनुरक्षण नामक तीन कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के प्रवेश की संख्या 30 है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम बाद में तैयार किए जाएंगे। इन 90 छात्रों को "उपयुक्त कौशल" प्रदान किए जाएंगे जिसका अभिनिर्धारण भागीदार उद्योग के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें "कौशल ज्ञान प्रदाता" कहा जाता है।

सामुदायिक महाविद्यालय का उद्घाटन

कृषि

7.240 तीन उप क्षेत्रों–फसल उत्पादन, मृदा संरक्षण और लघु सिंचाई के अंतर्गत आठ विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग का परिव्यय 1349.00 लाख रु. है। खरीफ 2015 के दौरान, एचवाईवी के अंतर्गत 6,000 और परम्परागत और अन्य उन्नत किस्मों के अंतर्गत 3,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि का उपयोग करते हुए 27,500 मीट्रिक टन धान के उत्पादन का प्रस्ताव है। 5,500 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 45,000 मीट्रिक टन सब्जी के उत्पादन का भी लक्ष्य है। इस संघ राज्य क्षेत्र में फसलें वर्षा सिंचित परिस्थितियों में उगाई जाती है। हालांकि इन द्वीपसमूहों में दोनों मानसूनों में लगभग 3180 एमएम वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की असमान एवं अनिश्चित प्रकृति के कारण दिसम्बर से अप्रैल की अवधि के दौरान और दो निरंतर मॉनसूनों के बीच यहां पानी की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए, इन द्वीपों में लघु सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है। तालाबों एवं पम्पसेटों के माध्यम से सिंचाई की क्षमता पैदा करने के लिए 18.4 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं

7.241 पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग 1,865.00 लाख रु. के परिव्यय से 05 (पांच) विकास योजनाओं के माध्यम से सूचनाएं, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सेवा कवरेज उपलब्ध कराके दुग्ध एवं चारा उत्पाद, मुर्गी पालन, सुअर पालन एवं बकरी पालन के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम संचालित करता है। इस संघ राज्य क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य देखभाल संपूर्ण द्वीपसमूह क्षेत्र में जगह–जगह उपलब्ध 01 पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक, 09 पशु चिकित्सा अस्पतालों, 12 पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों 49 पशु चिकित्सा उप डिस्पेंसरियों और 12 सचल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी के माध्यम से की जाती है। यह द्वीपसमूह पशुओं के गंभीर रोगों, जैसे कि रेबीज, एंथ्रेक्स, एच.एस., रिंडरपेस्ट, बीक्यू आदि से मुक्त है। विभाग संपूर्ण वर्ष के दौरान रोग की निगरानी, रिपोर्टिंग तथा निदान और रोग की मॉनीटरिंग करता है। संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष के दौरान किसी बड़े रोग या महामारी की सूचना नहीं मिली है।

पर्यटन

7.242 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आदिम जनजातियों की नाजुक पारिस्थितिकी और जीवनशैली को नुकसान पहुंचाए बगैर सतत पर्यटन विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि 2012–2017 में 16000.00 लाख रु. के प्रस्तावित परिव्यय के साथ द्वीपसमूह में पर्यटन के संवर्धन के लिए तीन योजनागत स्कीमें तैयार की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित योजना परिव्यय 2712.00 लाख रु. का है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत ऐतिहासिक रॉस द्वीप में लगाया गया साउंड एंड लाइट शो, जो एक महत्वपूर्ण टीआरपी (सुनामी पुनर्वास परियोजना) कार्यक्रम है, बेहद सफल रहा है और यह भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। पर्यटकों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों के अन्य विकल्पों के साथ बीच उत्सव, मानसून पर्यटन उत्सव जैसे अन्य आकर्षक उत्सवों के आयोजन के साथ द्वीपसमूह में पर्यटकों के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है।

बीच फेस्टिवल का आयोजन

तटीय सुरक्षा

7.243 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के साथ लगी लगभग 1,962 किमी. तटरेखा है। बड़े एवं छोटे बंदरगाहों एवं व्यवसाय वाले स्थानों के अतिरिक्त यहां की अधिकांश आबादी वाली बस्तियां तटीय क्षेत्रों में ही हैं। भारतीय नौ सेना और तटरक्षक समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। समुद्री पुलिस बल, जिसे पहले अण्डमान एवं निकोबार पुलिस की तटरक्षक इकाई के रुप में जाना जाता था, उन विदेशी घुसपैठियों पर नजर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जो उन क्रीक्स और छिछले जल क्षेत्रों में चोरी–छिपे घुस जाते हैं, जहां नौसेना और तट–रक्षक के जलयान नहीं जा पाते हैं। ये द्वीपसमूह जलक्षेत्र में समृद्ध समुद्री उत्पादों को लूटने के लिए बसावट रहित द्वीपसमूहों में डेरा डाल देते हैं। तटीय सुरक्षा योजना–।। (2011–2016) के अंतर्गत, मंत्रालय ने 28 मीटर वाले 10 बड़े जलयानों और 23 रिजिड इन्फ्लेटेबल नावों की खरीद और दस मरीन ऑपरेशनल केन्द्रों और दस जेट्टी के निर्माण की मंजूरी दी है।

वन

7.244 इस संघ राज्य क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी. है, जिसमें से 86.93% क्षेत्र, वन–क्षेत्र के रुप में दर्ज है। वनों तथा संपूर्ण द्वीपसमूह की वन्य जीव संबंधी जैव विविधता के संरक्षण, सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए अनेक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। द्वीपसमूह की चीरी गई इमारती लकड़ी की जरुरत को पूरा करने के लिए वन विभाग द्वारा दो सरकारी आरा मिलों नामतः सरकारी आरा मिल, चाथम और बेटापुर का संचालन और अनुरक्षण किया जा रहा है। वन विभाग ने लघु इकाई उद्योगों (एसएसआई) एवं अन्य विभागों सहित स्थानीय लोगों को 5,220 घन मीटर लकड़ी प्रदान की है।

मत्स्यपालन

7.245 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की 1,912 किमी. की तटरेखा है तथा द्वीपसमूहों का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 6 लाख वर्ग किमी. है, जो देश के ईईजेड का लगभग 28% है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को द्वीपसमूह में मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए व्यापक संभावना प्रदान करने वाले क्षेत्र के रुप में जाना जाता है। भारत के मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा की गई 2010 की जनगणना के अनुसार, समुद्री मछुआरों की कुल आबादी 22,188 है, जिसमें से 14,839 मछुआरे अभी सक्रिय हैं। (अगली जनगणना दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016 माह के दौरान संचालित किए जाने के लिए निर्धारित है)। मत्स्य विभाग इन द्वीपसमूहों में मत्स्यन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। तटीय सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस संघ राज्य क्षेत्र के सभी मछुआरों को भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात "समुद्री मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान–पत्र जारी करना" के अन्तर्गत बायोमैट्रिक पहचान–पत्र जारी किए गए हैं। मत्स्यन के विकास की प्रमुख योजनाएं और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i) जाल की मरम्मत के लिए बर्थिंग शेड के प्रावधान, इंजन/नौका की मरम्मत और मछली को सुखाने के प्लेटफार्म के प्रावधान आदि सहित मछली के घाट (फिश लैंडिंग) की सुविधाओं का विकास। वर्ष 2015–16 के अंत तक 40,000 मी. टन मछली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

ii) मछली पकड़ने एवं उसके संवर्धन तथा संसाधन प्रबंधन का विकासः इस योजना में, मोटरयुक्त/मशीनयुक्त मत्स्यन नौकाओं, मत्स्य परिवहन वाहनों आदि की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 के दौरान, सब्सिडी के लिए 107 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

उद्योग

7.246 वर्ष 2015–16 (अक्तूबर, 2015 तक) के दौरान, जिला उद्योग केन्द्र, पोर्ट ब्लयेर द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 78 उद्यम पंजीकृत किए गए जिससे 450 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। 156 व्यक्तियों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से बढ़ईगिरी, सामान्य अभियांत्रिकी, केन एवं बांस हस्तशिल्प, सिलाई और वस्त्र निर्माण की विधाओं में क्षमता–निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, 89 इकाइयों को 33.51 लाख रु. की मार्जिन धनराशि घटक के साथ सहायता प्रदान की गई है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर में सागरिका इम्पोरियम के विस्तार–पटल केन्द्र का शुभारंभ दिनांक 15.10.2015 को किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम

7.247 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत, परिवारों को 181 रोजगार कार्ड जारी किए गए तथा 88,573 व्यक्ति–दिवस का सृजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत 12 निःशक्त व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया।

नागरिक आपूर्ति

7.248 कागज वाले राशन कार्डों के स्थान पर स्मार्ट राशन कार्ड के माध्यम से पीडीएस लेन–देन की सफलता दर को सुनिश्चित करने के लिए उचित दर की तीन दुकानों में स्मार्ट राशन कार्ड के सॉफ्ट परीक्षण की शुरूआत की गई है। इस परीक्षण की शुरूआत में स्मार्ट राशन कार्डों के माध्यम से लेन–देन सफल रहा है। आधार नामांकन चरण–।। के अंतर्गत, इस संघ राज्य क्षेत्र के 90% से अधिक निवासियों का नामांकन किया गया है। आधार के युनिवर्सल कवरेज के उद्देश्य से, एक विशेष अभियान के रूप में विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में विशेष नामांकन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

*****

अध्याय 8

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

8.1 भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केन्द्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को देश की एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों इत्यादि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेवार है।

8.2 यह सेवा 26 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की जाती है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग के ढांचे की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010 में 23 संवर्गों की संवर्ग संख्या की समीक्षा की थी और एक संवर्ग की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी। अब आईपीएस के 26 संवर्गों की संवर्ग समीक्षा का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो वर्ष 2015 में किया जाना अपेक्षित था।

8.3 दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संवर्ग	दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	144
2.	एजीएमयू	295
3.	असम–मेघालय	188
4.	बिहार	231
5.	छत्तीसगढ़	103
6.	गुजरात	195
7.	हरियाणा	137
8.	हिमाचल प्रदेश	89
9.	जम्मू एवं कश्मीर	147
10.	झारखंड	135
11.	कर्नाटक	205
12.	केरल	163
13.	मध्य प्रदेश	291
14	महाराष्ट्र	302
15	मणिपुर	89
16	नागालैण्ड	70
17.	ओडिशा	188
18.	पंजाब	172
19.	राजस्थान	205
20.	सिक्किम	32
21	तमिलनाडु	263
22.	तेलंगाना	112
23.	त्रिपुरा	65
24.	उत्तर प्रदेश	517
25.	उत्तराखंड	69
26.	पश्चिम बंगाल	347
	कुल	**4754**

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद

8.4 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्वस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको (i) भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और (ii) पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

बुनियादी पाठ्यक्रम

8.5 67 आरआर के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों (2014 बैच) के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिनांक 22.12.2014 से आरंभ हुआ, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि		
		सप्ताह	से	तक
(1)	अकादमी में चरण–I का प्रशिक्षण	45 सप्ताह	22.12.2014	31.10.2015
(2)	दिल्ली अटैचमेंट			
	(क) संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी)	02 सप्ताह	09.11.2015	10.11.2015
	(ख) विशेष सुरक्षा समूह	01 दिन	12.11.2015	
	(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो	01 दिन	13.11.2015 (पूर्वाह्न)	
	(घ) आसूचना ब्यूरो		13.11.2015 (अपराह्न)	
	(ड.) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	06 दिन	14.11.2015	19.11.2015
	(च) भारत के माननीय राष्ट्रपति के यहां ड्यूटी	01 दिन	20.11.2015 (पूर्वाह्न)	
	(छ) भारतीय उच्चतम न्यायालय का दौरा		20.11.2015 (पूर्वाह्न)	
(3)	सेना के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	23.11.2015	28.11.2015
(4)	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	30.11.2015	05.12.2015
(5)	पुलिस प्रशिक्षण कालेज/राज्यों में व्यावहारिक प्रशिक्षण/संबंधित संवर्गों में जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण	28 सप्ताह	14.12.2015	26.06.2016
(6)	अकादमी में चरण–।। का प्रशिक्षण (02 सप्ताह के विदेशी घटक के प्रशिक्षण सहित)	08 सप्ताह	04.07.2016	26.08.2016

8.6 इसमें भूटान, नेपाल और मालदीव के 15 प्रशिक्षु अधिकारियों सहित कुल 156 प्रशिक्षु अधिकारी (28 महिला अधिकारियों सहित) शामिल हैं। यह प्रशिक्षण पेशेवर कौशल में क्षमता के निर्माण के लिए इंडोर एवं आउटडोर दोनों श्रेणियों में विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से प्रदान किया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, वे अकादमी से उत्तीर्ण होकर बाहर निकले। दिनांक 31.10.2015 को हुए दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं कीर्ति चक्र प्राप्त श्री अजीत डोवाल इसके मुख्य अतिथि थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं कीर्ति चक्र प्राप्त श्री अजीत डोवाल दिनांक 31.10.2015 को 67 आरआर बैच के दीक्षांत समारोह की समीक्षा करते हुए

8.7 68 आर आर के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों (2015 बैच) का बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिनांक 28.12.2015 को आरंभ हुआ और दिनांक 01.09.2017 को समाप्त होगा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि		
		सप्ताह	से	तक
1.	चरण–। प्रशिक्षण कार्यक्रम	44 सप्ताह	28.12.2015	31.10.2016
2.	गृह मंत्री, प्रधान मंत्री, भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए दिल्ली में अटैचमेंट की तारीखों को यथा समय अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा	12 दिन	07.11.2016	19.11.2016
3.	सेना के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	21.11.2016	26.11.2016
4.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	28.11.2016	02.12.2016
5.	पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय/राज्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण/संबंधित संवर्गों में जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण	29 सप्ताह	12.12.2016	30.06.2017
6.	अकादमी का चरण–।। प्रशिक्षण (02 सप्ताह के विदेशी घटक के प्रशिक्षण सहित)	08 सप्ताह	10.07.2017	01.09.2017

इन्डोर प्रशिक्षण

8.8 इन्डोर प्रशिक्षण में अपराध संबंधी कानून, जांच, मानवाधिकार और अपराध की जांच, लोक व्यवस्था प्रबंधन एवं विधि–विज्ञान जैसी अनुकृत कवायदें शामिल थी। लिंग, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में प्रशिक्षुओं को संवेदनशील बनाने के लिए माड्यूल्स संचालित किए गए। उन्हें आदर्श पुलिस स्टेशन में जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिदृश्य–आधारित एकीकृत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उसका मूल्यांकन भी किया गया।

कौशल माड्यूल और अपराध स्थल की जांच

आउटडोर प्रशिक्षण

8.9 उन्हें जमीनी कला (फील्ड क्राफ्ट) तथा युक्ति, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी), पर्वतारोहण (आईटीबीपी, मसूरी के साथ अटैचमेंट के दौरान), यूएसी एवं क्राव मागा, घुड़सवारी, स्कूबा डाइविंग, रीवर राफ्टिंग (आईटीबीपी, ऋषिकेश के साथ अटैचमेंट के दौरान) का आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के तरीके भी सिखाए गए।

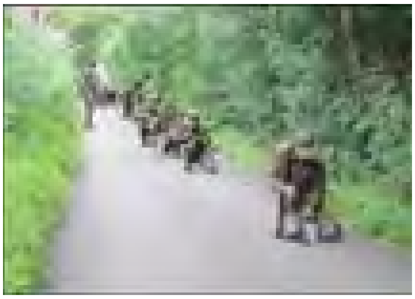

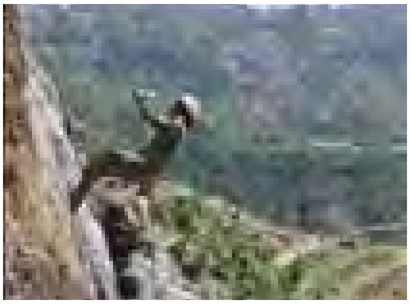

जंगल युद्ध कौशल एवं युक्ति **रॉक क्लाइम्बिंग (आईटीबीपी अटैचमेंट)**

चरण– ।।

8.10 65 और 66 आर आर (2012 और 2013 बैच) के कुल 147 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने दिनांक 20.07.2015 से 28.08.2015 तक अकादमी में संचालित छह सप्ताह की अवधि वाले चरण– ।। के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था संबंधी व्यवहारों के प्रति एक्सपोजर के रूप में चरण– ।। के प्रशिक्षण के दौरान 01 सप्ताह की अवधि के विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण (यात्रा अवधि को छोड़कर) संचालित किया गया। 65 और 66 आर आर के प्रशिक्षु अधिकारियों (107) ने क्रमशः दिनांक 02.08.2015 से 09.08.2015 तक और 09.08.2015 से 16.08.2015 तक 02 समूहों में इजरायल में विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

65 और 66 आरआर के प्रशिक्षु अधिकारियों (147) ने इजरायल में पहली बार चरण– ।। विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सीनियर पाठ्यक्रम

8.11 कुल 981 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वन्य जीव अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विभिन्न विषयों पर 04 संगोष्ठियों सहित 28 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

8.12 अमरीकी दूतावास द्वारा प्रायोजित एंटी टेररिज्म असिस्टेंस–11147 'बेस्ट सीटी प्रैक्टिसेज इन कम्युनिटी पुलिसिंग कंसल्टेशन' और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा प्रायोजित "उग्रवाद प्रतिरोध" पर 03 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

8.13 यूएनओडीसी (मादक पदार्थों एवं अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) ने जुलाई, 2015 में दांडिक न्याय के पदाधिकारियों के लिए "मानवाधिकारों का आदर करते हुए आतंकवाद के मामलों की प्रभावी जांच" पर एक राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला और "कानून के नियम के ढ़ांचे के भीतर विशेष जांच तकनीक" विषय पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का संचालन किया, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8.14 दिनांक 18 से 20 अगस्त 2015 तक अकादमी में "नेतृत्व विकास को सुविधाजनक बनाने" पर एक तीन–दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस माड्यूल में 18 अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें से 15 उसी अकादमी के संकाय और 03 प्रतिभागी बाहर से थे। विकास के इस माड्यूल में नेतृत्व संबंधी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रक्रियाएं और गतिविधियां निष्पादित की गईं।

8.15 आईपीएस अधिकारियों की पुनर्मिलन संगोष्ठियों में बड़ी संख्या में 1990 बैच (25 वर्ष), 1985 बैच (30 वर्ष), 1980 बैच (35 वर्ष) और 1965 बैच (50 वर्ष) के अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष युक्ति पाठ्यक्रम

8.16 राज्य पुलिस/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 171 पुलिस अधिकारियों को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग (मेघालय) में (दिनांक 10.08.2015 से 21.08.2015 तक) और आतंकवाद–रोधी केन्द्र कैम्पस, बेंगलुरू (कर्नाटक) में (दिनांक 07.09.2015 से 11.09.2015 तक) 'विशेष युक्ति' में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें विस्फोटकों, इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी), धमाका–पश्चात क्रियाप्रणाली से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन किया गया। नए उप पुलिस अधीक्षकों के लिए दिनांक 15.12.2015 से 24.12.2015 तक 5 बिहार मिलिटरी पुलिस कैम्पस I, पटना में शहरी प्रचालन से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन किया गया।

8.17 इस अवधि के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दिनांक 11.05.2015 से 22.05.2015,01.06.2015 से 12.06.2015 और 31.08.2015 से 11.09.2015 तक 129 आईपीएस अधिकारियों को 'आतंकवाद प्रतिरोध' से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

आईपीएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.18 भारतीय पुलिस (वेतन), नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण–III की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण–IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम वेतनमान (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा के पश्चात अगली वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण–V को पूरा करना अनिवार्य है।

8.19 मध्य सेवाकालीन कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुमोदित योजना निम्नानुसार है:–

क्र.सं	चरण	अवधि	प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण	सेवा के वर्ष
(1)	चरण III	05 सप्ताह (04 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	7 से 9 वर्ष की सेवा, वर्ष 2000 बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य।
(2)	चरण IV	05 सप्ताह (04 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	पुलिस उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक	14 से 16 वर्ष की सेवा, वर्ष 1991 बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य।
(3)	चरण V	03 सप्ताह (02 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए	24 से 26 वर्ष की सेवा, वर्ष 1981 बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य।

8.20 वर्ष 2015 के दौरान संचालित एमसीटीपी का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र.सं	चरण	संचालनकर्ता विश्वविद्यालय/ संस्थानों के नाम	अवधि	सहभागियों की संख्या
(1)	चरण III	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के सहयोग से चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया	03.11.2015 से 04.12.2015 तक कार्यक्रम का संचालन किया गया।	68
(2)	चरण IV	भारतीय पार्टनर एस.पी. जैन प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन कंसल्टेंसी (यूसीएलसी)	05 सप्ताह (06.04.2015 से 01.05.2015 तक एसवीपीएनपीए में 04 सप्ताह और 04.05.2015 से 09.05.2015 तक यू.के. में 01 सप्ताह)	73
(3)	चरण IV	भारतीय पार्टनर एस.पी. जैन प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन कंसल्टेंसी (यूसीएलसी)	05 सप्ताह (31.08.2015 से 29.05.2015 तक एसवीपी एनपीए में 04 सप्ताह और 27.09.2015 से 03.10.2015 तक यू.के. में 01 सप्ताह)	68
(4)	चरण V	एसवीपी एनपीए ने संपूर्ण प्रोग्राम को डिजाइन किया और उसे संचालित किया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख संघ (आईएसीपी) यूएसए के सहयोग से एक सप्ताह के विदेशी एक्सपोजर अध्ययन दौरे का संचालन किया गया।	03 सप्ताह (13.07.2015 से 24.07.2015 तक एसवीपी एनपीए में 02 सप्ताह और 27.07.2015 से 31.07.2015 तक यू.एस.ए. में 01 सप्ताह)	78

8.21 इसके अतिरिक्त, जनवरी से मार्च, 2016 के दौरान संचालित किया जाने वाला अनंतिम चरण–III कार्यक्रम निम्नानुसार हैः

क्र.सं	चरण	संचालनकर्ता विश्वविद्यालय/ संस्थानों के नाम	अवधि	सहभागियों की संख्या
(I)	चरण-III	-	04 सप्ताह (08.02.2016 से 04.03.2016 तक एसवीपी एनपीए में 04 सप्ताह और 06.03.2016 से 15.03.2016 तक आस्ट्रेलिया में 10 दिन)	-

एमसीटीपी चरण–V के आईपीएस अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख संघ (आईएसीपी), यूएसए द्वारा आयोजित 01 सप्ताह के स्टडी टूर में भाग लिया

अकादमी में महत्वपूर्ण कार्यक्रम

8.22 केन्द्रीय गृह सचिव, श्री राजीव महर्षि ने दिनांक 28.09.2015 को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की 37वीं वार्षिक बोर्ड बैठक का संचालन किया।

8.23 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डॉ. रघुराम राजन ने "भारतीय आर्थिक संस्थानों में सुधार करना" विषय पर दिनांक 23.10.2015 को 30वां सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल व्याख्यान दिया।

डा. रघुराम राजन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक मेमोरियल व्याख्यान देते हुए

8.24 नए बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण परिसर का उदघाटन

कीर्ति चक्र प्राप्त, राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोवाल नए बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण परिसर का उदघाटन करते हुए

8.25 अकादमी ने दिनांक 06 से 08 अक्तूबर, 2015 तक अंतराष्ट्रीय महिला विधि प्रवर्तन सम्मेलन – नेतृत्व, सहयोग एवं सुरक्षा 2015 की सहर्ष मेजबानी की। इस सम्मेलन का आयोजन पार्टनर संस्थान, चार्ल्स स्टुअर्ट विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया जिसमें – भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यू.के और स्पेन ने प्रस्तुतीकरण पेश किए। यह सम्मेलन संपूर्ण दक्षिण एशिया, विस्तृत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के व्यापक विधि प्रवर्तन समुदाय की महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम था।

विधि प्रवर्तन सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय महिलाएं – नेतृत्व समन्वय एवं सुरक्षा 2015

8.26 संकाय विकास कार्यक्रम

”

नेतृत्व विकास को आसान बनाने" पर संकाय विकास कार्यक्रम

8.27 प्रो. निक तिले, ओबीई, प्रोफेसर ऑफ क्राइम साइंस, यूसीएल, यूके और प्रो. ग्लोरिया लेकॉक ने दिनांक 06.04.2015 को एमसीटीपी–IV (प्रथम कार्यक्रम) का उदघाटन किया।

8.28 डॉ. रंजन बनर्जी, डीन, एसपी जैन प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई और श्री जॉन पार्किंसन, ओबीई, सेवानिवृत्त सीसी वेस्ट ने दिनांक 31.08.2015 को एमसीटीपी–IV (द्वितीय कार्यक्रम) का उदघाटन किया।

8.29 श्री रिचर्ड वोर्तलेव, निदेशक, अपराध विज्ञान सुरक्षा विभाग, यार्कशायर पुलिस ने दिनांक 24.09.2015 को एमसीटीपी–IV (द्वितीय कार्यक्रम) के समापन समारोह के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा किया।

8.30 श्री सुशील वाचानी, निदेशक, आईआईएम, बेंगलरू ने दिनांक 13.07.2015 को एमसीटीपी–V का उदघाटन किया।

8.31 प्रो. अजीत रंगनेकर, डीन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस ने दिनांक 24.07.2015 को एमसीटीपी–V के समापन समारोह के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा किया।

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग

8.32 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) – जो कि अकेला और एकमात्र क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी और यह मेघालय के री–भोई जिले के अंदर गांव उमसाव में स्थित है। शुरु में नेपा का गठन पूर्वोत्तर परिषद की एक परियोजना के रूप में किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के बनाए जाने के पश्चात, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी सहित पूर्वोत्तर परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंदर लाया गया। वर्ष 2007 में, नेपा को पेशेवर सूचनाओं के लिए पुनः गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। नीतिगत निर्णय तैयार करने के लिए अकादमी का एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं।

8.33 नेपा का उद्देश्य भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों (प्रशिक्षु) एवं उप निरीक्षकों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों और देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं सहित सेवा–कालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करना है। प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए, नेपा में स्वीकृत पदों की संख्या 281 है।

8.34 नेपा की 9(नौ) परियोजनाओं के लिए दिनांक 18.11.2014 को 86.57 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ एक संशोधित योजनागत स्कीम अनुमोदित की गई थी। इस वर्ष निर्माण एजेंसियों, अर्थात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और डब्ल्यूएपीसीओएस के लिए 8.66 करोड़ रू. की राशि मंजूर एवं जारी की गई है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं:–

1. स्विमिंग पूल,
2 इंडोर खेल परिसर,
3. प्रशिक्षण खण्ड,
4. आवासीय क्वार्टर,
5. सभागार

8.35 नेपा बड़ी संख्या में सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। इनमें से, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों और सामान्य रूप से भारत के अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:–

1. सूचना का अधिकार पर कार्यशाला
2. विभागीय जांच
3. आपदा प्रबंधन
4. स्वापक पदार्थ प्रवर्तन
5. पुलिस–मीडिया संबंध पर कार्यशाला
6. विस्फोटक एवं बम निष्क्रिय करना
7. आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच

8. विद्रोह–रोधी एवं जंगल युद्धकला

9. नई पदोन्नति प्राप्त उप पुलिस अधीक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

10 आसूचना के संग्रह एवं पूछताछ संबंधी तकनीकों पर कार्यशाला

11. सीसीटीएनएस/ एथिकल हैकिंग/साइबर अपराध/ साइबर फॉरेंसिक आदि पर कंप्यूटर पाठ्यक्रम

8.36 वर्ष 2015 के दौरान, नेपा ने उप पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक के रैंक के 230 प्रशिक्षुओं के साथ 41वें बुनियादी पाठ्यक्रम का संचालन किया है। ये प्रशिक्षु अधिकारी नेपा से उत्तीर्ण होकर 05.12.2015 को निकल गए हैं। माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने परेड की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015 के दौरान 38 सेवाकालीन पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां संचालित की जा चुकी हैं जिसमें संपूर्ण देश से विभिन्न रैंक के 1467 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अगले बैच के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम अर्थात् 42वें बुनियादी पाठ्यक्रम की शुरूआत मध्य जनवरी, 2016 में होगी।

शनिवार दिनांक 05.12.2015 को उमसाव में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) में आयोजित 41वीं बैच के बुनियादी पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने नेपा के पासिंग आउट परेड को सुशोभित किया

8.37 नेपा बोर्ड की बैठक के संबंध में दिनांक 29.01.2008 को नेपा के दौरे के दौरान, तत्कालीन केन्द्रीय गृह सचिव ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के निदेशक को नेपा को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में तैयार करने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया था। तदनुसार, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों के एक दल ने सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए 17 से 20 मार्च, 2008 तक नेपा का अध्ययन किया था।

8.38 नेपा को "उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में परिवर्तित करने हेतु विभिन्न अंतरालों पर गठित समितियों की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। नेपा की स्थापना से आज की तिथि तक नियमित योजनाओं द्वारा सुसंरचित तरीके से इस अकादमी को आगे बढ़ाया गया है। नेपा को "उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में अभी काफी कार्य किया जाना शेष है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए, 334.00 करोड़ रु. की अनुमानित राशि की तुलना में 132.13 करोड़ रू. की राशि निर्धारित की गई है। इसमें से 75.10 करोड़ रू. की लागत से चरण–। के अधीन कार्य पूरे किए जा चुके हैं। दिनांक 18.11.2014 को 98.64 करोड़ रू. की लागत से चरण–।। के अधीन परियोजना को भी अनुमोदित किया जा चुका है। कार्य शुरू करने के लिए सभी परियोजनाएं कांट्रैक्टर को सौंप दी गई हैं।

8.39 गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा चालू ईएफसी परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रशिक्षुओं, फैकल्टी आदि के लिए निम्नलिखित भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है:–

1. 60 बिस्तरों वाला प्रशिक्षु अधिकारी मेस।
2. 20 बिस्तरों वाला वरिष्ठ अधिकारी मेस।
3. 120 बिस्तरों वाला महिला कैडेट मेस।
4. 30 बिस्तरों वाला अधीनस्थ अधिकारी मेस।
5. सेवाकालीन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए 120 बिस्तरों वाला हॉस्टल।
6. 38 आवासीय क्वार्टर।
7. ड्रिल हॉल।
8. 20 घोड़ों के लिए अस्तबल।
9. सुरक्षा कर्मियों के लिए 100 बिस्तरों वाला बैरक।

अकादमी का हाल ही में पूरा किया गया निर्माण

अधिकारी बंगला

आवासीय क्वार्टर

8.40 वर्ष 2015–16 के दौरान, पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मानस्वरूप उन्हें निम्नलिखित वीरता/सेवा पदकों से पुरस्कृत किया गया:–

स्वतंत्रता दिवस 2015 के अवसर पर पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों का संगठन–वार/राज्य–वार ब्यौरा

क्र सं.	राज्य/संगठन का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमडीएस)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी पी एम एस)
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	02	14
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	02
3	असम	0	10	0	06
4	बिहार	0	05	01	17
5	छत्तीसगढ़	0	05	01	09
6	दिल्ली	0	04	02	14
7	गोवा	0	0	01	01
8	गुजरात	0	0	02	17
9	हरियाणा	0	0	02	14
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	01	04
11	जम्मू और कश्मीर	0	14	02	17

12	झारखंड	0	18	01	08
13	कर्नाटक	0	0	03	17
14	केरल	0	0	01	04
15	मध्य प्रदेश	0	0	04	16
16	महाराष्ट्र	0	0	02	36
17	मेघालय	01	08	0	01
18	मिजोरम	0	0	01	02
19	नागालैंड	0	0	0	02
20	ओडिशा	0	0	01	11
21	पंजाब	03	01	02	13
22	राजस्थान	0	01	01	17
23	सिक्किम	0	0	0	01
24	तमिलनाडु	0	0	02	22
25	तेलंगाना	0	0	02	11
26	त्रिपुरा	0	0	01	06
27	उत्तर प्रदेश	0	15	04	70
28	उत्तराखंड	0	0	01	03
29	पश्चिम बंगाल	0	0	02	23
संघ राज्य क्षेत्र					
30	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	01	02
31	चंडीगढ़	0	0	0	01
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	01	01
33	पुदुचेरी	0	0	0	01
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/अन्य संगठन					
34	असम राइफल्स	0	0	0	11
35	बी एस एफ	0	04	05	42
36	सी बी आई	0	0	07	17
37	सी आई एस एफ	0	0	02	19
38	सी आर पी एफ	0	64	05	52
39	गृह मंत्रालय (आईबी)	0	0	06	24
40	आई टी बी पी	0	0	02	09
41	एन एस जी	0	0	0	03
42	एस एस बी	0	0	01	08
43	एस पी जी	0	0	0	03
44	बी पी आर एंड डी	0	0	0	01
45	एन ई पी ए	0	0	0	02
46	एन आई ए	0	0	01	02
47	एन डी आर एफ	0	0	01	02
48	एसवीपीएनपीए	0	0	01	02
49	गृह मंत्रालय (सचिवालय)	0	0	0	02
50	वित्त मंत्रालय (वायदा बाजार आयोग)	0	0	0	01
51	रेल मंत्रालय /(आरपीएफ)	0	0	01	12
52	**कुल**	**4**	**149**	**76**	**595**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

8.41 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ), नामतः असम राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल, "सीमा चौकसी बल'' हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आर ए एफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों सहित राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता–प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है। यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

8.42 भारत सरकार केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए लगातार समन्वित प्रयास कर रही है। प्रारंभ में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में महिलाओं द्वारा भरे जाने के लिए कांस्टेबल स्तर पर 33% पद और सीमा रक्षक बलों अर्थात बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में कांस्टेबल स्तर पर 14–15% पद आरक्षित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। यह आरक्षण समस्तरीय होगा।

8.43 सभी सीएपीएफ में उप निरीक्षक के पद सहित 4800 रू. के ग्रेड पे तक की चयन प्रक्रिया में साक्षात्कारों को समाप्त करने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव का माननीय गृह मंत्री के अनुमोदन से गृह मंत्रालय द्वारा समर्थन किया गया है। सचिवों की समिति ने सिफारिश की है कि समूह 'ग' और समूह 'घ' (जिन्हें अब समूह 'ग' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है) के सभी पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त किया जाए। समूह 'ख' श्रेणी के अराजपत्रित पदों के लिए भी साक्षात्कार को समाप्त किया जाए। सीएपीएफ और एआर ऐसे सभी पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई कर रहे हैं जिनमें साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है।

असम राइफल्स (एआर)

8.44 पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में लोकप्रिय असम राइफल्स का गठन सन 1835 ई. में "काचर लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को 1,631 किमी. लंबी भारत–म्यांमार सीमा की रक्षा करने के लिए पूर्णरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कर्य करता है। इस बल में एक महानिदेशालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, एक प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशासनिक घटक शामिल हैं और इसके कार्मिकों की कुल संख्या 66,411 है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.45 दिनांक 01.01.2005 से 31.12.2015 तक उग्रवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, असम राइफल्स की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

विद्रोही			
(क)	मारे गए	-	43
(ख)	गिरफ्तार	-	866
(ग)	आत्मसमर्पण	-	02
अन्य गिरफ्तारियां			
(घ)	नागरिक (तस्कर)	-	311
(ङ.)	हथियार डीलर	-	60
(च)	मादक पदार्थ पेडलर	-	70
(ङ)	म्यांमार के राष्ट्रिक	-	28
(ज)	बांग्लादेशी राष्ट्रिक	-	01
युद्ध जैसी सामग्रियों की बरामदगी			
(झ)	विविध हथियार	-	504
(ञ)	विविध गोलाबाःद	-	30,626
(ट)	विविध मैगजीन	-	180
(ठ)	ग्रेनेड (संख्या)	-	41

(ड)	आईईडी (संख्या)	-	32
(ढ)	डेटोनेटर (संख्या)	-	31,590
(ण)	जिलेटिन स्टिक (संख्या)	-	2,674
(त)	सेफ्टी फ्यूज (संख्या)	-	64
(थ)	गांजा (किग्रा.)		939.750
(द)	अफीम (किग्रा.)	-	20.230
(ध)	हेरोइन (किग्रा.)		2.013
(न)	ब्राउन शुगर (किग्रा.)	-	1.109
(द)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (टेबलेट)	-	82,577
(ध)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (किग्रा.)	-	421.750
(न)	अवैध शराब (बोतल)	-	36,441
(प)	जिनसेंग (किग्रा.)	-	6,308.000
(फ)	मैरीजुआना (किग्रा.)	-	101.100
(कक)	टोके छिपकली (संख्या)		05
(कख)	उड़ने वाली छिपकली (संख्या)	-	02
(कग)	चींटीखोर की खोल (संख्या)	-	226.400
(कघ)	अजगर की खोपड़ी (संख्या)	-	03
(कढ.)	अजगर की खाल (संख्या)	-	01
(कच)	दरियाई घोड़े की सींग (संख्या)	-	02
(कछ)	आर्किड (किग्रा.)	-	496.000
(कज)	चंदन की लकड़ी (किग्रा.)	-	505.000
(कझ)	तंबाकू (पैकेट)	-	11,240
(कञ)	रेडियो सेट (संख्या)	-	02
(कट)	रक्त चंदन की लकड़ी (किग्रा.)	-	100.000
(कठ)	यूरिया (किग्रा.)	-	12,000.000
(कड)	सोना (किग्रा.)	-	59.334
(कढ)	कीमती पत्थर (संख्या)	-	67
(कण)	म्यांमार की मुद्रा (क्यात)	-	2,33,17,200.00
(कत)	बांग्लादेश की मुद्रा (टका)	-	3,04,989.00
(कथ)	जाली भारतीय मुद्रा ()	-	2,36,000.00
(कद)	भारतीय मुद्रा ()		45,70,159.00

8.46 दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक कार्रवाई के दौरान मारे गए/घायल हुए असम राइफल्स के जवानों की संख्या निम्नानुसार हैः–

(क) मारे गए – 19

(ख) घायल हुए – 34

असम राइफल्स द्वारा असम में की गई बरामदगी

असम राइफल्स द्वारा मणिपुर में की गई बरामदगी

नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम

8.47 राष्ट्र निर्माण, पूर्वोत्तर के लोगों के उन्नयन और उन्हें देश के शेष हिस्से से जोड़ने के अपने निरंतर प्रयास में असम राइफल्स, अपने नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में व्यापक गतिविधियों के संचालन के द्वारा विशेषकर युवाओं एवं सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े एवं सीमांत लोगों के लिए विविध पहल करता है। इन कार्यक्रमों का फोकस स्थानीय युवाओं को रचनात्मक कार्यों में लगाना, उन्हें विद्रोह के शिकंजे से दूर रखना और वेल्डिंग, कम्प्यूटर साक्षरता, टेलरिंग, वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन, कृषि उत्पादकता, मोटर प्रशिक्षण, राजमिस्त्री तथा भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण जैसे विविध विधाओं में पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास के द्वारा उन्हें स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने योग्य बनाना है। इन सबके अतिरिक्त, संचालित की जाने वाली अन्य परियोजनाओं/गतिविधियों में उन क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का संचालन, जहां ग्रामीणों के

लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलबध नहीं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याणकारी एवं सामाजिक उन्नयन से संबंधित मामलों के हल के लिए जागरूकता अभियानों का संचालन और सरकारी योजनाओं एवं रोजगार के अवसरों के संबंध में सूचना शामिल हैं। सामाजिक विकास और स्वरोजगार पैदा करने में सहायता हेतु सामग्रियों के वितरण के लिए विविध प्रकार के अवसंरचना के निर्माण में सहायता के माध्यम से सहायता भी प्रदान की जाती है। विद्रोह की ओर से युवाओं का ध्यान हटाने और उन्हें अधिक रचनात्मक लक्ष्यों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए खेलों का संवर्धन दूसरा क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण, खेल उपकरणों का वितरण और खेल प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाता है। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों की इच्छाओं को पूरा करके, आतंकवाद के खतरे के विरुद्व आम लोगों में जागरूकता पैदा करके और हर समय सुरक्षा बल के मानवीय चेहरे को प्रदर्शित करके परिवेष में व्यापक बदलाव आया है।

असम राइफल्स द्वारा असम में आयोजित चिकित्सा शिविर

खेल संबंधी उपलब्धियां

8.48 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान असम राइफल्स ने खेल प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित पुरस्कार/पदक जीते:

क्रम सं.	खेल प्रतियोगिता का नाम और उसके आयोजन का स्थान	खेल प्रतियोगिता की तारीख	प्रतियोगिता में शामिल टीमों के नाम	जीते गए स्वर्ण/रजत/कांस्य पदकों की सं.
1.	बेंगलुरू में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता	22.04.2015 से 28.04.2015	09 टीमें	02 स्वर्ण एवं 03 कांस्य
2.	2015 फेयर फैक्स वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स (वर्जीनिया, यूएसए)	26.06.2015 से 05.07.2015	-	02 स्वर्ण
3.	बॉक्सिंग हॉल, श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित "वाको एशियन चौम्पियनशिप 2014–15"	01.08.2015 से 09.08.2015	14 टीमें	01 रजत एवं 07 कांस्य

विदेश में तैनाती

8.49 असम राइफल्स की एक टुकड़ी (कन्टिनजेंट) दिनांक 12.06.2010 से हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच) में तैनात है। वर्तमान में दिनांक 25.07.2015 से 10 अधिकारियों, 14 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों एवं 136 अन्य रैंकों के अधिकारियों के साथ छठी टुकड़ी तैनात की गई है। इस मिशन की शुरूआत से ही असम राइफल्स की टुकड़ी अभियान संबंधी विभिन्न कार्यों तथा सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों में अनुकरणीय तरीके से कार्य कर रही है और हेती की राष्ट्रीय पुलिस (एचएनपी) को सहायता प्रदान कर रही है तथा रक्तदान शिविरों एवं चिकित्सा शिविरों आदि जैसी विभिन्न मानवीय परियोजनाओं का भी संचालन कर रही है। इन उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मानस्वरूप इस टुकड़ी को अनेक सराहना पत्र मिले हैं एवं इसकी प्रशंसा की गई है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

8.50 बी.एस.एफ. का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय इसकी 183 बटालियनें, 3 एन.डी.आर.एफ. बटालियनें, 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र और 3 छोटे प्रशिक्षण संस्थान हैं। बल का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान), 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग और एअर विंग एवं अन्य सहायक इकाइयां हैं। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एफ. की कुल संस्वीकृत पद संख्या 2,57,025 है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.51 इसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगी अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 6,386.36 किमी. तक फैली हुई है। इसे सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भी तैनात किया गया है।

8.52 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, बी एस एफ ने 03 आतंकवादियों/नक्सलियों को मार गिराया, 161 आतंकवादियों/नक्सलियों को गिरफ्तार किया, 57 आतंकवादियों/नक्सलियों का आत्म समर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 301 हथियारों, विविध असलों के 1,238 कारतूसों, 13 ग्रेनेडों, 67 आई ई डी और 173.340 किग्रा. विस्फोटकों की जब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध की रोकथाम के अपने सतत प्रयासों से, बी एस एफ ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 1,326.32 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियां जब्त कीं, 6,038 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 24 तस्करों को मार गिराया। इस अवधि के दौरान अभियानों में बी.एस.एफ. के 12 कार्मिकों ने अपनी जान गंवाई और 111 कार्मिक घायल हुए।

8.53 वर्ष 2015 (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गए:–

(क) वीरता के लिए पुलिस पदक–04

(ख) उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक –05

(ग) सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक–42

(घ) जीवन रक्षा के लिए प्रधान मंत्री का पुलिस पदक –01

विदेश में तैनाती

8.54 सीमा सुरक्षा बल की दो गठित पुलिस इकाइयां हैं जो युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन, हेती और युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में निम्नानुसार तैनात हैं:–

(क) हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन सीमा सुरक्षा बल की गठित पुलिस इकाई को हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन पर दिनांक 15.12.2010 से तैनात किया गया है। वर्तमान में 09 अधिकारियों, 11 अधीनस्थ अधिकारियों एवं 120 अन्य रैंकों के कुल 140 कार्मिकों वाली 5वीं टुकड़ी शांति प्रक्रिया में हेती की राष्ट्रीय पुलिस को सहायता प्रदान कर रही है। वैश्विक शांति प्रक्रिया के संचालन में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने

के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

(ख) कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन सीमा सुरक्षा बल की गठित इकाई को कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में यूनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) में दिनांक 28.11.2005 से तैनात किया गया है। 08 अधिकारियों, 07 अधीनस्थ अधिकारियों एवं 125 अन्य रैंकों के कुल 140 कार्मिकों वाली 9वीं टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शांति प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने हेतु अपने सभी कर्तव्य क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

खेल–कूद संबंधी उपलब्धियां

8.55 बीएसएफ की टीम ने दिनांक 26.06.2015 से 05.07.2015 तक वर्जीनिया (यूएसए) में आयोजित फेयरफैक्स वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स–2015 में भाग लिया और विभिन्न विधाओं में 21 पदक जीते, जिसका उल्लेख नीचे किया गया हैः–

क्रम सं.	रैंक और नाम	प्रतियोगिता	पदक
(i)	उप निरीक्षक मंदर आनंद दिवासे	तैराकी	05 रजत एवं 02 कांस्य
(ii)	कांस्टेबल अमरजीत दहिया	कुश्ती	01 स्वर्ण एवं 01 रजत
(iii)	कांस्टेबल दलबीर सिंह	मुक्केबाजी	01 स्वर्ण
(iv)	कांस्टेबल शिव शंकरप्पा एच एम	मुक्केबाजी	01 रजत
(v)	कांस्टेबल सुब्रतो नंदी	तैराकी	04 रजत एवं 01 कांस्य
(vi)	कांस्टेबल जितेंदर संध्या	तैराकी	03 रजत एवं 02 कांस्य

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

8.56 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 322 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है जिनमें 59 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 91 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि–सुरक्षा कवर भी शामिल हैं। चार दशकों की अवधि में, बल की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार इसमें अब कार्मिकों की संस्वीकृत पद संख्या 1,42,526 है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सी.आई.एस.एफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केंद्रित संगठन नहीं रह गया है, बल्कि यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रदेशों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सी.आई.एस.एफ. वर्तमान में 322 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्तरिक्ष संस्थापनाएँ, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, खानें, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग स्टील संयत्र, उर्वरक इकाइयाँ, हवाई अड्डे, जल विद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा विरासती स्मारक (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ शामिल हैं। वर्ष 2015 में, सीआईएसएफ को प्रबाती जल विद्युत परियोजना, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), सोलर सुपर थर्मल पावर परियोजना (महाराष्ट्र), पैसेंजर एक्स–रे स्क्रीनिंग एंड कार्गो स्कैनिंग सेंटर, कोच्चि (केरल), चमेरा जल विद्युत चरण–III, चम्बा (हिमाचल प्रदेश), नादर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली (मध्य प्रदेश), कोस्टल गुजरात पावर लि., मुंदा, गुजरात (निजी क्षेत्र), दरलीपाली सुपर थर्मल पावर परियोजना (ओडिशा), ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) लकवा, शिवसागर (असम), लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रायगढ़ (छत्तीसगढ़), राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलाजी, इंदौर (मध्य प्रदेश) और टाटा स्टील कलिंगनगर, ओडिशा (निजी क्षेत्र) में तैनात किया गया है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.57 सी आई एस एफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से भी एक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के 91 उपक्रमों को अग्नि–संरक्षण कवर प्रदान करता है। वर्ष 2015 में (31.12.2015 तक) आग लगने से संबंधित कुल 3,880 घटनाओं की कॉल पर (जिनमें आग की 17 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) कार्रवाई की गई और कुल 114.37 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया।

8.58 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 59 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे, यथा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। इनमें सबसे अंत में दिनांक 01.03.2012 को दीव हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। सीआईएसएफ, नई दिल्ली में 38 संवदेनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करती है। विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) नामक सीआईएसएफ का वी.आई.पी. सुरक्षा विंग वीवी.आईपी/वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 53 वीवीआईपी/वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में सीआईएसएफ/एसएसजी द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा और अग्निशमन से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था, ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

8.59 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4,869 कार्मिकों के साथ दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) की सेवा में लगाया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 146 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 26 लाख है।

विदेश में तैनाती

8.60 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक टुकड़ी दिनांक 17.08.2008 से हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन में तैनात है। इस समय वहां, 8 अधिकारियों, 20 अधीनस्थ अधिकारियों तथा अन्य रैंक के 122 अधिकारियों के साथ 7वीं टुकड़ी दिनांक 15.01.2015 से तैनात है। वर्तमान में, सीआईएसएफ की टुकड़ी को हेती के राष्ट्रपति के आवास को सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रतिष्ठापूर्ण कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रचालन संबंधी कार्यों, स्थिर सुरक्षा संबंधी ड्यूटी, स्थानीय पुलिस को सहायता प्रदान करने तथा रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर आदि जैसी विभिन्न मानवीय परियोजनाओं के संचालन में काफी अच्छा कार्य कर रहा है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मानस्वरूप, इस टुकड़ी की कई बार प्रशंसा एवं सराहना की गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

8.61 शुरु में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में इसकी स्वीकृत क्षमता 235 बटालियनों की है तथा इसके पास 42 ग्रुप सेन्टर, 20 प्रशिक्षण संस्थान [15 विद्यमान+5 गठन के अधीन अर्थात् 3 आरटीसी, 1 विद्रोह एवं आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल और 1 विद्रोह–रोधी एवं जंगल युद्धकला प्रशिक्षण केन्द्र (सीएसजेडब्ल्यूटी)], 7 शस्त्र कार्यशालायें तथा 3 केन्द्रीय शस्त्रागार भी हैं। इस बल में, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय/महानिदेशालय के अलावा, 3 स्पेशल डीजी जोन, 1 एडीजी जोन, 20 आईजी सेक्टर और 02 आईजी ऑपरेशन सेक्टर, 37 रेंज और 07 ऑपरेशन रेंज के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संघटन भी हैं। सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। यह बल इस समय कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी और नक्सल–रोधी अभियानों सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने और उग्रवादी समूहों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की महिला टुकड़ी भी है, जो 05 महिला बटालियनों और 10 आर ए एफ बटालियनों में से प्रत्येक में 96 की संख्या वाली 10 महिला टुकड़ियों में संघटित है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार इस बल की संख्या 3,08,862 है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 तक 02 ग्रुप कन्द्रों, 02 रेंज मुख्यालय, 01 सेक्टर मुख्यालय तथा 01 महिला बटालियन सहित 12 बटालियनों का गठन किया जाना है।

8.62 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक लगातार चौकसी बरत रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी तथा विद्रोह–रोधी एवं नक्सल–रोधी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। यह बल लोक व्यवस्था कायम रखने और आतंकवादी समूहों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं भवनों की चौकसी भी करते हैं, जिनमें जम्मू में माता वैष्णो देवी धार्मिक परिसर और रघुनाथ मंदिर; अयोध्या में राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद; वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञानवापी मस्जिद; मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तथा शाही ईदगाह मस्जिद और संसद भवन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 52 वर्गीकृत वीआईपी व्यक्तियों के लिए वीआईपी सुरक्षा की ड्यूटी भी सौंपी गई है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.63 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान विद्रोह–रोधी मोर्चे पर सीआरपीएफ की अभियान संबंधी प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

i.	मारे गए माओवादी/आतंकवादी (सं0)	70
ii.	गिरफ्तार किए गए माओवादी / आतंकवादी (सं0)	1263
iii.	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/ आतंकवादी (सं0)	892
iv.	बरामद किए गए हथियार (सं0)	476
v	बरामद किए गए गोलाबारूद (राउंड)	8835
vi.	बरामद किए गए विस्फोटक (किग्रा.)	1,324.53
vii	बरामद किए गए हथगोले (सं0)	129
viii	बरामद किए गए बम (सं0)	365
ix	बरामद की गई आई ई डी (सं0)	1,332
x	बरामद किए गए डेटोनेटर (सं0)	12,450
xi	बरामद की गई जिलेटिन स्टिक (सं0)	5,585
xii	बरामद की गई नगदी (रूपए)	74,59,691
xiii	बरामद किए गए नारकोटिक्स (किग्रा.)	1324.53
xiv	बरामद किए गए रॉकेट (सं0)	01

8.64 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान कर्तव्य निभाते हुए अपना प्राण गंवाने वाले सीआरपीएफ कार्मिकों की संख्या 5 थी।

8.65 बल में व्यापक पैमाने पर ई–गवर्नेंस पहल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के उद्देश्य से एक आदर्श कम्प्यूटरीकरण योजना की परिकल्पना की गयी थी। इसमें महानिदेशालय से लेकर कार्यपालक इकाइयों तक बल की "ऑनलाइन" कार्य प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। सभी कार्यालयी कार्यों के पूर्ण स्वचालन के लिए एक एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर "सेलो" (सर्विस एवं लॉयल्टी) विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर में बल के निम्नलिखित कार्य तथा महानिदेशालय से लेकर ग्रुप सेंटर तक और आगे कार्यपालक बटालियनों तक सभी स्तर के कार्य शामिल हैं। सीआरपीएफ के प्रशासनिक कार्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोगकर्ता के सिस्टम के अनुसार नए अपडेशन और संशोधन किए जा रहे हैं:

(i)	पर्सनेल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल
(ii)	इन्वेंट्री मॉड्यूल
(iii)	फाइनेन्स मॉड्यूल
(iv)	ऑपरेशन्स मॉड्यूल
(v)	पे मॉड्यूल
(vi)	मेल/मैनेजमेंट
(vii)	दस्तावेज प्रबंध प्रणाली
(viii)	वर्क फ्लो एप्लीकेशन

8.66 सेलो प्रणाली में वेतन/सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के ब्यौरे, सीआरपीएफ के रिस्क फंड पासबुक योजना के ऑटोमेशन के अतिरिक्त प्रशासन के साथ–साथ क्षेत्र में तैनात अंतिम व्यक्ति के कल्याण से संबंधित सूचना के प्रसारण के लिए एसएमएस गेटवे के साथ एकीकरण जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है।

8.67 सेलो एप्लीकेशन में प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के लिए ऑनलाइन बजट वितरण प्रणाली को समावेशित किया गया है। इस साफ्टवेयर

में प्रत्येक आरपीएओ और पीएओ में काम्पैक्ट साफ्टवेयर के साथ डाटा एक्सचेंज करने का प्रावधान है। प्रत्येक डीडीओ को इस माड्यूल का प्रयोग करने पर बजट की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है।

8.68 पेंशन धारकों के डाटा के ऑनलाइन अपडेशन के लिए सीआरपीएफ में 'भविष्य' साफ्टवेयर को कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त साफ्टवेयर का उपयोग करके डीडीओ प्रत्येक मामले की यह स्थिति जान सकता है कि कौन सा मामला कहां लंबित है।

8.69 सेलो की अवसंरचना का प्रयोग करके इनहाउस वीडियो कान्फ्रेंस प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। अभियान संबंधी एवं प्रशासनिक ब्रीफिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारी फील्ड कमांडरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। सेलो लोकेशन में इंटरकॉम के रूप में आईपी टेलीफोनी को भी स्थापित किया गया है। अब विभिन्न स्थानों में तैनात कार्मिक संपूर्ण देश में अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

सीआरपीएफ में त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ)

8.70 वर्ष 1992 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया था और इन्हें त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की 4–4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आरएएफ के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों और इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से 10 संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित हैं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को स्वतंत्र पद्धति से संगठित किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

8.71 सीआरपीएफ की ये आरएएफ बटालियनें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :–

राज्य	स्थान	यूनिट
तेलंगाना	रंगारेड्डी	99 आर ए एफ
गुजरात	अहमदाबाद	100 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101 आर ए एफ
महाराष्ट्र	नवी मुंबई	102 आर ए एफ
दिल्ली	वजीराबाद	103 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	104 आर ए एफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	105 आर ए एफ
झारखंड	जमशेदपुर	106 आर ए एफ
मध्य प्रदेश	भोपाल	107 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	मेरठ	108 आर ए एफ

8.72 आरएएफ. की कंपनियां विभिन्न उत्सवों और साम्प्रदायिक दंगों आदि के दौरान, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी का निर्वाह करने और शांति बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्प–आवधिक आधार पर तैनात की जाती हैं।

सीआरपीएफ में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

8.73 वर्ष 2008 में, सरकार ने सी.आर.पी.एफ. में कोबरा नामक एक विशेषज्ञता प्राप्त बल की 10 बटालियनें गठित करने का अनुमोदन दिया था। ये बटालियनें कमांडो अभियानों और गुरिल्ला/जंगल युद्धकला के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस हैं और आसूचना पर आधारित शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हैं। इन बटालियनों को मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में रखा जाता है। आरएएफ की ही तरह, इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया गया है। बल के लिए स्थल (स्पॉट) पर ही निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए सहायक कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी टीम के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है (प्रत्येक बटालियन में 18 टीमें हैं) और उप कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी कंपनी के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है (प्रत्येक बटालियन में 3 कंपनियां हैं)। कोबरा यूनिटों में शामिल किए गए नए कार्मिकों को बेलगाम (कर्नाटक) में स्थित कोबरा जंगल युद्धकला एवं युक्ति स्कूल (सीएसजेडब्ल्यूटी) में 12 सप्ताह के समावेशन–पूर्व विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, सीएसजेडब्ल्यूटी, बेलगाम (कर्नाटक) में समावेशन पूर्व प्रशिक्षण एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है, जिसे कोबरा की यूनिटों में शामिल किए जाने वाले सभी कार्मिकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 09.01.2016 से सीएसजेडब्ल्यूटी, बेलगाम (कर्नाटक) और कोरापुट में स्थित कोबरा बटालियन में 12 सप्ताह का कोबरा समावेशन पूर्व प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

विदेश में तैनाती

8.74 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, यूएनएमआईएल के अंतर्गत दो टुकड़ियों (एक पुरूष एवं

एक महिला) को लाइबेरिया में तैनात किया गया है। प्रत्येक टुकड़ी का कार्यकाल एक वर्ष का है। वर्तमान में, फरवरी, 2015 से यूएनएमआईएल के अंतर्गत लाइबेरिया में महिला टुकड़ी के नौवें बैच और पुरूष टुकड़ी के छठे बैच को तैनात किया गया है। एफपीयू–2 (पुरूष) टुकड़ी को फरवरी 2016 के दौरान बदले जाने की संभावना है, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पीएमआई द्वारा संयुक्त राष्ट्र को सूचित किए गए निर्णय के अनुसार एक वर्ष का दौरा पूर्ण होने के पश्चात यूएनएमआईएल के अंतर्गत इस समय लाइबेरिया में तैनात एफपीयू–I (महिला) टुकड़ी को फरवरी 2016 में वापस भेजा जाएगा।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

8.75 आईटीबीपी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ मूलतः आपूर्ति, संचार एवं आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत "गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू बल" की अवधारणा के अंतर्गत किया गया था। यह बल समय के साथ परंपरागत सीमा प्रहरी बल के रूप में विकसित हो गया। आज आईटीबीपी लद्दाख में कराकोरम दर्रा (पास) से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक (18,176 फीट की ऊंचाई पर) हिमालय के साथ–साथ भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 3,488 कि.मी. सीमा की रक्षा कर रही है और 169 सीमा चौकियों का संचालन कर रही है। इसके अलावा, आईटीबीपी की टुकड़ियों को छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है। इस समय इस बल के पास 03 भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सहित 05 फ्रंटियर मुख्यालय, 14 सेक्टर मुख्यालय, 56 सर्विस बटालियनें, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनें, 02 आपदा प्रबंधन बटालियनें और 14 प्रशिक्षण केन्द्र हैं और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 89,430 है।

8.76 वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत–चीन सीमा पर 06 नई सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.77 पवित्र मानसरोवर यात्रा का संचालन दो मार्गों, अर्थात उत्तराखंड में लिपुलेख पास और सिक्किम में नाथुला के मार्ग से किया गया, जिसमें से नाथुला के मार्ग का प्रयोग पहली बार किया गया। लिपुलेख पास (उत्तराखंड) की ओर से 773 व्यक्तियों के 18 जत्थों ने और नाथुला (सिक्किम) की ओर से 217 व्यक्तियों वाले 5 जत्थों ने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। आईटीबीपी ने यात्रियों को चिकित्सा, संचार एवं सुरक्षा कवर प्रदान किया।

आपदा प्रबंधन

8.78 भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमालय क्षेत्र में किसी भी आपदा के मामले में पहला प्रतिक्रिया बल है और यह बल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र स्थापित करने वाला पहला पुलिस बल था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियों ने देश के अनेक भागों में सभी प्रकार की आपदा की स्थितियों में कई बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भानु, हरियाणा में राष्ट्रीय, बचाव एवं आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएसआरडीआर) भी स्थापित किया है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को आपदा कार्रवाई संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईटीबीपी की 02 यूनिटों को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की (एनडीआरएफ) यूनिटों में परिवर्तित किया गया है और वे ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और भटिंडा (पंजाब) से अपना कार्य संचालन कर रही हैं।

उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा – 2015 के दौरान एक यात्री को सहायता प्रदान करते हुए आईटीबीपी कमांडो

उत्तराखंड में यात्रा – 2015 के दौरान एक नाला पार करने में यात्रियों की सहायता करती हुई आईटीबीपी की सैन्य टुकड़ी

8.79 आईटीबीपी ने खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष इसके खिलाड़ियों ने 39 स्वर्ण, 36 रजत और 44 कांस्य पदक (कुल–119) जीते हैं। इन पदकों में से, 04 व्यक्तियों ने दिनांक 25.06.2015 से 05.07.2015 तक वर्जीनिया (यूएसए) में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 05 स्वर्ण और 01 रजत पदक जीता। इसके अतिरिक्त, निरीक्षक/जीडी जोत सिंह भंडारी को पर्वतारोहण अभियान के क्षेत्र में उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए तेन्जिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विदेश में तैनाती

8.80 वर्तमान में 329 आईटीबीपी कमांडो अफगानिस्तान में तैनात हैं और काबुल में भारतीय दूतावास और जलालाबाद, कंधार, मजार–ए–शरीफ एवं हेरात में स्थित भारतीय कांसुलेट को प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दिनांक 23.05.2014 को भारतीय कांसुलेट जनरल, हेरात, अफगानिस्तान में वास्तविक पेशेवरता का परिचय देकर फिदायीन हमले को नाकाम करने में उनकी भूमिका के लिए हेड कांस्टेबल/जीडी वेदपाल मलिक, कांस्टेबल/जीडी प्रवीण कुमार, कांस्टेबल/जीडी राकेश कुमार, सीटी/जीडी जडेजा राजेन्द्र सिंह को दिनांक 01.07.2015 को "वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक" से नवाजा गया है।

8.81 आईटीबीपी की गठित पुलिस यूनिट को दिनांक 09.11.2005 से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) के साथ तैनात किया गया है। कुल 135 कार्मिकों (06 अधिकारियों, 11 अधीनस्थ अधिकारियों और 118 अन्य रैंकों) वाली आईटीबीपी की एक टुकड़ी 'कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति प्रक्रिया' को बहाल रखने में सहायता करने के लिए तैनात है। अपने सभी कर्तव्य क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए आईटीबीपी की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। 04 राजपत्रित अधिकारियों, 03 अधीनस्थ अधिकारियों और 12 अन्य रैंकों वाली आईटीबीपी की 10वीं टुकड़ी की पहली पार्टी को 05 जनवरी, 2016 को इसमें शामिल किया गया, जिससे टुकड़ी की क्षमता 135 से बढ़कर 140 हो गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)

8.82 राष्ट्र–विरोधी तत्वों द्वारा पैदा किए जाने वाले गंभीर खतरों को निष्प्रभावी बनाने की दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु फेडरल कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) का गठन वर्ष 1984 में किया गया था। इस संगठन की स्थापना के लिए अगस्त, 1986 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था और दिनांक 22.09.1986 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का औपचारिक रुप से गठन किया गया था।

8.83 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद शत–प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों वाला बल है और इसके सभी कार्मिक सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस एवं अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडो को अत्यन्त जोखिम वाले कार्य, जैसे विमान अपहरण–रोधी एवं आतंकवाद–रोधी अभियान में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें अत्यधिक खतरे वाले निर्दिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सचल सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा जाता है।

8.84 इस बल का बुनियादी कार्य विशिष्ट स्थितियों में आतंकवादी खतरों से निपटना एवं उनको निष्प्रभावी करना तथा विमान अपहरण–रोधी एवं बंधक बनाए गए व्यक्तियों को छुड़ाने संबंधी अभियान चलाना है। अपनी स्थापना के बाद से एनएसजी ने अब तक कई अभियान चलाए हैं, जिनमें सितम्बर, 2002 में अक्षरधाम मंदिर, गुजरात और नवम्बर, 2008 में आतंकवादी हमले के दौरान मुम्बई स्थित होटल ताज, होटल ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में चलाए गए अभियान शामिल हैं। अपने अभियान संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, यह बल विशेष कमांडो कार्रवाई, बम निष्क्रिय करने संबंधी तकनीक एवं सशस्त्र बलों, सी.ए.पी.एफ., राज्य पुलिस बलों एवं मित्र पड़ोसी देशों के सुरक्षा बल कार्मिकों को वी आई पी सुरक्षा संबंधी कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिल्ली में, एनएसजी को किसी भी राष्ट्रीय आकस्मिक घटना से निपटने के लिए नियत स्थानों पर सतर्क रखा जाता है। इन कमांडो को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तथा राज्यों/सरकार के प्रमुखों के दौरे के समय भी विशेष सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए भी तैनात किया जाता है।

एन एस जी के अधीन राष्ट्रीय बम आँकड़ा केंद्र (एनबीडीसी)

8.85 एन एस जी का मानेसर में राष्ट्रीय बम आंकड़ा केंद्र (एन बी डी सी) है और यह अधिकांशतः राज्य प्राधिकरणों के अनुरोध पर देश के विभिन्न भागों में विस्फोट के बाद की स्थिति का अध्ययन करता है। यह देश में सुरक्षा बलों के प्रयोग के लिए विस्फोटकों और विस्फोटों की घटनाओं का एक डाटा बैंक रखता है। एनबीडीसी विश्व के अन्य बम आंकड़ा केंद्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। एन बी डी सी प्रत्येक वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करता है और विस्फोट से संबंधित विषयों पर 'बमशेल' नामक एक व्यावसायिक पत्रिका प्रकाशित करता है। वर्ष 2015 में इस संगोष्ठी का विषय "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सी–आईईडी रणनीति में राष्ट्र की प्रतिरोध रणनीति और कमियों को दूर करना" था जिसका आयोजन 10 और 11 फरवरी, 2015 को किया गया और इसमें 121 राष्ट्रीय प्रतिनिधियों तथा 24 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एनएसजी के क्षेत्रीय हब/क्षेत्रीय केन्द्र

8.86 26/11 की मुम्बई की घटना के पश्चात, किसी भी संकटकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया के समय को कम करने के लिए मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में एनएसजी के 04 क्षेत्रीय हबों की स्थापना की गई है। सरकार ने चारों क्षेत्रीय हबों (हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई एवं चेन्नई) की विद्यमान कार्मिक संख्या को भी 241 से बढ़ाकर 460 करने का अनुमोदन प्रदान किया है। हैदराबाद और कोलकाता में रीइन्फोर्स्ड क्षेत्रीय हबों की अवसंरचना के सृजन के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 16.06.2014 और 07.10.2014 को क्रमशः 157.84 करोड़ रूपए और 162.88 करोड़ रूपए की धनराशि मंजूर की है। वर्तमान में हैदराबाद और कोलकाता स्थित रीइन्फोर्स्ड क्षेत्रीय हबों के लिए अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

8.87 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात् विशेष सेवा ब्यूरो का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा सशस्त्र सीमा बल के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल सीमा तथा भारत–भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.88 एस एस बी की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। इस बल के 06 फ्रंटियर्स और 18 सेक्टर मुख्यालय (14 सीमा पर, 02 विशेष अभियानों के लिए और 02 गठन के अधीन) हैं। नेपाल और भूटान, दोनों सीमाओं पर जिम्मेदारी का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी. की दूरी तक है। इसके अतिरिक्त, एसएसबी की तैनाती सीआई भूमिका/एएनओ कर्तव्यों के लिए जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं ओडिशा राज्यों में भी की गई है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.89 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, सशस्त्र सीमा बल द्वारा निम्नलिखित सामग्रियों की जब्ती और गिरफ्तारियां की गईं:

क्रम सं.	मदें	मूल्य (रूपए में)	गिरफ्तारियों की संख्या
i)	नार्कोटिक्स	4953.15	135
ii)	एफआईसीएन	17.32	16
iii)	भारतीय मुद्रा	106.66	15
iv)	अन्य मुद्रा	127.13	17
v)	निषिद्ध सामग्री/वर्जित वस्तुएं	4090.72	2118
vi)	वन उत्पाद	4584.96	194
vii)	वन्यजीव उत्पाद	1007.34	24
viii)	मवेशी	933.33	320
ix)	सोना	32.35	06
x)	चांदी	26.39	14
xi)	प्राचीन मूर्तियां	3390.00	09
	कुल	**19269.35**	**2868**

8.90 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित हथियार/विस्फोटक सामग्री जब्त की गई:

क्र.सं.	मदें	मामलों की सं.	मात्रा (सं.)	गिरफ्तारियों की संख्या
i)	फैक्टरी निर्मित	20	35	29
ii)	देशी	56	100	86
iii)	कारतूस	02	-	04
iv)	विस्फोटक	14	651.620	10

8.91 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान की गई कुल गिरफ्तारियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	गिरफ्तारियों की संख्या
i	माओवादी/माओवादियों से संबद्ध व्यक्ति	89
ii	उग्रवादी/आतंकवादी	0
iii	एनडीएफबी काडर/लिंक मैन	24
iv	अवैध घुसपैठिए (विदेशी)	15
v	अन्य अपराधी/असामाजिक तत्व	2960
	कुल	**3088**

8.92 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान मानव तस्करी के मामले में एसएसबी की निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं:

(क)	बचाए गए कुल व्यक्ति	317
(ख)	गिरफ्तार किए गए कुल तस्कर	98

खेल–कूद संबंधी उपलब्धियां

8.93 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान एसएसबी ने निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित पुरस्कार/पदक प्राप्त किए:

क) दिनांक 04.05.2015 से 10.05.2015 तक बैंकाक, थाईलैंड में 30वां किंग्स सीपाकताक्राव वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। भारतीय सीपाकताक्राव दल के सदस्यों के रूप में एसएसबी सेंट्रल सीपाकताक्राव दल के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्होंने 02 कांस्य पदक जीते:–

i) कांस्टेबल/जीडी डब्ल्यू. संजेक सिंह – 01 कांस्य पदक

ii) कांस्टेबल/जीडी जी. जीतेश्वर शर्मा – 01 कांस्य पदक

ख) एसएसबी के कांस्टेबल/जीडी मोनू कुमार और कांस्टेबल/जीडी (महिला) लतारानी देवी ने दिनांक 25.06.2015 से 05.07.2015 तक वर्जीनिया, यूएसए में आयोजित 2015 फेयर फैक्स वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में क्रमशः निशानेबाजी और मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय पुलिस टुकड़ी का प्रतिनिधित्व किया और 08 पदक (03 स्वर्ण एवं 05 रजत) जीते। कांस्टेबल/जीडी मोनू कुमार ने निशानेबाजी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 02 स्वर्ण और 05 रजत पदक जीते, जबकि, कांस्टेबल/जीडी (महिला) लतारानी देवी ने 63.5 किग्रा. वजन की श्रेणी वाली महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 01 स्वर्ण पदक जीता।

ग) एसएसबी सीपाकताक्राव दल के निम्नलिखित 02 खिलाड़ियों ने स्टेसबर्ग, फ्रांस में आयोजित 11वीं इंटरनेशनल डे फ्रांस डे सीपाकताक्राव चैम्पिनशिप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीता:–

i) कांस्टेबल/जीडी जी. जीतेश्वर शर्मा

ii) कांस्टेबल/जीडी डब्ल्यू. संजेक सिंह।

नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम

8.94 आम लोगों की भागीदारी से सीमा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए एसएसबी द्वारा दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम संचालित किए गए:

क) प्रधान मंत्री जन धन योजना: भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान की सीमाओं पर स्थित गांवों में एसएसबी की सहायता से इस योजना के अंतर्गत 3,64,232 बचत बैंक खाते खुलवाए गए।

ख) क्लेफ्ट लिप शल्य चिकित्सा: "दर्पण–स्माइल ट्रेन" के सहयोग से सीमावर्ती लोगों के लिए मुफ्त क्लेफ्ट लिप एवं क्लेफ्ट पैलेट शल्य चिकित्सा का आयोजन किया गया। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 93 लोगों की सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा की जा चुकी है।

ग) मोबाइल मेडीकेयर एवं एम्बुलेंस सेवाएंः भारत–नेपाल सीमा और भारत–भूटान सीमा पर स्थित 9 सुदूर स्थानों (अर्थात बनबासा, सोनौली, जोगबनी, पनटोका, पानीटंकी, डारंगा, भैरवकुंड, रायमोना और दादगिरी) पर सीमावर्ती लोगों के लिए एसएसबी मुफ्त 24X7 मोबाइल मेडीकेयर एवं एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही है। दिसम्बर 2015 तक 29 नेपाली नागरिकों सहित कुल 2278 लोग आज की तिथि तक इससे लाभान्वित हुए हैं।

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.95 भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती योजना को वर्ष 2014–15 से संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार हैः–

क) सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। उम्मीदवारों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एस एम एस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

ख) आवेदन–प्रपत्रों को ओ एम आर (ऑप्टिकल मैगनेटिक रेकगनिशन) शीट में केन्द्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि कम्प्यूटरों के माध्यम से तीव्रता से इनकी संवीक्षा की जा सके। लिखित परीक्षा में ओ एम आर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु–विकल्प वाले प्रश्न ही होते हैं।

ग) हिंदीतर भाषी राज्यों में तीन भाषाओं में एवं हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में) प्रश्न–पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

घ) पी ई टी (शारीरिक क्षमता जांच) अब मात्र अर्हक प्रकृति की होती है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता। साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

ङ) भर्ती प्रक्रिया की तरजीही तौर पर वीडियोग्राफी की जा रही है।

च) भर्ती के सभी चरणों में बायोमीट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

8.96 सीमावर्ती और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता हैः–

क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख) सीमा चौकसी बलों (बीजीएफ) (अर्थात् असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

ग) सीमा चौकसी बलों (बीजीएफ) में 20% रिक्तियां, समय–समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उग्रवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

घ) बी जी एफ से भिन्न अन्य बलों में, 40% रिक्तियां, समय–समय पर यथा अधिसूचित उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

ड.) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी रिक्त पदों की संख्या का बड़ा हिस्सा खाली रह जाता है, गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार उस राज्य/क्षेत्र/प्रदेश–विशेष में रिक्तियों को भरने

के लिए विशेष भर्ती रैलियाँ चलाने का निदेश देता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विमान सहायता

8.97 गृह मंत्रालय के संरक्षण में बीएसएफ का एयरविंग, हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों को पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान करने, कार्रवाई के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सीएपीएफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग शामिल हैं, अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और अभी इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में, इसके बेडे में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्जीक्यूटिव जेट, 02 ए वी आर ओ एच एस–748 और 08 एम आई–17 1वी, 05 एमआई–17वी 5, 06 ए एल एच/ध्रुव एवं 01 चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

8.98 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिनांक 03.05.2013 को एक आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रयास किया गया है कि "जवान" आधुनिकीकरण के केंद्र बिंदु के रुप में रहें। दोहराए गए सामान्य विषय निम्नलिखित हैं:

क) सुरक्षात्मक उपकरण समाधान

ख) सर्विलांस सॉल्यूशंस

ग) नाइट फाइटिंग डोमिनेंस

घ) बेहतर फायर पावर

ड) गैर–घातक दंगा नियंत्रक उपकरण

च) फूलप्रूफ संचार

छ) रणभूमि प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सहायताः विविध उपकरण

8.99 आधुनिकीकरण योजना (सीएपीएफ–वार) के वित्तीय निहितार्थ का सार निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

बल का नाम	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रू. में)
ए आर	1545.47
बीएसएफ	4570.07
सीआईएसएफ	264.36
सीआरपीएफ	2619.16
आईटीबीपी	686.87
एनएसजी	664.62
एसएसबी	658.64
कुल	**11009.19**

आधुनिकीरण योजना–।। की मुख्य विशेषताए

8.100 आधुनिकीकरण योजना–।। में, निम्नलिखित हथियारों और उपकरणों का समावेश किया गया है:–

क) अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल), मल्टी ग्रेनेड लांचर (एमजीएल), एंटी मटीरियल राइफल, अल्प घातक हथियार, गन शॉट खोज प्रणाली जैसे हथियार एवं मौजूदा कार्बाइनों और पिस्तौलों को आधुनिक पिस्तौलों, सब मशीन गनों एवं असाल्ट राइफलों से बदला जाना।

ख) भू–भेदी रडार प्रणाली, मानव–रहित हवाई यान, लक्ष्य प्राप्त करने वाला बाइनॉकुलर, कॉर्नर शॉट्स, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, (एचएचटीआई)/थर्मल साइट्स/रात्रि दृश्य उपकरण (एनवीडी), अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स, उन्नत चिकित्सा उपकरण आदि जैसे उपकरण।

ग) माइन–सुरक्षित वाहन, बुलेट प्रतिरोधी वाहन/नौका आदि।

घ) जैमर्स एवं इंटरसेप्टर्स सहित संचार उपकरण।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय

8.101 आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा निष्पादित की जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च जोखिम वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए विगत 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है:

वर्ष 2003–04 से 2015–16 (04.01.2016 तक) की अवधि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	ए आर	बी एस एफ	सी आई एस एफ	सी आर पी एफ	आई टी बी पी	एन एस जी	एस एस बी	कुल
2003-2004	929.15	2970.24	982.19	2087.78	468.32	113.81	315.92	7867.41
2004-2005	1005.64	2635.76	1061.24	2516.96	552.72	128.00	381.84	8282.16
2005-2006	1314.17	3560.45	1134.07	3228.03	576.25	140.28	381.97	10335.22
2006-2007	1478.29	3398.85	1225.59	3642.40	707.99	151.19	779.92	11384.23
2007-2008	1541.81	3879.00	1376.23	3911.69	1000.73	163.90	943.70	12817.06
2008-2009	2016.27	5398.50	2169.28	5557.82	1433.24	210.52	1241.63	18027.26
2009-2010	1599.02	4472.66	1978.88	5262.33	1134.05	231.70	801.31	15479.95
2010-2011	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011-2012	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012-2013	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-2014	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-2015	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42288.04
2015-2016	3351.67	11397.70	4382.32	12171.69	3302.35	501.96	3223.63	38331.32

अवसंरचना का विकास

8.102 वर्ष 2015–16 (31.12.2015 तक) के दौरान सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए 837.28 करोड़ रू. और भूमि के अधिग्रहण के लिए 179.36 करोड़ रू. मंजूर किए गए हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आवास परियोजना

8.103 सरकार ने दिनांक 10.11.2015 के आदेश के माध्यम से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 3,090.98 करोड़ रू. की लागत से 13,072 मकानों एवं 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

8.104 वर्ष 2015–16 के दौरान, दिनांक 30.12.2015 तक 805 मकानों और 40 बैरकों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

भत्ते

8.105 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन अनेक भत्ते, जैसे कि, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, डिटैचमेंट भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, राशन मनी भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता एवं धुलाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

8.106 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्ते, यथा मकान किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि प्राप्त करने के भी पात्र हैं। तथापि, तैनाती के स्थान, पात्रता के मानदंडों और ऐसे भत्तों से संबंधित निबंधनों एवं शर्तो के आधार पर दरों तथा भत्तों की पात्रता भिन्न–भिन्न होती है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

8.107 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी– कभी किसी आतंकवाद– रोधी/माओवादी संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई है। इन सबके अलावा, दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान सीएपीएफ और असम राइफल्स के मृतक कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह मुआवजे के एकमुश्त भुगतान के लिए 17.50 करोड़ रू. की राशि और नेपा को अपने जवानों के कल्याण के लिए सामान्य कल्याणकारी अनुदान (एनडब्ल्यूजी) के रूप में 3 करोड़ रू. की राशि मंजूर की गई है।

8.108 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) भी स्थापित किया गया था। डब्ल्यू एआरबी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण देश में 6 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 139 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सीपीएफसीएस)

8.109 सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सी पी एफ सी एस) शुरू की गई थी। चूंकि केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन की सुविधा राज्य पुलिस के लिए भी लागू कर दी गई है, इसलिए सीएपीएफ और राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में दिनांक 31.12.2015 तक 80 से ज्यादा सहायक कैंटीनें स्थापित की गई हैं। 119 मास्टर कैंटीनें और 1,435 सहायक कैंटीनें चल रही हैं जो सहायक कैंटीनें, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीएफसी को वैट से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है। इस समय 17 राज्यों अर्थात् मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मणिपुर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, केरल, चंडीगढ़, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात ने सीपीएफसी को वैट से छूट प्रदान की है।

8.110 इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बगैर लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी के सामानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए 426 से अधिक प्रसिद्ध विनिर्माता/फर्में, केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सी पी सी) के साथ सूचीबद्ध/पंजीकृत हैं। सी पी एफ सी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रुझान जारी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसका टर्नओवर, वर्ष 2013–14 में 890.48 करोड़ रुपए की तुलना में 1,222.31 करोड़ रूपए था। केन्द्रीय पुलिस कैंटीन प्रणाली में स्मार्ट कार्ड लागू करने हेतु 2 मास्टर कैंटीनों और उनसे जुड़ी सहायक कैंटीनों में पायलट परियोजना के रुप में इसे क्रियान्वित करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस उद्देश्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति का मामला प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

8.111 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और इस दौरान वे अपनी पारिवारिक वचनबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते । उनके बच्चे पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, सीएपीएफ के सेवारत और पूर्व कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पूर्व वर्ष के पुनःनवीकृत मामलों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल 910 छात्रवृत्तियां प्रदान करने पर विचार

किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्तियों की संख्या 910 से बढ़ाकर 2000 कर दी है। इसके अलावा, छात्रवृत्ति की अवधि को अब संशोधित करके 1 से 5 वर्ष कर दिया गया है, ताकि बीएड पाठ्यक्रम को इसमें स्थान दिया जा सके, जिसका प्रारंभ एक वर्ष की अवधि के साथ होता है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

8.112 सीएपीएफ के कार्मिक आम तौर पर अपनी ड्यूटी असुविधाजनक वातावरण में और कठिन परिस्थितियों के अधीन निष्पादित करते हैं। सीमाओं की रक्षा करते समय उन्हें ऊँचाई वाले स्थानों पर भी तैनात किया जाता है और नक्सलियों एवं आतंकवादियों का मुकाबला करते समय उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने के लिए, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होती हैं, उनके कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैंः–

i. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वह अपेक्षित उपकरणों से लैस है।

ii. उपलब्ध चिकित्सा कर्मियों और सामग्रियों के बेहतर उपयोग के लिए, वर्ष 2004 में सम्पूर्ण देश में पचास बिस्तर वाले 32 कम्पोजिट अस्पतालों, सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों और ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में 200 बिस्तर वाले एक रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ की सेवाओं एवं अस्पतालों का एकीकरण किया गया है।

iii. इन कम्पोजिट अस्पतालों और रेफरल अस्पताल के माध्यम से जरुरतमंद कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

iv. किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सीएपीएफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सीएपीएफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

v. भारत–पाकिस्तान एवं भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर तैनात बीएसएफ की बटालियनों के लिए 30 अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों की मंजूरी प्रदान की गई है, जिन्हें एक चिकित्सक से कवर कर पाना मुश्किल है।

vi. 02 रिहैबिलिटेशन केंद्रों (सी आर पी एफ और बी एस एफ, प्रत्येक में 01) की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

vii. 100 बिस्तर वाले सभी 06 कम्पोजिट अस्पतालों में डायलिसिस केन्द्रों की मंजूरी दी गई है।

viii. 200 बिस्तर वाले रेफरल अस्पताल को फर्नीचर, कपड़ों एवं विविध सामग्री वाले स्टोरों की खरीद के लिए अधिकृत करने की मंजूरी दी गई है।

ix. नए मंजूर किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) के निर्माण का कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपा गया है। इस परियोजना के ले आउट प्लान को दिनांक 30.11.2015 को संशोधित किया गया है। संबंधित एजेंसियों से क्लीयरेंस मिलने के तत्काल बाद निर्माण कार्य शुरूकर दिया जाएगा। दिनांक 30.11.2015 को 1219.21 करोड़ रू. के ए.ए. एंड ई.एस. की सूचना दे दी गई है।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

8.113 महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति (2010–11) ने अपनी छठी रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) और नौवीं रिपोर्ट में 'अर्ध सैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर सिफारिशें दी हैं। समिति की उपर्युक्त रिपोर्टों में शामिल सिफारिशों एवं टिप्पणियों की जांच की गई है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

8.114 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, नई स्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करने, अधिकाधिक महिलाओं को अभियान संबंधी ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कार्मिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः–

क. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित कर ली हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठन से अध्यक्ष की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ख. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। वे यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच करने से संबद्ध हैं। अर्ध सैनिक बलों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ–साथ, यौन उत्पीड़न के संबंध में अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग, आवधिक रिपोर्टों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

ग. महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सरकारी सेवाओं में इसके निहितार्थ के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

घ. सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। चूंकि संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर वाहनों में परिवर्तन करने का प्रावधान शामिल है, अतः जरूरत के आधार पर वाहनों में तदनुसार बदलाव किया जा सकता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालयों का भी प्रावधान किया जा सके।

ङ. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है और क्रेच से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

च. कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती मांग को पूरा करने और बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सीआरपीएफ में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 2 पुरुष बटालियनों की बजाय 2 महिला बटालियनों के गठन की मंजूरी दी है।

छ. दिनांक 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार हैः

बल	कुल पद संख्या	महिलाओं की पद संख्या	प्रतिशतता
ए आर	65,614	593	0.90%
बी एस एफ	2,48,326	4,147	1.66%
सी आई एस एफ	12,7,008	6,505	05.12%
सी आर पी एफ	30,8,862	6,307	02.04%
आई टी बी पी	81,823	1,664	02.03%
एस एस बी	77,972	1,204	01.54%
कुल	**90,9,605**	**20,420**	02.24%

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

8.115 सीएपीएफ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दृष्टि से इस मंत्रालय में इस मामले पर आगे विचार किया गया है और शुरू में सीआरपीएफ एवं सीआईएसएफ में महिलाओं द्वारा भरे जाने के लिए कांस्टेबल के स्तर पर 33% पद और सीमा रक्षक बलों, अर्थात बीएसएफ,

एसएसबी तथा आईटीबीपी में कांस्टेबल के स्तर पर 14–15% पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। यह आरक्षण समस्तरीय होगा। इस संबंध में दिनांक 05 जनवरी, 2016 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

8.116 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इन बलों ने देश में आम संसदीय चुनावों तथा विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता की है।

8.117 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनावों के साथ–साथ उप चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इकट्ठा कर तैनात किया गया। भारी संख्या में सीएपीएफ/राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी)/आईआर बटालियन/सीमा शाखा गृह रक्षक (बीडब्ल्यूएचजी) को इकट्ठा कर बिहार विधान सभा चुनावों के दौरान भी तैनात किया गया।

8.118 वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक), सी ए पी एफ ने उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर के राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सहायता देना जारी रखा। जम्मू एवं कश्मीर सरकार को राज्य में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान, महाराष्ट्र सरकार को राज्य में सिंहस्थ मेला के दौरान और उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए सी ए पी एफ के अतिरिक्त कार्मिक भी उपलब्ध कराए गए थे। अनेक राज्यों, विशेषकर असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सीएपीएफ/आरएएफ के कार्मिकों को तैनात किया गया।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

8.119 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमता सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआरबी) गठित किए जाने की एक योजना प्रारंभ की गई थी।

8.120 153 आईआर बटालियनों की मंजूरी दी जा चुकी है और राज्यों द्वारा इनमें से 144 बटालियनों का गठन किया जा चुका है। झारखंड राज्य के लिए स्वीकृत शेष 01 आई आर बटालियन को स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया है।

8.121 आईआर बटालियन (दिनांक 24.12.2014 के आदेश के माध्यम से स्वीकृत बी) के लिए वर्तमान निधिकरण पद्धति निम्नानुसार हैः

(i) एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रु. है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके 75 प्रतिशत राशि (26.19 करोड़ रूपए) की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25 प्रतिशत राशि का वहन स्वयं किया जाएगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रु की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आई आर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50 प्रतिशत हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

(iii) इस प्रकार, एक आईआर बटालियन के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 51.19 करोड़ रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

8.122 बजट अनुमान 2015–16 में, आईआर बटालियनों के गठन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत 40.00 करोड़ रू. और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत 5.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल एवं बिहार के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष में 14.4189 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

8.123 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इस लक्ष्य के साथ इंजीनियरिंग के घटक के साथ विशेषज्ञता प्राप्त इंडिया रिजर्व बटालियन की एक योजना को अनुमोदित किया गया था कि ये बटालियनें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे आकार वाले विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी। ऐसी 10 एसआईआरबी स्वीकृत की गई थीं और झारखण्ड राज्य में 1 विद्यमान आईआरबी को एसआईआरबी में परिवर्तित किया गया था। एसआईआरबी का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	राज्य का नाम	नई एसआईआर बटालियन	विद्यमान आई आर बटालियनों का एस आई आर बी में परिवर्तन
1.	बिहार	02	-
2.	छत्तीसगढ़	02	-
3.	झारखंड	01	01
4.	मध्य प्रदेश	01	-
5.	ओडिशा	03	-
6.	पश्चिम बंगाल	01	-
कुल		**10**	**01**

एसआईआरबी के लिए वित्तीय मानक

8.124 भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों तक इसकी पूरी लागत, छठे वर्ष में 75% लागत, सातवें वर्ष में 50% लागत और आठवें वर्ष में 25% लागत का वहन किया जाएगा। नौवें वर्ष से इसकी लागत का वहन संपूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रति एसआईआरबी प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल लागत (अधिकतम) 161 करोड़ रू. है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

पहले 8 वर्षों के लिए वेतन एवं भत्ते	117.00 करोड़ रू.
एक बारगी गठन लागत	19.00 करोड़ रू.
पूंजीगत लागत (भूमि की लागत को छोड़कर)	25.00 करोड़ रू.

8.125 एसआईआरबी में परिवर्तित आईआर बटालियन के संबंध में प्रतिपूर्ति की लागत 35.81 करोड़ रूपए है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

पहले 8 वर्षों के लिए वेतन एवं भत्ते	32.31 करोड़ रू.
इंजीनियरिंग उपकरण की लागत	3.50 करोड़ रू.

*****

अध्याय 9

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

9.1 देश में पुलिस की जरुरतों और समस्याओं का पता लगाने, समुचित अनुसंधान परियोजना एवं अध्ययन करने तथा उभरती हुई चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत विकल्पों का सुझाव देने के लिए दिनांक 28.08.1970 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसे भारत और विदेश, दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रखने का कार्य भी सौंपा गया था। इस समय, इसके 5 प्रभाग हैं, जिनके नाम हैं अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास, राष्ट्रीय पुलिस मिशन, विशेष इकाइयां और प्रशासन।

ड्यूटियों का चार्टर

9.2 पुलिस को प्रभावित करने वाले सामान्य स्वरूप के विभिन्न प्रकार के अपराधों और समस्याओं का अध्ययन:

(i) विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति और कारण।

(ii) अपराध निवारण संबंधी उपाय, उनकी प्रभावकारिता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के साथ संबंध।

(iii) पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिनियम और नियमावली का संयोजन, शक्ति, प्रशासन, पद्धति, प्रक्रिया और तकनीक।

(iv) वैज्ञानिक सहायता प्रदान करके जांच–पड़ताल, उपयोगिता और परिणामों की पद्धतियों में सुधार।

(v) दंडात्मक उपबंधों सहित कानून की अपर्याप्तता।

(vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं के समन्वय से संबंधित कार्य।

(vii) व्यावसायिक हित वाले क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना।

(viii) अपराध विज्ञान, पुलिस विज्ञान और सुधारात्मक प्रशासन में डॉक्टोरल कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्वानों को सभी फेलोशिप प्रदान करने के लिए भारत सरकार की फेलोशिप योजना कार्यान्वित करना।

(ix) भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर व्यावसायिक हित के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(x) विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना और विभिन्न स्तरों पर पुलिस और कारागार संबंधी विषयों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए प्रेरित करना।

(xi) अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित करना और साथ ही अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेना/समन्वय करना।

(xii) समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से पुलिस सुधार लागू करने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और मानकों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित संगठनों में उनका प्रसार करना।

(xiii) पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों और सामान्य प्रशासन की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना।

(xiv) पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

(xv) कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी

शिखर सम्मेलन और अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।

(xvi) क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों (आरआईसीए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।

(xvii) बदलती सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारागार स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों (बुनियादी और सेवाकालीन दोनों) की समीक्षा करना और प्रायोजित करना, नई वैज्ञानिक तकनीकें और अन्य संबंधित पहलू शुरु करना।

9.3 अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 245 अनुसंधान अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों की रिपोर्टें और सिफारिशें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस बलों को भेजी जाती हैं। ब्यूरो ने किए गए सभी अनुसंधान अध्ययनों का संकलन नियमित आधार पर निकाला है। बीपीआरएंडडी ने पहले ही अनुसंधान अध्ययन संबंधी संकलन के तीन संस्करण प्रकाशित कर दिए हैं और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधितों में परिचालित कर दिया है।

योजनागत स्कीम के तहत पूर्ण किए गए 5 नए अनुसंधान अध्ययनों की सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	परियोजना निदेशक (पीडी)/परियोजना समन्वयक (पीसी)
1.	उग्रवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस का कार्यनिष्पादनः पूर्वोत्तर भारत में आत्मविश्लेषी समझ	डॉ. अनुराधा दत्ता (पीडी) डॉ. वी. वीरा राघवन (पीसी)
2.	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सक्रियता का अध्ययन	श्री वासबीर हुसैन (पीडी) श्री एच.के. डेका, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (पीसी)
3.	जेल कर्मचारियों के लिए कार्यनिष्पादन सूचकों का विकास	श्री वी. के. कुलश्रेष्ठ (पीडी) प्रो. एम जेड खान (पीसी)
4.	परिवीक्षा, पेरोल, छुट्टी की स्थिति और भारतीय जेल में भीड़ पर उनका प्रभाव	डॉ. शंकर सरोलिया, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (पीडी) श्री एस. पी. सिंह पुंडीर (सेवानिवृत्त) अपर महानिदेशक, कारागार, उत्तर प्रदेश (पीडी)
5.	पुलिस स्टेशनों में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति की आवश्यकता	श्री कमल कुमार, आईपीएस (सेवानिवृत्त) पीडी

अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग

अनुसंधान अध्ययन

9.4 **अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर (योजनागत स्कीम के तहत)**

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(ii) उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(iii) पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(iv) पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(v) पुलिस बलों/सीपीएमएफ में तनाव प्रबंधन।

(vi) अपराधों का गैर–पंजीकरणः समस्या एवं समाधान।

(vii) सभी रैंक के भारतीय पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान।

(viii) शराब पीकर गाड़ी चलाने के संबंध में कड़े कानून और यातायात प्रबंधन के लिए एसओपी।

(iX) अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पुलिस की तैनातीः कपड़ा, परिवहन, संचार, चिकित्सा, राशन की आवश्यकता और मानकीकरण के साथ अधिक ऊंचाई के लिए भवन संबंधी स्थान के मानदण्डों का स्तरोन्नयन।

9.5 अनुसंधान अध्ययन प्रगति पर (योजनेतर स्कीम के तहत)

(i) स्थानीय स्वशासन और पुलिस व्यवस्थाः भारत में पुलिस सुधारों संबंधी एक अध्ययन।

(ii) अन्य देशों में विद्यमान स्थिति के आलोक में अपराध के पीड़ितों के मुआवजे संबंधी रूपरेखा ताकि इसे हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अंग बनाया जा सके।

(iii) दिनांक 1.1.2009 से हत्या और इस प्रकार के मामलों के निर्णय में विलंब के कारणों पर बल देने के साथ मामलों के प्रबंधन सहित प्रबंधकीय समाधान सुझाना।

(iv) सुशासन को बढ़ावा देने के लिए विधिविज्ञान संबंधी उपायों का प्रयोग।

(v) बैंक धोखाधड़ियों का विस्तार और कार्य प्रणालीः तमिलनाडु राज्य में बैंक धोखाधड़ियों से निपटने में पुलिस की भूमिका।

(vi) आपदा संबंधी आपातकालीन स्थिति में पुलिस की भूमिका।

(vii) अपराध, उत्पीड़न और अपराध से हुई क्षति का आकलनः तमिलनाडु में अन्वेषणात्मक विश्लेषण।

(viii) गोवा में लिंगभेद संबंधी मामलों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण।

(ix) राज्य पुलिस कार्मिकों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल कार्मिकों के आत्महत्या संबंधी मामलों का अध्ययन और इस प्रकार के मामलों को रोकने संबंधी सुझाव।

(x) आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित अपराध की इटियोलॉजीः एक तुलनात्मक विश्लेषण।

(xi) पुलिस कार्मिकों की थकानः कारण और उपचार।

(xii) मानव दुर्व्यापार का विरोध और बचाए गए व्यक्तियों के पुनर्वास में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की अन्तर्ग्रस्तता।

(xiii) मूल्यांकन के लिए आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सामुदायिक भागीदारी हेतु विशिष्ट उपायों की पहचान।

(xiv) पुलिस की जबावदेही, प्रेरणा और नियंत्रण संबंधी अध्ययन।

(xv) मूल–भूत स्तर (पुलिस स्टेशन) पर विवाद प्रबंधन एवं विवाद का समाधान।

(xvi) दुर्व्यापार के साथ लापता बच्चों का संबंधः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

(xvii) केन्द्रीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण और भावी दृष्टिकोण।

(xviii) उग्र भीड़ संबंधी हालात में पुलिस कार्रवाई के प्रति स्टेकहोल्डरों की प्रतिक्रिया समझना।

(xix) पुलिस की खुशहाली के संबंध में पुलिस की प्रभावकारिता के प्रभाव की जांच।

(xx) माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के उत्तरी क्षेत्र में विकासवादी पहलों के प्रभाव का सर्वेक्षण।

(xxi) माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के दक्षिणी क्षेत्र में विकासवादी पहलों के प्रभाव का सर्वेक्षण।

(xxii) एक राष्ट्र स्तरीय सूचना विनिमय मॉडल की अवधारणा करना जो स्वतंत्र मानदंडों पर आधारित होगी और विभिन्न क्षेत्रों (जैसे निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सार्वजनिक डाटाबेस के अभिरक्षक) की एजेंसियों के बीच अपराध/अपराधी से संबंधित सूचना के निर्बाध आदान–प्रदान की अनुमति प्रदान करेगी।

(xxiii) बेंगलुरू शहर के पुलिस कार्मिकों में तनाव का स्तर और संबंधित रोग।

(xxiv) केन्द्रीय पुलिस संगठनों – सीआईएसएफ और आईटीबीपी में व्यक्तिगत खुशहाली (एसडब्ल्यूबी) संबंधी कल्याण योजना का प्रभाव।

(xxv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विश्वास निर्माण संबंधी उपाय।

(xxvi) कैदियों के सुधार और पुनर्वास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका।

(xxvii) महिला कैदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याएं और उनके पुनर्वास की स्थिति।

(xxviii) कारागार प्रबंधन और कैदियों के पुनर्वास में भारतीय कारागार शिक्षा की दक्षता और प्रभावः अनुभवजन्य अध्ययन।

शुरू किए गए आंतरिक अनुसंधान अध्ययन (योजनेतर स्कीम के तहत)

9.6 पुलिस द्वारा तथाकथित ज्यादती सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अपराध, ताकि उनके कारणों की छानबीन की जा सके तथा निवारक उपाय सुझाए जा सकें।

फेलोशिप

9.7 डाक्टोरल कार्य प्रगति पर (भारत सरकार की फेलोशिप योजना के तहत)

(i) राजस्थान पुलिस में (प्रशिक्षु कांस्टेबलों के विशिष्ट संदर्भ में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मनोवैज्ञानिक प्रभावकारिता।

(ii) आंध्र प्रदेश में महिला अपराधीः एक सामाजिक अध्ययन।

(iii) बलात्कार संबंधी मामलों में पुलिस की भूमिका और विधिविज्ञान उपायों का प्रयोग।

(iv) मादक पदार्थों के बारे में किशोरों का ज्ञान और अनुभव–मदुरै जिले में स्कूली बच्चों का अध्ययन।

(v) विचाराधीन कैदियों और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएंः तमिलनाडु में एक अध्ययन।

(vi) असम के चाय बागान समुदायों में अपराधः एक सामाजिक अध्ययन।

(vii) आंध्र प्रदेश में सामुदायिक पुलिस व्यवस्थाः हैदराबाद पुलिस के वृत्त का अध्ययन।

(viii) तमिलनाडु में किशोरों को कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करने वाले आकस्मिक कारकों का अध्ययनः सामाजिक दृष्टिकोण।

(ix) भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संरचना–एक अध्ययन।

(x) स्वापक पदार्थ और धनशोधन–भारत में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और अफीम उत्पादकों का अध्ययन।

(xi) अर्धसैनिक बल कार्मिकों में नौकरी छोड़ने के इरादे और व्यक्तिगत खुशहाली की भावना पर नौकरी संबंधी और स्वयं से संबंधित परिवर्तनों का प्रभाव।

(xii) छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी क्षेत्र में कार्यरत पुलिस कार्मिकों के संबंध में तनाव का आकलन और प्रबंधन।

(xiii) तमिलनाडु के शहरों में हिंसक अपराधों की स्थानिक परिवर्तनशीलताः भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अभिगम।

(xiv) साइबर अपराध का शिकार बनानाः तमिलनाडु में पीड़ितों का स्थितिजन्य विश्लेषण।

(xv) भारत में महिला कैदियों के अधिकारों के दुरुपयोग की समस्या– पंजाब के विशिष्ट संदर्भ में अध्ययन।

(xvi) कम्प्यूटर मध्यस्थ पारस्परिक अपराधः वैश्विक शहरों में कॉलेज के विद्यार्थियों की साइबर धमकियों का अध्ययन।

(xvii) महिला पुलिसः भूमिका, निर्वहन और कार्य संतुष्टि।

(xviii) भारत में बाल अपराध परिप्रेक्ष्य, प्रवृत्तियां तथा मीडिया की भूमिका का एक अपराध शास्त्रीय अध्ययन।

(xix) पुलिस कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक तनाव, स्व–प्रभावकारिता, साहस और सामना करने संबंधी रणनीतियों के संदर्भ में दवाब का अध्ययन।

(xx) आतंकवाद के पीड़ितः बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पश्चात मुम्बई बम विस्फोटों का विश्लेषण।

(xxi) कारागार सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण।

(xxii) पुलिस कार्मिकों में नैतिक और प्रेरणादायक मामलेः आंध्र प्रदेश पुलिस का अध्ययन।

(xxiii) कार्य में दृढ़ताः भर्ती किए गए पुलिस कांस्टेबलों का मानव संबंध कौशल के बारे में प्रशिक्षण–केरल का अनुभव।

(xxiv) विधानेतर बाल अपराध का समाजशास्त्रः वाराणसी नगर पर आधारित एक समाज शास्त्रीय अध्ययन।

(xxv) अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल के विशिष्ट संदर्भ में पुलिस पब्लिक इंटरफेस।

(xxvi) तटीय ओडिशा में पुलिस पब्लिक संपर्कः पुलिस कार्मिकों, सामान्य लोगों, विशिष्ट राजनैतिक वर्गों और विधि विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से सामाजिक–मनोवैज्ञानिक विश्लेषण।

प्रायोजित किए गए सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं

9.8 दिनांक 11.3.2015 से 13.03.2015 तक गांधीनगर, गुजरात में 44वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया।

आधुनिकीकरण विंग

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशालाएं

9.9 गृह मंत्रालय के निदेशानुसार बीपीआरएंडडी ने स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के संबंध में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की थीं। ये चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं अप्रैल–मई, 2015 के दौरान बेंगलुरु, गुवाहाटी, भोपाल और चण्डीगढ़ में आयोजित की गई थीं जिनमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सर्वोत्तम अभ्यास और अच्छी पहलें प्रस्तुत की गईं और उन पर चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया। बीपीआरएंडडी द्वारा चुनिंदा सर्वोत्तम अभ्यासों और अच्छी पहलों का संकलन किया गया और सर्वोत्तम अभ्यासों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था का एक संकलन प्रकाशित किया गया जिसमें स्मार्ट पुलिस व्यवस्था पर विजन नोट शामिल है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन, 2015 में इस संकलन का पुस्तक के रूप में वितरण किया गया।

उपकरणों का सार–संग्रह

9.10 अच्छी पद्धतियों और मानदंडों को बढ़ावा देने संबंधी अपने प्रयासों में, बीपीआरएंडडी ने दिसम्बर, 2014 में 'उपकरणों का तीसरा सार संग्रह' प्रकाशित किया है, जिसमें अक्तूबर 2011 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान सीएपीएफ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख उपकरणों के ब्यौरे दिए गए हैं। इस प्रकाशन में राज्य पुलिस बलों के लिए शीघ्र प्रापण के कार्य को सुकर बनाने और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए उत्पादों, उपकरण, प्रौद्योगिकी, मूल उपकरण विनिर्माता और उपकरण के खरीद मूल्य संबंधी उपयुक्त आंकड़े दिए गए हैं। महानिदेशक, बीपीआरएंड डी द्वारा दिनांक 04.03.2015 को उपकरणों का सार–संग्रह जारी किया गया था और इसे मार्च, 2015 के माह में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पुलिस महानिदेशकों, सीएपीएफ के महानिदेशकों और सीपीओ के प्रमुखों और गृह मंत्रालय को परिचालित किया गया था। कुछ राज्यों और सीएपीएफ से सकारात्मक फीड बैक प्राप्त हुए हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत माडल पुलिस स्टेशन ग्रेड–।।। का निर्माण

9.11 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के तहत बीपीआरएंडडी द्वारा मॉडल पुलिस स्टेशनों का निर्माण शुरू किया गया। मिजोरम और मणिपुर में मॉडल पुलिस स्टेशन ग्रेड–।।। के निर्माण को गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.12.2013 को प्रत्येक के लिए 1.00 करोड़ रूपए की लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। मणिपुर पुलिस तथा मिजोरम पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात, प्रत्येक को 33.33 लाख रु. जारी किए गए थे और चम्पई, मिजोरम तथा पोरोम्पट, इम्फाल में कार्य प्रगति पर है।

स्मार्ट पुलिस स्टेशन संबंधी संकल्पना–पत्र

9.12 बीपीआरएंडडी ने पुलिस स्टेशन भवनों में एकरूपता के लिए निम्नलिखित श्रेणी के स्मार्ट/आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन के संबंध में एक संकल्पना–पत्र तैयार किया है:–

(i) नई दिल्ली, कोलकाता आदि जैसे महानगरों में स्मार्ट/आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।

(ii) लखनऊ, इलाहाबाद, मदुरै आदि जैसे शहरों में स्मार्ट/आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।

(iii) नोएडा और गुड़गांव जैसे अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट/आधुनिक पुलिस स्टेशन।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट/आधुनिक पुलिस स्टेशन भवन।

(v) संकल्पना पत्र अपर महानिदेशक, बीपीआरएंडडी एवं दिनांक 21.01.2015 के अ.शा. सं. 43/03/2013–बीएलडीजी स्टैण्डर्ड के तहत एनपीए, हैदराबाद, एनईपीए (पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी), शिलांग, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीएपीएफ को अग्रेषित किया गया था।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

9.13 बीपीआरएंडडी में वर्ष 2008 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है। निम्नलिखित अधिदेश के साथ सात माइक्रो–मिशन कार्य कर रहे हैं:

(i) एम एमः 01 मानव संसाधन विकास

(पुलिस जनसंख्या अनुपात–कैरियर की प्रगति–नेतृत्व–उत्तरदायित्व–निष्पादन का मूल्यांकन–प्रशिक्षण – नेशनल पुलिस युनिवर्सिटी–मानसिकता में परिवर्तन–पुलिस कर्मियों का कल्याण आदि)।

(ii) एम एमः 02 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

(पुलिस व्यवस्था में समुदाय को शामिल करना–मीडिया उद्योग और अन्य संगत घटकों से पुलिस का आमना–सामना (इन्टरफेस)–पुलिस की छवि आदि)।

(iii) एम एमः 03 संचार और प्रौद्योगिकी

(पोलनेट–सी आई पी ए–साइबर तकनीक–विधिविज्ञान–डीएनए–नार्को विश्लेषण आदि)।

(iv) एम एमः 04 अवसंरचना

(भवन–शासकीय और आवासीय उपकरण और अस्त्र–शस्त्र आदि)।

(v) एम एमः 05 नई प्रक्रियाएं (इंजीनियरिंग की प्रक्रिया)

(जारी पुलिस पद्धतियां–पुनरीक्षा और प्रभाव विश्लेषण–मौजूदा सर्वोत्तम पद्धतियां– नवीनीकरण वर्ष 2015–भारत और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में वर्ष 2015 में उनकी स्वीकार्यता–प्रापण पद्धति–प्रत्यायोजन और विकेन्द्रीकरण आदि)।

(vi) एम एमः 06 सक्रिय पुलिस व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण

(उग्रवाद और नक्सलवाद–भीड़ द्वारा हिंसा–साइबर अपराध–धनशोधन–नार्को आतंकवाद – मानव दुर्व्यापार आदि)।

(vii) एम एमः 07 महिलाओं के प्रति अपराध और महिलाओं संबंधी मुद्दे

(बलात्कार पर विशेष बल सहित महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना और जानकारी पर आधारित अपराध रोकने की रणनीति)।

भारतीय पुलिस के लिए आतंकवाद–रोधी कौशल निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.14 वर्ष 2014–2015 के दौरान, राष्ट्रीय पुलिस मिशन, बीपीआरएंडडी ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के सहयोग से आतंकवाद को रोकने के संबंध में 72 आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। ये पाठयक्रम दिनांक 17.11.2014 से 28.11.2014, 11.05.2015 से 22.05.2015 और 01.06.2015 से 12.06.2015 तक हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अब आतंकवाद–रोधी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के पाठ्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। अब से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद नियमित रूप से ये पाठ्यक्रम आयोजित करेगी।

गोल्डन आवर ट्रॉमा केयर

9.15 भयंकर दुर्घटनाओं के पश्चात पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। यदि पीड़ित को इस अवधि के दौरान शीघ्र चिकित्सीय सहायता मुहैया कराई जाए, तो सड़क पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। एमएमः 03 ने सेलम (तमिलनाडु) शहर में परीक्षण किए गए सफल मॉडल पर आधारित एक परियोजना (गोल्डन आवर ट्रॉमा केयर) विकसित की है। इस परियोजना में सरकारी, निजी अस्पतालों और एम्बुलेंसों, सामान्य लोगों और ऑटो चालकों को शामिल किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस प्रणाली पर पुलिस का नियंत्रण होगा। इस परियोजना में कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है। यह परियोजना विचाराधीन है।

स्वचालित यातायात निगरानी प्रणाली

9.16 भारतीय शहरों में वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से यातायात के नियंत्रण और उसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों, प्रदूषण और वाहनों के अनियंत्रित आवागमन जैसी समस्याएं भारी मात्रा में बढ़ रही हैं। एम एमः 03 ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक परियोजना (स्वचालित यातायात निगरानी प्रणाली) विकसित की है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से स्वचालित चालान प्रणाली के कारण राजस्व में वृद्धि होगी। इस राजस्व का उपयोग इस प्रणाली के रख–रखाव के लिए किया जा सकता है जिससे इसे जारी रखा जा सकेगा और इसके कारण सरकार से किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सड़क की बेहतर निगरानी भी होगी। यह परियोजना विचाराधीन है और पुलिस बलों को परिचालित की जाएगी।

महिलाओं संबंधी मामलों का प्रभाग

एम एमः 07 की बैठक (महिलाओं संबंधी मामले)

9.17 बीपीआरएंडडी द्वारा दिनांक 26.06.2015 को नई दिल्ली में एम एमः 07 (महिलाओं संबंधी मामले) की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुईः–

- राज्यों द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए एसओपी और संकलन तथा परिचालन के लिए बेहतर एसओपी का चयन।
- महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में अभियोजन के लिए अपनाई जाने वाली अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें।
- महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में सर्वोत्तम जांच तकनीकें।
- महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों से निपटने के लिए जेंडर सुग्राहीकरण हेतु पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं।

राज्य पुलिस बलों में विशेष महिला पुलिस अधिकारियों (एसएमपीओ) की नियुक्ति के संबंध में मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए परामर्शदात्री बैठक।

9.18 राज्य में विशेष महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए दिनांक 04.09.2015 को नई दिल्ली में एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की गई थी। श्री वी. सोमसुन्दरम, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। बीपीआरएंडडी और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था।

प्रशासनिक प्रभाग

9.19 गृह मंत्रालय ने योजनागत स्कीम के तहत 117.31 करोड़ रु. की संशोधित लागत से महिपालपुर में एक नए स्थान पर बीपीआरएंडडी के नए मुख्यालय के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित नए मुख्यालय के लिए महिपालपुर गांव में 3.063 हेक्टेयर भूमि आबंटित की है। वर्ष 2015–16 के दौरान निर्माण एजेंसी द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैंः–

(क) सभी भवनों में आरसीसी ढांचागत संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया;

(ख) सभी भवनों का बाहरी परिष्करण कार्य पूरा किया गया;

(ग) एनसीआरबी ब्लॉक, सामान्य सुविधा ब्लॉक और पारगमन आवास की आंतरिक फर्श का कार्य (पूरा किया गया)।

(घ) फर्नीचर की फिटिंग (प्रक्रियाधीन)।

9.20 इस परियोजना की निर्माण एजेंसी ने 83% प्रतिशत वास्तविक कार्य पूरा कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान 59.17 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।

सांख्यिकी एवं प्रकाशन प्रभाग

सांख्यिकी इकाई

9.21 सांख्यिकी इकाई "भारत में पुलिस संगठन से संबंधित आंकड़े" जारी करती है जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) का वार्षिक प्रकाशन है। यह बहुत अनिवार्य प्रकाशन है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराती है। इस प्रकाशन में तथ्यों और आंकड़ों की सूक्ष्म जांच करने, प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था की योजना और निर्णय लेने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की गई विश्वसनीय सूचना से संबंधित विभिन्न सांख्यिकीय आंकड़े संकलित किए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण सूचना और सांख्यिकीय आंकड़े पुलिस अधिकारियों और नीति निर्माताओं के लिए पुलिस संगठन में अपनी सक्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसका नवीनतम संस्करण श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 01.01.2015 को जारी किया गया था।

भारतीय पुलिस पत्रिका (आईपीजे)

9.22 बीपीआरएंडडी का प्रशिक्षण प्रभाग आईपीजे प्रकाशित करता है, जो पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध तिमाही पत्रिका है। वर्ष 1954 से, यह पुलिस व्यवस्था में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माताओं से लेकर शैक्षणिक और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के स्तर के पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। आई पी जे के नियमित तिमाही संस्करणों के अतिरिक्त दिनांक 17.12.2015 को स्व. डॉ. आनन्दस्वरूप गुप्ता, बीपीआरएंडडी के प्रथम निदेशक द्वारा लिखी गई "भारतीय पुलिस–समस्या और संभावना" नामक एक पुस्तक जारी की गई जो पुलिस प्रणाली में वास्तविक समस्याओं और अतीत से वर्तमान तक इसके बदलते स्वरूप को प्रदर्शित करेगी।

प्रशिक्षण प्रभाग

9.23 बीपीआरएंडडी का प्रशिक्षण प्रभाग देश में राज्यों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण को सुकर बनाता है। यह विशेष तौर पर निम्नलिखित कार्य करता हैः–

(i) भावी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा और पहचान;

(ii) प्रशिक्षण संबंधी रणनीतियां और पद्धतियां तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(iii) प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानदंड तैयार करना;

(iv) प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की जांच करना;

(v) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधी परामर्श देना और सिफारिश करना।

घरेलू प्रशिक्षण

9.24 कलेंडर वर्ष 2015–16 के दौरान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने केन्द्रीय/राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रसिद्ध संस्थानों में 05 वर्टिकल संपर्क पाठ्यक्रम (वीआईसी) प्रायोजित किए, जिनमें 115 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (से – तक)	स्थान/संस्थान
1.	नेतृत्व	02.06.2015 से 06.06.2015	उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल
2.	भ्रष्टाचार और भावी शासन	15.06.2015 से 19.06.2015	सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद
3.	लोक व्यवस्था की रूपरेखा	30.06.2015 से 04.07.2015	आईएसए, सीआरपीएफ, माउंट आबू
4.	राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और पुलिस प्रतिक्रिया	07.09.2015 से 11.09.2015	आईबी केन्द्रीय स्कूल, नई दिल्ली
5.	जन हितैषी पुलिस व्यवस्था	05.10.2015 से 09.10.2015	आरपीए, जयपुर
6.	साइबर कानून एवं साइबर विधि विज्ञान	30.11.2015 से 04.12.2015	भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बेंगलुरू
7.	वामपंथी उग्रवाद	07.12.2015 से 11.12.2015	तेलंगाना पुलिस अकादमी, हैदराबाद
8.	अपराध प्रबंधन	07.12.2015 से 11.12.2015	नालसर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद

9.25 वर्ष 2015–2016 के दौरान बीपीआरएंडडी ने विभिन्न प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रायोजित किए जो विभिन्न संस्थानों में आयोजित किए गए और कुल 37 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (से – तक)	स्थान/संस्थान
1.	महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता का विकास	23.07.2015 से 25.07.2015	आईआईएम, लखनऊ
2.	पारस्परिक प्रभावकारिता और नेतृत्व की क्षमता	27.07.2015 से 31.07.2015	आईआईएम, कोलकाता
3.	लोगों को साथ लेकर चलनाः अनुनय द्वारा प्रबंध	03.08.2015 से 08.08.2015	आईआईएम, अहमदाबाद
4.	बातचीत संबंधी रणनीतियां	29.08.2015 से 30.08.2015	आईएसबी, हैदराबाद
5.	नेता किस प्रकार परिवर्तन लाते हैं	07.09.2015 से 09.09.2015	आईआईएम, बेंगलुरू
6.	प्रबंधकीय नेतृत्व और विवाद का समाधान	07.09.2015 से 12.09.2015	आईआईएम, कोलकाता
7.	प्रबंधकीय संप्रेषण में श्रेष्ठता	14.09.2015 से 17.09.2015	आईआईएम, कोलकाता
8.	संघर्ष प्रबंधन और बातचीत संबंधी कौशल	28.09.2015 से 30.09.2015	एमडीआई, गुड़गांव
9.	दल निर्माण और नेतृत्व	28.09.2015 से 01.10.2015	आईआईएम, कोलकाता
10.	व्यावसायिक महिलाओं में नेतृत्व की क्षमताओं और संभावनाओं की वृद्धि	28.09.2014 से 01.10.2015	आईआईएम, अहमदाबाद
11.	संचार एवं प्रस्तुतीकरण कौशल	16.11.2015 से 20.11.2015	आईआईएम, कोलकाता
12.	वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम	23.11.2015 से 27.11.2015	आईआईएम, कोलकाता
13.	ज्ञान प्रबंधन	07.12.2015 से 12.12.2015	आईआईएम, अहमादाबाद
14.	अग्रिम मानव संसाधन प्रबंधन	07.12.2015 से 12.12.2015	आईआईएम, अहमदाबाद
15.	प्रबंधकीय संचार में श्रेष्ठता	14.12.2015 से 17.12.2015	आईआईएम कोलकाता

9.26 बीपीआरएंडडी द्वारा लम्बी अवधि के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। ये इस प्रकार हैंः (क) दिनांक 01.07.2014 से आई आई पी ए, नई दिल्ली में लोक प्रशासन में 41वां उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम, (ख) दिनांक 8 जून, 2015 से वेलिंगटन में 71वां डी एस एस सी पाठ्यक्रम (ग) दिनांक 27 अप्रैल, 2015 से आई आई एम, बेंगलुरू में लोक नीति और प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और (घ) दिनांक 24 अप्रैल, 2015 से आईएसबी, हैदराबाद में लोक नीति संबंधी कार्यक्रम का प्रबंधन। 06 पुलिस अधिकारी इन लम्बी अवधि के पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

9.27 कमांडो पाठ्यक्रम, हथियार एवं रणनीतियां, बम निष्क्रियकरण, निरस्त्र मुठभेड़, आंतरिक सुरक्षा, भीड़ को तितर–बितर करना, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, विद्रोह–रोधी और जंगल युद्धकला (सीआईजेडब्ल्यू) आदि जैसे विषयों पर विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 44 अलग–अलग पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 1219 स्लाट आबंटित किए गए थे।

9.28 वेल्डर, आर्मरर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, वाहन मेकेनिक, बगलर, डॉग हैंडलर, माउंटेन वारफेयर, विद्रोह–रोधी, परिष्कृत विस्फोटक उपकरण और जंगल युद्धकला आदि विषयों पर इन संस्थानों द्वारा आयोजित 102 पाठ्यक्रमों के लिए सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में 2532 स्लाट आबंटित किए गए थे।

9.29 महिला पुलिस अधिकारियों (सहायक पुलिस निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक रैंक तक) के लिए चार (04) केन्द्रीय खुफिया पुलिस प्रशिक्षण स्कूल – (i) कोलकाताः दिनांक 09.09.2015 से 11.09.2015 तक, (ii) सीडीटीएस, चण्डीगढ़ः दिनांक 18.02.2015 से 20.02.2015 तक, (iii) सीडीटीएस, गाजियाबादः दिनांक 09.07.2015 से 11.07.2015 और (iv) सीडीटीएस, जयपुरः दिनांक 23.02.2015 से 25.02.2015 तक आत्म विकास और संघर्ष प्रबंधन विषय पर चार (04) विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 98 महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

9.30 बीपीआरएंडडी द्वारा आईआईएम, अहमदाबाद में 'व्यावसायिक महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना' और आईआईएम, लखनऊ में महिलाओं में नेतृत्व संबंधी उत्कृष्टता का विकास' विषय पर दो प्रबंधन विकास कार्यक्रम एमडीपी पाठ्यक्रम प्रायोजित किए गए, जिनमें 7 आईपीएस/वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

1.	महिलाओं में नेतृत्व संबंधी श्रेष्ठता का विकास	23.07.2015 से 25.07.2015	आईआईएम लखनऊ
2.	व्यावसायिक महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं और सामर्थ्य को बढ़ाना	28.09.2015 से 01.10.2015	आईआईएम अहमदाबाद

विदेशी प्रशिक्षण

9.31 राज्य विभाग, यूएसए के सहयोग से विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित 08 एटीए पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 140 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गयाः–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्थान	भाग लेने वाले सहभागियों की संख्या	रैंक
		कब से	कब तक		
1.	एटीए–10876, संकट प्रबंधन अभ्यास प्रशिक्षण पाठयक्रम तैयार करना	11/05/2015 से 20/05/2015	तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी, हैदराबाद	18	उप पुलिस अधीक्षक से उप पुलिस महानिरीक्षक
2.	एटीए–11147, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी परामर्श में श्रेष्ठतम सीटी अभ्यास	22/06/2015 से 26/06/2015	एसवीपी–एनपीए, हैदराबाद	13	पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक
3.	एटीए–10993, आतंकवादी अपराध स्थल की जांच	06/07/2015 से 17/07/2015	सीडीटीएस,हैदराबाद, बीपीआरएंडडी	15	निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक
4.	एटीए–10417, समुद्री बंदरगाह और हार्बर सुरक्षा प्रबंधन	20/07/2015 से 07/08/2015	तमिलनाडु पुलिस अकादमी, चेन्नई	15	उप पुलिस अधीक्षक से उप पुलिस महानिरीक्षक
5.	एटीए–10415 संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ	27/07/2015 से 31/07/2015	सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद	22	उप पुलिस अधीक्षक से उप पुलिस महानिरीक्षक
6.	एटीए–11238, विस्फोट के पश्चात जांच	24/08/2015 से 09/09/2015	मोंट्रॉस, यूएसए	24	उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक
7.	एटीए–10817, फर्जी दस्तावेज की पहचान संबंधी पाठ्यक्रम	15/09/2015 से 18/09/2015	एनईपीए	15	उप पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक
8.	एटीए–10807, बस और रेल प्रणाली पर आतंकवादी हमले की रोकथाम	09/12/2015 से 18/12/2015	सीआरपीएफ अकादमी, गुड़गांव	18	उप पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक
		कुल		140	

9.32 केन्द्र सरकार और राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में 'वीआईपी सुरक्षा', पीड़ित–विज्ञान (विक्टिमोलॉजी) एवं पीड़ित न्याय', 'विधिविज्ञान और फारेंसिक मेडिसन', 'साइबर अपराध की जांच और साइबर विधि विज्ञान', 'अपराध घटना स्थल की जांच', 'आईईडी बम को निष्क्रिय करना', 'आसूचना संग्रहण और विवेकपूर्ण पूछताछ संबंधी पाठ्यक्रम', 'नारकोटिक डॉग ट्रेनिंग', बटालियन कमांडर पाठ्यक्रम' आदि जैसे विषयों पर सार्क और अन्य मित्र राष्ट्रों के 186 से अधिक पुलिस अधिकारियों को निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया गया।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	जिस माह में आयोजित किया गया
1.	स्वापक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों का विश्लेषण	अगस्त–सितम्बर, 2015
2.	विधि विज्ञान जांच में वैज्ञानिक तकनीकें	सितम्बर, 2015
3.	महत्वपूर्ण स्थापना की सुरक्षा	सितम्बर, 2015
4.	बम निष्क्रियकरण पाठ्यक्रम	मार्च/अप्रैल 2015
5.	मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन	जुलाई, 2015
6.	डिजिटल वातावरण में तलाशी और जब्ती सहित विधिविज्ञान और वैज्ञानिक सहायता संबंधी जांच	सितम्बर, 2015
7.	कम्प्यूटर नेटवर्किंग और सुरक्षा में उन्नत कार्यक्रम	जून–अगस्त, 2015
8.	विधि प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी	अक्तूबर–नवम्बर, 2015
9.	बम निष्क्रियकरण	सितम्बर, 2015
10.	उन्नत अंगुल छाप विज्ञान	अक्तूबर–नवम्बर, 2015
11.	डॉग हैंडलिंग पाठ्यक्रम	मार्च–अगस्त, 2015
12.	सीमा प्रबंधन पाठ्यक्रम	अगस्त, 2015
13.	स्निपर कैप्सूल पाठ्यक्रम	सितम्बर, 2015

(ये पाठयक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। उपर्युक्त ब्यौरे विदेश मंत्रालय से एकत्र किए जाते हैं)।

9.33 घरेलू सुरक्षा वार्ता (होमलैंड सिक्यूरिटी डायलाग):सीमा–पार वित्तीय जांच के संबंध में क्रमशः दिनांक 27.04.2015 से 01.05.2015 तक चण्डीगढ़ और दिनांक 24.08.2015 से 28.08.2015 तक कोच्चि में दो पाठयक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः 15 और 13 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

9.34 दिनांक 23.06.2015 से 25.06.2015 तक हांगकांग में एशिया इन्टलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 2 अधिकारियों ने भाग लिया।

9.35 विशेषज्ञ जांचकर्ता योजना के तहत विदेशी घटकः गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विकासशील विशेषज्ञ योजना में एक विदेशी प्रशिक्षण घटक है जिसके तहत भारत में इन पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को विदेशी एक्सपोजर दिया जाता है। अब तक इस स्कीम के तहत तीन बैच भेजे गए हैं जिसमें नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 29 पुलिस कार्मिकों ने भाग लिया है:–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि		भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या
		से	तक	
1.	मानव–दुर्व्यापार रोधी कार्यक्रम	07.07.2014	11.07.2014	9
2.	यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटना की जांच	30.03.2015	04.04.2015	9
3.	विधि विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम	12.10.2015	16.10.2015	11

प्रशिक्षण हस्तक्षेप योजना

9.36 सरकार ने 'प्रशिक्षण हस्तक्षेप' नामक एक योजनागत योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना का मूल उद्देश्य अपेक्षित और वास्तविक पुलिस व्यवस्था के कार्यान्वयन के बीच अन्तरालों का पता लगाना और इन अंतरालों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण हस्तक्षेप करना है ताकि पुलिस कार्मिक उनको सौंपी गई ड्यूटियों के चार्टर के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकें। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआएंडडी) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 36.96 करोड़ रु. की लागत से प्रशिक्षण हस्तक्षेप योजना को जारी रखने के संबंध में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं:–

(i) 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ के लिए मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना (मैसर्स रैंडस्टैड इंडिया लि. चेन्नई)।

(ii) 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस कार्मिकों के अपेक्षित दृष्टिकोण और वर्तमान दृष्टिकोण के बीच अन्तराल का विश्लेषण करना और प्रशिक्षण/अन्य हस्तक्षेप करना (मैसर्स विप्रो लि. गुड़गांव) ।

(iii) 5 राज्यों में पुलिस में प्रत्येक रैंक की 'विशेषताओं और क्षमताओं' का आकलन करने के लिए उपयुक्त उपकरणों का विकास ओर वैधीकरण (मैसर्स विप्रो लि., गुड़गांव)।

(iv) 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य निष्पादन और वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच अन्तराल का आकलन करना और उपयुक्त प्रशिक्षण/अन्य हस्तक्षेप करना (मैसर्स विप्रो लि., गुड़गांव)।

(v) 12 राज्यों में 6000 एसएचओ को सहज कौशल प्रशिक्षण (मैसर्स आई एल एंड एफ एस एजुकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेस लि. नोएडा)।

(vi) 85 प्रशिक्षण विषयों के संबंध में प्रशिक्षण अनुदेशकों को 'स्वतंत्र' और 'निष्पक्ष' बनाने के लिए फिल्म इंटरएक्टिव माड्यूल और प्रायोगिक वर्क बुक/मैनुअल आदि तैयार करना।

(vii) महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंढीगढ़ द्वारा 28 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न रैंकों के लिए पदोन्नति–पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करना।

(viii) राज्यों में जांच की गुणवतत्ता का आकलन करना और उपयुक्त प्रशिक्षण हस्तक्षेपों/जांच उपकरणों का विकास करना।

(ix) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन।

(x) 10 नकली अभ्यास/मैनुअल और आतंकवाद–रोधी फिल्में बनाना।

(xi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता, प्रशिक्षण संबंधी क्षमता के अंतराल और प्रशिक्षण सामग्री में अंतराल का आकलन।

(xii) प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण और अद्यतनीकरण।

(xiii) विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करना।

राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान

9.37 बीपीआरएंडडी इस संस्थान की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। इस संस्थान का संक्षिप्त उद्देश्य यातायात प्रबंधन के लिए एसओपी विकसित करना, यातायात संबंधी दुर्घटना के मामलों की जांच करने के संबंध में पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, यातायात के प्रवर्तन और विनियमन के लिए नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों का परीक्षण और मूल्यांकन करना, विभिन्न महानगरों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में यातायात संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना तथा समाधान सुझाना, यातायात संबंधी मामलों के संबंध में अन्तर–विभागीय अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है।

केन्द्रीय खुफिया प्रशिक्षण स्कूल

9.38 वर्तमान में, बीपीआरएंडडी के अंतर्गत पांच केन्द्रीय खुफिया प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस) कार्य कर रहे हैं और ये चण्डीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद तथा जयपुर में स्थित हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान राज्यों, केन्द्र और विदेशी राष्ट्रों के अधिकारियों को अपराध की जांच में उन्नत वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। दिनांक 01.04.2015 से 31.10.2015 तक 110 पाठ्यक्रम

आयोजित किए गए हैं, जिनमें 2,340 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी

9.39 सीपीडब्ल्यूडी प्राधिकारियों से लगातार संपर्क करके कन्हासैया, भोपाल (म.प्र.) में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) के निर्माण की निगरानी की जा रही है। सीएपीटी के निर्माण की प्रगति का सार निम्नानुसार है:–

(i) सीएपीटी के मुख्य परिसर की चारदीवारी पूरी हो गई है।

(ii) आज की तारीख तक 4 भवनों अर्थात् वरिष्ठ अधिकारी मेस, राजपत्रित अधिकारी मेस, उप–निरीक्षक/निरीक्षक मेस और कन्या छात्रावास के 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने मार्च 2016 तक इन भवनों को हर प्रकार से पूर्ण करके सौंपने का आश्वासन दिया है।

(iii) प्रशासनिक ब्लॉक, प्रशिक्षण ब्लॉक, पुस्तकालय और विधि विज्ञान भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए हैं।

(iv) शस्त्रागार, आवासीय क्वार्टरों, शॉपिंग काम्पलेक्स, ओ एम/एमटीओ ब्लॉक, एमटी पार्क, अस्पताल, ओवरहेड वाटर टैंक, एसटीपी आदि जैसी अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गए हैं और इस प्रकार का 10 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

(v) सीपीडब्ल्यूडी से परेड ग्राउंड और फायरिंग रेंज का रेखाचित्र प्राप्त हो गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है।

(vi) वन भूमि से संपर्क सड़क के निर्माण के संबंध में वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने का मामला सीसीएफ भोपाल में लंबित है।

(vii) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा शहरी विद्युत लाइन की डीपीआर तैयार की गई है जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 1.50 करोड़ रु. की राशि जमा कराई गई थी।

9.40 सीएपीटी निदेशक और विभिन्न पदों पर कार्यरत 4 संविदा कर्मचारियों सहित 22 कर्मचारियों की नफरी के साथ कार्य कर रही है।

9.41 केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी दिनांक 26.01.2015 से पीएफ हट कन्हासैया, भोपाल (म.प्र.) में कार्यरत है। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान कोई पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। सीएपीटी ने सीएपीटी परिसर, भोपाल में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव किया है। जो इन पाठ्यक्रमों के आयोजन से पहले ही पूर्व आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति के अध्यधीन है:–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम (अवधि)	अवधि (से – तक)
1.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी 6ठा पाठ्यक्रम (02 सप्ताह)	16-11-15 से 28-11-15
2.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी 7वां पाठ्यक्रम (02 सप्ताह)	07-12-15 से 19-12-15
3.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी 8वां पाठ्यक्रम (02 सप्ताह)	04-01-16 से 16-01-16
4.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी 9वां पाठ्यक्रम (02 सप्ताह)	08-02-16 से 20-02-16
5.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी 10वां पाठ्यक्रम (02 सप्ताह)	07-03-16 से 19-03-16

9.42 सीएपीटी की स्थापना से, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि सहित 30 सेवाकालीन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिनमें पूरे देश के 511 अधिकारियों ने पुलिस से संबंधित विषयों के बारे में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये पाठ्यक्रम जे एन पी ए सागर, एनआईटीटीआर, भोपाल और आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल (म.प्र) में आयोजित किए गए थे।

अन्य पुलिस संगठन और संस्थान

विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस)

9.43 गृह मंत्रालय के तहत विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) देश में विधि विज्ञान के संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी है। यह कोलकाता, हैदराबाद, चण्डीगढ़, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित छह केन्द्रीय विधि–विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के कार्य का प्रबंधन करता है। यह संगठन देश में विधिविज्ञान सेवाओं के लिए गुणवत्ता, क्षमता और क्षमता निर्माण का संवर्धन करने के लिए योजनाएं और नीतियां तैयार करके विधिविज्ञान की सर्वोत्तम प्रथाओं का संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

9.44 **डीएफएसएस तथा इसके सहयोगियों का कार्य निष्पादन**

(i) **मामला परीक्षण कार्यः** सभी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं का मुख्य कार्य न्यायालयों, विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस आदि से प्राप्त मामला प्रदर्शों की फॉरेंसिक ढंग से जांच करना है। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक, डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अधीन छह सीएफएसएल ने 1,24,857 प्रदर्शों के साथ 6,317 मामलों की जांच की है।

(ii) **न्यायालयी साक्ष्यः** उक्त अवधि के दौरान छह सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने 714 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

(iii) **अपराध का घटना स्थलः** उक्त अवधि के दौरान विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने अपराध के 84 घटना स्थलों का दौरा किया।

(iv) **प्रशिक्षण कार्यक्रमः** उक्त अवधि के दौरान छह सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने अपने तकनीकी ज्ञान तथा कौशल के उन्नयन के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज, प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित 65 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

9.45 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं ने 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित कीं जिसमें 40 वरिष्ठ और कनिष्ठ स्तर के वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

नई प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं पुरानी प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

9.46 भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीएफएसएस के संबंध में 'विधि विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत नई केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा डीएफएसएस के अंतर्गत मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण' नामक एक योजनागत स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया। सरकार द्वारा यथा अनुमोदित, इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 279.90 करोड़ रु. है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य हाई–टेक तथा नए अपराधों से निपटने में विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए विधि–विज्ञान संबंधी सहायता को सुदृढ़ करना है।

9.47 चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान, पुणे, भोपाल तथा गुवाहाटी में अत्याधुनिक प्रयोगशाला भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे संबंधित निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है।

9.48 ईएफसी दस्तावेज में यथा अनुमोदित, के.लो.नि.वि. द्वारा राजरहाट में सीएफएसएल कोलकाता के लिए भी एक नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। के.लो.नि.वि., कोलकाता को 02 करोड़ रु. की राशि अंतरित की गई है। निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो गया है।
।

शुरू की गई नई पहले

9.49 12वीं योजना के तहत यथा अनुमोदित, सभी छह केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में मौजूदा प्रभागों के अतिरिक्त निम्नलिखित छह नए प्रभाग भी कार्यरत होंगे:–

- **डिजिटल विधिविज्ञान प्रभाग (विधिविज्ञान इलेक्ट्रानिक्स):** यह प्रभाग साइबर अपराधों, कम्प्यूटर अपराधों, मोबाइल फोन फॉरेंसिक, जीपीएस फॉरेंसिक, इंटरनेट फॉरेंसिक, मालवेयर फॉरेंसिक, हार्डवेयर फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो अधिप्रमाणनों तथा इमेज प्रोसेसिंग का विधि विज्ञान संबंधी विश्लेषण करेगा।
- **विधि विज्ञान डीएनए प्रभागः** यह प्रभाग यौन हमलों तथा बलात्कार संबंधी मामलों, माइटोकोंड्रियल डीएनए, पैतृक विवादों, आपदा पीड़ित की पहचान से संबंधित मामलों की जांच, ऑटोसोमल डीएनए विश्लेषण तथा लापता व्यक्तियों की पहचान संबंधी कार्य करेगा।
- **विधि विज्ञान इंजीनियरिंग प्रभागः** यह प्रभाग बीमा संबंधी बड़ी धोखाधड़ियों, औद्योगिक आग एवं आगजनी, मिलावटी भवन सामग्री, मानव जनित तथा

प्राकृतिक सड़क/रेल दुर्घटनाओं, विमान दुर्घटना, नौका दुर्घटना आदि की जांच संबंधी कार्य करेगा।

- **विधि विज्ञान आसूचना प्रभाग:** यह प्रभाग सभी प्रकार के निवारक अथवा सक्रिय विधिविज्ञान संबंधी कार्य, स्याही (इंक), टेक्सटाइल फाइबर, ऑटोमोटिव पेंट तथा पालीमर, वॉयस प्रिंट के क्षेत्र में विधि विज्ञान संबंधी डाटाबेस, आग्नेयास्त्र संबंधी डाटाबेस, डीएनए डाटाबेस तैयार करने से जुड़े सभी प्रकार के कार्य करेगा।
- **विधि विज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग:** यह प्रभाग पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग फिंगरप्रिंटिंग, आक्रामक और गैर–आक्रामक संज्ञान संबंधी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक जांच करेगा।
- **स्वापक औषधि प्रभाग:** यह प्रभाग सभी प्रकार के मनःप्रभावी पदार्थों, परिकल्पित पदार्थों तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा।

विधिविज्ञान संबंधी परिचालनों में तकनीकी सहायता

9.50 डीएफएसएस और इसकी प्रयोगशालाओं ने कार्यशालाओं, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन, मानक परिचालन प्रक्रियाओं के विकास और समीक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया और अप्रैल–दिसम्बर, 2015 की अवधि के दौरान 65 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्होंने निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए हैं:

- डिजिटल अपराधों में साक्ष्यों का विश्लेषण और साक्ष्य के महत्व की समीक्षा करके न्यायपालिका में जागरूकता का सृजन किया।
- बैंकों, बीमा, ई–शासन, वित्तीय संगठनों आदि के लिए नेटवर्क सुरक्षा, घटना संबंधी प्रतिक्रिया आदि में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।
- विधि विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए समावेशन और उन्नत प्रशिक्षण की सुविधा।
- पुलिस, न्यायपालिका, बैंकों आदि द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थानों के संकाय को भी प्रशिक्षित करने की सुविधा।
- जांचकर्ताओं, विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों सहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की सुविधा।
- अपराध दृश्य प्रबंधन और अपराध के साक्ष्य का विधिविज्ञान विश्लेषण करने के लिए वैधीकरण और दक्षता परीक्षण की प्रक्रियाएं विकसित करने की सुविधा।
- विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रत्यायन और दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की।

केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

प्रस्तावना

9.51 केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच–पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक सहायता और सेवायें प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। यह प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक सहायता इकाई भी है, जो चेन्नई तथा मुम्बई में सीबीआई की शाखाओं में स्थित हैं। इस प्रयोगशाला की स्वीकृत नफरी में 182 वैज्ञानिक और अनुसचिवीय कर्मचारी हैं और वर्ष के बजट अनुमान 2015–16 के लिए 11.92 करोड़ रु. का बजटीय अनुदान आबंटित किया गया है।

केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली

केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला का क्षेत्राधिकार

9.52 केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) सी बी आई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सीएफएसएल के विशेषज्ञ, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा भेजे गए प्रदर्शों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। सी.बी.आई. द्वारा अपराध स्थल पर भौतिक सुरागों का पता लगाने के लिए पूरे भारत में इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक/विशेषज्ञ, सी.बी.आई. के जांच अधिकारियों और विधिविज्ञान के अन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। यह प्रयोगशाला विधि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कला एवं कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

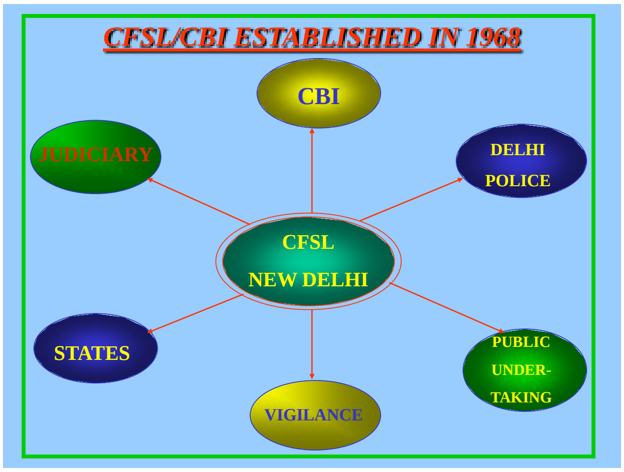

अदालत में उपस्थिति और अपराध स्थल का दौरा

9.53 प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दिल्ली और भारत के अन्य भागों के न्यायालयों में 463 मामलों में अपनी विशेषज्ञ राय प्रदान की और अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए दिल्ली और इसके बाहर 452 अपराध स्थलों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और न्यायालयों को विधिविज्ञान में नियमित सहायक सेवा प्रदान की गई। राजस्व आसूचना निदेशालय, बैंकों, मंत्रिमंडल सचिवालय बोर्ड और अन्य लोक उपक्रमों को भी विधिविज्ञान संबंधी सहायता प्रदान की गई।

मामलों संबंधी आंकड़

9.54 **वर्ष 2015 के दौरान प्राप्त मामल**

1. दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले – 937
2. दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक प्राप्त मामले – 2117

9.55 **वर्ष 2015 के दौरान सूचित मामल**

1.	सीबीआई	–	984
2.	दिल्ली पुलिस	–	577
3.	अन्य	–	327
	कुल	&	1888

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलेः 1166

1.	दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	937
2.	दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्राप्त/सूचित नए मामलों की संख्या	2117
3.	कुल (1) + (2)	3054
4.	निपटाए गए मामलों की संख्या	1888
5.	दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	1166

गुणवत्ता आश्वासन संबंधी पहल

9.56 केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए काम की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली का आईएसओ आईईसी 17025 और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) 113 के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के तहत नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एन ए बी एल) द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है। प्रयोगशाला ने इसके विभिन्न प्रभागों को भेजे गए विभिन्न प्रकार के अपराध प्रदर्शों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए विस्तृत गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल तैयार किया है। एन ए बी एल की जरुरत के अनुसार गुणवत्ता मैनुअल में संशोधन किया गया था। प्रयोगशाला में एक नया मानक प्रारूप अर्थात् आईएसओ आईईसी 17025–2005 शुरू किया गया है। अपराध प्रदर्शों के विश्लेषण संबंधी कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरणों का एनएबीएल द्वारा प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से अंशांकन किया गया है।

मौजूदा जांच सुविधाएं

9.57 प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को मौजूदा विधिविज्ञान संबंधी कौशल को उन्नत करने तथा विधि विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का समावेशन करने के उद्देश्य से भारत तथा विदेश में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रभाग हैं जो प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध स्थलों से संगत भौतिक सुराग प्राप्त करने/उसका पता लगाने में विभिन्न जांचकर्ता एजेंसियों को विधिविज्ञान सहायता सेवायें प्रदान करते हैं।

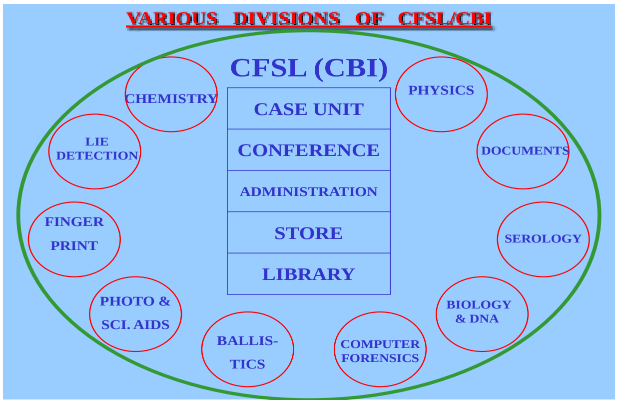

प्रक्षेपण विज्ञान (बलिस्टिक) प्रभाग

9.58 यह प्रभाग, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से सज्जित है। इसके कार्य में अपराध में प्रयुक्त हथियारों के स्वरूप और प्रकार का निर्धारण करने के लिए आग्नेयास्त्रों की जांच करना; संदिग्ध हथियारों से की गई गोलीबारी की दूरी, फायर किए गए बुलेटों/कारतूसों के केसों को संदिग्ध हथियार से जोड़ना और अचानक चली गोली के साक्ष्य के लिए हथियार के तंत्र की जांच करना शामिल है।

9.59 विस्फोटक पदार्थ के जांच कार्य में अपराध, लोक व्यवस्था को भंग करने, दंगों, पुलिस गोलीबारी, मुठभेड़ आदि में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थों (सिविल, मिलिट्री और आई ई डी) और विस्फोटक यंत्रों की जांच करना और राय देना, अपराध/विस्फोट वाली जगह आदि पुनः तैयार करना, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोगशाला विश्लेषण करना और उनका पता लगाना शामिल हैं। विस्फोटक पदार्थों की कार्य प्रणाली का उन्नयन करने और विस्फोट के अवशिष्टों का विश्लेषण करने के लिए इस प्रभाग को हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) प्रणाली जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित किया गया है।

विस्फोटक के विश्लेषण के लिए एचपीएलसी प्रणाली पर कार्य करना

जीव विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग प्रभाग

9.60 यह प्रभाग, विधिविज्ञान जीव विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के विश्लेषणात्मक कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से सज्जित है। इस प्रभाग में किए जा रहे जीव वैज्ञानिक विश्लेषणों में रक्त, वीर्य, लार, मूत्र, पसीना और दूध जैसे सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिक द्रव्यों का पता लगाना और उन्हें सिद्ध करना शामिल है। इसके अलावा, प्रयोगशाला को बाल, फाइबर, टिसू और वनस्पतीय प्रदर्शों की सटीक माइक्रोस्कोपिक जांच करने के लिए सज्जित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, डी एन ए प्रोफाइलिंग प्रयोगशाला को जीव विज्ञान प्रभाग की देख–रेख में चलाया जा रहा है। जीव विज्ञान प्रभाग की हाई टेक डीएनए प्रोफाइलिंग प्रयोगशाला प्रचालनात्मक है और इस प्रभाग को सीबीआई के साथ–साथ राज्य सरकारों और न्यायपालिका से भी सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिक नमूने प्राप्त हो रहे हैं। इसे विभिन्न प्रकार के मामले भेजे जाते हैं जिनमें हत्या/मानव हत्या, आत्महत्या, हमला, अप्राकृतिक यौन अपराध, डकैती, लूटपाट और चोरी, दंगा, धार्मिक, संपत्ति की क्षति का निवारण अधिनियम आदि के अंतर्गत आने वाले अन्य मामले शामिल होते हैं।

जेनेटिक एनालाइजर पर कार्य करना

रसायन विज्ञान प्रभाग

9.61 इस प्रभाग में विष विज्ञान, स्वापक पदार्थ और सामान्य रसायन विश्लेषण अनुभाग शामिल हैं। यह प्रभाग आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से सज्जित है और शरीर के भीतरी अंगों (विसरा), जीवविज्ञान से संबंधित द्रव्यों, ट्रैप के मामलों, दहेज हत्या के मामलों, पेट्रोलियम उत्पादों, एसिड और जांचकर्ता एजेंसियाँ द्वारा भेजे गए विविध प्रकार के अन्य प्रदर्शों का रासायनिक विश्लेषण करता है। जीव वैज्ञानिक द्रव्यों सहित शरीर के भीतरी अंगों (विसरा) की जांच, मानव हत्या और आत्महत्या के उन मामलों में जहर का पता लगाने के लिए की जाती है जिन्हें सीबीआई, दिल्ली पुलिस, माननीय न्यायालयों जैसी जांचकर्ता एजेंसियों और देश के अन्य भागों से भेजा जाता है। मामले की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां अद्यतन तकनीकों और विश्लेषणों के महत्वूपर्ण तरीकों को कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाती हैं।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर कार्य करना

प्रलेखन प्रभाग

9.62 प्रलेखन प्रभाग में हस्तलेख, हस्ताक्षर, टाइप स्क्रिप्ट, रबड़ की मोहर की छाप, सील की छाप, जाली करेंसी नोट और लॉटरी के टिकटों की जांच, प्रक्षेप, स्थानापन्न, वृद्धि, लिखे हुए पर लिखे का निर्धारण करने, यांत्रिक और रासायनिक रूप से मिटाई गई लिखावट का पता लगाने, अदृश्य स्याही का पता लगाने, झुलसाये गए और जलाए गए दस्तावेजों को पुनः तैयार करने, परस्पर मिलने वाले बिंदुओं पर स्ट्रोकों के क्रम का निर्धारण करने, कागज के टुकड़ों या क्षतिग्रस्त किनारों की जांच करने और उसका अन्य भागों के साथ मिलान करने, दस्तावेजों की निरपेक्ष या आपेक्षिक आयु का निर्धारण करने, स्याही, कागज और लेखन सामग्री आदि की जांच करने का कार्य भी किया जाता है।

अंगुलिछाप प्रभाग

9.63 अंगुलि छाप प्रभाग, सीबीआई की सभी शाखाओं को प्रश्नगत अंगूठे की छाप की जांच करने, घटनास्थल पर मौजूद छाप लेने के लिए वहां का दौरा करने, गुप्त छापों का विकास करने, अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति के दस अंक के अंगुलियों के छाप के नमूने लेने और अदालतों में प्रस्तुत करने के संबंध में सेवायें प्रदान करता है। इसी प्रयोजन के लिए अपराध की जांच–पड़ताल में दिल्ली पुलिस और न्यायालयों तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग भी किया जाता है। घटना स्थल पर मौजूद छापों का विकास करने के लिए हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स नामक हाई पावर लेजर बीम लाइट सोर्सेज और पोर्टेबल इक्विपमेंट से इस प्रभाग को सज्जित किया गया है।

विधि विज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग

9.64 भारत में सीएफएसएल, सीबीआई, नई दिल्ली ऐसा पहला संस्थान है, जहां पर पूर्ण सुसज्जित विधिविज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग स्थापित है। वर्ष 1973 से आज तक मनोवैज्ञानिक–शरीर विज्ञान संबंधी धोखों का पता लगाने के लिए लगभग 10,000 से अधिक विषयों की जांच की गई है। इस प्रभाग ने सीबीआई के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच–पड़ताल करने में पर्सनैलिटी असेसमेंट, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की है। इस प्रभाग ने विषय के मष्तिष्क 'X' में मौजूद सूचना का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए कार्य योजना शुरु की है। इसकी स्थापना किए जाने से अपराध की जांच–पड़ताल करने में सहायता मिलेगी।

9.65 यह प्रभाग राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी मामलों में न केवल सीबीआई को बल्कि दिल्ली पुलिस और देश की अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को भी अपनी सेवायें प्रदान करता है। विधिविज्ञान संबंधी मनोविज्ञान प्रभाग कंम्प्यूटरीकृत (डेस्कटॉप और लैपटॉप) पोलीग्राफ उपकरणों के आधुनिक मॉडल रखता है। लैपटॉप पोलीग्राफ उपकरण का प्रयोग दिल्ली से बाहर अन्य कई स्थानों पर (यहां तक कि जेल में भी) विषयों की पोलीग्राफ जांच के लिए किया गया है।

फोटो और वैज्ञानिक सहायता प्रभाग

9.66 फोटोग्राफी प्रभाग, अपराध प्रदर्शों की जांच करने, सम्मेलनों और सेमिनारों में सीएफएसएल/सीबीआई के सभी प्रभागों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। वीडियोग्राफी और सामान्य फोटोग्राफी में अपराध घटना स्थल और आस–पास की सूचना भी शामिल है। प्रश्नगत फोटो प्रिंट पर प्रभाग के विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञ राय भी देते हैं। समूचे भारत में अदालतों में सीडी/आडियो/वीडियो कैसेट की रिकार्डिंग की जाती है और उन्हें चलाया जाता है। डिजिटल रूप में समकक्ष वीडियो आंकड़े अंतरित करने के अलावा, फोटो प्रभाग के पास वीडियो फिल्मों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकी वीडियो मेजरमेंट सिस्टम है।

क्लीनिंग के लिए फोटो एडिट सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टिल फोटोग्राफ की जांच

भौतिक विज्ञान प्रभाग

9.67 भौतिक विज्ञान प्रभाग में पेंट, ग्लास, मिट्टी, फाइबर, धातु के टुकड़ों, धागों और रस्सियों, कपड़े के टुकड़ों, संघर्ष के चिन्हों और कपड़े पर काट के चिह्नों, गांठ की जांच, धातु की सील, डाक सील की जांच, वाहनों की मिटाई गई चेसिस और इंजन संख्या, वाहनों के पंजीकरण प्लेट का पता लगाने, उपकरणों के चिह्न की जांच आदि करने जैसी विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। यह प्रभाग, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के संबंध में टेलीफोनिक और प्रत्यक्ष रिकार्डिंग की जांच भी कर रहा है। कम्प्यूटरीकृत स्पीच लैब मॉडल सीएसएल–4500 नामक कंप्यूटरीकृत वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफ का अत्याधुनिक मॉडल प्राप्त कर लिया गया है और इसका उपयोग स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के मामलों का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। इन क्रियाकलापों के अलावा, भौतिक विज्ञान प्रभाग घटना स्थल का दौरा करता है और नियमित आधार पर घटना स्थल की पुनः संरचना करने का कार्य भी करता है। प्रभाग ने नॉइज रिडक्शन/सिग्नल इनहांसमेंट और ऑडियो टेप ऑथेंटिकेशन के क्षेत्र में नई परियोजना संबंधी कार्य शुरु किया है।

सीरम विज्ञान प्रभाग

9.68 सीरम विज्ञान प्रभाग द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सहायता में शरीर के द्रव्य, टिशू, लार, वीर्य और शरीर के अन्य द्रव्यों के मूल रूप और किस्मों का निर्धारण करना शामिल है। सूचित किए गए मामलों में हत्या, लापरवाही के कारण मृत्यु, हत्या की कोटि में न आने वाली सदोष मानव हत्या, हत्या करने की कोशिश में घायल करने, यौन अपराध (बलात्कार/अप्राकृतिक यौन), मृत्यु के कारण की जांच और विविध स्वरूप के मामले शामिल होते हैं।

कंम्प्यूटर विधि विज्ञान प्रभाग

9.69 कंप्यूटर विधिविज्ञान प्रभाग ने जनवरी, 2004 से कार्य करना शुरु किया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला को भेजे गए कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न अपराधों में कंप्यूटर साक्ष्य सुरक्षित रखना, पहचान करना, प्राप्त करना और प्रलेखन करना है। कंप्यूटर विधिविज्ञान में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। पृथक और स्वतंत्र विकासकों द्वारा विकसित मल्टिपल साफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरणों का प्रयोग करके साक्ष्य संसाधन प्रक्रियाओं की सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है। परिणामों की वैधता के लिए विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वह महत्वपूर्ण है ताकि सॉफ्टवेयर डिजाइन में संभावित कमियों और साफ्टवेयर बग के कारण अशुद्धता से बचा जा सके। परिणाम की शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रयोगशाला में मल्टिपल टूल्स और तकनीकों का प्रयोग करके दोहरा वैधीकरण मानक प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर के विशेषज्ञों द्वारा मल्टिपल सॉफ्टवेयर टूल्स और प्रक्रियाओं का उपयोग करके वैधीकरण करने से संभावित समस्यायें दूर हो जाती हैं।

इनकेस फारेंसिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़ों का पूर्वदृश्य

वैज्ञानिक सहायता यूनिट

9.70 सीएफएसएल, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में एक–एक अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता यूनिटें सृजित की गई हैं। मुम्बई और कोलकाता स्थित दोनों यूनिटें कार्य कर रही हैं। कोलकाता यूनिट में अवसंरचना विकास कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है और यहां पर कार्य शीघ ही शुरु होने की आशा है।

भावी विकास

9.71 यह प्रयोगशाला नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को अद्यतन करने पर ध्यान दे रही है। नई प्रौद्योगिकी को (1) ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग, (2) टाक्सीकोलॉजी, (3) एनालाग/डिजिटल ऑडियो/वीडियो एनालिसिस नामक प्रभाग के लिए खरीदा जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी उन्नयनों, अंशांकन प्रणालियों इत्यादि के लिए पहलें की गई हैं। वर्तमान समय में मेट्रो एसएयू यूनिटों में केवल चार प्रभाग कार्यरत

हैं। तथापि, भविष्य में संबंधित जोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन एसएयू यूनिटों को पूर्णरूपेण विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में परिवर्तित करने के प्रयास शुरु किए जाएंगे।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस)

9.72 इस संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1972 में की गई थी। इसके प्रारम्भ से भारत के पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, रक्षा बलों और विधि–विज्ञान प्रयोगशालाओं के 39,563 अधिकारियों और लगभग 18 देशों ने संस्थान के विभिन्न अभिमुखीकरण और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.73 दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 के बीच, इस संस्थान ने पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन और कारागार के पदाधिकारियों के लिए 39 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 04 सेमिनार और 04 कार्यशालाएं आयोजित कीं। कुल मिलाकर भारत के विभिन्न भागों से 1070 अधिकारियों और 43 विदेशी अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

9.74 यह संस्थान वर्ष 2004 से अपराध विज्ञान और विधिविज्ञान में एम.ए./एम.एससी. पाठ्यक्रम भी चला रहा है जो गुरू गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। शुरु में, संस्थान ने सभी विद्यार्थियों के लिए साझा पाठ्यचर्या के साथ ये पाठ्यक्रम शुरु किए थे। संस्थान ने नई पाठ्यचर्या शुरु की है जिसमें अपराध विज्ञान में विशेषज्ञता की 3 समानांतर स्ट्रीम और विधिविज्ञान में विशेषज्ञता की 4 समानांतर स्ट्रीम शामिल हैं। ये स्ट्रीम हैं (क) एम.ए. (अपराध विज्ञान) पाठ्यक्रम में आर्थिक अपराध और निवारण, (ख) सुरक्षा प्रबंधन और (ग) आपराधिक न्याय में मानवाधिकार और एम.एससी. (विधिविज्ञान) पाठ्यक्रम में (क) विधिविज्ञान बॅलिस्टिक, (ख) विधिविज्ञान प्रलेख परीक्षण, (ग) विधिविज्ञान संबंधी रसायन विज्ञान और विष विज्ञान और (घ) विधिविज्ञान जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग। संस्थान के एम.ए./एम.एससी. शिक्षण का निरीक्षण हर वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है। यह संस्थान "श्रेणी ए" का संस्थान है।

9.75 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रलेख परीक्षा में एक नया 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू किया गया। यह पाठ्यक्रम विशेषरूप से पुलिस और विधिविज्ञान विशेषज्ञों की सहायता के लिए तैयार किया गया है।

पहलें

9.76 यह संस्थान नई अवसंरचना का सृजन और 'अपराध नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र' स्थापित कर रहा है और प्रस्ताव सक्रिय रूप से गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 80 कमरों वाले नए हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी के लिए आवास और नए पुस्तकालय ब्लॉक के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसके लिए संस्थान ने एनबीसीसी को संग्रहण अग्रिम तौर पर 2.6 करोड रु. जारी कर दिए हैं। ये दोनों प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हैं। अपराध जांचकर्ताओं के लिए विधिविज्ञान गाइडः एनआईसीएफएस द्वारा मानक परिचालन प्रक्रियाएं तैयार तथा प्रकाशित की गई हैं। इसका विमोचन माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी द्वारा दिनांक 28.10.2015 को दिल्ली में आयोजित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की 34वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में किया गया था।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी द्वारा "अपराध जांचकर्ताओं के लिए विधिविज्ञान मार्गदर्शिकाः मानक परिचालन प्रक्रियाएं" का विमोचन

सर्तकता जागरूकता सप्ताह

9.77 एनआईसीएफएस ने दिनांक 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार मिटाने, सतर्क रहने तथा संगठन के विकास के संबंध में कार्य करने की शपथ ली।

एनआईसीएफएस में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अधिकारीगण शपथ लेते हुए

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

9.78 देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय संबंधी नोडल एजेंसी के रूप में, इस निदेशालय की स्थापना पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय तथा राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में गतिविधियों के साथ विभिन्न हालातों के लिए की गई थी। राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, निदेशालय, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और डिवाइसों के लिए केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

9.79 यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित पूरे देश में फैले हुए सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों के संचार नेटवर्क के इष्टतम कार्यकुशलता स्तर पर चौबीसों घंटे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशन नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों के लिए भी किया जाता है। निदेशालय, डीसीपीडब्ल्यू के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रेडियो संचार के सर्किटों की खराबी दूर करने के लिए डीसीपीडब्ल्यू के आंतरिक मानीटरिंग सेल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। राज्य/केन्द्रीय/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस स्तर पर इन खराबियों को कम करने के लिए निदेशालय द्वारा उचित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट)

9.80 पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू), गृह मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र की राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर तथा सीएपीएफ के स्थानों पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा अन्तर–राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों (आईएसपीडब्ल्यू) के बीच सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क का अनुरक्षण कर रहा है।

9.81 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) पोलनेट हब सहित 1023 अति लघु अपरचर टर्मिनलों (वीसैट) से बना हुआ है। नेटवर्क इसरो द्वारा इनसैट 3ई के स्थान पर आकस्मिक उपाय के रूप में आबंटित इनसैट 4बी के 36 मेगा हर्ट्ज बैंडविड्थ के सी–बैंड ट्रांसपोंडर पर परिचालित हो रहा है। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में यह नेटवर्क आई एस बी एन और डी वी बी–एस प्रौद्योगिकी पर आधारित है और डीसीपीडब्ल्यू, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों और सीएपीएफ द्वारा इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। डीसीपीडब्ल्यू बेहतर क्षमता और सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए डीवीबीएस–2 अथवा नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करके सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार कर रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

समन्वय विंग

9.82 डीसीपीडब्ल्यू, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) का सदस्य है तथा इसने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना के निर्माण में बहुत अधिक योगदान

प्रदान किया है और इससे संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग और समन्वय (डब्ल्यूपीसी) विंग द्वारा उनके आबंटन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं। यह डब्ल्यूपीसी के साथ राज्य, संघ–राज्य क्षेत्र पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्पेक्ट्रम के मिलान में सक्रिय रूप से शामिल है ताकि प्रयोक्ता संगठनों के बीच व्यवधान मुक्त संचार सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के स्पेक्ट्रम के मिलान संबंधी मुद्दे का दूरसंचार विभाग के साथ उचित परामर्श करके अत्यंत सावधानीपूर्वक समाधान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय और संचार मंत्रालय के साथ डीसीपीडब्ल्यू के अधिकारियों ने दिनांक 6 से 12 जुलाई, 2015 तक बुखारेस्ट (रोमानिया), दिनांक 8 से 17 सितम्बर, 2015 तक जेनेवा (स्विट्जरलैंड) और दिनांक 27 जुलाई से 1 अगस्त, 2015 तक सियोल (दक्षिण कोरिया) में आयोजित सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करके आईटीए अध्ययन/कार्यदलों में योगदान प्रदान किया है।

साइफर विंग

9.83 डीसीपीडब्ल्यू के साइफर प्रभाग ने वर्गीकृत संदेशों की निकासी को पूरा कर लिया है और अन्तर–राज्य सुरक्षित संचार को बनाए हुए है। संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी), रक्षा मंत्रालय से साइफर दस्तावेजों/उपकरणों की प्राप्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका क्रिप्टोसिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। इस विंग द्वारा क्रिप्टोग्राफी के सभी पहलुओं के संबंध में सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस रेडियो संगठनों के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। 12 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 103 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.84 इस विंग ने प्रयोग किए जा रहे क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को अद्यतन बनाने हेतु जेसीबी तथा एसएजी के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। डीसीपीडब्ल्यू क्रिप्टो संचार नेटवर्क में पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) आधारित साइफर सिस्टम शामिल किया गया है और 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों में इसी सिस्टम को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

9.85 देश के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली के दो प्रशिक्षण विंग (तकनीकी और साइफर) हैं, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिस दूरसंचार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य निदेशालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के अधिकारियों के लिए दक्षता पाठ्यक्रमों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विशेष पाठ्यक्रमों जैसे नियमित पाठ्यक्रमों को आयोजित करना है। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ने पुलिस संगठनों के सुरक्षित संचार प्रतिष्ठानों के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों सहित पुलिस कार्मिकों के लिए तकनीकी और साइफर, दोनों में विशेष पाठ्यक्रम में कुल 23 पाठ्यक्रम आयोजित किए और 385 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.86 सामग्री और श्रमशक्ति के संदर्भ में वर्तमान अवसंरचना का विस्तार करके गुणात्मक बढ़ोतरी की गई है। चूंकि, आधुनिकीकरण के वर्तमान युग का मुख्य जोर तकनीकी प्रबंधकीय कौशल पर है, इसलिए अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और प्रबंधन उन्मुख कार्यक्रमों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

9.87 निदेशालय की केन्द्रीय कार्यशाला में, वायरलेस उपकरण तथा सहायक सामग्री संबंधी परीक्षण और मरम्मत कार्य किए जाते हैं। नेपाल में भूकंप के दौरान गृह मंत्रालय के निर्देशों पर, आपातकालीन संचार प्रणाली की स्थापना करने के लिए संचार उपकरणों के साथ डीसीपीडब्ल्यू दल को काठमांडू, नेपाल भेजा गया। उक्त दल ने मास्ट और एंटिना लगाए तथा एसएमएफ बैटरियों से एंटिना और एच एफ रेडियो चलाए गए। गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष, नई दिल्ली से काठमांडू, नेपाल में भारतीय दूतावास के

साथ संचार संपर्क स्थापित किया गया। श्री बी. के. प्रसाद, अपर सचिव (एफ), गृह मंत्रालय ने काठमांडू से गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष, नई दिल्ली के साथ बात की। बचाव अभियान आदि चलाने के लिए उनके आंतरिक कार्यबल को जुटाने के लिए वीएचएफ संचार प्रणाली भी स्थापित की गई। इस प्रकार डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय द्वारा काठमांडू, नेपाल में आपातकालीन संचार शुरू किया गया।

9.88 डीजीएसएंडडी की दर संविदा के उद्देश्य से विभिन्न परिचालनात्मक आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए उपकरण नेटवर्क/प्रौद्योगिकी के समीकरण के लिए तकनीकी विनिर्देशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कार्यशाला ने भी सीएपीएफ को तकनीकी प्रस्तावों पर उपयुक्त परामर्शी सेवाएं प्रदान कीं। केन्द्रीय कार्यशाला की परीक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में, गुणवत्तापूर्ण जरूरतों का निर्धारण शुरू कर दिया गया है और ये अंतिम रूप प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का रिजर्व स्टॉक

9.89 आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी परिचालनात्मक आपात स्थितियों के दौरान केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों की सहायता प्रदान करना इस निदेशालय की एक सबसे कठिन जिम्मेदारी है। निदेशालय ने विधान सभा, पंचायत चुनाव/आपदा के प्रयोजन के लिए 8 राज्यों और 2 केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों तथा नेपाल को सहायक उपकरण और रेडियो सेट जारी किए।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

9.90 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एनसीबी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों एवं राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एनसीबी, स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों, 1961, 1971, 1988 (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी निभाता है। यह स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उसके दमन के लिए की जाने वाली वैश्विक कार्रवाइयों को सुकर बनाने हेतु विभिन्न देशों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.91 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय, मुम्बई में दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रीय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 13 क्षेत्रीय इकाइयाँ दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरू और पटना में, 12 उप–क्षेत्र कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में तथा संगठन के विभिन्न कार्यों के निपटान के लिए एक प्रवर्तन इकाई के अतिरिक्त 5 प्रकोष्ठ एनसीबी मुख्यालय में अर्थात इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल हैं।

9.92 इस अवधि (दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संगठन की प्रवर्तन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित अवसंरचना प्राप्त/सृजित की:

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)–लखनऊ, चण्डीगढ़ और अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाइयों के लिए कार्यालय–सह–आवासीय भवन के निर्माण संबंधी प्रस्ताव गृह मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

प्रवर्तन के प्रयास

9.93 वर्ष 2015–16 (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) की अवधि के दौरान देश की विभिन्न एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा सूचित की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:–

मादक पदार्थ का नाम	सभी एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ (किग्रा.में) (अनंतिम)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में)	सम्पूर्ण भारत में जब्ती की तुलना में एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थों का प्रतिशत
स्वापक पदार्थ			
हेरोइन	558.255	153.095	27.42%
अफीम	596.749	55.689	9.33%
मार्फिन	8.720	4.940	56.65%
गांजा	47372.562	4327.212	9.13%
हशीश	1361.387	194.937	14.31%
कोकीन	45.574	37.934	83.23%
मेथाक्वालोन	83.750	57.560	68.72%
एमफिटामिंस	81.990	26.450	32.26%
मनःप्रभावी पदार्थ			
मनःप्रभावी पदार्थ	3563200 टेबलेट 6798 इंजेक्शन	101885 टेबलेट 4805 इंजेक्शन	2.85% 70.68%
केटामाइन	105.075	29.205	27.79%
प्रिकर्सर रसायन			
इफेड्रिन/सूडो–इफेड्रिन	668.800	63.80	9.53%
सूडो–इफेड्रिन गोलियां(संख्या में)	3269356	0	0%
एसेटिक एनहाइड्राइड	3.50	0	0%

पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करना

9.94 वर्ष 2015 के दौरान, विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर प्रयास किए जिसके परिणामस्वरूप अंततः जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पष्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों में 3324 एकड़ भूमि पर फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया। एनसीबी ने राज्य एजेंसियों के साथ कुल 3524 एकड़ में से 3524 एकड़ से अधिक अवैध खेती को नष्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू की जो वर्ष 2015 के दौरान नष्ट की गई।

9.95 अवैध अफीम पोस्त की खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने के संबंध में अभिनिर्धारित राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 28.09.2015 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया:

क) फसल वर्ष 2015 के दौरान प्रत्येक राज्य में नष्ट की गई खेती।

ख) नष्ट करने के दौरान होने वाली कठिनाइयां।

ग) एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिचर्स इंस्टीट्यूट (एड्रिन) द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट चित्रों की प्रभावोत्पादकता।

घ) वर्ष 2015–16 के लिए अवैध पोस्त की खेती की पहचान करने और उसे नष्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

9.96 एनसीबी ने बैठक का समन्वय किया और एड्रिन,

सीबीएन, अभिनिर्धारित राज्यों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल्स आदि के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

भांग की अवैध खेती को नष्ट करना

9.97 वर्ष 2015 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से समन्वित प्रयास किए जिसके फलस्वरूप असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा और उत्तराखण्ड राज्यों में 774 एकड़ भूमि पर फैली खड़ी एवं फलदार अवैध भांग की खेती नष्ट की गई। एनसीबी ने राज्य एजेंसियों के साथ वर्ष 2015 के दौरान नष्ट की गई कुल 818 एकड़ खेती में से 774 एकड़ से अधिक अवैध खेती को नष्ट करने की लिए कारवाई शुरू की।

दोषसिद्धि

9.98 एनसीबी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान 24 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

मादक पदार्थों का निपटान

9.99 वर्ष 2015 (दिनांक 01.04.2015 से 31.10.2015 तक) के दौरान, एनसीबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 2000.800 किग्रा. गांजे और 1.420 किग्रा. स्यूडो इफेड्रिन एचसीएल (समाप्त अवधि वाली) का निपटान किया गया।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.100 केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्वापक पदार्थों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए अपनी प्रवर्तन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु दिनांक 24.10.2004 को 10.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक स्कीम शुरू की गई थी। उक्त स्कीम 05 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। केन्द्रीय सहायता स्कीम को जारी रखने की आवश्यकता और इसके उद्देश्य पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने 15 करोड़ रु. के अनुमानित बजट के साथ इस स्कीम को 5 वर्ष अर्थात् 2009–10 से 2013–14 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया। भारत सरकार ने "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक एक योजना शुरु की है, जिसमें मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। निम्नलिखित उपकरणों के लिए वस्तु रूप में सहायता दी जाती है जैसे (क) निगरानी उपकरण; (ख) प्रयोगशाला उपकरण; (ग) गश्त/निगरानी के लिए वाहन; (घ) कम्प्यूटर और अन्य सहायक उपकरण; (ङ) फैक्स मशीन और फोटो कापी मशीन; (च) प्रशिक्षण उपकरण और अन्य सहायक सामग्री और (छ) प्रवर्तन के लिए उपयोगी अन्य उपकरण।

9.101 मार्च, 2014 में उक्त स्कीम के समाप्त होने के उपरांत, भारत सरकार ने 15 करोड़ रु. के अनुमानित बजट से इस स्कीम को 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित छह राज्यों को निधियां स्वीकृत की गई थीं:–

क्र.सं.	राज्यों के नाम	स्वीकृत राशि (रूपए में)
I	हिमाचल प्रदेश	22,84,000
II	मिजोरम	83,10,000
Iii	सिक्किम	23,25,007
IV	नागालैंड	59,17,312
V	तमिलनाडु	40,33,100
VI	गुजरात	71,30,000*(-)
	कुल	**2,28,69,419**

*निधियों की कमी के कारण गुजरात राज्य को उक्त राशि जारी नहीं की गई और यह वर्ष 2015–16 के दौरान जारी की जाएगी।

9.102 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये प्रक्रियाधीन हैं।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण

9.103 इस ब्यूरो ने सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी,

एसएसबी, राज्य पुलिस, आरपीएफ, राज्य उत्पाद शुल्क, डाक और कूरियर कर्मचारियों सहित विभिन्न केन्द्रीय/राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निम्नलिखित मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के संबध में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीसी) आयोजित किए हैं:–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षणों की सं0	व्यक्तियों की सं0
1	मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन	241	9104
2	सीबीटी	144	739

केन्द्र/राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ एनसीबी अधिकारियों ने मादक पदार्थ से संबंधित मुद्दों पर 22 बैठकों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व/सहयोग

9.104 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार्टर में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, के अन्तर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन शामिल है। एनसीबी, मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा नियंत्रित करने के कार्य के समन्वय और विश्वव्यापी कार्रवाई को सुकर बनाने के दृष्टिकोण से दूसरे देशों के संबंधित प्राधिकरणों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता भी प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित पहलें की गई:–

i) विभिन्न राष्ट्रों/संगठनों के साथ अन्तरराष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, एनसीबी अधिकारियों ने कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम, सब–रीजनल ड्रग फोकल प्वाइंट, एचओएनएलईए, एडीईसी, सीएनडी, आईडीईसी, एएसईएएन आदि सहित 23 समन्वय बैठकों में भाग लिया।

ii) अधिक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए मादक द्रव्य से संबंधित आंकड़ों के फार्म (सी एवं डी) की विभिन्न रिपोर्टें, फार्म बी एवं पी की अंतरिम रिपोर्ट और फार्म ए एवं ए/पी से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्ट अन्तरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) को प्रस्तुत की गई।

iii) भारत और सिंगापुर के बीच स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार से निपटने के संबध दिनाकं 24 नवंम्बर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

iv) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अन्तरराष्ट्रीय मादक पदार्थ संघों की आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, उसका दमन करने और उसकी रोकथाम करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रिय परिचालनात्मक सहयोग किया गया। एनसीए, यू.के. के साथ संयुक्त कार्रवाई में एनसीबी द्वारा दो नियंत्रित डिलिवरी अभियान चलाए गए जिसमें डीजेडयू, एनसीबी द्वारा कुल 1.380 किग्रा. कोकीन जब्त की गई और एक नाइजीरियाई राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया गया।

मांग में कमी

9.105 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरुक बनाने के लिए मनाया जाता है। मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों की कार्रवाइयों का समन्वय करने के लिए एनसीबी नोडल एजेंसी है। मादक पदार्थ की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय तथा इसकी जोनल इकाइयों ने स्कूलों, कालेजों, संस्थानों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न राज्य मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर मांग में कमी संबंधी 451 गतिविधियों का आयोजन किया। 26 जून के अतिरिक्त, एनसीबी जनता को जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

i) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनसीबी प्रतिनिधियों की स्कूलों की यात्राएं।

ii) पब, बार तथा एयरपोर्टों पर प्रदर्शन बोर्ड।

iii) स्कूल बसों में प्रदर्शन बोर्ड।

iv) दिल्ली मेट्रो में प्रदर्शन बोर्ड।

v) एनसीबी के जोनों और सब जोनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर मादक पदार्थ के प्रति जागरूकता कार्यक्रम।

vi) एनसीबी के फेसबुक पेज पर मादक पदार्थ संबंधी जागरूकता प्रदर्शन।

vii) मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रतिवर्ष 26 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना।

viii) पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए एनजीओ के सहयोग से नियमित तौर पर रैलियां, ड्रामा आयोजित किए जाते हैं।

ix) मादक पदार्थ के प्रति जागरूकता संबंधी एसएमएस चेतावनियां।

x) देश में मादक पदार्थ के दुरुपयोग और दुर्व्यापार के बारे में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और एनजीओ के सहयोग से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन।

xi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सं.	: 451
भाग लेने वाले कुल सहभागी	: 12,40,959

दिनांक 26.06.2015 को इंडिया गेट पर मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन

दिनांक 26.06.2015 को जम्मू क्षेत्रीय इकाई द्वारा रैली का आयोजन

दिनांक 26.06.2015 को लखनऊ क्षेत्रीय इकाई द्वारा रैली का आयोजन

दिनांक 26.06.2015 को कोलकाता क्षेत्रीय इकाई द्वारा रैली का आयोजन

दिनांक 26.06.2015 को चेन्नई क्षेत्रीय इकाई द्वारा रैली का आयोजन

9.106 दिनांक 09.09.2015 से 11.09.2015 तक अशोक होटल नई दिल्ली में कोलम्बो प्लान फार साउथ एशियन कन्ट्रीज की पहली सब–रीजनल फोकल प्वाइंट बैठक (एसआर–डीएफपीएम) आयोजित की गई। इस बैठक थी मेजबानी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोलंबो प्लान ड्रग एडवाइजरी कार्यक्रम (सीपीडीएपी) के सहयोग से की गई जिसका उद्घाटन माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने किया और दो प्रेक्षक राष्ट्रों सहित 10 देशों के सहभागियों ने बैठक में भाग लिया।

दिनांक 09.09.2015 से 11.09.2015 तक होटल दी अशोक, दिल्ली में सब–रीजनल ड्रग फोकल पॉइंट बैठक के उद्घाटन समारोह का ग्रुप फोटो

*****

अध्याय
10

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत अपनी विशिष्ट भू–जलवायु और सामाजिक–आर्थिक दशाओं के कारण भिन्न–भिन्न पैमाने के अनुसार बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भू–स्खलन, हिम–स्खलन और दावानल आदि के प्रति काफी संवेदनशील है। 58.6% भू–भाग में मामूली से लेकर अति तीव्रता वाले भूकम्प संभावित हैं, 12% भूमि में बाढ़ और नदी का कटाव संभावित है, 7,516 कि.मी. तटरेखा में से 5,700 कि.मी. तटरेखा चक्रवात और सुनामी सम्भावित है, 68% कृषि योग्य भूमि सूखे और पहाड़ी क्षेत्र, भू–स्खलनों एवं हिम–स्खलनों के प्रति संवदेनशील हैं, 15% भू–भाग में भू–स्खलन संभावित है तथा 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ के प्रति संवदेनशील हैं। आग की घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और रासायनिक, जैविक और रेडियोएक्टिव सामग्री का प्रयोग करके मानवजनित अन्य आपदाओं ने इन खतरों को बढ़ाकर प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन और मौसम चक्र के व्यवहार में परिवर्तन ने इस परिदृश्य को नया आयाम दिया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

10.2 आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामले में संभारिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। संभारतंत्र संबंधी सहायता में वायुयानों, नावों, सशस्त्र बलों के विशेष दलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के कार्मिकों की तैनाती, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवसंरचना सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

10.3 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर राहत–केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि आपदा प्रशमन को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

10.4 भारत सरकार ने आपदाओं तथा उससे संबंधित या तत्संबंधी मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। इसमें आपदा प्रबंधन की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र निर्धारित किया गया है जिससे आपदाओं के प्रभाव को रोकने और उन्हें कम करने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय किया जाना सुनिश्चित होता है। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोध/अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अध्ययन के लिए एक कार्य बल का गठन किया था ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अन्य सिफारिशों की जांच मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए)

10.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है जिसमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं – (1) श्री कमल किशोर, सदस्य, (2) डॉ. डी.एन. शर्मा, सदस्य, (3) लेफ्ट. जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मारवाह, सदस्य और (4) श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)।

10.6 राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न कार्यों का निर्वहन करता है, जिनमें आपदा प्रबंधन संबंधी ऐसी नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है, जिनका अनुपालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम अथवा इसके प्रभावों के प्रशमन संबंधी उपायों को समेकित करने के प्रयोजन से किया जाएगा।

10.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने गठन के समय से विभिन्न आपदा संबंधी और विषयगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। विगत वर्षों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क) भूकंप, ख) सुनामी, ग) चक्रवात, घ) बाढ़, ङ) शहरी बाढ़, च) सूखा, छ) भू–स्खलन और हिम–स्खलन, ज) नाभिकीय और विकिरणीय आपात स्थितियां (अवर्गीकृत भाग– I), झ) रासायनिक औद्योगिक आपदा, ञ) रासायनिक (आतंकवाद) आपदा, ट) चिकित्सा तैयारी एवं जन–हताहत प्रबंधन, ठ) जैविक आपदा, ड) मनोवैज्ञानिक–सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, ढ) राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, ण) घटना कार्रवाई प्रणाली, त) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली, थ) उपकरणों का वर्गीकरण, प्रकार तथा अग्निशमन सेवाओं का प्रशिक्षण और द) सुविधाविहीन भवनों और ढांचों में भूकंप संबंधी रेट्रोफिटिंग के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

10.8 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने "विद्यालय सुरक्षा", "अस्पताल सुरक्षा", "समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन" और "आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका" के बारे में भी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन मसौदा दिशानिर्देशों को एन डी एम ए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि इसके बारे में सुझाव प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में संग्रहालयों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाओं को तैयार करने तथा नौका दुर्घटनाओं के बारे में दिशानिर्देशों को तैयार करने की प्रक्रिया भी आरंभ की है।

10.9 दिनांक 28.09.2015 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर, एक न्यूज लेटर "संवाद" की शुरूआत की गई। इस मौके पर "आपातकालीन प्रबंधन कवायद कैसे आयोजित करें" के बारे में एक प्रशिक्षण नियम–पुस्तिका भी जारी की गई।

राष्ट्रीय योजना, राज्य योजनाएं और जिला योजनाएं

10.10 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन ई सी) ने दिनांक 21.10.2013 को गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई अपनी 15वीं बैठक में मसौदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन डी एम पी) को अनापत्ति प्रदान कर दी थी और उसे एन डी एम ए के अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय के माध्यम से अग्रेषित किया गया था। मसौदा एन डी एम पी को व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् पुनर्गठित और संशोधित किया गया था। मसौदा एन डी एम पी की प्रति एन डी एम ए की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर पॉलिसी और प्लान – नेशनल डी एम पॉलिसी लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। मसौदे पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवनियुक्त सदस्यों द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है।

10.11 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अनुसार, राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी एक योजना होगी, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है। एक समान प्रारूप में जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के विश्लेषण के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने "जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए मॉडल ढांचा" और "जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों" को अंतिम रूप दिया है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं

10.12 एन डी एम ए ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन दौरा किया ताकि भविष्य में चक्रवातों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सीखे गए पाठों के प्रलेखन का कार्य किया जा सके।

10.13 एन डी एम ए ने पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे संगत अधिनियमों/कानूनों/नियमों/विनियमों का एक सार–संग्रह तैयार किया है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)

10.14 एनडीएमए निम्नलिखित योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:–

(i) आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम–प्रशमन परियोजना की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का चरण–I, चक्रवात के प्रति तटीय समुदायों की संवेदनशीलता का समाधान करने हेतु 1,496.71 करोड़ रू. की लागत से कार्यान्वयनाधीन है। परियोजना का लक्ष्य चक्रवातों के प्रति अतिसंवेदनशीलता को कम करना तथा लोगों को आपदा प्रतिरोधक के रूप में तैयार करना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रैकिंग और चेतावनी प्रणालियों का उन्नयन करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन और बहु–आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण और बहु–उद्देशीय चक्रवात आश्रयों (आश्रय–सह–गोदाम तथा निवासियों के लिए पहुंच सड़कों/पुलों सहित) और तटबंधों का निर्माण करना है। इस परियोजना से ओडिशा में 5.60 लाख लोगों तथा आंध्र प्रदेश में 5.50 लाख से अधिक लोगों के लाभान्वित होने की प्रत्याशा है। इससे ओडिशा में 38,296 हेक्टेयर भूमि और आंध्र प्रदेश में लगभग 12,640 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण में सहायता मिलने की भी प्रत्याशा है। वर्ष 2015–16 के दौरान आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 328.796 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। एन सी आर एम पी चरण–I के लिए 1,496.71 करोड़ रु. से 2,331.71 करोड़ रु. के संशोधित लागत अनुमान संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 16.07.2015 को अनुमोदित किया गया है। यह योजना अब उन्हीं घटकों के साथ दिनांक 31.03.2018 तक आगे बढ़ा दी गई है।

(ii) एन सी आर एम पी का दूसरा चरण 2,361.35 करोड़ रु. की कुल लागत से विश्व बैंक की सहायता से गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रियान्वित किया जाएगा ताकि चक्रवात के प्रति तटीय समुदाय की अतिसंवेदनशीलता का निराकरण हो सके। यह परियोजना दिनांक 16.07.2015 को अनुमोदित की गई थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य चक्रवात पूर्वानुमान, निगरानी एवं चेतावनी प्रणाली, चक्रवात जोखिम प्रशमन और बहु–आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता–संवर्धन है। परियोजना के अंतर्गत जो मुख्य अवसंरचनाएं निर्मित होंगी, वे बहु–प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थल, संपर्क सड़कें, लवणीय तटबंध और भूमिगत केबल हैं। यह परियोजना वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक क्रियान्वित होनी है। वर्ष 2015–16 के दौरान गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को 71.984 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

(iii) एन डी एम ए द्वारा 19.64 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा संबंधी पायलट परियोजना अनुमोदित की गई है जो पांच राज्यों और दस जिलों में क्रियान्वित की जाएगी।

आपदा प्रबंधन संबंधी अन्य कार्यक्रम

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी एम एन आर एफ) के अंतर्गत चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण

10.15 चक्रवात के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल और केरल में चक्रवात आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए क्रमशः 138.65 करोड़ रु. और 2.43 करोड़ रु. की लागत से एक परियोजना संचालित की गई। पश्चिम बंगाल में 50 आश्रय स्थल प्रस्तावित थे जिनमें से 37 का कार्य पूरा हो चुका है। केरल में प्रस्तावित एकल आश्रय निर्मित कर लिया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और जिला

आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण

10.16 एन डी एम ए ने 42.51 करोड़ रु. की लागत से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस डी एम ए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी डी एम ए) के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरंभ की है। यह योजना 36 एस डी एम ए और 256 डी डी एम ए के लिए वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान क्रियान्वित की जानी है। वर्ष 2015–16 के दौरान 4.16 करोड़ रू. के लिए 11 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

मोबाइल रेडिएशन पहचान प्रणाली (एम आर डी एस)

10.17 एन डी एम ए ने विकरणीय आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की तैयारी से संबंधित अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में साधारण निगरानी उपकरणों और व्यक्तिगत सुरक्षा कवच के साथ देश की 50 से अधिक राजधानियों और महानगरों/अन्य प्रमुख शहरों के चिन्हित पुलिस थानों के चौकसी वाहनों को सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। मोबाइल रेडिएशन पहचान प्रणाली (एम आर डी एस) नामक यह परियोजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में 525.80 लाख रु. और अगली योजना में 171.33 लाख रु. की कुल लागत से एक पायलट योजना के तौर पर अनुमोदित की गई है। यह परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) के सहयोग से संचालित की जा रही है।

एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट के लिए क्षमता–संवर्धन

10.18 पायलट परियोजना मई, 2012 में आरंभ की गई थी और मई, 2013 में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। पायलट परियोजना के दौरान, 3 राज्य अर्थात् बिहार, असम और आंध्र प्रदेश शामिल किए गए थे और जे पी एन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स की ऑनसाइट पर 08 एटीएलएस (एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट) पाठयक्रम, 04 एटीसीएन (नर्सों के लिए एडवांस्ड ट्रॉमा केयर) पाठयक्रम और 03 पीएचटीएलएस (प्री हास्पिटल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट) पाठयक्रम तथा क्रमशः पटना, गुवाहाटी और हैदराबाद की ऑफसाइट पर 03 आरटीटीडीसी पाठयक्रम (रूरल ट्रॉमा टीम डेवलपमेंट कोर्स) आयोजित किए गए।

10.19 पायलट परियोजना के सफल समापन के आधार पर, भारत के अन्य बहु–आपदा प्रवण राज्यों में इस पहल को और आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, झारखण्ड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करना है। इसमें इस पहल के माध्यम से 1,080 डॉक्टरों और 800 नर्सों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सिविल सेवकों का क्षमता–संवर्धन

10.20 सिविल सेवकों के क्षमता संवर्धन के लिए एक परियोजना लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में चलाई गई। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण की बुनियादी जानकारी देना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बेहतर नीति–निर्माण, योजना निर्माण और कार्यान्वयन के बारे में सुविज्ञ करना तथा आपदा प्रबंधन और विकास का एकीकरण करना था। इस परियोजना में 900 से अधिक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एन एस एस पी)

10.21 विद्यालयों को अधिक प्रतिरोधी तथा आपदाओं के लिए बेहतर ढ़ंग से तैयार रहने और आपदा से संबंधित तैयारी की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से, एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 48.47 करोड़ रु. की लागत से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एन डी एम ए द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस परियोजना में मुख्यतः भूकम्प क्षेत्र IV और V में आने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8,600 स्कूल शामिल किए गए थे।

10.22 इस कार्यक्रम में विद्यालयों को सुरक्षित बनाने के लिए विविध गतिविधियां, जैसे विद्यालय सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण माडयूल तैयार करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, छद्म अभ्यासों का

आयोजन, विद्यालयों में प्रतीकात्मक रेट्रोफिटिंग करना तथा अनेक गैर–ढांचागत उपायों को शामिल किया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में आपदा टालना

10.23 जनवरी 2015 में सिन्धु नदी की एक सहायक नदी फुकटल एक बड़े भू–स्खलन के कारण अवरूद्ध हो गई थी। इस भू–स्खलन के फलस्वरूप लगभग 15 किमी. अपवाह वाली एक कृत्रिम झील बन गई। इस जलाशय द्वारा अवरोध पार करने तथा अचानक बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा था, जिससे स्थानीय लोगों की जान गंभीर खतरे में पड़ गई थी। एन.डी.एम.ए. ने अवरोध की जांच करने तथा इसके निराकरण के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.), केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एम.एफ.आर.), केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.), भारतीय सर्वेक्षण (एस.ओ.आई.), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), सेना के इंजीनियरों, वायु सेना और राज्य प्रशासन को लेकर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। अनेक विस्फोटों तथा हाथों से खुदाई के पश्चात दल 100 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा चैनल बनाने में सफल रहा। इसके कारण रूके पानी को नदी की धारा में धीरे–धीरे छोड़ना संभव हो सका। तटबंध के टूटने की घटना 07.05.2015 को हुई और किसी की जान जाने या मवेशी खोने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस अभियान से सीखे गए पाठ के आधार पर, एन.डी.एम.ए. ने 'पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों पर तटबंधों पर भू–स्खलन से होने वाले खतरों को टालने' के बारे में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) तैयार की।

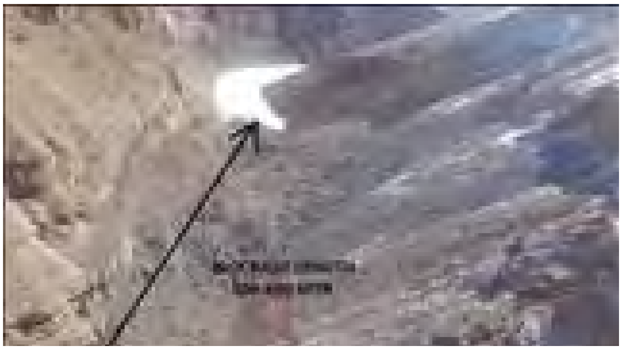

भूस्खलन से निर्मित कृत्रिम झील

विशेषज्ञ दल द्वारा घटना–स्थल का दौरा

सार्क क्षेत्र में संपर्क बढ़ाना

10.24 पिछले वर्ष सार्क सम्मेलन के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पड़ोसी देशों को भारत की सहायता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के बारे में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के प्रत्युत्तर में, एन.डी.एम.ए. ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने के लिए दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन कवायद और क्षेत्रीय कार्यशाला की प्रक्रिया आरंभ की। गृह मंत्रालय, एन.डी.एम.ए., विदेश मंत्रालय, एन.डी.आर.एफ. और एन.आई.डी.एम. द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27.11.2015 को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा" करने संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला के आयोजन सहित दिनांक 23.11.2015 से 26.11.2015 के दौरान दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन कवायद आयोजित की गई थी।

एन डी एम ए के 11वें स्थापना दिवस का आयोजन

10.25 दिनांक 28.09.2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने समारोह की अध्यक्षता की।

माननीय गृह राज्य मंत्री समारोह की अध्यक्षता करते हुए

10.26 आरंभिक सत्र के पश्चात, चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिनमें चार मुख्य आपदाओं अर्थात् चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और भू–स्खलन को शामिल किया गया था। प्रत्येक सत्र में प्रारंभिक प्रस्तुति एन.डी.एम.ए. द्वारा दी गई जिसके बाद राज्यों / केन्द्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों को साझा किया।

एन डी एम ए के 11वें स्थापना दिवस का आरंभिक सत्र – प्रशिक्षण मैनुअल का विमोचन

तकनीकी सत्र चलता हुआ

10.27 उद्घाटन सत्र में माननीय गृह राज्य मंत्री ने "आपातकालीन प्रबंधन कवायद कैसे आयोजित करें" के बारे में एन.डी.एम.ए. के प्रशिक्षण मैनुअल का विमोचन किया और इसी सत्र में एन.डी.एम.ए. के तिमाही न्यूजलेटर "संवाद" के पहला संस्करण का भी विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने समापन सत्र की शोभा बढ़ाई।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) खोज और बचाव

श्री ओ.पी. सिंह, आईपीएस, महानिदेशक, एनडीआरएफ नेपाल भूकंप के दौरान बचाव अभियान का पर्यवेक्षण करते हुए

गुजरात बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर

पश्चिम बंगाल में "कोमेन" चक्रवात के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

ख्याला, दिल्ली में भवन ढ़हने की घटना में बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

कामरूप (आर), असम में भू–स्खलन बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ बचावकर्मी

रेडियोधर्मी पदार्थ के संदिग्ध रिसाव के दौरान आई जी आई हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर एन डी आर एफ कमी

स्कूली बच्चों को एमएफआर कौशल सिखाता हुआ एनडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय बच्चों को जीवन रक्षा कौशल के बारे में व्याख्यान देते हुए एनडीआरएफ अनुदेशक, गुवाहाटी, असम

ग्रामीणों को सीपीआर का प्रदर्शन करता हुआ एनडीआरएफ, अगरतला

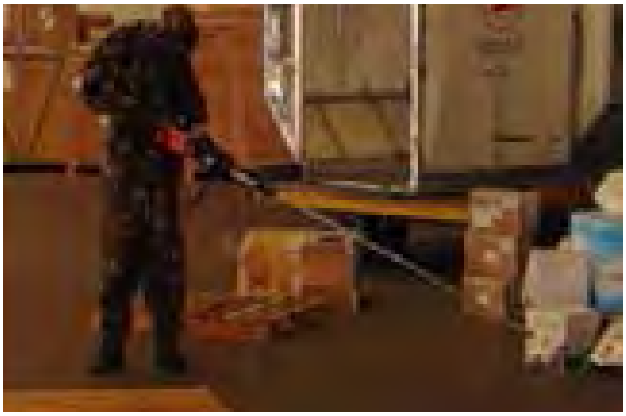

एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) पर रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी के बारे में छद्म अभ्यास

सुनामी छद्म अभ्यास के दौरान एनडीआरएफ, ओडिशा

एनडीआरएफ कार्मिक गोताखोरी प्रशिक्षण लेते हुए, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

अभियान

10.28 भूकंप

नेपालः दिनांक 25.04.2015 को, नेपाल में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप की शक्ल में भयानक आपदा आई जिससे जान–माल और अवसरंचना की भारी क्षति हुई। इसके झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए और पूरे हिमालय क्षेत्र में आपदा का भय फैल गया। भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) ने नेपाल के भूकंप प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम उपकरणों सहित शहरी खोज एवं बचाव (यू.एस.ए.आर.) अभियान में प्रशिक्षित 18 श्वानों के साथ 700 से अधिक बचावकर्मियों वाले अपने 16 शहरी खोज एवं बचाव (यू.एस.ए.आर.) दल तैनात किए। एन.डी.आर.एफ. ने 11 घायल लोगों को बचाया और मलबे के नीचे से 133 शव बरामद किए, चिकित्सा शिविरों का आयोजन तथा 1,219 लोगों का उपचार किया। इसके अतिरिक्त, एन.डी.आर.एफ. ने रेल/सड़क मार्ग से नेपाल के भूकंप प्रभावित व्यक्तियों तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा दान दी गई 1,176.571 टन राहत सामग्री भेजने में गृह मंत्रालय और एन.डी.एम.ए. की सहायता की।

नेपाल में बचाव अभियान

बाढ़

10.29 दिनांक 01.04.2015 से 06.10.2015 की अवधि के दौरान एन.डी.आर.एफ. दलों ने असम, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर और मध्य

प्रदेश में बाढ़ बचाव अभियान चलाए। बाढ़ बचाव अभियानों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(i) गुजरात बाढ़ 2015ः लगभग 600 बचाव कर्मियों के साथ एन.डी.आर.एफ. के 17 दलों को दिनांक 28.07.2015 को गुजरात के विभिन्न भागों में उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति में तैनात किया गया। इन दलों को जिला बनासकांठा और पाटन के सुइगाम, दीसा हरारा, थेरड, भाभर, देवधर, धनेरा और पालनपुर में तैनात किया गया। दलों ने श्री आर.के. राणा, उप महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में बचाव और राहत अभियान चलाए। अभियान के दौरान, एन.डी.आर.एफ. ने बाढ़ में घिरे 1,430 व्यक्तियों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उन्हें बचाया, 04 शव बरामद किए, 06 क्विंटल राहत सामग्री तथा 1,27,898 पानी और खाने के पैकेट और दवाइयां वितरित कीं। दिनांक 02.08.2015 को, एन.डी.आर.एफ. दलों ने 200 ग्राम सोना, 05 किलोग्राम चांदी और 02 लाख रू. नकद बरामद किया। दलों ने 268 मृत पशुओं के निपटान में स्थानीय प्रशासन की सहायता भी की।

गुजरात में बचाव अभियान

(ii) राजस्थान बाढ़ 2015ः बाढ़ बचाव अभियान के दौरान, एन.डी.आर.एफ. ने बाढ़ में घिरे 238 लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उन्हें बचाया, 05 शव बरामद किए तथा 17 क्विंटल राहत सामग्री, 20 तिरपाल, 2,435 पानी और खाने के पैकेट तथा 432 व्यक्तियों को दवाइयां वितरित कीं।

राजस्थान में बचाव अभियान

10.30 चक्रवात "कोमन" पश्चिम बंगालः 80 नौकाओं तथा अन्य आवश्यक उपकरणों सहित 700 से अधिक बचाव कर्मियों वाले एन.डी.आर.एफ. के 17 दल जुलाई–अगस्त, 2015 माह के दौरान पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर, बीरभूम, हावड़ा और नदिया में तैनात किए गए। इस तैनाती के दौरान, दलों ने अनेक बचाव अभियान चलाए तथा 2,291 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला तथा 82.7 क्विंटल सूखा राशन, 11,300 वॉटर पाउच और 500 तिरपाल, 500 पैकेट दवाइयां, 05 कार्टून मोमबत्तियां, 05 कार्टून माचिस और अन्य राहत सामग्री वितरित की।

10.31 **भूस्खलनः**

(क) मणिपुरः दिनांक 01.08.2015 को खोज और बचाव अभियान के लिए 02 श्वानों सहित एक दल को हवाई मार्ग से गुवाहाटी एयरबेस से इम्फाल एयरबेस और तत्पश्चात् जाउपाइआबोल हेलीपैड, जिला चंदेल ले जाया गया। सड़क मार्ग से भी एक और दल की व्यवस्था की गई। एन डी आर एफ द्वारा लापता लोगों का पता लगाने के लिए गहन खोज अभियान चलाया गया और दल ने दिनांक 02.08.2015 को 04 शव बरामद किए।

(ख) महाराष्ट्रः दिनांक 22.06.2015 को गांव दापोली, जिला रत्नागिरी में हुई भूस्खलन की घटना और मलबे में चार लोगों के दबे होने के बारे में डी सी,

जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र) द्वारा की मांग पर एक दल ने खोज और बचाव अभियान चलाया और 04 शव (02 पुरूष और 02 महिला) बरामद किए।

10.32 बादल फटनाः जम्मू एवं कश्मीर : दिनांक 15.07.2015 को अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात दल ने 12 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जब पंचतरणी के निकट एक नदी पर बने लकड़ी के दो पुल बादल फटने के कारण टूट गए।

10.33 **भवन ढहना**

(i) उत्तर प्रदेश : दिनांक 15.02.2015 को जिला मजिस्ट्रेट, चंदौली की मांग पर एक दल ने गांव दुल्हीपुर, जिला चंदौली में एक निर्माणाधीन भवन के ढ़हने पर खोज और बचाव अभियान चलाया और 11 शवों को बरामद किया।

(ii) दिल्ली

(क) दिनांक 03.07.2015 को द्वारका सेक्टर–6, दिल्ली में एक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने की घटना में एक दल को तैनात किया गया और 01 शव बरामद किया गया।

(ख) एक चार मंजिला भवन के ढ़हने की घटना के संबंध में विष्णु गार्डन, पुलिस थाना ख्याला, पश्चिम दिल्ली में दिनांक 18.07.2015 से 19.07.2015 तक कमांडेंट 08 बटालियन एन डी आर एफ के पर्यवेक्षण में खोज और बचाव अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दलों ने 03 शव बरामद किए।

10.34 **सी बी आर एन घटनाए**

(i) दिल्लीः दिनांक 29.05.2015 को सी बी आर एन दलों को रेडियोधर्मी सामग्री के संदिग्ध रिसाव संबंध में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर तैनात किया गया। दल ने संदिग्ध रिसाव की विस्तारपूर्वक निगरानी तथा पहचान की। पता लगाने के इस कार्य में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए ई आर बी), इलेक्ट्रो रिडक्शन कार्बन डाइ आक्साइड (ई आर सी), इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसीन एंड एलाइड साइंस (आई एन एम ए एस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) और दिल्ली अग्निशमन सेवा ने भी हिस्सा लिया। अंत में, यह पाया गया कि आई–131 और एम–90 के 10 पैकेटों में से किसी भी पैकेट में रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ था। दल ने इन पैकेटों को हटाया गया तथा इन्हें कार्गो प्राधिकारियों को सौंप दिया।

आई जी आई हवाई अड्डे पर सी बी आर एन दल

(ii) महाराष्ट्र : दिनांक 16.08.2015 को बी एम सी द्वारा अंधेरी कुर्ला रोड, काकीनाका, सागबाग, मुम्बई में मिठल उद्योग के निकट एक दवा की कंपनी में गैस रिसने की घटना के बारे में अनुरोध करने पर, एक सी बी आर एन दल ने अभियान चलाया तथा एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला तथा रासायनिक पाउडर आगे की जांच के लिए बी एम सी को सौंप दिया।

(iii) पंजाबः दिनांक 13.06.2015 को जिला प्रशासन– लुधियाना द्वारा दोराहा में टैंकर से अमोनिया गैस के रिसाव के संबंध में मांग किए जाने पर, तीन दलों को तैनात किया गया। क्षतिग्रस्त टैंकर को घटना–स्थल से 04 किलोमीटर दूर ले जाया गया ताकि आस–पास के लोगों पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े।

10.35 **एसएएडीएमएक्स – 2015:** दिनांक 03.09.2015 और 04.09.2015 को दिल्ली में एन डी आर एफ द्वारा एडवांस को–आर्डिनेशन कान्फ्रेंस (एस ए ए डी एम एक्स–2015) का आयोजन किया गया जिसमें सार्क देशों के प्रतिनिधिमंडलों, दिल्ली में सार्क देशों के दूतावासों/उच्चायोगों, गृह मंत्रालय, एन डी एम ए, विदेश मंत्रालय, एन डी आर एफ, एन आई डी एम के प्रतिनिधियों और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तत्पश्चात् दिनांक 23–26 नवम्बर, 2015 के दौरान एस ए ए डी एम एक्स–2015 का आयोजन किया गया और इसके बाद दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को आपदा न्यूनीकरण के बारे में एक सार्क कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

10.36 **तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/बाढ़:–** नवम्बर/दिसम्बर, 2015 के दौरान तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई। इसमें 406 लोगों की जानें चली गईं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन/समिति ने दैनिक आधार पर स्थिति की समीक्षा की। इसी प्रकार से गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने दिन–प्रतिदिन आधार पर खोज, बचाव और राहत अभियानों की समीक्षा की। एन डी आर एफ की 48 टीमें तैनात की गईं। तमिलनाडु को राज्य आपदा कार्रवाई कोष से 679 करोड़ रू. की राशि आबंटित की गई है। राज्य को 552.00 करोड़ रू. की विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से 1,000 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)

10.37 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षण सहित क्षमता संवर्धन, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति नियोजन की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र से अपग्रेड होकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान सभी स्तरों पर निवारण और तैयारी की संस्कृति को विकसित और प्रोत्साहित करके आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभरने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। केन्द्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासकीय निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष करते हैं।

प्रकाशन: उत्तराखंड आपदा 2013

10.38 एनआईडीएम संकाय ने एक किताब की शक्ल में वर्ष 2013 की उत्तराखण्ड आपदा के विभिन्न पहलुओं का प्रलेखन किया है। इस पुस्तक के प्रारंभ में आपदाओं के प्रति राज्य की अतिसंवेदनशीलता का जिक्र किया गया है तथा इसके माध्यम से उक्त त्रासदी के संभावित कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। तत्पश्चात् इसमें, घटित घटनाओं को कालक्रमानुसार समेटा गया है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई पहलों के उल्लेखनीय आयामों को उजागर करते हुए आपदा के पश्चात् बड़े पैमाने पर चलाए गए बचाव और राहत अभियान का विस्तार से वर्णन किया गया है।

दिनांक 18–22 मई, 2015 के दौरान भारत के लिए आपदा पश्चात् आवश्यकता आकलन के बारे में राष्ट्रीय परामर्श और ज्ञान कार्यशाला (राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के अंतर्गत)

10.39 दिनांक 18.05.2015 से 22.05.2015 के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के अंतर्गत भारत के लिए आपदा पश्चात् आवश्यकता आकलन (पी डी एन ए) के बारे में एक राष्ट्रीय परामर्श एवं समर्थन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्ययन के महत्वपूर्ण परिणामों तथा फीडबैक और अनुमोदन माँगने के तौर पर भारत के लिए मसौदा पीडीएनए हैंडबुक प्रस्तुत की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न राज्यों के 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप, इस कार्यशाला के दौरान प्राप्त समीक्षाओं के आधार पर परामर्शदात्री दल ने आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पी डी एन ए) संबंधी सूत्रों की पुनरीक्षा की तथा ये सूत्र एनआईडीएम को प्रस्तुत किए गए।

कार्यशाला के दौरान वार्ता करते प्रतिनिधि

एन आई डी एम में "नेपाल भूकंपः अप्रत्यक्ष आपदाओं की अनिश्चतताओं का पता लगाने" के बारे में गहन कार्यशाला

10.40 दिनांक 28.05.2015 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में "नेपाल भूकंपः अप्रत्यक्ष आपदाओं की अनिश्चितता का पता लगाने" के बारे में एक गहन कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि नेपाल में हाल में आए भूकंप से सीखे गए महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा की जा सके तथा भूकंप के बाद की स्थिति में संभावित आसन्न जोखिम के निवारण या उसे कम करने के लिए सक्रिय रूप से की जाने वाली उचित कार्रवाई की संस्तुति की जा सके। तत्काल, लघु और दीर्घकालीन कार्रवाइयों के लिए प्रमुख संस्तुतियां करते हुए इस गहन कार्यशाला का समापन हो गया।

डॉ. सूर्य प्रकाश, एनआईडीएम संकाय, कार्यशाला के दौरान अपने विचार रखते हुए

दिनांक 19 जून, 2015 को एन आई डी एम के शासकीय निकाय की बैठक

10.41 एनआईडीएम के शासकीय निकाय की 9वीं बैठक दिनांक 19.06.2015 को गृह मंत्रालय में श्री एल.सी. गोयल, केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान शासकीय निकाय ने एनआईडीएम की निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान कियाः

- आपदा प्रबंधन विषय पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एम. फिल और पीएचडी कार्यक्रम आरंभ करना;
- आपदा प्रबंधन में निर्माण–प्रबंधन/अप्लाइड साइंस और पूर्व चेतावनी प्रणाली विषय पर आपदा में बी.टेक. पाठयक्रम आरंभ करने के लिए तैयारियां करना;
- एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिविल सोसायटी/निजी क्षेत्र से प्रतिभागियों (प्रशिक्षु/प्रशिक्षक) को आमंत्रित करना।

दिनांक 25 अगस्त, 2015 को आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन (ए एम सी डी आर आर), 2016, साझेदार एजेंसियों का राष्ट्रीय परामर्शः वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान

10.42 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने दिनांक 25.08.2015 को नई दिल्ली में श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस बैठक का लक्ष्य एएमसीडीआरआर 2016 के आयोजन हेतु साझेदारों के रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों को सम्मिलित करना था। इस बैठक में एसडीएमए, सीबीआरआई, आईएमडी, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय दूर–संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी),

इंटरनेशनल फ्यूजन रिसर्च काउंसिल (आईएफआरसी), यूनाइटेड नेशन्स फॉर वूमेन (यूएनडब्ल्यू) आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रकाशन–प्रशिक्षण माडयूलः घटना कार्रवाई प्रणाली, संस्करणः 2015

10.43 घटना कार्रवाई प्रणाली (आई आर एस), आपदा की स्थिति में सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर संबंधित विभागों और एजेंसियों, निजी क्षेत्र और गैर–सरकारी संगठनों को एक व्यवस्थित सक्रिय दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है।

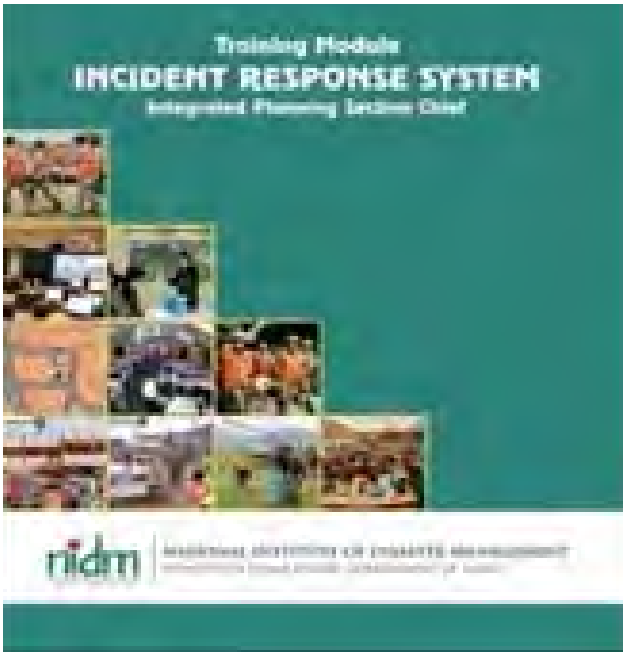

आई आर एस संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल

एन आई डी एम, नई दिल्ली में "अफ्रीकी देशों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन" के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 07–18 सितम्बर, 2015

10.44 आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान एवं कौशल तथा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दिनांक 07.09.2015 से 18.09.2015 तक एनआईडीएम द्वारा अफ्रीकी देशों के पदाधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 6 अफ्रीकी देशों अर्थात् घाना, कीनिया, मेडागास्कर, मलावी, सेशल्स और तंजानिया के 22 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आपदा अनुसंधान के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में मान्यताप्राप्त जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के "आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डी आर पी)" का आरंभ, दिनांक 21.09.2015

10.45 दिनांक 06.08.2015 को श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और प्रो. एस.के. सोपोरी, कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुशल नेतृत्व में एनआईडीएम और जेएनयू के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आरंभ करने के लिए जेएनयू और एनआईडीएम के संकायों के बीच बातचीत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अंततः दिनांक 21.09.2015 को इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

श्री किरेन रिजिजू, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए

प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.46 एन आई डी एम द्वारा अप्रैल, 2015 से अक्तूबर, 2015 के दौरान 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में 835 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

नागरिक सुरक्षा

10.47 नागरिक सुरक्षा में भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव का प्रशमन करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं है, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसे देश की सुरक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में आयोजित किया जाना है।

गृह मंत्री सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्नि सेवा पदक प्रदान करते हुए

भूमिका

10.48 युद्ध और आपातकालीन स्थिति के समय, अंदरूनी क्षेत्रों की रक्षा करने में, सशस्त्र बलों की सहायता करने में, नागरिकों को जुटाने में तथा निम्नलिखित कार्यों में नागरिक प्रशासन की मदद करने में नागरिक सुरक्षा संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है:

- जान–माल की रक्षा करना,
- क्षति को कम से कम होने देना,
- उत्पादन केन्द्रों पर कार्य जारी रखवाना,
- जनता का मनोबल बढ़ाना, और
- आपदा से पहले के चरण में क्षमता संवर्धन द्वारा आपदाओं/आपात परस्थितियों का सामना करने के लिए समुदाय को तैयार करने में सहायता प्रदान करना तथा आपदाओं के दौरान और उनके पश्चात् बचाव और राहत कार्य करना।

अधिनियम और नीति

10.49 नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पूरे देश में लागू है। वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों का पुनरीक्षण और नवीकरण, बाहरी हमले या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर राष्ट्र–विरोधी तत्वों या आंतकवादियों के प्राणघातक हमले के संभावित खतरे के स्तर, जो वर्गीकरण का मूलभूत मानदंड रहा है, के आधार पर नियमित अंतराल पर किया जाता है। वर्तमान में, नागरिक सुरक्षा गतिविधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 259 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा शहरों/जिलों तक सीमित हैं। इसके साथ 100 चुनिंदा बहु–आपदा प्रवण जिलों को नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संगठन

10.50 नागरिक सुरक्षा का गठन प्राथमिक तौर पर स्वेच्छा आधार पर किया गया सिवाय स्थायी स्टाफ और स्थापना की एक छोटी संख्या को छोड़कर जो आपातकालीन परिस्थितियों में बढ़ा दी जाती है। 4.11 लाख स्वयंसेवियों को कार्य में पहले ही शामिल किया जा चुका है और 4.05 लाख को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण

10.51 शांति के समय नागरिक सुरक्षा उपायों के प्रशिक्षण, और अभ्यास/प्रदर्शन करने के अतिरिक्त, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न रचनात्मक और राष्ट्र–निर्माण संबंधी गतिविधियों में भी तैनात किया जाता है, जिसमें सामाजिक और कल्याणकारी सेवाएं मुहैया कराने में तथा प्राकृतिक/मानवजनित आपदाओं की रोकथाम/प्रशमन के साथ–साथ आपदा पश्चात कार्रवाई

एवं राहत अभियानों में प्रशासन की सहायता करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तीन स्तरों अर्थात स्थानीय/शहर/जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है।

होमगार्ड

10.52 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों का होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक संगठन में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों को करने में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में होमगार्डों की भूमिका है। होमगार्ड दो प्रकार के हैं–ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में, सीमा विंग होमगार्ड (बी डब्ल्यू एच जी) बटालियनें गठित की गईं हैं, जो सीमा सुरक्षा बल के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। देश में होमगार्डों की कुल संख्या 5,73,793 है, जिसकी तुलना में गठित नफरी 4,43,913 है। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

10.53 होमगार्ड्स का गठन, होमगार्ड्स अधिनियम और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के अधीन किया जाता है। इनकी भर्ती समाज के विभिन्न वर्गों आदि में से की जाती है, जो समुदाय की भलाई के लिए अपना अतिरिक्त समय इस संगठन को दे सकें। होमगार्डों को दी जाने वाली सुख–सुविधाओं में मुफ्त पोशाक, ड्यूटी भत्ता एवं विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए वीरता पुरस्कार शामिल हैं। संगठन में तीन वर्षों की सेवा वाले होमगार्ड्स के सदस्यों को पुलिस व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, डकैती–निरोधी उपायों, सीमा गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटियों और समाज कल्याण की गतिविधियों के संबंध में पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाता है।

अग्निशमन सेवा

10.54 अग्नि–रोकथाम और अग्निशमन सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवा श्री बी.डी. शर्मा, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में फॉयर इंडिया 2015 का उद्घाटन करते हुए

10.55 स्वतंत्रता दिवस, 2015 के अवसर पर, देश के अग्निशमन सेवा कार्मिकों को शौर्य के लिए राष्ट्रपति के 4 अग्निशमन सेवा पदक, शौर्य के लिए 7 अग्निशमन सेवा पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के 4 अग्निशमन सेवा पदक और सराहनीय सेवा के लिए 45 अग्निशमन सेवा पदक प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर

10.56 राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय की स्थापना

वर्ष 1957 में नागपुर में भारत सरकार के आपातकालीन राहत संगठन की सहायता के लिए केन्द्रीय आपातकालीन राहत प्रशिक्षण संस्थान (सी ई आर टी आई) के रूप में की गई थी। यह संस्थान उन राजस्व अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों के एडवांस्ड और विशेषज्ञता प्रशिक्षण का आयोजन करता है जिन्हें किसी प्राकृतिक या मानवजनित आपदाओं में आपदा राहत अभियानों के आयोजन और समन्वय का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारत के संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पारित कर दिए जाने के बाद अप्रैल, 1968 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय कर दिया गया था। वर्ष 2015–16 में, प्रस्तावित 33 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से दिनांक 31.12.2015 तक, 26 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं जिनमें राज्य नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड निदेशालय, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा सेवाओं, रेलवे, एन डी आर एफ, एस डी आर एफ, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालयों आदि के 1,411 मास्टर प्रशिक्षकों तथा एन सी सी, अकादमी स्टाफ कॉलेज आर एस टी एम विश्वविद्यालय, भारतीय वायु सेना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों के अनुरोध पर 1,536 अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

माननीय गृह राज्य मंत्री उमंग–2015 समारोह की शोभा बढ़ाते हुए

10.57 संस्थान ने दिनांक 16.09.2015 को उमंग–2015 का आयोजन किया, जिसमें गरिमामयी उपस्थिति माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू की रही।

अग्निशमन सेवा

10.58 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से अग्निशमन इंजीनियरी में एक चार वर्षीय डिग्री पाठयक्रम भी आरंभ किया है।

10.59 राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के स्तरोन्नयन के लिए एक योजना जून, 2010 में आरंभ की गई थी जो 205 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ अगस्त, 2016 तक क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना का समग्र उद्देश्य आपदा की स्थिति में अग्नि रोकथाम, अग्नि–सुरक्षा और अग्निशमन, बचाव, विशेषीकृत आपातकालीन कार्रवाई से संबंधित विशेषीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाविद्यालय की क्षमता को बढ़ाना है।

आपदाओं के कारण क्षति

10.60 वर्ष 2015–16 के दौरान, 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने भिन्न–भिन्न पैमाने पर चक्रवाती तूफान/आकस्मिक बाढ़/बाढ़/भू–स्खलन/बादल फटने आदि के कारण क्षति होने की सूचना दी। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान (दिनांक 18.12.2015 की स्थिति के अनुसार) देश में क्षति का दायरा निम्नानुसार हैः

मारे गए लोगों की संख्या	1,460
मारे गए मवेशी	59,057
क्षतिग्रस्त मकान	13,13,371
प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	31.09

क्षति का राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–X** में दिया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समन्वय

10.61 केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में बचाव और राहत कार्यों का समन्वय किया।

10.62 मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष, जो 24X7 आधार पर कार्य करता है, ने भारत सरकार से सहायता का समन्वय करने के अलावा, आवश्यक तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र जारी किए और प्रतिदिन की स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार की, जिसे सभी संबंधितों को भेजा गया और दैनिक आधार पर वेबसाइट "ndmindia.nic.in" पर भी अपलोड किया गया। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और राहत आयुक्तों के निरंतर सम्पर्क में बने रहे। नोडल मंत्रालय होने के कारण, गृह मंत्रालय ने, भारत मौसम–विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), राज्यों तथा जिलों के नियंत्रण कक्षों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन बातचीत के माध्यम से बाढ़ और चक्रवात की स्थिति की सतत निगरानी की है।

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों और सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

10.63 आरंभ होने वाले दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2015 हेतु तैयारी की समीक्षा करने और अन्य आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 16.05.2015 को राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के अलावा आपातकालीन सहायता कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं तथा पूर्वानुमान संबंधी एजेंसियों अर्थात् भारतीय मौसम–विज्ञान विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय दूर–संवेदी केन्द्र, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विस, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एन डी आर एफ, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के बीच गहन समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वित्तीय तंत्र

10.64 राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की योजना क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक लागू मौजूदा योजना चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकम्प, सुनामी, आग लगने, बाढ़, ओला–वृष्टि, भू–स्खलन और कीट–आक्रमण और शीत लहर/पाला राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन डी आर एफ) से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाएं मानी जाएं। भारत सरकार ने दिनांक 30.07.2015 को राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन डी आर एफ) के गठन और प्रशासन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट "ndmindia.nic.in" पर उपलब्ध हैं।

10.65 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस डी आर एफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एस डी आर एफ के संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य कारवाई कोष में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निधियां आवंटित करते समय, जिन घटकों पर विचार किया जाता है, उनमें राज्यों की प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशीलता, राज्यों की आर्थिक स्थिति और पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों पर किया गया व्यय शामिल है। इस समय, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लिए सिफारिश की गई

33,580.93 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2015–16 से 2019–20 के लिए सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 61,220 करोड़ रू. (केन्द्रीय अंशदान के रूप में 47,029.50 करोड़ रु. और राज्य के अंशदान के रूप में 14,190.50 करोड़ रु.) के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है। एस डी आर एफ योजना में एसडीआरएफ संबंधी केन्द्रीय अंशदान को जून और दिसम्बर में दो समान किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए एस डी आर एफ में राज्य–वार और वर्ष–वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–XI** में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष

10.66 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी भी आसन्न आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष की स्थापना का प्रावधान है। तदनुसार, आपदा प्रबंधन प्रभाग ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन डी आर एफ) के गठन के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.67 राज्य आपदा कार्रवाई कोष के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीम गठित की जाती है। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप–समिति द्वारा की जाती है। उप–समिति की सिफारिशों को विचारार्थ और एनडीआरएफ से निधियों के अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

10.68 वर्ष 2015–16 के लिए, एस डी आर एफ में 11,081.00 करोड़ रू. आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 8,512.50 करोड़ रू. भारत सरकार का केन्द्रीय अंश तथा 2,568.50 करोड़ रूपए राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 29 राज्यों को एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के रूप में 4,255.875 करोड़ रू. की राशि की पहली किस्त जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की 3,782.51 करोड़ रू. की राशि (वर्ष 2014–15 के लिए 359.01 करोड़ रु.+ वर्ष 2015–16 के लिए 3,423.50 करोड़ रु.) 22 राज्यों को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 07 राज्यों को एन डी आर एफ से 7,172.84 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से निधियों का राज्य–वार निर्गम दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–XII** में दिया गया है।

*****

अध्याय 11

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और इसमें तेजी से बदलाव आया है और इसका आयाम पारदेशीय एवं वैश्विक हो गया है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक तंत्रों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें आरंभ करने और जारी रखने के लिए सतत रूप से अनेक देशों को शामिल करने के लिए अनेक अनुकूल कदम उठाए जाते हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहलें करने में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित है।

बहुपक्षीय सहयोग

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने, आर्थिक विकास बढ़ाने, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास करने, इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन" करने के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सार्क के आठ सदस्य देश हैं– नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यह संगठन व्यापार के सरलीकरण और दिनांक 01.01.2006 से शुरु हुए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (एस ए एफ टी ए) को कार्यान्वित करने का भी प्रयास करता है। सार्क का सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।

11.3 नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि सार्क के आंतरिक/गृह सचिवों की बैठक के उपरान्त, सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक वार्षिक रूप से हुआ करेगी। अब तक सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की छह बैठकें–ढाका (11.05.2006), नई दिल्ली (25.10.2007), इस्लामाबाद (26.06.2010), थिंपू (23.07.2011), मालदीव (26.09.2012) और काठमांडू (19.09.2014) में आयोजित की गई हैं।

114. एसटीओएमडी/एसडीओएमडी सुरक्षित डाटाबेस की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 10.09.2015 से 11.9.2015 तक कोलंबो, श्रीलंका में सार्क आतंकी अपराध निगरानी डेस्क (एसटीओएमडी) और सार्क स्वापक औषधि निगरानी डेस्क (एसडीओएमडी) की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें आसूचना ब्यूरो (आईबी), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस)

11.5 अप्रैल, 2008 में आयोजित पहले आई ए एफ एस का उद्देश्य अफ्रीका के साथ भारत के आबन्ध में प्रचुर विषयों को जोड़ना और पृथक–पृथक अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक और स्थायी संबंध कायम करना था। इस शिखर सम्मेलन में की गई पहल, भारत–अफ्रीका संवाद को विकसित करने में भारत की आवश्यकता के भी अनुरूप है। एक घोषणा और कार्य–योजना इस शिखर सम्मेलन का औपचारिक परिणामी दस्तावेज था। गृह मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता के संवर्धन में सहायता करने के अलावा, उनके साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की व्यवस्था के रूप में सहयोग का प्रस्ताव किया। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठयक्रम आयोजित किए गये/आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं:–

(i) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक पदार्थ अकादमी (एनएसीईएन) द्वारा दिनांक 27.07.2015 से 31.07.2015 तक मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(ii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा दिनांक 07.09.2015 से 18.09.2015 तक व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) अकादमी, गाज़ियाबाद द्वारा दिनांक 28.12.2015 से 03.01.2016 तक साइबर अपराध सहित आर्थिक अपराधों की छानबीन के बारे में पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.6 पारदेशीय/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी ढांचे में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करना, संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा संबंधी सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन/करार करना, आतंकवाद/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य दल और स्वापक औषधियों, मनोःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका सामना करने के लिए द्विपक्षीय करार करना तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार करना शामिल है, जिन पर भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, धनशोधन, जाली भारतीय करेंसी नोटों आदि का सामना करने में भारत को समर्थ बनाने हेतु द्विपक्षीय सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएलएटी)

11.7 परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएलएटी), आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है, जिसके द्वारा विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक विधिक रूपरेखा का प्रावधान किया जाता है। एमएलएटी में विधि प्रवर्तन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं और समय सीमा को परिभाषित किया गया है और यह घरेलू आपराधिक जांच और अभियोजनों में विदेशी सहायता का अनुरोध करने के लिए अत्यधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त तंत्र है। यह आपराधिक मामलों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए संधि के भागीदारों के बीच एक संविदा बाध्यता (अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत) उत्पन्न करता है। आपराधिक जांच और अभियोजनों में उपयोग हेतु सूचना और साक्ष्य के आदान–प्रदान को सरल बनाता है और इसमें सहयोग की प्रक्रियाओं और पैरामीटरों, आपराधिक मामलों में विधिक सहायता के लिए अधिक निश्चितता और स्पष्टता उपलब्ध कराने के विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं।

11.8 दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार 39 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बुल्गारिया, बोस्निया और हरजेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, हाँगकाँग, चीन के गणराज्य के लोगों का प्रशासनिक क्षेत्र, ईरान, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताज़िकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उजबेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है। परस्पर विधिक सहायता संधि के तहत प्रदान की गई सहायता के साथ कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो संविदा करने वाले अनेक राष्ट्रों से अनुरोध कर रहा है। इसी प्रकार एमएलएटी उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए संविदा करने वाले पक्षों के अनुरोधों का पालन भी किया जा रहा है।

11.9 भारत ने अन्य सार्क देशों के साथ वर्ष 2008 में "आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता" संबंधी अभिसमय पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इस अभिसमय का

अनुसमर्थन कर दिया है। यह अभिसमय सभी सदस्य देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के बाद प्रभावी होगा। इस अभिसमय का उद्देश्य, अपराधों की छान–बीन करने और अभियोजन चलाने में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

स्वापक औषधियों के अवैध दुर्व्यापार, मनो:प्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों से संबंधित मामलों को रोकने और इनका सामना करने के लिए द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

11.10 भारत ने नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश (2 करार), भूटान (एमओयू), बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, इंडोनेशिया (एमओयू), ईरान (एमओयू), इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मॉरीशस, म्यांमार (2 करार), ओमान (एमओयू), पाकिस्तान (एमओयू), पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, ताज़िकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका (2 करार), वियतनाम (एमओयू) और जांबिया के साथ 32 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

11.11 ये करार/समझौता ज्ञापन स्वापक औषधियों और मनो:प्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार का सामना करने में देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में काफी रचनात्मक, शिक्षाप्रद और संचालन की दृष्टि से काफी उपयोगी रहे हैं। ये लिखत मादक पदार्थ के तस्करों की नई पद्धतियों और कार्य प्रणाली की सूचना के आदान–प्रदान, सक्रिय तस्करों/संगठनों की सूची साझा करने और आपूर्ति एवं मांग की कमी के क्षेत्र में अच्छे तरीकों को साझा करने के कार्य को सरल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों का आकलन करने में भी उपयोगी हैं जिनसे मादक पदार्थ के दुर्व्यापार के संबंध में वास्तविक समय पर आसूचना को साझा करने के लिए कभी भी संपर्क किया जा सकता है और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की नोडल मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुकर बनाते हैं।

सजा प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार

11.2 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें अपने देश की जेल में अंतरित किए जाने का समर्थकारी प्रावधान करने के लिए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, दिनांक 01.01.2004 को अधिसूचित और प्रभावी हुआ। बाद में, कैदी प्रत्यावर्तन नियमावली, 2004 दिनांक 09.08.2004 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से इच्छुक देशों के साथ संधि/करार पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

11.13 भारत सरकार ने अभी तक 27 देशों यथा यूनाइटेड किंग्डम (यू.के.), मॉरीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, थाईलैंड, टर्की, इटली, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, इजराइल, रूस, वियतनाम, कुवैत, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, एचकेएसएआर, मंगोलिया, कजाकिस्तान और कतर के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्र संगठन (ओएएस) के विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर–अमेरिका अभिसमय (आईएसी) को भी स्वीकार कर लिया है और यह दिनांक 05.06.2014 से प्रभावी है। कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया, और बहरीन की सरकारों के साथ बातचीत को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोप परिषद द्वारा सजा प्राप्त व्यक्तियों के अंतरण पर बहुपक्षीय समझौते में भारत की सहमति को अनुमोदित किया है। समझौते में शामिल होने के लिए आगे की औपचारिकताएं चल रही हैं।

11.14 इस अधिनियम के अन्तर्गत, अब तक जिन कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही संबंधित देश में काटने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है, उनकी संख्या निम्नानुसार है:–

प्रत्यावर्तित विदेशी कैदी जिस देश के हैं			भारतीय कैदी जिस देश से प्रत्यावर्तित किए गए		
क्रम सं.	देश	वापस भेजे गए विदेशी कैदियों की संख्या	**क्रम सं.**	देश	वापस लाए गए भारतीय कैदियों की संख्या
1.	यू.के.	7	1.	यू.के.	6
2.	फ्रांस	1	2.	मॉरीशस	14
3.	इजराइल	1	3.	श्रीलंका	29
4.	जर्मनी	1			
5.	यूएई	1			
	कुल	**11**	**कुल**		**49**

11.15 करार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

i. हस्तांतरण तभी किया जाएगा, जब सजा प्राप्त व्यक्ति प्राप्तकर्ता राष्ट्र का नागरिक हो।

ii. हस्तांतरण का अनुरोध सजा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसकी उम्र, शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति के मद्देनजर उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

iii. हस्तांतरण करने वाले और प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को हस्तांतरण के अनुरोध पर सहमत होना होगा।

iv. हस्तांतरण तब किया जाएगा, जब सजा दिए जाने का फैसला अंतिम हो और हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र के किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच, विचारण अथवा कोई अन्य कार्यवाही लंबित न हो।

v. हस्तांतरण पर तभी विचार किया जाएगा, जब उस व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य अथवा चूक, जिसके लिए उसे हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सजा सुनाई गई हो, हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि वह उसके क्षेत्र में किया जाए तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

vi. सुनाई गई सजा को हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र के कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा और वह राष्ट्र ही सभी प्रकार के उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

vii. यदि हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सजायाफ्ता व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो तो उस व्यक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा।

viii. हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र को सजा प्राप्त व्यक्ति की हिरासत का हस्तांतरण, उसे हस्तांतरित करने वाले राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए।

भारत–बांग्लादेश संबंध

11.16 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें पहला स्तर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सीमा रक्षक, बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशकों के स्तर पर वार्ता, दूसरे स्तर पर दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) है और तीसरा स्तर दोनों देशों के गृह सचिवों के स्तर पर होने वाली वार्ता है।

11.17 आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि त्रिस्तरीय तंत्र के अतिरिक्त, भारत तथा बांग्लादेश के बीच वर्ष में एक बार गृह मंत्री के स्तर पर वार्ता की जाएगी। गृह मंत्री स्तर की पहली वार्ता ढ़ाका में जुलाई, 2011 में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा के उचित प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। गृह मंत्रियों के स्तर की दूसरी और तीसरी वार्ता क्रमशः फरवरी, 2012 और दिसम्बर 2012 में आयोजित की गई थीं। बांग्लादेश और भारत के गृह मंत्रियों के बीच चौथी बैठक ढाका में जनवरी, 2013 में आयोजित की गई जिसमें दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि और संशोधित यात्रा प्रबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। बांग्लादेशी पक्ष ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया।

11.18 गृह सचिव स्तर की वार्ता, संयुक्त कार्य दल की बैठकें और डीजी, बीएसएफ एवं डीजी, बीजीबी स्तर की वार्ता का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 16वीं और 17वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त कार्य दल की बैठक दिनांक 16.02.2015 से 17.02.2015 तक नई दिल्ली में और दिनांक 16.11.2015 से 17.11.2015 तक ढाका में आयोजित की गई। 17वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री राजीव महर्षि, केन्द्रीय गृह सचिव और बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री डॉ. मोहम्मद मोजम्मल हक खान, वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय, बांग्लादेश ने किया। बैठक में भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी) के शिविरों सहित सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए। बांग्लादेश सरकार ने सर्वोच्च स्तर से यह आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर भारत के लिए अहितकर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिनांक 16.11.2015 से 17.11.2015 तक ढाका, बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संयुक्त कार्यदल की बैठक और 17वीं गृह सचिव स्तरीय वार्ता में, दोनों पक्षों ने भू–सीमा करार (एलबीए) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और इस पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने करार के कार्यान्वयन में उनके अथक प्रयासों के लिए संयुक्त सीमा कार्यदल का धन्यवाद भी किया। इसमें सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विभिन्न करारो के कार्यान्वयन, सजा प्राप्त व्यक्तियों और मछुआरों की स्वदेश वापसी, हथियार/गोलाबारूद एवं जाली मुद्रा की तस्करी और मानव दुर्व्यापार तथा मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने तथा सीमा पार से आवाजाही की गतिविधियों को नियंत्रित करने आदि से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के 150 गज के अंदर सिविल प्रकृति के विकास संबंधी कार्यों के अनुमोदन हेतु प्राधिकार के प्रत्यायोजन के परिणामस्वरूप उक्त कार्यों को करने में अच्छी प्रगति हुई है। भारतीय पक्ष ने अखूरा–अगरतला सीमा स्थल पर भारत की ओर इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने का भी आश्वासन दिया। दोनों देशों के बीच करारों से सीमा पार से अवैध रूप से आवाजाही और अन्य संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने और भारतीय जेलों में कैद बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने में भी मदद मिली है। सुरक्षा बलों द्वारा भारत–बांग्लादेश सीमा पर प्रभावी आधिपत्य रखे जाने और भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था किए जाने से सीमा पार से अवैध रूप से आवाजाही, हथियार/गोलाबारूद, जाली करेंसी नोटों, मादक पदार्थों की तस्करी तथा सीमा पार से अन्य अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी मदद मिली है।

दिनांक 16.02.2015 से 17.02.2015 को नई दिल्ली में आयोजित 16वीं सचिव स्तर की वार्ता के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री बांग्लादेश के शिष्टमंडल के साथ बातचीत करते हुए।

नवम्बर, 2015 में ढाका में आयोजित 17वीं सचिव स्तर की वार्ता के दौरान श्री राजीव महर्षि, केन्द्रीय गृह सचिव ने बांग्लादेश गणराज्य की माननीय प्रध ाानमंत्री भोख हसीना से मुलाकात की

11.19 द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, बांग्लादेश पुलिस अकादमी, सरदाह राजशाही में एक आईटी केन्द्र की स्थापना करने के लिए बांग्लादेश सरकार को दिनांक 01.06.2015 को 8,90,45,695/– रु. की वित्तीय सहायता/मदद उपलब्ध कराई गई है।

भारत–म्यांमार संबंध

11.20 भारत और म्यांमार सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में प्रत्येक वर्ष बारी–बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

11.21 आतंकवाद तथा उसके वित्तपोषण के प्रयोजन वाली निधियों से संबंधित अपराधों सहित अपराध संबंधी मामलों का निवारण करने, उसकी जांच और अभियोजन के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से भारत और म्यांमार के बीच दिसम्बर, 2010 में राष्ट्रीय स्तर की 16वीं बैठक के दौरान पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2012 और 2013 में आयोजित क्षेत्रीय स्तर की बैठकों में, दोनों देशों ने भारत और म्यांमार पारस्परिक विधिक सहायता संधि के अंतर्गत अपने संबंधित नोडल प्वाइंट्स के बारे में सूचनाओं का आदान–प्रदान किया। भारत और म्यांमार हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के मामले में नजदीकी समन्वय कायम रखते हैं और हथियारों की तस्करी, मानव और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संस्थागत ढांचे विद्यमान हैं।

11.22 भारत और म्यांमार के बीच आयोजित बैठकों के अनुसरण में भारत–म्यांमार सीमा पर हथियारों की तस्करी, वन्यजीव एवं वन्य जीव उत्पादों की तस्करी तथा मादक पदार्थों की तस्करी एवं आप्रवासन के मुद्दों सहित अन्य पार–देशीय अपराधों से निपटने के लिए अपेक्षित उपायों पर चर्चा करने और इन मुद्दों से संबंधित आसूचना को साझा करने के लिए मोरेह (भारत)/तामू (म्यांमार), जोवाखतर (भारत)/रही (म्यांमार) और चांगलांग (भारत)/पांगसान (म्यांमार) में सीमा संपर्क कार्यालय (बीएलओ) स्थापित किए गए हैं। अब ये बीएलओ कार्यशील हैं और मोरेह/तामू, जोवाखतर/रही और चांगलांग/पांगसान में नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

11.23 भारत सरकार और म्यांमार सरकार ने दिनांक 08.05.2014 को सीमा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और म्यांमार के बीच दिनांक 17.11.2014 से 18.11.2014 तक यांगोन में सुरक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय स्तर की अंतिम 19वीं बैठक (गृह सचिव स्तरीय वार्ता) का आयोजन किया गया था। सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भारत और म्यांमार के बीच 21वीं क्षेत्र स्तरीय बैठक दिनांक 12.05.2015 से 14.05.2015 तक मुम्बई में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री शम्भु सिंह, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय द्वारा और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री हुन हला आंग, स्थायी साचिव, गृह मंत्रालय और महानिदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग, म्यांमार यूनियन गणतंत्र की सरकार द्वारा किया गया। इस बैठक में सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन से संबंधित मामलों, म्यांमार में भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी) के शिविरों को ध्वस्त करने, अंडमान एवं निकोबार की जेलों में बंद म्यांमार के मछुआरों के प्रत्यर्पण, मादक पदार्थों तथा वन्य जीव के

अंगों की अवैध तस्करी पर नियंत्रण के लिए तंत्र आदि से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारतीय पक्ष ने पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में शांति एवं आर्थिक समृद्धि के लिए आईआईजी की, भारत–विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देने और म्यांमार में उनके शिविरों को ध्वस्त करने के लिए म्यांमार के सहयोग की मांग की। म्यांमार के पक्ष ने भारत की चिंता के हल के लिए सहयोग पर सहमति जताई।

दिनांक 12.05.2015 से 14.05.2015 तक मुम्बई में आयोजित भारत और म्यांमार के बीच 21वीं क्षेत्रीय स्तर की बैठक

11.24 भारत म्यांमार के सीमा संबंधी कार्य पर भारत एवं म्यांमार के सर्वेक्षण विभागों के बीच निदेशक स्तर की बैठक दिनांक 04.11.2015 से 05.11.2015 तक आयोजित की गई।

भारत–भूटान संबंध

11.25 भारत और भूटान के बीच लम्बे समय से स्थायी संबंध साझा मिश्रित, उदार संस्कृति और लोगों के बीच गहरे सम्पर्क पर आधारित हैं। दोनों गहरे मित्र, पड़ोसी और विकास संबंधी भागीदार हैं। दोनों देशों द्वारा 700 किमी. लम्बी और सुभेद्य सीमा साझा की जाती है।

11.26 सचिव स्तरीय वार्ता, संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और यह मंच मित्रता, सहयोग और समझ के विद्यमान गहरे संबंधों के साथ–साथ परस्पर चिंता के मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त द्विपक्षीय तंत्र में (i) हथियार, गोला–बारूद, मादक एवं स्वापक पदार्थों की तस्करी (ii) आप्रवासन संबंधी मुद्दों (iii) जाली भारतीय करेंसी (iv) सिम कार्डों के दुरुपयोग (v) सूचना और आसूचना साझा करने (vi) विद्रोही समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और (vii) सुरक्षा के क्षेत्र में भूटान के क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

11.27 सीमा रक्षक बल के रूप में भारत–भूटान सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को तैनात किया गया है।

भारत–नेपाल संबंध

11.28 निकट पड़ोसी के रूप में भारत और नेपाल के बीच मित्रता एवं सहयोग का विशिष्ट संबंध है, जिसकी विशेषता वहां के लोगों और संस्कृति के बीच गहन संबंध है। भारत–नेपाल सीमा खुली, सुभेद्य, और घनी आबादी वाली है। भारत–नेपाल सीमा पर भारतीय और नेपाली नागरिकों की आवाजाही भारत–नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950 द्वारा शासित है, जिसमें भारत–नेपाल सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों की मुक्त आवाजाही का प्रावधान है।

11.29 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर वार्षिक रूप से गृह सचिव स्तरीय वार्ता और संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं। उपर्युक्त द्विपक्षीय तंत्र में (i) हथियार, गोलाबारूद, मादक एवं स्वापक पदार्थों की तस्करी, (ii) आप्रवासन मुद्दे, (iii) जाली भारतीय करेंसी, (iv) सिम कार्डों का दुरुपयोग, (v) सूचना और आसूचना साझा करना, (vi) सीमा अवसंरचना की स्थापना, (vii) मानव दुर्व्यापार , (viii) एकीकृत जांच चौकी और (ix) सुरक्षा के क्षेत्र में नेपाल के क्षमता निर्माण आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। सीमा प्रबंधन के मुद्दों का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए वास्तविक समय पर सूचना/आसूचना के आदान–प्रदान के लिए भी आवधिक सीमा जिला समन्वय समिति (बीडीसीसी) और डीजी/आईजी स्तर की बैठकें आयोजित की जाती हैं। सीमा रक्षक बल के रूप में भारत–नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को तैनात किया गया है।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरा

11.30 दिनांक 08.07.2015 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और श्री मलुसी गिगाबा, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

दिनांक 08.07.2015 को नई दिल्ली में श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और श्री मलुसी गिगाबा, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक

11.31 दिनांक 07.09.2015 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और श्री ब्लादिमीर कोलोकोल्तसेव, माननीय आंतरिक मंत्री के नेतृत्व में रूस सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। पारस्परिक हित के सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

दिनांक 07.09.2015 को नई दिल्ली में श्री ब्लादिमीर कोलोकोल्तसेव, रूस के माननीय आंतरिक मंत्री के साथ श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री

11.32 दिनांक 18.11.2015 से 24.11.2015 तक माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने चीन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री ली केकियांग, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य और सचिव, केन्द्रीय राजनैतिक एवं विधि कार्य आयोग, श्री मेंग जियांझू और श्री गुओ शेंगकून, राज्य काउंसिलर एवं लोक सुरक्षा मंत्री से मुलाकात की। सुरक्षा मामलों संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और भारत में चीन के निवेश हेतु सुरक्षा अनापत्ति पर भी चर्चा की गई।

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ श्री ली केकियांग माननीय प्रधानमंत्री पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना

श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की केन्द्रीय राजनैतिक और विधिक कार्य समिति के सचिव श्री मेंग जियांझ

11.33 दिनांक 02.12.2015 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, माननीय आंतरिक मंत्री के नेतृत्व में बहरीन सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों और द्विपक्षीय सहयोग की स्थिति पर चर्चा की गई।

श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री और ले.ज. राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, माननीय आंतरिक मंत्री, किंगडम ऑफ बहरीन दिनांक 02.12.2015 को नई दिल्ली में अंतर्राश्ट्रीय आतंकवाद, देश के बाहर संगठित अपराध और निषिद्ध मादक द्रव्यों, स्वापक पदार्थों और प्रिकर्सर रसायनों में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

क्षमता निर्माण

11.34 गृह मंत्रालय सिर्फ अपने ही पुलिस बलों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मंगोलिया, मालदीव और अन्य देशों के पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई।

11.35 संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की सरकार ने भी आतंकवाद–रोधी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत और यू एस ए के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित/संचालित किए हैं। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक भारत और यू एस ए में ऐसे कुल 9 पाठयक्रम संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में, 160 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वैश्विक शांति का परिरक्षण

11.36 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति कायम रखने में यू एन के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। यू एन द्वारा जब कभी भी मांग की जाती है, तब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर इसके लिए गठित पुलिस टुकड़ियों की भी नियमित तैनाती की जाती है। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 46 भारतीय सिविलियन पुलिस (सिवपोल) अधिकारियों को यून एन शांति परिरक्षण मिशनों पर दक्षिण सूडान, हेती, साइप्रस और लाइबेरिया में और यूएन सहायता मिशनों में अफगानिस्तान में तैनात किया गया है। वर्तमान में यू एन शांति परिरक्षण मिशनों पर निम्नलिखित गठित पुलिस टुकड़ियों (एफ पी यू) को तैनात किया गया हैः–

क) कांगों में बी एस एफ और आई टी बी पी प्रत्येक से एक एफपीयू।

ख) लाइबेरिया में सी आर पी एफ से दो एफ पी यू (01 पुरूष और 01 महिला)।

ग) हेती में बी एस एफ, सी आई एस एफ और असम राइफल्स प्रत्येक से एक–एक करके तीन एफ पी यू।

सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर अनुसंधान से संबंधित कागजात तैयार किया जाना

11.37 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों/क्षेत्रों के बारे में अनुसंधान और नीति संबंधी विश्लेषण करने के उद्देश्य से, नीतिगत कागजात तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा रक्षा–अध्ययन और विश्लेषण–संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली को विषय आबंटित किए जाते हैं।

आपदा प्रबंधन

11.38 अप्रैल, 2015 के दौरान नेपाल में हिमालयी भूकंप आने के बाद, जिसमें जान और अवसंरचना की भारी क्षति हुई, एनडीएमए को भारत से बचाव और राहत अभियान को समन्वित करने के लिए अधिदेशित किया गया था। एनडीएमए ने अपेक्षित तकनीकी निरीक्षण और सहायता उपलब्ध कराने हेतु नेपाल का दौरा करने के लिए संरचनात्मक इंजीनियर,

आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ और क्षेत्रीय विशेषज्ञ जुटाए। तत्काल एनडीआरएफ के सोलह दलों को तैनात किया गया था, जिसने 11 जिंदा व्यक्तियों को बचाया और 133 शव बरामद किए। एनडीआरएफ ने लगभग 14,000 एमटी राहत सामग्री भेजे जाने के कार्य का समन्वय किया। इस अवधि के दौरान एनडीएमए में हेल्पलाइन नम्बर 011–1078 संचालित था।

काठमांडू में 18वें सार्क सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई

11.39 भारत सरकार ने सार्क राष्ट्रों द्वारा संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्र में आपदा प्रबंधन संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने की अगुवाई की है। दक्षिण एशिया वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास (एसएएडीएमईएक्स) दिनांक 23.11.2015 से 26.11.2015 तक गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ और एनआईडीएम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। एसएएडीएमईएक्स–2015 का मुख्य उद्देश्य सार्क सदस्य देशों के बीच आपदा संबंधी कार्रवाई के बारे में क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर–सरकार समन्वय रणनीति का परीक्षण, सहक्रिया और प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना है।

दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास–2015

11.40 दिनांक 03.09.2015 से 04.09.2015 तक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में स्टेकहोल्डरों की तैयारी बैठक नामक अग्रिम समन्वय सम्मेलन (एसीसी) आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अभ्यास की पद्धति और आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। मुख्य अभ्यास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिनांक 23.11.2015 से 26.11.2015 तक आयोजित गया। मुख्य अभ्यास में तीन घटक शामिल होंगे, नामतः टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स), क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास (एफटीईएक्स) और कार्रवाई पश्चात समीक्षा (एएआर)। इसके बाद नई दिल्ली में दिनांक 27.11.2015 को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में बेहतर पद्धतियों को साझा करने" के बारे में एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

11.41 **एनडीएमए पदाधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे:** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विभिन्न बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए छह अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। श्री आर. के. जैन, सदस्य सचिव, एनडीएमए ने दिनांक 17.8.2015 से 18.08.2015 तक काठमांडू, नेपाल में बाल–केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय नीति वार्ता में भाग लिया।

11.42 **एनडीएमए में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे:**

(क) श्री चार्ल्स समिट, लक्समबर्ग दूतावास के प्रथम सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 26.08.2015 को एनडीएमए, नई दिल्ली का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल आपदाओं के दौरान दूतावास के संरक्षण के लिए भारत की आकस्मिक आयोजना को समझना चाहता था।

दिनांक 26.08.2015 को एनडीएमए में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

(ख) आपदा प्रबंधन में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 13.10.2015 को कर्नल मोहम्मद अहसानुल कबीर के नेतृत्व में बांग्लादेश की सेना के एक शिष्टमंडल ने एनडीएमए का दौरा किया। दोनों पक्ष भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग करने पर सहमत हुए ताकि बांग्लादेश में किसी बड़े भूकंप के दौरान बांग्लादेश भारत के अनुभव का लाभ उठा सके।

दिनांक 13.10.2015 को एनडीएमए में बांग्लादेश की सेना के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

(ग) दिनांक 14.09.2015 से 15.09.2015 तक नई दिल्ली में द्वितीय भारत–जर्मनी उच्च प्रौद्योगिकी समूह (एचटीपीजी) की बैठक आयोजित की गई। श्री बी. प्रधान, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं सीबीटी), एनडीएमए ने भारत और जर्मनी के बीच आवश्यक द्विपक्षीय सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में दिनांक 14.09.2015 को नई दिल्ली में आयोजित चर्चा में भाग लिया।

11.43 दिनांक 23.06.2015 को एनडीएमए ने विदेश मंत्रालय को प्रशांत द्वीप के देशों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण अभ्यास के बारे में अपने विचारों के संबंध में सूचित किया। इन देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तरीकों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 27.07.2015 को अंतर–मंत्रालय बैठक आयोजित की गई थी। एनडीएमए ने अंतरिक्ष आधारित आपदा प्रबंधन सहायता के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने और सुनामी तथा चक्रवात पर विशेष बल देने के साथ महासागरीय आपदा प्रशमन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के बारे में पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

11.44 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं में क्षमता निर्माण, मामला अध्ययन विकसित करने, नीति एवं कार्रवाई अनुसंधान, जानकारी प्रबंधन आदि के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संस्थाओं, उदाहरणार्थ जीआईजेड जर्मनी, आईफानोस (आईएफएएनओएस) जर्मनी, पोट्सडम विश्वविद्यालय जर्मनी, यूएनयू पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा केन्द्र बॉन, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों–यूएनडीपी, यूएनईपी, युनेस्को (यूएनईएससीओ), यूनिसेफ (यूएनआईसीईएफ), आईयूसीएन, विश्व बैंक, यूएसए के ईएमआई, यूएसए में सामाजिक एवं पर्यावरण परिवर्तन संस्थान कोलोराडो, विनरॉक इंटरनेशनल, यूएसएआईडी, सीडीकेएन, यूके, एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र बैंकाक, आईसीआईएमओडी काठमांडू, आईटीसी नीदरलैंड, प्रोसेस सेफ्टी इटली, वेटलैंड्स इंटरनेशनल आदि के साथ सहयोग कर रहा है। चालू वर्ष में, अप्रैल, 2015 से इस संबंध में आरंभ की गई मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

(i) एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 03.08.2015 से 13.08.2015 तक काठमांडू, नेपाल में "विकास में डी आर आर और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मुख्यधारा में लाने के संबंध में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला। इसमें आठ देशों के प्रशिक्षकों एवं सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें अवर सचिव (आपदा प्रबंधन) श्री आशीष पंडा (गृह मंत्रालय) और एनआईडीएम अनुसंधान एसोशिएट डॉ. सुषमा गुलेरिया और श्री शेखर चतुर्वेदी शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान भारतीय सहभागी

(ii) वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) की मेजबानी की जा रही है, जिसके लिए दिनांक 25.08.2015 को एनआईडीएम द्वारा राष्ट्रीय परामर्श संबंधी समन्वय कार्य किए गए थे। सुश्री मार्गरेट वाल्सस्ट्रोम, डीआरआर के महासचिव की विशेष प्रतिनिधि और यूएनआईएसडीआर की वैश्विक प्रमुख सम्मानित अतिथि थीं और श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। यह जून, 2014 में बैंकाक में आयोजित 6ठें एएमसीडीआरआर की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में है।

(iii) दिनांक 07.09.2015 से 18.09.2015 तक अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए "व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन" के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में 6 देशों यथा घाना, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, सेशेल्स और तंजानिया के अधिकारियों ने भाग लिया, जो आपदा प्रबंधन संकल्पना और व्यावहारिक ढांचा, आपातकालीन कार्रवाई, इकोसिस्टम आधारित और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन दृष्टिकोण, सामुदायिक तैयारी, मुख्यधारा में लाने के विधिक मुद्दे और पर्यावरण आपदा विकास संबंध, बरामदगी एवं आपदा जोखिम के प्रति समग्र लचीलापन पर केन्द्रित था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अफ्रीकी देशों और एनआईडीएम संकाय के अधिकारियों का ग्रुप फोटो

(iv) आपदा प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले बांग्लादेश सेना के चार सदस्यीय दल ने दिनांक 14.10.2015 को एनआईडीएम का दौरा किया और एनआईडीएम के कार्यक्रमों तथा अधिदेशों और परस्पर शिक्षा/सहयोग की संभावनाओं के संबंध में संकाय विशेषज्ञों और तकनीकी स्टाफ के साथ बातचीत की।

दिनांक 14.10.2015 को एनआईडीएम में बांग्लादेश सेना के चार सदस्यीय दल का दौरा

(v) एनआईडीएम संकाय के सदस्य द्वारा दक्षिण एशियाई अंकों में पेय जल सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था "दक्षिण एशिया में पेय जल की सुरक्षा–भारत के स्वच्छ भारत अभियान का चित्रण स्केलिंग", वाटर डाइजेस्ट, लिविंग आवर वेट प्लैनेट, खंड IX, अंक 1, मार्च 2015, पृष्ठ 58–60 गुप्ता ए.के. (2015)। यह लेख लिंक http://thewaterdigest-com/EmagazineMarch2015/waterdigest2015-html पर उपलब्ध है।

दक्षिण एशिया में पेयजल सुरक्षा–भारत के स्वच्छ भारत अभियान का चित्रण

(vi) एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार ने सार्क दल के सदस्य के रूप में भाग लिया और नेपाल में भयंकर भूकंप के बाद तबाही की मात्रा को समझने और सहायता की रणनीतियां बनाने के लिए दिनांक 02.05.2015 से 06.05.2015 के दौरान एनआईडीएम की ओर से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रोफेसर संतोष ने नेपाल में भूकंप द्वारा हुई तबाही के प्रशमन के लिए एक समुत्थान प्रस्ताव तैयार किया और इसे भारतीय राजदूत को प्रस्तुत किया, जिसे बाद में अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए नेपाल सरकार को प्रस्तुत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय बैठकें/पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण

11.45 वर्ष 2015 के दौरान, एनडीएमए और एनडीआरएफ के अधिकारियों सहित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों/अभ्यास में कुल 30 अधिकारियों/कार्मिकों ने भाग लिया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्दाई ढांचे को अपनाना (2015–2030)

11.46 भारत ने जान की क्षति में पर्याप्त कमी लाने और समुदायों की सामाजिक–आर्थिक एवं पर्यावरणीय सम्पत्तियों के लिए कार्रवाई हेतु पांच प्राथमिकताओं के साथ कार्रवाई हेतु ह्योगो ढांचे (2005–2015) के तहत गत 10 वर्षों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सेन्दाई, जापान में मार्च 2015 में आयोजित तीसरे विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2015 से 2030 की अवधि के लिए आपदा न्यूनीकरण के लिए सेन्दाई ढांचे को अपनाया है। यह ढांचा विद्यमान जोखिमों को कम करने, नए जोखिमों को रोकने और समुदाय की प्रतिरोध क्षमता के निर्माण के लिए यूएन सदस्य राष्ट्रों की एक नवीन प्रतिबद्धता है। सेन्दाई ढांचे में कार्रवाई हेतु 7 लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। सेन्दाई ढांचे के कार्यान्वयन से आपादाओं के प्रति सुभेद्यता को रोकने में राष्ट्रों और समुदाय के प्रयासों में सहायता मिलेगी, कार्रवाई और समुत्थान की तैयारी में वृद्धि होगी, उनकी प्रतिरोध क्षमता सुदृढ़ होगी और जोखिम संवेदी सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

11.47 दिनांक 17.11.2015 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्दाई ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एशियाई मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड के 120 मुख्य गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया। इसके बाद आपदा न्यूनीकरण एशियाई भागीदारी (एपी) हेतु आंतरिक रणनीति आईएपी 2015 की दूसरी बैठक, जो एसएफडी आरआर (2015–2030) के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाला एक मुख्य क्षेत्रीय मंच है, संयुक्त रूप से यूएनआईएसडीआर और गृह मंत्री द्वारा आयोजित की गई। बैठक के दौरान श्री किरेन रिजिजू, माननीय राज्यमंत्री (गृह) को 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण का चैम्पियन' की संज्ञा प्रदान की गई, जो भारत और एशिया क्षेत्र में डीआरआर को बढ़ावा देने के लिए उनके सतत प्रयासों की स्वीकारोक्ति है।

11.48 एशियाई क्षेत्र में आपदा के जोखिम में पर्याप्त कमी लाने के लिए सेन्दाई ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में भारत दिनांक 14.11.2016 से 17.11.2016 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पहले एशियाई मंत्रालयी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का अभीष्ट परिणाम एशियाई राष्ट्रीय सरकारों, क्षेत्रीय समूहों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सेन्दाई ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक "क्षेत्रीय कार्य योजना" का विकास करना है। इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन को देखने वाले लगभग 50 एशियाई देशों के मंत्री अपने–अपने प्रतिनिधिमंडलों के साथ भाग लेंगे। यह सम्मेलन देश, क्षेत्र और पूरे विश्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राजनैतिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व को प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराएगा।

*****

अध्याय 12

महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना

12.1 'पुलिस बलों की आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना' विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु राज्य पुलिस बलों की क्षमता के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अन्तर्गत जिन प्रमुख मदों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं, उनमें ये शामिल हैं: सुरक्षित पुलिस थानों, सीमा चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार/विधि–विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि की सुनिश्चितता ।

उद्देश्य

12.2 इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में पहचान की गई कमियों को दूर करना तथा कानून और व्यवस्था की समस्याओं से समुचित रुप से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर निर्भरता को कम करना है। यह योजना सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण, अपेक्षित आवाजाही, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, विधि–विज्ञान स्थापना, आवास आदि से पुलिस स्टेशनों को सुसज्जित करके अग्रणी स्तर पर पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित है।

12.3 इस योजना के अंतर्गत, योजनेतर और योजना दोनों के अंतर्गत निधीयन के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में बांटा गया है। 'क" श्रेणी के राज्य नामतः जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्य 90% वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और उन्हें अपनी निधियों से 10% उपलब्ध कराना होगा। शेष राज्य, श्रेणी 'ख' में होंगे और वे केन्द्र सरकार से 60% वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे और वे शेष 40% अपनी निधियों से उपलब्ध कराएंगे।

वर्ष 2011–12 के बाद एमपीएफ योजना को आगे बढ़ाना

12.4 इस योजना को वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक पांच वर्ष की और अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका योजनेतर और आंशिक रुप से योजना के तहत वित्तपोषण किया जाएगा। आवाजाही, हथियारों, उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, विधि–विज्ञान उपकरण आदि घटकों के अंतर्गत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित सामग्रियों का वित्तपोषण योजनेतर के तहत किया जाता है। पुलिस स्टेशनों/सीमा चौकियों, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास के निर्माण/उन्नयन, विधि–विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण अवसंरचना (भवन) के निर्माण का वित्तपोषण इस योजना के योजनागत बजट के तहत किया जा रहा है।

12.5 एमपीएफ योजना के योजनेतर भाग के अंतर्गत पांच वर्षों (2012–2013 से 2016–2017) के लिए 8195.53 करोड़ रु. का समग्र आबंटन अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार, योजना बजट शीर्ष के तहत 12वीं योजना अवधि (2012–2013 से 2016–2017) के लिए 3750.87 करोड़ रु. का प्रावधान अनुमोदित किया गया है। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था योजनेतर के तहत एमपीएफ योजना का उप–भाग (सब–सेट) बना रहेगा। छह शहरों में मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के लिए दो वर्षों अर्थात् 2012–13 और 2013–14 के लिए 432.90 करोड़ रू. का आबंटन अनुमोदित किया गया है। एमपीएफ योजना के मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के उप–भाग में शामिल किए जाने वाले शहरों में हैदराबाद, चेन्नई, मुम्बई, बेंगलुरू, कोलकाता और अहमदाबाद हैं।

एमपीएफ निधियों के उपयोग की स्थिति

12.6 एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2000–01 से 2015–16 तक जारी की गई वर्ष–वार कुल निधियां और राज्यों द्वारा सूचित किए गए उनके उपयोग की स्थिति निम्नलिखित है:–

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधियां	खर्च की गई राशि (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)	खर्च न की गई राशि (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)
1	2000-01	1,000.00	1,000.00	0.00
2	2001-02	1,000.00	1,000.00	0.00
3	2002-03	695.00	695.00	0.00
4	2003-04	705.27	705.11	0.16
5	2004-05	960.00	960.00	0.00
6	2005-06	1,025.00	1,025.00	0.00
7	2006-07	1,065.22	1,062.49	2.73
8	2007-08	1,248.70	1,243.06	5.64
9	2008-09	1,157.64	1,145.93	11.71
10	2009-10	1,230.01	1,219.46	10.55
11	2010-11	1,224.63	1,196.93	27.70
12	2011-12	800.00	725.25	74.75
13	2012-13	300.00	249.30	50.70
14	2013-14	1338.35	921.61	416.74
	कुल योग	**13749.82**	**13149.14**	**600.68**
	2014-15	1397.24	उपयोग प्रमाण–पत्र अभी देय नहीं	--
15	2015-16 (योजनेतर)**	595.00 (आबंटन)		

12.7 वर्ष 2014–15 के दौरान, एमपीएफ स्कीम के योजनागत शीर्ष के तहत 900.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है और योजनेतर शीर्ष के लिए 600.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है जिसे आगे संशोधित अनुमान स्तर पर 537.50 करोड़ रु. (योजनेतर) और 860.00 करोड़ रु. (योजनागत) कर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए दिनांक 31.03.2015 तक 1397.24 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

12.8 वर्ष 2015–16 के दौरान, एमपीएफ स्कीम के योजनेतर शीर्ष के लिए 595.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान, एमपीएफ स्कीम के योजना घटक के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई है। यह योजना राज्यों को अंतरित कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, एमपीएफ स्कीम के तहत राज्य पुलिस बलों के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण सहित पुलिस भवन और पुलिस आवास के निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए कोई केन्द्रीय वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।

बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था

12.9 बड़े शहरों (मेगा सिटी) की पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजनेतर योजना के उप–भाग के रुप में जारी रहेगी और इसका वित्तपोषण 60:40 (केन्द्र और राज्यों के बीच भागीदारी का अनुपात)

के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरू की अपने राज्य पुलिस की मेगा सिटी पुलिस व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं का वित्तपोषण दो वर्षों के लिए किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरू शहरों के लिए मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था संबंधी योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। इन योजनाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, इन शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, कमांड और कंट्रोल सेंटर, डायल 100 सुविधाएं स्थापित करना, राजमार्गों की गश्त, मानवरहित वायुयान और अन्य प्रौद्योगिकी घटक शामिल हैं। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	शहर	12वीं योजनावधि के दौरान दो वर्षों के लिए अनुमोदित आकलन			जारी निधियां			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	कुल	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1.	अहमदाबाद	5.02	10.03	15.05	5.02	10.03	0.00	15.05
2.	मुम्बई	45.74	91.47	137.21	0.00	0.00	44.997	44.997
3.	चेन्नई	29.49	58.98	88.47	0.00	0.00	29.49	29.49
4.	हैदराबाद	16.03	32.07	48.10	0.00	22.34	0.00	22.34
5.	कोलकाता	31.92	63.85	95.77	0.00	0.00	31.92	31.92
6.	बेंगलुरू	16.10	32.20	48.30	0.00	40.73	0.00	40.73
	कुल	**144.30**	**288.60**	**432.90**	**5.02**	**73.1**	**106.407**	**184.527**

12.10 पुलिस बल के आधुनिकीकरण संबंधी नई संरक्षण योजना के निम्नलिखित घटक हैं:– क. **केन्द्रीय क्षेत्र** (1) अपराधी और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) (2) अन्तर–राज्य पुलिस वायरलेस (3) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) (4) वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन संबंधी सहायता (5) अपराधशास्त्र और विधिविज्ञान का सुदृढ़ीकरण; ख. **राज्य क्षेत्र** (1) राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण (2) सुरक्षा संबंधी व्यय (3) विशेष अवसंरचना योजना (4) इंडिया रिजर्व बटालियन और (5) जेल। अग्नि और अन्य आपातकालीन सेवाओं का प्रस्ताव किया जा रहा है।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)

12.11 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) संबंधी परियोजना गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सही समय पर अपराध एवं अपराधी संबंधी सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए देश के 29 राज्यों एवं 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों और लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली तथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सोल्यूशन सृजित करना है।

12.12 इस परियोजना की संकल्पना 'केन्द्रीकृत आयोजना एवं विकेंद्रित कार्यान्वयन' के सिद्धांत के आधार पर की गई है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी ए एस) को केंद्रीय स्तर पर सामान्य परिभाषाओं, योजना एवं विनिर्देशों के साथ विकसित किया जा रहा है जिसे राज्य विशेष की जरूरत के अनुरूप बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। तथापि, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनको उनके मौजूदा एप्लीकेशनों पर चलते रहने की अनुमति दी गई है, को सी ए एस के साथ सूचना के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर को अनुकूल बनाना होता है।

12.13 **सीसीटीएनएस के उद्देश्य:**

क) देश के सभी पुलिस थानों में अपराध के पंजीकरण, जांच, अभियोजन आदि की प्रक्रिया को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करना।

ख) पुलिस और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रयोग करने हेतु अपराध विश्लेषण के साथ–साथ राष्ट्र स्तरीय तलाशी सुविधा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय डाटाबेस तैयार करना।

ग) पुलिस स्टेशनों और बड़े पुलिस कार्यालयों के बीच आंकड़ों/सूचना का इलेक्ट्रानिक रूप में आदान–प्रदान करना।

घ) नागरिक पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट और अन्य पुलिस सत्यापन सेवाएं, विभिन्न कार्यों के लिए अनुमति, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने आदि जैसी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करना।

ङ) एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, कारागार और विधि विज्ञान के साथ अपराध और अपराधी संबंधी आंकड़ों का आदान–प्रदान करना।

प्रमुख उपलब्धियां और वर्तमान स्थिति

12.14 सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों और इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी (एसडीए) ने दिनांक 10.06.2015 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अत्याधुनिक सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर वर्जन 4.1 जारी किया।

(ii) सीसीटीएनएस परियोजना की प्रगति की पुनरीक्षा करने और इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक समयबद्ध रणनीति तैयार करने के लिए दिनांक 06.08.2015 को सीसीटीएनएस संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 15008 पुलिस स्टेशनों (पीएस) में से, 11692 (77.9%) पी एस सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 100% एफ आई आर दर्ज कर रहे है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 90% से अधिक पुलिस स्टेशन 100% एफ आई आर दर्ज कर रहे हैं।

(iv) पिछले तीन वर्षों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 10,59,965 एफ आई आर (वर्ष 2013 में), 20,34,869 एफआईआर (वर्ष 2014 में) और 34,74,238 एफ आई आर (वर्ष 2015 में) दर्ज की गई हैं जिससे एफआईआर के पंजीकरण की कुल संख्या 65,69,072 हो गई है।

(v) 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य डाटा सेंटर (एसडीसी) से जुड़े सभी पुलिस स्टेशनों के लिए सीसीटीएनएस डाटा बेस पर तलाशी सुविधा और रिपोर्टे उपलब्ध हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी संख्या में रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, 300 से अधिक विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों का प्रयोग किया जा रहा है।

(vi) नई दिल्ली के एनआईसी क्लाउड में राज्यों के डाटाबेसों से आंकड़े प्राप्त करने के लिए सीसीटीएनएस का केन्द्रीय डाटाबेस लगाया गया है। इसमें 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और शेष कार्य प्रगति पर है। यह राष्ट्रीय अपराध संबंधी आंकड़ों की समय पर तलाशी और पूछताछ में सक्षम बनाएगा। कुछ रिपोर्टों के साथ तलाशी की सुविधा शुरू हो गई है। अन्य रिपोर्टों पर कार्य चल रहा है।

(vii) यूआईडीएआई के साथ एकीकरण संबंधी कार्य अग्रणी स्तर पर है। एनपीआर, मोटर वाहन और चुनाव संबंधी डाटाबेस के साथ एकीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है।

(viii) व्यवहार्यता और आवश्यकता के आधार पर स्थानों

के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। कुल 13010 (86.68%) पुलिस स्टेशनों में नेटवर्क कनेक्टिविटी है जिसमें से 9439 (63%) पुलिस स्टेशनों में ऑनलाइन ढंग से सामान्य कामकाज करने के लिए पूर्ण नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है। शेष पुलिस स्टेशन ऑफ लाइन ढंग से एफआईआर का पंजीकरण कर रहे हैं।

(ix) कुल 2000 करोड़ रु. के परिव्यय में से, केन्द्रीय एजेंसियों/एनसीआरबी/बीएसएनएल आदि के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 889.02 करोड़ रु. जारी किए गए हैं, जिसमें से दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 731.61 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

(x) दिनांक 18.11.2015 को, कार्यान्वयन हेतु मार्च, 2017 तक और परिचालन तथा रख–रखाव चरण के लिए मार्च 2022 तक सीसीटीएनएस परियोजना के विस्तार का अनुमोदन प्रदान किया गया है। ई–न्यायालयों, ई–कारागारों, विधिविज्ञान और अभियोजन–आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख घटकों के साथ सीसीटीएनएस को जोड़कर एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) को कार्यान्वित करने का निर्णय भी लिया गया है। सीसीटीएनएस के अगले चरण का प्रारूप तैयार करने के लिए भी सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

12.15 कारागार प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

12.16 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ ने कारागार/पुलिस अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैः

क्रम सं०	पाठ्यक्रम/कार्यशाला का नाम	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या
1	पंजाब के कारागार अधिकारियों के लिए कारगर कानून और नियमावली में विधायी परिवर्तनों के संबंध में एक दिवसीय परामर्शी कार्यशाला	15.4.2015	10
2	करागार और सुरक्षा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम	21–23 अप्रैल, 2015	16
3	कारागार अधिकारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निराकरण) अधिनियम 2013 के संबंध में कार्यशाला	24.4.2015	55
4	हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के लिए स्वापक पदार्थ मामलों में वित्तीय जांच के संबंध में पाठ्यक्रम	11–15 मई, 2015	12
5	कारागार अधिकारियों के लिए कारागार प्रबंधन में मानवाधिकारों के संबंध में पाठ्यक्रम	25–27 मई, 2015	22
6	कारागार अधिकारियों के लिए कारागार प्रबंधन में सुशासन (गुड गवर्नेंस) के मुद्दों के संबंध में कार्यशाला	28 मई, 2015	20
7	चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के लिए किशोर न्याय के संबंध में कार्यशाला	12 जून, 2015	29
8	कारागार अधिकारियों के लिए व्यक्तित्व विकास संबंधी पाठ्यक्रम	15–17 जून 2015	24
9	चंड़ीगढ़ के पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए मानव दुर्व्यापार रोधी कार्यशाला	3.7.2015	30
10	हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के लिए महिलाओं के प्रति अपराधों के संदर्भ में जेंडर सुग्राहीकरण संबंधी पाठ्यक्रम	6–10 जुलाई, 2015	16
11	कारागार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम	15–17 जुलाई, 2015	14

12	कारागार अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम	17–19 अगस्त, 2015	15
13	कारागार अधिकारियों के लिए कैदियों की अस्थाई रिहाईः विचारधारा और अभ्यास के संबंध में पाठ्यक्रम	20.8.2015	17
14	हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था हेतु परामर्श कौशल के संबंध में पाठ्यक्रम	21-24 सितम्बर, 2015	16
15	बाल अधिकारों और कानून विशेषकर बलात्कार पीड़ितों, विशिष्ट रूप से अवयस्कों से निपटने पर ध्यान देने के संबंध में कार्यशाला	19.10.2015	25
16	पीड़ित क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास न्याय और राष्ट्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति के संबंध में विधेयक का प्रारूप तैयार करने संबंधी प्रतियोगिता' के बारे में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	23.11.2015	115
17	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में कार्यशाला	03.12.2015	26
18	'नेतृत्व कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन' संबंधी पाठ्यक्रम	21–24 सितम्बर, 2015	11
	कुल		**473**

12.17 इसके अतिरिक्त, वेल्लोर, तमिलनाडु में सुधारात्मक प्रशासन हेतु एक क्षेत्रीय संस्थान, नामतः कारागार और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (एपीसीए) भी कार्यरत है। उक्त अकादमी का वित्तपोषण संयुक्त रुप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने संस्थान को स्थापित करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया था।

12.18 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की सहभागिता से कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आरआईसीए) की स्थापना की है, जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु० का एकबारगी अनुदान प्रदान किया है।

एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

12.19 एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन 23 देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से भारत संगठन के शासी मंडल का चयनित सदस्य है।

12.20 प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा बारी–बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी व्यक्त करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान–प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी।

12.21 दिनांक 22–27 नवम्बर, 2015 तक 35वें एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक (एपीसीसीए) सम्मेलन की मेजबानी थाइलैंड द्वारा की गई थी, जिसमें श्री अभय, निदेशक (सीए एवं रिस.) बीपीआरएंडडी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.22 सरकार ने कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नलिखित पदक शुरू किए हैं:

शौर्य पदक

(क) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम जी)

(ख) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम जी)

सेवा पदक

(क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा

पदक (पी सी एस एम डी एस)

(ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम एम एस)

12.23 एक वर्ष में प्रदान किए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। एक वर्ष में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

12.24 विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक निम्नलिखित के संबंध में प्रदान किए जाते हैं:–

(i) सुधारात्मक सेवा में विशिष्ट रुप से सराहनीय रिकार्ड के लिए।

(ii) अधिक संख्या में कैदियों को दाखिल करने जैसी कठिन परिस्थिति में सुधारात्मक सेवा आयोजित करने या प्रशासन चलाने में सफलता के लिए।

(iii) दंगों का शमन करने, कैदियों को भागने से रोकने, अधिकारियों का बचाव करने, खेल भावना, लोक कार्य और सक्षमता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी, अनुशासनबद्धता और त्याग की भावना सहित अनुकरणीय सेवा की छाप छोड़ने के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता के लिए।

12.25 शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक किसी कैदी को गिरफ्तार करने अथवा उनको भागने से रोकने में विशिष्ट/असाधारण शौर्य के लिए दिया जाता है, इसके अंतर्गत जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए असाधारण कार्य से किया जाता है।

12.26 वर्ष 2000 से अब तक कारागार कार्मिकों को निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए गए हैं:

वर्ष	गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या
2000	21	14
2001	11	32
2002	28	23
2003	22	09
2004	20	15
2005	13	12
2006	30	29
2007	34	19
2008	24	15
2009	13	13
2010	14	21
2011	24	16
2012	38	28
2013	37	41
2014	41	37
2015	32	44

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियमावली, 1987

12.27 राज्यपाल (भत्ते और विशेषाज्ञधिकार) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है और इसे दिनांक 21.07.2014 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग–II, खण्ड 3–उप खण्ड (i) में अधिसूचित किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, भूतपूर्व राज्यपाल एक निजी सहायक के रूप में लिपिकीय सहायता का पात्र है, जिसकी नियुक्ति 25,000/– रु. प्रति माह के अधिकतम पारिश्रमिक पर प्रतिपूर्ति के आधार पर भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इस पारिश्रमिक का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। निजी सहायक की शैक्षणिक अर्हता को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष से कम करके किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष करने के लिए दिनांक

11.11.2014 को एक अन्य संशोधन किया गया है। आज की तारीख के अनुसार 57 पूर्व राज्यपाल इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, उन्हें इस प्रयोजन के लिए 95,55,989/– रु. की प्रतिपूर्ति की गई हैं। शीघ प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राज्यपाल से प्राप्त दावों पर मासिक आधार पर कार्यवाही की जाती है। अब दावे की प्राप्ति के समय को और कम करने और भुगतान के संबंध में इस पर आगे कार्यवाही करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से इन सभी दावों की प्राप्ति हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

पुलिस सुधार

12.28 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य समितियों (2004) की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की थी। वर्ष 2005 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने 49 सिफारिशें कीं, जिन्हें तुरंत कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। सरकार पुलिस सुधारों संबंधी उक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह कर रही है।

12.29 समीक्षा समिति की एक सिफारिश पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने के लिए नए पुलिस अधिनियम के अधिनियमन से संबंधित थी। गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2005 में नए मॉडल पुलिस अधिनियम को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

12.30 समिति ने दिनांक 30.10.2006 को मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया। मॉडल अधिनियम में लोकतांत्रिक समाज में एक व्यावसायिक पुलिस 'सेवा' की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो दक्ष, प्रभावी, लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल और विधि के नियम के प्रति जवाबदेह हो। अधिनियम में पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि पुलिस अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों का संरक्षण करने पर विशेष ध्यान देने के साथ निष्पक्षता और मानवाधिकार संबंधी मानदंडों के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी।

12.31 उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक 17 राज्य सरकारों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने या तो पुलिस अधिनियम अधिनियमित कर लिए हैं अथवा विद्यमान अधिनियमों को संशोधित किया है।

12.32 इसी बीच भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी पुलिस सुधारों से संबंधित अनेक मुद्दों के बारे में वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं० 310 – प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 22 सितम्बर, 2006 को एक फैसला दिया है। उक्त फैसले में न्यायालय ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को तंत्र स्थापित करने और दिनांक 03 जनवरी, 2007 तक अनुपालन का शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश शामिल थे:

(i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति अथवा सोराबजी समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी मॉडल पर राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित करना।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन उस रैंक में पदोन्नति हेतु सूची में शामिल किए गए विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से करना और एक बार चयन होने पर उनकी अधिवर्षिता की तारीख पर ध्यान दिए बिना उन्हें कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध कराना।

(iii) आपरेशनल ड्यूटी वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना।

(iv) दस लाख अथवा इससे अधिक की आबादी वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों से आरंभ करके जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग करना और धीरे–धीरे इसका विस्तार छोटे नगरों/शहरी क्षेत्रों तक करना।

(v) अन्य बातों के साथ–साथ उप पुलिस अधीक्षक और इससे नीचे के रैंक वाले अधिकारियों के समस्त स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर एक पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित करना,

(vi) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करना और

(vii) उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के प्रमुखों, जिन्हें न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल भी दिया जाएगा, के चयन और तैनाती के लिए उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकरण के सामने रखे जाने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जिसे इन बलों की प्रभावकारिता को बढ़ाने, अपने कार्मिकों की सेवा दशाओं में सुधार करने, यह सुनिश्चित करने कि उनके बीच उचित समन्वय है और यह कि बलों का प्रयोग उसी काम के लिए किया जाता है जिसके लिए उनकी स्थापना हुई है और इस संबंध में सिफारिशें करने के उपायों की समय–समय पर समीक्षा करने का अतिरिक्त अधिदेश भी दिया जाए।

12.33 उपर्युक्त सात निर्देशों में से, पहले छह निर्देश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए थे, जबकि सातवां निर्देश केवल केन्द्र सरकार से संबंधित था।

12.34 विभिन्न तारीखों पर क्रमिक रुप से इस मामले की सुनवाई हुई। दिनांक 16.05.2008 को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 22.09.2006 के अपने निर्णय में दिए गए विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में न्यायमूर्ति के.टी थॉमस, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्यों के साथ एक समिति गठित करने का निदेश दिया था। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ–साथ, जमीनी यथार्थ के संदर्भ में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दायर शपथ–पत्रों की जांच करना; प्रतिवादियों द्वारा कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई कमियों पर विचार करने के बाद न्यायालय के आदेशों का पालन न होने पर प्रतिवादियों को कार्यान्वयन में कमी के बारे में सलाह देना; किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिवादियों की वास्तविक समस्याओं को न्यायालय के ध्यान में लाना आदि शामिल था।

12.35 समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उक्त रिपोर्ट को दिनांक 04.10.2010 को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

12.36 पिछली बार दिनांक 16.10.2012 को मामला सुनवाई के लिए आया। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारत संघ को यह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था कि उन्होंने दिनांक 22.09.2006 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर कितना कार्य किया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ–पत्र के द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी है। मामला न्यायाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर सक्रिय रुप से विचार कर रहा है।

12.37 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः–

सुरक्षा आयोग

(क) सुरक्षा आयोग के संबंध में स्थिति निम्नानुसार हैः–

(i) गृह मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2011 के अपने कार्यालय ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए एक सुरक्षा आयोग और अन्य छह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक अन्य सुरक्षा आयोग का गठन किया था। अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सुरक्षा आयोग की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अलावा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के सुरक्षा आयोग की पहली बैठक पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में दिनांक 18.01.2013 को गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि एक सुरक्षा आयोग के बजाय, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए।

(iii) तदनुसार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 07.02.2013 के अपने का.ज्ञा. सं. 14040/127/2010–यूटीपी के द्वारा निम्मिलिखत प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग सुरक्षा आयोग का गठन किया है:–

(क) अंडमान एवं निकोबार (ख) लक्षद्वीप (ग) दमण एवं दीव (घ) दादरा एवं नगर हवेली (ङ) चंडीगढ़ (च) पुदुचेरी

(iv) सुरक्षा आयोग की संरचना निम्नानुसार है:

क) केन्द्रीय गृह सचिव – अध्यक्ष

ख) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/प्रशासक – सदस्य

ग) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वतंत्र सदस्य – सदस्य

घ) संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) – संयोजक

(v) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ के संबंध में सुरक्षा आयोग की अलग–अलग बैठकें गृह सचिव की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 13.02.2013, 12.08.2013, 12.09.2013 और 11.10.2013 को आयोजित की गई थीं।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

12.38 सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में उपयुक्त तंत्र स्थापित किए हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिनांक 15.03.2012 को लोक शिकायत आयोग, दिल्ली को पुलिस शिकायत प्राधिकरण के रूप में नामित किया था।

(ii) पुदुचेरी सरकार ने दिनांक 03.01.2011 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया था।

(iii) दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दिनांक 10.08.2011 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया था।

(iv) चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 08.11.2013 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया था।

(v) लक्षद्वीप प्रशासन ने दिनांक 18.03.2007 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया था।

(vi) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने दिनांक 18.10.2011 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया था।

पुलिस महानिदेशक और प्रमुख अधिकारियों का चयन/कार्यकाल

12.39 पुलिस महानिदेशक के चयन की पद्धति, न्यूनतम कार्यकाल और क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, रेंज उप महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और एसएचओ जैसे प्रमुख अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल से संबंधित निर्देश की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) पुलिस महानिदेशकों के चयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण यह है कि चुनी हुई सरकारें होने के नाते वे कानून एवं व्यवस्था के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए, उन्हें पुलिस महानिदेशकों का चयन करने का अधिकार होना चाहिए। गृह मंत्री के अनुमोदन से, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त एजीएमयूटी कैडर के पुलिस अधिकारियों के संबंध में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया था।

(ii) संघटकों में वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल यथासंभव न्यूनतम दो वर्ष का होगा।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 12.02.2007 को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो, प्रमुख पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का रखा जाए।

(iv) दिल्ली के संबंध में, विधायन के स्तर पर पुलिस आयुक्त, रेंज के प्रभारी संयुक्त पुलिस आयुक्त, जिला उप पुलिस आयुक्त और एसएचओ सहित प्रमुख अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के अध्यधीन, न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

(v) जहां तक दिल्ली–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) अधिकारियों का संबंध है, प्रमुख अधिकारियों को, न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.03.2010 को दानिप्स नियमों को संशोधित किया गया है।

(vi) जहां तक चंडीगढ़ का संबंध है, पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007, जो चंडीगढ़ में लागू है, में प्रमुख अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है।

'जांच' और 'कानून एवं व्यवस्था' को अलग करना

12.40 'जांच' और 'कानून एवं व्यवस्था' को अलग करने के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, इसे अलग करने का कार्य 10 लाख अथवा इससे अधिक की आबादी वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों में आरंभ होना है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, केवल दिल्ली ही इस मानदंड को पूरा करता है। इसे दिल्ली में कार्यान्वित किया गया है और अलग आईओ की नियुक्ति की गई है।

(ii) विधायन के स्तर पर, आर्थिक और जघन्य अपराधों की जांच करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में अपराध जांच यूनिटें सृजित करने का प्रस्ताव किया जाए।

(iii) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशनों में अपराध जांच यूनिटों का सृजन करने के संबंध में, पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007, जो चंडीगढ़ में भी लागू है, में पहले ही समर्थकारी प्रावधान किया गया है।

(iv) संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में, प्रमुख पुलिस स्टेशनों में, यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

पुलिस स्थापना बोर्ड

12.41 संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्र में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए हैं;

(ii) पुलिस स्थापना बोर्ड, क्षेत्रीय स्थापना समिति और जिला पुलिस स्थापना समिति के गठन का प्रस्ताव विधायन के स्तर पर किए जाने की संभावना है;

(iii) पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007, जो चंड़ीगढ़ में लागू है, में चंडीगढ़ के संबंध में पुलिस स्थापना बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

12.42 इस प्रकार संघ राज्य क्षेत्रों में, उन मुद्दों के अलावा, जिनमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2007 के आवेदन में उपयुक्त स्पष्टीकरण और संशोधनों की मांग की गई है, भारत सरकार द्वारा सार्थक और पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

संशोधित मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 का मसौदा तैयार करना

12.43 मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 का पुनः अध्ययन किया गया और बदलती हुई वास्तविकताओं के अनुरूप और 'पुलिस' को अधिक जिम्मेवार, सक्षम और जन सहयोगी बनाने के लिए इसकी पुनरीक्षा की गई। मई, 2013 में, गृह मंत्रालय द्वारा एक नए मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने और पुलिस सुधारों से संबंधित अन्य मामलों का विश्लेषण करने के लिए अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तदनन्तर, बीपीआरएंडडी से संशोधित मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारम्भिक मसौदा और अन्य विचारार्थ विषय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जो पहले गृह मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपा गया था। तत्कालीन गृह सचिव के निदेशानुसार, मसौदा मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 में 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था की दस विशेषताओं को शामिल किया जाना था। तदनुसार दिनांक 24.08.2015 को, बीपीआरएंडडी ने 'मॉडल पुलिस विधेयक, 2015' नामक विधिक रूप से जांच किए गए मसौदे की एक प्रति प्रस्तुत की है। इस पर गृह मंत्रालय में विचार किया गया है। बीपीआरएंडडी को इसे इस प्रत्याख्यान के साथ जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक करने की सलाह दी गई है कि यह मसौदा भारत सरकार के अभिमत का द्योतक नहीं है और मसौदा माडल विधेयक और इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में जनता की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

12.44 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने एस.एम.ए.आर.टी. पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस–संवेदनशील और सख्त; एम–आधुनिक और सचल; ए–सतर्क और जवाबदेह; आर–विश्वसनीय और प्रतिक्रियात्मक और टी–प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी–सक्षम। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, दिनांक 31.03.2015 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस संबंध में, अप्रैल–मई, 2015 में स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के संबंध में बेंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी एवं चंडीगढ़ में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशाला के दौरान विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था की दस विशेषताओं के अनुसार सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन किया गया है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने दिनांक 14.07.2015 और 24.07.2015 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या इससे नीचे किसी अन्य पुलिस कार्यालय द्वारा सकारात्मक वृत्तान्तों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और इसे जिला एसएसपी/एसपी और पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया था।

12.45 बीपीआरएंडडी द्वारा दिनांक 19–20 दिसम्बर, 2015 में भुज, गुजरात में आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों का एक संकलन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या उससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय द्वारा किए जा रहे सकारात्मक वृत्तान्तों/अच्छे कार्य की पहचान करने और उसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार, बीस हजार से अधिक अच्छे कार्यों/वृत्तान्तों को इन वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है।

राज्य विधायन

12.46 भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने अथवा भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार में गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत विधेयक, संविधान के अनुच्देद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्देद 213 के खंड–1 के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

12.47 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार–विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधायकों के शीघ अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकें करके समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

12.48 पहले से लंबित राज्य विधायन संबंधी प्रस्तावों के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान भारत सरकार के अनुमोदन/भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए 64 नए राज्य विधायन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	42
	(i) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	01
	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक लेना	04
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	20
II.	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) बंद किए गए अध्यादेश	04
	(ii) प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	06
Iii	संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	01
IV.	संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	01
	कुल	79

आईपीसी और सीआरपीसी

12.49 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं के प्रावधानों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में स्थापित आयोगों/समिति की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं।

12.50 इस मंत्रालय ने विधि आयोग से इसकी जांच करने और दंड विधि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है ताकि तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार सीआरपीसी/आईपीसी में व्यापक संशोधन किए जा सकें। विधि आयोग ने विचार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने सीआरपीसी/आईपीसी की ऐसी कुछ धाराओं को संशोधित करने की भी पहल की है, जिनके संबंध में भारतीय विधि आयोग ने पहले ही अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

दया याचिकाएं

12.51 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है। मंत्रालय प्रत्येक दया याचिका का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करता है। दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि तक 05 दया याचिकाओं का निपटान किया गया है।

संसद में प्रस्तुत और पारित विधायी प्रस्ताव

12.52 नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27.02.2015 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक लोक सभा में दिनांक 02.03.2015 को और राज्य सभा में दिनांक 04.03.2015 को पारित हुआ था। यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित किया गया था और दिनांक 10.03.2015 को भारत के राजपत्र (2015 का 1) में प्रकाशित किया गया था।

12.53 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 02.03.2015 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह लोक सभा में दिनांक 17.03.2015 को और राज्य सभा में दिनांक 20.03.2015 को पारित हुआ था। यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित किया गया था और दिनांक 30.03.2015 को भारत के राजपत्र (2015 का 12) में प्रकाशित किया गया था।

*****

अध्याय 13

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के निपटान के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश, यहां ठहरने और प्रस्थान करने का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीज़ा

विदशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित किया जाता है। जहां विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं देश में विदेशियों का ठहरना तथा देश से उनका बाहर जाना, आप्रवासन ब्यूरो और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीज़ा खण्ड

13.3 वर्ष 2013 में 69,67,601 विदेशी राष्ट्रिकों की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान 76,79,099 विदेशी राष्ट्रिक (96,434 पाक राष्ट्रिकों सहित) भारत आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में विदेशियों के आगमन में 10.21% की वृद्धि का द्योतक है। वर्ष 2014 के दौरान भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों में सबसे ज्यादा संख्या यूएसए (11,18,983) की थी और इसके बाद बांग्लादेश (9,42,562), यूके (9,38,860), श्रीलंका (3,01,601), रुसी परिसंघ (2,69,832), कनाडा (2,68,485), मलेशिया (2,62,026), फ्रांस (2,46,101), आस्ट्रेलिया (2,39,762) और जर्मनी (2,39,106) की थी। इन दस देशों की प्रतिशतता भारत आने वाले कुल विदेशियों की 61.56% थी। यह वृद्धि पर्यटन के संबंध में भारत की उदार नीति, ओपन स्काई नीति, भारत में सस्ती चिकित्सा सहायता एवं अध्ययन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अधिक सकारात्मक पहलुओं/अवसरों का परिणाम थी, जो भारत की यात्रा के लिए विदेशी राष्ट्रिकों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आगमन पर पर्यटक वीजा की नीति ने भी यहां आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।

13.4 वर्ष 2014 के दौरान, विदेशी विषयक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अथवा अन्य आप्रवासन नियंत्रण नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए 6,913 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए। इनमें से, नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश (5,803) से थी, जिसके बाद श्रीलंका (676), म्यांमार (103) और पाकिस्तान (70) का स्थान था। विदेशी राष्ट्रिकों की सर्वाधिक गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल राज्य (3,724) में की गई, जिसके बाद त्रिपुरा (1,713), तमिलनाडु (639) और महाराष्ट्र (228) का स्थान था। पिछले वर्ष के आंकड़ों (6,903) की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान कुल 2,487 विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया। दिनांक 01.04.2015 के बाद से पाक राष्ट्रिकों/पाक मूल के व्यक्तियों की ओर से वीजा प्रदान किए जाने हेतु गृह मंत्रालय के पूर्व क्लीयरेंस के लिए कुल 81,477 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 49,265 मामलों पर कार्रवाई की गई है या निपटान किया गया है। शेष 32,212 मामलों में सुरक्षा एजेंसियों से क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है अथवा भारतीय दूतावास द्वारा वीजा मंजूर किया गया है।

ई–पर्यटक वीज़ा योजना

13.5 भारत सरकार ने मनोरंजन, सैर–सपाटा, मित्रों अथवा संबंधियों से अनौपचारिक मुलाकात करने,

अल्पावधिक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने अथवा व्यवसाय संबंधी आकस्मिक यात्रा आदि के उद्देश्य से कम समय के लिए भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 27.11.2014 को ई–पर्यटक वीजा योजना (पुराना नामः आगमन पर पर्यटक वीजा) की शुरूआत की है। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार यह योजना 113 देशों के राष्ट्रिकों के लिए 16 भारतीय हवाई अड्डों पर प्रदान की गई है। ई–पर्यटक वीजा को मार्च, 2016 तक 150 देशों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अधीन सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें इलेट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) के रूप में वीजा के पूर्व प्राधिकार का प्रावधान है।

13.6 यह सुविधा समयबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है और ई–टीवी आवेदन पर निर्णय आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुति के 72 घंटे के भीतर ई–मेल द्वारा आवेदक को दे दी जाती है। ई–पर्यटक वीजा संबंधी सभी सेवाओं के लिए एक पूर्णतया सुसज्जित वीजा समर्थक प्रणाली की स्थापना की गई है।

आप्रवासन नियंत्रण

13.7 आप्रवासन, सरकार का एक महत्वपूर्ण संप्रभु कार्य है जो आप्रवासन चेक पोस्टों (आई सी पी) के माध्यम से किया जाता है। देश में 83 आप्रवासन चेक पोस्ट (आई सी पी) हैं, जिनमें से 37 आई सी पी आप्रवासन ब्यूरो के नियंत्रणाधीन हैं और शेष 46 आई सी पी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। 83 आप्रवासन चेक पोस्टों में से 81 आप्रवासन चेक पोस्टों पर केंद्रीकृत आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) सॉफ्टवेयर को कार्यरत किया गया है।

आप्रवासन, वीज़ा और विदेशी विषयक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) परियोजना

13.8 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी विषयक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आई.वी.एफ.आर.टी.)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदायगी ढांचा विकसित और कार्यान्वित करना है, जो सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करे। इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सहायता से स्थानों की अवसंरचना/संयोजकता की तैयारी के अनुरूप योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

13.9 इस परियोजना के दायरे में विदेश स्थित 178 भारतीय मिशन और पूरे देश के 674 जिले शामिल हैं। दिनांक 31.12.2015 तक इस परियोजना को विदेश स्थित 163 भारतीय मिशनों और संपूर्ण देश में 545 विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालयों (एफआरओ) तथा 13 विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) में कार्यान्वित किया जा चुका है।

13.10 केन्द्रीय आईवीएफआरटी कार्यालय को दैनिक पूछताछ के निराकरण में विदेशी राष्ट्रिकों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और संपूर्ण देश में एफआरओ/एफआरआरओ की सहायता के लिए नई दिल्ली में चालू किया गया है। दिनांक 31.12.2015 तक 2,600 से अधिक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 3 राष्ट्रीय सम्मेलनों का अयोजन किया जा चुका है।

पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता एवं दीर्घावधिक वीज़ा प्रदान करना

13.11 पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सरल बनाने के लिए सितम्बर, 2014 में संयुक्त सचिव (विदेशी विषयक), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया था। दीर्घावधिक वीजा एवं नागरिकता के आवेदन पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की अधिक संख्या वाले 26 जिलों में शिविर लगाए जा चुके हैं। दीर्घावधिक वीजा के ऑनलाइन आवेदन की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई है।

13.12 इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ–साथ आवेदकों को गृह मंत्रालय में अपेक्षित दस्तावेज सौंपने के लिए 2,118 पत्र जारी किए हैं, ताकि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान कुल 508 नागरिकता प्रमाण–पत्र और 890 दीर्घावधिक वीजा प्रदान किए गए हैं।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना

13.13 नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 दिनांक 11.03.2015 को अधिनियमित किया गया था। इससे भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआइ) कार्डों के आमेलन और आसानी से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सुविधा हुई है।

13.14 पीआईओ कार्ड योजना की शुरूआत दिनांक 19.08.2002 को की गई और तत्पश्चात ओसीआई कार्ड योजना की शुरूआत दिनांक 01.12.2005 से की गई। दोनों योजनाएं समानांतर रूप से चल रही थीं, यद्यपि, ओसीआई कार्ड योजना अधिक लोकप्रिय हो गई थी। यह आवेदकों के मन में अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहा था। आवेदकों के समक्ष आ रही कुछ समस्याओं को देखते हुए और उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने दोनों के सकारात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए पीआईओ एवं ओसीआई के आमेलन के पश्चात एकल योजना तैयार करने का निर्णय लिया। अतः इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 का अधिनियमन किया गया। पीआईओ योजना को दिनांक 09.01.2015 से रद्द कर दिया गया और यह भी अधिसूचित किया गया कि सभी मौजूदा पीआईओ कार्ड–धारकों को दिनांक 09.01.2015 से ओसीआई कार्ड–धारक समझा जाएगा।

13.15 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के द्वारा, भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। पेशेवरों/व्यापारियों की श्रेणी के आवेदकों के व्यस्त यात्रा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, 12 माह तक लगातार ठहरने की अवधि में 30 दिनों तक की रियायत दी गई है। देश की तरक्की एवं विकास में विदेश स्थित भारतीय शुभचिंतकों की सहायता एवं योगदान प्राप्त करने में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 का अधिनियमन एक सकारात्मक कदम है।

पाकिस्तानी कैदियों की स्वदेश वापसी

13.16 वर्ष 2014 के दौरान, भारत सरकार ने अपनी सजा पूरी कर चुके 26 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 73 पाकिस्तानी मछुआरों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। वर्ष 2015 के दौरान (दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक) अन्य 41 पाकिस्तानी कैदियों और 115 पाकिस्तानी मछुआरों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है।

पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गई भारतीय नावों को वापस लाना

13.17 मार्च, 2015 में, पिछले चार वर्षों में पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गई भारतीय मछुआरों की 57 नावों को 1.27 करोड़ रू. की लागत से वापस भारत लाया गया है। ऐसा लगभग 11 वर्षों के अंतराल के पश्चात किया गया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान द्वारा वर्ष 2003–04 में मछली पकड़ने वाली 53 भारतीय नावों को छोड़ा गया था। यह कार्य इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग, विदेश मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक और गुजरात राज्य सरकार के साथ गहन समन्वय से किया गया। भारत सरकार की इस पहल के द्वारा एक प्रक्रिया की शुरूआत हुई है, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों द्वारा पकड़ी गई नावों को छोड़ने के लिए आपस में निरंतर बातचीत कर सकते हैं।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए)

13.18. एफसीआरए 2010 में राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधियों हेतु ऐसी निधियों के किसी भी संभावित उपयोग को रोकने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों को मिलने वाली विदेशी निधियों के प्रवाह को विनियमित करने तथा यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि व्यक्ति और संगठन संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों के अनुरूप कार्य करें।

13.19 किसी निश्चित सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय की मांग करने वाले संगठन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर तथा क्रियाकलापों एवं लेखा–परीक्षित लेखाओं के विवरण प्रस्तुत कर विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण केवल उन संगठनों का किया जाता है, जिनका विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य के चयनित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है और पंजीकरण के पश्चात ऐसे संगठन अपने वर्णित उद्देश्यों के लिए किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय

प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। संगठन तथा पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की संपूर्ण सुरक्षा संबंधी जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है।

13.20. वर्तमान में एफसीआरए के अधीन कुल 33,346 संगठन पंजीकृत हैं और एफसीआरए के अधीन वर्ष 2013–14 में 12,980 करोड़ रू. प्राप्त हुए हैं। एनआईसी द्वारा एफसीआरए के लिए पारदर्शिता एवं प्रयोक्ता के अनुकूल विशेषताओं के साथ तैयार किया गया पूर्णतया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिनांक 14.12.2015 को शुरू किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.21 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा, जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

13.22 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1972 में, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक नियमित योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारीकृत करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

13.23 **पात्रता:** इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन पाने के लिए पात्र हैं:–

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण छह माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में उसके द्वारा भाग लेने की वजह से जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था और बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण गोलाबारी अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दस या इससे अधिक बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

13.24 **आश्रित:** इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति (विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता या पिता पात्र हैं। किसी एक समय पर, ऊपर उल्लिखित आश्रितों की श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी परिवार पेंशन के लिए पात्र है।

13.25 **महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत:** पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता

आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाए

13.26 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:–

(i) स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनकी विधवा के लिए एक साथी के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (राजधानी में ।। ए सी, शताब्दी में चेयर कार और अन्य सभी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी/ए.सी. स्लीपर);

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

(iii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी. एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(iv) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(v) दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर);

(vi) स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास;

(vii) पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा; और

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए सामान्य चयन प्रक्रिया में विकलांग कार्मिकों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए 'मिश्रित श्रेणी' के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान।

13.27 स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी प्रदान की जाती हैं।

पेंशन की राशि

13.28 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की जाती है। वर्ष 1972 में निर्धारित पेंशन की आरंभिक राशि 200 रु. प्रति माह थी। विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को देय मासिक पेंशन और महंगाई राहत की मौजूदा दर नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (रूपए में)	दिनांक 01.08.2015 से 238% की दर से महंगाई राहत (रूपए में)	पेंशन की कुल राशि (रूपए में)
i.	पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी	7,330	17,445	24,775
ii.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी (आई एन ए को छोड़कर)	6,830	16,255	23,085
iii.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए सहित)	6,330	15,065	21,395
iv.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	वही पात्रता है, जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी		
v.	प्रत्येक अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्री (तीन तक)	1,500	3,570	5,070
vi.	माता अथवा पिता प्रत्येक को	1,000	2,380	3,380

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.29 पेंशन के भुगतान के लिए वर्ष 2015–16 के लिए गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट में 750 करोड़ रू. का प्रावधान है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास के शीर्ष में, रेल मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई वास्तविक यात्राओं की गणना करने में कठिनाई जताई है। इस मामले पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस शीर्ष के अधीन किसी निधि की मांग नहीं की गई थी।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगियों की संख्या

13.30 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2015 तक 1,71,595 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए सम्मान पेंशन स्वीकृत गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को स्वीकृत की गई सम्मान पेंशन का राज्य –वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15282
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार	24,900
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,508
7.	गुजरात	3,599
8.	हरियाणा	1,689
9.	हिमाचल प्रदेश	630
10	जम्मू और कश्मीर	1,807
11.	कर्नाटक	10,100
12.	केरल	3,407
13.	मध्य प्रदेश	3,487
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महाराष्ट्र	17, 964
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	ओडिशा	4,196
21.	पंजाब	7,036
22.	राजस्थान	814
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4129
25.	त्रिपुरा	888
26.	उत्तर प्रदेश	17,999
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22518
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	91
31.	दादरा और नगर हवेली	83

32.	दमण और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,048
35.	पुडुचेरी	320
	आजाद हिन्द फौज (आई एन ए)	22,468
	कुल	1,71,595

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.31 परम्परा के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दिनांक 09.08.2014 को राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह – 'एट होम' आयोजित किया और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और छोटे उपहार प्रदान किए गए। देश के विभिन्न भागों से आए 89 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।

दिनांक 09.08.2015 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विचार–विमर्श करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.32 वर्ष 1947–48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंषन योजना, 1980" के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों में ढील देकर पात्र बनाया गया था। श्राफ समिति (वर्ष 1985 से 1996 तक) ने 98 सीमा शिविरों की सूची बनाई और लगभग 7,000 मामलों की सिफारिश की। श्राफ समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.33 तदनंतर दिसम्बर 1996 में, श्री एन. गिरि प्रसाद की अध्यक्षता में एक अन्य अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी और श्री गिरि प्रसाद की मृत्यु होने के बाद जून, 1997 में सीएच. राजेश्वर राव को अनुवीक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सीएच. राजेश्वर राव समिति (वर्ष 1997 से 1998 तक) ने लगभग 13,500 मामलों की सिफारिश की। जुलाई 2004 में, गृह मंत्रालय ने 18 अतिरिक्त सीमा शिविरों को मान्यता प्रदान की। जनवरी, 2005 में, सरकार ने इस शर्त पर कि केवल वे ही आवेदक, जिन्होंने दिनांक 15.09.1948 तक अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, पेंशन के पात्र होंगे, लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 (वर्ष 1985 में अनुमानित) में वृद्धि करके लगभग 15,000 करने का अनुमोदन प्रदान किया। यह शर्त हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन के सभी लंबित मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अपनाई गई है।

13.34 फर्जी दावेदारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों और बाद में महानिदेशक (सतर्कता और प्रवर्तन) द्वारा की गई जांच के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि सीएच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामले पुनर्सत्यापन

के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। यह निर्धारित किया गया था कि पहले से स्वीकृत मामलों सहित प्रत्येक मामले की गहराई से पुनः जांच की जाएगी और तत्पश्चात् पुनः जांच के परिणामों की संवीक्षा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी फर्जी दावेदार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है और किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी की अनदेखी नहीं की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक मामले में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे दावों की जांच करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें:–

क) आवेदक की आयु मार्च, 1947 में (अर्थात् हैदराबाद मुक्ति आंदालेन प्रारंभ होने के समय) 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

ख) आयु का प्रमाण जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय के प्रमाणपत्र अथवा मतदाता पहचान–पत्र, 1995 की अथवा उससे पहले की मतदाता सूची जैसे सरकारी रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए; और

ग) दावे की सीमा शिविर के उस शिविर प्रभारी से जिसने आवेदक के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया था अथवा यदि सीमा शिविर प्रभारी जीवित न हो तो आवेदक के जिले के दो केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों से पुनः जांच/संपुष्टि कराई जाए।

13.35 प्रामाणिक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 10.9.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

13.36 राज्य सरकार को दिनांक 13.06.2014 के पत्र सं. 112/71/2012–एफएफ (एचसी) के माध्यम से भी हिदायतें जारी की गई हैं, जिसमें उन्हें अधिकारियों की समिति के माध्यम से, जिसमें राज्य सरकार के सचिव से नीचे के रैंक के अधिकारी नहीं होंगे, आवेदनों की पुनः जांच एवं संवीक्षा करने का निदेश दिया गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि तत्कालीन हैदराबाद स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा संस्तुत लंबित मामलों की पुनः जांच एवं संवीक्षा दिनांक 10 सितम्बर, 2009 के दिशा–निर्देशों के अनुसार कड़ाई से की जानी चाहिए, जिसमें मामला–दर–मामला आधार पर स्पष्ट रूप से उन कारणों को दर्शाया जाना चाहिए कि उनके ऊपर क्यों विचार किया जाए।

13.37 हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान सीमा शिविर में यातनाओं को झेलने वाले व्यक्तियों से संबंधित पुनः जांच किए गए मामलों की संवीक्षा के लिए मई, 2009 में श्री बोइनापल्ली वेंकट रामा राव की अध्यक्षता में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। समिति ने राज्य सरकारों से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों से कुल 3,807 पुनः जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय में सभी पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा की गई है; समिति की सिफारिश पर 875 मामलों में पेंशन मंजूर की गई है और 32 मामले राज्य सरकार को वापस भेजे गए हैं तथा शेष मामलों को स्कीम के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण रद्द कर दिया गया है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.38 यह एक ज्ञात सत्य है कि गोवा मुक्ति आन्दोलन अनेक वर्षों तक चला। बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों गंभीर यातनाएं झेली थीं। गोवा मुक्ति आन्दोलन को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा गया था:–

1.	चरण–I	1946 से 1953 तक
2.	चरण–II	1954 से 1955 तक
3.	चरण–III	1955 से 1961 तक

13.39 चरण–I वर्ष 1946 में हुआ था। इस आन्दोलन के सभी सहभागी (सत्याग्रही) गोवा क्षेत्र अर्थात गोवा, दीव, दमण, दादरा और नगर हवेली से थे। यह आन्दोलन अहिंसा के सिद्धांत पर आरंभ किया गया था लेकिन छोटे स्तर पर था। सहभागी सत्याग्रही अपने नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया

और उन्हें 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई।

13.40 चरण–।। आन्दोलन वर्ष 1954–55 में हुआ। इस आन्दोलन के सभी सहभागी (सत्याग्रही) गोवा क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत से थे। यह सत्याग्रह बड़े स्तर पर लेकिन अहिंसा के सिद्धांत पर किया गया था। बैच के नेताओं सहित 67 सत्याग्रहियों को घटनास्थल पर ही गोली मार दी गई थी। मृतकों के शवों, अपंग और अचेत सत्याग्रहियों को सुनसान भारतीय सीमाओं में फेंक दिया गया था। गंभीर रूप से जख्मी, घायल और चोटग्रस्त बैच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें पुर्तगाली मार्शल लॉ अदालत द्वारा 10 वर्षों का कठोर कारावास दिया गया था।

13.41 चरण–।।। आन्दोलन के द्वितीय चरण के सत्याग्रहियों की सार्वजनिक हत्या के बाद, देश के उन युवा देशभक्तों के दिमाग में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध अभूतपूर्व रोष पैदा हुआ जिनका सशस्त्र विद्रोह में गहन विश्वास था। इस आन्दोलन के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई।

13.42 केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन को मान्यता दी। आन्दोलन के पहले और तीसरे चरण के उन सभी जीवित बैच नेताओं को पेंशन प्रदान की गई थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा जिन पर मुकदमा चलाया गया था और पुर्तगाली सरकार तथा मार्शल लॉ अदालत द्वारा 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी।

13.43 चरण–। और चरण–।।। के आन्दोलनों को एसएसएस पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के उद्देश्य से पहले ही मान्यता मिल गई है। जहां तक चरण–।। के सहभागियों का संबंध है, उन्होंने गोवा की सीमा में सत्याग्रह में भाग लिया था। तथापि, उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही जेल में डाला गया था। इसके बावजूद, भारत सरकार ने फरवरी, 2003 में गोवा मुक्ति आन्दोलन के चरण–।। के उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पात्रता मानदंडों में ढील प्रदान की, जिन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.08.2002 तक अथवा इससे पहले राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.44 दिनांक 31.12.2015 तक, गोवा मुक्ति आन्दोलन चरण–।। में भाग लेने वाले कुल 2,190 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान की जा चुकी है। जहां तक चरण–। और ।।। के लिए स्वीकृतियों का संबंध है, चरण–। के लिए 336 मामले तथा चरण–।।। के लिए 244 मामले चिन्हित किए गए हैं।

नीतिगत पहलें

13.45 सम्मान पेंशन स्कीम को सरल और कारगर बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:–

13.46 सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सम्मान पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के दावों पर विचार करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के समय 15 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है।

13.47 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के संवितरण की सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ सतत समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों के बारे में उचित जानकारी न होने के कारण अनेक पेंशनभोगी उस धनराशि से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें देय है। ऐसे मामलों में बैंकों को स्वतंत्रता सेनानियों को देय बकाया राशि की गणना करने तथा तत्काल उसका भुगतान करने के निदेश दिए गए। इसी प्रकार, कई मामलों में बैंक पेंशनभोगियों को अधिक राशि का भुगतान कर रहे थे। किए गए अधिक भुगतान की वसूली बैंकों द्वारा कर ली गई है और दिनांक 31.12.2015 तक बैंकों द्वारा किए गए अधिक और गलत भुगतान के संबंध में 49.43 करोड़ रु. केन्द्रीय सरकारी खाते में जमा कराए जा चुके हैं। इसके अलावा, बैंक कर्मियों के मन में उत्पन्न भ्रम के कारण बैंकों द्वारा किए गए कम पेंशन के संवितरण के कारण पेंशनधारकों को लगभग 20.83 करोड़ रू. के बकाए का भुगतान किया गया है।

13.48 केन्द्रीय सम्मान पेंशन के भुगतान में एकरुपता

लाने तथा अधिक संतुलित आंकड़े रखने के उद्देश्य से पेंशन के भुगतान के लिए सभी पेंशनभोगियों को, जो राज्य कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अंतरित कर दिया गया है।

13.49 क्वार्टर सं. 686, 687, 671, 672, 690 और 691 खंड–I, बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली में स्थित स्वतंत्रता सेनानी आवास को अधिक आरामदायक, वृद्धावस्था हितैषी और अतिरिक्त सुविधायुक्त बनाने के लिए उसका नवीकरण भी किया गया है।

खंड–I, बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली में स्थित स्वतंत्रता सेनानी आवास

13.50 पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों के निपटान में और पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर नए मामलों, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई होती है, के साथ–साथ अस्वीकृति के कारणों सहित अस्वीकृत किए गए मामलों को भी मासिक आधार पर अपलोड किया जाता है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.51 श्रीलंका में जातीय हिंसा और अशांत स्थिति के कारण जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए।

13.52 शरणार्थियों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:–

(i) राज्य विहीन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जिन्हें अभी तक श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है; तथा

(ii) श्रीलंकाई नागरिक।

13.53 भारत सरकार का दृष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना है, परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी भारत में आते हैं,

तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा प्रत्यावर्तन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.54 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि मार्च, 1995 के पश्चात् कोई व्यवस्थित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा स्वयं दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 01.10.2015 की स्थिति के अनुसार, 64,368 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 109 शरणार्थी शिविरों में और ओडिशा में एक शिविर में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 37,000 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात् शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

13.55 शरणार्थियों के आगमन पर उनका संगरोधन किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के पूर्ण सत्यापन के पश्चात् उन्हें शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक इन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 762 करोड़ रू. (लगभग) की राशि व्यय की गई है।

13.56 भारत सरकार ने वर्ष 1964, 1974 और 1986 के भारत–श्रीलंका समझौतों के अंतर्गत भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को, उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित, भारतीय नागरिकता प्रदान करने तथा उनका प्रत्यावासन स्वीकार करने की सहमति प्रदान की थी। इन 5.06 लाख व्यक्तियों में से, 1,16,152 परिवारों के 3.35 लाख व्यक्तियों को 1.26 लाख की उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित अक्तूबर, 1964 से दिसम्बर, 2006 तक प्रत्यावर्तित किया गया था। प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रीलंका में अशांत स्थिति के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, स्वयं भारत आने वाले कुछ प्रत्यावासियों को तमिलनाडु में विभिन्न स्कीमों के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आर ई पी सी ओ) (रिपको), चेन्नई

13.57 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002) (2002 की संख्या 39) के तहत वर्ष 1969 में समिति के रूप में रिपको बैंक की स्थापना की गयी थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी 500.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अंशदान पूंजी की राशि 130.70 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी में 76.32 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया है। चार दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु (7.13 करोड़ रू.), आन्ध्र प्रदेश (1.80 करोड़ रु.), कर्नाटक (17.47 लाख रु.) और केरल (61.16 लाख रु.) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। प्रत्यावासियों ने 29.72 करोड़ रु. का योगदान किया है।

13.58 इसके उप–नियमों के अनुसार, इस समय रिपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2014–15 के लिए 20% की दर से लाभांश के रूप में 15.26 करोड़ रू. की राशि का भुगतान किया है। बैंक की लेखापरीक्षा अद्यतन है। प्रासंगिक अवधि के लिए बैंक के कार्य निष्पादन पर इस मंत्रालय की समीक्षा नोट के साथ वर्ष 2014–15 की रिपको बैंक की वार्षिक लेखा एवं वार्षिक रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रमशः 15.12.2015 और 16.12.2015 को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

13.59 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आर.पी.एल.) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कंपनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आर.पी.एल. राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, कम्पनी ने कर के पश्चात् 364.69 लाख रू. का लाभ अर्जित किया। कंपनी ने भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2014–15 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार को 6.67 लाख रूपये के लाभांश का भुगतान किया है। प्रासंगिक अवधि के लिए कंपनी के कार्य निष्पादन पर मंत्रालय की समीक्षा नोट के साथ वर्ष 2014–15 की आर.पी.एल. की वार्षिक लेखा एवं वार्षिक रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 15.12.2015 और 16.12.2015 को रखी गई थी।

तिब्बती शरणार्थी

13.60 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.61 धर्मगुरु दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 1,10,095 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। इनमें से तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में हैं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर दिनांक 31.12.2015 तक 26.81 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक शेष आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इस योजना के लिए अनुमोदित कुल 28.07 लाख रु. के सहायता अनुदान में से, 19 लाख रु. की धनराशि राज्य सरकार को वर्ष 2014–15 के दौरान जारी की गई थी। शेष 9.07 लाख रू. की राशि वर्ष 2016–2017 में जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

13.62 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

13.63 पहली बार, भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015–16 से शुरू करके वर्ष 2019–20 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए धर्मगुरू दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रू. की अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वालों का पुनर्वास और भारत में तत्कालीन बांग्लादेशी एन्क्लेवों एवं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन तथा उन्नयन

13.64 भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय 16वीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014–15) ने, अन्य बातों के साथ–साथ,

यह सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। तदनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले लगभग 1000 व्यक्तियों के अस्थायी एवं स्थायी पुनर्वास की परिवर्तनशील लागत और पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों के साथ–साथ कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए नियत लागत भी शामिल है। भारत सरकार ने 1005.99 करोड़ रू. की लागत से बांग्लादेश में तत्कालीन भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की योजना को अनुमोदित किया है।

पाक–अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों, 1947 और छम्ब–नियाबात क्षेत्र के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों, 1971 को अनुग्रह अदायगी

13.65 वर्ष 1947 में जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद, कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र (पी ओ के) से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से पलायन करने वाले वर्ष 1962 तक पंजीकृत 31,619 परिवार जम्मू एवं कश्मीर में बस गए थे। भारत सरकार ने छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों और पाक–अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमषः अप्रैल और अगस्त, 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक दावों का सत्यापन करने के लिए जम्मू के प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं:–

(i) छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान;

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान;

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति कनाल 25,000 रु. की दर से भूमि की कमी के बदले प्रति परिवार अधिकतम 1.50 लाख रूपये नकद मुआवजे का भुगतान;

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले ही बस गए विस्थापित लोगों और जिन्हें विगत में प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं, ऐसे लोगों को प्लाट के आबंटन के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रु. की राशि का भुगतान;

(v) विस्थापित व्यक्तियों की 46 नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रु. का भुगतान।

13.66 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए वास्तविक दावेदारों की जांच करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य शुरु कर दिया है। जांच किए गए और पात्र परिवारों को संवितरित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 6.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को दिनांक 24.12.2008 को पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए 49 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जारी की है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1947 के पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जारी की गई कुल 55.17 करोड़ रु. की सहायता में से 31.44 करोड़ रुपए की राशि दिनांक 31.12.2015 तक 2577 पात्र परिवारों/लाभार्थियों को संवितरित की गई है।

13.67 जहां तक छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, समिति ने प्रति पात्र परिवार को 25,000 रु. की दर से अनुग्रह भुगतान के लिए कुल 1,965 मामलों में से 1,502 मामलों

की जांच कर ली है। राज्य सरकार ने दिनांक 31.12.2015 तक प्रति परिवार 25,000 रूपए के अनुग्रह भुगतान का संवितरण 1,230 पात्र लाभार्थियों को किया है।

शत्रु सम्पत्ति

13.68 पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला शत्रु सम्पत्ति संबंधी कार्य, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत दिनांक 28.06.2007 को गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

13.69 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय इस समय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्ति की सतत अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत, दिनांक 10.09.1965 से 26.07.1977 तक निहित करने संबंधी महत्वपूर्ण अवधि के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से संबंधित अथवा उनकी ओर से धारित अथवा प्रबंध की गईं पूरे भारत में सभी अचल और चल सम्पत्तियां भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं।

13.70 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय मुंबई में स्थित है और उसका एक–एक शाखा कार्यालय कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली में है। दिनांक 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक इस समय विभिन्न राज्यों में स्थित 14,540 चल सम्पत्तियों का प्रबंधन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित अचल शत्रु सम्पत्ति भी, जिसका मूल्य उसके सामने दिया गया है, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई (सीईपीआई) में निहित है:

1.	शेयर	2724 करोड़
2	एफडी, राजकोषीय बिल और सरकारी स्टॉक	310.58 करोड़ रू
3.	बैंक में जमाराशि	177.6 करोड रू
3.	सोने और चांदी के गहने	37,54,060

13.71 वर्ष 1965 और 1971 के भारत–पाक युद्ध के पश्चात, भारत सरकार ने उक्त युद्धों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के भारतीय राष्ट्रिकों और कंपनियों को उनकी गुम सम्पत्तियों के 25% तक अनुग्रह भुगतान मंजूर करने के लिए दिनांक 15.03.1971 को एक संकल्प संख्या 12/1/1971–ई आई एंड ई पी पारित किया। दिनांक 31.12.2015 तक ऐसे दावेदारों को अनुग्रह भुगतान के रूप में 71.04 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है।

13.72 शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार, अभिरक्षक में निहित सम्पत्तियों से अर्जित आय के 2% के बराबर शुल्क लगाया जाता है और उसे केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है। तदनुसार, भारत की समेकित निधि में 8.74 करोड़ रु. (2% लेवी के रूप में) जमा किए जा चुके हैं।

13.73 शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 दिनांक 15.11.2010 को लोक सभा में पेश किया गया था। यह विधेयक दिनांक 30.12.2010 को जांच और रिपोर्ट करने के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.11.2011 को प्रस्तुत कर दी। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार मौजूदा विधेयक को वापस ले सकती है और समिति के विचारों और टिप्पणियों को शामिल करके एक नया विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। तथापि, विधेयक को वापस न लेने और विधेयक में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया। तथापि, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया कि 15वीं लोक सभा के भंग होने के साथ ही उपर्युक्त विधेयक व्यपगत हो गया है।

13.74 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय की दो नई शाखाएं लखनऊ (जिसने जनवरी, 2014 से कार्य

करना आरंभ कर दिया है) तथा दिल्ली (जिसने अक्तूबर, 2014 से कार्य करना आरंभ कर दिया है) में खोली गई हैं, जिनके प्रमुख सहायक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक हैं।

13.75 व्यवस्थित तरीके से देशव्यापी सर्वेक्षण करके विभिन्न राज्यों में अधिक से अधिक शत्रु संपत्ति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षकों/प्रबंधन विशेषज्ञों के निम्नलिखित पद स्वीकृत किए गए हैं/उन पर नियुक्ति की गई है:–

कार्यालय	अकाउटेन्सी/प्रबंधन विशेषज्ञों की संख्या		सर्वेक्षकों की संख्या	
	स्वीकृत	नियुक्त	स्वीकृत	नियुक्त
मुम्बई शाखा	06	06	16	16
कोलकाता शाखा	04	04	20	16
लखनऊ शाखा	03	03	37	17
दिल्ली शाखा	02	02	10	01

13.76 नई शत्रु संपत्तियों की पहचान हेतु पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल में सर्वेक्षण कार्य आरंभ हो गया है।

*****

अध्याय 14

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

14.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । यह कार्यालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(i) मकानों तथा जनसंख्या की गणना: भारत के जनगणना आयुक्त एक ऐसे सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । इस कार्यालय पर क्षेत्र संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय, पर्यवेक्षण, आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार का उत्तरदायित्व है ।

(ii) सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस): जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है । इस भूमिका में, वह देश में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करता है ।

(iii) सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस): प्रत्येक छमाही में जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं के वृहद सैम्पल सर्वे, सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस), के संचालन का उत्तरदायित्व भी इसी कार्यालय का है । एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक मात्र स्रोत है ।

(iv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर): भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना) नियमावली, 2003 के तहत महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण (आरजीसीआर) के सांविधिक कार्य का भी निर्वहन करते हैं । भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की दिशा में पहला कदम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) उपर्युक्त संविधि के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है ।

(v) सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) : भारत सरकार ने पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना करवाई है । जहां एक ओर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के संबंध में नोडल मंत्रालय हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने संपूर्ण संभारतंत्रीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई है ।

(vi) मातृभाषा सर्वेक्षण: जनगणना 2001 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं के सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है ।

(vii) भाषायी सर्वेक्षण : भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में कार्यान्वित की जा रही भारत के भाषायी सर्वेक्षण की परियोजना निरन्तर चलती रहने वाली परियोजना है ।

जनगणना 2011

14.2 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है । जनगणना 2011, देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वीं जनगणना है ।

14.3 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है जोकि जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मानदण्डों के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाती है। जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों, अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना, में किये जाते हैं । जनगणना 2011 का प्रथम चरण– मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, अप्रैल–सितम्बर, 2010 में आयोजित किया गया तथा दूसरा चरण– जनसंख्या की गणना, फरवरी–मार्च, 2011 में आयोजित किया गया । जनगणना 2011 के प्रथम चरण में परिवारों के संबंध में आवासों की मात्रा एवं गुणवत्ता,

उपलब्ध सुविधाओं, स्वामित्व के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों जैसे सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय मानदण्डों विषयक आंकड़े एकत्र किए गए जबकि द्वितीय चरण के दौरान व्यक्तियों के संबंध में आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, निःशक्तता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भाषाओं/मातृभाषाओं, आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति तथा स्थान–परिवर्तन इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए हैं ।

14.4 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर संसाधन करना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है । विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों के तेजी से संसाधन और संकलन के लिए उपलब्ध अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है । हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों को एकत्र करने का प्रतिशत शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5 से 45 प्रतिशत तक परिवर्तनशील रहा है । ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/ इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के आविष्कार के पश्चात, 2001 की जनगणना के समय पहली बार इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए तथा पूर्ववर्ती जनगणनाओं, जिनमें रिपोर्ट जारी करने में 8–11 वर्ष तक का समय लग जाता था, की तुलना में 4–5 वर्षों की अवधि के भीतर रिपोर्ट जारी कर दी गईं । जनगणना 2011 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने अपने लिए अत्यधिक उच्चस्तरीय मानदंड निर्धारित किया है । इसका उद्देश्य जनगणना परिणामों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक जारी किए जाने के अतिरिक्त, जनगणना अनुसूची में दर्ज की गई 100% सूचना को आईसीआर प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित करना है ।

14.5 जनगणना 2011 पर आधारित अनन्तिम जनसंख्या के योग मार्च, 2011 में तीन सप्ताह की रिकार्ड अवधि में जारी कर दिए गए, इनके पश्चात जनसंख्या का ग्रामीण–शहरी वितरण जारी किया गया। तदनन्तर, बड़ी संख्या में डाटासेट जारी किए गए हैं जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक–XIII** में दिया गया है। केवल इसी वर्ष में 31.12.2015 तक 41 डाटासेट जारी किए गए हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित नगर मानचित्रण

14.6 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय अपने प्रारम्भ से ही अच्छी गुणवत्ता वाले मानचित्रों का प्रकाशन कर रहा है। बिना किसी चूक और दोहराव के जनगणना आयोजित करने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए जाते हैं । मानचित्रण क्रियाकलाप दो प्रकार के होते हैं, नामतः क) जनगणना से पहले के मानचित्रण कियाकलाप और ख) जनगणना के पश्चात के मानचित्रण क्रियाकलाप। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्य–कलापों में गांवों, नगरों और नगरों में वार्डों को दर्शाते हुए राज्यों, जिलों, उप–जिलों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है । ऐसा देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जनगणना के पश्चात किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में विभिन्न प्रकाशनों अर्थात आवास, प्राथमिक जनगणना सार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिला जनगणना पुस्तिकाओं सहित भाषा और जनगणना संबंधी अन्य प्रकाशनों के लिए जनगणना आंकड़ों पर आधारित थीमैटिक मानचित्र तैयार किया जाना शामिल है। प्रत्येक जनगणना के दौरान, यह संगठन दस हजार से अधिक प्रशासनिक और थीमैटिक मानचित्र तैयार करता है जो कि प्रयोक्ता अभिकरणों, विभागों, शिक्षाविदों, योजनाकारों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति– निर्माताओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं ।

14.7 उपर्युक्त क्रियाकलापों के अतिरिक्त भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा जनगणना कार्य निदेशालयों के आंकड़ा केन्द्रों में जनगणना 2011 के लिए तैयार किए गए सभी मानचित्रों की एक सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक डिपाजिटरी स्थापित की गई है । मानचित्र संसाधनों में सभी स्तरों के प्रशासनिक मानचित्रों के अलावा, हाथ से तैयार किए गए 25 लाख से अधिक रेखाचित्रों की स्कैन्ड इमेज शामिल हैं जो अभिशासन कार्यकलापों में अत्यधिक उपयोग वाली हैं । अब तक जनगणना, 2011 के निम्नलिखित मानचित्र प्रकाशित किए जा चुके हैं:–

i) भारतीय प्रशासनिक एटलस 2011, राष्ट्रीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र खंड।

ii) प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन संबंधी

एटलस 2001–2011 राष्ट्रीय खण्ड ।

iii) जनगणना 2011–पर आधारित एटलस आन स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन–विषयक एक प्रस्तुतीकरण–राष्ट्रीय खण्ड ।

iv) मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पत्तियों पर एटलस– जनगणना 2011– राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खण्ड ।

v) प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए) संबंधी एटलस, 2011 ।

vi) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक जनगणना सार संबंधी एटलस 2011 ।

vii) ई–बुक एटलस : डिस्ट्रिक्ट एट ए ग्लांस।

viii) पंचायत एटलस–2011, केरल राज्य।

ix) स्टेट आफ इंडियाज वीमेन–जनगणना 2011 संबंधी एक थीमैटिक प्रस्तुतीकरण, राष्ट्रीय खण्ड।

14.8 इस समय निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रारम्भ किए गए हैं:–

i) जनगणना संगठन में उपलब्ध पुराने मानचित्रों की स्कैनिंग तथा उन्हें अभिलेखागार में भेजना।

ii) 2011 के डाटाबेस को एक स्थान पर लाने के लिए भू–संदर्भित करना।

iii) जनगणना 2011 के आधार पर लोकसभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एटलस तैयार करना : ई–बुक

iv) जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण : दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए डिजिटल डाटाबेस तैयार करना।

14.9 आंकड़ा प्रयोक्ताओं के बीच इस जानकारी के प्रसार के लिए वेक्टर डाटा सहित इन सभी प्रकाशनों को डिसिजन सपोर्ट सिस्टम के लिए एनआईसी स्थित ओआरजी एण्ड सीसीआई सर्वर तथा सेन्सस आफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये एटलस मुख्यत: दशकीय प्रकाशन हैं। अस्थायी आवश्यकता के अनुसार कभी–कभी कुछ विशेष खण्ड भी प्रकाशित किए जाते हैं।

14.10 जनगणना 2011 के दौरान जनगणना संबंधी कार्य की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करने तथा दोहराव और छूटने की घटनाओं से बचने के लिए पहली बार भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित नगर मानचित्रण का कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के राजधानी शहरों में प्रत्येक मकान/भवन, बड़ी और छोटी सड़कों, गलियों, उप–गलियों तथा सभी महत्वपूर्ण भू–चिह्नों को दर्शाते हुए विस्तृत वार्ड मानचित्र तैयार किए गए। जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण की एक महत्वपूर्ण विशेषता इन शहरों के भीतर सभी क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पहले से बनाए गए गणना ब्लाकों और पर्यवेक्षी सर्किलों को तैयार किया जाना था। जनगणना 2011 के दौरान इसके महत्व को समझते हुए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 32 शहरों तथा 6 मेगा शहरों के ग्रोथ पोल सेंटरों को शामिल करने के लिए इस योजना स्कीम को विस्तारित किया गया है। अपेक्षित हाई रिजोल्यूशन उपग्रह चित्र राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद से अधिप्राप्त कर लिए गए हैं। मानचित्रण स्टाफ को उपग्रह से प्राप्त चित्रों की विशेषता निष्कर्षण, व्यवस्था और विश्लेषण के संबंध में प्रशिक्षित कर दिया गया है। भवनों के फुटप्रिंट निकाले जा रहे हैं जिनका भावी जनगणना कार्यों में ग्राउन्ड ट्रूथिंग और डाटा लिंकेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। छात्र समुदाय का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से इस परियोजना के निष्पादन का कार्य जारी है।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

14.11 भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) एक विशिष्ट परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं का सुव्यवस्थित तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक (श्रव्य/दृश्य) अभिलेखागार तैयार करना है । इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा लिप्यंतरण और भाषा विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार ऐसी परियोजना को शुरू किया गया है । 31.12.2015 तक 438 मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है । सभी श्रव्य/दृश्य फाइलों के भण्डारण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखागार और विश्लेषण के लिए सुव्यवस्थित तरीके से इन्हें पुन: प्राप्त करने हेतु एक साफ्टवेयर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा विकसित किया जा चुका है। इस योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:–

(क) अद्यतन सर्वेक्षण उपकरणों का प्रयोग करते हुए श्रव्य–दृश्य भाषाई फील्ड डाटा का एकत्रीकरण ।

(ख) सम्पूर्ण भारत वर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रशिक्षित लिप्यंतरकों/भाषाविदों को बाह्य स्रोतों की सहायता से विविधिता–वार वीडियोग्राफ्ड भाषाई फील्ड डाटा का लिप्यंतरण और विश्लेषण ।

(ग) एकल मातृभाषा से वैयक्तिक भाषा/मातृभाषा रिपोर्ट के लिए 4–8 सैम्पल डाटा के विश्लेषण का समेकन और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के बाह्य भाषाई विशेषज्ञों/प्रोफेसरों द्वारा इस रिपोर्ट और डाटा का पर्यवेक्षण ।

(घ) भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) प्रबन्धन प्रणाली में अपलोडिंग द्वारा प्रतिलेखन–विश्लेषण–रिपोर्ट के साथ वीडियोग्राफ्ड डाटा का परिरक्षण अथवा अभिलेखन विकसित किया गया है ।

(ङ) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के आंतरिक भाषाविदों द्वारा सर्वेक्षण साधनों और सर्वेक्षण निर्देशों का सुधार/अद्यतनीकरण ।

(च) फील्ड से दिग्दर्शित श्रव्य/दृश्य भाषाई डाटा के लिए विभिन्न अनुमोदित जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) के अधिकारियों वाली नई सांख्यिकीय टीम (239 के लगभग) के लिए प्रशिक्षण का निष्पादन।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

14.12 भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई), छठी पंचवर्षीय योजना से भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में अनुसंधान संबंधी एक नियमित क्रियाकलाप रहा है । अब तक एलएसआई पर पांच खण्ड प्रकाशित किए गए हैं और एलएसआई पश्चिम बंगाल खण्ड को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आंकड़ा प्रसार

14.13 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकारों, गैर सरकारी संगठनों– राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों, विद्वानों, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कामगारों और गैर–कामगारों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा, निःशक्तता संबंधी डाटा, धर्म संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पततियों संबंधी डाटा सहित विभिन्न डाटासेटों की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं को भिज्ञ बनाए रखने के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है ।

14.14 डाटासेट निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए भारत की जनगणना वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) और कुछ मामलों में मुद्रित खण्डों में भी उपलब्ध करवाए गए हैं ।

14.15 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किए गए एक और प्रमुख नवाचारी कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो–डाटा लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है। इस कार्यालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान स्थानीय शोध छात्रों के साथ–साथ बाहरी शोध छात्रों के द्वारा भी विश्वविद्यालय की किसी वरिष्ठ फैकल्टी के पर्यवेक्षण में अनुसंधान के लिए इन कार्यस्थलों की स्थापना करने के संबंध में सोलह विश्वविद्यालयों के साथ करार किया है । शोध छात्रों को सैम्पल (1% और 5%) माइक्रो–डाटा फाइलों की नकल लेने की अनुमति नहीं है किंतु अनुसंधान के लिए इनका उपयोग करने की अनुमति है । (i) नबकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, भुवनेश्वर, (ii) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, (iii) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, (iv) गोखले पालिटिक्स एवं इकोनोमिक्स संस्थान, पुणे, (v) गोवा विश्वविद्यालय, गोवा, (vi) कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, (vii) गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, (viii) रांची विश्वविद्यालय, रांची, (ix) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, (x) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलोर, (xi) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता और (xii) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में बारह वर्क स्टेशन पहले से ही कार्य कर रहे हैं। दून विश्वविद्यालय, देहरादून में स्थापित एक वर्कस्टेशन तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में एक अन्य वर्कस्टेशन उद्घाटन के लिए तैयार है। ए.एन.सिन्हा संस्थान, पटना में एक और वर्क स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 10 लाख रूपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

14.16 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना, 2011 के परिणामों के बारे में स्कूली छात्रों को जागरूक बनाने की विशिष्ट परियोजना

प्रारंभ की है । इस प्रयोजन के लिए देश के प्रत्येक 640 जिलों में 150 स्कूलों का चयन किया गया था और देश भर में एक लाख स्कूल किट स्कूलों में भेजे गए थे। स्कूली छात्रों के लिए आनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रयास चल रहे हैं।

14.17 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल भी की है । इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजिटाइज किया जा चुका है । निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है।

14.18 31.12.2015 तक जारी किए गए जनगणना आंकड़ों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 2015–16 के दौरान देशभर में 39 शहरों में आंकड़ा प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं जिनमें नवीनतम जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण और चर्चा की गई। इन कार्यशालाओं में अपने विश्लेषण साझा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 31.12.2015 तक देश के विभिन्न भागों में आयोजित 9 पुस्तक मेलों में भी भाग लिया है।

जनगणना संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआरटीसी)

14.19 उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में जनगणना संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआरटीसी) की स्थापना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विशेषकर दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों के प्रतिभागियों को जनगणना पद्धति और इसके प्रचलन से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरंभ से ही इस केन्द्र का दौरा किया है।

14.20 चालू वित्त वर्ष (2015–16) के दौरान जनगणना कार्यों और कार्यपद्धतियों के विभिन्न पहलुओं को सीखने के लिए इथियोपिया (सात अधिकारी) और अफगानिस्तान (तीन अधिकारी) के अधिकारियों ने भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय का दौरा किया। इसके अतिरिक्त जनगणना संबंधी क्रियाकलापों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सीआरटीसी के अनेक विशेषज्ञों ने विभिन्न देशों का दौरा किया। इस केन्द्र ने विभिन्न पहलुओं पर अनेक इन–हाउस प्रशिक्षण भी प्रदान किए जैसे कि कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में जनगणना कार्य निदेशालयों (जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा राज्यों में अवस्थित) के 40 अधिकारियों/कर्मचारियों को आधारभूत जनसांख्यिकीय तकनीकों का प्रशिक्षण; भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के कुल 58 अधिकारियों/कर्मचारियों को 3 समूहों में एडवांस एमएस–एक्सेल का प्रशिक्षण। 31.12.2015 तक कुल 86 प्रतिभागियों को विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

14.21 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए पदधारियों द्वारा किया जाता है । भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यानवित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं ।

14.22 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है । देश के संबंध में जन्म का पंजीकरण स्तर बढ़कर 85.6% तक हो गया है, जो पिछले वर्ष से 2013 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है । दूसरी ओर पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में 1.6% की वृद्धि हुई जो 70.9% तक पहुंच गया। यदि इस आंकड़े की तुलना पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों (जोकि वर्ष 2011 के आंकड़ों पर आधारित थे) से की जाती है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में क्रमशः 2.0 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है।

14.23 राज्यों में पंजीकरण के स्तर में व्यापक विभिन्नताएं बनी रही हैं । अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय,

मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी ने जन्म के पंजीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है । आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं दमन व दीव ने जन्म के पंजीकरण का 90% से अधिक का स्तर प्राप्त कर लिया है। तथापि, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह 70% से भी कम है ।

14.24 आंध्र प्रदेश (23.7%), मणिपुर (16.9%), झारखंड (15.8%), छत्तीसगढ़ (13.6%), उत्तर प्रदेश (11.1%), असम (10.1%) राज्यों में जन्म के पंजीकरण के स्तर में 2012 की तुलना में 2013 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जम्मू और कश्मीर (2.0%), दमन और दीव (2.3%), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (0.5%) तथा राजस्थान और त्रिपुरा (0.4%) में इस अवधि में जन्म के पंजीकरण के स्तर में आंशिक वृद्धि हुई है।

14.25 मृत्यु के पंजीकरण के स्तर के दृष्टिगत गोवा, केरल, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों ने मृत्यु के पंजीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड राज्यों तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में मृत्यु का 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश (34.6%), त्रिपुरा (15.3%), मणिपुर (15.3%), राजस्थान (9.8%), पश्चिम बंगाल (6.8%), उत्तर प्रदेश (6.2%), छत्तीसगढ़ (3.4%), नागालैंड (2.8%), महाराष्ट्र (2.6%) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव (6.7%) में मृत्यु के पंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में मृत्यु का पंजीकरण 30% से कम है। कर्नाटक, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और दादरा एवं नगर हवेली को छोड़कर अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म के पंजीकरण की अपेक्षा मृत्यु के पंजीकरण का स्तर कम है। मृत्यु के पंजीकरण के कम स्तर का कारण आंशिक रूप से निवास–स्थान पर हुई मृत्यु और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु की रिपोर्ट न करना हो सकता है।

14.26 राज्यों में पंजीकरण के स्तरों में सुधार करने और पंजीकरण में एकरूपता लाने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा एकसमान सीआरएस साफ्टवेयर विकसित किया गया है तथा इसे कुछ राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सीआरएस साफ्टवेयर का उद्देश्य पंजीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने,जिला रजिस्ट्रारों तथा अन्य उच्चतर अधिकारियों द्वारा निगरानी करने, व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्रों की खोज करने तथा प्रिंट लेने और सांख्यिकीय सारणियां तैयार करने में सुविधा उपलब्ध करवाना है। इससे मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन की रिपोर्टिंग और उसके सारणीकरण में भी सहायता मिलती है। सीआरएस साफ्टवेयर के कार्यान्वयन से पंजीकरण की स्थिति और लोक सेवा आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

14.27 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाती है, जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी–10) पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं।

14.28 वर्ष 2013 के लिए "मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पंजीकृत कुल 47,64,425 मृत्यु में से कुल 9,28,858 मृत्यु (5,75,710 पुरुष और 3,53,148 महिला) के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होने की सूचना दी गई है ।

14.29 इस समय एमसीसीडी का दायरा शहरी क्षेत्र के चुनिन्दा अस्पतालों तक ही सीमित है । राज्यों द्वारा एमसीसीडी का विस्तार सभी चिकित्सीय संस्थानों तक किए जाने के लिए कदम उठाए जाते हैं ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

14.30 राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनांकिकी सर्वेक्षण है । एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है तथा इसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों

द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत जनगणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना सम्मिलित है । इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुनः सत्यापित किया जाता है । सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण और परिणाम जारी किए जाने के बीच समय–सीमा को घटाकर एक वर्ष से कम कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था; जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969–70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया । जन्म और मृत्यु दरों में परिवर्तनों का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है । पिछली एसआरएस में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई 7,597 सैम्पल इकाइयां (4,433 ग्रामीण और 3,164 शहरी) थीं, जिनके दायरे में 1.5 मिलियन परिवार तथा लगभग 7.44 मिलियन जनसंख्या शामिल थी जो 2001 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2004 से 31.12.2013 तक प्रभावी थी।

14.31 जनगणना, 2011 के आधार पर 1.1.2014 से 8861 सैम्पल यूनिटों (ग्रामीण 4964 और शहरी 3897) का चयन किया गया है। इन नए चयनित सैम्पलों पर आधारभूत सर्वेक्षण पूरा होने वाला है। लैपटाप/कम्प्यूटरों पर सीधे ही आंकड़े एकत्र किए गए । वर्ष 2014 के संबंध में अर्धवार्षिक सर्वेक्षणों के लिए सीधे लैपटाप पर आंकड़ों के एकत्रण का कार्य फील्ड में चल रहा है। योजना के अनुसार वर्ष 2014 के संबंध में जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाले एसआरएस बुलेटिन तथा अन्य बातों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग–अलग पांच वर्ष से कम आयु वालों की मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर वाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2014 मार्च 2016 तक जारी किए जाने की संभावना है। वर्ष 1971 से 2013 तक अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर चित्रात्मक रूप से निम्नवत दी गई है :

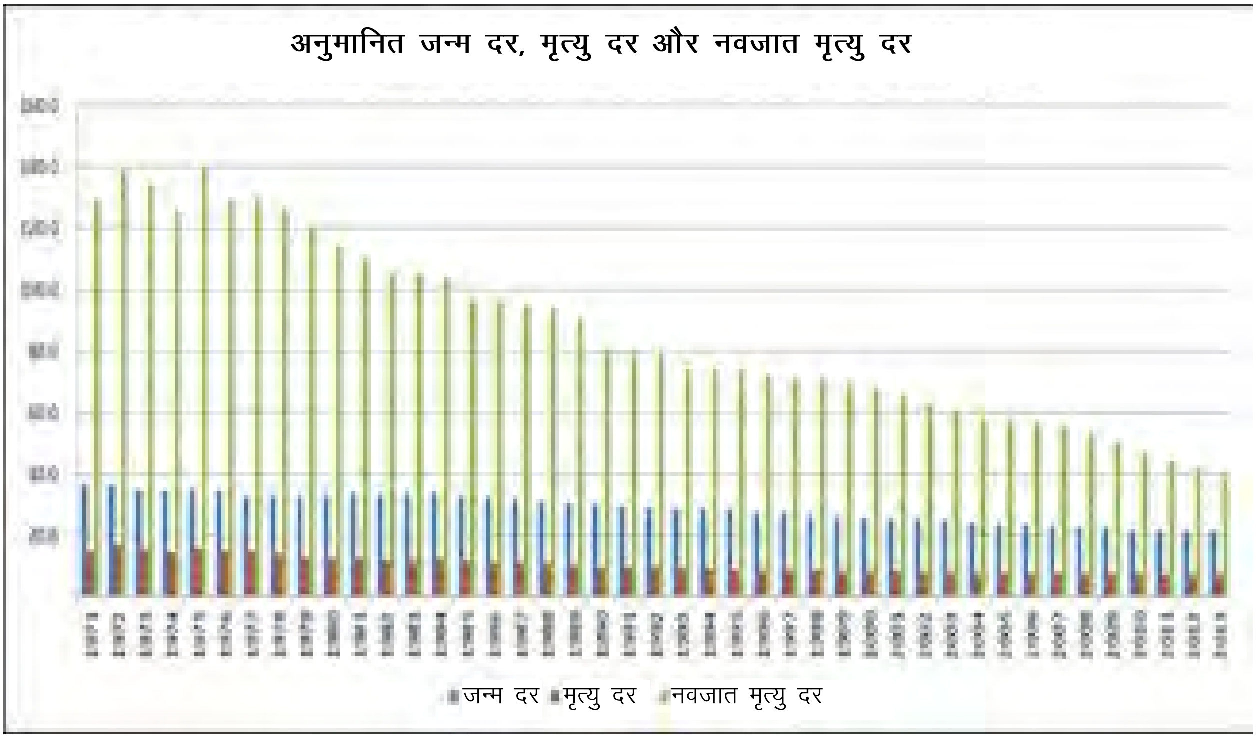

14.32 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एसआरएस बुलेटिन–2011–13 जारी कर दिया गया है। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2010–2012 के 178 से घटकर 2011–13 में 167 रह गया है। दक्षिणी राज्यों में 105 से कम होकर 93 होते हुए यह कमी सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अन्य राज्यों में यह कमी 127 से घटकर 115 और अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ईएजी) राज्यों तथा असम में 257 से घटकर 246 रह गई है। इस बात को चित्रात्मक रूप से नीचे दर्शाया गया है।

क्षेत्र के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) का स्तर, 1997–2013

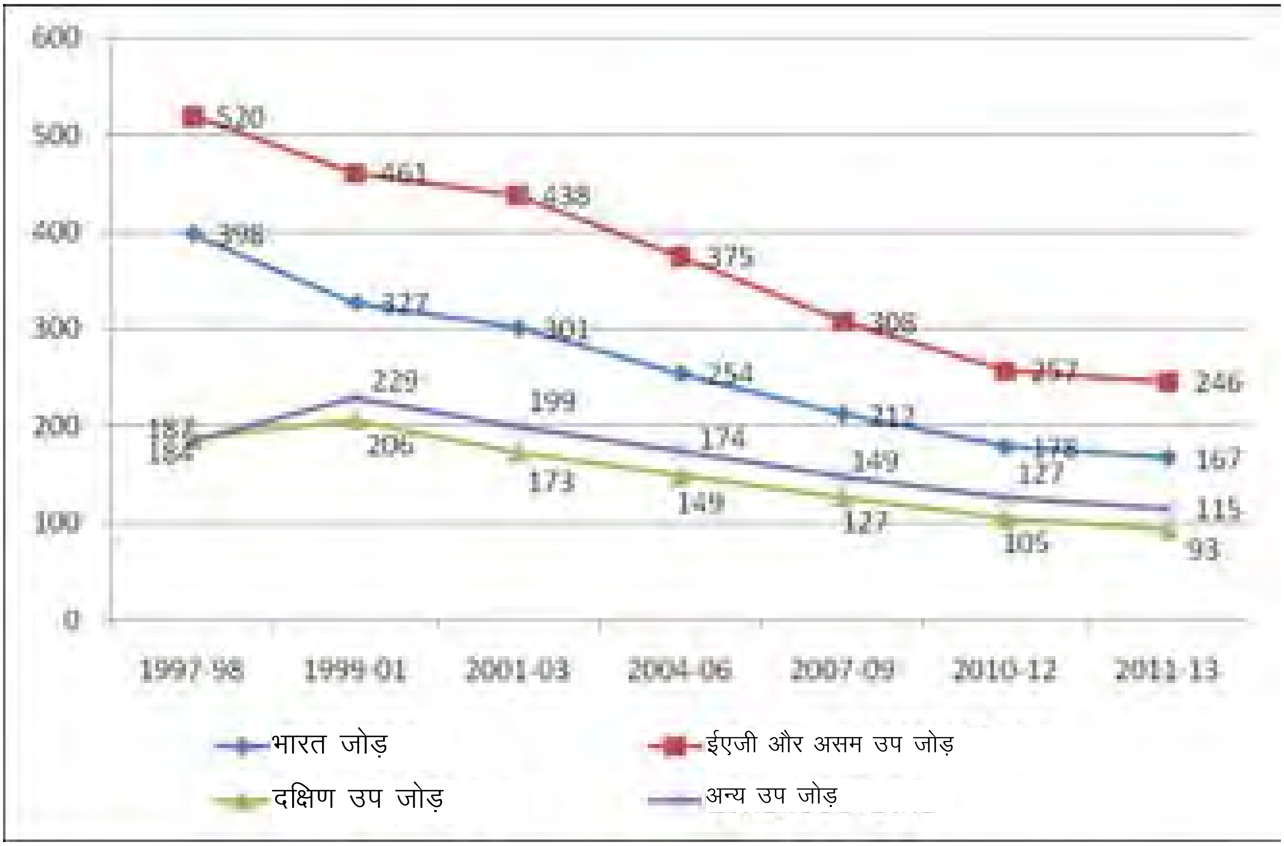

14.33 वर्ष 2009–13 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां इस वर्ष जारी कर दी गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के संबंध में लिंग और आवास के आधार पर जीवन प्रत्याशा **अनुलग्नक–XIV** में दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पिछले चार दशकों में 17.8 वर्ष की वृद्धि सहित 67.5 वर्ष थी। जन्म के समय पुरूषों के लिए प्रत्याशा 65.8 वर्ष थी जबकि महिलाओं के लिए 69.3 थी। बड़े राज्यों में जीवन प्रत्याशा केरल में सबसे अधिक (74.8 वर्ष) और असम में सबसे कम (63.3 वर्ष) थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 66.3 वर्ष थी, पुरूषों के लिए 64.6 वर्ष और महिलाओं के लिए 68.1 वर्ष थी। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 71.2 वर्ष, पुरूषों के लिए 69.6 और महिलाओं के लिए 73.0 वर्ष थी।

14.34 वर्ष 2010–13 की अवधि के संबंध में भारत में मृत्यु के कारणों संबंधी रिपोर्ट 16.12.2015 को जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट की प्रमुख विषेशताएं निम्नवत हैं :

- यह रिपोर्ट 2010–13 की अवधि की 1,82,827 मृत्यु पर आधारित है।
- मृत्यु के दस शीर्ष कारण लगभग 80% मृत्यु के जिम्मेदार हैं।
- गैर–संचारी बीमारियों का अनुपात बढ़ना जारी रहा (वर्ष 2010–13 में 49.2%, वर्ष 2004–06 में 45.4% और वर्ष 2001–03 में 42.4%)
- संचारी, मातृ, प्रसवकालीन और पोषण संबंधी स्थितियों के मृत्यु के कारण के रूप में होने के मामलों में भी

काफी कमी आई है (वर्ष 2010–13 में 27.7%, वर्ष 2004–06 में 36.7% और वर्ष 2001–03 में 38.2%)।

- जनसंख्या के बीच समस्त कार्डियोवैस्क्युलर बीमारियां मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण बनी रहीं और वर्ष 2004–06 के 19.9% की तुलना में 23.3% मृत्यु का कारण बनीं।
- मातृ अवस्थाएं कुल महिला मृत्यु के कारण के रूप में मात्र 0.9% हैं।

14.35 देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एनपीआर)

14.35 नागरिकता अधिनियम, 1955 में 2003 में संशोधन किया गया और धारा 14 क अंतर्वेशित की गई, जिसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करे और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करे । इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार को राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी/महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रेशन के रूप में पदनामित किया गया है। साथ–साथ नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियमावली, 2003 अधिनियमित की गई है, जिसमें इस आशय पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

14.36 भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) सृजित करने की शुरूआत के तौर पर सरकार ने देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। अनुमोदित योजना के अनुसार एनपीआर में देश के सभी सामान्य निवासियों के फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों की छाप और दो आइरिस प्रिंट के अतिरिक्त कुछ जनांकिकीय सूचना होगी। दोहराव से बचने (डी–डुप्लीकेशन) और ''आधार'' (यूआईडी संख्या) जारी करने के लिए एनपीआर डाटाबेस यूआईडीएआई को भेजा जा रहा है। एनपीआर के सृजन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 6649.05 करोड़ रूपए का आबंटन अनुमोदित किया गया है।

वर्तमान स्थिति

क. एनपीआर के सृजन के लिए अपेक्षित जनांकिकीय आंकड़े घर–घर जाकर गणना द्वारा 2010 में एकत्रित किए गए थे। राष्ट्रीय महत्व की इस योजना के लिए 2.5 मिलियन से अधिक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे।

ख. सभी भरे हुए फार्म (लगभग 27 करोड़) इलेक्ट्रानिक–अभिलेखागार तैयार करने के लिए स्कैन किए जा चुके हैं।

ग. 118.86 करोड़ व्यक्तियों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तैयार करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में) का कार्य पूरा हो चुका है।

घ. एनपीआर के सृजन के लिए 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के तीन बायोमेट्रिक अर्थात फोटोग्राफ, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस को प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। एनपीआर के अंतर्गत 30.99 करोड़ व्यक्तियों के बायोमेट्रिक नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है।

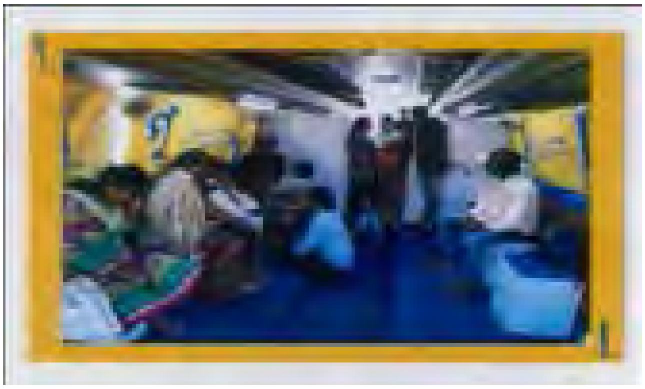

एनपीआर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष बसों के माध्यम से मोबाइल नामांकन शिविर

ड. 23.98 करोड़ से अधिक निवासियों के आधार संख्यांक तैयार हो चुके हैं।

भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) का सृजन

14.37 एनपीआर एनआरआईसी के सृजन की दिशा में पहला कदम है। एनपीआर के पूरा हो जाने पर अगला कदम एनपीआर में प्रत्येक सामान्य निवासी की नागरिकता की स्थिति की जांच करके भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करना है। इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र

14.38 भारत के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

एनपीआर डाटाबेस का रख–रखाव और अद्यतनीकरण

14.39 पहले चरण में, सक्षम प्राधिकारी ने 12 एनपीआर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में तहसीलों/तालुकों में 2,500 एनपीआर केन्द्रों की स्थापना का अनुमोदन किया है। ये एनपीआर केन्द्र बाकी रह गए व्यक्तियों के नामांकन के लिए हैं और वे प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन और संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तथा अन्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के हितभागियों के नामांकन के लिए भी उपयोगी होंगे। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार एनपीआर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2117 एनपीआर केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में 1.59 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का नामांकन किया गया है।

एनपीआर डाटाबेस का अद्यतनीकरण

14.40 एनपीआर के अद्यतनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 951.35 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से एक स्कीम अनुमोदित की गई है। इस संबंध में गजट अधिसूचना नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी की गई है। 9 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, चंडीगढ़, त्रिपुरा और नागालैण्ड में फील्ड कार्य पूरा हो चुका है। 22 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह कार्य प्रगति पर है और 15.01.2016 तक पूरा हो जाएगा । शेष 5 राज्यों में फील्ड कार्य मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल के एन्क्लेवों में बायोमेट्रिक नामांकन

14.41 भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार द्वारा परस्पर सहमत कार्यपद्धति के अनुसार भूमि सीमा समझौता 1974 के अंतर्गत पूर्व भारतीय और बांग्लादेशी एन्क्लेवों में जनसंख्या की संयुक्त रूप से गणना की गई थी। इस प्रयोजन के लिए एन्क्लेवों में जनसंख्या की गणना संबंधी फील्ड कार्य 14.07.2011 से 17.07.2011 के दौरान किया गया तथा 2011 के डाटाबेस के अद्यतनीकरण का कार्य 6 से 14 जुलाई, 2015 के दौरान किया गया। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 13,370 इन्क्लेव निवासियों का बायोमेट्रिक नामांकन पूरा किया जा चुका है।

भूमि सीमा समझौता (एलबीए), 1974 के अंतर्गत विकल्प लेने संबंधी संयुक्त सर्वेक्षण तथा

पूर्व एन्क्लेवों (भारत तथा बांग्लादेश) में भारत तथा बांग्लादेश के बीच प्रोटोकाल 2011

तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.42 नवम्बर, 2008 में मुंबई आक्रमण के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। इनमें से एक उपाय एनपीआर का सृजन और तटीय क्षेत्रों

में पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करना है। इस परियोजना को दो चरणों में आरम्भ करने का प्रस्ताव था। इस परियोजना के पहले चरण में, 13 तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 3331 तटीय गांवों में कार्यान्वयन आरम्भ किया गया।

14.43 216.31 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से तटीय क्षेत्रों में चयनित 3331 गांवों और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के सभी शहरों में एनपीआर के सृजन और 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने की योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2009 को अनुमोदित की गई।

14.44 यह परियोजना इन क्षेत्रों में 65.53 लाख से अधिक सामान्य निवासियों के पहचान (स्मार्ट) कार्डों के वैयक्तिकीकरण और उन्हें भेज कर पूरी कर दी गई है।

14.45 नौसेना और तटरक्षक सहित तटीय क्षेत्र में सुरक्षा एजेन्सियों को स्मार्ट कार्ड रीडर भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन निवासी पहचान पत्रों का सत्यापन किया जा सके।

असम में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी)

14.46 भारत सरकार ने असम सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित 288.18 करोड़ की लागत पर एनआरसी के अद्यतनीकरण का अनुमोदन कर दिया है। अब तक 254.44 करोड़ रूपए की राशि असम राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और एनआरसी के अद्यतनीकरण का कार्य चल रहा है।

सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011

14.47 सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) करवाई गई।भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस संयुक्त कार्य के लिए नोडल मंत्रालय हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ने इस संबंध में संभारतंत्रीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई।

14.48 एसईसीसी–2011 का फील्ड गणना संबंधी कार्य पूरा हो चुका है तथा एसईसीसी–2011 की अनन्तिम रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 03.07.2015 को प्रकाशित की जा चुकी है।

14.49 जहां तक एसईसीसी में गणना की गई जाति/जनजाति के नामों का संबंध है, भारत सरकार ने जाति/जनजाति विवरणों के वर्गीकरण के लिए श्री अरविन्द पनगढ़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के संबंध में अंतिम निर्णय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

*****

अध्याय

15

विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

15.1 भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इस पुरस्कार से अब तक 45 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। अंतिम बार मार्च, 2015 में यह पुरस्कार श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय (मरणोपरान्त) को प्रदान किया गया था।

पद्म पुरस्कार

15.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

15.3 पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

15.4 प्रति वर्ष, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन मांगे जाते हैं। उनके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर–सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं अपनी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

15. 5 वर्ष 2016 में 112 व्यक्तियों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च–अप्रैल, 2016 के दौरान किसी समय राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में पुरस्कार को अलंकरण (पदक और प्रमाण–पत्र) प्रदान किए जाएंगे।

वीरता पुरस्कार

15.6 प्रत्येक वर्ष, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

15.7 भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2015 के अवसर पर तीन नागरिकों के लिए शौर्य चक्र पुरस्कारों और गणतंत्र दिवस, 2016 के अवसर पर कीर्ति चक्र के लिए दो नागरिकों और शौर्य चक्र के लिए तीन नागरिकों के नाम अनुमोदित किए हैं।

जीवन रक्षा पदक (जेआरपी) पुरस्कार

15.8 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

15.9 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है। उत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है और जीवन रक्षा पदक, किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली द्वारा जान जाने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से बचाने के मानवीय कार्य या कार्यों में जान बचाने वाले व्यक्ति के गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है।

15.10 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। जे आर पी पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

15.11 इन पुरस्कारों के लिए समारोह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में आयोजित किया जाता है, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/–रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 60,000/– रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 40,000/– रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

15.12 वर्ष 2015 के लिए, राष्ट्रपति ने 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 9 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 38 जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

सतर्कता तंत्र

15.13 गृह मंत्रालय का सतर्कता तंत्र संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अधीन कार्य करता है जो मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। इनके कार्यों में सहायता करने के लिए एक निदेशक और एक अवर सचिव हैं। सतर्कता तंत्र गृह मंत्रालय के सभी अनुशासनिक मामलों तथा वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों से संबंधित सभी मामलों को देखता है और मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

15.14 निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किएः–

क) मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता से संबंधित विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से निकट संपर्क बनाए रखा।

ख) जनता के साथ अधिक संबंध रखने वाले प्रभागों पर गहन नजर रखी गई।

ग) जिन प्रभागों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि ऐसे प्रभागों में कार्य करने वाले कार्मिकों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

घ) मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान की प्रगति और लंबित अनुशासनिक/सतर्कता मामलों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

ङ) निहित स्वार्थों को विकसित होने से रोकने के लिए, मंत्रालय में स्टाफ की विभिन्न प्रभागों के बीच

अदला–बदली की जाती है। स्टाफ की अदला–बदली को सुगम बनाने के लिए पदों को संवेदनशील और गैर–संवेदनशील श्रेणियों में विभक्त किया जाता है।

15.15 दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया। सचिव (सीमा प्रबंधन) ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 को गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। "सुशासन के साधन के रूप में निवारक सतर्कता" विषय पर दिनांक 28 अक्तूबर,2015 को एक वाद–विवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह गृह मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 26.10.2015 को सचिव (सीमा प्रबंधन), वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली

15.16 मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित पड़े मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित मामलों पर नजर रखते हैं, ताकि ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। मुख्य सतर्कता अधिकारी लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी करते हैं और समुचित अंतरालों पर संबंधित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

15.17 वर्ष 2015–2016 के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निपटाए गए सतर्कता और अनुशासनिक मामलों से संबंधित ब्यौरा **अनुलग्नक–XV** में दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

15.18 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आरटीआई से संबंधित कार्यों को समन्वित करने के लिए गृह मंत्रालय में एक आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया है। आरटीआई अनुभाग केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों का संग्रहण एवं अंतरण करता है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग को आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है।

15.19 मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ–साथ मंत्रालय के कार्यों के ब्यौरे मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर रखे गए हैं जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत अपेक्षित है। उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में आरटीआई की धारा 5(1) के तहत उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। उनके अंतर्गत कार्य करने वाले और सीपीआईओ के रूप में नामित उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार सभी संयुक्त सचिवों को अपील अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

15.20 आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए मंत्रालय के प्रत्येक तीन भवनों नामतः नॉर्थ ब्लॉक, एनडीसीसी–।। भवन और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकरणों को भेजा जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण, विभाग के का.ज्ञा. सं. 1/1/2013–आईआर दिनांक 22.04.2014 के द्वारा इस मंत्रालय ने वास्तविक रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों (डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से) की आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में इंदराज करना आरम्भ कर दिया गया है। उनके का.ज्ञा. सं. 1/5/2011–आईआर, दिनांक 15.04.2013 के द्वारा जारी डीओपीटी के दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार गृह मंत्रालय आरटीआई आवेदनों के सभी उत्तरों और अपीलों को नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

15.21 चालू वर्ष के दौरान तक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से 6816 आरटीआई आवेदन और 379 अपीलें तथा ऑनलाइन 9022 आवेदन तथा 518 अपीलें प्राप्त हुईं।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

15.22 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) नोडल एजेंसी है। इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 54 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

15.23 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश–नियंत्रण का विनियमन भी सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा स्वागत संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वागत संगठन में 137 कार्मिक हैं जो 54 सरकारी भवनों में स्थित स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जहां आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकार्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

15.24 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है। इस समय, सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ–साथ सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के सुरक्षा कर्मियों का उपयोग किया जाता है। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर सीआईएसएफ और एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। सीआईएसएफ में "सरकारी भवनों की सुरक्षा" (जी बी एस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट विशेष रूप से, सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु बनायी गई है। सीआईएसएफ की जी बी एस यूनिट 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं:–

(क) **प्रवेश नियंत्रण** – वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल इस मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्रधारी वास्तविक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पासधारी आगन्तुकों को उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच/जामा तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) **आतंकवाद–रोधी उपाय**– भवनों में आतंकवाद–रोधी उपायों के लिए मुख्य रूप से बल उत्तरदायी हैं।

(ग) **बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण**–इन भवनों में किसी भी बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) **अनधिकार प्रवेश**– भवन में किसी भी प्रकार के अनधिकार प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ङ.) **निकास नियंत्रण**– भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना ।

15.25 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1,032 कार्मिकों वाला असैनिक निरस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एसएसएफ इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देख–रेख कर रहा है।

राजभाषा

15.26 राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथासंशोधित) और समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग सहायता प्रदान करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

15.27 मंत्रालय के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रभाग स्तर पर 20 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं। संबंधित प्रभाग के अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी और इससे ऊपर निदेशक रैंक तक के सभी अधिकारी संबंधित समिति के सदस्य हैं। संबंधित प्रभागों के अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

15.28 राजभाषा अधिनियम,1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में आम जनता के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

15.29 हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष के दौरान राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों के पांच निरीक्षण दलों ने गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली के बाहर स्थित 20 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान मंत्रालय के 20 अनुभागों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप–समिति ने भी वर्ष के दौरान मंत्रालय के 20 कार्यालयों का निरीक्षण किया।

हिन्दी दिवस/हिन्दी माह

15.30 मंत्रालय में दिनांक 14.09.2015 से 15.10.2015 तक हिन्दी माह का आयोजन किया गया। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी के प्रख्यात विद्वान श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, भूतपूर्व उप महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली के शिक्षाप्रद व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बड़ी संख्या में मंत्रालय के हिन्दी भाषी एवं गैर–हिन्दी भाषी कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 131 प्रतिस्पर्धियों ने कुल 1,86,600/– रु. (एक लाख छियासी हजार छह सौ रूपए मात्र) के नकद पुरस्कार जीते।

हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण,

15.31 कुल 74 अवर श्रेणी लिपिकों में से, इस समय 70 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार, कुल 203 आशुलिपिकों में से, 37 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिन्दी कार्यशाला

15.32 कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के

लिए प्रोत्साहित करने और हिन्दी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 18.06.2015 और 28.09.2015 को दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 52 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

15.33 इस मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राजभाषा विभाग से 03 गैर–सरकारी सदस्यों के नामांकन के संबंध में माननीय राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) के अनुमोदन और समिति के पुनर्गठन के संम्बध में मसौदा संकल्प के साथ अपेक्षित सहमति पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

लोक शिकायतों का निवारण

15.34 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी लोक शिकायतों पर कार्रवाई करता है। दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, 21,981 लोक शिकायतें आनलाइन प्राप्त हुईं और 11,933 लोक शिकायतें सीधे ही प्राप्त हुईं। इन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

15.35 संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) को निदेशक , लोक शिकायत के रूप में नामित किया गया है। निदेशक , लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या इत्यादि स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

5.36 प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

संसदीय काया

15.37 गृह मंत्रालय ऐसे व्यापक विषयों को निपटाता है, जिनकी प्रकृति जटिल और संवेदनशील होती है और जिन पर सतत संसदीय ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है। यह संसद में किए जाने वाले गृह मंत्रालय के विधायी और गैर विधायी कार्य से परिलक्षित होता है। मंत्रालय के कार्यकरण की विभिन्न संसदीय समितियों, यथा गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति आदि द्वारा सतत निगरानी की जाती है।

15.38 दिनांक 01.09.2014 को गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया और दिनांक 01.04.2015 से 29.02.2016 की अवधि के दौरान समिति ने विभिन्न अवसरों पर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न मामलों पर चर्चा की:–

क्रम सं.	बैठक की तारीख	विषय
1.	07.05.2015	प्राकृतिक आपदा
2.	11.06.2015	सीमा प्रबंधन
3.	29.06.2015	आपदा प्रबंधन (हुदहुद चक्रवात) और दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष का दौरा
4.	10.08.2015	आपदा प्रबंधन (हुदहुद चक्रवात)
5.	10.09.2015	सीमा प्रबंधन
6.	22.09.2015	सीमा प्रबंधन
7.	08.10.2015	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
8.	02.11.2015 से 07.11.2015	सीमा प्रबंधन की जांचः भारत–बांग्लादेश
9.	18.11.2015	सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द
10.	08.12.2015	सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द
11.	05.01.2016	देश के पूर्वोत्तर भाग (एनई) के अनेक राज्यों में रह रहे पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं

15.39 वर्ष 2015 के दौरान (दिनांक 31.12.2015 तक) निम्नलिखित विभिन्न विषयों पर परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं:

क्रम सं.	बैठक की तारीख	विषय
1.	07.02.2015	आईवीएफआरटी और आगमन पर पर्यटक वीजा
2.	13.07.2015	तटीय सुरक्षा
3.	06.11.2015	मानव दुर्व्यापार और महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा

विभागीय लेखा संगठन

लेखा–परीक्षा आपत्तियां/पैरा

15.40 गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन (डी ए ओ) गृह मंत्रालय के आन्तरिक वित्त स्कंध के भाग के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों के भुगतान, लेखांकन एवं आन्तरिक लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभागीय लेखा संगठन मंत्रालय से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करता है और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करता है जो समग्र रूप से भारत सरकार के आंकड़ों को समेकित करता है। विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए) होता है, जो मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आन्तरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की सक्षम प्रणाली को बनाए रखता है। विभागीय लेखा संगठन अपने भुगतान एवं लेखा कार्यों को संचालित करने के लिए "कम्पैक्ट" नामक व्यय लेखा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करता है। कम्पैक्ट के आँकड़ों को "ई–लेखा" नामक वेब–आधारित एप्लीकेशन पर डाला जाता है, जिसमें सही समय पर रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है, जो मंत्रालय के लिए व्यय सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन बजट को तैयार करने, बजट को निष्पादित करने तथा बजट की रिपोर्टिंग करने में आन्तरिक वित्त प्रभाग की भी सहायता करता है।

15.41 लेखा महानियंत्रक के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध ने गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा की है। संशोधित आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली, 2009

में भी मंत्रालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जोखिम आधारित एवं निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा–परीक्षा कार्य को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए) इस समिति के उपाध्यक्ष हैं और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, (जो मुख्य लेखा परीक्षा कार्यपालक भी हैं), इसके सदस्य सचिव हैं। इस समय बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) में 175 की स्वीकृत संख्या की तुलना में 97 कर्मी हैं। यह स्वीकृत संख्या वर्ष 1976 की है और बीएसएफ/सीआरपीएफ के मामले में कई वर्षों पहले की है। इन वर्षों में डीडीओ की संख्या में कई गुणा (3–4 गुणा) वृद्धि हुई है। सीजीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए 627 कर्मचारियों की आवश्यकता है।

15.42 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, गृह मंत्रालय में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा आरंभ करने से नई चुनौतियां आएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य अति सावधानी और दक्षता से किया जाए, इसके लिए अनिवार्य है कि हमारे आंतरिक लेखा परीक्षक जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की तकनीकी संरचना, मानकों के अनुप्रयोग और व्यावहारिक लेखा परीक्षा कौशल में भी व्यापक रूप से प्रशिक्षित हों। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ को अपनी जानकारी और कौशल को लगातार अद्यतन करने, आईआईए और आईएसटीसीए आदि जैसे व्यावसायिक निकायों से आंतरिक लेखापरीक्षा, आई टी लेखापरीक्षा घोटाला जांच आदि से संबंधित व्यावसायिक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

15.43 एक आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर भी आरम्भ किया गया है। गृह मंत्रालय की अनेक यूनिटों का नियमित लेखापरीक्षा अनुपालन करने के अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध अनेक राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु समेकित लेखा परीक्षा और सुरक्षा संबंधी व्यय का अर्द्धवार्षिक लेखापरीक्षा करता है।

15.44 वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान और दिसम्बर, 2015 तक आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित लेखा परीक्षाएं की गईः

1. कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना का लेखापरीक्षा।
2. बीएसएफ एयरविंग की लेखापरीक्षा।
3. सीआईएसएफ की तैनाती शुल्कों की लागत की लेखापरीक्षा।
4. गुरुद्वारा निर्वाचन आयोग, पंजाब के संबंध में लेखापरीक्षा।
5. गृह मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा आरंम्भ की गई परियोजनाओं की लेखापरीक्षा।
6. सीआरपीएफ अस्पताल झड़ौदा कलां, नई दिल्ली में मेडिकल सुविधाओं की लेखापरीक्षा।
7. आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना की लेखापरीक्षा।
8. गैर–सरकारी संगठनों के संबंध में विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की लेखापरीक्षा।
9. एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय चक्रवात राहत एवं न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) की लेखापरीक्षा।

15.45 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, विभिन्न केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बगैर), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। 10 अनुदान मांगें इन सभी एजेंसियों की व्यय संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। आन्तरिक लेखा–परीक्षा के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के कार्यों एवं वित्तीय विवरणों

की सांविधिक लेखा परीक्षा भी की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

15.46 प्रारंभ में व्यय की लेखा–परीक्षा करने के पश्चात, लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो समय पर इन टिप्पणियों का निपटान करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक, संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा संबंधी पैराग्राफ तैयार करते हैं जिन पर मंत्रालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणियां तैयार करनी होती हैं। लेखापरीक्षा पैराग्राफों का तत्परता से निपटान करने हेतु, लेखापरीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैराग्राफों की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 78 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, 33 नए पैराग्राफ प्राप्त हुए थे, जिससे इनकी कुल संख्या 111 हो गई। इनमें से, इस अवधि के दौरान 63 पैराग्राफों का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे 48 पैराग्राफ शेष हैं।

15.47 दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार. गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 5,462 थी। दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, निपटान किए गए तथा प्राप्त निरीक्षण पैरा की कुल संख्या क्रमशः 1324 तथा 1582 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 5,720 थी। इन पैराओं के निपटान की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक संगठन की स्थिति अनुलग्नक–XVI में दी गई है।

15.48 गृह मंत्रालय से संबंधित वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा भेजी गई सीएंडएजी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण लेखा टिप्पणियों का विवरण प्राप्त हो गया है। अपेक्षित सूचना अनुलग्नक XVII , XVIII एवं XIX पर संलग्न है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

15.49 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करने के लिए दिनांक 30.04.2015 को शिकायत निवारण समिति का पुर्नगठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और चार महिला सदस्य हैं। स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को शिकायत समिति में शामिल किया गया हैं। इस वर्ष यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

15.50 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, उप–सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को लाभ

15.51 केन्द्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में 3% आरक्षण (नेत्रहीनता अथवा कमजोर नजर, बहरेपन और चलने–फिरने (लोकोमीटर) की अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय घात प्रत्येक के लिए 1%) निर्धारित किया है।

15.52 गृह मंत्रालय में 12 नेत्रहीन, 02 बधिर और 10 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

15.53 काम के स्वरूप के आधार पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 'वर्दीधारी कार्मिकों' की सभी श्रेणियों के पदों को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्राप्त है।

लिंग सापेक्ष बजट प्रावधान

15.54 गृह मंत्रालय में महिलाओं के लाभ के लिए की गई पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ)

15.55 सीआईएसएफ ने योजनागत स्कीम के अन्तर्गत निधियों का उपयोग करते हुए महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों (एफडब्ल्यूसी) का निर्माण करने की पहल की है।

15.56 सी आई एस एफ की चतुर्थ रिजर्व बटालियन शिवगंगा (तमिलनाडु) में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण दिनांक 30.09.2013 को पूरा हो गया है। वर्ष 2013–14 में इसकी द्वितीय रिजर्व बटालियन रांची में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है और अब तक 90% कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न नए स्थलों जैसे प्रथम रिजर्व बटालियन चुनार, 6ठीं रिजर्व बटालियन गोवा, 7वीं रिजर्व बटालियन जम्मू, 9वीं रिजर्व बटालियन गुवाहाटी, 10वीं रिजर्व बटालियन बंगलौर और गाजियाबाद में सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी में नए परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण हेतु 4.50 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की संभावना है।

15.57 ये परिवार कल्याण केन्द्र अनन्य रूप से महिलाओं के लिए हैं ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्रियों के उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए नए कौशल सीख सकें।

15.58 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
44	890	5571	6505

15.59 सीआईएसएफ के संबंध में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान केवल महिलाओं के लाभ वाली योजनाओं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रु में)

योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16 (सहमत)	बजट अनुमान 2016–17 (अनुमानित)
क्रेच–कोड शीष–50 के तहत सुविधाएं अन्य प्रभार (योजनेतर)	00.49	00.40	00.34

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

15.60 भारत सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन को अनुमोदित किया था। आज की तिथि के अनुसार ऐसी छह बटालियनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है (88 बटालियन, 135 बटालियन, 213 बटालियन, 232 बटालियन और 233 बटालियन)। 232 बटालियन इस समय अजमेर, राजस्थान और 233 बटालियन लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। दिनांक 01.04.2015 को 233 बटालियन की स्थापना के बाद इसके लिए भर्ती चल रही है और वर्ष 2016–17 में एक महिला बटालियन की स्थापना की गई है। आपरेशनल महिला बटालियनें दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात) और नागपुर (महाराष्ट्र) मे तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को समूह केन्द्रों और आरएएफ में तैनात किया जाता है और अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी डयूटी में अपने पुरुष साथियों को प्रभावी रूप से सहायता प्रदान कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

15.61 दिनांक 01.12.2015 की स्थिति के अनुसार सीआरपीएफ में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
290	**814**	**5203**	**6307**

महिला कर्मचारियों की अनुमानित वार्षिक वेतन लागत लगभग 220.00 करोड रु. है।

15.62 महिला कार्यबल द्वारा अपनी ड्यूटी सहज रूप से करने के लिए, सी आर पी एफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चल प्रसाधन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

15.63 सभी स्तरों पर महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित अंतराल पर महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.64 125 महिला फार्म्ड पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली भारतीय महिला फार्म्ड पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू) दिनांक 30.01.2007 को लाइबेरिया पहुंची और दिनांक 08.02.2007 से यूनिटी कान्फ्रेंस सेंटर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया। एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है। वर्तमान बैच, अर्थात 125 महिला अधिकारियों/महिलाओं की एफएफपीयू की 9वीं टुकड़ी फरवरी, 2015 से लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएल) के अधीन मोनरोविया, लाइबेरिया में तैनात है। इस टुकड़ी की अदला–बदली की जानी है और फरवरी, 2016 के दौरान इसे एफएफपीयू के 10वें बैच से बदला जाएगा।

15.65 बल, महिला कर्मचारियों के अलावा, बल कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए परिवार की महिला सदस्यों के लिए अनन्य रूप से परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण किया है। महिला कर्मचारियों और बल कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

i. महिला हॉस्टल।

ii. मनोरंजन/कर्मचारी कक्ष में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।

iii. महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।

iv. म्यूजिक सिस्टम और टी वी आदि का प्रावधान।

v. सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi. अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया करना।

vii. विशेष रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक गतिविधियां।

सीआरपीएफ के संबंध में वर्ष 2015–2016 और 2016–17 के दौरान केवल महिलाओं के लाभ वाली योजना और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं।

(करोड़ रू में)

योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16 (सहमत)	बजट अनुमान 2016–17 (अनुमानित)
क्रेच–कोड शीर्ष–50 के तहत सुविधाएं अन्य प्रभार (योजनेतर)	00.50	00.50	00.50

सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)

15.66 एसएसबी में कार्मिकों की प्राधिकृत स्वीकृत नफरी 91,234 है, जिसमें से 1,204 महिला कार्मिक एसएसबी की नफरी में हैं। एसएसबी को दिनांक 07.08.2014 के मंजूरी पत्र के तहत 21 महिला कंपनियां अर्थात् महिला बटालियन गठित करने के लिए 2, 772 कार्मिकों की मंजूरी प्रदान की गई है।

15.67 सशस्त्र सीमा बल में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं चल रही हैं:–

i) सीमा चौकियों में तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसाधन, बाथरुम, कुकहाउस एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।

ii) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं।

iii) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।

iv) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं अर्थात म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एवं डी वी डी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।

v) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर एक पर एक समिति है।

15.68 महिलाओं के लिए उदार स्थानांतरण नीतिः जहां तक संभव हो, सभी महिला कार्मिकों को उनके मूल स्थान के नजदीक स्थित यूनिटों/फ्रंटियर में नियुक्त किया जाएगा और यदि पति और पत्नी दोनों एसएसबी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा।

15.69 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
43	97	1064	1204

15.70 सशस्त्र सीमा बल के संबंध में वर्ष 2015–16 के दौरान और वर्ष 2016–17 के लिए अनुमानित केवल महिलाओं के लाभ वाली योजनाएं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू में)

योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16 (सहमत)	बजट अनुमान 2016–17 (अनुमानित)
क्रेच–कोड शीर्ष–50 के तहत सुविधाएं अन्य प्रभार (योजनेतर)	00.22	00.22	00.25

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)

15.71 आईटीबीपी की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए अनन्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

(i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों (एफटीआर एचक्यू), 15 सेक्टर मुख्यालयों (एस एच क्यू), 56 यूनिट बटालियन मुख्यालयों (बी एच क्यू), 03 रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्रों (आर टी सी), 13 प्रशिक्षण केन्द्रों (अन्य) और लॉजिस्टिक एवं संचार (एल एण्ड सी) एस एच क्यू की 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित पृथक महिला बैरक आबंटित किए गए हैं।

(ii) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iii) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान किया गया है।

(iv) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया मुहैया कराने सहित डे केयर सेंटर/क्रेच/सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कुल 7 क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:– चमोली, चंडीगढ़, सिक्किम, उत्तरकाशी, पंचकुला प्रत्येक में एक और देहरादून में दो।

(v) अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को अनन्य रूप से कढ़ाई और सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराना।

15.72 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और चल प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार, रोल काल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श किया जाता है। महिला

अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

15.73 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः–

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
86	175	1364	शून्य	1625

15.74 इस समय 10 महिला आई टी बी पी कार्मिक कांगो/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

15.75 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन (एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए) नामक एक पंजीकृत कल्याण सोसाइटी चला रही है और इसका पंजीकरण सं. 1998 का 32,591 है। हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत है तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके उप–कार्यालय बटालियनों और अलग–अलग प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थित हैं, जहां भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों के परिवारों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न प्रकार की कल्याण गतिविधियां की जा रही हैं। इन केन्द्रों में, इन परिवारों द्वारा ऊनी वस्त्रों की बुनाई, होजरी की मदें, जैम/जूस बनाने और आईटीबीपी के जवानों की वर्दी तैयार करने के कार्य किए जाते हैं। इन गतिविधियों से न केवल आईटीबीपी के कर्मियों के परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है, बल्कि बल के सभी स्तरों के सदस्यों और उनके परिवारों के बीच साहचर्य का भी विकास होता है। हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन की आय का स्रोत स्वैच्छिक दान, अनुदान एवं संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए अंशदान तथा हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन के बिक्री केन्द्रों आदि द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों (मेला) में बिक्री से हुई आय है। एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए की समस्त आय का उपयोग केवल परिवारों के कल्याण और आईटीबीपीएफ के कर्मियों के बच्चों की उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है।

15.76 अलग–अलग सीएपीएफ में क्रेच सुविधा योजना संचालित है और उनके लिए किया गया बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	सीएपीएफ का नाम	योजना का नाम	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16 (सहमत)	बजट अनुमान 2016–17 (अनुमानित)
1.	आईटीबीपी	क्रेच–कोड शीर्ष–50 के तहत सुविधाएं–अन्य प्रभार (योजनेतर)	00.10	00.10	00.10

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

15.77 बीएसएफ द्वारा अनन्य रूप से महिला कर्मचारियों के लाभ वाली निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं पूर्ण की गईः

(i) दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 16 सीमा चौकियों पर शौचालय, रसोईघर सह डाइनिंग हाल के साथ समस्त महिला आवास।

(ii) उत्तरी बंगाल फ्रंटियर की 14 सीमा चौकियों पर शौचालय, रसोईघर सह डाइनिंग हाल के साथ समस्त महिला आवास।

(iii) एसटीसी, बीएसएफ उत्तरी बंगाल पर शौचालय के साथ महिला आवास।

(iv) 25 बटालियन छावला कैंप दिल्ली में 05 बैरकों और 09 शौचालयों तथा स्नानागार के साथ महिला आवास।

(v) संलग्न शौचालय के साथ 10 बिस्तरों वाली 78 महिला बैरकें, जिनमें सीमा चौकियों (बटालियन मुख्यालय में 02) पर मनोरंजन सुविधाएं और पंजाब फ्रंटियर के बाड़ वाले गेट पर 227 शौचालय हैं।

(vi) एसटीएस टिगरी में संलग्न शौचालय के साथ 01 महिला आवास (बैरक)

(vii) एसटीसी, बीएसएफ, टेकनपुर में अधीनस्थ अधिकारियों के लिए 01 महिला हॉस्टल (15 स्यूट)

15.78 विभिन्न समूहों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
93	307	3747	4147

15.79 बीएसएफ के संबंध में 2015–16 और 2016–17 के दौरान अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ वाली योजनाएं और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रू. में)

योजना के ब्यौरे	बजट अनुमान 2015–16	संशोधित अनुमान 2015–16 (सहमत)	बजट अनुमान 2016–17 (अनुमानित)
क्रेच–कोड शीर्ष–50 के तहत सुविधाएं अन्य प्रभार (योजनेतर)	0.30	0.30	0.50

*****

अनुलग्नक

गृह मंत्रालय

वर्ष 2015–2016 (दिनांक 16/02/2016 की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री राजनाथ सिंह	गृह मंत्री
श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी श्री किरेन रिजिजू	गृह राज्य मंत्री
श्री राजीव महर्षि (31.08.2015 से) (अपराह्न) श्री एल.सी. गोयल (31.08.2015 तक)	गृह सचिव
श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (01.05.2015 से) सुश्री स्नेहलता कुमार (30.04.2015 तक)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री अशोक प्रसाद (31.01.2016 तक) श्री महेश कुमार सिंगला (08.02.16 से)	सचिव/विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
सुश्री संजीवनी कुट्टी श्री जयदीप गोविंद श्री ब्रज किशोर प्रसाद श्री शैलेश (11.01.16 तक) श्री एम. गोपाल रेड्डी (22.12.2015 से) श्री अनंत कुमार सिंह (01.09.2015 तक)	अपर सचिव
श्री शैलेश (29.07.2015 तक) श्री वी. वुमलुनमां श्री सतपाल चौहान श्री मुकेश मित्तल (18.05.2015 से) श्री वी. शशांक शेखर श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद (03.11.2015 से) श्रीमती वीना कुमारी मीना श्री सत्येन्द्र गर्ग (04.11.2015 से) श्री एम.ए. गणपति श्री कुमार आलोक श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी श्री दिलीप कुमार श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी (01.05.2015 से) श्री एम. गोपाल रेड्डी (21.12.2015 तक) श्री प्रदीप गुप्ता (09.11.2015 से) श्री हितेश कुमार एस. मकवाना श्री राजित पुनहानी श्री भगवान शंकर (10.11.2015 तक) श्री जी.वी. वेणुगोपाल शर्मा (11.04.2015 तक) श्री के.के. पाठक (27.10.2015 तक) श्री राकेश सिंह (01.09.2015 तक) श्रीमती रश्मि गोयल (30.04.2015 तक) श्री शंभु सिंह (13.09.2015 तक) श्री प्रवीण वशिष्ठ (14.01.2016 से) श्रीमती बीना प्रसाद डा. आर.के. मित्रा श्री वेदांतम गिरि	संयुक्त सचिव
श्री एम. प्राण कोंचाडी	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक-II
(संदर्भ पैरा 1.4)

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (11.02.2016 की स्थिति के अनुसार)

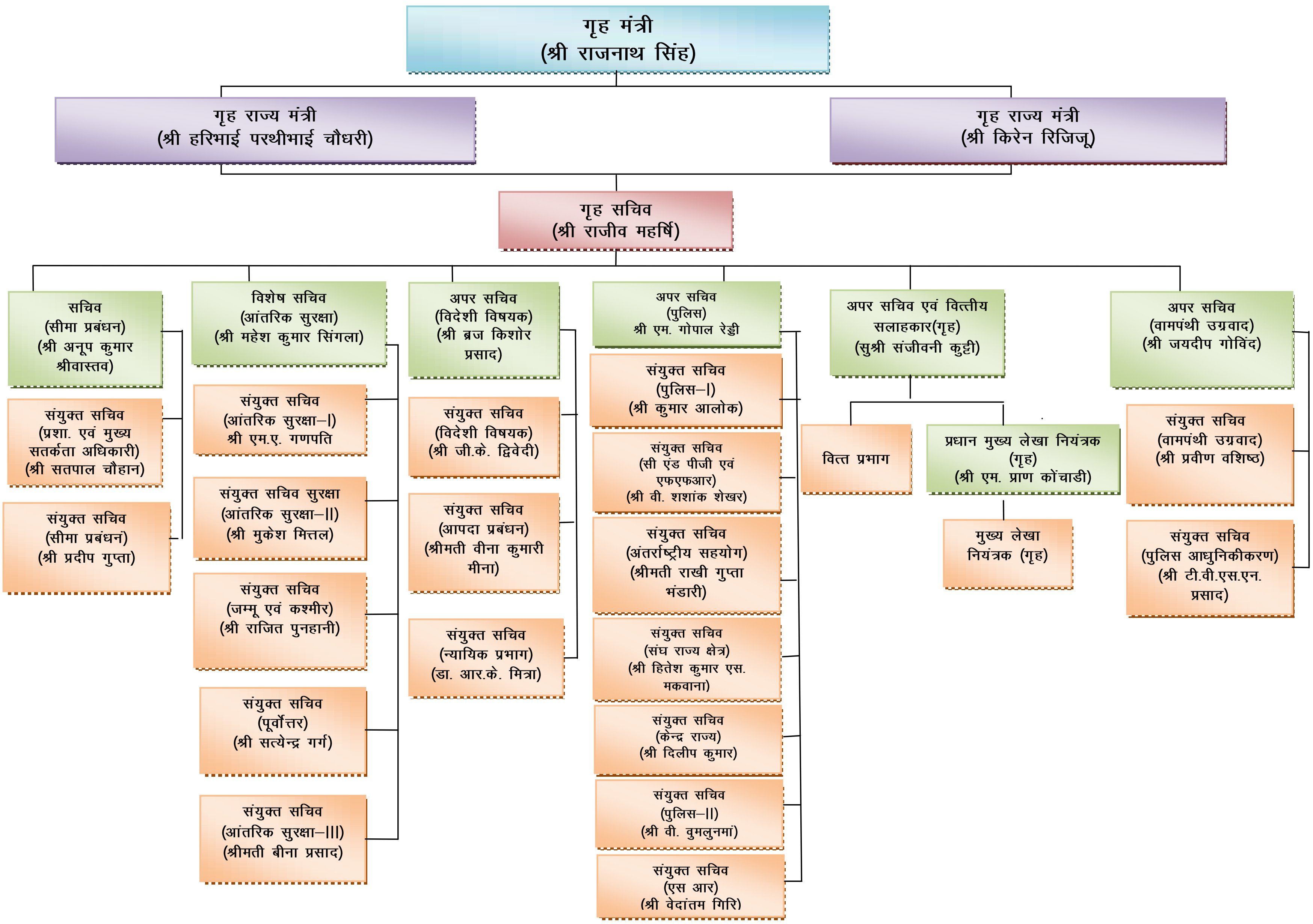

अनुलग्नक-III

(संदर्भ पैरा 2.30)

वर्ष 2007–2015 के दौरान पूर्वोत्तर में सुरक्षा की राज्य–वार स्थिति

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	35	17	25	11	05	12	05
2008	28	12	06	08	-	03	75
2009	53	32	19	57	-	03	30
2010	32	53	11	52	-	02	15
2011	53	51	21	23	-	06	28
2012	54	66	14	17	-	05	17
2013	21	49	07	02	01	02	09
2014	33	86	09	07	-	02	49
2015	36	55	05	03	03	01	33

असम

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	474	408	122	229	27	287	89
2008	387	403	110	724	18	245	102
2009	424	359	194	616	22	152	91
2010	251	370	109	547	12	53	72
2011	145	378	46	789	14	18	72
2012	169	412	59	757	05	27	79
2013	211	348	52	92	05	35	125
2014	246	319	102	102	04	168	94
2015	81	645	49	30	-	09	27

मणिपुर

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	584	1217	219	07	39	130	39
2008	740	1711	364	37	16	137	80
2009	659	1532	336	28	19	81	52
2010	367	1458	108	60	06	33	43
2011	298	1365	28	284	10	26	34
2012	518	1286	65	350	08	21	57
2013	225	918	25	513	05	28	22
2014	278	1052	23	80	08	16	29
2015	229	805	41	04	24	15	26

मेघालय							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	28	31	14	40	01	09	09
2008	16	67	07	14	02	01	05
2009	12	41	06	20	-	03	04
2010	29	78	14	27	-	04	11
2011	56	57	11	39	08	12	23
2012	127	92	16	20	01	36	64
2013	123	75	21	10	07	30	33
2014	179	173	35	733	06	24	110
2015	123	121	25	78	07	12	87

मिजोरम							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	02	02	06	13	-	02	-
2008	01	13	-	-	04	-	-
2009	01	-	-	-	-	01	-
2010	-	-	-	-	-	-	-
2011	01	04	-	02	-	-	02
2012	-	02	-	-	-	-	06
2013	01	03	-	-	-	-	06
2014	03	-	-	03	-	-	14
2015	02	04	-	-	03	-	13

नागालैंड							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	272	98	109	04	01	44	85
2008	321	316	140	04	03	70	110
2009	129	185	15	06	-	16	35
2010	64	247	05	12	-	-	42
2011	61	267	08	-	-	07	59
2012	151	275	66	04	-	08	93
2013	145	309	33	01	-	11	100
2014	77	296	12	-	-	01	65
2015	102	268	29	13	09	09	78

त्रिपुरा							
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन	अपहृत व्यक्ति
2007	94	64	19	220	06	14	65
2008	68	44	13	325	03	10	44
2009	19	14	01	293	01	08	18
2010	30	07	-	148	02	02	31
2011	13	19	-	25	-	01	32
2012	06	12	02	13	-	-	13
2013	06	10	-	22	-	01	12
2014	08	08	-	40	02	01	08
2015	01	02	-	15	-	-	03

अनुलग्नक-IV

(संदर्भ पैरा 2.56)

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन "विधिविरुद्ध संगठनों" और "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित किए गए पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख उग्रवादी/विद्रोही संगठनों की सूची

	असम	
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)	–तदैव–
(iii)	कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन
	मणिपुर	
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)	–तदैव–
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पी आर ई पी ए के)	–तदैव–
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी)	–तदैव–
(v)	कांगलेई याओल कन्ना लुप (के वाई के एल)	–तदैव–
(vi)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)	–तदैव–
(vii)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ) और	–तदैव–
(viii)	कोआर्डिनेशन कमेटी कोर–कम (घाटी आधारित 6 यूजी दलों का समूह)	–तदैव–
	मेघालय	
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (एच एन एल सी)	विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन
	त्रिपुरा	
(i)	आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)	–तदैव–
	नागालैंड	
(i)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग)– [एन एस सी एन / के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध संगठन
(ii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुइवाह) [एन एस सी एन आई/एम]	सरकार के साथ युद्ध-विराम करार
(iii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खोले–किटोवी) [एन एस सी एन (केके)]	
(iv)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (रिफार्मेशन) [एन एस सी एन (आर)]	

अनुलग्नक-V

(संदर्भ पैरा 2.70)

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत जारी निधियों का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अरुणाचल प्रदेश	9.13	7.00	11.53	10.07	14.72	11.50	10.75	7.08	2.00	10.77	9.69	2.85
असम	41.37	56.68	52.18	87.82	68.11	60.79	48.51	48.02	13.41	59.93	43.29	1.98
मणिपुर	15.24	16.97	14.09	32.07	39.23	27.44	26.63	38.76	4.85	20.64	28.45	7.31
मेघालय	7.58	6.57	8.59	15.44	10.81	9.73	8.48	6.69	1.91	8.12	6.98	0.28
मिजोरम	7.45	6.00	10.48	11.00	12.69	11.48	19.55	13.18	6.40	17.92	19.03	4.34
नागालैंड	13.09	17.52	22.68	30.72	38.42	31.50	33.77	30.08	5.46	33.88	31.39	11.41
सिक्किम	5.90	2.43	3.46	4.42	6.12	4.72	2.17	5.02	0.90	5.09	3.57	0.13
त्रिपुरा	11.17	11.83	11.34	14.47	20.66	22.92	23.08	16.35	3.99	20.19	22.69	5.16
कुल	**110.93**	**125.00**	**134.35**	**206.01**	**210.76**	**180.08**	**172.94**	**165.18**	**38.92**	**176.59**	**165.09**	**33.46**

(संदर्भ पैरा 2.71)

वर्ष 2004–05 से 2015–16 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) का ब्यौरा (करोड़ रू. में)							
जारी निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2004-05	75.40	26.49	9.44	36.17	1.56	1.35	**150.41**
2005-06	63.91	24.83	33.65	27.00	13.17	1.35	**163.91**
2006-07	90.86	25.55	13.60	18.24	3.91	1.28	**153.44**
2007-08	75.61	21.97	14.45	16.47	5.88	3.02	**137.40**
2008-09	108.60	33.13	21.58	45.04	6.24	5.45	**220.04**
2009-10	60.56	41.23	27.26	11.85	1.93	7.17	**150.00**
2010-11	92.04	79.81	27.28	21.12	3.16	16.57	**239.98**
2011-12	153.04	83.11	28.88	39.25	27.82	17.90	**350.00**
2012-13	112.86	69.36	20.62	11.32	-	50.74	**264.90**
2013-14	159.18	42.50	25.01	42.18	16.60	4.53	**290.00**
2014-15	106.69	57.88	37.76	27.23	12.61	18.83	**261.00**
2015-16 (दिनांक 31.12.2015 तक)	140.00	67.60	45.78	11.18	12.63	0.92	**278.07**

(संदर्भ पैरा 2.72)

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का विवरण

(लाख रू. में)

संगठन का नाम	वर्ष					
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 (दिनांक 31.12.2015 तक)**
बीएसएफ	345.80	200.00	230.00	262.50	50.00	150.00
सीआरपीएफ	216.00	51.00	150.00	-	27.00	150.00
आईटीबीपी	0.00	85.00	100.00	68.00	75.00	100.00
एसएसबी	218.16	165.00	150.00	17.76	69.00	70.00
असम राइफल्स	405.45	300.00	200.00	350.00	200.00	350.00
सेना	105.00	100.00	120.00	150.00	179.00	180.00
कुल	**1290.41**	**901.00**	**950.00**	**848.26**	**600.00**	**1000.00**

अनुलग्नक-VIII

(संदर्भ पैरा 7.2)

क्रम.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (2011 की जनगणना)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली	491	3,42,853
4.	दमण और दीव	112	2,43,911
5.	लक्षद्वीप	32	64,429
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
7.	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	**10,960**	**2,00,82,522**

अनुलग्नक-IX

(संदर्भ पैरा 7.2)

संघ राज्य क्षेत्र का नाम		2013-14			2014-15		2015-16
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमोन	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	संशोधित अनुमोन	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान
पुदुचेरी							
योजना	672.48	642.48	642.48	814.00	788.00	788.00	744.01
योजनेतर	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	628.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली							
योजना	1075.31	662.52	582.52	325.00	325.00	325.00	394.99
योजनेतर	2.00	1.00	00.00	2.50	2.50	2.00	1.00

अनुलग्नक-X

(संदर्भ पैरा 10.60)

वर्ष 2015–16 के दौरान चक्रवात/आकस्मिक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने आदि के कारण हुई क्षति का राज्य–वार ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

(अनंतिम) दिनांक 18.12.2015 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए लोगों की संख्या	मारे गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आन्ध्र प्रदेश	81	3,509	29,941	2.19
2	अरुणाचल प्रदेश	20	1,237	550	0.14
3	असम	64	2,488	51,434	3.29
4	बिहार	158	51	1,30,576	8.08
5	गुजरात	156	19,388	62,006	2.59
6	हिमाचल प्रदेश	133	686	3,264	0.43
7	जम्मू और कश्मीर	21	97	1,989	--
8	केरल	67	4	6,431	--
9	महाराष्ट्र	2	--	--	--
10	मणिपुर	16	--	4,679	0.39
11	मेघालय	5	--	4	--
12	नागालैंड	5	--	180	0.04
13	ओडिशा	5	--	839	--
14	पंजाब	11	14	126	--
15	राजस्थान	40	--	17	--
16	सिक्किम	1	1	2,012	--
17	तमिलनाडु	406	7,351	1,72,978	0.92
18	त्रिपुरा	1	--	11,179	--
19	उत्तर प्रदेश	40	15	14	--
20	उत्तराखंड	31	177	410	--
21	पश्चिम बंगाल	193	23,120	8,22,978	13.02
22	पुदुचेरी	4	919	1,764	--
	कुल:	**1,460**	**59,057**	**13,13,371**	**31.09**

(संदर्भ पैरा 10.65)

वर्ष 2015–2020 के दौरान राज्य आपदा राहत कोष

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल 2015-20
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आन्ध्र प्रदेश	440	462	485	509	534	2430
2.	अरूणाचल प्रदेश	52	55	57	60	63	287
3.	असम	460	483	507	532	559	2541
4.	बिहार	469	492	517	543	570	2591
5.	छत्तीसगढ़	241	253	265	278	292	1329
6.	गोवा	4	4	4	4	4	20
7.	गुजरात	705	740	777	816	856	3894
8.	हरियाणा	308	323	339	356	374	1700
9.	हिमाचल प्रदेश	236	248	260	273	287	1304
10.	जम्मू और कश्मीर	255	268	281	295	310	1409
11.	झारखंड	364	382	401	421	442	2010
12.	कर्नाटक	276	290	305	320	336	1527
13.	केरल	185	194	204	214	225	1022
14.	मध्य प्रदेश	877	921	967	1016	1066	4847
15.	महाराष्ट्र	1483	1557	1635	1717	1803	8195
16.	मणिपुर	19	20	21	22	23	105
17.	मेघालय	24	25	27	28	29	133
18.	मिजोरम	17	18	19	20	20	94
19.	नागालैंड	10	10	11	11	12	54
20.	ओडिशा	747	785	824	865	909	4130
21.	पंजाब	390	409	430	451	474	2154
22.	राजस्थान	1103	1158	1216	1277	1340	6094
23.	सिक्किम	31	33	34	36	38	172
24.	तमिलनाडु	679	713	748	786	825	3751
25.	तेलंगाना	274	288	302	317	333	1514
26.	त्रिपुरा	31	33	34	36	38	172
27.	उत्तर प्रदेश	675	709	744	781	820	3729
28.	उत्तराखंड	210	220	231	243	255	1159
29.	पश्चिम बंगाल	516	542	569	598	628	2853
	कुल	**11081**	**11635**	**12214**	**12825**	**13465**	**61220**

अनुलग्नक-XII

(संदर्भ पैरा 10.68)

वर्ष 2015–2016 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आन्ध्र प्रदेश	330.00	110.00	440.00	165.00	165.00	181.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.80	5.20	52.00	23.40	23.40	--
3.	असम	414.00	46.00	460.00	207.00	207.00	--
4.	बिहार	351.75	117.25	469.00	175.87	--	--
5.	छत्तीसगढ़	180.75	60.25	241.00	90.375	68.975@	--
6.	गोवा	3.00	1.00	4.00	1.50	--	--
7.	गुजरात	528.75	176.25	705.00	264.375	264.375	--
8.	हरियाणा	231.00	77.00	308.00	115.50	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	212.40	23.60	236.00	106.20	106.20	82.215 (10.685+71.53)
10.	जम्मू और कश्मीर	229.50	25.50	255.00	114.50	--	--
11.	झारखंड	273.00	91.00	364.00	136.50	136.50	--
12.	कर्नाटक	207.00	69.00	276.00	103.50	103.50	1645.53 (105.33+1540.50)
13.	केरल	138.75	46.25	185.00	69.375	--	--
14.	मध्य प्रदेश	657.75	219.25	877.00	328.875	328.875	--
15.	महाराष्ट्र	1112.25	370.75	1483.00	556.125	556.125	--
16.	मणिपुर	17.10	1.90	19.00	8.55	12.50 (8.55+3.95@)	--
17.	मेघालय	21.60	2.40	24.00	10.80	--	--
18.	मिजोरम	15.30	1.70	17.00	7.65	7.65	--
19.	नागालैंड	9.00	1.00	10.00	4.50	4.50	--
20.	ओडिशा	560.25	186.75	747.00	280.125	280.125	--
21.	पंजाब	292.50	97.50	390.00	146.25	--	--
22.	राजस्थान	827.25	275.75	1103.00	413.50	413.75	1378.13
23.	सिक्किम	27.90	3.10	31.00	13.95	13.95	--
24.	तमिलनाडु	509.25	169.75	679.00	254.625	388.42 (133.795@+254.625)	1000.00$ (866.31+133.69)
25.	तेलंगाना	205.50	68.50	274.00	102.75	102.75	83.74
26.	त्रिपुरा	27.90	3.10	31.00	13.95	--	--
27.	उत्तर प्रदेश	506.25	168.75	675.00	253.125	253.125	2801.59
28.	उत्तराखंड	189.00	21.00	210.00	94.50	64.36@	--
29.	पश्चिम बंगाल	387.00	129.00	516.00	193.50	193.50	--
	कुलः	**8512.50**	**2568.50**	**11081.00**	**4255.87**	**13782.51**	**7172.84**

टिप्पणीः वर्ष 2015–16 के लिए एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की शेष किस्त राज्य सरकार द्वारा मार्गनिर्देशों के पैरा 11 में यथा उल्लिखित अपेक्षित पुष्टिकरण और सहायक दस्तावेज (अर्थात् उपयोग प्रमाण–पत्र, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि) प्रस्तुत न किए जाने की वजह से जारी नहीं की गई है।

@ इसमें पिछले वर्ष अर्थात 2014–15 के केन्द्रीय हिस्से का बकाया शामिल है।

$ 'आन एकाउंट' आधार पर जारी।

अनुलग्नक-XIII

(संदर्भ पैरा 14.5)

जनगणना 2011 के आधार पर जारी किए गए डाटासेटों का ब्यौरा

मकानसूचीकरण और मकानों की गणना

1. सभी परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी सारणियां
2. अनुसूचित जातियों के परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पत्तिसयों संबंधी सारणियां
3. अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी सारणियां
4. महिला मुखिया वाले परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पत्तितयों संबंधी सारणियां
5. मलिन बस्ती वाले परिवारों के संबंध में मकानों, परिवार की सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी सारणियां

जनसंख्या की गणना

6. लिंग और आवास के आधार पर कुल जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या (0–6 वर्ष), साक्षरों, कर्मियों को दर्शाने वाला प्राथमिक जनगणना सार ग्राम/वार्ड स्तर तक (ए 5)
7. आयु संबंधी सारणियां–कुल जनसंख्या के संबंध में एकल वर्ष (सी 13)
8. आयु संबंधी सारणियां–अनुसूचित जातियों के संबंध में एकल वर्ष (सी 13 अजा)
9. आयु संबंधी सारणियां–अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एकल वर्ष (सी 13 अजजा)
10. आयु संबंधी सारणियां–कुल जनसंख्या के संबंध में 5 वर्ष आयु समूह (सी 14)
11. आयु संबंधी सारणियां–अनुसूचित जातियों के संबंध में 5 वर्ष आयु समूह (सी 14 अजा)
12. आयु संबंधी सारणियां–अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 5 वर्ष आयु समूह (सी 14 अजजा)
13. मलिन बस्तियों का पीसीए
14. अनुसूचित जातियों का पीसीए (ए 8)
15. अनुसूचित जनजातियों का पीसीए (ए 9)
16. बेघर जनसंख्या का पीसीए (ए 6)
17. प्रकारों के आधार पर निःशक्तता संबंधी आंकड़े–कुल (सी 20)
18. प्रकारों के आधार पर निःशक्तता संबंधी आंकड़े–अनुसूचित जातियां (सी 20 अजा)
19. प्रकारों के आधार पर निःशक्तता संबंधी आंकड़े–अनुसूचित जनजातियां (सी 20 अजजा)
20. संस्थागत परिवार और जनसंख्या (ए 7)
21. जनसंख्या के आकार के आधार पर गांवों का वितरण (ए 3)
22. निवास के आधार पर ''अन्य'' लिंग की जनसंख्या
23. कुल जनसंख्या के संबंध में निवास, लिंग और साक्षरता की स्थिति के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 परिशिष्ट)
24. अनुसूचित जातियों के संबंध में निवास, लिंग और साक्षरता के स्तर के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 अजा परिशिष्ट)
25. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निवास, लिंग और साक्षरता के स्तर के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 अजजा परिशिष्ट)
26. निःशक्तता, आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मियों, अल्प कर्मियों और गैर–कर्मियों के बीच निःशक्त जनसंख्या (सी 23)
27. अलग–अलग अनुसूचित जातियों संबंधी पीसीए (ए 10)
28. प्रत्येक जाति के लिए जिला–वार जनसंख्या (ए 10 परिशिष्ट)
29. अलग–अलग अनुसूचित जनजातियों संबंधी पीसीए (ए 11)
30. प्रत्येक जनजाति के लिए जिला–वार जनसंख्या((ए 11 परिशिष्ट)
31. वर्ष 1901 से जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन संबंधी सारणी (ए 2)
32. कुल जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्यी कर्मी, अल्प कर्मी, गैर–कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर–कर्मी जो कार्य चाहते हैं/के लिए उपलब्ध हैं (बी 1)
33. अनुसूचित जातियों के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर–कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर–कर्मी

जो कार्य चाहते हैं /के लिए उपलब्ध हैं (बी 1 अजा)

34. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य– कर्मी, अल्प कर्मी, गैर–कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर–कर्मी जो कार्य चाहते हैं/के लिए उपलब्ध हैं (बी 1 अजजा)
35. कुल जनसंख्या के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर सामान्य परिवार (एचएच 1)
36. अनुसूचित जातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर सामान्य परिवार (एचएच 1 अजा)
37. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर सामान्य परिवार (एचएच 1 अजजा)
38. कुल जनसंख्या के संबंध में मुख्य गैर–आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर अल्प कर्मी (बी 11)
39. अनुसूचित जातियों के संबंध में मुख्य गैर–आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर अल्प कर्मी (बी 11 अजा)
40. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मुख्य गैर–आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर अल्प कर्मी (बी 11 अजजा)
41. कुल जनसंख्या के संबंध में मुख्य गैर–आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर गैर– कर्मी (बी 13)
42. अनुसूचित जातियों के संबंध में मुख्य गैर–आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर गैर– कर्मी (बी 13 अजा)
43. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मुख्य गैर–आर्थिक क्रियाकलाप, आयु और लिंग के आधार पर गैर– कर्मी (बी 13 अजजा)
44. परिवार के आकार के आधार पर बेघर परिवार (एचएच–02)
45. परिवारों की प्रतिशतता के रूप में परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसम्पत्तियां (गांव/वार्ड स्तर पर) (एचएच–14)
46. निःशक्तता और लिंग के प्रकार के आधार पर निःशक्त गैर–कर्मी (सी–24)
47. निःशक्त व्यक्तियों की संख्या और परिवार के आकार के आधार पर परिवार (सामान्य और बेघर) (एचएच 13)
48. कुल जनसंख्या के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर कर्मियों की संख्या सहित परिवार (सामान्य और बेघर) (एचएच 11)
49. अनुसूचित जातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर कर्मियों की संख्या सहित परिवार (सामान्य और बेघर) (एचएच 11 अजा)
50. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में परिवार के आकार के आधार पर कर्मियों की संख्या सहित परिवार (सामान्य और बेघर) (एचएच 11 अजजा)
51. आकार और कार्य चाहने वाले/के लिए उपलब्ध सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार (एचएच 12)
52. आकार और कार्य चाहने वाले/के लिए उपलब्ध महिला सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार (एचएच 12 परिशिष्टि)
53. लिंग और परिवार के आकार के आधार पर 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या सहित परिवार (एचएच 5)
54. गणना उपरांत सर्वेक्षण (पीईएस) संबंधी रिपोर्ट
55. किशोरों और युवा संबंधी विशिष्ट सारणी
56. निःशक्तता, साक्षरता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर निःशक्त जनसंख्या
57. निःशक्तता, साक्षरता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर निःशक्त जनसंख्या (अजा)
58. निःशक्तता, साक्षरता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर निःशक्त जनसंख्या (अजजा)
59. परिवार के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों के बीच साक्षरों की संख्या के आधार पर परिवार (एचएच–08)
60. परिवार के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों के बीच साक्षरों की संख्या के आधार पर परिवार (एचएच–08 अजा)
61. परिवार के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों के बीच साक्षरों की संख्या के आधार पर परिवार (एचएच–08 अजजा)
62. निःशक्तता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर 0–6 वर्ष आयु समूह में निःशक्तों का वितरण (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
63. अनुसूचित जातियों के संबंध में निःशक्तता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर 0–6 वर्ष आयु समूह में निःशक्तों का वितरण (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
64. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निःशक्तता, लिंग और निवास के प्रकार के आधार पर 0–6 वर्ष आयु समूह में निःशक्तों का वितरण (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
65. निवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 परिशिष्ट–ख) (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
66. अनुसूचित जातियों के संबंध में निवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 अजा परिशिष्ट–ख) (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
67. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 अजजा परिशिष्टि–ख) (भारत और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
68. लिंग, आर्थिक स्थिति और निवास के आधार पर निःशक्त कर्मियों का वितरण–2011 (भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)

69. अनुसूचित जातियों के संबंध में लिंग, आर्थिक स्थिति और निवास के आधार पर निःशक्त कर्मियों का वितरण–2011 (भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)
70. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग, आर्थिक स्थिति और निवास के आधार पर निःशक्तता कर्मियों का वितरण–2011 (भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)
71. आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (सी 2)
72. मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 1)
73. मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और लिंग के आधार पर कुल जीवित बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 5)
74. मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 9)
75. अनुसूचित जातियों के संबंध आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (सी 2 अजा)
76. अनुसूचित जनजातियों के संबंध आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (सी 2 अजजा)
77. अनुसूचित जातियों के संबंध में मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 1 अजा)
78. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 1 अजजा)
79. अनुसूचित जातियों के संबंध में मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और लिंग के आधार पर कुल जीवित बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 5 अजा)
80. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और लिंग के आधार पर कुल जीवित बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्यार (एफ 5 अजजा)
81. विवाह के समय आयु और विवाह की अवधि के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या (सी 4)
82. अनुसूचित जाति के संबंध में विवाह के समय आयु और विवाह की अवधि के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या (सी 4 अजा)
83. अनुसूचित जनजाति के संबंध में विवाह के समय आयु और विवाह की अवधि के आधार पर कभी भी विवाहित और इस समय विवाहित जनसंख्या (सी 4 अजजा)
84. अनुसूचित जातियों के संबंध में मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 9 अजा)
85. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या (एफ 9 अजजा)
86. एकल वर्ष आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (सी 2 परिशिष्ट)
87. अनसूचित जाति के संबंध में एकल वर्ष आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (सी 2 अजा परिशिष्ट)
88. अनसूचित जनजाति के संबंध में एकल वर्ष आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (सी 2 अजजा परिशिष्ट)
89. परिवार के मुखिया की वैवाहिक स्थिति, लिंग और आयु के आधार पर परिवार (एचएच 6)
90. निःशक्तता के प्रकार, वैवाहिक स्थिति, आयु और लिंग के आधार पर निःशक्त जनसंख्या (सी 21)
91. कुल जनसंख्या के महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी पीसीए (विशेष सारणी)
92. अनसूचित जातियों के महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी पीसीए (विशेष सारणी)
93. अनसूचित जनजातियों के महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी पीसीए (विशेष सारणी)
94. आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (अजा–07)
95. मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (अजा–11)
96. मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और कुल जीवित बच्चे तथा लिंग के आधार पर महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (अजा–12)
97. मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं

की संख्या (अजा–13)

98. निःशक्तता के प्रकार, परिवारों के प्रकार और लिंग के आधार पर निःशक्त जनसंख्या (सी–30)

99. आयु और लिंग के आधार पर वैवाहिक स्थिति (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग–अलग) (अजजा–7)

100. मौजूदा आयु, समानता और लिंग के आधार पर कभी भी जन्मे कुल बच्चों के अनुसार महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (केवल चुनिंदा जनजातियों के लिए) (अजजा–11)

101. मौजूदा आयु, जीवित बच्चों की संख्या और कुल जीवित बच्चों तथा लिंग के आधार पर महिलाओं और कभी भी विवाहित महिलाओं की संख्या (केवल चुनिंदा जनजातियों के लिए) (अजजा–12)

102. मौजूदा आयु, लिंग और जन्म क्रम के आधार पर पिछले वर्ष के जन्मों की संख्या के अनुसार महिलाओं और इस समय विवाहित महिलाओं की संख्या (केवल चुनिंदा जनजातियों के लिए) (अजजा–13)

103. 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर (सी–8)

104. 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर स्नतिक और उससे अधिक (सी–8 परिशिष्ट)

105. अनुसूचित जातियों के संबंध में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर (सी–8 अजा)

106. अनुसूचित जातियों के संबंध में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर स्नातक और उससे अधिक (सी–8 अजा परिशिष्ट)

107. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तर (सी–8 अजजा)

108. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या के संबंध में लिंग के आधार पर शैक्षणिक स्तेर स्नातक और उससे अधिक (सी–8 अजजा परिशिष्ट)

109. धार्मिक समुदाय के नाम पर जनसंख्या (सी 1)

110. आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्था के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या (सी 10)

111. अनुसूचित जातियों के संबंध में आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्था के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या (सी 10 अजा)

112. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयु, लिंग और शैक्षणिक संस्था के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाली जनसंख्या (सी 10 अजजा)

113. परिवार के आकार के आधार पर शैक्षणिक स्तर मैट्रिकुलेशन और उससे अधिक के साथ अथवा बिना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सदस्यों सहित परिवार जारी कर दिए गए हैं (एचएच 10)

114. बी–3ः शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर–कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर–कर्मी जो कार्य चाहते हैं /के लिए उपलब्ध हैं।

115. बी–3 अजाः अनुसूचित जातियों के संबंध में शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकृत, मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर–कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर–कर्मी, जो कार्य चाहते हैं/के लिए उपलब्ध हैं।

116. बी–3 अजाः अनुसूचित जनजातियों के संबंध में शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर वर्गीकृत मुख्य कर्मी, अल्प कर्मी, गैर–कर्मी और ऐसे अल्प कर्मी, गैर–कर्मी जो कार्य चाहते हैं/के लिए उपलब्ध हैं।

117. बी–9 : शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मी।

118. सी–11 : शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग के आधार पर शैक्षणिक संस्थान में जाने वाली जनसंख्या।

119. बी–28 : निवास स्थान से कार्य के स्थान की दूरी और कार्य के स्थान पर जाने के लिए यात्रा के प्रकार के आधार पर अन्य कर्मी।

120. एफ–3ः कभी भी जन्मे बच्चों की संख्या, कभी भी जन्मे लड़कों एवं लड़कियों की संख्या और जीवित बच्चों की संख्या के आधार पर कभी भी विवाहित महिलाएं : 2011

121. एफ–14 : कभी भी जन्मे बच्चों की संख्या, कभी भी जन्मे लड़कों एवं लड़कियों की संख्या और लिंग के अनुसार जीवित बच्चों की संख्या के आधार पर मौजूदा विवाहित महिलए – 2011

122. बी–15 : मुख्य गतिविधि, शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर गैर–कर्मी।

123. बी–16 : शैक्षणिक स्तर आयु और लिंग के आधार पर वर्गीकृत अल्प कर्मी और गैर–कर्मी जो कार्य चाहते है/ के लिए उपलब्ध हैं।

124. अनुसूचित जातियों के संबंध में मकानसूचीकरण प्राथमिक जनगणना का सार 2011

125. अनुसूचित जनजातियों के संबध में मकानसूचीकरण प्राथमिक जनगणना का सार 2011

126. धर्म आधारित प्राथमिक जनगणना का सार 2011

अनुलग्नक-XIV

(संदर्भ पैरा 14.33)

लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, भारत और बड़े राज्य, 2009–13,
(म0 – जन्म के समय जीवन प्रत्याशा)

(वर्षों में)

भारत और बड़े राज्य	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत*	**67.5**	**65.8**	**69.3**	**66.3**	**64.6**	**68.1**	**71.2**	**69.6**	**73.0**
आंध्र प्रदेश	67.9	65.5	70.4	66.3	63.9	68.9	72.4	69.8	75.6
असम	63.3	61.9	65.1	62.4	61.1	64.1	69.8	68.1	71.8
बिहार	67.7	67.3	68.0	67.4	67.2	67.7	70.2	69.2	71.2
गुजरात	68.2	66.0	70.5	66.5	63.9	69.4	71.1	69.6	72.6
हरियाणा	68.2	65.8	70.9	67.2	64.5	70.4	70.6	69.3	72.2
हिमाचल प्रदेश	71.0	69.0	73.1	70.6	68.4	72.7	76.1	74.7	77.8
जम्मू और कश्मीर	72.0	70.6	74.0	71.1	69.9	72.8	75.6	73.4	78.8
कर्नाटक	68.5	66.4	70.8	66.9	64.5	69.5	71.8	70.2	73.4
केरल	74.8	71.8	77.8	74.8	71.5	77.9	75.1	72.7	77.4
मध्य प्रदेश	63.8	62.3	65.5	62.7	61.1	64.5	68.8	67.4	70.3
महाराष्ट्र	71.3	69.4	73.4	70.1	67.9	72.5	73.1	71.6	74.8
ओडिशा	64.8	63.8	65.9	64.3	63.2	65.3	68.9	67.9	69.9
पंजाब	71.1	69.1	73.4	69.9	67.9	72.2	73.2	71.2	75.6
राजस्थान	67.5	65.4	70.0	66.9	64.6	69.6	70.0	68.3	71.9
तमिलनाडु	70.2	68.2	72.3	68.9	66.8	71.1	72.0	70.1	74.1
उत्तर प्रदेश	63.8	62.5	65.2	63.1	61.8	64.5	67.6	66.2	69.1
पश्चिम बंगाल	69.9	68.5	71.6	69.2	67.6	70.8	72.0	70.7	73.6

*: भारत में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं

टिप्पणी: सैम्पल आकार छोटा होने के कारण छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते।

(संदर्भ पैरा 15.17)

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या.	140	147	1324	1379
2.	दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक प्रारंभ किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	54	54	5618	5637
3.	दिनांक 31.10.2015 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	50	52	5802	5801
4.	दिनांक 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2–3)	144	149	1140	1215
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के संदर्भ में):–				
	(क) बर्खास्तगी	3	3	260	261
	(ख) निष्कासन	1	1	341	345
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	0	0	102	101
	(ड.) रैंक/वेतन आदि में कटौती	4	4	366	366
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	1	1	540	568
	(च) पदोन्नति रोकना	1	1	12	13
	(छ) वेतन से वूसली के आदेश	1	10	1255	1255
	(ज) निंदा	8	8	1217	1202
	(झ) चेतावनी	5	10	348	348
	(ञ) असंतोष	4	4	23	23
	(ट) दोषमुक्ति	3	3	347	350
	(ठ) मामले का स्थानांतरण	0	0	18	18
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	1	1	64	64
	(ढ) पेंशन में कटौती	2	2	5	5
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	1	1	95	95
	(त) यूनिट में परिबद्ध	0	0	116	111
	(थ) क्वार्टर गार्ड में परिबद्ध	0	0	710	695
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	0	0	147	148
	(घ) प्रास्थगन	1	1	19	19
	(ल) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	0	0	67	67
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	0	0	5	5
	कुल (क से प)	**36**	**50**	**6057***	**6059***

*क्रम सं. 5 में मामलों की संख्या में अंतर एक ही मामले में एक से अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता अथवा एक व्यक्ति को दिए गए दण्ड की संख्या एक से अधिक होने की वजह से है।

अनुलग्नक-XVI

(संदर्भ पैरा 15.47)

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा का ब्यौरा					
क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1488	381	209	1660
2	असम राइफल्स	82	92	51	123
3	बीपीआरएंडडी	7	11	5	13
4	बीएसएफ	502	303	526	279
5	सीआईएसएफ	301	135	85	351
6	सीआरपीएफ	153	0	0	153
7	चंडीगढ़	1251	149	87	1313
8	दादरा और नगर हवेली	128	23	9	142
9	राजभाषा विभाग	35	5	15	25
10	दमण और दीव	250	63	14	299
11	आसूचना ब्यूरो	96	43	39	100
12	आईटीबीपी	107	91	62	136
13	लक्षद्वीप	531	164	22	673
14	गृह मंत्रालय(मुख्य)	49	6	1	54
15	एनसीआरबी	10	9	10	9
16	एनआईसीएफएस	13	0	0	13
17	एनपीए	10	9	11	8
18	एनएसजी	75	28	43	60
19	आरजीआई	374	70	135	309
कुल		**5462**	**1582**	**1324**	**5720**

अनुलग्नक-XVII
(संदर्भ पैरा 15.48)

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराओं/पीएसी रिपोर्टों की सं. जिनके संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद की गई कार्रवाई से संबंधित नोट (एटीएन) पीएसी को प्रस्तुत किया गया	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया।	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया किन्तु जिन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और लेखापरीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः पुस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।	उन एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है किंतु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1.	.	11 वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं. 19 का पैरा सं. 7.2, 14.1, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.10, 14.11, 4.12; वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं. 25 का पैरा 8.1	0	01 वर्ष 2013 की सम्पूर्ण रिपोर्ट सं. 5	0

अनुलग्नक-XVIII

(संदर्भ पैरा 15.48)

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार सीएंडएजी ए.टी.आर. की बकाया कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा टिप्पणियां/पैरा
वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 **दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को संसद में रखी गई केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में निर्माण संबंधी गतिविधियों का कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा**
• केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)
निर्माण संबंधी गतिविधियों की आयोजना 1. गृह मंत्रालय ने यूनिटों की स्थापना की मंजूरी देते समय कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त मंजूरियों को सम्बद्ध नहीं किया। (पैरा 2.2.1) 2. गृह मंत्रालय और सीएपीएफ, सीएपीएफ के रिहाइशी आवासों के साथ कार्यालय भवनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं थे। 2.99 लाख आवासीय यूनिटों की अधिकृत आवश्यकता की तुलना में सीएपीएफ कार्मिकों के लिए केवल 1.54 लाख आवासीय यूनिटें उपलब्ध थीं और 5113 कार्यालय भवनों की आवश्यकता की तुलना में, केवल 2041 भवन उपलब्ध थे। (पैरा 2.2.1 एवं 2.2.2) 3. सीएपीएफ में रिहाइशी आवास उपलब्ध कराने में संतुष्टि का स्तर कम था जो लक्षित 25 प्रतिशत के संतुष्टि स्तर की तुलना में मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 2.96 प्रतिशत से 22.48 प्रतिशत के बीच था। (पैरा 2.2.2.1) 4. सीएपीएफ द्वारा लोक निर्माण संगठनों (पीडब्ल्यूओ) का चयन पूर्णतः नामांकन के आधार पर किया गया था। न केवल ध नराशि के मामले में बल्कि समय और गुणवत्ता के अनुपालन और सौंपने के बाद रख–रखाव संबंधी मुद्दों जैसी अन्य सेवाओं में बेहतर सौदेबाजी के लिए सीएपीएफ में पीडब्ल्यूओ के चयन के मापदंड में न तो प्रतिस्पर्धा का माहौल था और न ही पारदर्शिता थी। (पैरा 2.5)
भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया . 1. 236.05 करोड़ रु. के 132 चुनिंदा भूमि अधिग्रहण के मामलों में से, 56 मामलों में, महत्वपूर्ण स्थल योजना के अनुमोदन की तिथि से भूमि को कब्जे में लेने तक भूमि के अधिग्रहण में 5 माह से लेकर 9.7 वर्षों के बीच निर्धारित समय–सीमा के बाद काफी विलंब हुआ। इसके अलावा, चुनिंदा भूमि अधिग्रहण के 31 मामलों (23 प्रतिशत)में, संबंधित राज्य सरकार को लागत जमा करने के बावजूद सीएपीएफ निर्धारित समय–सीमा के अंदर भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सके। (पैरा 3.1) 2. 23 मामलों में, अनुमोदन से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया जिसके कारण 29.21 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। (पैरा 3.1) 3. केरल में पट्टा आधार पर पांच भूमि अधिग्रहण मामलों में, इसकी समाप्ति के बाद इसे बढ़ाने के लिए पट्टा विलेख में कोई खंड नहीं जोड़ा गया, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। पट्टा करार की शर्तें बल के हित के प्रतिकूल थीं। (पैरा 3.2.2) 4. भूमि अधिग्रहण के 18 मामलों में, सीएपीएफ द्वारा बिक्री विलेख/नामांतरण नहीं किया गया जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। (पैरा 3.2.4)

निर्माण संबंधी गतिविधियां–मुद्दे–वार

1. कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा गलत प्रारंभिक अनुमान (पीई) तैयार किया गया जिसके परिणामस्वरूप 14.22 करोड़ रु. का अधिक पीई हुआ।

(पैरा 4.1.4)

2. पीई को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अथवा पीडब्ल्यूओ द्वारा कोई मानदंड/समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसका बाद की समय–सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे परियोजना कई महीने पीछे हो गई।

(पैरा 4.1.6)

3. जीएफआर के नियम 130 का उल्लंघन करते हुए उच्च अधिकारियों का अनुमोदन लेने से बचने के लिए संबंधित सीएपीएफ/गृह मंत्रालय के महानिदेशकों ने 206.62 करोड़ रु. के 6 कार्यों को 2 से 8 कार्यों में बांट दिया।

(पैरा 4.2.1)

4. सीएपीएफ/गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी (एए/ईएस) की स्वीकृति लेने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 197 कार्यों में, गृह मंत्रालय/सीएपीएफ को एए एवं ईएस लेने में पांच महीने से अधिक का समय लगा (औसत समय लिया गया है)।

(पैरा 4.2.2)

5. 1161.10 करोड़ रु. के 240 कार्यों में, निविदा में मंजूरी की तारीख से 90 माह तक का विलंब हुआ।

(पैरा 4.3.1)

6. मदों में अनुमानित सीमा से अधिक भिन्नता थी, जो – 100 प्रतिशत से 104.69 प्रतिशत तक थी, जिससे यह पता चला कि विस्तृत अनुमानों में उल्लिखित कार्यों की मदों की मात्रा वास्तविक नहीं थी और क्षेत्र सर्वेक्षण तथा स्थल की परिस्थितियों पर आधारित थी। ऐसी मदों की कुल राशि 82.88 करोड़ रु. थी।

(पैरा 4.5.2)

7. 305 कार्यों में कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा 30.16 करोड़ रु. की अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया। 132 कार्यों में, 10.80 करोड़ रु. की एवजी मदों (1 से 24 मदों तक) का निष्पादन किया गया।

(पैरा 4.5.3 एवं 4.5.4)

8. 129 पूर्ण किए गए कार्यों में, 63.03 करोड़ रु. की अधिक लागत आई थी। इसके अतिरिक्त, जो कार्य चल रहे थे और पूर्ण नहीं हुए थे, उनमें दिसम्बर, 2014 तक 85.03 करोड़ रू. की अधिक लागत आई थी। इस प्रकार, कुल अधिक लागत 148.05 करोड़ रु. थी।

(पैरा 4.5.5.1)

9. विभाग द्वारा प्लिंथ एरिया की गलत गणना, ड्राइंग में संशोधन, अनुमानों में संशोधन, स्थल की परिस्थितियों आदि के कारण 189 पूर्ण किए गए कार्यों में 289.08 करोड़ रु. की बचत हुई।

(पैरा 4.5.5.1)

परिसम्पपत्तियों का गुणवत्ता आश्वासन, निगरानी, उपयोग और रखरखाव

1. सीपीडब्ल्यूडी के गुणता आश्वासन विंग द्वारा निरीक्षण किए जाने का प्रचलन नहीं था। इसके अलावा, पीडब्ल्यूओ अर्थात् एनबीसीसी, एनपीसीसीएल, ईपीआईएल, एचपीएल आदि का कोई गुणता आश्वासन विंग नहीं है। इसके अभाव में, भवन की गुणवत्ता के बारे में पीडब्ल्यूओ द्वारा दिया गया आश्वासन संदिग्ध है।

   (पैरा 6.1.1)

2. सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूओ द्वारा किए गए कार्यों में गुणता परीक्षण की खामियां अर्थात् सामग्री और पानी का परीक्षण न करना, वास्तविक रूप से उपयोग किए ब्रांड के स्थान पर किसी अन्य ब्रांड का परीक्षण, गैर अनुमोदित ब्रांड का उपयोग आदि देखी गईं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा स्थल के दौरे/वास्तविक सत्यापन के दौरान खराब गुणवत्ता कार्य अर्थात क्वार्टरों में दीवारों पर दरार, दीवारों से प्लास्टर उखड़ना, सड़कों में दरार, रिहाइशी क्वार्टरों में पानी टपकना आदि देखा गया।

   (पैरा 6.1.2)

3. सीपीडब्ल्यूडी के 98 प्रतिशत कार्यों और पीडब्ल्यूओ के 10 प्रतिशत कार्यों (84 प्रतिशत के साथ एनबीसीसी के अलावा) और सीएपीएफ के विभागीय कार्यों में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूओ और सीएपीएफ के बीच समझौता ज्ञापन में तीसरे पक्ष द्वारा किसी निरीक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था।

   (पैरा 6.1.5)

4. सीपीडब्ल्यूडी के पास वेब आधारित निगरानी प्रणाली थी लेकिन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा न तो सीएपीएफ को आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे थे और न ही सीएपीएफ इनकी मांग कर रहे थे।

   (पैरा 6.2.1.6)

5. विद्युत आपूर्ति का कोई प्रावधान न होने, विद्युत आपूर्ति को चालू करने में विलंब आदि जैसी कमियों के कारण अनेक मामलों में विभिन्न रिहाइशी और कार्यालय भवनों को नहीं सौंपा जा सका और उनका उपयोग नहीं किया जा सका।

   (पैरा 6.3.1 एवं 6.3.2)

6. सीएपीएफ के लिए पीडब्ल्यूओ द्वारा किए गए कार्यों का रख रखाव पीडब्ल्यूओ द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनके समझौता ज्ञापन में भवन के रखरखाव का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी इन भवनों का रखरखाव इस दलील पर करने को तैयार नहीं था कि इन भवनों का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया था। पीडब्ल्यूओ, जिसने इनका निर्माण किया था, रखरखाव के लिए काफी अधिक शुल्क अर्थात् एजेंसी प्रभार के रूप में निर्माण की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत तक की मांग कर रहा था।

   (पैरा 6.4)

वित्तीय अनियमितताएं

1. चुनिंदा कार्यों में, कार्यनिष्पादन एजेंसियों को सीएपीएफ ने 87.64 करोड़ रु. का संग्रहण अग्रिम दिया, लेकिन कार्यनिष्पादन एजेंसियों ने संग्रहण अग्रिम के लिए अलग से कोई परियोजना खाता नहीं रखा।

(पैरा 7.1)

2. यद्यपि कार्यों को पूरो करने में 56 महीने तक का विलम्ब हुआ, फिर भी ठेकेदारों पर 19.86 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति/निर्णीत हर्जाना (एलडी) प्रभार नहीं लगाया गया।

(पैरा 7.2)

3. ठेकेदारों/पीडब्ल्यूओ को संविदा की शर्त से 6.42 करोड रु. का अधिक भुगतान किया गया। किया गया अधिक भुगतान मुख्यतः मूल्य सूचकांक की गलत गणना, मजदूरी की दर, सीमेंट और स्टील की दरें आदि बढ़ने के कारण था।

(पैरा 7.3)

4. सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूओ ठेकेदारों से 4.26 करोड़ रु. की सांविधिक वसूली अर्थात् कार्य संविदा कर, श्रम कर, स्रोत पर काटा गया आयकर (टीडीएस), मूल्यवर्धित कर (वीएटी) और रायल्टी प्राप्त करने में विफल रहे।

(पैरा 7.5)

निर्माण संबंधी गतिविधियों की बल–वार तुलना

1. असम राइफल्स (एआर) ने सीपीडब्ल्यूडी को कोई कार्य नहीं दिया और अपने कार्य कराने के लिए नामांकन आधार पर (100 प्रतिशत) अन्य पीडब्ल्यूओ का चयन किया, जबकि बीएसएफ (21 प्रतिशत) और सीआरपीएफ (20 प्रतिशत) ने पीडब्ल्यूओ को वरीयता दी, अन्य बलों ने सीपीडब्ल्यूडी को वरीयता दी।

(पैरा 8.1)

2. एसएसबी ने 45 प्रतिशत और सीआरपीएफ ने 44 प्रतिशत कार्यों में प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी (एएएंडईएस) देने में विलम्ब किया।

(पैरा 8.3)

3. एनएसजी के 57 प्रतिशत और आईटीबीपी के 47 प्रतिशत कार्य कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा 6 महीने के बाद दिए गए। इसी प्रकार, सभी सीएपीएफ में लगभग 50 प्रतिशत कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इससे सीएपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन एंजेसियों के साथ समन्वय की कमी और समय सीमा को प्रभावी रूप से लागू न करने का पता चला।

(पैरा 8.5)

4. वित्तीय अनियमितताएं अर्थात – सांविधिक वसूली, निर्णीत हर्जाना, संग्रहण अग्रिम का समायोजन न करना और कार्यनिष्पादन एजेंसियों/ठेकेदारों से उन पर ब्याज की प्राप्ति न होना सीआरपीएफ में बिलकुल स्पष्ट था, इसके बाद सीआईएसएफ और एआर आते हैं।

(पैरा 8.6)

दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को संसद में रखी गई वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32–लेखा परीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन–बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र

पत्तन प्रबंधन मंडल में वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

पत्तन प्रबंधन मंडल (पीएमबी) के उद्देश्यों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एएनआई) के पत्तनों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करना, लेवी और विभिन्न प्रभारों के संग्रहण के नियम और विनियम बनाना तथा बंदरगाहों का संरक्षण शामिल था। तथापि, सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पीएमबी को अपेक्षित अधिकार नहीं दिए गए थे। पीएमबी द्वारा की जा रही गतिविधियों के सहज संचालन के लिए समय–समय पर नियम और विनियम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। इस प्रकार, जलयान/कार्गो संबंधी सेवाओं के लिए लेवी और प्रभार के संग्रहण में कमियां थीं, कार्गो की व्यवस्था के लिए कार्यबल का दक्षतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया गया, न तो राजस्व बढ़ाने के लिए कोई नीति थी और न ही भूमि के प्रबंधन के लिए कोई नीति बनाई गई। उचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र न होने से पीएमबी का कार्यकरण और अधिक प्रभावित हुआ। पीएमबी ने लेखापरीक्षा की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया।

(पैरा 2.1)

317.03 लाख रू. का निरर्थक व्यय

लोक निर्माण विभाग, संघ राज्य क्षेत्र, दादरा एवं नगर हवेली ने पाइपलाइन नेटवर्क में पाइपों के विनिर्देशन का पालन नहीं किया, जैसाकि मेसर्स वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, परामर्शदाता द्वारा सिफारिश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 317.03 लाख रू. का निरर्थक व्यय हुआ।

(पैरा 2.4)

संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न किया जाना

पुलिस विभाग के संचार नेटवर्क के लिए टीईटीआरए प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। तटीय और संवेदनशील संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिकीकरण योजना के तहत यह प्रणाली एक निर्णायक और महत्वपूर्ण गतिविधि है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने चार वर्षों से अधिक समय तक ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के पास 484.38 लाख रू. भी अवरुद्ध किए।

(पैरा 2.6)

सरकारी धनराशि को अनियमित रूप से रखना

लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एलडीसीएल) के पास 216.59 करोड़ की धनराशि रखने और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र (यूटीएल) को 40.48 करोड़ रू. की खर्च न की गई राशि को वापस न करने से 257.07 करोड़ रू. की सरकारी धनराशि अवरुद्ध हुई।

(पैरा 2.8)

विशेष भत्ते का अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, यूटीएल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को एक समय में द्वीपसमूह विशेष ड्यूटी भत्ते (आईएसडीए) के अतिरिक्त दो विशेष प्रतिपूरक भत्ते अर्थात विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए) और कठिन क्षेत्र भत्ता (एचएए) की अनुमति दी। इससे 79.87 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

(पैरा 2.9)

पट्टा विलेखों के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी की कम उगाही

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पट्टा विलेखों के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी की लागू दर से कम उगाही के परिणामस्वरूप 226.57 लाख रू. की कम वसूली हुई।

(पैरा 3.2.2)

किराए की आय पर सेवा कर का संग्रहण न होना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में अचल सम्पत्ति के किराए को सेवा कर के दायरे में लाया गया था। सेवा कर के देरी से भुगतान पर उस पर ब्याज लगता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभाग ने विभिन्न स्थलों पर अपनी सम्पत्तियों को गैर सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दिया हुआ था। तथापि, विभाग ने न तो सेवा कर एकत्र किया और न ही उसे सेवा कर विभाग के पास जमा कराया, जिसके परिणामस्वरूप कर और ब्याज के रूप में कुल 51.54 लाख रू. की देनदारी हो गई। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया और सूचित किया कि इसने अक्टूबर, 2014 तक 10.01 लाख रू. की धनराशि की उगाही पहले ही कर ली है।

(पैरा 3.2.4)

वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 18 लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन (सम्मिलित सिविल ए+बी) दिनांक 24 जुलाई, 2015 (राज्य सभा) और दिनांक 27 जुलाई, 2015 (लोक सभा) को संसद में रखा गया गृह मंत्रालय
• **भारत–तिब्बत सीमा पुलिस**
हथियारों और गोलाबारुद की प्राप्ति के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र न होने के कारण, आईटीबीपी की एक सहायक बटालियन ने विभिन्न आयुध निर्माणियों को 15.58 करोड़ रू. के अग्रिम का भुगतान किया, जो आकस्मिक अपेक्षित हथियारों और गोलाबारुद की आपूर्ति न होने के कारण अवरुद्ध रहा। (पैरा 8.2)
• **राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)**
2-15 करोड़ रु. का अनधिकृत व्यय राष्ट्रीय सुरक्षा गारद ने उन गतिविधियों पर 2.15 करोड़ रू. का व्यय किया जो चार क्षेत्रीय हबों के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरियों में शामिल नहीं थीं। (पैरा 8.3)

अनुलग्नक-XIX

(संदर्भ पैरा 15.48)

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय से संबंधित अत्यधिक हाल की एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/ विभाग	वर्तमान स्थिति
1.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 2.2.1	गृह मंत्रालय ने यूनिटों की स्थापना की मंजूरी देते समय कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त मंजूरियों को सम्बद्ध नहीं किया।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
2.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 2.2.1 और 2.2.2	गृह मंत्रालय और सीएपीएफ, सीएपीएफ के रिहाइशी आवासों के साथ कार्यालय भवनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं थे। 2.99 लाख आवासीय यूनिटों की अधिकृत आवश्यकता की तुलना में सीएपीएफ कार्मिकों के लिए केवल 1.54 लाख आवासीय यूनिटें उपलब्ध थीं और 5113 कार्यालय भवनों की आवश्यकता की तुलना में, केवल 2041 भवन उपलब्ध थे।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
3.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 2.2.2.1	सीएपीएफ में रिहाइशी आवास उपलब्ध कराने में संतुष्टि का स्तर कम था जो लक्षित 25 प्रतिशत के संतुष्टि स्तर की तुलना में मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 2.96 प्रतिशत से 22.48 प्रतिशत के बीच था।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
4.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 2.5	सीएपीएफ द्वारा लोक निर्माण संगठनों (पीडब्ल्यूओ) का चयन पूर्णतः नामांकन के आधार पर किया गया था। न केवल धनराशि के मामले में बल्कि समय और गुणवत्ता के अनुपालन और सौंपने के बाद रख–रखाव संबंधी मुद्दों जैसी अन्य सेवाओं में बेहतर सौदेबाजी के लिए सीएपीएफ में पीडब्ल्यूओ के चयन के मापदंड में न तो प्रतिस्पर्धा का माहौल था और न ही पारदर्शिता थी।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 3.1	236.05 करोड़ रु. के 132 चुनिंदा भूमि अधिग्रहण के मामलों में से, 56 मामलों में, महत्वपूर्ण स्थल योजना के अनुमोदन की तिथि से भूमि को कब्जे में लेने तक भूमि के अधिग्रहण में 5 माह से लेकर 9.7 वर्षों के बीच निर्धारित समय–सीमा के बाद काफी विलंब हुआ। इसके अलावा, चुनिंदा भूमि अधिग्रहण के 31 मामलों (23 प्रतिशत)में, संबंधित राज्य सरकार को लागत जमा करने के बावजूद सीएपीएफ निर्धारित समय–सीमा के अंदर भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सके।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/ विभाग	वर्तमान स्थिति
6.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 3.1	23 मामलों में, अनुमोदन से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया जिसके कारण 29.21 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है
7.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 3.2.2	केरल में पट्टा आधार पर पांच भूमि अधिग्रहण मामलों में, इसकी समाप्ति के बाद इसे बढ़ाने के लिए पट्टा विलेख में कोई खंड नहीं जोड़ा गया, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। पट्टा करार की शर्तें बल के हित के प्रतिकूल थीं।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
8.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 3.2.4	भूमि अधिग्रहण के 18 मामलों में, सीएपीएफ द्वारा बिक्री विलेख/नामांतरण नहीं किया गया जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
9.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.1.4	कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा गलत प्रारंभिक अनुमान (पीई) तैयार किया गया जिसके परिणामस्वरूप 14.22 करोड़ रु. का अधिक पीई हुआ।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
10.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.1.6	पीई को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अथवा पीडब्ल्यूओ द्वारा कोई मानदंड/ समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसका बाद की समय–सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे परियोजना कई महीने पीछे हो गई।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
11.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.2.1	जीएफआर के नियम 130 का उल्लंघन करते हुए उच्च अधिकारियों का अनुमोदन लेने से बचने के लिए संबंधित सीएपीएफ/गृह मंत्रालय के महानिदेशकों ने 206.62 करोड़ रु. के 6 कार्यों को 2 से 8 कार्यों में बांट दिया।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
12.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.2.2	सीएपीएफ/गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी (एए/ईएस) की स्वीकृति लेने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 197 कार्यों में, गृह मंत्रालय/ सीएपीएफ को एए एवं ईएस लेने में पांच महीने से अधिक का समय लगा (औसत समय लिया गया है)।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
13.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.3.1	1161.10 करोड रू. के 240 कार्यों में, निविदा में मंजूरी की तारीख से 90 माह तक का विलंब हुआ।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय / विभाग	वर्तमान स्थिति
14.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.5.2	मदों में अनुमानित सीमा से अधिक भिन्नता थी, जो –100 प्रतिशत से+104.69 प्रतिशत तक थी, जिससे यह पता चला कि विस्तृत अनुमानों में उल्लिखित कार्यों की मदों की मात्रा वास्तविक नहीं थी और क्षेत्र सर्वेक्षण तथा स्थल की परिस्थितियों पर आधारित थी। ऐसी मदों की कुल राशि 82.88 करोड़ रु. थी।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
15.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.5.3 और 4.5.4	305 कार्यों में कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा 30.16 करोड़ रु. की अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया। 132 कार्यों में, 10.80 करोड़ रु. की एवजी मदों (1 से 24 मदों तक) का निष्पादन किया गया।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
16.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.5.5.1	129 पूर्ण किए गए कार्यों में, 63.02 करोड़ रु. की अधिक लागत आई थी। इसके अतिरिक्त, जो कार्य चल रहे थे और पूर्ण नहीं हुए थे, उनमें दिसम्बर, 2014 तक 85.03 करोड़ रु. की अधिक लागत आई थी। इस प्रकार, कुल अधिक लागत 148.05 करोड़ रु. थी।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
17.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 4.5.5.1	विभाग द्वारा प्लिंथ एरिया की गलत गणना, ड्राइंग में संशोधन, अनुमानों में संशोधन, स्थल की परिस्थितियों आदि के कारण 189 पूर्ण किए गए कार्यों में 289.08 करोड़ रु. की बचत हुई।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
18.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 5.2	सीपीडब्ल्यूडी ने कार्यों की निविदा प्रक्रिया में पीडब्ल्यूओ की तुलना में अधिक समय लिया। कार्य देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उनके पूर्ण होने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः लागत अधिक आई	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
19.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 5.3	अपनी स्वयं की इंजीनियरनिंग विंग वाली सभी कार्यनिष्पादन एजेंसियों अर्थात् सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूओ और सीएपीएफ ने लगभग सभी कार्यों में एनआईटी जारी होने से पहले स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन नहीं लिया।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय / विभाग	वर्तमान स्थिति
20	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 5.4	सीपीडब्ल्यूडी के कार्यों में अधिक व्यतिक्रम था जिसके बाद विभागीय कार्य और पीडब्ल्यूओ द्वारा किए गए कार्य थे। यह इस वास्तविकता का सूचक है कि विस्तृत अनुमानों में उल्लिखित कार्यों की मदों की मात्रा वास्तविक नहीं थी और विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित थी तथा स्थल की परिस्थितियों के अनुसार थी।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
21	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 5.5	जांच किए गए 710 कार्यों में से, 405 कार्यों में 1 से 66 माह तक का विलंब हुआ। कार्य पूर्ण करने में विलंब के मामले में सभी एजेंसियां लगभग एक जैसी थीं। कार्य पूर्ण होने में विलंब के परिणामस्वरूप लागत सूचकांक बढ़ने के कारण लागत अधिक आई जिससे परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
22	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 5.7	सभी कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों में काफी बचत हुई। सीपीडब्ल्यूडी के 129 कार्यों में 172.85 करोड़ रु. और एनबीसीसी के 13 कार्यों में 71.71 करोड़ रु. की बड़ी बचत देखी गई। इससे बजट व्यवस्था तथा व्यय की मंजूरी में खराब वित्तीय नियंत्रण का संकेत मिला।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
23	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 6.1.1	सीपीडब्ल्यूडी के गुणता आष्वासन विंग द्वारा निरीक्षण किए जाने का प्रचलन नहीं था। इसके अलावा, पीडब्ल्यूओ अर्थात् एनबीसीसी, एनपीसीसीएल, ईपीआईएल, एचपीएल आदि का कोई गुणता आश्वासन विंग नहीं है। इसके अभाव में, भवन की गुणवत्ता के बारे में पीडब्ल्यूओ द्वारा दिया गया आश्वासन संदिग्ध है।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
24	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 6.1.2	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूओ द्वारा किए गए कार्यों में गुणता परीक्षण की खामियां अर्थात् सामग्री और पानी का परीक्षण न करना, वास्तविक रूप से उपयोग किए ब्रांड के स्थान पर किसी अन्य ब्रांड का परीक्षण, गैर अनुमोदित ब्रांड का उपयोग आदि देखी गईं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा स्थल के दौरे/वास्तविक सत्यापन के दौरान खराब गुणवत्ता कार्य अर्थात क्वार्टरों में दीवारों पर दरार, दीवारों से प्लास्टर उखड़ना, सड़कों में दरार, रिहाइशी क्वार्टरों में पानी टपकना आदि देखा गया।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
25	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 6.1.5	सीपीडब्ल्यूडी के 98 प्रतिशत कार्यों और पीडब्ल्यूओ के 10 प्रतिशत कार्यों (84 प्रतिशत के साथ एनबीसीसी के अलावा) और सीएपीएफ के विभागीय कार्यों में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूओ और सीएपीएफ के बीच समझौता ज्ञापन में तीसरे पक्ष द्वारा किसी निरीक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
26	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 6.2.1.6	सीपीडब्ल्यूडी के पास वेब आधारित निगरानी प्रणाली थी लेकिन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा न तो सीएपीएफ को आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे थे और न ही सीएपीएफ इनकी मांग कर रहे थे।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
27	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 6.3.1 एवं 6.3.2	विद्युत आपूर्ति का कोई प्रावधान न होने, विद्युत आपूर्ति को चालू करने में विलंब आदि जैसी कमियों के कारण अनेक मामलों में विभिन्न रिहाइशी और कार्यालय भवनों को नहीं सौंपा जा सका और उनका उपयोग नहीं किया जा सका।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
28	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 6.3.1 एवं 6.3.2	सीएपीएफ के लिए पीडब्ल्यूओ द्वारा किए गए कार्यों का रख रखाव पीडब्ल्यूओ द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनके समझौता ज्ञापन में भवन के रखरखाव का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी इन भवनों का रखरखाव इस दलील पर करने को तैयार नहीं था कि इन भवनों का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया था। पीडब्ल्यूओ, जिसने इनका निर्माण किया था, रखरखाव के लिए काफी अधिक शुल्क अर्थात् एजेंसी प्रभार के रूप में निर्माण की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत तक की मांग कर रहा था।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
29	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 7.1	20 चुनिंदा कार्यों में, कार्यनिष्पादन एजेंसियों को सीएपीएफ ने 87.64 करोड़ रु. का संग्रहण अग्रिम दिया, लेकिन कार्यनिष्पादन एजेंसियों ने संग्रहण अग्रिम के लिए अलग से कोई परियोजना खाता नहीं रखा।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
30	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 7.2	यद्यपि कार्यों को पूरो करने में 56 महीने तक का विलम्ब हुआ, फिर भी ठेकेदारों पर 19.86 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति/निर्णीत हर्जाना (एलडी) प्रभार नहीं लगाया गया।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
31	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 7.3	ठेकेदारों/पीडब्ल्यूओ को संविदा की शर्त से 6.42 करोड रु. का अधिक भुगतान किया गया। किया गया अधिक भुगतान मुख्यतः मूल्य सूचकांक की गलत गणना, मजदूरी की दर, सीमेंट और स्टील की दरें आदि बढ़ने के कारण थी।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
32	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 7.5	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूओ ठेकेदारों से 4.26 करोड़ रु. की सांविधिक वसूली अर्थात् कार्य संविदा कर, श्रम कर, स्रोत पर काटा गया आयकर (टीडीएस), मूल्यवर्धित कर (वीएटी) और रायल्टी प्राप्त करने में विफल रहे।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
33	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 8.1	असम राइफल्स (एआर) ने सीपीडब्ल्यूडी को कोई कार्य नहीं दिया और अपने कार्य कराने के लिए नामांकन आधार पर (100 प्रतिशत) अन्य पीडब्ल्यूओ का चयन किया, जबकि बीएसएफ (21 प्रतिशत) और सीआरपीएफ (20 प्रतिशत) ने पीडब्ल्यूओ को वरीयता दी, अन्य बलों ने सीपीडब्ल्यूडी को वरीयता दी।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
34	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 8.3	एसएसबी ने 45 प्रतिशत और सीआरपीएफ ने 44 प्रतिशत कार्यों में प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी (एएएंडईएस) देने में विलम्ब किया।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
35	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 8.5	एनएसजी के 57 प्रतिशत और आईटीबीपी के 47 प्रतिशत कार्य कार्यनिष्पादन एजेंसियों द्वारा 6 महीने के बाद दिए गए। इसी प्रकार, सभी सीएपीएफ में लगभग 50 प्रतिशत कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इससे सीएपीएफ द्वारा कार्यनिष्पादन एजेंसियों के साथ समन्वय की कमी और समय सीमा को प्रभावी रूप से लागू न करने का पता चला।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
36	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 35 का 8.6	वित्तीय अनियमितताएं अर्थात – सांविधिक वसूली, निर्णीत हर्जाना, संग्रहण अग्रिम का समायोजन न करना और कार्यनिष्पादन एजेंसियों/ठेकेदारों से उन पर ब्याज की प्राप्ति न होना सीआरपीएफ में बिलकुल स्पष्ट था, इसके बाद सीआईएसएफ और एआर आते हैं।	पी–II प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32
दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को संसद के पटल पर रखी गई विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
37.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 2.1	पत्तन प्रबंधन मंडल (पीएमबी) के उद्देश्यों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (एएनआई) के पत्तनों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करना, लेवी और विभिन्न प्रभारों के संग्रहण के नियम और विनियम बनाना तथा बंदरगाहों का संरक्षण शामिल था। तथापि, सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पीएमबी को अपेक्षित अधिकार नहीं दिए गए थे। पीएमबी द्वारा की जा रही गतिविधियों के सहज संचालन के लिए समय–समय पर नियम और विनियम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। इस प्रकार, जलयान/कार्गो संबंधी सेवाओं के लिए लेवी और प्रभार के संग्रहण में कमियां थीं, कार्गो की व्यवस्था के लिए कार्यबल का दक्षपतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया गया, न तो राजस्व बढ़ाने के लिए कोई नीति थी और न ही भूमि के प्रबंधन के लिए कोई नीति बनाई गई। उचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र न होने से पीएमबी का कार्यकरण और अधिक प्रभावित हुआ। पीएमबी ने लेखापरीक्षा की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
38.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 2.4	लोक निर्माण विभाग, संघ राज्य क्षेत्र, दादरा एवं नगर हवेली ने पाइपलाइन नेटवर्क में पाइपों के विनिर्देशन का पालन नहीं किया, जैसाकि मेसर्स वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, परामर्शदाता द्वारा सिफारिश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 317.03 लाख रू. का निरर्थक व्यय हुआ।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
39.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 2.6	पुलिस विभाग के संचार नेटवर्क के लिए टीईटीआरए प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। तटीय और संवेदनशील संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिकीकरण योजना के तहत यह प्रणाली एक निर्णायक और महत्वपूर्ण गतिविधि है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने चार वर्षों से अधिक समय तक ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के पास 484.38 लाख रू0 भी अवरुद्ध किए।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

40.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 2.8	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एलडीसीएल) के पास 216.59 करोड़ रू. की धनराशि रखने और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र (यूटीएल) को 40.48 करोड़ रू. की खर्च न की गई राशि को वापस न करने से 257.07 करोड़ रू. की सरकारी धनराशि अवरुद्ध हुई।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
41.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 2.9	वित्त मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, यूटीएल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को एक समय में द्वीपसमूह विशेष ड्यूटी भत्ते (आईएसडीए) के अतिरिक्त दो विशेष प्रतिपूरक भत्ते अर्थात विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता (एससीआरएलए) और कठिन क्षेत्र भत्ता (एचएए) की अनुमति दी। इससे 79.87 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
42.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 3.2.2	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पट्टा विलेखों के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी की लागू दर से कम उगाही के परिणामस्वरूप 226.57 लाख रू. की कम वसूली हुई।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।
43.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 32 का 3.2.4	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में अचल सम्पत्ति के किराए को सेवा कर के दायरे में लाया गया था। सेवा कर के देरी से भुगतान पर उस पर ब्याज लगता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन विभाग ने विभिन्न स्थलों पर अपनी सम्पत्तियों को गैर सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दिया हुआ था। तथापि, विभाग ने न तो सेवा कर एकत्र किया और न ही उसे सेवा कर विभाग के पास जमा कराया, जिसके परिणामस्वरूप कर और ब्याज के रूप में कुल 51.54 लाख रू. की देनदारी हो गई। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया और सूचित किया कि इसने अक्टूबर, 2014 तक 10.01 लाख रू. की धनराशि की उगाही पहले ही कर ली है।	यूटी प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 18–लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन (सम्मिलित सिविल ए+बी)				
दिनांक 24 जुलाई, 2015 (राज्य सभा) और दिनांक 27 जुलाई, 2015 (लोक सभा) को संसद में रखा गया गृह मंत्रालय				
भारत–तिब्बत सीमा पुलिस				
क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषय वस्तु मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
44.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 18 का 8.2	हथियारों और गोलाबारुद की प्राप्ति के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र न होने के कारण, आईटीबीपी की एक सहायक बटालियन ने विभिन्न आयुध निर्माणियों को 15.58 करोड़ रू. के अग्रिम का भुगतान किया, जो आकस्मिक अपेक्षित हथियारों और गोलाबारुद की आपूर्ति न होने के कारण अवरुद्ध रहा।	पीएम प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी नोट का मसौदा पुनरीक्षण के लिए महानिरीक्षक (लेखापरीक्षा) को भेजा गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद				
45.	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 18 का 8.3	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद ने उन गतिविधियों पर 2.15 करोड़ रू. का व्यय किया जो चार क्षेत्रीय हबों के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरियों में शामिल नहीं थी।	पी–।। प्रभाग	की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम नोट वित्त मंत्रालय के निगरानी सेल को भेजा गया है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

Designed and Printed by Royal press +91 93101 32888